Administrative & Editorial Board

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Prit) : 2350-0441

Shodh Chetna

IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

A Peer-Reviewed & Refereed
International Multifocal Research Journal

Year : 10 Vol. - 1 (Jan. to March, 2024)

ADVISORY BOARD

- Dr. Surya Naryan Gautam
  (Director, Research & Development, Eklavya University, Dahoh, M.P.)
- Prof. Ashish Khare *(University of Allahabad)*
- Prof. V.P. Upadhayay *(Punjab University, Chandigarh)*
- Prof. Alok Singh *(Principal, KNI of Social Science, Sultanpur)*
- Prof. L.C. Chaudary *(HOD. Animal Nutrition IVRI, Barellei)*
- Prof. Sanjay Shanker Mishtra *(TRS College, Rewa)*
- Prof. Dinesh Singh *(Education, UPRTOU, Prayagraj)*
- Prof. Ashok Kumar *(Floriculture, NDUAT, Kumarganj, Ayodhya)*
- Dr. D.N. Tripathi *(Retd. Sanskrit, D.S.P.G. College, Aligarh)*
- Dr. Ram Dhani *(Principal, Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh)*

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Prof. (Dr) Sheetla Prasad Verma
Head, Dept. of A.H. & Dairy Sceince,
Kulbhaskar Ashram P.G. College, Prayagraj
Mob.: 9415645164

Chief Managing Editor

Sushil Kumar Kushwaha
Mob.: 9532481205
e-mail : ghpublication@gmail.com

Managing Editor

Harsh Kushwaha
Mob.: 9807520344

Sub Editors
1. Dr. (Mrs.) Aditi Sakia (Assoc. Prof. M.D.K.G. College, Dibrugarh-Assam)
2. Dr. (Smt.) Poonam Mishra (TRS College, Rewa-M.P.)
3. Dr. Dinesh Kumar Singh (Shri JJT University, Jhunjhunu-Raj.)
4. Dr. R.P. Chaturvedi (TRS College, Rewa-M.P.)
5. Dr. Umesh Kumar Mishra (Govt. Science College, Rewa-M.P.)
6. Shri Vineet Kumar Gupta (Govt. Acharya Sanskrit College, Alwar, Rajasthan)
7. Dr. Akhilesh Kumar Gupta (Education & Training Centre, Rewa-M.P.)
8. Dr. Sudha Soni (Govt. Girls Degree College, Rewa-M.P.)
9. Preeti Vishwakarma (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
10. Dr. Jeetendra Kumar Pandey (Govt. College, Nashtigawan, Rewa, M.P.)
11. Prof. Kalpana Mishra (Jawahar Lal Nehru College of Technology, M.P.)
12. Dr. (Smt.) Bhawana Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
13. Ram Kumar Arya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
14. Sheetal Surodhiya (Govt. Bapu College, Navgown, Chhatarpur, M.P.)
15. Smt. Nisha Pandey (Govt. Polytechnic College, Rewa, M.P.)
16. Dr. Shrikant Shukla (Govt. P.G. College, Amarpatan, Satna, M.P.)

- The persons holding the posts of the Journal are not paid any salary or remunaration. The Journal's work is purely academic, non political, posts of Journal are honorary.
- The Journal will be regularly indexed and four issues will be released every year in (January to March)-Vol.-1, (Apr. to June) Vol.- 2, (July to Sept.) Vol.-3, (Oct. to Dec.) Vol.-4

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक : सुशील कुमार कुशवाहा द्वारा 'शोध चेतना', जी.एच. पब्लिकेशन, 121 शहराराबाग, प्रयागराज से प्रकाशित एवं श्री विष्णु आर्ट प्रेस, चक, जीरो रोड, प्रयागराज से मुद्रित
(Ph.) 0532-2563028, (M) 9532481205, E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchentna.com

जनरल में प्रस्तुत विचार और तथ्य लेखक का है, जिसके विषय में प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक मंडल सहमत हो, आवश्यक नहीं। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज रहेगा।

G.H. PUBLICATION

Registered Office :
121, Shahrarabag, Prayagraj-211 003
E-mail : ghpublication@gmail.com, website : www.shodhchetna.com

Branch Office :
R.L. VISHWAKARMA
C/o Preeti Computer, Angoori Building, University Road, Rewa (M.P.)

LIST OF REVIEWERS

1. Prof. K.P. Chaudhary, Ag. Ext. (Aijol)
2. Dr. Vineet Verma, Mathematics (Lucknow)
3. Dr. Vikram Singh, Agronomy (Prayagraj)
4. Dr. Amitabh Dwivedi, Zoology (Prayagraj)
5. Dr. Bipin Kumar, Plant Pathology (Prayagraj)
6. Prof. Abhay Kumar Singh, Militry Science Principal, K.S. Saket P.G. College (Ayodhya)
7. Prof. Surya Narayan, Horticulture (Prayagraj)
8. Dr. Aradhana Kumari, History (Prayagraj)
9. Prof. Parvati Singh, H.Sc. (Prayagraj)
10. Dr. Praveen Singh, Chemistry (Prayagraj)
11. Dr. Arvind Verma, Agri. Engg. (Mathura)
12. Dr. A.K. Verma, Animal Nutrition (Bareilly)
13. Dr. Salimuddin Uddin Genetic & Plant Breeding (Prayagraj)
14. Dr. Shikha Verma, Education (Ayodhya)
15. Dr. Sandeep Singh Kashyap L.P.M. (Sant Kabir Nagar)
16. Dr. A.K. Rai, Agri. Eco. (Prayagraj)
17. Prof. Faizan Ahmed Political Science (Budaun)
18. Prof. Mansa Ram Verma, Sanskrit (Gonda)
19. Prof. Gyan Prakash Verma Commerce (Meerut)
20. Prof. P.K. Pachauri, Physical Education (Prayagraj)
21. Dr. Vikas Singh, Physics (Prayagraj)
22. Prof. R.L. Pal, Agri. Chem. (Prayagraj)
23. Dr. Ratan Kumari Verma, Hindi (Prayagraj)
24. Dr. Deena Nath, Hindi (Prayagraj)
25. Dr. Vinay Kumar Singh Patel Sociology (Prayagraj)
26. Dr. Manvendra Verma Defence Studies (Prayagraj)
27. Dr. Hanuman Prasad Gupta, Law (Prayagraj)
28. Dr. R.B. Singh, Statistics (Meerut)
29. Dr. Arun Kumar Verma, Hindi (Pratapgarh)
30. Dr. Pramod Yadav, Librarary Science (Prayagraj)
31. Dr. Ramesh Kumar, Commerce(Ambedkar Nagar)

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें–

जी.एच. पब्लिकेशन

रजिस्टर्ड कार्यालय : 121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003
दूरभाष : 0532-2563028 मो.-9532481205
E-mail : ghpublication@gmail.com

शाखा कार्यालय : आर.एल. विश्वकर्मा द्वारा प्रीति कम्प्यूटर
अंगूरी बिल्डिंग, रीवा (म.प्र.)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. No. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III - खण्ड 4
PART III – Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 18, 2018/आषाढ़ 27, 1940
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2018

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on eivdence produced by the teacher such as : copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledge for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.)

S. N.	Academic/Research Activity	Faculty of Science Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary Sciences	Faculty of Languages/ Humanities/Arts/Social Sciences/Library/Education/ Physical Education/Commerce/ Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publication (other than research Papers)**		
	(a) Books authored which are published by :		
	International publishers	12	12
	National publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	8	8

RNI No. UPBILL/2015/63870 ISSN (Print) : 2350-0441

विशेष आवश्यक सूचना

आपको सूचित करते हुए हमें हर्ष की प्रतीति हो रही है कि

SHODH-CHETNA

शोध-चेतना

A Peer-Reviewed & Reffereed International Multifocal Research Journal (Frequency - Quarterly)

में प्रकाशित माननीय शोधार्थियों के शोध-पत्र विभिन्न विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/राज्य), महाविद्यालयों (शासकीय/अशासकीय), शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य बौद्धिक मठों, आश्रमों/शोध-संस्थानों के पुस्तकालयों में अनवरत् रूप से निःशुल्क भेजी जा रही है, जिससे इन शोध दृष्टियों से

'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय'

का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

.... प्रकाशक

◆◆ आज ही आदेश करें ◆◆

अप्रकाशित मौलिक शोध-पत्र, शोध-प्रबन्ध, पुस्तक-समीक्षा एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु सम्पर्क करें-

जी.एच. पब्लिकेशन

121, शहराराबाग, प्रयागराज-211003 (उ.प्र.)

दूरभाष : 0532-2563028 मो.: 9532481205

E-mail : ghpublication@gmail.com

© ***Publishers***

Registration Fee	:	**Rs. 1500.00**
Single Copy (Individual)	:	**Rs. 250.00**
Annual Subscription (4 Issues)	:	**Rs. 1000.00**
Life Time Member Fee (Individual)	:	**Rs. 5000.00**
Life Time Member Fee (Institution)	:	**Rs. 7000.00**

Mode of Payment :

DD/Cheque/Cash should be sent in favour of :

State Bank of India
Bahadurganj, Prayagraj-3
A/c. 42214287502
IFSC : SBIN 0050274

Or

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN0807095

Please Research Paper will be sent in our E-mail : ghpublication@gmail.com
&
Our Watsapp No.: 9532481205

Our Life Time Member of Shodh-Chetna Research Journal

1. Shri J.J.T. University, Jhunjhunu, Rajsthan
2. Kulbhashker Ashram P.G. College, Prayagraj (U.P.)
3. International Federation of Astrology and Spiritual Science & Recognised by Govt. of India and Shri Lanka (Chandigarh)
4. Dr. Rajeshwar Sewashram Degree College, Pratapgarh (U.P.)
5. Baba Barua Das P.G. College Ambedkar Nagar (U.P.)
6. Elite Public B.Ed. Colleg, Palamu (Jharkhand)
7. Dr. Aditi Sakia M.D.K.G. College,Dibrugarh (Assam)
8. Dr. Poonam Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
9. Dr. Jeetendra Kumar Pandey, Rewa (M.P.)
10. Dr. Shri Kant Shukla, Satna (M.P.)
11. Dr. Ram Kumar Arya, Chhatarpur (M.P.)
12. Prof. Sanjay Shankar Mishra, T.R.S. College, Rewa (M.P.)
13. Dr. Surya Narayan Gautam Eklovya University, Damoh (M.P.)

अनुक्रम

1. **स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व निर्माण में खेतड़ी का योगदान** 11-15
डॉ. जुल्फिकार

2. **सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करता साहित्य और सिनेमा** 16-19
डॉ. तरुणेन्द्र प्रसाद साकेत

3. **Anthropogenic Impact and Ethnographic Study of Flora and Fauna of Silvassa Region** 20-25
Seema Bhatnagar & Dr. D. K. Singh

4. **सन् 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में मध्य प्रदेश (मालवा व निमाड़) का योगदान** 26-32
डॉ. अजय शंकर पाण्डेय एवं अंजली पाण्डेय

5. **आन्तरिक सुरक्षा और नक्सलवाद** 33-37
अभय प्रताप मिश्र

6. **साइबर सुरक्षा सम्बन्धी भारतीय प्रयास : एक मूल्यांकन** 38-44
प्रवीण बाजपेयी

7. **चन्देलकाल के मन्दिरों की भव्यता : मूर्तिकला के सन्दर्भ में** 45-47
डॉ. अजय शंकर पाण्डेय एवं पूर्णिमा सिंह

8. **महात्मा गांधी जी की अविभाजित मध्य प्रदेश यात्रा राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में** 48-51
अभिषेक खरे एवं डॉ. महेन्द्र मणि द्विवेदी

9. **भाषा का प्रश्न और राष्ट्रीय चेतना** 52-56
रंजीता कुमारी

10. **फैशन के प्रति दृष्टिकोण तथा समाज पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन** 57-61
डॉ. मोहम्मद अय्यूब

11. **एक नमक हराम सरदार का बाड़ा** 62-65
डॉ. प्रेम सिंह मोरे

12. **वर्तमान परिदृश्य में हिन्दी भाषा और साहित्य की उपादेयता** 66-72
अतुल यादव

13. **स्त्री शिक्षा का ऐतिहासिक अध्ययन** 73-80
डॉ. कल्पना दीक्षित*

14. **बघेलखण्ड में सूफी धर्म और सांस्कृतिक सौहार्द्र** 81-84
डॉ. सुधा सोनी एवं सुमन कुशवाहा

15. **श्रीमद्भागवत पुराण में निहित आर्थिक तत्त्वों का स्वरूप** 85-91
अम्बुज सिंह

16. **A Source of Competitive Advantage : Talent Management** 92-97
Dr. Ramesh Kumar

17.	**Challenges and Opportunities in Tribal Education for Improved Quality of Life : A Case Study of U.P.** Dr. Ashish Kant Chaudary	98-102
18.	**बालक-बालिकाओं में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति** श्रीमती मीनाक्षी तँवर	103-107
19.	**नवीन कृषि उत्पादकता का पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक जीवन में प्रभाव** ज्योति सिंह एवं डॉ. के.के. सिंह	108-115
20.	**एकात्म मानववाद समकालीन राजनीति का प्रखर चिन्तन** श्रीमती रेखा शुक्ला एवं डॉ. (श्रीमती) उपमा सिंह**	116-122
21.	**ई-कॉमर्स की आवश्यकताएँ** जागृति शुक्ला एवं डॉ. रमेश कुमार गुप्ता	123-125
22.	**मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति हेतु विकास नीति** कविता शुक्ला एवं डॉ. सुशीला द्विवेदी	126-132
23.	**बालभारतम् में समाज व्यवस्था** डॉ. आशुतोश कुमार मिश्र	133-138
24.	**भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और आचार्य विनोबा भावे** डॉ. फ़ैज़ान अहमद*	139-144
25.	**धर्म और दर्शन** डॉ. आनन्दराम पैकरा	145-152
26.	**MEDICINAL PLANTS USED BY AYUSH FROM DISTRICT BHADOHI TO CURE DIFFERENT INFECTIONS** Mina Devi Shyam Rai*, Dr. Dinesh Kumar Singh	153-159
27.	**राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों के निर्माण में माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरु जी) का वैचारिक योगदान–एक ऐतिहासिक अध्ययन** शिल्पा साकेत एवं डॉ. महेन्द्रमणि द्विवेदी	160-166
28.	**PHYTO-CONSTITUENTS PROFILE OF *POLYGONUMGLABRUM* AND ITS APPLICATIONS** Mina Devi Shyam Rai & Dr. Dinesh Kumar Singh	167-171
29.	**महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन** कौशलेन्द्र सिंह एवं डॉ. शिखा वर्मा	172-178
30.	**भारत में किशोर न्याय प्रणाली : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन** सारिका वर्मा एवं डॉ. निलांजना जैन	179-186
31.	**हिन्दी साहित्य में नारी उत्थान** डॉ. अरविन्द कुमार	187-191

32.	**Rewriting the Canon: Exploring the Role of Women and Minorities in Redefining Literary History** Vaibhav Anand Gaur	192-198
33.	**Swami Vivekananda's Educational Philosophy And It's Relevance In Present Context** Tanushree Singh & Dr. Nilanjana Jain	199-206
34.	**हिन्द महासागर में अवस्थित भारत का पड़ोसी राष्ट्र मालदीव एक परिचय** रिया सिंह एवं डॉ. नीलांजना जैन	207-212
35.	**मानवीयता का लोप एवं बढ़ता व्यक्तिवादी दृष्टिकोण** डॉ. विजय कुमार वर्मा*	213-217
36.	**CIRCUIT TRAINING AND COOPERS RUN WALK PERFORMANCE AMONG KHO KHO AND KABBADI PLAYERS** Dr. Dheeraj Kumar	218-222
37.	**जीवन मूल्यों का उद्भव एवं स्त्रोत** विराग जैन एवं डॉ. आशीष कुमार जैन	223-227
38.	**STUDY OF IFFERENCES OF SCHEFFE'S POST HOC TEST AMONG UNIVERSITY KABADDI AND KHO-KHO PLAYERS** Dr. Dheeraj Kumar	228-234
39.	**महिलाओं के समक्ष धार्मिक चुनौतियाँ** डॉ. रतन कुमारी वर्मा	235-237
40.	**रीवा जिले के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग का अध्ययन** रीता निगम एवं डॉ. पी.एन. मिश्र	238-245
41.	**राम का औदार्य** (सन्दर्भ : वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड) पंकज शुक्ल एवं प्रो. सूर्यनारायण गौतम 'वेदाचार्य'	246-249
42.	**सामाजिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिकता** डॉ. माधुरी सिंह	250-253
43.	**सावित्री परमार के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श** डॉ. शीताभ शर्मा	254-257
44.	**'स्टार्टअप इण्डिया' अभियान का उद्यमिता पर प्रभाव** गंगा प्रसाद मौर्य एवं डॉ. मिर्जा शहाब शाह	258-265
45.	**हनुमना विकासखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन** रागिनी गुप्ता एवं डॉ. सुशीला द्विवेदी	266-274
46.	**राष्ट्रीय एकता के सूत्र-वैदिक संस्कारों की व्यापकता** डॉ. आनन्दराम पैकरा	275-278

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 1rt Jan. 2024 **Paper Accepted : 6lh Jan. 2024**

स्वामी विवेकानन्द के व्यक्तित्व निर्माण में खेतड़ी का योगदान

डॉ. जुल्फिकार*

शोध-सारांश

भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जाह्नवी को पाश्चात्य देशों में प्रवाहित करने वाले मनीषी, योगी का खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के साथ वही सम्बन्ध है, जो डाल एवं पात का है। जहाँ एक के बिना दूसरा अधूरा है। कर्मयोगी विवेकानन्द को अजीत सिंह के रूप में वह रत्न मिल गया, जिसके सहयोग से विवेकानन्द ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय सनातन धर्म की जो नवीन व्याख्या की एवं भारतीयों में गौरव का भाव पैदा किया, संसार इसके लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा।

विशेष शब्द–*स्वामी विवेकानन्द, राजा अजीत सिंह, खेतड़ी यात्राएँ।*

भूमिका

स्वामी विवेकानन्द और राजा अजीत सिंह की प्रथम मुलाकात 4 जून, 1891 ई. को राजस्थान के माउंट आबू में हुई थी। राजस्थान के शिमला के रूप में मशहूर माउंट आबू में खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ग्रीष्मकाल व्यतीत कर रहे थे। स्वामी विवेकानन्द अपनी परिव्राजक अवस्था में दिल्ली, अलवर, जयपुर, किशनगढ़ और अजमेर होते हुए माउंट आबू पहुँचे। यहीं दोनों की मुलाकात संयोगवश हुई। तत्कालीन किशनगढ़ रियासत के वकील मुंशी डॉ. फैज अली खाँ 'फैज' जिनके यहाँ स्वामीजी रुके हुए थे, के माध्यम से खेतड़ी के मुंशी जगमोहन लाल स्वामीजी से मिले। स्वामीजी की प्रतिभा से प्रभावित मुंशी जी ने राजा अजीत सिंह से स्वामीजी के विषय में चर्चा की। अजीत सिंह की इच्छा पर मुंशी जी ने विशेष आग्रह कर स्वामीजी को खेतड़ी हाऊस चलने के लिए तैयार कर लिया। स्वामीजी 4 जून, 1891 को खेतड़ी हाऊस पधारे। यह दोनों की प्रथम मुलाकात थी। राजा अजीत सिंह को शास्त्रों का विलक्षण ज्ञान एवं अभिरुचि थी। धर्म एवं दर्शन की ज्ञान पिपासा उनमें बड़ी प्रबल थी। उनकी पारखी नजर ने स्वामीजी में छिपे अलौकिक व्यक्तित्व को पहचानने में गलती नहीं की। आबू में रहे स्वामीजी से निरन्तर मुलाकात प्रगाढ़ता में

* युवा लेखक व चिन्तक, ग्राम + पोस्ट–भीमसर, जिला–झुंझुनूं (राज.), मो.न.: 9460448755, ईमेल– dr.julfikarjjn@gmail.com

बदलती गई। प्रथम मुलाकात से 24 जुलाई, 1891 तक, जब तक राजा अजीत सिंह आबू में रहे, स्वामीजी से निरन्तर मिलते रहे। मुलाकात की प्रगाढ़ता बन्धुत्व में बदलती गई। राजा अजीत सिंह खेतड़ी प्रवास के लिए चलने लगे तो विशेष आग्रह से स्वामीजी को भी साथ लेते आये। 24 जुलाई, 1891 ई. को आबू से रवाना होकर राजा अजीत सिंह जयपुर, खैरथल एवं कोट होते हुए 7 अगस्त, 1891 ई. को सुबह 7.30 बजे खेतड़ी पहुँचे।[1] खेतड़ी में रहते हुए स्वामीजी और अजीत सिंह घण्टों धर्म, दर्शन, नक्षत्र और अध्यात्म आदि पर वार्त्ता करते रहते थे। नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एक दूरबीन मँगवाकर दीवानखाने की छत पर स्थापित करवाई गई। कई–कई बार तो दोनों रात भर जाग कर शेखावाटी के स्वच्छ आकाश में नक्षत्रों के खेल को समझने की कोशिश करते रहते। समय निकालकर भ्रमण एवं मनोरंजन आदि भी होता रहता था। ऐसे ही एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने स्वामीजी के हृदय पर से अंधकार का पर्दा हटा दिया। एक दिन संध्याकाल में राजा अजीत सिंह हॉल में बैठकर वीणा वादन एवं गायन का आनन्द ले रहे थे। राजा ने स्वामीजी को भी अपने पास बुला लिया और एक नर्तकी वेश्या से गीत गाने के लिए कहा। स्वामीजी को यह असहज लगा। अतः वे उठकर जाने लगे। अजीत सिंह के आग्रह पर आखिर उन्हें रुकना पड़ा। **नर्तकी मैना बाई ने भक्त कवि सूरदास का एक पद नजर किया–**

हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो।
समदर्शी है नाम तिहारो, अब मोहि पार करो।।

गाना सुनकर स्वामीजी विस्मित हो गये। हृदय आर्त्तनाद करने लगा। नेत्र सजल हो उठे। स्वामीजी को सत्य का भान हुआ। उनके मुँह से निकला, ओह! इस पतित स्त्री ने एक भक्त का पद गाकर 'सर्व खल्विवं ब्रह्म' के तत्त्व को हृदयगंम कर दिया। स्वामीजी ने लिखा है–''वह गाना सुनकर मैं समझा कि क्या यही मेरा संन्यास है?'' मैं संन्यासी हूँ और यह एक पतिता नारी, यह ऊँच–नीच की भावना, यह भेद बुद्धि अब भी दूर नहीं हुई। गाना सुनकर स्वामीजी की आँखें खुल गयीं। ऊँच–नीच के भेदभाव का पर्दा आँखों पर से हट गया। उस दिन से स्वामीजी मैना बाई को माँ नाम से सम्बोधित करने लगे।

स्वामीजी का विश्व विख्यात नाम 'विवेकानन्द' खेतड़ी नरेश के सुझाव पर रखा गया था। चाहे इस तथ्य को विवादास्पद बना दिया गया हो कि यह नाम रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्वामीजी को शिष्य बनाते समय केशवचन्द सेन द्वारा पुकारे जाने वाले विवेक नाम के आधार पर रखा है, परन्तु यह प्रकट तथ्य है कि रामकृष्ण ने अपने किसी शिष्य को संन्यास द्वारा दीक्षित करके उनके संन्यास नामों में परिवर्तित नहीं किया। यशस्वी पत्रकार और मनस्वी विद्वान पं. झाबरमल शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'खेतड़ी नरेश एवं स्वामी विवेकानन्द' में लिखा है–''यह बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि स्वामीजी का सर्वजनविदित नाम रखने वाले राजा अजीत सिंह बहादुर थे। खेतड़ी की प्रथम यात्रा में एक दिन स्वामीजी के पास राजाजी बैठे हुए थे, उन्होंने हँसते–हँसते कहा– ''महाराज! आपका नाम बड़ा कठिन है, बिना टीकाकार की सहायता के साधारण लोगों की समझ में इसका मतलब नहीं आ सकता। उच्चारण करना भी सहज नहीं। इसके अतिरिक्त अब तो विविदिषा काल भी खत्म हो चुका है। स्वामीजी हैं–'विवेकानन्द' ।'' स्वामीजी ने परम्परानुशक्त राजाजी की इच्छानुसार उस दिन से अपना नाम विवेकानन्द मानकर उसका ही व्यवहार आरम्भ कर दिया।[2]

इससे स्पष्ट है कि स्वामीजी ने खेतड़ी आने से पूर्व विवेकानन्द का नाम धारण नहीं किया था। खेतड़ी से जाने के बाद ही वे विवेकानन्द के नाम से जाने गये। स्वामी विवेकानन्द जो साफा बाँधते थे, उसे उन्होंने खेतड़ी नरेश के सुझाव पर ही

पहनना शुरू किया था। बंगाली होने के कारण वे कोई साफा, पगड़ी, टोपी नहीं पहनते थे। खेतड़ी नरेश से मुलाकात के पूर्व 1891 ई. में अलवर में उतारी गई उनकी फोटो में वे बिना साफा के ही हैं। स्वामीजी जब खेतड़ी की पहली यात्रा पर आये थे, तब जून की झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी। लू से स्वामीजी की हालत खराब हो रही थी। राजा अजीत सिंह ने उनकी इस असुविधा को देखकर उन्हें साफा बाँधने की सलाह दी और उन्हें यह सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने इसे स्वीकार कर आगे चलकर रामकृष्ण मिशन के अनुयायियों की विशिष्ट वेशभूषा के रूप में स्वीकार किया।[3]

स्वामीजी के शिकागो जाने का जो प्रस्ताव बेलगाँव के डिविजनल जंगल अधिकारी हरिदास मित्रा ने उनके सामने रखा था, उसमें सबसे कठिन समस्या यात्रा व्यय की थी।

स्वामीजी के मित्रों और अनुयायियों, जिनमें भास्कर सेतुपति (रामानन्द राजा) एवं मद्रास (अब चेन्नै) के महाराजा ने भी यात्रा खर्च का वादा किया एवं इनको शिकागो जाने के लिए प्रेरित किया। स्वामीजी ने हर प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे मानव स्वभाव अन्तर्दृष्टि के द्वारा जानते थे कि उनके शिष्यों में उत्साह तो है परन्तु उद्देश्य पूर्ति हेतु आवश्यक साधनों का अभाव है। अपने इरादों को जाहिर करने के बाद कि वे नंगे पाँव ही अफगानिस्तान, इराक आदि का सफर करते हुए अमेरिका जायेंगे। वहाँ के लोगों ने 500 रुपये चन्दा के रूप में इकट्ठा किये परन्तु यह राशि अपेक्षित यात्रा खर्च 3000 से बहुत कम थी।[4] वास्तव में अजीत सिंह ही थे, जिन्होंने स्वामीजी की इच्छा और देश–प्रेम की भावना से प्रेरित होकर स्वामीजी को अमेरिका भेजने का उत्तरदायित्व अपने सीमित साधनों के बावजूद किया।

रोम्यारोलां भी इसी मत का समर्थन करते हैं। उन्होंने 'Life of Vivekananda' में लिखा है–''वह खेतड़ी गये, जहाँ उनके मित्र महाराजा ने अपने दीवान को कहा कि वह उनका अनुचर और अंगरक्षक बनकर उनको बम्बई (अब मुम्बई) पहुँचाये, जहाँ वे जहाज पर चढ़ें। खेतड़ी महाराज ने उनको जहाज की टिकट दी तथा उनके प्रतिवाद के बावजूद उनको एक शानदार लिबास पहनाया, जो आलस्य में जीवन बिताने वाले अमेरिकियों के लिए उनकी वक्तृत्व शक्ति से कम चित्ताकर्षक नहीं होगा।'' 27 जनवरी 1893 को दो पुत्रियों के उपरान्त लम्बे विलम्ब से जय सिंह के रूप में राजा अजीत सिंह को पुत्र प्राप्ति हुई। वे चाहते थे कि जय सिंह के जन्मोत्सव पर स्वामी विवेकानन्द खेतड़ी पधारें। इसके लिए उन्होंने मुंशी जगमोहन को शीघ्र मद्रास (अब चेन्नै) स्वामीजी को लाने के लिए भेजा। मुंशी जी के निवेदनोपरान्त स्वामीजी ने शिकागो विश्वधर्म सम्मेलन में जाने के कारण एवं उसकी व्यवस्था में व्यस्तता के कारण न आ पाने की असमर्थता प्रकट की तो मुंशी जी ने पत्र–व्यवहार से अजीत सिंह से सम्पर्क किया और स्वामीजी की शिकागो जाने की व्यवस्था का भार स्वयं अजीत सिंह ने अपने ऊपर लिया। इस तरह द्वितीय यात्रा के दौरान 21 अप्रैल, 1893 को स्वामी विवेकानन्द खेतड़ी पहुँचे और 1 अप्रैल, 1893 से 10 मई, 1893 तक खेतड़ी में ठहरे।[5] इस यात्रा के दौरान स्वामीजी ने नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया और जन्मोत्सव समारोह में शामिल हुए। 10 मई 1893 को वे बम्बई (अब मुम्बई) के लिए रवाना हो गये। राजा अजीत सिंह ने मुंशी जगमोहन को मुम्बई तक स्वामीजी के साथ जाने का आदेश दिया एवं स्वयं भी उनके साथ जयपुर तक गये। राजा अजीत सिंह ने मुंशी जी को स्वामीजी के लिए यात्रा टिकट एवं अन्य सामान का प्रबन्ध करने का आदेश दिया। मुंशी जी ने मुम्बई पहुँचकर स्वामीजी के लिए बढ़िया रेशम के गैरू का अलखला, उसी रेशम का गेरूआ साफा बनवाया। जिसे स्वामीजी ने बड़ी मुश्किल से स्वीकार किया। साथ ही, उन्होंने एक सुन्दर थैली और पैनिनसुलर ओरियॅन्टल कम्पनी के स्टीमर

'पेनिनसुला' की एक प्रथम श्रेणी टिकट भी अर्पित की और अन्ततः स्वामीजी 31 मई, 1893 ई. को मुम्बई से अमेरिका के लिए रवाना हो गए।[6] स्वामीजी और अजीत सिंह एक दूसरे के पूरक थे। स्वामीजी का हृदय मानव मात्र की सेवा में संलग्नता का परिचायक है, लेकिन कभी–कभी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वे चिन्तित हो उठते थे और अक्षरशः वे स्वामीजी से पारिवारिक स्थिति की चर्चा किया करते थे। राजा अजीत सिंह ने स्वामीजी की माता जी को प्रति मास 100 रुपये भेजने की व्यवस्था की। स्वामीजी का स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वे मृत्यु से पूर्व चाहते थे कि माता के लिए छोटा–सा घर बनवा दिया जावे और छोटे भाई को विवाह सूत्र में बाँध दिया जावे।[7] माता जी को दिये जा रहे 100 रुपये मासिक को स्थायी करने का विचार राजा अजीत सिंह के सामने रखा क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे निःसंकोच माँग लेते थे।[8] स्वामीजी के सभी भाइयों की शिक्षा एवं सम्पूर्ण परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी राजा अजीत सिंह ने अपने ऊपर ले ली।[9] स्वामीजी के जीवन में राजा अजीत सिंह का कितना महत्त्व था, इसका पता स्वामीजी द्वारा लिखे कुछ पत्रों से चलता है। खेतड़ी की अपनी तृतीय यात्रा के दौरान स्कूल भवन में जनसमूह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि–**''उन्होंने भारत के उत्थान के लिए जो कुछ किया, वह नहीं होता यदि वह उनसे (राजा अजीत सिंह) से नहीं मिलते।''** यह उनके आपसी सम्बन्धों की गहराई ही थी कि स्वामीजी राजा अजीत सिंह के सामने अपनी निजी समस्या भी खोल कर रख देते थे–**''यह जानते हुए कि आपके सामने मन की बात कहने में मुझे जरा भी लज्जा नहीं है, क्योंकि जीवन में मैं आपको एकमात्र मित्र मानता हूँ।''**[10]

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वामीजी और विवेकानन्द एक दूसरे के पूरक ही नहीं अपितु एक दूसरे के लिए बने थे। जिस प्रकार नदियों के नामों की सार्थकता गंगा के बिना नहीं है, उसी प्रकार स्वामीजी का जीवन वृत्तान्त तब तक पूर्ण नहीं है जब तक अजीत सिंह का वृत्तान्त उनके साथ न आये। ये मुख्य कहानी में जुड़ी दो अन्तर्कथाएँ हैं, जिन्होंने एक–दूसरे के व्यक्तित्व निर्माण में अपनी भूमिका निभाई।

स्वामी विवेकानन्द के खेतड़ी में निवास की तिथियाँ

क्र.सं.	स्थान	सन्	दिन
प्रथम यात्रा	माउंट आबू से खेतड़ी	(1891) 7 अगस्त से 27 अक्टूबर	82 दिन
द्वितीय यात्रा	मद्रास से खेतड़ी	(1893) 21 अप्रैल से 10 मई	18 दिन
तृतीय यात्रा	अमेरिका से खेतड़ी	(1897) 12 दिसम्बर से 21 दिसम्बर	9 दिन

निष्कर्ष

शेखावाटी भू–भाग का वह अंचल है जो प्राचीनता के साथ अपने इतिहास में गौरवमयी गाथाएँ समेटे है। इसी शेखावाटी में एक भू–भाग खेतड़ी है। प्रागैतिहासिक काल में यह क्षेत्र अत्यन्त समृद्ध माना जाता था, परन्तु प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण यह बालू–रेत के टीलों एवं पहाड़ी क्षेत्र में तब्दील हो गया। कहते हैं कि महाभारत काल में यह समुद्री क्षेत्र था। यद्यपि इस क्षेत्र का इतिहास क्रमबद्ध न होते हुए भी अति प्राचीन है।

सन् 1756 ई. में राजा भोपाल सिंह ने खेतड़ी की स्थापना की। यह एक बड़ा ठिकाना माना जाता था तथा इसका स्तर भी अलग तरह का था। यह ठिकाना जयपुर दरबार के अधीन था तथा जयपुर दरबार अंग्रेजों के अधीन था। खेतड़ी ठिकाने की जयपुर दरबार के साथ कई सन्धियाँ हुईं तथा

लाग–बाग व कर समय पर जमा न करवा पाने के कारण खेतड़ी ठिकाना जयपुर दरबार का कर्जदार बन गया और यहाँ के राजाओं को बड़ी भारी राशि कर्ज के रूप में चुकानी पड़ी। खेतड़ी ठिकाने में जो सामाजिक और धार्मिक परम्पराएँ थीं, वे परम्परावादी थीं। यहाँ की सामाजिक और आर्थिक मान्यताएँ सर्वमान्य रहीं। हिन्दू, मुसलमान, कायमखानी, जैन, ईसाई आदि सभी धर्मावलम्बियों का यहाँ बाहुल्य रहा।

स्वामीजी के जीवन–चरित्र की उन्नायक क्रीड़ास्थली खेतड़ी ही रहा। स्वामीजी के परिवार से खेतड़ी नरेश अजीत सिंह के आत्मीयतापूर्ण सम्बन्ध थे। वे स्वामीजी के हितचिन्तक ही नहीं, सहयोगी एवं घनिष्ठ मित्र भी थे। स्वामीजी ने खेतड़ी की तीन यात्राएँ कीं और यह सम्बन्ध ही राजस्थान के गौरवमय इतिहास का अध्याय बना। खेतड़ी से स्वामीजी आध्यात्मिक विजय यात्रा पर रवाना हुए। यह भी उल्लेखनीय है कि रामकृष्ण मिशन, सेवा कार्य का राजस्थान में शुभारम्भ खेतड़ी से ही हुआ और यह संस्था आज वर्तमान समय में भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। खेतड़ी और स्वामीजी एक दूसरे के पर्याय रहे हैं, जिसके कारण खेतड़ी का नाम विश्व मानचित्र पर गौरवमयी गाथा का भान कराते हुए विवेकानन्द की कर्मयात्रा का स्मरण कराता हुआ अंकित है।[11]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी जयपुर स्टेट, वर्ष 1946–47, 17
2. वाकियात रजिस्टर ठिकाना खेतड़ी, पृ.सं. 124,125
3. मुंशी जगमोहन लाल द्वारा पं. झाबरमल शर्मा को लिखे खेतड़ी विषयक पत्र।
4. वेनीशंकर शर्मा–स्वामी विवेकानन्द ए फोरगोटन चेप्टर ऑफ हीज लाईफ, हिन्दी, पृष्ठ संख्या 55
5. वेनीशंकर शर्मा–स्वामी विवेकानन्द ए फोरगोटन चेप्टर ऑफ हीज लाईफ हिन्दी, पृष्ठ संख्या 62
6. वाकियात रजिस्टर ठिकाना खेतड़ी, 10 मई, 1893
7. वेनीशंकर शर्मा–स्वामी विवेकानन्द ए फोरगोटन चेप्टर ऑफ हीज लाईफ, हिन्दी, पृष्ठ संख्या 72
8. महेन्द्रनाथ द्वारा अजीत सिंह को लिखें पत्र दिनांक 13 जून, 13 जुलाई, 1893, स्वामी रामकृष्णानन्द द्वारा अजीत सिंह का दिनांक 13 जून, 1893, महेन्द्रनाथ दत्त को मुंशी जगमोहन लाल द्वारा दिनांक 7 जुलाई, 1893 को लिखा पत्र।
9. स्वामीजी द्वारा अजीत सिंह को वेलूर मठ से 22 नवम्बर, 1898 को लिखा पत्र।
10. स्वामीजी द्वारा राजा अजीत सिंह को दिनांक 01 दिसम्बर, 1898 को लिखा पत्र–लेटर फ्रोम स्वामी रामकृष्णानन्द टू मुंशी जगमोहन लाल फ्रोम कोलकाता, 24 दिसम्बर, 1893 (अप्रकाशित)।
11. लेटर फ्रोम महेन्द्रनाथ दत्त दिनांक 13 सितम्बर, 1893, टू हिज हाइनेस राजा अजीत सिंह रिक्वेस्टिंग रूपीज टू गेज बार एट ला एट लन्दन (अप्रकाशित)।

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 5rt Jan. 2024 Paper Accepted : 15lh Jan. 2024

सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करता साहित्य और सिनेमा

□ डॉ. तरुणेन्द्र प्रसाद साकेत*

शोध-सारांश

प्रस्तुत शोध–पत्र 'सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करता साहित्य और सिनेमा' में सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य और सिनेमा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बताया गया है। साहित्य की शुरुआत कई हजार वर्ष पहले हो चुकी थी। पाँच हजार वर्ष पहले रामायण व ऋग्वेद का नाम प्रमुख रूप से आता है। इसके बाद अनगिनत ग्रंथों की रचना की गई, जिनका उद्देश्य लोकमंगल की कामना निहित है। जैसे–बुद्ध चरित्र, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यादि। लेकिन इनके उत्तम विचारों को आमजनमानस तक पहुँचाने में कठिनाई होती थी। यह कार्य सिनेमा के चलन से सरल व सुगम हो गया। विश्व सिनेमा की शुरुआत 1895 में हुई। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 1913 में 'राजा हरिश्चंद्र' से हुई, जो कि मूक फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म 'आलम आरा' 1931 में रिलीज हुई थी। तब से लेकर अब तक असंख्य फिल्में विभिन्न समस्याओं और संदर्भों में बन चुकी हैं। जिसमें समाज को नित नूतन संदेश, भाव–विचार, नैतिकता, नयापन, सामाजिक सद्भाव, वास्तविकता से परिचय, रूढ़िवादी परंपराओं का खण्डन व विरोध, नैतिक मूल्य, सात्विक सिद्धान्तों की अनुभूति कराना, इत्यादि संदेश मिल पा रहा है। साहित्य की तुलना में सिनेमा की शुरुआत कुछ ही वर्षों में हुई या यह कह सकते हैं कि साहित्य माँ है तो सिनेमा शिशु, लेकिन इसका प्रभाव साहित्य से दुगुना है। किसी भी साहित्य के जो उत्तम व सात्विक विचार उसमें समाहित होते हैं, सिनेमा के माध्यम से बहुत ही अल्प समय एवं प्रभावी ढंग से जन–सामान्य तक पहुँचाया जाता है।

मुख्य शब्द–*संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, रामायण, बुद्धचरित, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, राजा हरिश्चंद्र, आलमआरा, पद्मावती, तीसरी कसम, पीके, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट, द अरायव्हल ऑफ द ट्रेन।*

* *अतिथि विद्वान (सहा. प्राध्यापक) हिन्दी*, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर
ई–मेल : tarunendrasaket295@gmail.com, मो.: 7898397979

प्रस्तावना

साहित्य और सिनेमा के अन्तर्संबंधों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। विश्व का पहला फिल्मी शो 28 दिसम्बर, 1895 को 'द अरायव्हल ऑफ द ट्रेन' किया गया था। इसके बाद उन्होंने कई छोटी–छोटी फिल्में दिखाईं। भारतीय सिनेमा की बात की जाये तो इसकी शुरुआत 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा निर्मित 'राजा हरिश्चंद्र' थी। जो कि मूक फिल्म थी। सिनेमा की शुरुआत से लेकर अब तक कई फिल्में सहित्य रचना पर बन चुकी हैं। सामाजिक संस्कृति को सिनेमा ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से प्रभावित किया है। सिनेमा में जो कल्पित संसार को दर्शाया जाता है, दर्शक उसे वास्तविक जीवन से जोड़कर आत्मसात् करता है। सिनेमा मानव जीवन के सामान्य जीवन से लेकर विशिष्ट जीवन को प्रभावित करता है। सिनेमा रहन–सहन, खान–पान, पहनावा–ओढ़ावा, आचरण, व्यवहार इत्यादि परिवर्तनों को प्रभावित करता है। विभिन्न साहित्यकारों द्वारा विभिन्न समस्याओं पर बनी फिल्में मानव समाज की संस्कृति को प्रभावित करके नये विचारों को जन्म देती हैं। ज्वलंत मुद्दे पर लिखे गये कथा साहित्य पर बनी मुख्य फिल्में निम्नलिखित हैं–केशव प्रसाद मौर्य–कोहबर की शर्त (नदिया के पार 1992), भीष्म साहनी–तमस (1947 का अर्थ 1998), यशपाल–झूठा सच (खामोश पानी 2004), कृष्णा सोवती–ज़िादगीनामा (ट्रेन टू पकिस्तान 1988), अमृता प्रीतम–पिंजर (गदर एक प्रेम कथा 2011), प्रेमचन्द–गोदान, (गोदान 1938, गबन 1938), धर्मवीर भारती–गुनाहों का देवता (गुनाहों का देवता 1990), काशीनाथ सिंह–काशी का अस्सी (मोहला अस्सी 2018), रेणु–मारे गए गुल्फाम (तीसरी कसम 1966), गुलेरी–उसने कहा था (उसने कहा था 1960), मोहन राकेश–आषाढ़ का एक दिन (आषाढ़ का एक दिन 1971) तथा प्रियंवद–फाल्गुन (अनवर 2000)।

विषय वस्तु

सिनेमा के माध्यम से साहित्य में जान डाली जाती है। भारत में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के ने किया था। बड़ी कठिनाइयों से ये सफर तय किया जाता है। इस मुकाम को जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किया था। ''हिन्दी भाषी' हिन्दी सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के को हम विस्मृत नहीं कर सकते। उनकी जीवटता ने हिन्दी सिनेमा की नींव रखी। घर बेचा, पत्नी के गहने बेचे किन्तु 'राजा हरिशचन्द्र' का निर्माण किया। दादा साहब फाल्के ने 'द लाइफ क्राइस्ट' देखी। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारे आदर्श राम, कृष्ण या हमारे धार्मिक ग्रंथों के कथा साहित्य के आधार पर फिल्म का निर्माण किया जाए। उनका सपना सच हुआ, जब 21 अप्रैल, 1913 को जब राजा हरिश्चंद्र का प्रदर्शन बम्बई (अब मुम्बई) के ओलंपिया थिएटर में किया गया। इस प्रकार हिन्दी सिनेमा, जो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है, की नींव रखी गई। तत्कालीन हिन्दू समाज रूढ़िवादी था। हिन्दू सिनेमा की प्रथम फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' में राजा की पत्नी तारामती के अभिनय के लिए कोई भी कुलीन परिवार की स्त्री तैयार नहीं हुई। अतः यह अभिनय एक पुरुष सालुके ने किया। अतः रूढ़िवादी, परंपरावादी तत्कालीन समाज में प्रथम हिन्दी फिल्म बगैर नायिका की बनी।''[1] साहित्य में सामाजिक रूढ़ियों एवं पारंपरिक कुरीतियों पर प्रकाश डालने का कार्य सिनेमा द्वारा किया जाता है। यह बहुत अधिक समाज को प्रभावित करता है। इससे समाज में सकारात्मक विचारों के संदेश जाते हैं।

सामाजिक जीवन में प्रेम, स्नेह, सौहार्द्र एवं आपसी भाईचारा अत्यंत आवश्यक है। साहित्य और सिनेमा, दोनों में प्रेम के विभिन्न रूप उकेरे व दर्शाए जाते हैं। एक पुरुष का स्त्री के प्रति कई रूपों में प्रेम होता है, जैसे–माँ, पत्नी, बेटी एवं प्रेयसी। कबीरदास जी ने प्रेम के बारे में कहा है–'पोथी पढ़–पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।' प्रेम बिना मानव जीवन नीरस लगता है। इसी नीरसपन को

रेणु ने अपनी कहानी 'मारे गए गुलफाम' में लिखा है। ''महुआ घटवारिन की लोककथा को रेणु ने 'मारे गए गुलफाम' कहानी में कुछ इस तरह रूपांतरित किया कि लोककथा की मूल संवेदना बिल्कुल नष्ट न हो। यह प्रेमकथा मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती। प्रेम कहानी में सीधा–सीधा प्रस्ताव तक नहीं है। प्रेम व्यक्त करने वाला नहीं बल्कि महसूस करने वाली खुशबू है। यही कारण है कि जब 'मारे गए गुलफाम' जैसी छोटी–सी कहानी को करीब तीन घण्टे लम्बी फिल्म के रूप में सेल्यूलाइट पर उतारा गया तो इसकी भावनात्मक सघनता, सरलता और अमूर्तता को अक्षुण्ण बनाए रखा गया। कहानी को पढ़ना और फिर उसे सिल्वर स्क्रीन पर रसानुभूति के साथ जीना किसी बड़े अनुभव से गुजरने के समान है। ये कहानी बँधे–बँधाए शास्त्रीय परंपरा बंधन स्वीकार नहीं करती, परन्तु विशिष्ट व्यक्ति, चरित या स्थितियाँ ही कथानक का रूप ग्रहण कर लेते हैं।''[2] रेणु की इस कहानी को मूल भाव के साथ सिनेमा के पर्दे पर व्यक्त कर, महुआ घटवारिन के प्रेम की लोककथा को जीवंत कर अमर कर दिया। आज भी रेणु की इस कहानी में उतनी ही ताजगी व जिंदादिली है, जितना जब वो लिखे थे।

साहित्य में जो समाज के सांस्कृतिक विचार दफन हैं उसे उजागर करने का श्रेय सिनेमा को जाता है। जिसमें हमें अपने समाज की सामाजिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरह ''मलिक मोहम्मद जायसी की कृति 'पद्मावत' महाकाव्य में रानी पद्मावती की शौर्य गाथा एवं जौहर के बारे में 'पद्मावती' फिल्म से पता चलता है।'' इतिहास बताता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को घेरा था। जन–मानस में ऐसी मान्यता है कि वह राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को पाना चाहता था। अमीर खुसरों ने अपनी आँखों से युद्ध देखा था। खुसरों ने लिखा है कि, ''एक की लड़ाई में इतना भीषण रक्तपात हुआ कि हजारों राजपूत मारे गए। जीत के बाद चित्तौड़ का नाम खिज़्रवाद रख दिया गया। रानी पद्मावती भी युद्ध में शामिल थीं और हजारों राजपूत स्त्रियों के साथ उन्होंने जौहर किया। पता नहीं कि पद्मावती इतिहास का पात्र है या नहीं लेकिन बहुसंख्यकों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास, जौहर, पतिव्रता, वीरता, अदम्य साहस का प्रतीक है, जो भारत के जनमानस को सदियों से मथती रहती है।''[3] स्त्रियों की वीरता दर्शाने वाली फिल्म 'पद्मावती' राजस्थानी राजवाड़े की ही नहीं अपितु पूरे भारत की स्त्रियों के मान–सम्मान की अगुवाई करता है। साहित्य और सिनेमा दोनों मिलकर सामाजिक संस्कृति की नई दिशा–दशा तय करते हैं। यह लोगों को कम समय में अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत करता है। नकारात्मक विचारों को दूर कर, सकारात्मक विचार पैदा करने की सक्षमता होती है। जो देश व समाज को एक नई राह प्रदान करता है। ''हिन्दी सिनेमा में प्रारंभ से ही देखने को मिलता है, चाहे वह पहली मूक फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' हो या पहली सवाक फिल्म 'आलमआरा' या पिछले साल प्रदर्शित हुई 'पीके'। जहाँ 'राजा हरिश्चंद्र' में मिथ के माध्यम से सामाजिक संस्कृति को चित्रित किया गया है, वहीं 'आलमआरा' में इतिहास और कल्पना के सामंजस्य में राज परिवार में हो रहे ईर्ष्या और प्रेम को उकेरा गया है तो 'पीके' के माध्यम से समाज में बढ़ते अंधविश्वास और रूढ़िगत परंपराओं पर प्रहार करने की कोशिश की गई है।''[4] साहित्य पर आधारित कुछ नायाब फिल्में जो देश–विदेश में हलचल पैदा कर रही थीं, लोगों के जेहन में हमेशा के लिए स्थायी रूप से बस गयीं और आने वाले समय में हमेशा उसकी गूंज सुनाई देती रहेगी। ऐसी ही 'राजा हरिश्चंद्र' और 'पीके' फिल्में हैं।

प्राचीन भारतीय समाज में स्त्री को कोमल, कमजोर, अबला और असहाय रूप में माना जाता था। लेकिन आधुनिक समाज पर साहित्य एवं सिनेमा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। स्त्रियों की

छवि में परिवर्तन व निखार आया है। जिसके फलस्वरूप स्त्री भी पुरुष के साथ कदम–से–कदम मिलाकर चलने में सक्षम हो पाई। ''आज के सिनेमा की लड़कियाँ किसी पर अश्रित रहना पसंद नहीं कर रहीं, वे अपनी पढ़ाई के साथ–साथ नौकरी और टैक्सी चलाने तक का काम करने को भी बुरा नहीं मानतीं (दीपिका पादुकोण, बचना ऐ हसीनों) जिसे आमतौर पर हमारे समाज में लड़कों का काम माना जाता है। इतना ही नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर चलती हैं। हमारे सिनेमा निर्माताओं ने ऐसी निर्भीक और स्वतंत्र लड़कियों को दिखाने का साहस किया है। इन सिनेमा की महिला पात्रों को महिलाओं की स्थिति और ऑनर किलिंग जैसी समस्याओं के लिए लड़ते हुए भी दिखाया गया है। वे पुरुष प्रधान समाज की विसंगतियों से लड़ने में भी नहीं चूक रहीं, बल्कि जंगलराज को भी चुनौतियाँ देने का भी ठाने हुए थीं। वे गुण्डों की आँखों में भी भय पैदा कर देने का साहस रखती हैं। और एक पढ़ी–लिखी और नौकरी पेशा महिलाएँ जो जीवन अपनी शर्तों पर जीती हैं (अनुष्का शर्मा, एन.एच.10)।''[5] स्त्रियों को सशक्त सक्षम एवं स्वतंत्र अस्तित्व समाज व देश–दुनियॉ में बनाने का श्रेय साहित्य एवं सिनेमा को महत्त्वपूर्ण रूप से जाता है। पितृसत्तात्मक की धारणा को नकार कर एक नई धारणा समाज के सामने रखने का कार्य सहित्य और सिनेमा कर रहा है।

निष्कर्ष

साहित्य और सिनेमा समाज की परंपरागत रूढ़िवादी एवं कुरीतियों के ताना–बाना को कुरेदता है, घाव देता है, फिर उसको जड़ से ठीक करने का संदेश देता है। समाज के सामाजिक असंतुलन को दूर करने के कई उपाय हैं, लेकिन सबसे प्रभावी उपायों में से एक है–साहित्य और सिनेमा। सामाजिक संस्कृति की दशा–दिशा को परिवर्तित करने की महती भूमिका निभा रही है। भारतीय सिनेमा की शुरुआत 'राजा हरिश्चंद्र' 1913 से लेकर आलमआरा, तीसरी कसम, पद्मावत, पीके इत्यादि सभी ऐसी फिल्में समाज को वास्तविकता से रूबरू कराती हैं। सच बात कड़वी होती है, जिसका विरोध होता है, विद्रोह होता है, संघर्ष होता है, सच साबित करने के लिए, फिर कुछ समय बाद सब ठीक–ठाक होता है। प्रकृति की नियति जैसे–बाढ़, सूखा, भूकम्प आने के बाद समय के साथ–साथ सब कुछ पुनः सुचारु रूप से चलने लगता है। साहित्य और सिनेमा के प्रभाव ने मानव की सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है, जिसके कारण महिलाएँ सशक्त हुईं, मजदूर और किसान अपने हक के लिए आवाज उठा पाए, धार्मिक कुरीतियों का खण्डन होने लगा, नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता आवाज उठाने के लिए जागृति हुई, महापुरुषों के इतिहास की जानकारी प्राप्त होने लगी तथा ऐतिहासिक घटनाओं की समझ बढ़ी। इसके साथ ही भारतीय कला व संस्कृति तथा हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का अनुकरणीय प्रभाव बढ़ा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. साहित्य अमृत–त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, सितम्बर, 2010, पृष्ठ क्र. 44 45
2. आजकल–फरहत परवीन, अप्रैल, 2021, पृष्ठ क्र. 10
3. ओपिनियन पोस्ट– मृत्युंजय कुमार, दिसम्बर, 2017, पृष्ठ क्र. 29
4. आजकल–फरहत परवीन, जुलाई, 2016, पृष्ठ क्र. 29
5. आजकल–फरहत परवीन, मार्च, 2017, पृष्ठ क्र. 32, 33

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 5th Jan. 2024 Paper Accepted : 20th Jan. 2024

Anthropogenic Impact and Ethnographic Study of Flora and Fauna of Silvassa Region

Seema Bhatnagar*
Dr. D. K. Singh**

ABSTRACT

This research study presentsA comprehensive investigation into the vegetation, floristic diversity, and anthropogenic influences within the Silvassa region. The study aims to elucidate the distribution patterns of vegetation, document the diverse flora, and understand the intricate relationships between plant species and their environment. ThroughA combination of participatory observation, data analysis, plant collection, interviews, and mapping, this research offers valuable insights into the botanical and ecological aspects of Silvassa. Both primary and secondary data sources were utilized to gatherA holistic understanding of the area's flora and vegetation. The research methodology encompassed participation in local activities, soil property evaluation, and analysis of historical rainfall data, season-based plant collection, and ethnobotanical documentation. Interviews with local inhabitants facilitated the recording of traditional plant uses and local names. Additionally, herbarium specimens were created, rare endemic plants were cataloged, and photographic documentation of plant species and forest environments was undertaken. Group talks, field observations, and semi-structured interviews enriched the data collection process, providing qualitative dimensions to the study. However, certain limitations were acknowledged during the study.

Keywords: *anthropogenic, impact, ethnographic, flora, fauna, silvassa region.*

INTRODUCTION

Individuals, since antiquated times generally have been for the most part subject to establish assets for their essential requirements like food, medication, fiber, grub, cover, and so on. Previously, they were straightforwardly reliant upon plants however because of change through modernization and with movement of science and innovation in the greater part of the districts on the planet this reliance on plants as an immediate source has been extensively diminished. No different either way, the ancestral's and other native individuals, who have generally lived in the woodlands, keep on

* *Research Scholar,* Department of Botany, Shri J. J. T. University, Vidhyanagari, Jhunjhunu (Raj.).
** *Professor*, Department of Botany, Shri J. J. T. University, Vidhyanagari, Jhunjhunu (Raj.).

excess totally reliant upon plants for their endurance.

Living near the nature, the ancestral individuals have absorbed extraordinary information about plant use for different purposes through the course of their extremely old experience.A few texts have been composed till date giving subtleties of the normal assets and their utilities yet the new work in various regions of the planet show that still tremendous repository of customary information about utilitarian parts of plants is as yet immaculate.A large portion of the specialists have accomplished surprising work under the title. Such examinations might prompt track down new data on unexploited normal assets and new purposes of existing assets as wellsprings of medication, food, and so forth. However, at certain spots ongoing changes in disposition of individuals living in and close by backwoods is because of territory uprooting, deforestation, modernization, and so forth have prompted decline and even vanishing of this rich information framework. Along these lines, it is fundamental for assemble their whole information on plant use prior to losing it until the end of time. It is surely known now that straightforwardly or inA roundabout way human's existence has forever been firmly associated with the plants.

There is basically no human doings in which plants don't assumeA part. Subsequently, in vastest sense, hasA connection with pretty much every other staff of science and field of information. Today has turned intoA huge and key area of innovative work in medication research, protection of biodiversity and all around viewed as in financial advancement of the district. In the new past there has beenA general tendency towards reclamation of the native arrangement of medication. Indeed, even the created nations furnished with current allopathic meds, have begun understanding the possibilities of conventional arrangement of medication.

What's more, the chase after clever natural medications has been reinforced by the refusal of allopathic medications by individuals and the developing fascination for home grown cures. There isA steadily expanding cognizance among individuals about the utilization of home grown drugs, which are accepted to be protected and don't make unwanted incidental effects like the vast majority of the cutting edge engineered medications and this mindfulness is one of the causes, which spurred enormous overall interest for natural medications.

The current work centers explicitly around the biostratigraphy investigations of the Palana and Kolayat developments of the Ambari and Bedpa , Silavassa Dadra and Nagar Haveli Untamed life Safe-haven isA natural life safe-haven situated in the Indian Association Region of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. The asylum incorporates the Satmalia Deer Park and Vasona Lion Safar. OnlyA few subsurface localities are available for easy accessibility andA good yield of fossils. The principal areas of examination are the Palana and Kolayat developments uncovered in the subsurface at Gurha opencast lignite mine at the town, situated around 70 km SW of Silavassa (lat. 27.878249°; long. 72.870389°) and Bedpa opencast lignite mine at the Stream Damanganga moves through the association region and opens into the Bedouin Ocean. Dadra and Nagar Haveli is lined by the Indian territories of Maharashtra and Gujarat. Scopes of the Sahyadri Heaps of the Western Ghats lie in the locale. The main control of individuals of the association region is agribusiness. In excess of 40% of the complete region contains timberland locale that are wealthy in verdure. The absolute region of the area is separated into 3 towns in Dadra and 69 towns in Nagar Haveli. Silvassa , Dadra and Nagar Haveli (lat. 27.103577°; long. 74.066346°).

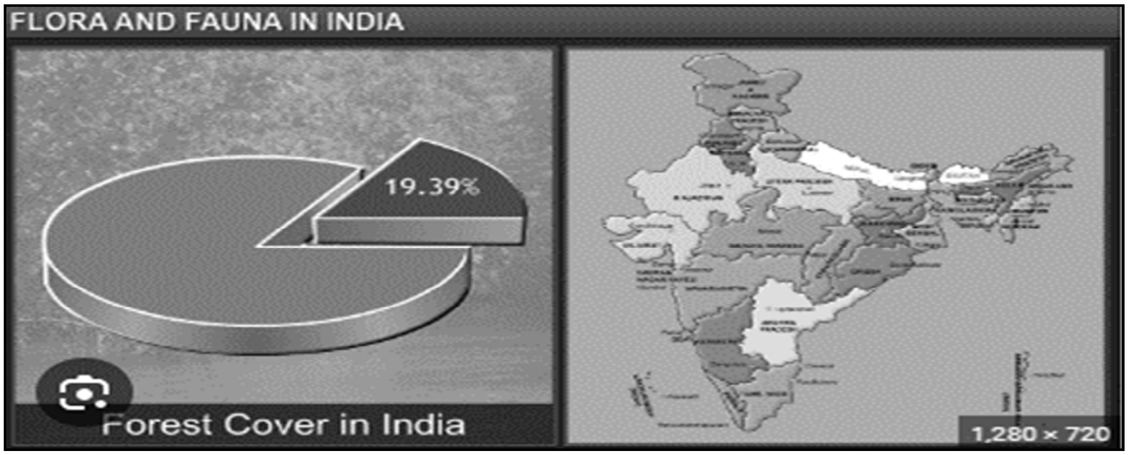

Figure 1.1: flora and fauna by shiwing in map or percentage

ETHNOBOTANY

In the distant past, people living on this planet would have gone hunting in the woods in order to satisfy their need for food. This yearning and wandering for plant material such as bark and leaves to protect one from dangerous climatic conditions led to the formation of both the discipline of ethnobotany and the practise of field study.A new multidisciplinary field of study known as "Ethnobotany" came into being asA result of the interaction between plants and the indigenous peoples of the planet. Although in the past many other titles such as aboriginal botany, anthrobotany, anthropological botany, botanical anthropology, and phytoanthropology were also used, the term "ethnobotany" has gained widespread acceptance and is now the most commonly used term. By looking at the definitions or focusing on the subject, one may gain an understanding of the significance of ethnobotanical studies and the applications they have.

Since the beginning of their species, humans have relied heavily on plants for food and other necessities of life. Since the dawn of civilization, people have relied heavily on palms and cane asA significant category of plants, mostly for the purpose of providing for their nutrition. Different sections of palms and canes have been employed inA significant manner, in addition to their usage as food and fodder, as materials for the construction of houses, as hunting and fishing implements, and as weapons of war. They are also utilised for the purpose of treating and warding offA variety of diseases that can affect humans as well as domestic animals. Even the prehistoric man felt the urge to get relief from the different physiological discomforts they experienced via the use of plant remedies. Since the beginning of human civilisation, several healing practises have emerged that are mostly derived from the use of plants. Ayurveda, Homoeopathy, Siddha, and Unani are only few of the ancient medical practises that have been created in India by various groups of people throughout the centuries. More over three quarters of the world's population continued to get their main medical treatment from this plant-based traditional medical system. Since 5000 B.C., people in India have been using palms for medical purposes. This practise is said to have originated in the country. Palms are also the raw material from which many processed foods and commodities are derived. The progression of civilisation has brought with it an increase in the frequency with which society must contend with the emergence of new disease-causing organisms. In order to deal with conditions like this, several

more formulations or drugs are required.

Scope of Ethno botany in the Silvaasa

Ethnobotany, which is defined as the study of the relationship between plants and people, is an intriguing field that unravels the complex web of ways in which humans have interacted with the plant kingdom. This goes beyond merely compilingA list of plant species to investigate the in-depth relationships that exist between different cultures and their respective natural environments. One of the most important aspects of ethnobotany is the practice of compilingA list of the various ways in which plants have traditionally been used, which can range from providing sustenance in the form of food and medicinal practices to serving more practical purposes such as serving as building materials. When they do so, ethnobotanists reveal the extraordinary breadth of human knowledge regarding the characteristics and applications of plants, knowledge that has been handed down from generation to generation. This academic field serves asA link between the past and the present, shedding light on the ways in which our ancestors manipulated the natural world to fulfill their requirements and provide for themselves.

In addition, ethnobotany acknowledges that plants are not only commodities but are also stores of cultural importance in their own communities. Every plant hasA history, is associated withA myth, and is used in different kinds of ceremonies and rituals. In conventional botanical research, the symbolic and spiritual dimensions of plants are frequently ignored; however, ethnobotanists investigate the cultural narratives that surround plants in order to uncover these aspects. This facet of ethnobotany highlights the significant influence that plants play in the formation of the cultural identities and traditions of cultures all over the world.

METHODOLOGY

The present investigation was conducted from Silvassa region of India. Information about the use of plants was collected from the tribals.A questionnaire was prepared to collect information. Devotees or Vaidyas were interviewed and questionnaires were filled. Information about native medicinal plants growing in the natural habitats of Silvassa was collected. Also samples of plant species were collected and photographs of each plant were taken for easy identification. Plant species were identified with the help of flora and keys. Information regarding botanical name, family name, local name, habit, part used, disease, method of preparation and availability was recorded.

RESULTS AND DISCUSSION

Experimental studies were used to determine an estimate of the effect that anthropogenic activities related to tourism and pilgrimages have had on the physicochemical qualities of the soil in BONTA FOREST. The data were gathered during two distinct seasons, notably after and before the monsoon, from two distinct regions that were distinguished as disturbed and undisturbed, located in pilgrimage and tourism areas respectively. The pH measurements revealed that all of the samples, at all of the locations, during both seasons, showedA similar tendency toward an acidic character. In the pilgrimage zones, the pH ranges from 4.89 in undisturbed areas during the post-monsoon season to 5.47 in disturbed areas during the pre-monsoon season. During our time in the tourism zones, the pH varied from 5.004 in disturbed areas during the post-monsoon season to 6.52 in undisturbed areas during the pre-monsoon season. The pH values of the samples taken before the start of the monsoon season were much higher than those taken at any other time. In contrast to the tourist areas, the pilgrimage areas hadA pH that was slightly on the acidic side. The results of two separate t-tests on sample data showed that during the post-monsoon season, the pH values in pilgrimage and tourism zones were significantly different from one another. According to the findings ofA paired

sample t test, each of the four locations that were put through the test hadA substantial shift in pH levels as the seasons changed.

The relationship between the soil and the vegetation is symbiotic in nature. On the one hand, the soil provides the nutrients, moisture, and anchorage that the vegetation needs in order to grow successfully. Then again, the vegetation givesA defensive cover to the dirt, assists with forestalling soil disintegration, and adds to the upkeep of soil supplements through the gathering of litter and its resulting decay (supplement cycling). Thus, the connection between the dirt and the vegetation is advantageous, implying that they impact each other in equivalent measure. The effects of pilgrimage and tourism disturbances on the physicochemical qualities of soil were investigated in this study. The research was carried out acrossA number of various seasons.

According to Ma et al. (2014), one of the most important soil properties is its pH level, which isA measure of the soil's acidity or alkalinity and determines how readily available nutrients are. In the current investigation, the pH of each of the samples was found to be in the acidic range, despite neither the location nor the time of year. Both the disturbed and the undisturbed zones of the pilgrimage revealed substantial differences in their pH values during the post-monsoon season. This indicated that the monsoon had an effect on the forest soil pH. According to Shilpkar et al.'s research from 2010, the soil in tropical forests typically has an acidic pH because of the large levels of decaying organic matter and root respiration that releaseA great deal of carbon dioxide. The pH values also fluctuate greatly depending on location, and it's possible that this is because of the anthropogenic influences. According to research carried out by Schoenholtz et al. (2000), the anthropogenic pressure placed on the forest led toA shift in the pH level of the soil.

Electrical Conductivity (EC) values were found to be at their maximum during the post-monsoon season in pilgrimage disturbed zones as opposed to tourism undisturbed zones. According toA number of studies, soils that haveA high concentration of organic matter (humus) haveA significantly greater capacity to hold on to positively charged ions than soils that do not have these elements. According to Triantafilis et al.'s research from 2002, the presence of these ions in the pores of the soil that are filled with water will increase soil EC. During the post-monsoon season, the current study foundA high level of organic carbon and organic matter both in areas that had been affected by pilgrimage and in areas that had not been disturbed by tourism. It's possible that the high organic carbon content in such places is to blame for the high EC readings there.

According to Schoenholtz et al. (2000), an excessive amount of electrical conductivity in the soil can cause damage toA plant's root system and interfere with the plant's ability to absorb nutrients and water. In the pilgrimage affected zone, the principal component analysis (PCA) revealedA substantial association between the elemental carbon content and the nutrients. According to research conducted by Triantafilis et al. in 2002, high amounts of organic matter (humus) in the soil pores elevated soil EC, which in turn increased the availability of nutrients in the soil. PCA in tourism untouched zone likewise demonstrated association between EC with OC and other nutrients, and asA result, the linkage was evidently confirmed in the current study as well.

CONCLUSION

The results ofA comparative study on the quality of the soil in each of the four zones that were selected over both seasons showed an acidic pH. It was noticed asA general phenomenon in the soil of tropical forests, where decomposing organic matter and root respiration dissolvedA large amount of the carbon dioxide that was formed from them into the soil water to formA

weak organic acid. This, in turn, resulted in an acidic pH for the soil. Electrical conductivity gave greatest results in the pilgrimage disturbed zone and tourist undisturbed zone, both of which have been shown to have large levels of organic matter. The breakdown of OC will result in the release of more ions into the soil pores, which will ultimately lead to an increase in the EC of the soil. An examination of the unaffected by tourism zones using principal component analysis revealedA link between OC and EC. Organic carbon and available nutrients like nitrogen, phosphorous, and potassium gave high values in the pilgrimage disturbed zone when compared to the undisturbed zone. This indicates the direct influence of nutrient pollution that is occurring asA result of organic pollutants generated as part of the Sabarimala pilgrimage.

REFERENCE

1. Manish, K.; Pandit, M.K. Identifying conservation priorities for plant species in the Himalaya in current and future climates:A case study from Sikkim Himalaya, India. *Biol. Conserv.* **2019**, *233*, 176–184.
2. Lehtomäki, J.; Kusumoto, B.; Shiono, T.; Tanaka, T.; Kubota, Y.; Moilanen, A. Spatial conservation prioritization for the east asian islands:A balanced representation of multitaxon biogeography inA Protected Area Network. *Divers. Distrib.* **2018**, *25*, 414–429.
3. Ramel, C.; Rey, P.-L.; Fernandes, R.; Vincent, C.; Cardoso, A.R.; Broennimann, O.; Pellissier, L.; Pradervand, J.-N.; Ursenbacher, S.; Schmidt, B.R.; et al. Integrating ecosystem services within spatial biodiversity conservation prioritization in the Alps. *Ecosyst. Serv.* **2020**, *45*, 101186.
4. Sirkiä, S.; Lehtomäki, J.; Lindén, H.; Tomppo, E.; Moilanen, A. Defining spatial priorities for capercaillieTetraourogalluslekking landscape conservation in south-central Finland. *Wildl. Biol.* **2012**, *18*, 337–353.
5. Lehtomäki, J.; Tomppo, E.; Kuokkanen, P.; Hanski, I.; Moilanen, A. Applying spatial conservation prioritization software and high-resolution GIS data toA national-scale study in Forest Conservation. *For. Ecol. Manag.* **2009**, *258*, 2439–2449.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 5rt Jan. 2024
Paper Accepted : 15th Jan. 2024

सन् 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में मध्य प्रदेश (मालवा व निमाड़) का योगदान

▫ डॉ. अजय शंकर पाण्डेय*
▫ अंजली पाण्डेय**

शोध-सारांश

अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन् 1600 ईस्वी में व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रतिस्पर्धी विदेशी व्यापारिक कंपनियां जैसे पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी आदि के प्रभाव को कमजोर किया और धीरे–धीरे यह कंपनी भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर ली किंतु धीरे–धीरे उनकी महत्त्वाकांक्षा बढ़ती गई और इस कंपनी को राजनीतिक शक्ति बनने की इच्छा हो गई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नीतियों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर शासकों को अपने अधीन कर ही लिया था। किंतु शासकों और समाज के निचले तबके जैसे–किसान व आदिवासियों में धीरे–धीरे अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना घर कर गई। इस असंतोष की भावना का ही परिणाम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। इस स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई, 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह के रूप में हुई और जल्द ही इस विद्रोह की आग ने मध्य भारत के क्षेत्र (तत्कालीन मध्य प्रदेश) को अपने आगोश में ले लिया। मध्य भारत के नीमच से इस विद्रोह की शुरुआत हुई। 3 जून, 1857 की रात 9:00 बजे नीमच छावनी में पैदल व घुड़सवार भारतीय सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का असर मध्य भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिला और इससे मालवा व निमाड़ क्षेत्र भी अछूता न रहा। इंदौर, महू, भोपाल और अमझेरा रियासत में विद्रोह भड़क उठा। इन क्षेत्रों में विद्रोहियों ने कई विभिन्न प्रकार से विद्रोह किया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जहाँ एक और हमने मालवा क्षेत्र के विद्रोहियों को जाना, वहीं हम निमाड़ क्षेत्र के भील आदिवासियों के

* *विभागाध्यक्ष इतिहास,* शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** *शोधार्थी (इतिहास),* शा. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

संघर्ष की चर्चा भी करेंगे। निमाड़ क्षेत्र के आदिवासियों ने भी विद्रोह का झंडा उठाया। उनके नेता ख्वाजा नायक और भीमा नायक थे, जिन्होंने टेलीग्राफ के तार काटकर और प्रमुख मार्ग में अंग्रेजों के खजाने को लूटकर विद्रोह में भाग लिया। इनका विद्रोह 1859 तक चलता रहा। अंग्रेजों ने भीमा नायक की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया। 10 फरवरी, 1849 को अंग्रेजी सैनिकों की भीमा नायक से मुठभेड़ हुई जिसमें विद्रोही खच्चर, ऊँट, बैल, अनाज छोड़कर भाग गए लेकिन भीमा नायक को नहीं पकड़ा जा सका। किंतु बाद में भीमा को पकड़ लिया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। कुछ गुप्तचर की सहायता से ख्वाजा नायक को पकड़ लिया गया और उसका सिर काट दिया गया।

इस प्रकार मध्य भारत के मालवा व निमाड़ क्षेत्र में महान क्रांति का समापन हुआ। इस क्रांति ने मालवा व निमाड़ क्षेत्र को महान शक्तियों से रूबरू कराया। उनमें से एक होल्कर सेना के विद्रोही सैनिक सआदत खान, अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह, मोहनलाल, भीमा नायक, ख्वाजा नायक आदि नामों का विवरण मिलता है।

इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया जिससे मध्य भारत ने इस स्वाधीनता संग्राम में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। कर्नल डूरंड ने एलफिंस्टन को अपने पत्र में लिखा, "जुलाई, 1857 के प्रथम तीन दिनों में इंदौर में विद्रोहियों का राज था और उन्होंने सड़क में मार्च किया और अपने कमांडर सआदत खान को सलामी दी।

सन् 1600 में व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रख कर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गयी थी। प्रारंभ में इसने अपने प्रतिस्पर्धी विदेशी व्यापारिक कंपनी जैसे–डच, पुर्तगाल, फ्रांसीसी आदि के प्रभाव को कमजोर किया और देखते–देखते कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया और धीरे–धीरे इनकी महत्त्वाकांक्षा राजनीतिक शक्ति बनने की हो गयी और विभिन्न नीतियों जैसे–लार्ड वैलेजली की सहायक संधि व लार्ड डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से देशी शासकों को अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष तौर पर अपने आधीन करने लगी, जिसके चलते स्थानीय शासक वर्ग में अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना घर कर गई। सिर्फ यह असंतोष की भावना देशी शासकों में ही नहीं थी, बल्कि समाज के निचले तबके से जुड़े किसान और आदिवासी में भी देखी जा सकती थी। अंग्रेजों के भूराजस्व नीतियों स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने देश के किसानों को खोखला कर दिया था तथा आयात–निर्यात नीतियों में बदलाव कर भारतीय व्यापारी वर्ग की कमर तोड़ दी। अब भारत में निर्मित वस्तुएँ विदेशी बाजार में महँगी हो गयीं, जिसका दुष्परिणाम यहाँ स्थित हस्त व कपड़ा उद्योग को उठाना पड़ा। हालाँकि यह वैश्विक तौर पर वह दौर था जहाँ तकनीकी परिवर्तन के चलते कुटीर व हस्त कला, उद्योग धंधे विलुप्त हो गए लेकिन जहाँ ब्रिटेन में इन छोटे उद्योगों को मशीन आधारित उद्योग धंधों ने स्थानांतरित किया परन्तु भारत में ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, जिसके चलते लाखों किसान व मजदूर वर्ग बेरोजगार हो गए। ऊपर से

प्राकृतिक मार जैसे–सूखा, बाढ़, ओला ने अंग्रेजों के लगाये गए लगान को असहनीय बना दिया, जिसके चलते उनमें असंतोष व्याप्त हो गया।

अंग्रेजों के द्वारा बनाये गए जंगल कानूनों ने आदिवासी वर्ग के हितों को काफी नुकसान पहुँचाया, जिसके चलते अनेक आदिवासी विद्रोह देखने को मिलते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई और 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह आदि ऐसे नियम लागू करके अंग्रेजों ने भारतीय रूढ़िवादी समाज में हस्तक्षेप किया, जिससे भारतीय समाज में विद्रोह की आग भड़क उठी। ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी सिपाहियों की तुलना में भारतीय सिपाहियों को निम्न पद पर नियुक्त किया गया व कम वेतन दिया गया। साथ ही, पदोन्नति में भेदभाव किया गया था, जिसके चलते सैनिक वर्ग भी असंतुष्ट थे अगर सम्पूर्ण घटनाक्रम पर सरसरी नजर दौड़ाएँ तो पाते हैं कि बारूद इक्कठा हो चुका था बस चिंगारी लगने की देर थी और चर्बी युक्त कारतूस से लैस इनफील्ड रायफल ने इसमें बारूद में आग लगा दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई, 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुई। शीघ्र ही इस विद्रोह की आग ने मध्य भारत के क्षेत्र (तत्कालीन मध्य प्रदेश) को अपने आगोश में ले लिया और इस विद्रोह की शुरुआत मध्य भारत के नीमच से हुई। 3 जून, 1857 की रात 9:00 बजे नीमच छावनी में पैदल व घुड़सवार भारतीय सैनिकों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छावनी में स्थित अधिकारियों के बंगलों को आग लगा दिया गया और उनकी संपत्ति को तहस–नहस कर दिया गया। नीमच के किले को अपने अधिकार में लेने का असफल प्रयास किया गया। इस घटना से अधिकारियों के परिवार जन भयभीत होकर उदयपुर की ओर भाग गए। जब 6 जून को इस विद्रोह की खबर इंदौर और महू छावनी में पहुँची तो वहाँ के सैनिक अधिकारियों के चेहरे में तनाव का माहौल साफ देखा जा सकता था। ब्रिटिश अधिकारी इस विद्रोह से इतने भयभीत हो गए कि इनको अपने सैनिकों से ही भय लगने लगा कि यह सैनिक उन विद्रोहियों के साथ शामिल न हो जाएँ जिससे इस विद्रोह को दबाना मुश्किल हो जाए। इस डर के माहौल के बीच 1 जुलाई, 1857 की सुबह विद्रोह भड़क उठा हालाँकि इस विद्रोह की खबर कर्नल डूरंड को पहले ही प्राप्त हो गई थी लेकिन इसने उस सूचना पर ध्यान नहीं दिया। सआदत खान को महाराजा होल्कर का समर्थन प्राप्त था, यद्यपि होल्कर की भूमिका के संबंध में कर्नल डूरंड और अन्य अंग्रेजों का मानना था कि होल्कर की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी और वह रेसीडेंसी पर हमला करना चाहता था। इसके विपरीत एक मत यह भी है कि होल्कर की सहानुभूति कंपनी सरकार के प्रति थी। होल्कर ने 4 जुलाई, 1857 को एक पत्र गवर्नर को भेजा जिसमें कंपनी सरकार के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया। अंग्रेज इतिहासकार टेलर ने भी अपनी पुस्तक 'ए कंपेनियन टू द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857–58' में इसका उल्लेख किया है। होल्कर महाराजा ने यह घोषणा किया कि उनकी फौज उनके काबू से बाहर हो गई है, ऐसे में सआदत खान, भागीरथी सिलावट और वंश गोपाल के नेतृत्व में होल्कर सेना ने इंदौर रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया।

इंदौर से 8 घुड़सवारों के साथ सआदत खान ने ऐलान किया, "तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहबों को मार डालो यह महाराज का आदेश है", इस आक्रमण में पैदल सैनिकों की दो कंपनियाँ और तीन तोपें शामिल थीं। पैदल सेना और नागरिकों ने मिलकर 29 अंग्रेजों को मार गिराया हालाँकि कर्नल ट्रेवर्स ने पाँच विश्वसनीय सिखों की सहायता

से तोपचियों को काबू में कर लिया और इस घटना में सआदत खान जख्मी हो गए। शीघ्र ही होल्कर की पैदल सेना ने तोपों पर कब्जा कर लिया और रेसीडेंसी पर गोली बरसाने लगे। ऐसी भयावह स्थिति देखकर कर्नल डूरंड ने इंदौर रेसिडेंसी को छोड़ने का निर्णय लिया। रेसिडेंसी के पिछले दरवाजे से महिलाओं व बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। हालाँकि इंदौर रेसिडेंसी की रक्षा के लिए महू का कमांडर कैप्टन हंगरफोर्ड सामने आया और वह राऊ गाँव पहुँचा जो वर्तमान में इंदौर व महू के मध्य में स्थित है। वहाँ उसे पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि डूरंड ने इंदौर रेसिडेंसी छोड़ दी है और वह सिमरोल घाट की ओर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हंगरफोर्ड ने महू वापस लौटने का निश्चय किया और इतने में ही डूरंड को सूचना मिली कि होल्कर के सैनिकों ने तोपों की सहायता से सिमरोल घाट पर अधिकार कर लिया है। ऐसे में डूरंड ने सिमरोल घाट जाने का विचार त्याग दिया और सीहोर की ओर रवाना हुआ। 3 जुलाई को आष्टा पहुँचा और इसके अगले दिन सीहोर पहुँचा। सीहोर में विद्रोह को कुचल दिया।

भोपाल की बेगम सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया और इन अंग्रेज अधिकारियों को सलाह दी कि यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज होशंगाबाद की ओर रवाना हो गए। मेरठ और नीमच में विद्रोह की खबर सुनते ही कैप्टन हंगरफोर्ड जो महू का कमांडर था उसने महू की सुरक्षा के इंतजाम किए। उसन् बैरकों के सामने तोपखाना लगवाया ताकि विद्रोही सैनिकों, घुड़सवारों के हमले का सामना किया जा सके, लेकिन 1 जुलाई की रात को 10:15 पर भारतीय टुकड़ियों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की शुरुआत परेड मैदान में गोलियों की बौछार से की और 2 अंग्रेज सैनिक जिसमें मेजर हैरिस भी शामिल था, को मार डाला गया। उस रात विद्रोही सैनिक महू छावनी को लूटते रहे। अधिकारियों के बंगलों में आग लगा दिया और तड़के वे रेसिडेंसी के विद्रोहियों में शामिल होने के लिए इंदौर की ओर रवाना हो गए। वहाँ से इंदौर के विद्रोहियों के साथ मिलकर ग्वालियर, आगरा और दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। महू में हुए विद्रोह का नेतृत्व मुरादअली खान ने किया था। इस विद्रोह के चलते अधिकांश अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर किले की शरण ली, हालाँकि हंगरफोर्ड ने किले की सुरक्षा और महू में शांति स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। इंदौर में विद्रोहियों की वजह से डूरंड सिमरोल घाट की ओर भागा। हंगरफोर्ड ने उसकी अनुपस्थिति में होल्कर दरबार में भारत सरकार के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कार्य भी किया। इंदौर विद्रोह के समय इंदौर और महू के विद्रोहियों ने रेसिडेंसी के 9 लाख रुपए लूट लिए साथ ही, इन विद्रोहियों ने महाराजा तुकोजी राव होल्कर से उन यूरोपियों को सौंपने की माँग की जिनको महाराजा ने अपने महल में शरण दी थी, हालाँकि महाराजा तुकोजी राव होल्कर ने इससे इनकार कर दिया। इसके पश्चात् विद्रोही 4 जुलाई, 1857 की सुबह 3:00 बजे ग्वालियर और आगरा के लिए प्रस्थान कर गए।

इन विद्रोहियों को पकड़ने के लिए महाराजा तुकोजीराव होल्कर ने अनेक सैन्य बल भेजे, लेकिन वे विद्रोहियों को पकड़ने में असफल रहे। इंदौर और महू के विद्रोहियों ने देवास, मक्सी, शाजापुर होते हुए काली सिंध नदी पार की और 12 जुलाई, 1857 को ब्यावरा पहुँचे। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले बंगलों में आग लगा दी गई, टेलीग्राफ के तारों को काट दिया गया, जेलों से कैदियों को छुड़ा लिया गया। ब्यावरा पर कब्जा करने के बाद विद्रोही 16 जुलाई को गुना पहुँचे और 2 दिन रुक कर वहाँ की छावनी को लूटा। यहाँ पर राधोगढ़ के राजा अजीत सिंह ने विद्रोहियों की सहायता की

और उनके खाने–पीने का इंतजाम किया, फिर 30 जुलाई को विद्रोही सेना मुरार (ग्वालियर) पहुँच गई अगले दिन उन्होंने ग्वालियर में इस आशा में पड़ाव डाला कि ग्वालियर की सेनाओं से मिलकर आगरा व दिल्ली की ओर कूच करेंगे, जहाँ से वे मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर के अधीन सेवा करेंगे। इंदौर रेसिडेंसी व महू छावनी में विद्रोह के बाद मालवा के अमझेरा रियासत में विद्रोह भड़क उठा। अमझेरा रियासत वर्तमान में धार जिले का हिस्सा है। 1857 के विद्रोह के समय राजा बख्तावर सिंह इस रियासत के राजा थे। वे बहादुर, न्याय प्रिय, स्पष्टवादिता वाले सज्जन पुरुष थे। वे मालवा के पहले शासक थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिया था। उन्होंने 2 जुलाई को भोपावर नगर पर आक्रमण के लिए अपनी सेनाएँ भेजीं क्योंकि यहाँ अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट रहता था। अगले दिन अमझेरा का दीवान गुलाब राय सशस्त्र सैनिकों के साथ भोपावर पहुँचा और सांड़ला का ठाकुर भवानी सिंह भी 2 तोपों के साथ पहुँच गया। वहाँ पर उन्होंने पालिटिकल एजेंट के शासकीय सेवकों को गिरफ्तार कर लिया लेकिन ब्रिटिश अधिकारी भागकर झाबुआ पहुँच गए, जहाँ झाबुआ के राजपूत शासक ने उन्हें अपने महल में शरण दी। उनके सभी शासकीय रिकार्डों को जब्त कर कुछ को आग के हवाले कर दिया गया।

अमझेरा के मोहनलाल के नेतृत्व में घुड़सवार सेना ने कैप्टन हचिंसन और उसकी सेना को भी भोपावर से 27 किलोमीटर तक खदेड़ दिया। मोहनलाल की घुड़सवार सेना ने भोपावर स्थित शासकीय कार्यालयों, पोस्ट ऑफिसों, एजेंसी हाऊस को लूट लिया। इन लूटी हुई संपत्तियों को बैलगाड़ी व हाथियों के माध्यम से अमझेरा ले जाया गया। मोहनलाल की इस सफलता पर अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह अत्यंत प्रसन्न हुए, बाद में 11 नवंबर, 1857 को जंगल में अपने साथियों के विश्वासघात के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें महू लाया गया। 10 फरवरी, 1858 को इंदौर में उन्हें फाँसी दे दी गई। समय के साथ इस विद्रोह की तीव्रता में कमी आई और अंग्रेजी सेना पुनः वापसी करने की ओर अग्रसर हुई। इसी क्रम में मालवा का विद्रोह दबाने के लिए अग्रेषित बुडवर्न की सेना की सहायता के लिए कर्नल डूरंड होशंगाबाद से औरंगाबाद की ओर रवाना हुआ। कर्नल डूरंड का उद्देश्य मेजर जनरल बुडवर्न को नर्मदा क्षेत्र की रक्षा के लिए औरंगाबाद से महू जाने के लिए प्रेरित करना था। लेकिन बीमारी के चलते बुडवर्न का चार्ज ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने सँभाला। स्टुअर्ट असीरगढ़ से महू की ओर अग्रसर हुआ। वहीं डूरंड भी असीरगढ़ की ओर आया। अगले दिन ब्रिटिश सेना सिमरोल का दर्रा पार कर महू पहुँची। इस सैनिक टुकड़ी में 700 यूरोपीय सैनिक, 1200 भारतीय सैनिक, 250 संगीनधारी सैनिक और निजाम के 300 सैनिक व 19वीं बंबई भारतीय सेना की कंपनी, मध्य भारत में हुए इस महान विद्रोह को दबाने के लिए एकत्रित हुई। लेकिन वर्षा ऋतु के कारण और कुछ व्यक्तिगत कारणों से डूरंड अगले 3 माह तक रेसिडेंसी पर अधिकार की कोशिश किए बिना महू में ही रुका रहा। यह सैनिक टुकड़ी 20 अक्टूबर, 1857 को महू छावनी से धार की ओर प्रस्थान की। 24 से 30 अक्टूबर तक धार किले की घेराबंदी की गई। परिणामस्वरूप 31 अक्टूबर की रात्रि को किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस विद्रोह के दौरान धार तथा अमझेरा में विलायती और पठान सैनिक अंग्रेजों के सबसे मुखर विरोधी थे। गुलखान, बादशाह खान, सादात खान और रसूल खान धार के प्रमुख विद्रोही नेता थे। इन्होंने धार राज्य के पवार शासन को पंगु बना दिया और धार के किले पर अधिकार कर लिया। हालाँकि अंग्रेजों ने यहाँ भीषण प्रतिशोध की भावना से

नागरिकों का बेरहमी से कत्ल किया, महिलाओं की इज्जत और उनकी संपत्ति लूटी गई, नगर में आतंक का माहौल छा गया। डूरंड स्वयं धार पहुँचा और उसने अमझेरा, उज्जैन, मंडलेश्वर में विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य टुकड़ी भेजी। धार के बाद अमझेरा के लालगढ़ किले पर भी ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। मंदसौर पर कब्जा करने के पश्चात् डूरंड इंदौर की ओर आगे बढ़ा। इंदौर के विद्रोह से निपटने के लिए डूरंड ने इंदौर के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा तैयार किया। महीदपुर, उज्जैन होते हुए ब्रिटिश सेना 14 दिसंबर, 1857 को इंदौर पहुँची। अगली सुबह डूरंड ने होल्कर के रिसाले से हथियार डलवा लिए और दोपहर को महाराज ने पैदल सेना के हथियार डलवा लिए। इसके पश्चात् ब्रिटिश सेना ने इंदौर शहर में प्रवेश किया और रेसिडेंसी के मैदान में पड़ाव डाला। डूरंड ने होल्कर महाराजा से विद्रोही सैनिकों को दंड देने की माँग की। महाराजा तुकोजीराव होल्कर ने विद्रोही सैनिकों की जाँच के लिए कैप्टन मिलन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के आदेश से 21 व्यक्तियों को तोप से उड़ा दिया गया, 11 को गोली मारी गई, 174 घुड़सवारों और 95 पैदल सैनिकों को आजीवन कारावास की सजा दी गई, 61 व्यक्तियों को विभिन्न विधियों की कड़ी सजा दी गई, 31 लोगों को सेना से बर्खास्त कर दिया गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में जहाँ एक ओर हमने मालवा क्षेत्र के विद्रोहियों को जाना, वहीं हम निमाड़ क्षेत्र के भील आदिवासियों के संघर्ष की चर्चा भी करेंगे। इस महान स्वतंत्रता संग्राम में निमाड़ क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा।

निमाड़ क्षेत्र में आदिवासी रहते थे, वहाँ की भील–भिलाला आदिवासियों ने विद्रोह का झंडा उठाया। उनके नेता ख्वाजा नायक और भीमा नायक थे, जिन्होंने टेलीग्राफ के तार काटकर और प्रमुख मार्ग में अंग्रेजों के खजाने को लूट कर विद्रोह में भाग लिया। उस जिले के प्रभारी कैप्टन कीटिंग को भीलों का विद्रोह तब समझ में आया जब इंदौर की ओर से एक गाँव से दूसरे गाँव को रोटियाँ भेजी जा रही थीं। मंडलेश्वर के भयभीत अंग्रेजों को पुनासा के किले में भेज दिया गया था। भीमा नायक ने सेंधवा क्षेत्र में अंग्रेजो के खिलाफ हथियार उठाया और आदिवासियों से कहा कि यदि उन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया तो उन्हें जाति से निकाल दिया जाएगा। ख्वाजा नायक को पकड़ लिया गया। 27 नवंबर, 1858 को ख्वाजा नायक भाग निकला। इनका विद्रोह 1859 तक चलता रहा। अंग्रेजों ने भीमा नायक की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया था। 10 फरवरी, 1849 को अंग्रेजी सेना की भीमा नायक से मुठभेड़ हुई जिसमें विद्रोही खच्चर, ऊँट, बैल, अनाज छोड़कर भाग गए लेकिन भीमा नायक को नहीं पकड़ा जा सका। ख्वाजा नायक अपने 4000 अनुयायियों के साथ तात्या टोपे से जाकर मिल गए। जिनमें से एक भीमा नायक भी था। बाद में भीमा को पकड़ लिया गया और उसे देश निकाला दे दिया गया। कुछ गुप्तचरों की सहायता से ख्वाजा नायक को पकड़ लिया गया और उसका सिर काट लिया गया। इस प्रकार मध्य भारत के मालवा व निमाड़ क्षेत्र में महान क्रांति का समापन हुआ। इस क्रांति ने मालवा व निमाड़ क्षेत्र को महान शख्सियतों से रूबरू कराया। उनमें से एक होल्कर सेना के विद्रोही सैनिक सआदत खान, अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह, मोहनलाल, भीमा नायक, ख्वाजा नायक, आदि नामों का विवरण मिलता है, इन्होंने अठारह सौ संत्तावन के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया जिससे मध्य भारत ने इस स्वाधीनता संग्राम में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी। ब्रिटिश इतिहासकार टी. एच. होम ने 'हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी' में सआदत खान की रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए लिखा, 'काली चीटियों ने लाल

चीटियों का खात्मा कर दिया है।' वहीं कर्नल डूरंड ने एलफिंस्टन को अपने पत्र में लिखा, 'जुलाई 1857 के प्रथम 3 दिनों में इंदौर में विद्रोहियों का राज था और उन्होंने सड़क में मार्च किया और अपने कमांडर सआदत खान को सलामी दी।'

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दयाल गुरु शम्भु, मध्य प्रदेश में स्वाधीनता आन्दोलन (1857–1950),मध्य प्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
2. प्रो. उद्दे अमर सिंह, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आन्दोलन (1857–1947), कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल।
3. सक्सेना, घनश्याम, मध्य प्रदेश सन्देश, मध्य प्रदेश शासन की पत्रिका, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
4. चंद्र, विपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2016
5. बंद्योपाध्याय, शेखर, प्लासी से विभाजन तक, ओरिएंट ब्लैक स्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2009
6. अहीर, राजीव, स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, स्पेक्ट्रम बुक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2017

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 5rt Jan. 2024 Paper Accepted : 15th Jan. 2024

आन्तरिक सुरक्षा और नक्सलवाद

❑ अभय प्रताप मिश्र*

शोध-सारांश

भारतीयों के साहस, समर्पण, त्याग, बलिदान के पश्चात् 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। स्वतंत्रता के पश्चात् ब्रिटिश कूटनीति के कारण भारत को कुछ समस्याएँ विरासत में मिलीं जो आज तक किसी न किसी रूप में देश को अशांत कर रही हैं। इन समस्याओं में हिंसात्मक अराजकता, विघटनकारी तत्त्व, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रीयता और नक्सलवाद हैं। इन सभी समस्याओं में नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो राष्ट्र को तोड़ने और असुरक्षित करने के लिए तत्पर है।

नक्सलवाद माओ, लेनिन और मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित एक भारतीय विचारधारा है। प्रारम्भ में नक्सलवाद का उद्देश्य शासन के विरुद्ध जनयुद्ध करके शोषित, आदिवासी, किसान और मजदूरों के सहयोग से वामपंथी विचारधारा वाले नये शासन को स्थापित करना, जिसमें सब एक बराबर होंगे; न कोई अमीर होगा, न कोई गरीब।

नक्सलवाद के समाधान के रूप में सर्वप्रथम विकास और दमन की रणनीति अपनाकर लोगों को मूलभूत सुविधा देना और नक्सलवादियों के प्रभाव को खत्म करना।

मुख्य शब्द–*चारू मजूमदार, कानू सान्याल, बुर्जुवा, सर्वहारा, शोषक, पोषक, जमींदार, पूँजीपति, विकासात्मक, दण्डात्मक, कम्युनिस्ट पार्टी आदि।*

नक्सलवाद का उद्भव

'सत्ता बंदूक की नली से निकलती है', माओ–से–तुंग की इस विचारधारा से प्रेरित होकर, चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल स्थान के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गाँव से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। इस जगह के नाम से इस विचारधारा का नाम ''नक्सलवाद'' पड़ा। नक्सलवाद का अर्थ है,

* *शोध छात्र, रक्षा एवं स्त्रॉतेजिक अध्ययन विभाग,* दयानंद वैदिक कालेज, उरई (जालौन), बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

माओ के क्रांतिकारी दर्शन से प्रेरित आतंकवाद। नक्सलवाद का आदर्शवादी लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। नक्सलवाद ने लोकतांत्रिक राजनीति का विरोध करते हुये जनक्रांति पर बल दिया।[1]

चारू मजूमदार का मानना है, 'भारत के हर कोने में असंतोष की ज्वाला धधक रही है, यह फूटने वाली है। भारत में बहुत अधिक उथल–पुथल की संभावना है।' उन्होंने कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं को संदेश दिया कि संघर्ष के लिए कार्य करो, अपना विस्तार करो।[2] एक घटना 25 मई, 1967 की है, जब नक्सलबाड़ी गाँव में चाय बागान मालिक और पुलिस के संयुक्त विरोध के उपरान्त चाय बागान में कार्य करने वाली 9 महिलाएँ और 2 बच्चे मारे गये। परिणामस्वरूप माओ की विचारधारा से प्रेरित आदिवासियों ने हथियार उठाकर जमींदारों की सत्ता खत्म कर उनके अनाज गोदामों और घरों को लूट लिया। यह क्रम लगातार चलता रहा, पुलिस प्रशासन पंगु बन गई, पूरे नक्सलबाड़ी में देश की कानून व्यवस्था खत्म हो गई और वामपंथी सत्ता स्थापित हो गई।

इस आंदोलन को किसान, शोषित, वंचित, आदिवासी और मजदूरों का समर्थन मिला। जब तक प्रशासन होश में आता, तब तक नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से निकलकर मध्य और पूर्व भारत होता हुआ केरल तक पहुँच चुका था। 60–70 के दशक के अन्त में नक्सलवादी आंदोलन ने शहरी युवाओं और ग्रामीण युवाओं के दिल और दिमाग में आग लगा दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन पर कब्जा को लेकर रक्तपात हुआ और देखते–देखते समस्त भारत में आग फैल गई।[3]

नक्सलवाद केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार की एक समस्या है। इसकी जड़ें अन्याय से जुड़ी हैं। नक्सलवादी समस्या के पीछे गहरी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विषमताएँ उपस्थित हैं, अभी तक केन्द्र और राज्य सरकारें इसे कानून व्यवस्था की असफलता मानकर हल करती रहीं। जिसके कारण यह समस्या आज तक वैसी ही बनी हुई है।[4]

नक्सलवाद के सतत् चलने का कारण

(1) नक्सलवाद के उद्भव का कारण अमीर और गरीब के मध्य बढ़ रही खाईं है। इसके अतिरिक्त भू–स्वामियों और भू–दासों के मध्य आर्थिक असंतुलन।

(2) प्रचलित सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था का पतन, जातिगत तनाव, गरीबी और बीमारी।

(3) मूल निवासियों, आदिवासियों को उनके क्षेत्र से विकास के नाम विस्थापित बिना किसी योजना और अनुदान के कर देना।

(4) पिछड़े वर्ग व आदिवासियों के विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना, शासन द्वारा अनुमोदित राशि का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना। योजना व्यय का एक रुपये की जगह 16 पैसे काम के लिए पहुँचना।[5]

(5) मौलिक सुविधाओं सम्बन्धी आभाव जैसे– सड़क, परिवहन, रेल, आवास, अस्पताल, बिजली आदि सुविधाओं का अभाव। जिसके कारण असंतोष का पैदा होना लाजिमी है।

(6) मानवाधिकार के कारण नक्सलवादियों पर उचित कार्यवाही जनता के दबाव में न हो पाना।

(7) भूमि सुधार कानून का समुचित उपयोग न हो पाना जिससे किसानों के मध्य असंतोष होना।

(8) न्याय व्यवस्था का जन–सुलभ न होना, कमजोर वर्ग का न्याय व्यवस्था से दूर पड़ना।

(9) नक्सलवादी आर्थिक स्रोतों पर शासन का नियंत्रण न स्थापित हो पाना।

(10) लोकतांत्रिक खुलेपन के कारण विदेशों से धन और हथियारों के काले व्यापार पर अंकुश

न लगा पाना।[6]

(11) पुलिस द्वारा कानून का दुरुपयोग और कानूनी मानदण्डों का उल्लंघन।

नक्सलवादियों के कुछ कृत्य

- 2007 में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 300 से अधिक नक्सलियों ने हमला करके 55 पुलिस कर्मियों को मार दिया।
- 2008 में उड़ीसा के नयागढ़ में नक्सलियों ने 14 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी।
- 2009 में गढ़चिरौली में नक्सली हमले में 15 सी.आर.पी.एफ. के जवान शहीद हुए।
- 25 मई, 2013 को झीरम घाटी में नक्सलवादी हमले में महेन्द्र कर्मा सहित कांग्रेस पार्टी के कई नेता मारे गये।

इस तरह नक्सलवादी अपने को मजबूत करने के लिए आम जनता के मध्य हमला करके अपना अस्तित्व बनाये रखते हैं।

नक्सलवाद से प्रभावित आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र

(1) मध्य भारत के जंगल, मूलतः दण्डकारण्य में प्रशासन का प्रवेश नक्सलवादियों ने निषेध कर दिया है, यदि जाते भी हैं तो सुरक्षा का खतरा बना रहता है।

(2) विचारधारा के रूप में अर्बन नक्सलवाद का प्रभाव शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देता है।

(3) आदिवासी क्षेत्र में विकास का न होना और उनका नक्सलवादियों के समूह में शामिल होना देश के लिए खतरा है।

(4) हत्या, लूटपाट, डकैती के द्वारा नक्सल–वादियों का धन संग्रह करना देश के लिए खतरा है।

(5) अन्य देशों के विप्लवकारियों का नक्सल–वादियों से सम्बन्ध देश को अस्थिर करता है।

(6) मादक पदार्थों का नक्सलवादियों द्वारा उत्पादन और व्यापार देश में असुरक्षा पैदा करता है।

(7) नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में सरकारी योजना का धन नक्सलवादियों द्वारा उपयोग करना देश के हित को प्रभावित करता है।

नक्सलवाद के रोकथाम के लिए शासन का कुछ प्रमुख प्रयास

- **स्टीपलचेंज अभियान** : यह अभियान केन्द्र और बंगाल सरकार के संयुक्त प्रयास से 1971 में इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में चलाया गया था। इस अभियान से बंगाल से नक्सलवाद का उन्मूलन हो गया था। बंगाल के अधिकांश नक्सली या मारे गये या जेल भेज दिये गये थे।
- **ऑपरेशन ग्रीन हंट** : यह ऑपरेशन आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 2009 के मध्य चलाया गया था, जिसमें सुरक्षा बलों को महत्त्वपूर्ण सफलता मिली थी।[6]
- **ऑपरेशन प्रहार** : 2017 में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलवादियों के विरुद्ध सबसे सफल अभियान है।

भारत सरकार द्वारा नक्सली समस्या के समाधान की दिशा में अनेक प्रमुख कदम उठाये गये हैं, जिनमें दण्ड के प्रावधान के साथ–साथ सुधारात्मक पहलू पर भी ध्यान दिया गया है। अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाये गये हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं[8]–

(1) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, कौशल विकास, शिक्षा, ऊर्जा में व्यापक विकास और डिजीटल कनेक्टिविटी के विस्तार पर कार्य।

(2) 2013 में 'रोशनी' नामक विशेष पहल की शुरुआत।

(3) 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा आठ सूत्रीय 'समाधान' नाम की एक कार्य योजना की शुरुआत।

समाधान पहल

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नक्सली समस्या के समाधान के लिये एक नई पहल की गई है, जिसे 'समाधान' का नाम दिया गया है।

S- कुशल नेतृत्व (Smart Leadership)

A- आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)

M- अभिप्रेरणा एवं प्रशिक्षण (Motivation & Training)

A अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था (Actionable Intelligence)

D- कार्य योजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोन्मुखी क्षेत्र (Dashboard Based Key performance Indicators and Key Result Area)

H- कारगर प्रौद्योगिकी (Harnessing Technology)

A- प्रत्येक रणनीति की कार्य योजना (Action Plan for each threat)

N- नक्सलियों के वित्त पोषण को विफल करने की रणनीति (No access to financing)

नक्सलवादी हिंसा को देखते हुये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलियों के विरुद्ध रचनात्मक संघर्ष के लिए 73000 करोड़ रुपये का फण्ड आवंटित किया था। यही प्रक्रिया वर्तमान एन.डी.ए. सरकार में भी नक्सलवाद के विरुद्ध चल रही है।

केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में विभिन्न सुधारों और योजनाओं को लागू किया है। जिसमें सड़क विकास योजना के तहत आर.आर.पी.–1 और आर.आर.पी.–2 के तहत सड़क निर्माण के लिए क्रमशः 8593 करोड़ और 11702 करोड़ आवंटित किया गया। इसके अतिरिक्त संचार के लिए 2199 मोबाईल टावर लगाने की योजना है। विकास कार्यों की सुलभता से नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। जिससे देश आंतरिक रूप से सुरक्षित होगा।'

सुझाव

संविधान संशोधन करके नक्सल प्रभावित क्षेत्र को केन्द्रीय प्रशासन के तहत संचालित करना चाहिए। इस प्रयास में उत्तरदायित्व निश्चित करना होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए एक समूह का निर्माण कर नक्सलवाद के संगठित आय के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित संसाधनों पर जनजातियों का अधिकार सुनिश्चित करना होगा। नशीले पदार्थों के उत्पादन, वितरण पर नियंत्रण स्थापित किया जाये और उसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाया जाये। संसाधनों पर वर्ग विशेष के नियंत्रण को खत्म करके सबके लिए उपलब्ध कराया जाय। जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित कल–कारखानों में स्थानीय आदिवासियों को वरीयता दी जाय। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में नक्सलवादियों को सहयोगी बनाया जाये। उग्रवादियों के विरुद्ध प्रो–एक्टिव एवं सतत् अभियान चलना आवश्यक है और इसके लिए सभी उपाय किया जाना चाहिए। साथ ही, विकास के साथ सुशासन पर प्राथमिक स्तर पर ध्यान देना होगा। शासन और व्यक्ति दोनों को आदर्श प्रयास करना चाहिए, जिससे भारत का सर्वांगीण विकास हो और विश्व पटल पर स्थान बन सके।'

निष्कर्ष

चारू मजूमदार के नेतृत्व में उभरा नक्सलवादी आंदोलन भारत की आन्तरिक सुरक्षा को चुनौती देता रहा है। यह आंदोलन समाज में फैली बुराई और गैर–बराबरी की पृष्ठभूमि कारण उपजा है। प्रारम्भ में नक्सलवादी आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक थे और जनसाधारण की सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखते थे। पिछले कुछ वर्षों में नक्सलवादी अपनी मूल भावना से विरक्त होकर स्वयं के उत्थान के लिए आतंकवादी गतिविधि, लूट, हत्या, अपहरण में शामिल हो चुके हैं। अतः

इस देश विरोधी संगठन को खत्म करना देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। शासन इस कार्य में विकास और विध्वंस की रणनीति से काम करके नक्सल प्रभाव को सीमित करने में सफल हो रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पलसानिय, एम.ए.ए. ''नक्सलवाद : आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती'', राज पब्लिकेशन हाउस, जयपुर, 2010, पृ. 122–125
2. योजना प्रकाशन, नई दिल्ली, मार्च 2006
3. डॉ. सिंह, लल्लन जी, ''राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा'', प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 2021, पृ. 144
4. श्रीवास्तव, मनोज, ''नक्सलवाद : कारण समस्या और समाधान'', दया पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 2011
5. कुमार, सतीश, ''21वीं सदी में भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ'', मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2016, पृ. 262–263
6. मेनन, वी.के., ''हू आर द नक्सल टू ए थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी'', मुरारीलाल एण्ड संस, नई दिल्ली, 2011
7. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राज्यसभा तारांकित प्रश्न सं. 94
8. अग्रवाल, पी.के., ''नक्सलिज्म : कालेज एण्ड केयर'', मानस पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 5rt Jan. 2024 **Paper Accepted : 15th Jan. 2024**

साइबर सुरक्षा सम्बन्धी भारतीय प्रयास : एक मूल्यांकन

❑ प्रवीण बाजपेयी*

शोध-सारांश

इन्टरनेट तथा संचार क्रांति ने न केवल आर्थिक और व्यापारिक विकास को बढ़ावा दिया है बल्कि सीखने और एक दूसरे से जोड़ने का एक नवीन मंच प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसने जितना मानव जीवन को सरल बनाया है उतनी ही चुनौतियाँ भी प्रदान की हैं। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है और देश का हर छोटा–बड़ा गाँव आज साइबरस्पेस से जुड़ गया है, जिससे साइबर हमले की गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है। एक ओर भारत में इंटरनेट के उपयोगकर्त्ता तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी साइबर नैतिकता के बारे में बहुत कम लोग जागरूक हैं। भारत के लिए यह एक गंभीर समस्या का विषय है। भारत की सरकार लगातार विभिन्न साइबर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए गये हैं।

प्रस्तावना

प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के तीव्र विकास और बढ़ती उपयोगकर्त्ताओं की संख्या का भारत में तेजी से विकास हुआ है। आज व्यक्ति एक साथ अपना जीवन दो आयामों में जी रहा है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। इन्टरनेट तथा संचार क्रांति ने न केवल आर्थिक और व्यापारिक विकास को बढ़ावा दिया है बल्कि सीखने और एक दूसरे से जोड़ने का एक नवीन मंच प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसने जितना मानव जीवन को सरल बनाया है, उतनी ही चुनौतियाँ भी प्रदान की है। भारत ने 2013 में अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई जिसमें कहा गया है कि सरकार की विभिन्न विधियों द्वारा संचालित लचीला और सुरक्षित साइबरस्पेस निर्मित किया जाएगा जो प्रत्येक नागरिक के समाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन में मदद करने का कार्य करेगा। भारत ने अपने आई.टी. उद्योग में पिछले एक दशक से भारी निवेश किया है जिसमें मेक इन इण्डिया, डिजिटल

* *शोध छात्र, रक्षा एवं स्त्रातेजिक अध्ययन विभाग,* दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई (जालौन), (उ.प्र)

इण्डिया, जैसी परियोजनाओं ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है और देश का हर छोटा–बड़ा गाँव आज साइबरस्पेस से जुड़ गया है, जिससे साइबर हमले की गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई है। एक ओर भारत में इंटरनेट के उपयोगकर्त्ता तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी साइबर नैतिकता के बारे में बहुत कम लोग जागरूक हैं। भारत के लिए यह एक गंभीर समस्या का विषय है। भारत की सरकार लगातार विभिन्न साइबर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए गये हैं।

2013 में भारत ने सुरक्षित और मजबूत साइबरस्पेस बनाने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति' बनाई जो साइबर सुरक्षा उपायों पर घरेलू उपयोगकर्त्ताओं, व्यावसायिक उद्यमों और सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं का मार्गदर्शन करने वाला एक व्यापक ढाँचा है। COVID–19 के दौरान, इस तरह की नीतियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण हो गई हैं। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (DSCI) के अनुसार, तेजी से डिजिटलीकरण के कारण महामारी के दौरान साइबर सुरक्षा उद्योग दोगुना हो गया। साइबर सुरक्षा सेवा उद्योग का राजस्व 2019 में 4.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 8.4 बिलियन डॉलर हो गया। यह निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि पिछले दो दशकों से साइबर सुरक्षा की आवश्यकता में काफी तेजी से वृद्धि हुई है, जिसके लिए भारत सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका दूसरा पक्ष यह भी है, अभी जिस तरह से भारत में इन्टरनेट उपयोगकर्त्ता की संख्या तेजी से बढ़ रही है उसे देखते हुए और अधिक प्रभावी और महत्त्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है।

साइबर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा को समझने के लिए हमें साइबर अपराध को समझना पड़ेगा, क्योंकि साइबर अपराध व साइबर सुरक्षा सापेक्षिक रूप से विकसित होने वाली दो समांतर व मूल अवधारणाएँ हैं।

साइबर अपराध

''साइबर अपराध इंटरनेट, कम्प्यूटर या किसी अन्य परस्पर जुड़े बुनियादी ढाँचे सहित आपराधिक गतिविधि को दर्शाता है।'' जिसमें फ़िशिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, अवैध डाउनलोडिंग, औद्योगिक जासूसी, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी, घोटाले, साइबर आतंकवाद, वायरस का निर्माण और/या वितरण, स्पैम आदि जैसे अपराध शामिल हैं।

भारत में निम्नलिखित प्रकार के साइबर अपराध होते हैं–साइबर स्टॉकिंग, बौद्धिक संपदा की चोरी, सलामी अटैक, ई–मेल बमबारी, फ़िशिंग, पहचान की चोरी, स्पूफिंग, वॉयरस, ट्रोजेन हॉर्सेज, पोर्नोग्राफी, बाल पोर्नोग्राफी और दुर्व्यवहार, हैकिंग, दोषपूर्ण सॉफ़्टवेयर, मैन इन द मिडिल (MITM) अटैक, सेवाओं का खंडन (DoS) अटैक, स्पूफिंग (Spoofing) इत्यादि।

सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइबर + सुरक्षा, मतलब जो कुछ भी इंटरनेट, इनफार्मेशन, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डाटा से सम्बंधित है उसे हम साइबर (Cyber) कहते हैं। जबकि Security सुरक्षा से सम्बंधित है जिसमें System Security, Netrwork Security, Application और Information Security शामिल है।

इस प्रकार सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि साइबर सुरक्षा से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के इन्टरनेट, दूरसंचार, नेटवर्क, कम्प्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुँचाने, क्षतिग्रस्त करने, दुरुपयोग तथा आर्थिक जासूसी हमलों से साइबरस्पेस को सुरक्षित रखने से है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार, "साइबर सुरक्षा का अर्थ सूचना, उपकरण, कम्प्यूटर डिवाइस, कम्प्यूटर संसाधन,

संचार उपकरण और उनमें संगृहीत जानकारी की अनाधिकृत पहुँच, उपयोग, प्रकटीकरण, व्यवधान, संशोधन या विनाश से संरक्षण करना है।"

साइबर सिक्योरिटी एक सुरक्षा परत (layer) टेक्नोलॉजी है, जो साइबर हमलों से कम्प्यूटर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, सर्वर और डेटा आदि की सुरक्षा करता है।

साइबर सुरक्षा (Cyber Security) को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा (Information Technology Security) या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा (Electronic Information Security) भी कहा जाता है। साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करने का उद्देश्य, साइबर हमलों के जोखिम को कम करना और डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के अनधिकृत शोषण से बचाव करने में पूरी तरह से मदद करता है।

साइबर सुरक्षा के वैसे तो बहुत आराम हैं परंतु साइबर सुरक्षा मुख्य रूप से पाँच प्रकार की होती है–

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा
- अनुप्रयोग सुरक्षा
- क्लाउड सुरक्षा
- नेटवर्क सुरक्षा
- क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा

साइबर सुरक्षा के खतरों को पाँच अलग–अलग रंगों से 5 स्तर में पारिभाषित किया जाता है

- **हरा (GREEN) या LOW**–यह कम जोखिम का संकेत देता है।
- **नीला (BLUE) या GUARDED**–हैकिंग, वायरस या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के सामान्य जोखिम का संकेत देता है।
- **पीला (YELLOW) या ELEVATED**–हैकिंग, वायरस या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के कारण एक महत्त्वपूर्ण जोखिम का संकेत देता है।
- **नारंगी (ORANGE) या HIGH**–वृद्धि हुई हैकिंग, वायरस या अन्य दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि के एक उच्च जोखिम को इंगित करता है।
- **लाल (RED) या SEVERE**–हैकिंग, वायरस या अन्य दुर्भावनापूर्ण गतिविधि के गंभीर जोखिम को इंगित करता है।

भारत में साइबर सुरक्षा

उद्‌भव एवं विकास–भारत में टेलीफोन सेवाओं की शुरुआत सन् 1914 में शिमला से प्रारंभ हुई थी। भारत में कम्प्यूटर युग की शुरुआत 1952 में हुई थी, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता में पहला एनालॉग ब्रिटिश एच.ई.सी. 2एम कम्प्यूटर था, इसी के साथ भारत जापान के बाद एशिया का दूसरा देश बना जिसने कम्प्यूटर तकनीक को अपनाया। भारत का पहला स्वदेशी कम्प्यूटर TIFRAC 1990 में बनाया गया। इसके बाद 1966 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जादवपुर यूनिवर्सिटी द्वारा ISIJU नामक ट्रांजिस्टर युक्त कम्प्यूटर बनाया गया। इसके बाद 1965 में कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और 1970 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में कम्प्यूटरों केप्रयोग को बढ़ावा देना था। सन 1978 में आई.बी.एम. के साथ दूसरी निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी कम्प्यूटर निर्माण आरम्भ किया। वर्ष 1984 में सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी–डॉट) की गई और 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी–डेक) भी बनाया गया। सी–डेक के वैज्ञानिकों ने 1990 में सुपर कम्प्यूटर का प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया। इसी वर्ष ज्यूरिख में आयोजित सुपर कम्प्यूटिंग सोमी को बहुत ख्याति मिली। जुलाई, 1991 को भारत में निजी प्रयासों से परम 8000 सुपरकम्प्यूटर बनाकर इतिहास रचा। भारत में इंटरनेट सेवाएँ 15 अगस्त, 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरम्भ की गई तथा वर्ष 1998 में सरकार ने निजी क्षेत्र

सेवा–प्रदाताओं को भी इन्टरनेट सेवा के लिए प्राधिकृत कर दिया।

भारत में सबसे पहला साइबर अपराध का एक मामला (याहू बनाम अकाश अरोरा) 1999 में घटित हुआ था[1] और दूसरा मामला विनोद कौशिक बनाम माधविका जोशी और अन्य का प्रकरण था, जिसमें न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि पति और ससुर के ईमेल अकॉउन्ट उनकी अनुमति के बिना देखना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 का उल्लंघन करता है।[2] इसी समय भारत सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को लागू कर दिया था। बाद में सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 भी जारी किया गया। भारत में अपराध ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत आँकड़े वाकई चिंताजनक हैं, क्योंकि ब्यूरो के अनुसार देश में वर्ष 2010 में 966, 2011 में 1791, 2012 में 2876, 2013 में 4356 साइबर अपराध पंजीकृत कराए गए थे।[3] इसके बाद 2014 में 9622, 2015 में 11592, 2016 में 12317, 2017 में 21796, 2018 में 27248, वर्ष 2019 में 44735, वर्ष 2020 में 50035 तथा वर्ष 2021 में 52974 साइबर अपराध दर्ज हुए।[4] इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में साइबर अपराध की शुरुआत दुनिया के देशों से बाद में हुई है, लेकिन यहाँ अपराधों का आँकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है।

भारत के साइबर सुरक्षा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रयास

इस संदर्भ में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 17 अक्टूबर, 2000 को लागू किया गया। वर्ष 2004 में भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रक्रिया दल CERT-in (Indian Computer Emergency Response Team) की स्थापना की गई जो कि साइबर घटनाओं के बारे में सूचना एकत्रित करता है और उनका विश्लेषण तथा प्रचार करता है। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाकर चेतावनी जारी करना तथा निपटने के लिए आपात उपाय सुझाव और घटना प्रत्युत्तर क्रिया.कलापों का समन्वय करता है। सूचना सुरक्षा प्रक्रियाओं, पद्धतियों, रोकथाम, प्रत्युत्तर और सुभेघता नोट तथा श्वेत पत्र जारी करता है।

वर्तमान स्थिति

1. संस्थागत

वर्तमान समय में भारत में साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित कुछ संस्थाएँ/टास्क फोर्स निम्नलिखित हैं–

- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र**–यह भारत की साइबर स्पेस खुफिया एजेंसी है जो सुरक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का संचालन करेगी। इसका उद्देश्य विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वय कर अधिसूचना को एकत्रित करना और संचार से सम्बन्धित मेटाडेटा की जाँच करना करना है। आईटी मंत्रालय के अधीन काम करने वाला यह निकाय देश की साइबर सुरक्षा सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है।
- **भारत का कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (India's computer emergency response team) CRET-in**–इसका गठन भारत में साइबर हमले को विफल करने हेतु किया गया था। इसे साइबर सुरक्षा के लिए उत्तरदाई एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए आईटी संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत आदेशित किया गया है।
- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (National critical information infrastructure protection center)**–इसे महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण हेतु एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके कार्य तथा कर्त्तव्य निम्न हैं–
  - देश के महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की

सुरक्षा।

- सभी महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना सम्बन्धी घटकों की पहचान।
- महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्बन्धी रणनीति का विकास तथा कार्यान्वयन।

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और साइबर योद्धा पुलिस बल–Indian cyber & crime coordination center (I4C) and cyber warrior police force**–इन्हें साइबर खतरों, बाल अश्लीलता और ऑनलाइन स्टॉकिंग, जैसे इंटरनेट अपराध से निपटने के लिए नवनिर्मित साइबर और सूचना सुरक्षा (CIS) विभाग के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र**–इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेटवर्क और सिस्टम को प्रभावित करने वाले मालवेयर और बोटनेट के विश्लेषण के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ किया। साइबर सुरक्षा केंद्र साइबर हमले को रोकने के लिए विभिन्न टूल प्रदान करता है। जैसे–एम. कवच, यू. एस.बी. प्रतिरोध, एप संविद, ब्राउज़र जे.एस. गार्ड, निशुल्क वोट निवारण उपकरण।
- **डिजिटल सेना कार्यक्रम**–डिजिटल इंडिया के एक भाग के रूप में भारतीय सेना की प्रक्रियाओं, गतिविधियों और सेवाओं के डिजिटलीकरण और संचालन के लिए प्रारंभ किया गया एक समर्पित क्लाउड है। यह राष्ट्रीय क्लाउड पहल (National cloud initiative) मेघराज के ही समान है।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र**–जनवरी, 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre -I4C) की स्थापना की गई है। इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। साइबर अपराध से बेहतर तरीके से निपटने के लिये तथा I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के सात प्रमुख घटक है।
- **साइबर सुरक्षित भारत**–साइबर सुरक्षित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की एक पहल है, जिसने भारत में एक मजबूत साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की ओर इशारा किया है। यह 'डिजिटल इंडिया' के लिए सरकार के विजन के अनुरूप है। राष्ट्रीय ई–गवर्नमेंट डिवीजन (एनईजीडी) ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया।
- **साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स**–NIIT के अध्यक्ष श्री राजेंद्र पवार की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई गई है। सीएसटीएफ की पहली बैठक 25 मई, 2015 को बुलाई गई थी। इसमें आईटी उद्योग, सुरक्षा उत्पाद कंपनियों, बैंकिंग, दूरसंचार, ऊर्जा क्षेत्र जैसे उपयोगकर्त्ता उद्यमों, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी आदि शामिल थे। टास्क फोर्स का दृष्टिकोण 'भारत के साइबर सुरक्षा उद्योग' को मौजूदा एक प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी से 2025 तक दस प्रतिशत तक बनाना है। 1 मिलियन प्रमाणित और कुशल साइबर सुरक्षा पेशेवरों का एक प्रशिक्षित आधार तैयार करना और भारत से 100+ सफल सुरक्षा उत्पाद कंपनियों के साथ आना है।[5]

2. नीतिगत–

- भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो 17 अक्टूबर, 2000 में प्रभावी हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करना और सरकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकार दाखिल करने की सुविधा प्रदान करना है और कम्प्यूटर

प्रणालियों, कम्प्यूटर नेटवर्क एवं उनके डाटा प्रयोग को नियंत्रित करती है। यह अधिनियम इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण डिजिटल हस्ताक्षर साइबर अपराध नेटवर्क सेवा प्रदाताओं के दायित्व के निर्धारण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों तथा समझौतों को वैज्ञानिक पहचान प्रदान करता है। 2008 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया।

- 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 लागू की गई। इसे एडवर्ड स्नोडेन द्वारा बड़े स्तर पर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी निगरानी कार्यक्रम के खुलासे की पृष्ठभूमि में लाया गया था। देश के महत्त्वपूर्ण अवसर रचनाओं की रक्षा हेतु 24 घंटे सातों दिन के लिए राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केन्द्र (National Critical Information Infrastructure Protection Center - NCIIPC), CERT-in की स्थापना की गई।

इस प्रकार यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वर्तमान समय में भारत निरंतर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में संस्थागत, नीतिगत तथा कानूनी नियमों के द्वारा निरंतर विकासरत है और पिछले दो दशकों में भारत ने लगातार साइबर सुरक्षा के संदर्भ में तीव्रगति से विकास किया है।

मूल्यांकन

उपर्युक्त तथ्यों के अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात् हम यह कह सकते हैं कि पिछले दो दशकों में भारत ने साइबर सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यापक रूप से कार्य किया है, परन्तु जिस प्रकार से भारत में संचार क्रांति का तेजी से विकास हुआ आज भारत का प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिला, प्रत्येक ग्राम/शहर, प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहा है। इसलिए जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या है उसी हिसाब से अभी भी भारत को साइबर सुरक्षा के संदर्भ में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। साइबर सुरक्षा से सम्बन्धित जागरूकता एवं जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के जनमानस तक पहुँचाने की भी आवश्यकता है। आज भी भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें साइबर अपराध की पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है और वह किसी–न–किसी रूप में साइबर अपराध के चपेट में आ जा रहे हैं तथा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में देखा जाये तो भारत पर लगातार चीन और पाकिस्तान आदि देशों से उसकी सुरक्षा व्यवस्था में आज साइबर अपराध के माध्यम से सेंध लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में भी भारत को और महत्त्वपूर्ण कार्य करने होंगे तथा भारत में अभी भी अपने साइबर कानून को और अधिक विकसित तथा कठोर बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष साइबर अपराध की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कोविड–19 काल से भारत में साइबर अपराध में अचानक तेजी से वृद्धि हुई है। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्त्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैश–लेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी। अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुँचा सकता है। इस सम्बन्ध में भी भारत को और प्रभावी नियम बनाने की आवश्यकता है। इन सभी के साथ–साथ इस पक्ष को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत ने दो दशकों में निरंतर विभिन्न रूप से संस्थागत तथा नीतिगत रूप से साइबर सुरक्षा को

और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है तथा इस संदर्भ में कुछ सुझाव निम्नांकित किए जा सकते हैं–

- भारत को साइबर युद्ध का मुकाबला करने के लिए एक साइबर कमाण्ड की स्थापना करना चाहिए।
- धारणा प्रबंधन और सोशल नेटवर्क को सावधानी से सँभाला जाना चाहिए क्योंकि सूचना की तत्काल उपलब्धता मनोवैज्ञानिक और संपर्क रहित युद्ध के लिए संभावित उपकरण प्रदान करता है, इसे किसी भी आक्रामक या रक्षात्मक कार्यवाही का भाग बनाना चाहिए।
- भारत को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के कानूनी पक्षों, साइबर स्पेस को साइन बल के रूप में प्रयोग करना सीखने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को प्रभावी बनाने, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों पर वार्त्ताओं के लिए प्रशिक्षित कर्मियों आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- CRET-in जैसे सरकारी क्षेत्रों और निजी क्षेत्रों के मध्य सुरक्षा सूचना साझाकरण और विश्लेषण केंद्रों के माध्यम से सूचना साझाकरण और समन्वय हेतु एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- भारत को चाहिए कि वह साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और साइबर कानून सम्बन्धी शैक्षिक कार्य को हाईस्कूल और इण्टर स्तर से ही पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. http://www.legalserviceindia.com/legal/article-797-an-analysis-on-cyber-crime-in-india.html.
2. Ibid
3. https://ncrb.gov.in/sites/default/files/crime_in_india_table_additional_table_chapter_reports/18-Cyber Crimes_2013.pdf
4. https://www.amarujala.com/india-news/ncrb-repot-five-percent-rise-in-cybercrimes-in-2021-charge-sheeting-only-in-one-third-cases
5. https://www.dsci.in/content/cyber-security/cyber-security-task-force
6. https://readerblogs.navbharattimes.indiatimes.com/animeshsharma/cyber-security-issues-current-indian-cyber-laws-and-steps-to-be-taken/

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 5rt Jan. 2024 **Paper Accepted : 15th Jan. 2024**

चन्देलकाल के मन्दिरों की भव्यता : मूर्तिकला के सन्दर्भ में

❑ **डॉ. अजय शंकर पाण्डेय***
❑ **पूर्णिमा सिंह****

शोध-सारांश

चन्देलकाल में कला को एक नये साँचे में ढालने का प्रयास जेजाकभुक्ति में किया गया, जिसके लिए सबसे पहले लोगों को कला, समाज, संस्कृति एवं साहित्य के प्रति जागरूक किया गया, जिससे समाज के विकास की कल्पना को साकार रूप प्राप्त हो सके। तत्कालीन समय में कला की एक शैली का ही अनुसरण करने का मार्ग स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा था। कलाकारों द्वारा साहित्य की मदद से कला के सिद्धांतों को समझा गया और उसका पालन किया गया, क्योंकि वास्तुकला एवं मूर्तिकला की स्पष्ट रूपरेखा देखने को मिलती है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही कार्य किया गया, क्योंकि समय के परिवर्तन के कारण मंदिरों के निर्माण में कुछ समस्यायें आयीं जिसका निराकरण साहित्य की सहायता से किया गया। तत्कालीन समय में वास्तुकला का प्रभाव था कि मूर्तियों को उसमें मिला लिया गया, जिससे उनकी भव्यता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

प्रस्तावना

चन्देलकालीन कला का यदि पूर्ण विकसित स्वरूप देखना है तो खजुराहो में दिखाई देता है, जिसमें कल्पना की गहनता के साथ–साथ भावनाओं एवं उनके विचारों की सूक्ष्मता एकजुट होकर ऐसे व्यक्त हो रही है जो आम जनमानस को नई दृष्टि की ओर खींचती हैं। कलाकारों की नजरें कोमल भावनाओं के किस छोर तक नहीं पहुँची यह नहीं कह सकते। यह युग दार्शनिक विचारों के समानांतर ही रहा, जिसके कारण इस युग में लोक मंगल की कामना अधिक थी। एक समय था जब शैव और वैष्णव सम्प्रदायों में प्रतिस्पर्धा अपने मूल चरम पर थी, तब शिल्पकारों ने शैव मंदिरों को वैष्णव मंदिर में एवं वैष्णव को शैव मंदिरों में परिवर्तित कर समन्वय स्थापित किया, जो चन्देलकालीन शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आदर्श

* *विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग,* शासकीय ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय, उत्कृष्टता केन्द्र, रीवा (म.प्र.)
** *सहायक प्रध्यापक,* ए.के.एस. विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

सौन्दर्य की कल्पना, कला का स्वरूप, मान्यताओं का परिपालन, ललित एवं सूक्ष्मता का जो मूर्त्त स्वरूप और प्रकृति की कल्पना को व्यक्त करने की जो दक्षता का स्वरूप दिखता है, वह चन्देलों के शासनकाल में खजुराहो में देखने को मिलता है।

अभिलेखों से प्रतीत होता है कि चन्देलों का स्वर्णिम काल 11वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य रहा। इस समय उन्होंने अनेक भवन, राजप्रासाद, देवालय इत्यादि का निर्माण किया, साथ–ही–साथ अपने राज्यों के नगरों में सरावरों, प्रासादों, दुर्गों एवं मंदिरों का निर्माण किया। चन्देलों की राजधानी खजुराहो थी, जिसके कारण यहाँ अनेक दिव्य मंदिरों का निर्माण कराया गया, जो आज भी भारत की अनमोल धरोहर के रूप में गिनी जाती है। परमाल रासो के अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ चन्देलों ने 65 मंदिरों का निर्माण किया था, जबकि वर्तमान में मात्र 30 मंदिर ही देखे जा सकते हैं। इस सम्बंध में कनिंघम एवं फरगुशन का मन्तव्य है कि यह लोकप्रिय गौरवशाली मंदिर का निर्माण चन्देलों ने 10वीं–11वीं शताब्दी के बीच में करवाया था, जो अपनी कला और भव्यता के लिए विख्यात है। धर्मों में चन्देलकालीन वास्तुकला का परिचय प्राप्त होता है।[1]

चन्देल शासक यशोवर्मन ने 954 ई. में एक भव्य बैकुण्ठपति भगवान विष्णु का मंदिर–निर्माण किया[2], जो स्थापत्य कला की दृष्टि से उस युग का सबसे विकसित एवं अलंकृत मंदिर में गिना जाता था, जिसकी जानकारी खजुराहों से प्राप्त होती है, जिसकी तुलना जर्नल कनिंघम ने खजुराहो के चतुर्भुज वैष्णव मंदिर से की है।[3] यशोवर्मन ने इसके साथ–साथ खजुराहो में एक विशाल जलाशय का भी निर्माण कराया था, जिसका उल्लेख खजुराहो के 1059 ई. के अभिलेख से पता चलता है।[4] इसी प्रकार इसका पुत्र धर्मदेव एक महान शासक था, जिसके शासनकाल में कला एवं स्थापत्य कला को पल्लवित एवं पोषित किया। इन्होंने मुख्य रूप से खजुराहो में दो श्रेष्ठ मंदिरों का निर्माण कराया जिसमें विश्वनाथ मंदिर एवं पार्श्वनाथ मंदिर है। इन मंदिरों में विश्वनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं कराया जबकि पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा नामित पाखिलों ने करवाया। विकास का यह क्रम निरन्तर चलता रहा क्योंकि चन्देल शासक गण्डदेव द्वारा भी दो मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिसमें जगदम्बी और चित्रगुप्त हैं, वहीं विद्याधर द्वारा कंदरिया महादेव मन्दिर बनवाया गया ऐसा अनुमान लगता है, क्योंकि मंदिर के मण्डप में एक छोटा–सा लेख मिलता है जो विरिन्द्र से सम्बन्धित है। ऐसा माना जाता है कि यह विरिन्द्र और कोई नहीं विद्याधर ही है।[5] विद्याधर की मृत्यु के बाद जेजाकभुक्ति में कलचुरि एवं मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया जिससे चन्देलों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ी, इसके पश्चात् भी 12वीं सदी तक स्थापत्य कला के विकास का क्रम नहीं टूटा, वह अनवरत् चलता रहा।

चन्देलकाल में स्थापत्य कला एवं मूर्तिकला इत्यादि की दृष्टि से कला का बहुमुखी विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत मूर्तिकला, मंदिर निर्माण के संतुलित एवं अभिव्यक्ति सम्पन्न रूप में सम्मुख आयी है। चन्देलकाल में मूर्तियों के अंग विन्यास, चेहरे का लौकिकता एवं उसकी भाव–भंगिमा के प्रदर्शन में पूर्ण है। इनके निर्माण में काला संगमरमर तथा लाल पत्थर का उपयोग किया गया है, जिसका प्रमाण खजुराहो का भव्य कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसके अंदर अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। मंदिर की रूप–पट्टिकाओं की दो लाइनों में आखेट, नर्तकी, मिथुन और योद्धाओं के साथ–साथ अनेक मूर्तियाँ बनी हैं। डॉ. अवस्थी के अनुसार, चन्देलकालीन मंदिरों की मूर्तियाँ, मुख्यतः अप्सराओं की, जिनको बारीक तरह से तराशकर गढ़ा गया है, उनके अंग बड़े सुन्दर हैं तथा उनकी मुद्रायें आंतरिक भावों की परिचायक हैं। चन्देलकालीन मंदिरों में देवी–देवताओं, सुन्दरियों, अप्सराओं, मिथुन, पशुओं एवं सामान्य जनजीवन की विविध मूर्तियाँ

दर्शनीय हैं। चन्देल सम्राटों की कला का स्वरूप महोबा, खजुराहो, कालिंजर, अजयगढ़ इत्यादि में देखे जा सकते हैं।[6]

चन्देलकालीन मूर्तिकला की विशेष बात यह है, उनकी भाव भंगिमा, अंग विन्यास, चेहरे की बनावट जो पूर्ण है। चन्देलों की राजधानी खजुराहों में निर्मित मंदिरों में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पर मूर्तियों को अलंकृत न किया गया हो, जिसमें अधिकांशतः मूर्तियाँ हिन्दू देवताओं की थीं, जबकि कुछ जगहों पर मिथुन की मूर्तियाँ थीं।

चन्देलकालीन मूर्तिकला की प्रथम श्रेणी में अनेक मूर्तियों की पूजा की जाती थी तथा यह मूर्तियाँ अधिकांशतः मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित हैं, जिनमें मुख्य रूप से माहेश्वरी, महिषासुर मर्दिनी, विष्णु आदि मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। विष्णु की मूर्ति जो चतुर्भुज है, गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। यह अत्यंत सुन्दर एवं अत्यधिक शांति का प्रतीक मानी जाती है।

द्वितीय श्रेणी में पार्श्व एवं आवरण देवों की मूर्तियाँ जो मंदिर की रथिकाओं में निर्मित हैं, यह मूर्तियाँ पूर्व की भाँति गोलाई में निर्मित हैं। मंदिर के रथिकाओं में नाग, गंधर्व एवं दिग्पालों की मूर्तियॉ निर्मित हैं, जिनका प्रदर्शन मानवीय स्वरूपों हेतु किया गया था।

तृतीय श्रेणी में सुन्दरियों और अप्सराओं की मूर्तियाँ हैं, जो चन्देलकाल की सर्वोत्तम मूर्तियाँ हैं। डॉ. रामाश्रय अवस्थी के अनुसार अधिकांश मूर्तियाँ सुर–सुन्दरियों के सामान्य मनोभावों एवं उनकी क्रिया–कलापों को प्रदर्शित करती हैं, जिसके कारण उनमें और नायिकाओं में अंतर करना कठिन है, ऐसी अप्सरायें विवश करती, अँगड़ाई लेती हैं, शिशु को दुलारती हैं, पशु–पक्षियों के साथ क्रीड़ा करती हैं, पत्र लिखती हैं, इत्यादि प्रकार से कला को प्रदर्शित करती हैं, जो सांकेतिक रूप से आत्मा में सौन्दर्य के संविलय का बोध कराता है।

चतुर्थ श्रेणी में गुरु–शिष्य की मूर्ति, परिवार का दृश्य, आखेट करते हुए राजा, युद्ध का दृश्य, गायक दल, नर्तक और मिथुन इत्यादि है।

पाँचवीं श्रेणी में पशु–पक्षियों की मूर्तियाँ जिसमें अनेक पशुओं की मूर्तियों के चित्र निर्मित किये गये हैं। चन्देलकालीन मंदिरों में शार्दुल की मूर्ति देखने को मिलती है, जो कल्पित पशु है, जिसे कला के द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

निष्कर्ष

जेजाकभुक्ति की कला से यह पता चलता है कि चन्देल सम्राट् कितने कला–प्रेमी थे, क्योंकि इनके समय में कला का विकास प्रगति पर था। समस्त दृष्टियों से जेजाकभुक्ति में निर्मित मंदिरों की मूर्तियाँ उड़ीसा की मूर्तियों से कहीं अधिक परिष्कृत हैं साथ ही, उनके शरीर की सभी रेखाएँ भी काफी भावपूर्ण होने के साथ–साथ जटिल है, फिर भी यहाँ की कला समकालीन कला में श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रो. कृष्णदत्त के अनुसार प्रकृति और मानव जीवन की ऐहिक सौन्दर्यता को खजुराहो के मंदिरों में पूर्णता प्रदान किया गया है। शिल्प श्रृंगार का यह मिश्रण भारत के अन्य किसी भी स्थल में देखने को नहीं मिलता है। चन्देलों द्वारा निर्मित मंदिर में रूप विधान ललित कला के विभिन्न रूपों का समन्वय देखने को मिलता है। एक ओर हमें चारूत्व का तो दूसरी ओर श्रृंगार के चित्रों का उत्कृष्ट उदाहरण दिखाई देता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उपाध्याय, भगवत शरण, भारतीय कला का इतिहास, नई दिल्ली, पृ. 301
2. एपिग्राफिया इण्डिया, भाग–1, श्लोक 42–43, पृ. सं. 129
3. कनिंघम, आर्क्योलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग–2, पृ. सं. 425–427
4. एपिग्राफिया इण्डिया, भाग–1, पृ. सं. 135–136
5. विद्या प्रकाश, खजुराहो, पृ. सं. 5
6. प्रताप, डॉ. रीता, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास, पृ. सं. 107
7. आर्क्योलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, भाग–21, पृ. सं. 34

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 5th Jan. 2024 **Paper Accepted : 15th Jan. 2024**

महात्मा गांधी जी की अविभाजित मध्य प्रदेश यात्रा राष्ट्रीय आन्दोलन के सन्दर्भ में

□ अभिषेक खरे*
□ डॉ. महेन्द्र मणि द्विवेदी**

शोध-सारांश

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसार व जनजागरण हेतु महात्मा गांधी जी ने देश भर में काफी यात्रायें कीं, जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है। अविभाजित मध्य प्रदेश को गांधी जी की दस यात्राओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली यात्रा वर्ष 1918 में इंदौर की, फिर वर्ष 1920 में द्वितीय यात्रा अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर, धमतरी, कुरूद की जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। वर्ष 1921 में तीसरी यात्रा छिंदवाड़ा की इसी प्रकार चौथी यात्रा सिवनी व जबलपुर की और अपनी पांचवीं यात्रा खंडवा की। वर्ष 1929 में, छठवीं यात्रा वर्ष 1933 में भोपाल में की। गांधी जी ने सातवीं यात्रा 22 नवंबर से 8 दिसंबर, 1933 में की थी। यह ऐतिहासिक हरिजन यात्राएँ थीं जिसमें अविभाजित मध्य प्रदेश के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इटारसी, करेली, अनंतपुर, दमोह, सागर, कटनी, सिहोरा, जबलपुर, मंडला, सोहागपुर, हरदा, खंडवा व बुरहानपुर भी गए थे।

वर्ष 1935 में इंदौर एवं महू की गांधी जी ने आठवीं यात्रा की। वर्ष 1941 में नौवीं यात्रा भेड़ाघाट, बंदरकूदनी (जबलपुर) की और वर्ष 1942 में गांधी जी की अविभाजित मध्य प्रदेश की दसवीं और अन्तिम यात्रा जबलपुर की थी। गांधी जी के द्वारा समय–समय पर की गयी अविभाजित मध्य प्रदेश की यात्राओं ने असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायता प्रदान की।

हिंसा, आतंकवाद से जूझती दुनियाँ के लिए महात्मा गांधी जी के अहिंसात्मक साधनों का सर्वोपरि महत्त्व है। शांति हमारी अनिवार्य आवश्यकता है एवं संपूर्ण मानवता के कल्याण का मंत्र है। अहिंसा व शांति से ही हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इन कारगर एवं अभेद्य अस्त्रों को दुनियाँ को सौंपने

* (NET & MP SET) शोधार्थी, इतिहास, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोध निर्देशक, प्राध्यापक इतिहास, शा. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

वाले महात्मा गांधी जी सदैव प्रासंगिक रहेंगे। 09 जनवरी, 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफल आन्दोलन संचालन के बाद भारत वापस आए और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी के पास एक स्पष्ट व निश्चित सोच थी कि अहिंसात्मक साधनों से ही वह भारत को स्वतंत्रता दिलाएँगे। इस सोच को उन्होंने कार्य रूप में परिणित किया। भारत को आजादी दिला कर पूरी दुनियाँ में जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। गांधी जी की यात्रायें कोई साधारण यात्रायें नहीं होती थीं। उनके व्यक्तित्व के साथ एक समूचा विचार–दर्शन तथा एक समग्र जीवन पद्धति चलती थी। उनके स्वागत तथा व्यवस्था के आयोजन में लगे सहस्त्रों नर–नारियों को भी इस पद्धति से परिचित होने का अवसर मिलता था। एक स्थान पर उनके आगमन का संबंध मात्र उस स्थान से ही नहीं, वरन् उस क्षेत्र की समूची जनता से होता था और दूर–दूर से लोग उनका भाषण सुनने के लिये बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। इस प्रकार ये यात्रायें उस क्षेत्र के व्यक्तित्व को ही आमूल–चूल परिवर्तित करने में समर्थ हुईं। राज्य में अबाध रूप से चलने वाले स्वाधीनता संग्राम में इन यात्राओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रसार व जनजागरण हेतु गांधी जी ने देश भर में काफी यात्रायें कीं, जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है।

सन् 1918 से सन् 1942 के बीच अविभाजित मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़) में उन्होंने 10 यात्रायें कीं। इन यात्राओं का उद्देश्य भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तैयार करना था। 28 मार्च, 1918 को सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पधारे थे। गांधी जी यहाँ अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अष्टम् अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में आए थे। इस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिसका राष्ट्रीय राजनीति एवं एकीकरण में काफी महत्त्व था। जैसे–राष्ट्रभाषा की स्वीकृति हिंदी को ही दी जाए व मद्रास में हिंदी का प्रचार–प्रसार कार्य किया जाए। गांधी जी ने यहाँ मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के निजी भवन का भी शिलान्यास किया था। 20 व 21 दिसंबर, 1920 को गांधी जी ने अपनी दूसरी यात्रा अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर, धमतरी और कुरूद में की थी। गांधी जी ने रायपुर में जहाँ भाषण दिया था वह अब गांधी चौक के नाम से जाना जाता है। यहीं से गांधी जी धमतरी तथा कुरूद गए। गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने कुरूद की यात्रा की और वहाँ के जनमानस द्वारा सत्याग्रह के सफल संचालन के लिए उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा की। 6 जनवरी, 1921 को महात्मा गांधी जी, अली बंधुओं के साथ छिंदवाड़ा आए थे। यहाँ वे सेठ श्री नरसिंह दास अग्रवाल की धर्मशाला में विश्राम किए, तत्पश्चात् चिटनवीसगंज के मैदान में विशाल सभा को संबोधित किया। गांधी जी ने हिंदू–मुस्लिम एकता व छुआछात मिटाने की बात कही। साथ ही, महिलाओं की सभा को भी संबोधित किया था। यहाँ की महिलाओं ने गांधी जी को तिलक स्वराज कोष के लिए धन और आभूषण प्रदान किए। 1920 के ऐतिहासिक अधिवेशन के पश्चात् गांधी जी निर्विवाद नेता के रूप में उभरे थे। गांधी जी नागपुर से सिवनी होते हुए 20 मार्च, 1921 को अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी जी के साथ जबलपुर आए थे और श्री श्याम सुंदर भार्गव की कोठी 'खजांची भवन' में रुके थे। यहाँ उन्होंने गोल बाजार के विशाल मैदान में आम सभा को संबोधित किया था। गांधी जी अपनी यात्रा में मध्य प्रदेश के खंडवा शहर भी गए थे। यहाँ गांधी जी ने आम सभा को संबोधित किया था, इस संबोधन में उन्होंने स्वदेशी और खादी पर विशेष बल दिया

था। आज यह स्थल घंटाघर के रूप में जाना जाता है। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए गांधी जी 08 सितंबर, 1929 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आए। यहाँ वे 3 दिन रुके। बेनजीर मैदान में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया व राहत मंजिल के सामने प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। यहाँ गांधी जी ने रामराज्य का मतलब समझाया था। उन्होंने कहा कि, "मेरे लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए तो सत्य और सत्कार्य ही ईश्वर है।"

22 नवंबर से 8 दिसंबर, 1933 तक गांधी जी ने अविभाजित मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में यात्राएँ कीं। इस यात्रा के दौरान गांधी जी दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, इटारसी, करेली, अनंतपुर, दमोह, सागर, कटनी, सिहोरा, जबलपुर, मंडला, सोहागपुर, हरदा, खंडवा व बुरहानपुर भी गए थे। गांधी जी की यह 17 दिवसीय यात्रा थी। इस यात्रा में गांधी जी ने हरिजन सेवा व कल्याण का प्रचार–प्रसार किया। 20 अप्रैल, 1935 को गांधी जी इंदौर में आयोजित 24वें हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में आए थे। गांधी जी ने अपनी पहली मध्य प्रदेश यात्रा इंदौर की, की थी। गांधी जी ने इंदौर के नजदीक स्थित महू के हाई स्कूल में अपना भाषण दिया था। फरवरी, 1941 में इलाहाबाद यात्रा के दौरान गांधी जी कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। यहाँ से वे मीरगंज स्टेशन व भेड़ाघाट व बंदरकूदनी गए थे। उनके साथ महादेव भाई देसाई, कनु देसाई थे, वहाँ महाराजा कुमार विजयनगरम् भी उपस्थित थे। गांधी जी ने रत्नहीर नामक भवन में विश्राम किया था। बनारस की ओर जाते समय 27 अप्रैल, 1942 को गांधी जी जबलपुर पहुँचे। जहाँ वे द्वारका प्रसाद मिश्र जी के यहाँ गए थे। यहाँ से गांधी जी ने द्वारका प्रसाद जी के साथ विक्टोरिया अस्पताल जाकर सेठ गोविंद दास का हाल–चाल लिया था। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह रूपी अस्त्र दुनियाँ को सौंपने वाले महात्मा गांधी जी सदैव समस्त मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस शोध पत्र लेखन में मैंने प्राथमिक स्रोत के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल के पुस्तकालय से प्राप्त कर्मवीर पत्रिका के मूल अंकों का अध्ययन किया तथा द्वितीयक स्रोत के रूप में जनसंपर्क संचालनालय भोपाल, गांधी भवन भोपाल, पुरातत्त्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल, माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल से सम्बंधित विषय पर उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन कर इस शोध पत्र को तैयार किया।

गांधी जी की समय–समय पर की गयी अविभाजित मध्य प्रदेश की यात्राओं ने असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायता प्रदान की। हरिजन उत्थान के लिए गांधी जी ने सवर्णों का भेद–भाव समाप्त करने का आवाहन् किया और हरिजनों को मदिरा–मांस का त्याग कर स्वच्छता का सन्देश दिया। गांधी जी की इन यात्राओं से हरिजनों के लिए मंदिरों के लिए द्वार खुले। स्थानीय नेताओं को सत्याग्रह के विषय में प्रशिक्षण व मार्गदर्शन प्रदान किया एवं सत्य, अहिंसा के मार्ग से आम जनता को स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया एवं इसके अलावा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सफल संचालन हेतु आर्थिक सहयोग प्राप्त किया, जिसमें अविभाजित मध्य प्रदेश वासियों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधी जी के अविभाजित मध्य प्रदेश यात्राओं से जुड़े संस्मरणों, ऐतिहासिक स्थलों से भावी पीढ़ियों को रूबरू कराने व इसे सँजोये रखने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मध्य प्रदेश और गांधी जी, आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, द्वितीय संस्करण, 2019
2. डॉ. अवस्थी, शिवकुमार, मध्य प्रदेश के गांधी धाम, दयाराम नामदेव, सचिव, गांधी भवन न्यास, भोपाल (म.प्र.), प्रथम संस्करण, 2019
3. सक्सेना, सुधीर, ऐसे आए गांधी, स्वराज भवन, भोपाल, प्रथम संस्करण, 1999
4. मध्य प्रदेश सन्देश, पी. नरहरि, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल, अक्टूबर, 2019
5. द कलेक्टेड वर्क ऑफ़ महात्मा गांधी, द डायरेक्टर, द पब्लिकेशन डिवीज़न, नई दिल्ली, 1982
6. मध्य प्रदेश पंचायिका, मध्य प्रदेश माध्यम, भोपाल, अक्टूबर, 2019

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 15th Jan. 2024 **Paper Accepted : 27th Jan. 2024**

भाषा का प्रश्न और राष्ट्रीय चेतना

□ रंजीता कुमारी*

शोध-सारांश

भाषा विचारों की वाहिका शक्ति है। वैचारिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है— भाषा। भाषा मानव के लिए वह वरदान है जिसके माध्यम से वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा अपना विशिष्ट एवं श्रेष्ठतम् स्थान रखती है। सभ्यता व संस्कृति के विकास के परिणामस्वरूप भाषा राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना का मूलभूत आधार सिद्ध हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में समूची आर्य संस्कृति को गर्वित करने वाली संस्कृत भाषा की तनया के रूप में हिन्दी भाषा भारत के राष्ट्रीय व सांस्कृतिक चेतना का आधार है।

परिचय

स्वतन्त्रता से पूर्व सदियों तक भारत में विदेशी शासन का वर्चस्व रहा, जिसने राष्ट्र की देशीय भाषाओं को कभी खुलकर पनपने का अवसर नहीं दिया, किन्तु इन देशीय भाषाओं के साथ जनता की भावनाएँ इस कदर जुड़ी रहीं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की गरिमा को जरा भी क्षति नहीं पहुँचने दी। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस बात पर विशेष चिन्तन किया गया कि भारत में अनेक प्रान्तीय भाषाओं के प्रचलन के बावजूद कोई एक ऐसी केन्द्रीय भाषा अवश्य होनी चाहिए जो कि सम्पूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखे और जनतन्त्र की सुदृढ़ शक्ति का स्वरूप प्राप्त कर सके, क्योंकि जन-भाषा की सुदृढ़ता ही जनतन्त्र की सुदृढ़ता का आधार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1947 में स्वतन्त्रता के पश्चात् यह आशा और विश्वास सर्वथा स्वाभाविक था कि देश की अपनी भाषा ही राष्ट्रभाषा का स्वरूप धारण कर राष्ट्र की एकता व सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का शंखनाद करेगी। 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा के बहुसंख्यक सदस्यों ने हिन्दी के पक्ष में मतदान करके इस आशा को चरितार्थ भी किया, किन्तु पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इस दिशा में प्रश्नचिह्न बना रहा। पर भारतीय जनमानस ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा के रूप में आत्मिक रूप में स्वीकार कर ही लिया था। हिन्दी के प्रति भारतीय जनता का प्रेम इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने हिन्दी को अपनी मातृभाषा का गौरव प्रदान किया।

संसार के अन्य सम्बन्धों में माता का विकल्प कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता और जब माता का कोई विकल्प नहीं होता तो मातृभाषा का कोई विकल्प कैसे हो सकता है। हिन्दी भारत की केन्द्रीय भाषा है। इस रूप में वह प्रान्तीय व्यवहार का साधन है तथा प्रदेश की विभिन्न संस्कृतियाँ को समर्थता पूर्वक अभिव्यक्त करने वाली शक्ति है। हिन्दी की सार्वदेशिकता हमारी राष्ट्रीय भावना

* *शोधार्थी, हिन्दी-विभाग,* मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

से प्रेरित है। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिन्दी के पीछे राष्ट्रीय शक्ति काम कर रही है। भारत के विभिन्न प्रदेश पृथक्-पृथक् विशेषता से युक्त हैं। प्रादेशिक भाषाओं में अतुल व श्रेष्ठ साहित्य उपलब्ध है। इन साहित्यों को अखिल भारत के मंच पर लाने तथा जन-जन को इनसे लाभान्वित करने का कार्य हिन्दी ही कर सकती है। हिन्दी भारत की उपज है। अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ हिन्दी का अनन्य सम्बन्ध है। हिन्दी भारतीय भाषाओं की सखी है। अतः हिन्दी भारतीय आर्य भाषाओं की प्रतिनिधि भाषा के रूप में सतत् आदरणीय है।

विश्लेषण

हिन्दी केन्द्रीय भाषा के रूप में भारत की एकता का आधार है। वर्तमान में अनेक देशों में हिन्दी-भाषी निवासियों की बड़ी संख्या है। इस प्रकार हिन्दी में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाए रखने के गुण भी स्वतः प्रस्फुटित हो जाते हैं। स्वभाषा के बिना देश की जनता का विकास सम्भव नहीं। अतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्रभाषा का प्रश्न राष्ट्र की एकता से सम्बन्ध रखता है। संविधान के अन्तर्गत भारत को विशाल एकता के सूत्र में पिरोए रखने का संकल्प लिया गया है, अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय एकता की संकल्पना को फलीभूत करने हेतु राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी जैसी समर्थ भाषा की आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा के प्रति निष्ठा, आस्था व आदर की भावना ही राष्ट्र व समाज की अस्मिता की कसौटी है। किन्तु यह चिन्ता का विषय है कि वर्तमान समाज में हमारी नई पीढ़ी में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति प्रेम व श्रद्धा की भावना वैसी दिखायी नहीं देती, जैसे कि एक समृद्ध परम्परा वाले राष्ट्र के नागरिकों में अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति होनी चाहिए। जहाँ तक विदेशी भाषाओं के बहुप्रचलन का प्रश्न है तो यह स्पष्ट है कि भाषाएँ सदा ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम होती हैं। बहु भाषा ज्ञान से विश्व संस्कृति के व्यापक स्वरूप को समझकर विश्व बन्धुत्व की भावना में वृद्धि की जा सकती है। किन्तु निज संस्कृति को समझे बिना अन्य संस्कृति का ज्ञान जड़-विहीन वृक्ष की भाँति ही होगा और निज संस्कृति का गौरव प्राप्त होता है—निज भाषा के ज्ञान से। हिन्दी भाषा के अनन्य उपासक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने बहुत पहले कह दिया था कि—

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल।।

स्पष्ट है कि स्वयं को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी का ज्ञान अत्यावश्यक है। राष्ट्रभाषा हिन्दी को उसका उचित स्थान न देना मानसिक दासता का परिचायक होगा। अतः राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को पूर्ण अर्थवान बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि वर्तमान पीढ़ी और समाज राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति अपने कर्त्तव्य बोध का परिचय देते हुए हिन्दी भाषा के विकास और उत्थान हेतु कृत संकल्पित हो जायें।

भाषा शिक्षण का सम्बन्ध केवल भाषा के सीखने-सिखाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका राष्ट्र, समाज और शिक्षा से भी गहरा सम्बन्ध है। किसी भी देश में एक, दो या उससे अधिक भाषा बोली व समझी जा सकती है। ये सभी भाषाएँ राष्ट्रीय, सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर अपना भिन्न-भिन्न महत्त्व रखती हैं और प्रत्येक सन्दर्भ में इसके शिक्षण के स्वरूप को प्रभावित करती है।

किसी भी राष्ट्र के एकीकरण में उसकी भाषा का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा न केवल सम्प्रेषण का महत्त्वपूर्ण माध्यम है, बल्कि वह हमारी पहचान का भी एक अंग है। यह पहचान बड़े स्तर पर राष्ट्र की अस्मिता का हिस्सा हो जाती है।

हमारे देश में कई जाति, लिंग, समुदाय और वर्ग के लोग रहते हैं। यह आवश्यक नहीं कि इन सभी वर्ग के लोगों की भाषा एक जैसी हो। इस सम्बन्ध में डॉक्टर रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव का कहना है कि, भाषा का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक ओर वह व्यक्तित्व के विकास और अभिव्यक्ति का माध्यम है तो दूसरी ओर उसके समाजीकरण का साधन। एक ओर वह समाज में सम्प्रेषण व्यवस्था का उपकरण बनती है तो दूसरी ओर व्यक्तियों को सामाजिक वर्गों में बाँधने और उनसे विलगाव करने का हेतु। एक ओर वह राष्ट्रीय भावना का संवाहक बनती है तो दूसरी ओर एक

ही राष्ट्र के विभिन्न भाषाई समुदायों में विषम भाव उत्पन्न करने वाली चेतना। अतः भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्णय का राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

कनाडा, बेल्जियम, अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान ऐसे देशों की भाषाई स्थिति के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवम् सम्प्रेषण व्यवस्था का निर्वाह बिना भाषा और भाषा शिक्षण सम्बन्धी सुचिन्तित नीति के सम्भव नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्ति के सम्प्रेषण के लिए भाषा की आवश्यकता और देश के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए भाषा की आवश्यकता में अन्तर है। जब कोई भाषा-भाषी सम्प्रेषण के लिए भाषा सीखता है, तो उसके अपने अलग उद्देश्य होते हैं। इसी प्रकार जब किसी राजनैतिक कारण से भाषा को सीखा-सिखाया जाता है तब उसके उद्देश्य बदल जाते हैं, क्योंकि सम्प्रेषण के लिए भाषा सीखने का अर्थ है अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराना और दूसरों के विचारों को जानना जबकि राजनैतिक कारणों से भाषा सीखने का अर्थ है अपने देश की संस्कृति और विचार को सीखना और समझना। शिक्षार्थी भाषा का शिक्षण अपनी अपेक्षाओं के अनुसार करता है, क्योंकि प्रत्येक सन्दर्भ में उसकी अपेक्षाएँ बदल जाती हैं।

स्कूलों और कॉलेजों में लगने वाले पाठ्यक्रम का सम्बन्ध भी राष्ट्र की भाषा नीति से ही जुड़ा होता है। किस भाषा को राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्ज़ा दिया जाए। किस भाषा को अनुसूची में शामिल किया जाए आदि प्रश्न भी राष्ट्र के हित में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को शामिल किया है।

सन् 1965 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र का सम्बन्ध भारत में भाषा शिक्षण से सम्बन्धित नीति है, जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् बनायी गयी है, त्रिभाषा सूत्र में निबन्ध की भाषा पढ़ने का प्रस्ताव है।

(1) आधुनिक भारतीय भाषाएँ।

(2) क्लासिक भाषाएँ (भारतीय अथवा विदेशी)।

(3) आधुनिक विदेशी भाषाएँ।

इन्हीं तीनों श्रेणियों में किन्हीं तीन भाषाओं को पढ़ने का प्रस्ताव है। भारतीय वाङ्मय में 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होता रहा है। यजुर्वेद के 'राष्ट्र में देहि' और अथर्ववेद के 'त्वा राष्ट्र भृत्याय' में राष्ट्र शब्द समाज के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मानव की सहज सामुदायिक भावना ने समूह को जन्म दिया, जो कालान्तर में राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। राष्ट्र एक समुच्चय है, कुलक है और राष्ट्रीयता एक विशिष्ट-भावना है। जिस जन-समुदाय में एकता की एक सहज लहर हो, उसे राष्ट्र कहते हैं। आर्यों की भूमि आर्यावर्त में एक वाह्य एकता के ही नहीं वैचारिक एकता के भी प्रमाण मिलते हैं। आर्यों की परस्पर सहयोग तथा संस्कारित सहानुभूति की भावना राष्ट्रीय संचेतना का प्रतिफल है। साहित्य का मनुष्य से शाश्वत सम्बन्ध है। साहित्य सामुदायिक विकास में सहायक होता है और सामुदायिक भावना राष्ट्रीय चेतना का अंग है। आधुनिक युग में भारत माता की कल्पना अथर्ववेद के सूक्तकार की देन है। वह स्वयं को धरती पुत्र मानता हुआ कहता है—''**माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः।**'' अथर्ववेद के पृथ्वी-सूक्त का प्रत्येक मन्त्र राष्ट्र-भक्ति का पाठ पढ़ाता है। वेदों में राष्ट्रीयता की भावना मातृभूमि-स्तवन और महापुरुषों (देवताओं) के कीर्तिमान के द्वारा प्रकट होती है। उपनिषदकाल के क्रान्तिकारी अमर संदेशों को भुलाया नहीं जा सकता है। यथा—''**उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत**'। उठो! जागो! श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर (राष्ट्रप्रेम के तत्त्व को) भली-भाँति जानो।

भारतीय मनीषियों का चिन्तन सूक्ष्म और विचार उद्दत्त थे। उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' मन्त्र से अन्तर्राष्ट्रीयता का सूत्रपात किया था। विश्व-बन्धुत्व की भावना से भारी कार्य जाति विचारों में महान थी। साथ ही, शौर्य-पराक्रम और तेज से समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर रखने की क्षमता रखती थी।

समाज का राष्ट्र से सीधा सम्बन्ध है। किसी भी संस्कारित समाज की विशिष्ट जीवन-शैली होती है। जो कि राष्ट्र के रूप में दूसरे समाज को प्रभावित करती है। रूढ़ियों एवं विकृत परम्पराओं से जर्जर समाज राष्ट्र को पतन की ओर ले जाता है। कवि मोह-निद्रा में डूबे राष्ट्र को जागृति के गान गाकर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता जैसी उदात्त प्रवृत्तियों का पोषण और उन्नयन साहित्य द्वारा होता है, किन्तु हिन्दी साहित्य के उद्‌भव काल में केन्द्रीय सता के अभाव ने राष्ट्रीयता की जड़ें हिला दीं। 'राष्ट्र' छोटे-छोटे राज्यों की सीमाओं में बँध कर रह गया। राष्ट्र का यह संकुचित स्वरूप देश की दुर्भाग्य-निशा की संध्या-बेला थी। इस युग के सम्पूर्ण काव्य में राष्ट्रीय-भावना के स्वस्थ-स्वरूप का नितान्त अभाव है।

आक्रान्ताओं के अत्याचारों से जर्जर भारतीय संस्कृति का सूर्य अस्तप्राय हो चला था। किन्तु भक्त-कवियों के अन्तःकरण में बहती राष्ट्रीय-चेतना धारा ने सुप्त, निराश्रित समाज को नयी दिशा दी।

महात्मा कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना का उच्च आदर्श प्रस्तुत कर राष्ट्रीय-गरिमा में नव-जीवन का संचार किया। राम और रहीम को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। कबीर अपने युग के महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र-भक्त तुलसी ने राम के समन्वयवादी, लोकरक्षक और लोकरंजक स्वरूप को स्थापित कर सांस्कृतिक एकता को शक्ति प्रदान की। सूर ने कर्मयोगी कृष्ण की विविध लीलाओं के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना का संचार किया और समाज को सत्कर्म के लिए प्रेरित किया।

रीतिकाल के कवियों की चमत्कारिक वृत्ति के कारण काव्य की आत्मा लुप्त हो गयी। किन्तु भूषण के राष्ट्रवादी स्वरों ने लोक चेतना को झकझोर दिया। आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी लेखनी से भारत-दुर्दशा का चित्र खींचकर समाज को जागृति प्रदान किया। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय आन्दोलनों की स्थूल अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। किन्तु छायावादी कवियों की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक-संचेतना को नकारा नहीं जा सकता है। उसका राष्ट्र-प्रेम भावात्मक एवं व्यापक था। उन्होंने स्वातन्त्र्य-भावना को विशिष्ट कौशल द्वारा व्यंजित किया है। भारत का पतन मानवीय मूल्यों के ह्रास का परिणाम था। गुप्तजी ने अपने काव्य द्वारा मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल दिया। उनकी भारत-भारती ने राष्ट्रीयता की सुप्त भावना में लहरें उठा दीं। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', रामनरेश त्रिपाठी और सोहनलाल द्विवेदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, 'जन-जागरण' तथा अभियान गीतों से राष्ट्र की आत्मा को नयी चेतना प्रदान की।

'दिनकर' की वैचारिक भाव-भूमि मानवतावादी है। तथापि समसामयिक परिस्थितियों में उठे विक्षोभ ने उन्हें राष्ट्रीयतावादी कवि के रूप में स्थापित कर दिया। 'दिनकर' के काव्य ने भारतीय जन-मानस को नवीन चेतना से सराबोर किया है। राष्ट्रीय-कविता का स्वरूप राष्ट्र के रूप पर ही आधारित होता है। राष्ट्रीय काव्य में समग्र राष्ट्र की चेतना प्रस्फुटित होती है। प्रत्येक भाषा के आधुनिक काव्य में राष्ट्रीय भावना का समावेश है। राष्ट्रीय-भावना राष्ट्र की प्रगति का मन्त्र है। सम्पूर्ण मानवता की प्रगति का स्वरूप है। राष्ट्रीय-भावना का सृजनात्मक पक्ष मानवतावादी है। जन-गण के मंगल का स्रोत है। किसी भी राष्ट्र-रूपी वृक्ष की छाया में अनेक पंथ-धर्म और भाषाएँ पल्लवित और पुष्पित हो सकते हैं। एक राष्ट्र में अनेक धर्म हो सकते हैं। भाषाएँ और बोलियाँ अनेक हो सकती हैं, किन्तु मूल भावना और सांस्कृतिक विरासत एक ही होगी। राष्ट्रीय भावना से भरे होने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम दूसरे राष्ट्रों के समाज को हेय दृष्टि से देखें या दुर्भावना रखें। किसी भी राष्ट्र के समाज की भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियाँ उनकी जीवन-शैली का निर्माण करती हैं। बलात् अपनी सभ्यता-संस्कृति थोपना हिंसा है और हिंसा वृत्ति कभी मानव का कल्याण नहीं कर सकती है।

भारतीय राष्ट्रीयता कोरी राजनीति कभी नहीं रही। उसने अध्यात्म, दर्शन और साहित्य के माध्यम से भी अपना नव-जागरण अभियान चलाया है। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में जो विष-बेलें बोयी थीं, वह आज भी पनप कर लह-लहा रही हैं। स्वतन्त्रता के इतने लम्बे अन्तराल में भी हम, उन बेलों को समूल नष्ट नहीं कर सके, क्योंकि हमने अपना बहुमूल्य समय राष्ट्रीय चिन्तन

के बजाय राजनैतिक चिन्तन में बिताया है और राष्ट्रीय चेतना को अँधेरे में घेरकर व्यक्तिगत हित-साधन को सर्वोपरि समझा है। स्वाधीनता तो मिली, किन्तु राष्ट्रीय चेतना सो गयी। स्वाधीनता आकाश से नहीं उतरी वरन् राष्ट्रीय-चेतना में सराबोर शहीदों की शहादत का परिणाम है।

आज जब भारतीय वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देने में समर्थ हैं। हमारी सामर्थ्य के अनेकों आयाम विकसित हो रहे हैं। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भारत-भूमि में स्वर्ग उतर सकता है, किन्तु राजनीति के कुशल-दिग्भ्रान्त पहरुए राष्ट्र की जनता को वर्गों-धर्मों में बाँटकर क्षेत्रवाद की धुंध फैला रहे हैं। इसीलिए आवश्यक हो गया है कि लोक-चेतना में नया-संचार हो। प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिक अस्मिता की रक्षा के लिए आगे बढ़कर आत्म-समीक्षा करे। आज राष्ट्र बाह्य और आन्तरिक शत्रुओं के चक्रव्यूह में फँसकर अपना संगठित स्वरूप खोने लगा है। विघटनकारी तत्त्व अपना सिर उठा रहे हैं। साम्प्रदायिकता का विषैला प्रभाव राष्ट्रीय शिराओं में बहती जीवन-धारा को विषाक्त कर रहा है। ऐसी विनाशक और विस्फोटक स्थिति में देश को दिशा देना साहित्य का गुरुतर दायित्व है। राष्ट्रीय काव्य-धारा ऐसी काव्य-प्रवृत्ति है, जिसमें राष्ट्र-जन को तेजस्वी और पराक्रमी बनाने की सामर्थ्य निहित है।

वस्तुतः राष्ट्रीय संचेतना को झकझोरने वाला काव्य जन-मानस को आन्दोलित कर नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का साहस भरता है। उन मूल्यों को महत्त्व देने के लिए प्रेरित करता है, जिनमें हिंसा, घृणा को नकारकर एक उन्मुक्त वातावरण उत्पन्न किया जा सके और जिसमें सभी धर्म निश्चिन्त होकर साँस ले सकें। यदि प्रत्येक राष्ट्र-धर्मी काव्य अपने समाज के अन्दर व्यापक उदात्त-भाव और रचनात्मक संस्कार उत्पन्न कर सके, तो निश्चय ही ऐसा काव्य मानव के कल्याण के लिए होगा। अर्थात् राष्ट्रीय-काव्य मूलतः मानवतावादी काव्य ही है।

निष्कर्ष

कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च अर्थात् विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इस आयोग के मूल में तीसरी पंचवर्षीय योजना रही, जिसने शिक्षा-पद्धति के पुनर्विचार की बात पर बल दिया। हमारे देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। जब इन भाषाओं को शिक्षण के सन्दर्भ में देखा जाता है, तब इनके रूप में अन्तर देखा जाता है, क्योंकि भाषा का प्रयोग सम्प्रेषण के लिए करना और भाषा का प्रयोग शिक्षण के लिए करना, दोनों में पर्याप्त भेद है, इसके अलावा जब राष्ट्रीय सन्दर्भ में हम भाषा को देखते हैं तब उसका सन्दर्भ और अधिक विस्तृत हो जाता है। भाषा शिक्षण राष्ट्रीय सन्दर्भ में बहुत ही व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मिश्र, डॉ. नरेश (2014), भाषा-विज्ञान (भाग-1), ननमलि पब्लिकेशन्स, पृ. 27
2. श्रीवास्तव, गरिमा (2006), भाषा और भाषा-विज्ञान, संजय प्रकाशन, ददकल, प्रथम संस्करण, पृ. 6
3. मिश्र, डॉ. नरेश (2014), भाषा-विज्ञान (भाग-1), ननमलि पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, पृ. 16
4. मिश्र, डॉ. नरेश (2014), भाषा-विज्ञान (भाग-1), ननमलि पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, पृ. 16
5. श्रीवास्तव, गरिमा (2006), भाषा और भाषा-विज्ञान, संजय प्रकाशन, ददकल, प्रथम संस्करण, पृ. 5
6. श्रीवास्तव, गरिमा (2006), भाषा और भाषा-विज्ञान, संजय प्रकाशन, ददकल, प्रथम संस्करण, पृ. 6
7. श्रीवास्तव, गरिमा (2006), भाषा और भाषा-विज्ञान, संजय प्रकाशन, ददकल, प्रथम संस्करण, पृ. 6
8. मिश्र, डॉ. नरेश (2014), भाषा-विज्ञान (भाग-1), ननमलि पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, पृ. 16
9. मिश्र, डॉ. नरेश (2014), भाषा-विज्ञान (भाग-1), ननमलि पब्लिकेशन्स, प्रथम संस्करण, पृ. 16
10. श्रीवास्तव, गरिमा (2006), भाषा और भाषा-विज्ञान, संजय प्रकाशन, ददकल, प्रथम संस्करण, पृ. 6

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 5rt Jan. 2024 **Paper Accepted : 15th Jan. 2024**

फैशन के प्रति दृष्टिकोण तथा समाज पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. मोहम्मद अय्यूब*

शोध-सारांश

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान समय की परिस्थितियों में विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों हेतु फैशन की भूमिका तथा उसकी अवधारणा को विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के सन्दर्भ में अध्ययन करना है। विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से किसी–न–किसी सीमा तक फैशन से अवश्य ही प्रभावित होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत सम्पूर्ण निदर्शन को तीन वर्गों में विभक्त करके उनके दृष्टिकोणों को जाना गया है। उनमें पाये गये विरोधाभासों, सामन्जस्य तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों आदि की जानकारी प्राप्त की गयी है। इसमें वृद्ध पुरुष व महिलाओं, विवाहित पुरुष व महिलाओं तथा किशोर–किशोरियों को विभिन्न आयु के अन्तरालों के रूप में अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

भूमिका

मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों तथा नियन्त्रण की व्यवस्था को संचालित करने व गतिशील बनाने में फैशन का स्थान मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। फैशन एक ऐसा व्यवहार है, जिसमें किसी समय विशेष की विशेषताओं का समावेश होता है। अर्थात् फैशन देश–काल एवं परिस्थियों के अनुरूप समय–समय पर परिवर्तित होता है।

यही वजह है कि फैशन के विभिन्न स्वरूप भी भारतीय समाज में देखने को मिलते हैं। फैशन के अलग–अलग स्वरूपों के अन्तर्गत मुख्य रूप से वेश–भूषा, आभूषण, व्यक्तिगत श्रृंगार के साधन व केश–विन्यास आदि शामिल किये जा सकते हैं। किन्तु फैशन के व्यावहारिक स्वरूपों जैसे घर की सजावट, खान–पान, अतिथियों का आदर–सत्कार करने, बोल–चाल इत्यादि के भाव व्यावहारिक रूप में, जीवन में हर पल तथा पग–पग पर परिलक्षित होता है। यह सभी भौतिक अवधारणायें शीघ्र अनुकरणीय तथा परिवर्तनशील होती हैं। मानव व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध सुख–सुविधाओं तथा मानव की मनोवृत्तियों तथा विचारों में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा इसमें भी समय–समय पर परिवर्तन

* *एसोसिएट प्रोफेसर,* समाजशास्त्र विभाग, एम. एच. (पीजी) कॉलेज, मुरादाबाद

होते रहते हैं। परम्परागत सरल समाजों में सामाजिक नियन्त्रण के अनौपचारिक साधन के रूप में फैशन अत्यन्त सरल एवं सीमित था। वहीं आज के जटिल समाजों में फैशन ने अपना स्वरूप विकराल कर लिया है। आधुनिक समय में दिन–प्रतिदिन फैशन बढ़ता ही जा रहा है।

यह कहना अनुचित होगा कि फैशन वर्तमान युग की देन है। फैशन की प्रवृत्ति तो न जाने कब से विद्यमान है। यदि प्राचीन मूर्तियों को देखें तो इस बात का प्रमाण मिल जाएगा कि उस युग में फैशन था। मूर्तियों के बाल, आभूषण तथा वस्त्र लगभग अभी के तत्कालीन फैशन के जैसा ही है। आदिकाल से ही स्त्री और आकर्षक बनने के लिए तरह–तरह के पहनावे–श्रृंगार किया करती थी।[1] फैशन संचार का एक गैर–मौखिक रूप है। वो आपके व्यक्तित्व के बारे के बहुत कुछ बताता है।[2] फैशन उद्योग के तेजी से बढ़ने के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। यह खुलासा एक हालिया अध्ययन में किया गया है। अध्ययन के मुताबिक तेजी से बढ़ता फैशन उद्योग–व्यापार हमारे ग्रह के अस्तित्व को धीरे–धीरे खत्म कर रहा है। शोधकर्त्ताओं ने कहा है कि आए दिन बदलते फैशन के चलते कपड़ों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से यह दुनियाँ में सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग में से एक बन गया है। शोधकर्त्ताओं ने तेजी से बढ़ते फैशन का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। इसमें फिनलैंड, स्वीडन, अमेरिका, यूके और यूएन एस डब्ल्यू आदि के शिक्षाविदों ने फैशन सप्लाई चेन के पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान की है। इसमें उत्पादन से लेकर उपयोग तक पानी की खपत रसायनिक प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन और कपड़े के कचरे पर ध्यान केन्द्रित किया गया। शोधकर्त्ताओं ने कहा, उत्पादन के हर चरण में पानी, सामग्री, रसायनों और ऊर्जा का प्रयोग होने से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि यह उद्योग प्रति वर्ष 92 मिलियन टन से अधिक कचरा उत्पन्न करता है और प्रतिवर्ष लगभग 15 ट्रिलियन टन पानी की खपत करता है। विकासशील देशों के साथ अक्सर यह विकसित देशों के लिए भी बोझ बनता जा रहा है।[3] फैशन प्रायः विकास से सम्बन्धित हुआ करता है, जिनके पास समय, धन एवं भौतिक साधनों की प्रचुरता होती है वे ही इसका अनुकरण करते हैं। इसे अपनाने के लिए आर्थिक सम्पन्नता की आवश्यकता होती है। अतः सम्पन्न एवं विलासी वर्ग के लोग फैशन का सर्वाधिक अनुकरण करते हैं। निम्न वर्ग का व्यक्ति अनुकरण द्वारा उच्च वर्ग के व्यवहारों को सीखकर उच्च वर्ग के समरूप बनने का प्रयत्न करता है। किसी भी समाज में रहन–सहन का स्तर जितना ऊँचा होगा फैशन भी उतनी ही गति से परिवर्तित होगा।[4] फैशन के सम्बध में मस्तिष्क में अनायास कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। समाज में फैशन के अध्ययन की क्या उपयोगिता व आवश्यकता है। हमारे फैशन को अपनाने का क्या उद्‌देश्य है? फैशन का अध्ययन क्यों किया जाये, इत्यादि। प्रत्युत्तर दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि आज समाज में चारों ओर जीवन के पग–पग पर इसी का बोलबाला है। निश्चय ही यह एक ऐसा मानवीय व्यवहार है, जिसका अनुकरण मनुष्य अपनी स्वेच्छा से अपनी प्रकृति के अनुरूप ही करता है। मानव व्यवहार के विषय में निश्चित व नियमित ज्ञान प्राप्त करके सामाजिक जीवन की वर्तमान परिस्थितियों व गतिविधियों के आधार पर भावी स्थितियों की दशा जानने के लिए जो व्यवस्थित प्रयत्न किया जाता है, उसी को हम सामाजिक अनुसंधान के रूप में जानते हैं। प्रत्येक सामाजिक समस्या की प्रकृति के अनुसार ही अध्ययन पद्धति का चयन किया जाता है। अध्ययनों का सम्बन्ध समाज से होना स्वाभाविक है।

सामाजिक जीवन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं तथा उनसे सम्बन्धित बातों पर फैशन का प्रत्यक्ष

प्रभाव पड़ता है। अतः वातावरण प्रभावित होना स्वाभाविक ही है। समय के साथ–साथ समाज की विभिन्न धारणाओं में भी फैशन परिवर्तित होता है। सामाजिक अध्ययन प्रायः प्राचीन तथा नवीन तथ्यों की खोज करके सामाजिक परिवर्तन की दिशा का ज्ञान करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन आधुनिक सामाजिक परिवेश में फैशन के प्रति विभिन्न व्यक्तियों के दृष्टिकोण व मनोवृत्तियों का अध्ययन करने तथा समाज पर इसके पढ़ने वाले प्रभाव को जानने की इच्छा से एक लघु प्रयास है।

अध्ययन क्षेत्र

फैशन के प्रति बदलते दृष्टिकोण की तस्वीर को सामने रखते हुए जिला मुरादाबाद में भी एक सर्वेक्षण किया गया। जिसका शीर्षक ''फैशन के प्रति दृष्टिकोण तथा समाज पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' था। इस सर्वेक्षण में मुरादाबाद नगर के 100 पुरुष–महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इस अध्ययन में शोधकर्त्ता ने वृद्ध, प्रौढ़ युवक, विवाहित तथा अविवाहित सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों तथा पुरुषों व महिलाओं का चुनाव अध्ययन हेतु सूचनादाता के रूप में चुना है। इसके लिए स्तरित दैव निदर्शन प्रणाली विधि का प्रयोग किया गया है, जिससे कि विभिन्न आयु स्तरों के स्त्री–पुरुषों के दृष्टिकोण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इस अध्ययन में सभी धर्म, वर्ग व सम्प्रदाय के विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है।

उपकल्पना

इस सन्दर्भ में प्रस्तावित अध्ययन विषय परिवेश में फैशन के प्रति दृष्टिकोण तथा समाज पर प्रभाव को जानने के लिए शोधकर्त्ता ने निम्न उपकल्पनाओं का निर्माण किया है–

(1) क्या विभिन्न आयु अन्तरालों में वृद्ध, प्रौढ़ तथा किशोर व्यक्तियों की अभिरुचियों तथा अनुकरणात्मक प्रवृत्तियों में भी कोई भिन्नता है?

(2) फैशन के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण व उसके विभिन्न पक्षों के विषय में वृद्ध महिलाओं व पुरुषों, प्रौढ़ विवाहितों तथा किशोर एवं किशोरियों के विचारों व मनोवृत्तियों में क्या भिन्नता है?

(3) फैशन के सन्दर्भ में किशोर–किशोरियों तथा प्रौढ़ व वृद्धों के दृष्टिकोण में कितना अन्तर तथा असमानता है।

(4) वृद्ध पुरुष व महिलाओं की अपेक्षा फैशन अपनाने में प्रौढ़ विवाहित युवतियों का दृष्टिकोण अधिक उदार है।

(5) फैशन से समाज कितना एवं किन–किन परिप्रेक्ष्य में प्रयत्क्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है।

तथ्यों का विश्लेषण, निष्कर्ष एवं सुझाव

फैशन के प्रति जहाँ तक सामान्य दृष्टिकोण की बात है तीनों श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने इसके महत्त्व को स्वीकार किया है। जहाँ तक वृद्ध उत्तरदाताओं का प्रश्न है, उन्होंने फैशन के प्रति नियन्त्रण लगाने को स्वीकार किया है। इस सन्दर्भ में किस सीमा तक नियन्त्रण लगाते हैं, सामान्य रूप से यह दृष्टिकोण पाया गया कि निदर्शितों तथा उत्तरदाताओं, किशोर–किशोरियों पर उनके परिवारजनों द्वारा उन पर नियन्त्रण लगाया जाता है। 95 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा फैशन के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। 16 प्रतिशत में बहुत कम, 20 प्रतिशत में साधारण, 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं में आजकल फैशन अत्याधिक प्रचलन में है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकाँश लोग फैशन अपनाने की ओर अग्रसर हैं।

वृद्ध पुरुष एवं महिलाओं के दृष्टिकोण

फैशन के पक्ष तथा विपक्ष में उत्तरदाताओं का मत जानने पर पर ज्ञात हुआ कि 80 प्रतिशत मतदाता फैशन के पक्ष में तथा 20 प्रतिशत मतदाता फैशन के विपक्ष में पाये गये। फैशन प्रसार हेतु प्रभाव सिनेमा तथा टेलीविजन का पड़ा है। किन्तु उन्हीं उत्तरदाताओं में से 17 प्रतिशत उत्तरदाताओं

ने विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं, 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विभिन्न विज्ञापनों तथा पोस्टरों, 4 प्रतिशत मतदाताओं ने विद्यालय व कॉलेजों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उत्तरदायी बताया तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा फैशन का प्रसार होता है ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 02 पायी गई। फैशन के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों में विचलन के विभिन्न स्वरूपों के प्रतिशतों में से 15.5 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि, 30 प्रतिशत नैतिक पतन, 20 प्रतिशत सामाजिक मूल्यों का ह्रास, 7.5 प्रतिशत पारिवारिक विघटन, 10 प्रतिशत यौन आकर्षण एवं विकृति तथा 16.6 प्रतिशत मतदाताओं ने परम्पराओं की असमानता के बारे में अपनी राय प्रस्तुत की है।

विवाहित पुरुष एवं महिलाओं के फैशन के प्रति दृष्टिकोण

फैशन की आवश्यकता के सम्बन्ध में विवाहित पुरुष एवं महिला उत्तरदाता के अनुसार जो निष्कर्ष सामने आये उनमें 36 प्रतिशत ने व्यक्तित्व को आकर्षण बनाने, 22 प्रतिशत ने समाज में उच्च सामाजिक स्थिति प्रदर्शित करने, 11 प्रतिशत ने व्यक्तित्व को आदर्श बनाने के लिए तथा दूसरे से भिन्नता प्रकट करने से सम्बन्धी अपनी राय प्रस्तुत की। प्रेरणा स्रोतों में प्रथम वरीयता तथा सर्वोच्च स्थान चलचित्रों व टेलीविजन का रहा, जबकि इस वरीयता में द्वितीय स्थान विज्ञापनों का रहा एवं तृतीय वरीयता समाज में होने वाले विभिन्न सामाजिक समारोहों को दी गई है। फैशन के अपनाने पर बच्चों के प्रति परिवारजनों के दृष्टिकोण जानने पर पाया गया कि 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का अत्यन्त उदार दृष्टिकोण पाया गया तथा 08 प्रतिशत ने समान्य व लचीला दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया।

किशोर–किशोरियों के दृष्टिकोण

विभिन्न आयु अन्तराल इसलिए चुने गए जिससे विभिन्न आयु के व्यक्तियों के दृष्टिकोणों के अनुसार सामान्य रूप से फैशन के प्रति विचार जाने जा सकें। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि नवीन पीढ़ी के अनुत्तर दायित्वपूर्ण व्यवहार तथा दृष्टिकोण, जीवन–मूल्यों के सन्दर्भ में हुआ करते हैं। किन्तु फैशन के सन्दर्भ में यह बात उचित प्रतीत नहीं होती। अधिकतर व्यक्ति ऐसे फैशन को अपनाते हैं जो उनकी रुचि के अनुसार हैं तथा सीमाबद्ध भी हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य उल्लेखनीय निष्कर्ष इस पीढ़ी के सन्दर्भ में यह है कि सामाजिक वातावरण तथा माता–पिता की भावनाओं व विचारों को ध्यान में रखकर सामजंस्य स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। निष्कर्षों के अनुसार 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सीमाबद्ध दृष्टिकोण तथा 30 प्रतिशन ने सीमान्तर्गत उदारतापूर्ण राय तथा 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने फैशन न अपनाने के सन्दर्भ में अपनी राय प्रस्तुत की। यह 15 प्रतिशत उत्तरदाता वह हैं जो पहले ग्रामीण परिवेश में रहते थे और अब वह नगरीय परिवेश में अपना जीवन–यापन कर रहे हैं। इनमें फैशन के प्रति दृष्टिकोण समान्य रूप में बदल रहा है।

समाज में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कोई उपयोगिता न हो। फैशन का शीघ्र अपनाया जाना यह दर्शाता है कि निश्चय ही फैशन कुछ–न–कुछ उपयोगिता अवश्य रखता है। फैशन प्रायः पुराने एवं नवीन का समन्वित रूप होता है। फैशन के अनुसार अनुकरण करने से सामाजिक नियम, मूल्य, प्रथाओं में होने वाले परिवर्तनों के साथ व्यक्ति समयानुसार अपने में परिवर्तन लाता है, जिससे समाज में सन्तुलन स्थापित रहता है। एक समूह के लोग जब एक ही प्रकार के फैशन अपनाते हैं तो उस समूह में एकरूपता का विकास होता है। इस विकसित एकरूपता से समूह में हम की भावना एकता, संगठन और सुरक्षा की भावना का जन्म होता है। समाज में एकरूपता के आधार पर सामाजिक निमन्त्रण की भूमिका में सहयोग मिलता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अमित यादव (2022), फैशन का अर्थ, फैशन का प्रभाव, फैशन का दुष्प्रभाव, लाइफ स्टाइल, किलास मेट डोट नेट।
2. टारगेट स्टडी डोट कोम, छात्रों पर फैशन का प्रभाव, 3 अक्टूबर, 2018
3. हिन्दी न्यूज लाइफ स्टाईल, ''फैशन उद्योग से पर्यावरण को खतरा'', हिन्दुस्तान ई पेपर, 15 अप्रैल 2020, पृ.सं. 01
4. लता जैन, (2002–03), ''फैशन के प्रति दृष्टिकोण तथा समाज पर प्रभाव सामाजिक सर्वेक्षण'', लघु शोध–प्रबन्ध, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, पृ.सं. 04।

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 15th Jan. 2024 **Paper Accepted : 27th Jan. 2024**

एक नमक हराम सरदार का बाड़ा

डॉ. प्रेम सिंह मोरे*

शोध-सारांश

ईसा की 18वीं शताब्दी में महाबली पेशवा बाजीराव बल्लाल प्रथम (1720–1740) ने अपने विस्तृत मराठा साम्राज्य की स्थापना की। पेशवा बाजीराव के काल में मराठा राज्य विषयक कई एक फारसी ऐतिहासिक ग्रंथों की समय–समय पर रचना होती रही थी, किंतु इनमें से मराठा राज्यों के संबंध में इने–गिने चंद कुछ ही फारसी ग्रंथ उपलब्ध हैं।

इन फारसी ग्रंथों में होल्कर राज्य के सुविख्यात पराक्रमी योद्धा एवं शासक यशवंतराव होल्कर प्रथम (1799–1811) की जीवनी पर इतिहासकार मोहन सिंह ने फारसी में 'वकाइ होलकर' नामक ग्रंथ की रचना 1223 हिजरी, सन् 1808 ई. में की थी।[1]

महाप्रतापी यशवंतराव होल्कर उन दिनों होल्कर राज्य में उत्पन्न गृहयुद्ध के संताप और सिंधिया–पेशवा बाजीराव द्वितीय (1796–1818) के मैत्री गठबन्धन से उत्पन्न विपरित परिस्थितियों के कारण दर–दर की ठोकरें खाता हुआ शरण प्राप्ति की तलाश में नागपुर के शासक रघुजी भोसले द्वितीय (1757–1816 ई.) के यहाँ जा पहुँचा था, किंतु वहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा न छोड़ा। सिंधिया और पेशवा बाजीराव (द्वितीय) के धमकी भरे पत्रों के लिखे जाने से भोसले शासक ने 30 जनवरी, 1800 ई. को यशवंतराव होल्कर को कैद में डाल दिया।[2]

तदुपरांत यशवंतराव होलकर आगामी छः माह तक भोसले की कैद में ही बना रहा और अपने दुर्भाग्य से संघर्ष करता रहा। अन्ततः भोसले के एक अधिकारी बापू विठ्ठल प्रभु के सहयोग से वह भोसले की कैद से भागने में सफल हो गया।[3]

तत्पश्चात् यशवंतराव होल्कर ताप्ती और नर्मदा के मध्यवर्ती जंगली इलकों में शक्ति संचय के लिए भटकता रहा। तभी दैवयोग से मार्ग में उसकी मुलाकात भवानीशंकर से हुई, जो स्वयं नौकरी की तलाश में नागपुर गया हुआ था। इस मुलाकात के दौरान दोनों ने ही आपबीती को सांझा किया। भवानीशंकर ने भी होल्कर के प्रति सदासयता व

* *सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग,* श्री नीलकण्ठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खण्डवा (म.प्र.)

सहयोग प्रकट किया साथ ही, होल्कर की विपत्ति में उसका साथ देने का वचन दिया। फलस्वरूप होल्कर को भी संकट के समय में ऐसे ही वफादार साथी की आवश्यकता थी, तब होल्कर ने भवानीशंकर की सेवा को स्वीकार कर उसे अपना बख्शी नियुक्त किया।[4]

बख्शी भवानीशंकर का एक ऐसा निष्ठावान सेवक था जिसने यशवंतराव के विपत्ति के समय में उसका पूरा–पूरा साथ दिया था।[5]

शक्ति संचय के पश्चात् यशवंतराव होल्कर ने कसरावद के युद्ध में अपने ज्येष्ठ भ्राता काशीराव होल्कर को परास्त कर सन् 1799 ई. में महेश्वर के किले में अपने पैतृक सिंहासन पर अधिकार कर उस पर सत्तारूढ़ हो गया।[6] उक्त अवसर पर राजवंश की ज्येष्ठ राजमाता हरकूबाई ने होल्कर का अभिनंदन किया। होल्कर राजवंश की युगान्तर की प्रक्रिया वस्तुतः उसी दिन पूर्ण हुई थी जिस दिन राजतिलक के पश्चात् यशवंतराव होल्कर ने अपने पूर्वज और राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होल्कर (प्रथम) को पेशवा द्वारा प्राप्त सूबेदार की पदवी को त्यागकर उसने 'महाराज' का विरुद्ध धारण किया और तत्पश्चात् मालवा में होल्करों की स्वतंत्र सत्ता का श्रीगणेश हुआ।[7]

राज्याभिषेक के अवसर पर यशवंतराव होल्कर ने अपने सेवानिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ–साथ विश्वस्त भवानीशंकर को मोतियों के कण्ठहार, पालकी, हाथी, घोड़े के साथ ही उसे बख्शी की उपाधि से भी नवाजा था। बख्शी का तात्पर्य 'पे मास्टर' से होता है।[8]

बख्शी भवानीशंकर का आदि इतिहास क्या था? इस विषयक स्वर्गीय डॉ. रघुबीर सिंह जी का यह अभिमत है कि–''लाला भवानीशंकर जाति से खत्री था और उसके पिता का नाम बृजलाल था, जो भोपाल राज्य की सेवा में था।''[9]

लाला भवानीशंकर फारसी, मोड़ी तथा मराठी का ज्ञाता था। उस समय भारतीय रियासतों के नागरिक प्रबन्ध में शिक्षित और योग्य ब्राह्मणों के साथ कायस्थों का भी बाहुल्य होता था। ये कायस्थ भटनागर, लाला और प्रभु देशी राज्यों के दफ्तरों में कार्यरत होते थे।

लाला भवानीशंकर यशवंतराव होल्कर के सेवाकाल में लगभग साढे छः वर्षों तक बना रहा और होलकर के समस्त घटनाक्रम की जानकारी उसने मोहन सिंह को प्रदान की। मोहन सिंह ने उन घटनाओं को सुव्यवस्थित और संकलित कर एक ग्रंथ की रचना की जिसे 'वकाई होल्कर' अथवा 'वाकयाते होल्कर' के नाम से जाना जाता है। मराठा इतिहासकार और इतिहास संशोधक अनन्त नारायण भागवत ने 'वकाई होल्कर' का 'भवानीशंकर बक्षी यांची रोजनिशी' शीर्षक से मराठी में अनुवाद किया, जो 1926 ई. के प्रारम्भ में ही प्रकाशित हो पाया था। अब तो इसका मराठी अनुवाद भी सर्वत्र अप्राप्य है।

तत्कालीन आंग्ल अधिकारियों ने अपने पत्र व्यवहार में बख्शी भवानीशंकर को यशवन्तराव होल्कर का विश्वस्त सेवक निरूपित किया है।

भवानीशंकर मराठों के विरुद्ध मुखबिरी करता था

सन् 1803 ई. में जब दिल्ली पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था तब अंग्रेज मराठों के विनाश के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बने हुये थे। तभी भवानीशंकर अंग्रेजों के लिए मराठों के विरुद्ध मुखबिरी करने लगा था साथ ही, कालान्तर में जब अंग्रेजी सत्ता ने यशवन्तराव होल्कर को पराजित कर दिया और होल्कर ने 24 दिसम्बर, 1805 ई. को राजपुर घाट की संधि को स्वीकार कर लिया था।[10] कदाचित् तभी से मुखबिरी का यह संदेहास्पद सिलसिला प्रारम्भ हो चुका होगा।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भवानीशंकर तो अपने स्वामी यशवंतराव के प्रति पूर्ण निष्ठावान

और वफादार था किंतु उसने ऐसा घृणित कार्य क्यों किया? और तभी मई, 1806 ई. में उसने होल्कर का पक्ष त्याग दिया और वह अंग्रेजी सत्ता का बगलवीर बन चुका था।

प्राप्त संदर्भों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि लाला भवानीशंकर और यशवंतराव के फौजी प्रशिक्षण अधिकारी कुँवर हरनाथ के कारण लाला का मान–मर्दन हो रहा था और हरनाथ लाला को बरबाद करने के लिये तुला हुआ था। साथ ही, लाला को हरनाथ से अपनी जान का भी खतरा बना हुआ था।[11] ऐसी विषम परिस्थितियों में लाला भवानीशंकर होल्कर का पक्ष त्याग कर आंग्ल सत्ता की गोद में जा बैठा था।

लार्ड लेक अपनी पुरानी आदतों के अनुसार यशवंतराव होल्कर के विरुद्ध गुप्त सन्धियों की साजिशों में संलग्न था और उसने उसी मध्य होल्कर के विश्वस्त सहायक पिण्डारी नेता अमीर खाँ को भी अपने पक्ष में करने के लिए भरपूर प्रयासरत था।[12]

गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है तभी लाला भवानीशंकर ने भी होल्कर के प्रति अपनी वफादारी का चोला उतार फेंका और 1806 ई. में वह लार्ड लेक के माध्यम से अंग्रेजों की शरण में जा पहुँचा। आंग्ल सत्ता को तो उस समय ऐसे ही नमक हरामों की आवश्यकता थी।

6 मई, 1806 ई. को लार्ड लेक ने शरणार्थी भवानीशंकर को खिल्लत, जवाहिरातों, हाथी, घोड़े आदि से नवाजा और उसे बख्शी की उपाधि से सम्मानित किया।[13]

इतना ही नहीं, लाला भवानीशंकर के दिल्ली पहुँचने पर लार्ड लेक ने नजफगढ़ का परगना भी उसे जागीर में प्रदान किया, साथ ही, दिल्ली के चाँदनी चौक की सड़क जहाँ मुड़ती है, वही नुक्कड़ पर एक विशाल बाड़ा भी भवानीशंकर के निवास के लिए दिया था।[14]

किंतु लाला भवानीशंकर का यह सब समादर और मान मर्यादा दिल्ली के जनसमुदाय को कदापि रास नहीं आया और अपने स्वामी के प्रति की गई गद्दारी और कृतघ्नता के कारण लाला के प्रति जनविरोधी भावनाएँ उत्पन्न हो गईं और तभी से भवानीशंकर की नमक हरामी को लेकर उसका दिल्ली स्थित बाडा भी 'नमक हराम' का बाड़ा कुख्यात हो गया था। जन–साधारण की इस जनविरोधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली के अंग्रेज अधिकारियों ने इस विषयक आदेश भी प्रसारित किये थे। किंतु जन–साधारण की निगाह में व्यक्ति जब एक बार दागी हो जाता है तब उसे बेदाग नहीं किया जा सकता।[15]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. रघुबीर सिंह का आलेख – 'बक्षी भवानी वक्ष यांची रोज–निशी', अहिल्या स्मारिका, खासगी (देवी अहिल्याबाई होल्कर चेरिटीज) ट्रस्ट, अंक 1984, पृ. 3 (इस ग्रंथ की कुल तीन हस्तलिखित प्रतियाँ सीतामाऊ शोध संस्थान में सुलभ है।)
2. पूना रेसीडेन्सी कॉरस्पाण्डन्स, जिल्द–6, पत्र क्रमांक 26–28
3. व्ही.व्ही. ठाकुर होल्कर शाहीचा इतिहास (1797–1806 ई.) भाग–2, 1946, पृ. 20
4. डॉ. रघुबीर सिंह–ग्रंथ वही, पृ. 3
5. यदुनाथ सरकार, फॉल ऑफ दि मुगल एम्पायर, हिन्दी अनुवादक–डॉ. मथुरालाल शर्मा, जिल्द–4, पृ. 251
6. वही
7. समरसेट प्लाने, इण्डियन स्टेट्स, पृ. 87, यशवंतराव होल्कर के राष्ट्रीय प्रयासों के फलस्वरूप दिल्ली के मुगल सम्राट ने उसे 'महाराजधिराज राज राजेश्वर आलीजा बहादुर' की पदवी से नवाजा था।
8. अनन्त नारायण भागवत्, भवानीशंकर बक्षी यांची रोज–निशी, मराठी खण्ड 5, पृ. 55
9. डॉ. रघुबीर सिंह, वही
10. सी.यू. एचीसन्, ट्रीटीज इंगेजमेन्ट्स एण्ड् सनद्स,

जि–4, संस्करण 1906, पृ. 194

11. सर जॉन मालकम्, ए मेमायर ऑफ सेन्ट्रल इण्डिया इन्क्लूडिंग मालवा, संस्करण 1824, जि.–1, पृ. 230
12. सरदेसाई, गोविन्द सखाराम, मराठों का नवीन इतिहास, जि.–3, पृ. 455
13. डॉ. रघुबीर सिंह, वही, पृ. 3
14 वही, पृ. 5
15. वही, पृ. 5, जावरा नवाब अब्दुल गफूर खाँ और टोंक का नवाब पिण्डारी नेता अमीर खाँ भी नमक हरामों की श्रेणी में रखे जाते हैं। इन्दौर मालवा की रियाया नवाब द्वय के नमक हरामी के कृत्यों को भूली नहीं थी।

अतः जब भी जावरा के नवाब होल्कर के दरबार में सिजदे के लिए आते थे, तब नकीब के द्वारा उनके नाम से यह आवाज लगाई जाती थी–''नमक हराम जावरा नवाब हाजिर हो।''

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 15th Jan. 2024 **Paper Accepted : 27th Jan. 2024**

वर्तमान परिदृश्य में हिन्दी भाषा और साहित्य की उपादेयता

□ अतुल यादव*

शोध-सारांश

मनुष्य के मनुष्य होने की पहली शर्त है—'भाषा'। बिना भाषा के हम मनुष्य और पशु में सम्यक् भेद नहीं कर सकते, पशु से मनुष्य के विकास में भाषा ही वह पहली सीढ़ी है, जिसे प्राप्त कर वह मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। भाषा अपने आपको पहचानने का एक साधन है। भाषा के बिना अस्मिता की पहचान नहीं होती। भाषा के सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने समाज और संस्कृति से जुड़ता है। भाषा भावों एवं विचारों के सम्प्रेण का सशक्त माध्यम होने के साथ-ही-साथ इतिहास एवं संस्कृति की संरक्षिका व संवाहिका भी होती है। भारतीय भाषाओं की परम्परा, इतिहास और विकास-क्रम में हिन्दी का वही स्थान है एवं महत्त्व है, जो पुराकाल में संस्कृत का था। वर्तमान में हिन्दी भाषा न केवल भारत में अपितु विदेशों में करोड़ों लोगों की सम्पर्क भाषा बनी हुई है। वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती हुई सहभागिता ने लोगों का ध्यान हिन्दी की तरफ आकृष्ट किया है। बाजारीकरण के आज के इस युग में हिन्दी का भी बाजार में खासकर मीडिया एवं मनोरंजन उद्योगों में एक दमकता हुआ रूप है। दरअसल भाषा किसी देश के इतिहास का वह आईना होती है, जिसमें भविष्य भी देखा जा सकता है। हिन्दी भारतवर्ष का स्वाभिमान है और हिन्दी के विकास तथा प्रचार-प्रसार में वास्तविक रूप से भारत के भविष्य की झाँकी देखी जा सकती है। आज हिन्दी का अपना एक समृद्ध साहित्य है; चूँकि किसी भी भाषा के बोलने वालों, जन-समुदाय के रहन-सहन, आचार-विचार आदि का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाला उस भाषा का साहित्य होता है। साहित्य के जरिए हमें उस निर्दिष्ट समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक जीवन का परिचय मिलता है। केवल समकालीन जीवन का ही नहीं, बल्कि साहित्य हमें अतीत से जोड़कर, वर्तमान से होता हुआ, भविष्य तक की भी यात्रा कराता है। भाषा का साहित्यिक रूप हमारे बौद्धिक एवं भावात्मक विकास में सहायक होता है। उत्तम साहित्य उन्नत एवं समृद्ध भाषा की पहचान है। वर्तमान में हिन्दी भाषा-साहित्य की अनेक कविताएँ, कहानियाँ,

* *छात्र, परास्नातक (हिन्दी-विभाग),* इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज (उ.प्र.)-211002
Email : atulkumaryadav1920@gmail.com, Mob.: 8808931482

उपन्यास, नाटक आदि अनेक विधाएँ प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं समाज की अमूल्य निधियाँ हैं और आज के समाज की पथ-प्रदर्शिका भी है।

बीज शब्द—*इक्कीसवीं सदी, वर्तमान समाज, हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य, उपादेयता, भूमण्डलीकरण, तकनीकीकरण, उत्तर-आधुनिकतावाद, हिन्दी में संभावनाएँ।*

प्रस्तावना

सृष्टि के निर्माण काल से ही भाषा का सम्बन्ध मानव समाज से रहा है। मानव-जीवन में भाषा एक अभिन्न अंग है। जिसके बिना मानव गूँगा है। भाषा के माध्यम से ही समाज अभिव्यक्ति पाता है। भाषा एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिससे समाज को एक व्यवस्था मिलती है। भाषा की सामाजिक उपादेयता पर **जे. फिशमैन** और **हेलहाइम्स** विचार व्यक्ति करते हुए कहते हैं कि—**''भाषा और समाज में निरन्तर घात-प्रतिघात होता रहता है, इससे भाषा और समाज दोनों ही एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं। भाषा में केवल भाषिक संरचना ही नहीं, सामाजिक संरचना भी समाहित होती है। निष्कर्षतः भाषा समाज को और समाज भाषा को परस्पर संस्कार देते हुए आगे बढ़ते हैं।''**[1] भाषा के साहित्य की बात की जाय तो **श्यामसुंदर दास** एवं **महावीर प्रसाद द्विवेदी** का कथन है कि—**''साहित्य समाज का दर्पण है।''**[2] अर्थात् समाज में जो कुछ भी है और जो घटित हो रहा है, साहित्य में वह प्रतिबिम्बित होता है। **आचार्य रामचन्द्र शुक्ल** का भी मानना है कि—**''जनता की चित्तवृत्ति बदलने के साथ ही साहित्य भी बदल जाता है।''**[3] अतः साहित्य कभी समाज को तो समाज कभी साहित्य को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि भाषा, साहित्य एवं समाज परस्पर एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं।

वर्तमान इक्कीसवीं सदी ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीक की नित नवीन खोजों के कारण द्रुतगामी परिवर्तनों, बहुसंख्यक उपलब्धियों तथा अनेक संभावनाओं की सदी है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में बाजारीकरण तथा उत्तर आधुनिकतावाद ने आज के भाषा, साहित्य, समाज एवं मानवीय मूल्यों को भी प्रभावित किया है। ज्ञान-विज्ञान के आधुनिक युग में संचार साधनों और तकनीकी तत्त्वों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा बड़े वैश्विक बाजार के रूप में उभरते हुए भारत देश की महत्ता ने भारतीय भाषाओं विशेषकर हिन्दी भाषा और इसके साहित्य संसार के महत्त्व को बढ़ा दिया है। हिन्दी भाषा के साहित्य ने जहाँ उत्तर आधुनिकतावाद के इस दौर में गिरते हुए मानवीय मूल्यों की रक्षा की है तो वहीं देश की चुनौतीपूर्ण समस्याओं जैसे, स्त्री-शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पारिवारिक विघटन, व्यक्ति के घुटन एवं संत्रास आदि पर समाज को सोचने को मजबूर भी किया है। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में जहाँ साहित्यकारों को किसी एक विशेष वाद या धारा जैसे, छायावाद, उत्तरछायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि में बद्ध होकर रचनाएँ करनी पड़ती थीं, वहीं आज सभी वाद या धाराएँ मिलकर एक हो गये हैं, आज का कवि या लेखक स्वतन्त्र है। वह किसी भी क्षेत्र का, किसी भी संस्कृति, किसी भी भाषा, बोली, उपबोली आदि का हो, वह साहित्य-रचना अपने परिवेश विशेष को लेकर कर रहा है। इससे आज के साहित्य में विविधता भी आयी है और आज हम एक-दूसरे की संस्कृति से सहजता से परिचित हो पा रहे हैं। तकनीकी अनुवाद ने इसमें ईंधन का काम किया है। आज की हिन्दी भाषा और उसका साहित्य अधिक परिनिष्ठित एवं सुसमृद्ध है।

विवेचना

हिन्दी भारतवर्ष की प्रमुख भाषा है। आँकड़े बताते हैं कि देश में हिन्दी को मूल भाषा या मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाले भारतीयों का प्रतिशत लगभग 43.63% है। यदि हम सम्पर्क और द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले भारतीयों की संख्या भी इसमें जोड़ दें तो इसका प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में बसने वाले लोगों की सम्पर्क भाषा हिन्दी है। उत्तर से दक्षिण में बसने वाले लोगों और

दक्षिण से उत्तर-पूर्व में बसने वाले लोगों की सम्पर्क भाषा भी हिन्दी ही है। हिन्दी का आदि रूप शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित पश्चिमी हिन्दी से निःसृत खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में हुआ। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान हिन्दी ने देश को एकता के सूत्र बाँधने का कार्य किया। भारत के स्वाधीनता आन्दोलन में पूरे देश को जोड़ने में हिन्दी का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वाधीनता संग्राम में हिन्दी और लोकभाषाओं की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। हिन्दी भाषा में ही समस्त उन्नति को देखते हुए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कहा है कि—

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान कै, मिटै न हिय को शूल।।[4]

स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, सुभाषचन्द्र बोस, सी. राजगोपालाचारी, महात्मा गाँधी एवं केशवचन्द्र सेन आदि अहिन्दी विद्वानों ने भी हिन्दी भाषा का प्रबल समर्थन किया और हिन्दी को भारतवर्ष का भविष्य बताया। सन् 1893 ई. में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में 'पार्लियामेण्ट ऑफ रिलीजन्स' में अपने भाषण की शुरुआत ही भाइयों और बहनों से करके सबको मन्त्रमुग्ध कर दिया था। **स्वामी दयानन्द सरस्वती** ने **सत्यार्थ प्रकाश** जैसा क्रान्तिकारी ग्रन्थ हिन्दी में रचकर हिन्दी को एक प्रतिष्ठा प्रदान की।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कहा था कि— **''हिन्दी ही देश को एक सूत्र में बाँध सकती है। मुझे अंग्रेजी बोलने में शर्मा आती है और मेरी दिली इच्छा है कि देश का हर नागरिक हिन्दी सीख ले व देश की हर भाषा देवनागरी में लिखी जाय।''** वहीं **पं. जवाहर लाल नेहरू** ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि—**''हिन्दी एक जानदार भाषा है। वह जितनी बढ़ेगी, देश का उतना ही नाम होगा।''** **लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक** ने एक अवसर पर कहा था कि ''हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी।'' कवि, राजनेता और भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन बतौर विदेश मन्त्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में पहला भाषण देकर इसके अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप और महत्त्व में अत्यन्त वृद्धि की। तमाम प्रयासों के फलस्वरूप 14 सितम्बर, 1949 को संविधान सभा ने हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा अर्थात् सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया। इसीलिए प्रतिवर्ष **14 सितम्बर** को **हिन्दी-दिवस** मनाया जाता है, परन्तु गौर किया जाय तो भाषा एवं माता का कोई विशेष दिन नहीं होता है, उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हमारा प्रत्येक दिन अपनी मातृभाषा हिन्दी को ही समर्पित है। हिन्दी राजभाषा बनने से आजतक उसके स्वरूप में उत्तरोत्तर विकास और परिवर्तन हुए हैं। उपनिवेशवाद, भूमण्डलीकरण, बाजारवाद एवं उत्तर आधुनिकतावाद ने हिन्दी को भी प्रभावित किया है। आज हम कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा एक बार फिर नई चाल में ढल रही है।[5]

बीसवीं सदी के अन्तिम दशकों एवं इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में हिन्दी भाषा में जो परिवर्तन हुए, वे साधारण नहीं हैं। आज हिन्दी भाषा एवं उसके साहित्य का स्वरूप ग्लोबल हो चला है। भाषा और व्याकरण में नये प्रयोग किए जा रहे हैं। साथ ही, आज हिन्दी का महत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रहा है। आज हिन्दी बोलने-लिखने एवं सम्पर्क करने वाले लोगों की संख्या भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में मिलती है। थाईलैण्ड, हांगकांग, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस इत्यादि ऐसे देश हैं, जहाँ हिन्दी भाषी प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। विश्व के डेढ़ सौ से अधिक देशों में हिन्दी के शिक्षण के लिए केन्द्र खोले गए हैं, जिस कारण हिन्दी की व्यापकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका जो कि अपनी भाषा और पहचान को लेकर दुनियाँ में श्रेष्ठता का दावा करता है, हिन्दी सीखने में उसकी रुचि का प्रदर्शन निश्चित ही भारत के लिए गौरव की बात है। **पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बुश** ने अपने कार्यकाल में स्पष्टतया घोषणा की कि **''हिन्दी ऐसी विदेशी भाषा है, जिसे 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिका के नागरिकों को सीखना चाहिए।''**[6] तथ्य यह भी है कि चीनी भाषा के बाद हिन्दी विश्व में सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा बन चुकी है। **टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर**

होजुमी तनाका के अनुसार—"**विश्व में हिन्दी बोलने वालों का स्थान दूसरा है, जबकि चीनी का प्रथम और अंग्रेजी तीसरे स्थान पर पहुँच गई है। वैश्विक भाषा की अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ, जैसे–साहित्य की सुदीर्घ परम्परा, विपुल शब्द भण्डार, विचार-विनिमय में सहजता तथा अन्य भाषाओं को प्रभावित करने की क्षमता आदि विशेषताओं में हिन्दी समृद्ध है। उसमें साहित्य सृजन की लगभग 1000 वर्ष पुरानी सुदीर्घ परम्परा दिखाई देती है। उसके पास शब्द का अकूत भण्डार है।**"[7] **डॉ. करुणाशंकर उपाध्याय** के अनुसार—"**हिन्दी में साहित्य सृजन की परम्परा भी बारह सौ साल पुरानी है, यह आठवीं शताब्दी से लेकर वर्तमान इक्कीसवीं शताब्दी तक गंगा की अनवरत अविरल धारा की भाँति प्रवाहमान है। उसका काव्य साहित्य संस्कृत के बाद विश्व के श्रेष्ठतम् साहित्य की क्षमता रखता है। उसमें लिखित उपन्यास एवं समालोचना भी विश्वस्तरीय है। उसकी शब्द सम्पदा विपुल है। उसके पास पच्चीस लाख से ज्यादा शब्दों की सेना है, उसके पास विश्व की सबसे बड़ी कृषि विषयक शब्दावली है, उसने अन्यान्य भाषाओं के बहु-प्रयुक्त शब्दों को उदारतापूर्ण ग्रहण किया है। उसके साहित्य का उत्तमांश भी विश्व की दूसरी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से जा रहा है।**"[8] हिन्दी की वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई महत्ता को देखकर हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार **हिमांशु जोशी** का कथन अवलोकनीय है,—"**विश्व में ज्यों-ज्यों हिन्दी का विस्तार हो रहा है, त्यों-त्यों उसके साहित्य का वैश्विक स्वरूप उभरता चला जा रहा है। आज हिन्दी भारत तक ही सीमित नहीं भारत की सीमाओं से बाहर दूर-दूर के देशों में भी उसकी अलग पहचान बन रही है।**" आज हिन्दी के तमाम शब्द विश्व की अन्य भाषाओं में प्रवेश कर गए हैं, हिन्दी ने भी शुद्धतावादी मानसिकता को छोड़कर विश्व की भाषाओं से हजारों शब्दों को अपने में आत्मसात् कर लिया है, जैसा कि हिन्दी और हिन्दी की प्रकृति भी आदि से ही "**वसुधैव कुटुम्बकम्**" की रही है। इस प्रकार, हिन्दी आज अधिक शक्ति-सम्पन्न, सुमधुर, ग्राह्य एवं व्यापक बन गई है। आज हिन्दी के विद्वान् नवीनतम तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे ज्ञान-विज्ञान के नवीन अनुशासनों में भी हिन्दी में कार्य सुलभ होने लगा है। वर्तमान में अनुवाद की बढ़ती गुणवत्ता से हिन्दी की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। अनुवाद का स्तर आज इतना बढ़ चुका है कि जहाँ पूर्व में अनुवादित रचनाएँ पाठक से उतना नहीं जुड़ पाती थीं, आज अनुवादित रचनाओं के साथ भी पाठक मौलिकता का अनुभव करता है। अनुवाद की महत्ता को बताते हुए **आले अहमद सुरूर** अपने निबन्ध 'क्या साहित्य विफल है' में लिखते हैं—"**अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु है, अनुवाद के माध्यम से एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से संवाद होता है।**"[9] आज अनुवाद के माध्यम से ही हम अपने से अभिन्न भाषा, संस्कृति एवं समाज से आसानी से परिचित हो रहे हैं। आज हिन्दी भाषा के अनेक साहित्य उपन्यास, नाटक, कहानी आदि का भिन्न-भिन्न भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। वर्ष 2022 में हिन्दी लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास 'रेत समाधि' के अंग्रेजी अनुवाद 'टॉम्ब ऑफ सैंड' पर मिले बुकर ने पुरस्कार हिन्दी साहित्य को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया। पुरस्कार जीतने के बाद लेखिका **गीतांजलि श्री** ने कहा—"**हिन्दी के पास एक समृद्ध साहित्य है, जिसे खोजने की जरूरत है।**"[10]

वर्तमान में हिन्दी मात्र साहित्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज यह बाजार की भी भाषा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों को जन्म दिया, जिससे न केवल हिन्दी का अनुप्रयोग बढ़ा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले हैं। भारत एक वैश्विक बाजार होने के कारण अनेक अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में अपने उद्योग लगाए, अपने व्यापार के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें हिन्दी अनुवादकों की जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत में अधिकांशतः हिन्दी भाषा-भाषी ही निवास करते हैं। टी.वी. चैनलों तथा अनेक पत्र-पत्रिकाओं में अनेक विज्ञापन जैसे—विवाह, नौकरी, खोने-पाने, खरीद-फरोख्त, प्रचार-प्रसार इत्यादि के विज्ञापन हिन्दी भाषा में ही निकल रहे

हैं। मनोरंजन जगत् में अनेक कार्टून, फिल्म, कॉमेडी, संगीत इत्यादि का हिन्दी भाषा से अन्य भाषाओं तथा अन्य भाषाओं का हिन्दी भाषा में रूपान्तरण हो रहा है। हनुमान फिल्म, गणेशा फिल्म, बाहुबली इत्यादि हिन्दी फिल्मों का आज दुनियाँ की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है।[11]

हिन्दी आज जनसंचार माध्यमों के जरिए बड़े पैमाने पर देश-विदेश में प्रयुक्त हो रही है। हिन्दी के टी.वी. चैनलों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। 'स्टार न्यूज' चैनल जो पहले अंग्रेजी में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु बाजार के दबाव के कारण इसे हिन्दी में भी शुरू करना पड़ा। कई खेल चैनल भी अब हिन्दी में शुरू हो चुके हैं, जैसे—स्टार स्पोर्ट्स, ई.एस.पी.एन. आदि चैनल अब हिन्दी में कमेण्ट्री देते हैं। इसी प्रकार, हिन्दी अखबारों की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' और 'द इकोनामिक्स टाइम' जैसे व्यवसायपरक न्यूज पेपर हिन्दी में प्रकाशित होकर व्यापार की नवीन संभावनाओं की तलाश करते दिखाई देते हैं। भारत सरकार की 'योजना' और 'कुरुक्षेत्र' पत्रिकाएँ भी आज हिन्दी में आ रही हैं। आज हिन्दी भाषा के चैनल 'उपग्रह' के द्वारा विश्व के सभी देशों जैसे, दक्षिण-पूर्व एशिया, जापान, चीन, कोरिया, खाड़ी देशों में, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कनाडा तथा मध्य एशिया तक प्रचारित हो रहे हैं, जहाँ हिन्दी भाषा के कार्यक्रमों को देखने वालों की संख्या बहुत अधिक है। **इण्डिया टुडे के नवम्बर, 2018 के पृष्ठ 169 में घोषित हुआ** कि—**''70 के दशक में जो हिन्दी अंग्रेजी हटाओ की माँग करने वाली भाषा थी, वही आज इंग्लिश बनकर ग्लोबल पीढ़ी के उन्मुक्त संवाद की भाषा है। वह सोशल मीडिया के तुरन्त कनेक्ट की, चैट की भाषा बन गई है। स्लो मोशन वाली हिन्दी अब fast & forward कम्यूनिकेशन की भाषा है।''**[12] आज विण्डोज प्लेटफार्म में कार्य करने वाली हिन्दी के अनेक सॉफ्टवेयर बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे-सी-डैक, लीफ ऑफिस, अक्षर फॉर विण्डोज इत्यादि। हिन्दी भाषा में वेब पेज विकसित करने के लिए प्लग इन पैकेट तैयार किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति या संस्था ट्वीटर, गूगल, फेसबुक, याहू इत्यादि पर वेब पेज हिन्दी में बना सकता है। विकीपीडिया, हिन्दी समय डॉट कॉम, रेडिफ डॉट कॉम, हिन्दी भाषा डॉट कॉम इत्यादि हिन्दी भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित लेखों एवं ई-पुस्तकों के भण्डार हैं। हिन्दी वर्डनेट पर हिन्दी शब्दों के एक विशाल भण्डार को विकसित किया गया है। मोबाइल फोन एवं कम्प्यूटर में आज Hindi-English के भी विकल्प आ गये हैं। हम कह सकते हैं कि संचार की दुनिया में रेडियो, टी.वी., इण्टरनेट, फैक्स, समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पोस्टर, पैम्फलेट, यूट्यूब, वीडियो-ऑडियो कैसेट, डी.वी.डी., सी.डी. एवं उपग्रह संचार इत्यादि में तकनीकी परिवर्तनों के कारण आज हिन्दी भाषा का प्रयोग प्रबल रूप से हो रहा है।

रोजगार की उपादेयता की दृष्टि से देखें तो वर्तमान समय में हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन द्वारा रोजगार के अनेक क्षेत्र खुले हुए हैं, जैसे—शिक्षा का क्षेत्र, मीडिया एवं पत्रकारिता का क्षेत्र, अनुवाद क्षेत्र, प्रशासनिक सेवा क्षेत्र, स्वतन्त्र लेखन एवं प्रकाशन का क्षेत्र आदि। केवल मीडिया के क्षेत्र में ही रोजगार के अनेक विकल्प मौजूद हैं, जैसे—पत्रकार, सम्पादक, प्रूफ-रीडर,लेखक, भाषान्तरकार, अनुवादक, चित्र सम्पादक, कार्टूनिस्ट, स्लोगन राइटर, विज्ञापन लेखक, फीचर-लेखक आदि। भाषा के साहित्य की बात करें तो कोई भी भाषा अभिव्यक्ति और सम्प्रेषण मौखिक रूप के साथ-साथ लिखित साहित्य के रूप में भी करती हैं। हिन्दी के वैश्विक स्तर पर स्थापित होने के पीछे इसमें रचित उत्तम साहित्य का बड़ा योगदान रहा है। **साहित्य वाचस्पति डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी** ने अपनी **'हिन्दी साहित्य विमर्श'** नामक पुस्तक में साहित्य की विशिष्टता एवं महत्त्व को बहुत ही सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है—**''मनुष्यों का वह अनवरत् प्रयास ही संसार का साहित्य है। साहित्य की सृष्टि तभी हो जाती है, जब बाह्य प्रकृति से साह्चर्य स्थापित होने के साथ ही मनुष्यों के हृदय में भिन्न-भिन्न भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि भाषा के विकास**

में साहित्य की पुष्टि होती है, परन्तु साहित्य परम्परा का जन्म भाषा की उत्पत्ति से मानना पड़ेगा, क्योंकि भावना पहले होती है और उसकी अभिव्यक्ति की चेष्टा उसके पीछे। अतएव यह बतलाना कठिन है कि विश्व साहित्य का आरम्भ कब हुआ।''[13]

साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। किसी ने ठीक ही कहा है—

अंधकार है वह देश, जहाँ आदित्य नहीं।
मुर्दा है वह देश, जहाँ साहित्य नहीं।।

साहित्यकार का कर्म है कि वह ऐसे साहित्य का सृजन करे जो राष्ट्रीय एकता, मानवीय समानता, विश्व बन्धुत्व और सद्भाव के साथ हाशिये के आदमी के जीवन को ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। साहित्य जब तक एक समाज के लिए उपयोगी है, तभी तक ग्राह्य है। **आले अहमद सुरूर** कहते हैं कि—**''साहित्य पुरानी बोतल में नई शराब नहीं, वह नई बोतल में पुरानी शराब और नई बोतल में नई शराब भी हो सकता है।''**[9] अर्थात् साहित्य परम्परा विरोधी एवं रूढ़ि-विरोधी होता है, उसका स्वरूप समय के अनुसार बदलता चलता है। साहित्य की उपादेयता में ही साहित्य की प्रासंगिकता है। साहित्यकार के अंतस् में युगचेतना होती है और यही चेतना साहित्य सृजन का आधार बनती है। श्रेष्ठ साहित्य भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति और समाज को संस्कारित करता है, उसका युग चेतना से साक्षात्कार कराता है। वर्तमान जगत् में जहाँ भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, जालसाजी, मूल्यहीनता, स्त्री-शोषण, धर्म का राजनीतिकरण तथा राजनीति का धार्मिकीकरण इत्यादि कुरीतियाँ समाज को खोखला बना रही हों; उस स्थिति में साहित्य ही हमें सम्बल प्रदान करता है। गरीबी और बेरोजगारी आज के समाज में जड़ बनाए हुए हैं। **फणीश्वरनाथ रेणु** ने अपने प्रख्यात उपन्यास **'मैला आंचल'** में बहुत पहले ही कहा था कि—**''गरीबी और जहलत दो ऐसी बीमारियाँ हैं, जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है।''**[14] आज गरीब और अमीर के बीच की खाइयाँ दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, आर्थिक समानता की बात कोई नहीं करता, परन्तु हमारा साहित्य ही है, जो सर्वजनहिताय की बात करता है और सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। साहित्य के अतीत में जाएँ तो चालीस के दशक में ही लिखी गयी हिन्दी कविता **प्रसाद** की **'कामायनी'** मनुष्य की इच्छा, क्रिया और ज्ञान में संतुलन की बात कर रही थी, वहीं **निराला** की **'राम की शक्ति पूजा'** प्रकृति के संतुलन की बात कर रही थी और वही सामंजस्य या संतुलन आज SDG (Sustainable Development Goal) के रूप में प्राकृतिक पर्यावरणीय संकट को कम करने के उपाय के रूप में सुझाए जा रहे हैं।

साहित्य न तो धर्म की दासी है, न एक सामाजिक व्रत या राजनीतिक प्रयास। उसकी विशेष अन्तर्दृष्टि और प्रभावी रूप हर जगह दिलों को पा लेते हैं; आस्था में, समाज में, अपने और अपने स्थान को पाने के लिए व्यक्ति की जद्दोजहद में। साहित्य व्यक्ति के हृदय से जुड़ा होता है। वह व्यक्ति को जागरूक बनाता है एवं उसके अन्दर मूल्यबोध भी विकसित करता है और समाज-सुधार के लिए आवश्यक जरूरत के प्रति सचेत करता है। राजनीतिक परिदृश्य में साहित्य की बात करें तो साहित्य समय-समय पर प्रकारांत, विरोधमूलक अथवा व्यंग्यात्मक स्वर में राजनीति को सचेत करता रहता है। **मुंशी प्रेमचन्द** ने भी कहा है—**''साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है।''** इसी प्रकार राष्ट्रकवि **रामधारी सिंह दिनकर जी** का कहना है—**''जब-जब किसी देश की राजनीति लड़खड़ाती है, साहित्य उसे सहारा देता है।''** राजनीति में हो रहे भ्रष्टाचार को साहित्य रोकने का काम करता है क्योंकि साहित्य जनता का हिमायती है। सच्चा साहित्यकार वही है जिसके साहित्य में आम जन-मानस के गरीबी, दुःख-दर्द आदि मुखरता प्राप्त करें। साहित्य सत्ता से सवाल करती है और उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी। आज जहाँ राजनीति स्वार्थ-लाभ में समाज में बिखराव उत्पन्न कर रही है, वहीं साहित्य मनुष्य को मनुष्य से जोड़कर एकजुटता की बात करता है। साहित्य

मनुष्य को इंसान बनाता है, उसके अन्दर मानवता की भावना को विकसित करता है।

निःसन्देह वर्तमान समय में हिन्दी भाषा और उसके साहित्य की उपादेयता बढ़ती जा रही है। आज जब 21वीं सदी में वैश्वीकरण के दबावों के चलते समस्त देशों की संस्कृतियाँ और भाषाएँ मजबूत और सार्थक संवाद की प्रक्रिया से गुजर रही हैं तो हिन्दी निश्चय ही इस दिशा में विश्व मानवता को परस्पर जोड़ने के लिए सेतु की भूमिका निभा रही है, क्योंकि इसके पास ऐसा विशाल पाठक वर्ग है जो देश के कोने-कोने में फैला हुआ है। हिन्दी की मूल प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक, सांस्कृतिक तथा रागात्मक सम्बन्ध निर्मित करने की रही है। हिन्दी ने निरन्तर भारतीयों में एकता की भावना को बनाए रखा। यह भारतीयों के संवाद की ही भाषा नहीं, अपितु उनके सपनों की भी भाषा है, इसमें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। आज हिन्दी भाषा एवं इसका साहित्य इतना समृद्ध हो चुका है कि इसमें अपार सम्भावनाएँ हैं, बस केवल इन्हें तलाशने की आवश्यकता है। रोजगार, वाद-संवाद, मनोरंजन, अतीत, वर्तमान एवं सुन्दर भविष्य आदि हिन्दी भाषा एवं इसके साहित्य में मौजूद हैं। अतः वर्तमान हीनभावना से ग्रसित एवं अल्पज्ञ युवाओं को जागरूक कर हिन्दी विषय के प्रति उनकी दिलचस्पी बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। आज का कम्प्यूटर जगत् भी हिन्दी का क्षेत्र होने जा रहा है। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी साहित्य ने खुद को गुण एवं परिमाण दोनों ही दृष्टियों से मजबूती के साथ अभिव्यक्त किया है। अतः हमें हिन्दी के प्रति अपने दायित्वबोध को गहराई से निभाते हुए सुदुढ़ इच्छाशक्ति से हिन्दी भाषा और साहित्य की विकास यात्रा में बखूबी सहयोग देना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भाषा, समाज और संस्कृति (लेख), शिवाजी कॉलेज, पृ.सं. 3, 5, 21
2. हिन्दी भाषा और साहित्य, श्यामसुन्दर दास
3. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2019, पृ.सं. 1
4. भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है (निबन्ध), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
5. चेतना का आत्मसंघर्ष : हिन्दी की 21वीं सदी, सम्पादक—कन्हैयालाल नन्दन
6. भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी, कृष्ण कुमार यादव, साहित्य कुंज, 17 जनवरी, 2009
7. वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी की दशा (लेख), डॉ. दर्शन पाण्डेय ISSN Online 2394-5869
8. हिन्दी वैश्विक परिदृश्य (लेख), करुणाशंकर उपाध्याय
9. क्या साहित्य विफल है (निबन्ध), आले अहमद सुरूर
10. डीएनए इण्डिया डॉट कॉम ब्लॉग, बुकर पुरस्कार
11. रोजगार एवं बाजार की भाषा—जनसत्ता, 15 सितम्बर, 2019
12. इण्डिया टूडे (पत्रिका), नवम्बर, 2018, पृ. 169
13. हिन्दी साहित्य विमर्श, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिन्दी पुस्तक एजेंसी प्रकाशन, कलकत्ता
14. मैला आँचल (उपन्यास), फणीश्वरनाथ रेणु, राजकमल प्रकाशन
15. साहित्य अमृत, सितम्बर, 2010, पृ. 38-39
16. वर्तमान सन्दर्भ में हिन्दी, डॉ. मुकेश अग्रवाल, के.एल. पचौरी प्रकाशन, गाजियाबाद, संस्करण 2013

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 15th Jan. 2024 Paper Accepted : 27th Jan. 2024

स्त्री शिक्षा का ऐतिहासिक अध्ययन

❑ डॉ. कल्पना दीक्षित*

शोध-सारांश

भारत का प्राचीन साहित्य संस्कृत–साहित्य में उपलब्ध होता है। यह साहित्य हजारों वर्ष पुराना है। इस साहित्य का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा हम कहीं अधिक आगे थे। बात विशेष रूप से महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में की जाये तो हम पाते हैं कि उस समय ये काफी उन्नत और सुदृढ़ स्थिति में थीं। उक्त बिन्दुओं को शोध पत्र में प्रस्तुत करने का एक अभिनव प्रयास है।

मुख्य शब्द–*स्त्री, शिक्षा, ऐतिहासिक, अध्ययन, प्राचीन, संस्कृत, मातृसत्तात्मक आदि।*

प्रस्तावना

किसी भी समाज में जब महिलाओं की उन्नति हो जाती है तो उसके अन्य पक्ष भी अपने आप ही समृद्ध होने लगते हैं। आधुनिक युग भी यह मान्यता है कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो एक पुरुष ही पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो एक घर पढ़ता है। एक परिवार पढ़ता है। प्राचीन भारत इसका जीता–जागता उदाहरण है। हमारी संस्कृति मातृसत्तात्मक संस्कृति रही है। नदी घाटी सभ्यता और सिन्धु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं।

''मातृदेवो भवः'' का आदर्श था। **''पितुः सहस्त्रगुणा माता''** की भावना समाज में प्रबल थी–

नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः।
नास्ति मातृसमा नृणं, नास्ति मातृसमा प्रियः।।

ऋग्वेद में नववधू को **''साम्राज्ञी श्वसुरे भव''** का आशीर्वाद मिलता है। तुम श्वसुर के घर की साम्राज्ञी होओ। भार्या श्रेष्ठतम् सखा है। पत्नी को मोक्ष का हेतु माना गया। कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना पूर्ण एवं सम्पन्न नहीं हो सकता था। बिना पत्नी कपं धर्म आश्रमाणां प्रवर्तने। श्रीराम ने भी सीताजी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर यज्ञ पूरा करवाया था। शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि पत्नी का अपमान असहनीय था।

* *लेक्चरर*, श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज, आर झाँसी (उ.प्र.)

समाज में पुत्र का महत्त्व था, पर कन्या की महत्ता खूब थी। स्वप्नवासवदत्तम् में राजा प्रणेत पुत्री के जन्म पर प्रसन्न होकर महारानी से मिलने जाते हैं और अपना आह्लाद यह कहकर प्रकट करते हैं कि **''कन्या पितृत्वं बहुवन्दनीयम्।''**

मनु ने भी भगिनी के लिए सम्पत्ति के चौथे भाग का विधान किया है। प्रक्षेपों या सामाजिक कुण्ठा के कारण मनु को लेकर कई विवाद खड़े किए गए, वरना **''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः''** का उदात्त विश्व–आदर्श मनु की ही देन है। सर्वाधिक विवादास्पद समझी जाने वाली बात भी व्यर्थ ही मुद्दा बना दी गयी। पिता बचपन में कन्या का रक्षण करता है। भर्ता यौवन में। यहाँ भी रक्ष् धातु सरंक्षण के अर्थ में है। ऐसे विधान किए जाने से ही समाज के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी निभाने की ओर पुरुषों का नियमन होता है, अन्यथा स्त्री काम, भोग–विलास से ज्यादा कुछ नहीं रहेगी। वेदों की ऋचाएँ ब्रह्मज्ञान के कारण ही संभव हैं। यह ज्ञान, ज्ञान का चरम स्वरूप है। अकेले ऋग्वेद में ही 27 ब्रह्मवादिनियों का उल्लेख मिलता है। अदिति, जुहू, इन्द्राणी, सरमा, रात्री,सूर्या, उर्वशी, अपाला, घोषा, गोधा, लोपामुद्रा, शाश्वती, रोमशा, सुलभा, विदुरा, विश्ववारा आदि।

उपनिषद् काल में भी गार्गी, मैत्रेयी का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि वाचक्नवी गार्गी शास्त्रार्थ में याज्ञवल्क्य तक को पीछे छोड़ देती है। उन्हें भी इस युक्ति का सहारा लेना पड़ता है कि तुम बहस मत करो, वरना तुम्हारे सिर का पतन हो जायेगा।

पुराणों में मदालसा, देवहूति, शैव्या, सुनीति, भामिनी आदि का उल्लेख मिलता है। रामायण में अनसुईया, शबरी, स्वयंप्रभा का उल्लेख मिलता है। सीता जी स्वयं अतीव विदुषी होने के साथ ही धनुष विद्या जैसी तकनीकी शिक्षा में भी दक्ष थीं। पुष्कर में शिलालेख में सीता जी को लव–कुश को धनुर्विद्या देते हुए दिखाया गया है।

भवभूति ने उत्तर रामचरितम् में सीता जी द्वारा मयूर नचाने का वर्णन किया है। ताली पर ताल देकर सीता जी मयूर नर्तन कराया करती थीं। अभिज्ञान शाकुन्तलम् में भी शकुन्तला आगे बढ़कर अपनी सखियों की मदद से राजा दुष्यन्त को प्रेमपत्र लिखती है और उसमें अपनी मनःस्थिति का बहुत गूढ निरूपण करती है। उससे स्पष्ट होता है कि उसे मनोविज्ञान का भली–भाँति ज्ञान था। महाकवि भास की नायिका वासवदत्ता कला के साथ–साथ राजनीति और कूटनीति में भी निष्णात थी। उसी ज्ञान के आधार पर वह पति को पुनः राज्य प्राप्त करवाने के लिए सम्पन्न राज्य के राजा दर्शक की भगिनी पद्मावती के साथ अपने पति के विवाह के लिए तैयार हो जाती है।

प्राचीन काल में सहशिक्षा भी व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होती है। लव–कुश के साथ आत्रेयी पढ़ती थी। भवभूति ने भी मालती माधव में भूरिवसु तथा देवरात के साथ कामन्दकी का उल्लेख किया है, जो राजनीति और कूटनीति के ज्ञान में कहीं भी आर्य चाणक्य से कमतर नहीं दिखती। इन सब उदाहरणों से लगता है कि स्त्रियों को समानता तथा स्वतंत्रता का सुख उपलब्ध था।

बच्चों की शिक्षा औपचारिक रूप से ही नहीं, बल्कि अनौपचारिक रूप से अनवरत् चलती रहती थी। वह शिक्षा संस्कारों की शिक्षा थी, जो जीवन भर काम आती है। कण्व ऋषि गृहस्थ नहीं हैं, फिर भी बहुत मातृ हृदय से शकुन्तला का पालन–पोषण करते हैं। उसे पौधों और पक्षियों के पोषण का दायित्व देकर बचपन से ही जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाते हैं। शकुन्तला प्रकृति के कण–कण में मानवीय चेतना के दर्शन करती है। शकुन्तला भी अपने पुत्र सर्वदमन को सिंह के दाँत गिनना बचपन में ही सिखा देती है। त्याग किये जाने पर शकुन्तला राजा दुष्यन्त को भरे दरबार में फटकार लगाती हुई ''अनार्य'' तक कह देती है। इससे बड़ी गाली उस युग में और कुछ हो नहीं सकती। भारत में नारियों को प्रत्येक दृष्टि से पूज्य, शक्ति–स्वरूपा

माना जाता रहा है। इतिहास के कुछ अंधकारमय कालखण्ड को छोड़कर सदा ही नारी के शिक्षा एवं संस्कार को महत्त्व प्रदान किया जाता रहा है। तभी तो महाराज मनु ने कहा है कि–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक काल तथा उपनिषत्काल में नारी शिक्षा पूर्ण विकास पर थी। उच्च शिक्षा के लिए पुरुषों की भाँति स्त्रियाँ भी शैक्षिक अनुशासन के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शिक्षा ग्रहण करतीं, तत्पश्चात् विवाह करती थीं। ईसा से 500 वर्ष पूर्व वैय्याकरण पाणिनि ने नारियों के द्वारा वेद अध्ययन की चर्चा की है। स्तोत्रों की रचना करने वाली नारियों को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। इनमें रोमशा, लोपामुद्रा, घोषा, इंद्राणी आदि के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार पुस्तक रचना, शास्त्रार्थ तथा अध्यापन कार्य के द्वारा नारी उच्च शिक्षा का उपयोग करती थी। शास्त्रार्थ प्रवीण गार्गी का नाम जगत् प्रसिद्ध है। पंतजलि ने जिस ''शक्तिकी'' शब्द का प्रयोग किया है, वह ''भाला धारण करने वाली'' अर्थ का बोधक है। इससे प्रतीत होता है कि नारियों को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। चंद्रगुप्त के दरबार में इस प्रकार की प्रशिक्षित नारियाँ रहती थीं। प्राचीन काल में भी स्त्री शिक्षा में समानता के साथ विभिन्नता रहती थी। नारियों को विशेष रूप से ललित कला, संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती थी।

बौद्ध काल में संघ में कुछ विदुषी नारियों का होना पाया जाता है। यद्यपि नारियों के लिए संघ के नियम कठोर थे, फिर भी ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक नारियाँ संघ की शरण जाती थीं।

अवस्ता और पहलवी में नारी के लिए समस्त गृहकार्यों की शिक्षा पर बल दिया है। पशुपालन, धार्मिक रीतियों का पालन आदि सम्मिलित थे। कुरान ने बिना किसी भेदभाव के स्त्री–पुरुष को ज्ञान–प्राप्ति का समानाधिकारी माना है। ईसाई ध ार्म आध्यात्मिक स्तर पर स्त्री–पुरुष को समान देखता था किंतु, उच्च शिक्षा के लिए स्त्री को ''नन (भिक्षुणी)'' का जीवन व्यतीत करना होता था।

मुसलमानी सभ्यता के बीच परदे की प्रथा के कारण नारी शिक्षा भारत में लुप्तप्राय हो गई। केवल अपवाद रूप से समृद्ध मुसलमान परिवार की महिलाएँ ही घर पर शिक्षा ग्रहण करती थीं। इनमें नूरजहाँ, जहाँआरा तथा जेबुन्निसा के नाम प्रसिद्ध हैं। हिंदुओं में बाल–विवाह, सती की प्रथा इत्यादि कारणों से बहुसंख्यक नारियाँ शिक्षा से वंचित रहीं।

भारत का प्राचीन आदर्श नारी के प्रति अतीव श्रद्धा और सम्मान का रहा है। प्राचीन काल से नारियाँ घर–गृहस्थी को ही देखती नहीं आ रहीं, अपितु समाज, राजनीति, धर्म, कानून, न्याय सभी क्षेत्रों में वे पुरुष की संगिनी के रूप में सहायक व प्रेरक भी रही हैं, परन्तु समय के बदलाव के साथ नारी पर अत्याचार व शोषण का आतंक भी बढ़ता रहा है। नारी पारिवारिक ढाँचे की यथास्थिति से समझौता करती रही है या फिर सन्तानविहीन व बन्ध्या जीवन व्यतीत करने को मजबूर हुई है। यहाँ तक कि नारी शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी स्तरों पर उपेक्षित जीवन व्यतीत करती है। जब बात शैक्षणिक शोषण की होती है तो एक ही सवाल मन में उठता है कि अगर नारी को शोषण और अत्याचारों के दायरे से मुक्त करना है तो सबसे पहले उसे शिक्षित करना होगा। चूँकि शिक्षा का अर्थ केवल अक्षर ज्ञान नहीं होता, अपितु शिक्षा का अर्थ जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी होना है व अपने मानवीय अधिकारों का प्रयोग करने की समझ होना है। शिक्षा सफलता की कुंजी है। बिना शिक्षा के जीवन अपंग है। जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होती है।

ऐसा माना जाता है कि शिक्षा एक विभूति है

और शिक्षित विभूतिवान। जहाँ आज समाज का एक नारी–वर्ग शिक्षित होकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, परन्तु वहाँ एक वर्ग ऐसा भी देखने को मिलता है जो आज भी अशिक्षा के दायरे में सिमट कर मूक जीवन व्यतीत कर रहा है, और यह सवाल उठता है कि उनकी स्थिति में कितना सुधार हो रहा है? हम प्रत्येक वर्ष महिला–दिवस बहुत धूमधाम और खुशी से मनाते हैं, पर उस नारी–वर्ग की खुशियों का क्या जो अशिक्षा के कारण अपने मानवीय अधिकारों से वंचित महिला–दिवस के दिन भी गरल के आँसू पीती हैं। ऐसे समाज में पुरुष स्वयं को शिक्षित, सुयोग्य एवं समुन्नत बनाकर नारी को अशिक्षित, अयोग्य एवं परतंत्र रखना चाहता है। शिक्षा के अभाव में भारतीय नारी असभ्य, अदक्ष, अयोग्य एवं अप्रगतिशील बन जाती है। वह आत्मबोध से वंचित आजीवन बंदिनी की तरह घर में बन्द रहती हुई चूल्हे–चौके तक सीमित रहकर पुरुषों की संकीर्णता का दण्ड भोगती हुई मिटती चली जाती है। पुरुष नारी को अच्छी शिक्षा देने के स्थान पर उसे घरेलू काम–काज में ही दक्ष कर देना ही पर्याप्त समझता है।

प्राचीन काल से ही नारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण रहा है, 'नारियों के लिए पढ़ने की क्या जरूरत, उन्हें कोई नौकरी–चाकरी तो करनी नहीं, न किसी घर की मालकिन बनना है, उनके लिए तो घर 'गृहस्थी' का काम सीख लेना ही पर्याप्त है।' एक तरह से समाज की यह विचारधारा ही शैक्षणिक शोषण के आधार को और भी मजबूत कर देती है।

शैक्षणिक शोषण के अन्तर्गत बेटियों को विद्यालय भेजने की जगह उनसे घरेलू कामकाज करवाना, अभिभावकों द्वारा बालिका–मजदूरी करवाना, बेटी को पराया धन के रूप में मान्यता, बेटे व बेटी में अंतर करके बेटी को शिक्षा से वंचित कर देना आदि मानसिकताओं को लेकर नारी का शैक्षणिक शोषण होता आया है। अशिक्षा के कारण एक गृहिणी होते हुए भी वह सही अर्थों में गृहिणी सिद्ध नहीं हो पाती है। बच्चों के लालन–पालन से लेकर घर की साज–सँभाल तक किसी काम में भी कुशल न होने से उस सुख–सुविधा को जन्म नहीं दे पाती जिसकी घर में उपेक्षा की जाती है। नारी परावलम्बी और परमुखापेक्षी बनी हुई विकास से वंचित, शिक्षा से रहित मूक जीवन बिताती हुई अनागरिक की भाँति परिवार में जीवन–यापन करती है।

अशिक्षा के कारण नारी का बौद्धिक एवं नैतिक विकास भी उचित रूप से नहीं हो पाता। आमतौर पर घर–परिवार में यही मान्यता बनी रहती है कि नारी को घर का काम–काज ही देखना होता है, तो उसे शिक्षा की क्या आवश्यकता है? परिवार का मानस एक ऐसी रूढ़िवादिता से ग्रसित हो जाता है जिसमें नारी को न तो पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा न उसे वैसी सुविधा प्रदान की जाती है। अशिक्षा का शिकार नारी अनेकानेक पूर्वाग्रहों, अन्धविश्वासों, रूढ़ियों, कुसंस्कारों से ग्रस्त होकर अपने अधिकारों से वंचित हो जाती है। अगर नारी शिक्षित होकर एक कुशल इंजीनियर, लेखिका, वकील, डॉक्टर भी बन जाती है, तो भी कई बार पति व समाज द्वारा ईर्ष्यावश उसका शैक्षणिक शोषण किया जाता है। परिणामस्वरूप नारी को शिक्षित होते हुए भी पति का अविश्वास झेलकर आर्थिक, मानसिक व दैहिक रूप से उत्पीड़ित होना पड़ता है।

नारी को समाज में उसका उचित स्थान दिलवाने के लिए एक ओर राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी जैसे महान् सुधारकों ने भरसक प्रयत्न किये, परन्तु आज भी जीवन के हर क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव होता है। आज भी समाज में किसी–न–किसी रूप में नारी का शैक्षणिक स्तर पर शोषण किया जा रहा है। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार और छेड़छाड़,

घरों, सड़कों, बगीचों, कार्यालयों, सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, हत्या आदि के जो मामले प्रकाश में आते हैं, उनमें से अधिकांश सबूतों के अभाव से छूट जाते हैं। बाल–विवाह की त्रासदी अनेक कन्याएँ भोग रही हैं। इन सभी का कारण नारी को अशिक्षित बनाकर उसे उसके मानवीय अधिकारों से वंचित करना है। वास्तविकता यह है कि एक शिक्षित नारी ही अपने परिवार की अशिक्षित नारियों को पढ़ाकर अपने अर्जित ज्ञान व विकसित क्षमता का लाभ पूरे परिवार को दे सकती है।

नारी सशक्तीकरण की आधारशिला भी शिक्षा ही है। शिक्षा द्वारा नारी–सशक्त और आत्मनिर्भर बनकर अपने व्यक्तित्व का उचित रूप से विकास कर सकती है, परन्तु आज नारी–सशक्तीकरण के क्षेत्र की मुख्य बाधाएँ हैं, जैसे–महिलाओं पर प्रभुत्व आदि। इन सभी समस्याओं से निजात दिलवाने का एक मात्र साधन शिक्षा ही है, इसलिए समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है। मध्यकाल में इसी तरह नारियों का शोषण होता था, क्योंकि वे शिक्षित नहीं हो पाती थीं। त्रासदी के कारण उनका बाल–विवाह कर दिया जाता था, जिससे पढ़ने वाला समय पारिवारिक जीवन में व्यतीत होने लगा। यह स्थिति केवल मध्यकाल तक हो अधिक थी।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है कि नारी शिक्षा की दिशा में ठोस प्रयास के बिना समानता का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं है। इसलिए नारी–शिक्षा की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज भारत में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय चलाये जा रहे हैं। महिलाओं को शिक्षित बनाने का वास्तविक अर्थ उसे प्रगतिशील और सभ्य बनाना है, ताकि उसमें तर्क–शक्ति का विकास हो सके। यदि नारी शिक्षित होगी तो वह अपने परिवार की व्यवस्था ज्यादा अच्छी तरह से चला सकेगी। एक अशिक्षित नारी न तो स्वयं का विकास कर सकती है और न ही परिवार के विकास में सहयोग दे सकती है। शैक्षणिक स्तर पर कन्या शिक्षा की सदैव से ही उपेक्षा की जाती रही है व उसे केवल घरेलू कामकाजों को सीखने तथा पुत्र–सन्तान को जन्म देने के सन्दर्भ में ही प्रकाशित किया जाता है। इसलिए नारी सबसे पहले पूर्णतः शिक्षित हो तभी वह शोषण व अत्याचारों के चक्रव्यूह से निकल कर मानवी का जीवन व्यतीत कर सकेगी।

भारत में 19वीं शताब्दी में प्रायः सभी शैक्षिक संस्थाएँ जनता में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित थीं। इनमें कुछ अंग्रेज व्यक्ति भी थे। इस समय राजा राममोहन राय ने बाल–विवाह तथा सती की प्रथा को दूर करने का अथक परिश्रम किया। इन कुप्रथाओं के दूर होने से नारी शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में कई स्कूल लड़कियों की शिक्षा के लिए खोले। सन् 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) के अनुसार, भारत सरकार की ओर से शिक्षिका प्रशिक्षण का प्रबंध हुआ। आयोग ने नारी शिक्षा के संबंध में अनेक उत्साहवर्धक सुझाव प्रस्तुत किए, किंतु धर्म परिवर्तन का भय रहने के कारण सुझाव अधिक कार्यान्वित न हो सके। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कुल 12 कॉलेज, 467 स्कूल तथा 5628 प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए थे। संपूर्ण भारत में छात्राओं की संख्या 4,44,470 थी। शताब्दी के अंत तक शनैः–शनैः नारियाँ उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही थीं, किंतु उनमें मुसलमान छात्राओं का अभाव था।

19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा जर्मनी में लड़कियों के लिए अनेक कॉलेज खुल चुके थे। इंग्लैण्ड में लड़कियों, लड़कों को समान शिक्षा देने की चेष्टा की जा रही थी, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैण्ड में यह योजना बनाई गई कि नारी शिक्षा की समस्त शाखाओं को पाठ्यक्रम में स्थान

दिया जाए। इसे किंग्स कॉलेज, लंदन, एफ.डी. मॉरिस तथा अन्य लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया।

इसके प्रारंभिक वर्षों में भारत में इस बात पर ध्यान दिया गया कि नारी शिक्षा उनके समाजिक जीवन के लिए उपयोगी होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक जहाँ तक लिखने–पढ़ने का संबंध था, लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में कोई अंतर न था। उच्च शिक्षा की दृष्टि से सन् 1916 महत्त्वपूर्ण है। इस समय दिल्ली में लेडी अर्विंग कॉलेज की स्थापना हुई तथा श्री डी. के. कर्वे ने भारतीय नारियों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें सबसे अधिक धन मुंबई प्रांत के एक व्यापारी से मिलने के कारण उसकी माँ के नाम से विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नाथी बाई थैकरसी वीमेन्स यूनिवर्सिटी हुआ। कर्वे जी ने इस बात का अनुभव किया कि नारी तथा पुरुष की शिक्षा में कला, कृषि, वाणिज्य आदि का भी समावेश हुआ और नारी ने उच्च शिक्षा में पदार्पण किया।

नारी की प्राविधिक शिक्षा में कला, कृषि वाणिज्य आदि का भी समावेश हुआ और नारी की उच्च शिक्षा में प्रगति हुई। धन के अभाव में लड़कियों के लिए पृथक् कॉलेज तो अधिक न खुल सकें, किंतु राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने से नारी सहशिक्षा की ओर अग्रसर हुई। सन् 1926 में एक अखिल भारतीय नारी सम्मेलन के द्वारा यह निर्णीत हुआ कि लड़कियों के लिए एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जो पूर्ण रूप से भारतीय जीवन के आदर्शों के अनुकूल हो तथा उसका समस्त प्रबंध स्त्रियाँ स्वयं करें। अतः दिल्ली में ही लेडी अर्विन कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें गृहविज्ञान तथा शिक्षिका प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया। सन् 1946–47 में प्राइमरी कक्षाओं से लेकर विश्वविद्यालय तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाली छात्राओं की कुल संख्या 41,56,742 हो गई। इनमें प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राएँ भी थीं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् यद्यपि नारी शिक्षा में पहले की अपेक्षा बहुत प्रगति हुई तथापि अन्य पाश्चात्य देशों की समानता वह न कर सकीं। इस समय से नारी शिक्षा में संगीत एवं नृत्य की विशेष प्रगति हुई। सन् 1948–49 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने नारी शिक्षा के संबंध में मत प्रकट करते हुए कहा कि, नारी विचार तथा कार्यक्षेत्र में समानता प्रदर्शित कर चुकी है, अब उसे नारी आदर्शों के अनुकूल पृथक् रूप से शिक्षा पर विचार करना चाहिए। उच्च स्तर की शिक्षा में गृहविज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, नर्सिंग तथा ललित कलाओं का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके बाद आगे चलकर हाई स्कूल की कक्षाओं में गृहविज्ञान को अनिवार्य बना दिया गया तथा पृथक् रूप से भी अनेक कला केंद्र लड़कियों की शिक्षा के लिये खोले गए।

इंग्लैण्ड, जर्मनी, अमेरिका, जापान आदि पूँजीवादी राष्ट्रों में ही नहीं, वरन् रूस, रूमानिया, यूगोस्लाविया आदि साम्यवादी राष्ट्रों में भी नारी शिक्षा भारत की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ गई है। यद्यपि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाश्चात्य देशों में यह आशंका उत्पन्न हो गई थी कि पुरुष की प्रतिस्पर्धा में नारी अपने विकास के क्षेत्र से हटकर पुरुष जीवन को अपना रही है, जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, किंतु अब ये राष्ट्र भी नारी की विशेष शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं तथा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता प्राप्त कर वहाँ की नारी अपने सुशिक्षित राष्ट्र–समाज का निर्माण कर रही है।

स्वतन्त्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। जिन बन्धनों में वह बँधी हुई थी, वे शनैः–शनैः ढीले होते जा रहे हैं। जिस स्वतन्त्रता से उसे वंचित कर दिया गया था, वह उसे पुनः प्राप्त हो रही है। 'भारतीय संविधान' ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है–''राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति ,जाति, लिंग, जन्म स्थान

या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।''

उपर अंकित सभी तथ्यों के फलस्वरूप स्वतंत्र भारत में नारी–जाति ने करवट बदली है। उसने अपने वास्तविक महत्त्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया है और वह अपनी गिरी हुई दशा के प्रति सचेत हुई है। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत–नारी जागरण का युग बन गया है और स्त्री–शिक्षा के सभी क्षेत्रों में विलक्षण क्रान्ति परिलक्षित हो रही है।

आचार्य राममूर्ति समिति ने महिला शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण सिफारिशें की हैं–

(1) शिशु देखभाल तथा शिक्षा केन्द्र, प्राथमिक विद्यालयों के समीप स्थापित किए जाने चाहिये। साथ ही, इनकी समयावधि को विद्यालयों की समयावधि के साथ समायोजित किया जाए।
(2) कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु शिक्षा केन्द्रों के अनुकूल बनाया जाए।
(3) आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों में समन्वय स्थापित किया जाए।
(4) 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाएँ।
(5) 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में एक जूनियर–हाईस्कूल स्थापित किया जाए।
(6) विद्यालय की समयावधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित किया जाए।
(7) शाला त्यागी (Drop outs) बच्चों के लिए गैर–औपचारिक (Non-formal) विधियों को काम में लाया जाए।
(8) योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएँ।
(9) योग्य छात्राओं को यूनिफार्म, पाठ्य–पुस्तकें आदि प्रदान की जाएँ।
(10) महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए।
(11) छात्राओं को विद्यालय पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए।
(12) छात्राओं के लिए प्रथम विद्यालयों की स्थापना की जाए। इसके लिये विद्यालय भवन का प्रयोग दो पालियों में किया जा सकता है। एक पाली में लड़कियाँ पढ़ें और दूसरी पाली में लड़के।
(13) जहाँ सह–शिक्षा है, वहाँ अधिक अध्यापिका नियुक्त की जाएँ।
(14) छात्राओं को आवासीय सुविधाएँ प्रदान की जाएँ। इसके लिए छात्रावासों की स्थापना की जाए।
(15) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक धारा को इनके लिये प्रोत्साहित किया जाए।
(16) व्यावसायिक शिक्षा में उनके प्रवेश को बढ़ाने के लिये छात्रवृत्तियों की उपयुक्त व्यवस्था की जाए। साथ ही शुल्क, पाठ्य–पुस्तकों आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

स्वतन्त्र भारत में स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। के. नटराजन के अनुसार, ''यदि सौ वर्ष पूर्व मरने वाला व्यक्ति आज पुनः जीवित हो जाए तो उसे आश्चर्यचकित करने वाला सर्वप्रथम एवं सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन–स्त्रियों की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन के बावजूद स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा।'' स्त्रियों की स्थिति में इस क्रान्तिकारी परिवर्तन के बावजूद अत्याचारी एवं प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष–वर्ग, नारी की महत्ता को स्वीकार नहीं करता है। वह नारी–शिक्षा का विरोध करके अट्टहास करता है, भले ही उसकी सन्तान निरक्षर रह जाए। वह अपनी रूढ़िवादिता, धार्मिक संकीर्णता एवं नारी–जाति पर शासन करने की चिरकाल से विरासत में मिलने वाली धारणा का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही प्रजातन्त्र की माँगों की पूर्ति न हो और भले ही भारत, स्त्रियों की अशिक्षा के कारण प्रगति की दौड़ में अन्य देशों से पीछे रह जाए।

सरकार और प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष–वर्ग नारी के साथ है। सरकार ने संविधान के माध्यम से स्त्रियों की समस्त अर्हताओं का अन्त कर दिया है। प्रगतिशील विचारों वाला पुरुष वर्ग, राष्ट्रीय जीवन में स्त्री–शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करके, उसके तीव्र प्रसार का प्रबल समर्थक है। यही कारण है कि, स्वतन्त्र भारत में समस्त क्रान्तियों के मध्य शताब्दियों से शोषित नारी ने एक जबर्दस्त अँगड़ाई ली है। वह शिक्षा के समान अवसरों का उपयोग करके, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक–सभी क्षेत्रों में सक्रिय है और पुरुष को मुक्त कर रही है। फिर भी वस्तुस्थिति यह शहादत पेश करती है कि स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा दबे पाँव, आगे बढ़ रही है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि स्त्री की भली–भाँति शिक्षा के अवसर उपलब्ध होते हैं तो प्रत्येक परिवार शिक्षित होता है। परिवार के शिक्षित होने से सम्पूर्ण समाज शिक्षित होता है। इस प्रकार समाज में फैली अनेकों कुरीतियों को दूर कर रामराज्य की स्थापना में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपिल, एच.के. : अनुसंधान विधियाँ
2. गेरिट, ई. हेनरी : शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग
3. पाठक, पी.डी. : शिक्षा मनोविज्ञान
4. सरीन एवं सरीन : शैक्षिक अनुसंधान विधियाँ
5. सुखिया, एस.बी. : शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्त्व

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 15th Jan. 2024 **Paper Accepted : 27th Jan. 2024**

बघेलखण्ड में सूफी धर्म और सांस्कृतिक सौहार्द्र

डॉ. सुधा सोनी*
सुमन कुशवाहा**

शोध-सारांश

भारतीय सामाजिक समन्वय में सूफी धर्म भूमिका बघेलखण्ड में सामाजिक सौहार्द्र की पृष्ठभूमि के दर्शन किये जा सकते हैं, यह संसार सभी का है, ऐसा समझना और व्यवहार करना ही मानव धर्म है, सारे भेद दूर कर आत्माहित सर्वहित को स्वानुभूत सत्य बताकर उसे जीवन में कार्यान्वित करना इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

मुख्य शब्द : *बघेलखण्ड, सूफी धर्म, सामाजिक, सांस्कृतिक, सौहार्द्र, पृष्ठभूमि, सर्वहित आदि।*

प्रस्तावना

प्रत्येक समाज की संस्कृति के दो रूप होते हैं, प्रथम–अभ्यान्तर, द्वितीय–बाह्यान्तर। आन्तरिक रूप का संबंध मनुष्य के जीवन संबंधी आदर्शों, सिद्धांतों, आशाओं तथा प्रत्याशाओं से होता है। यह स्वरूप समाज के धर्म–दर्शन, साहित्य, कला, परंपराओं आदि से प्रतिबिम्बित होता है। बाह्यान्तर स्वरूप में समाज की सामाजिक संरचना, आर्थिक स्तर की पद्धतियाँ समाहित होती हैं। हमें इतिहास में कोई ऐसा समाज दृष्टिगत नहीं होता जिसकी संस्कृति के दोनों रूपों में पूर्ण तालमेल रहा हो। सिद्धांत और व्यवहार में परस्पर विभिन्नता थी और आज भी है। प्रायः आंतरिक संस्कृति कुछ होती है और बाह्य कुछ और मनुष्यों को सामाजिक संगठन में आर्थिक परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ता है।

विश्व में अनेक प्राचीन सभ्यताएँ पनपी और नष्ट भी हो गईं। आज उनका अनुसरण करने वाला कोई नहीं है। किन्तु भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति सनातन काल से चली आ रही है और आज भी कायम है। भारत के बहुसंख्यक लोगों का धर्म अभी भी वैदिक धर्म है। गीता के शान ने जो धारा प्रवाहित की थी, आज भी निरंतर गतिमान है। बुद्ध और महावीर जैसे राजर्षियों ने प्राणि मात्र के प्रति मैत्री भावना, सामाजिक समन्वयन का जो उपदेश दिया था, वह आज तक इस देश में जीवित एवं जागृत है।

* प्राध्यापक इतिहास, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** शोधार्थी (इतिहास), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अनेक विदेशी आक्रान्ताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया–यवन, शक, कुषाण, हूण, तुर्क, अफगान, मुगल, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज ब्रिटिश यह अपने धर्म और संस्कारों के साथ आये। अनेक भू–भागों पर शासन किया और इन सबों ने इस देश की संस्कृति को प्रभावित किया। पर इन संघातों के बावजूद यहाँ की मूल सांस्कृतिक धारा नष्ट नहीं हुई। जिस प्रकार अनेक छोटी–बड़ी नदियाँ एक दूसरे से मिलकर प्रवाहित होती हुई समुद्र से मिल जाती हैं, उसका अंश बन जाती हैं, उसी प्रकार भारत में प्रवेश करने वाली विभिन्न जातियाँ भारत की संस्कृति में समाहित हो गईं।

विविध जातियों ने भारत में प्रवेश कर देश की संस्कृति को समृद्ध बनाया उनकी अपनी संस्कृतियां इस देश की उन्नत संस्कृति से मिलकर अपनी पृथक् सत्ता खो बैठीं और यहाँ की संस्कृति के साथ मिलकर एकाकार हो गयीं।

भारतीय इतिहास में मुस्लिम संस्कृति का आरंभ 712 ई. से होता है, किन्तु इसका प्रभाव केवल सिन्ध तक रहा, जहाँ पर मो. बिन कासिम ने आक्रमण किया था। किन्तु 1206 ई. भारतीय इतिहास की वह सीमा रेखा है, जो एक युग का अंत कर दूसरे युग की सूचक है। सल्तनत काल दूसरे युग (मध्यकाल) का शैशव काल है। इसके पश्चात् एक नई सभ्यता, संस्कृति, जाति एवं धर्म का भारत में पदार्पण हुआ।

हम प्राचीन भारतीय हिन्दू दर्शन का चिंतन करते हैं तो उससे यही विदित होता है कि मनुष्य के जीवन का अन्तिम लक्ष्य जीवन–मरण के बंधन से छुटकारा पाना है। ईश्वर से एकाकार होना भी मनुष्य जीवन का उद्देश्य है।

अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति के तीन मार्ग भारतीय दर्शन में विद्यमान हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति। इस्लाम अपने आरम्भिक रूप में शान्ति, सौहार्द्र का संदेश देता है, यह कब बर्बर स्वरूप में आया, इसके लिए सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ भी अवश्य ही उत्तरदायी रही होंगी। किन्तु भारत में इस्लाम के वीभत्स स्वरूप से निजात पाने का तरीका भारतीय संत सुधारकों ने ढूँढ़ ही लिया। मध्यकाल में जब जीवन से हार मानकर जनमानस त्राहि–त्राहि पुकार करने लगा, तब संदेश दूत के रूप में भक्ति मार्ग से ईश्वर प्राप्ति का संदेश देने हेतु निम्बार्क, रामानन्द, नानक, मीराबाई, कबीर, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास जैसे संत हुए। क्योंकि इन संतों ने मुक्ति का मार्ग भक्ति को बताया, इसलिए यह काल भक्तिकाल के नाम से इतिहास में अमर हो गया। बघेलखण्ड में भी इसका प्रभाव पड़ा। अनेक मंदिरों, मूर्तियों का निर्माण भक्ति की रस धारा प्रवाहित करने के लिए हुआ।

अनेक शैव और वैष्णव धर्म के मठ स्थापित हुए, जिनमें आज भी अपने गौरव गाथा की कहानी लिखी और पढ़ी जा रही है। मध्ययुगीन धर्मशास्त्रियों ने जन–साधारण को हिन्दू धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए एवं उसे लोक–जीवन में जीवित करने के लिए भक्ति पर जोर दिया।

बघेलखण्ड में अनेक लोक देवी–देवताओं की स्थापना हुई। जिनकी पूजा–अर्चना हिन्दू–मुस्लिम समाजों के सभी लोग मिलकर करते हैं।

बघेलखण्ड में अनेक कबीरपंथी हुए, उनके मंदिर भी स्थापित है। यह तत्कालीन समाज का दर्शन है। जो हिन्दू–मुस्लिम सामाजिक समन्वय की ओर इंगित करता है।

इस्लाम में उत्पन्न हुई कट्टरता से निजात पाने के लिए सूफी मत का उदय हुआ। इस्लामी रहस्यवाद ही सूफी धर्म है। इसने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व प्रवेश किया, किन्तु इसका विकास शनैः–शनैः उत्तरी भारत में सम्पूर्ण भारत में फैल गया। बघेलखण्ड में इस मत के अनेक सम्प्रदायों ने प्रवेश कर इस क्षेत्र को अपनी विचारधारा से प्रवाहित कर हिन्दू–मुस्लिम

संस्कृतियों में समभाव पैदा करने का विशिष्ट कार्य किया।

बघेलखण्ड में आने वाले सूफी संतों में अनेक ऐसे संत हुए जिन्होंने अपनी विचारधारा को पुस्तकाकार स्वरूप प्रदान किया। कुछ आये और अमिट प्रभाव को छोड़कर प्रस्थान कर गये। कुछ यहीं रम गये। उनकी विचारधारा स्वयं गीता के ज्ञान से प्रभावित रही, जो गीता के इस श्लोक में समाहित है–

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्।।

(श्रीमद्भगवद्गीता, अ. 4 श्लोक 07)

बघेलखण्ड सामाजिक समन्वय का प्रतीक है यहाँ कभी भी जाति–धर्म को लेकर कोई ऐतिहासिक घटना घटित नहीं हुई। इसका एक कारण बघेल राजाओं की सहिष्णुता और मानव–प्रेम की भावना थी। स्वयं बघेल राजा विक्रमादित्य ने भोलनशाह के कर कमलों से किले की नींव रखवाई। अनेक शासकों को सूफी संतों का आशीर्वाद प्राप्त था।

राज्य में आक्रमणकारी आएँ या प्राकृतिक प्रकोप, बघेल शासक दोनों ही धर्मावलम्बियों के साधू–संतों के आशीर्वाद, मार्गदर्शन लेने स्वयं चलकर उनकी 'डेहरी' पास जाते थे और कार्य सिद्ध हो जाने पर मंदिर–मजार अवश्य बनवाते थे।

किसी भी जीव के प्रति सर्वेश्वर पूजा, व्रत कार्य, सारे संसार के विराट देव एक ही हैं। काका साहब कालेलकर ने लिखा है– संतों के मन में जात–पात का कोई महत्त्व नहीं था। सत्य–निष्ठा, सदाचार, परोपकार, संतोष, निश्प्रहता, दुःख निवारण ध्यान, भजन, नाम, स्मरण, गुरु की सेवा और अनाथों की रक्षा, यही उनके उपदेश का सार था। उनकी वाणी में समता का आदर्श, उनकी भक्ति में चरित्र, उनका अध्यात्म लोक–कल्याण की भावना थी। यही उनकी पूँजी थी, जिसके बल पर उन्होंने जनता के हृदय में प्रवेश पाया और भारत जैसे विशाल और प्राचीन देश की करोड़ों जनता के जीवन पर प्रभाव डाला जीवन का सच्चा रहस्य जानने के बाद ही उन्होंने अपनी बात जमाने के समक्ष रखी है। आज जमाना बदल गया है। सूफी संतों के आदर्शों पर चलने वालों की संख्या दिन–प्रतिदिन कम होती जा रही है। संतों ने जिस आदर्श का चित्र जनता के समक्ष रखा, उस आदर्श का हम आदर करते हैं। लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। सूफियों का धर्म है, संतोष, लेकिन आज प्रत्येक प्राणी असंतुष्ट है। फिर भी संतों की वाणी बघेलखण्ड परिसर में गंगा–जमुनी संस्कृति की परिचायक है, जिस चरित्र की बुनियाद मजबूत होती। हम जिस लोक–सेवा की दुहाई देते हैं उसकी आधारशिला सूफी संतों के द्वारा रखी गई। उनका मर्म सहसा समझ ही नहीं आता, किन्तु बघेलखण्ड के द्वारा रचित साहित्य से प्रेरणा और बल पाते हैं सूफियों द्वारा प्रदत्त और अभिव्यक्त सर्वजनीय रूप से सुलभ और मानवीय होने से सामाजिक और आध्यात्मिक होने से धार्मिक है। सांस्कृतिक रूप से एक ही धरातल पर आकर यह सिद्ध कर दिया कि विषमतापूर्ण खाईं को कैसे पाटा जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय देन के रूप में माना जा सकता है।

सूफियों का आचार–विचार उनके दर्शन, उनके साहित्य रचित ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता, बल्कि हमें इनके विचारों के लिए प्रमुख घनिष्ठ शिष्यों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों पर अवलम्बित रहना पड़ता है। सूफी का अध्ययन है भक्ति, भक्ति और भगवान का समन्वयात्मक अध्ययन, इनमें अनेक भेद भी है। तुलनात्मक दृष्टिकोण और सिद्धांत में भी मतभेद है पर सभी मानते एक ही परमब्रह्म को ही।

इस आलेख का मूल उद्देश्य धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझाना, समझनाल उसके अनुकूल आचरण करना, आदर्श उपस्थित कर सूफी संतों के उन्मूलन–भूत आधारों का परिचय देना है, जिससे

प्रभावित होकर इस क्षेत्र में शान्ति और सौहार्द्र कायम है। ऐसा सौहार्द्र सम्पूर्ण विश्व में कायम हो। ईश्वर के अस्तित्व को मनुष्य मात्र में समझ कर शान्ति एवं प्रेम की भावना अविरल गति से बहती रहे। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही, बघेलखण्ड में धार्मिक सौहार्द्र का वातावरण निर्मित हुआ है।

किन्तु अब तक के अध्ययन,मनन, चिंतन, संकलन, साक्षात्कार, मेले, उर्स एवं सामाजिक समन्वय के अध्ययन में आधार पर यह निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शोधकर्त्ता का यह प्रयास मौलिक एवं नवीन है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, प्रमीला, मध्य प्रदेश एक भौगोलिक अध्ययन, पृ. 19, 1997
2. कथं प्रलयकाले तु न नष्टा नर्मदा पुरा।
   मार्कण्डेयश्च भगवान् न विनष्टः तदाकिल।।
   शास्त्री, रामसागर, विन्ध्य दर्शन, पृ. 20, भाग 1, 1998
3. गोयन्दका जयदयाल : श्रीमद्भगवद्गीता तत्त्व–विवेचनी हिन्दी–टीका, गीता प्रेस, गोरखपुर
4. चौहान, जीवन सिंह, रीवा राज्य दर्पण एवं शास्त्री, रामसागर, विन्ध्य दर्शन, पृ. 34, भाग 1ल 1998
5. अग्रवालल कन्हैयालाल, विन्ध्यक्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल, पृ. 25
6. दि लाइफ आफ ह्वेनसांग, खण्ड 4, पृ. 46
7. अग्रवाल, कन्हैयालाल, विन्ध्यक्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल, पृ. 39
8. ऐपिग्राफिया इण्डिया, खण्ड 26, पृ. 237 तथा कनिंघम आर्कियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, खण्ड 21, पृ. 119, रीवा गजेटियर (लखनऊ) 1907, पृ. 94

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 15th Jan. 2024 **Paper Accepted : 27th Jan. 2024**

श्रीमद्भागवत पुराण में निहित आर्थिक तत्त्वों का स्वरूप

□ अम्बुज सिंह*

शोध-सारांश

किसी भी राष्ट्र को सम्यक् रूप से चलाने के लिए उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए उस राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुराणों में अर्थव्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है और किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार आदि आर्थिक क्रियाएँ आती हैं। किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी यही कारक प्रभावित करते हैं। पशुपालन भी कृषि कार्य का ही अभिन्न भाग है। व्यापार यह मानव मस्तिष्क की विशिष्ट उपज है, जिसके कारण वह अपने आर्थिक क्रियाकलापों को संपादित करता रहता है।

वर्ण–व्यवस्था में वैश्य वर्ण आर्थिक क्रियाओं से ही संबंधित था वैश्यों के लिए पौराणिक काल में 6 कार्य नियत थे–अध्ययन, यज्ञ, दान, पशुपालन, वाणिज्य और कृषि।[1] देश और समाज की समस्त अर्थव्यवस्था की धुरी वैश्य वर्ण के हाथ में चली गई थी। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले विविध कारकों का वर्णन इस प्रकार है–

कृषि

ऐतिहासिक विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है कि प्राचीन काल में मनुष्य का आहार प्रकृति प्रदत्त वस्तु ही रही है। सभ्यता के विकास के साथ उसके मस्तिष्क में पशुपालन के साथ–साथ कृषि कर्म का ज्ञान हुआ और आज वह दोनों ही क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है। भागवत पुराण भी इसी मान्यता का समर्थन करता है तथा इसी को लेकर आगे बढ़ता है।

उत्तर वैदिक काल से ही कृषि को व्यापक महत्त्व प्रदान किए जाने की परंपरा परिलक्षित होती है। वैदिक काल में ही आर्यों के मुख्य व्यवसायों में से कृषि का प्रमुख स्थान था।[2] ऋग्वेद में सीता (जोती हुई भूमि) से निवेदन किया गया है कि वह अधिक अन्न दे।[3] पौराणिक मान्यता के अनुसार किसी समय को बिना उल्लिखित किए ही बताया गया है कि ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद से दशमी पीढ़ी में उत्पन्न राजा वेन के राजत्व काल में संपूर्ण पृथ्वी समतल नहीं थी, कहीं पर्वत, कंदरा थे, कहीं वह ऊँची–नीची थी। इसमें

* *शोधछात्र, संस्कृत–विभाग,* जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज (इलाहाबाद विश्वविद्यालय), प्रयागराज
ईमेल–asar2096@gmail.com

परिवर्तन हेतु महाराज पृथु ने राज्य की सुव्यवस्था के लिए अपने नाम के अनुसार ही अपने धनुष और तीर से सैकड़ों–सहस्रों पर्वतों को उखाड़कर और उन्हें यथास्थान पर निहित कर भूमि को समतल बनाया–

समां च कुरु मां राजन्देववृष्टं यथा पयः।
अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो।।[4]

तदनन्तर पिता के सदृश प्रजा को जीविका देने वाले महाराज पृथु द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी पर ग्राम, पुर, नगर, दुर्ग, भीलों के रहने योग्य स्थान, पशुशालाएँ, छावनियाँ, खानें,किसानों के गाँव, पर्वतों की तलहटी के गाँव बसाकर सबको यथायोग्य निवास स्थान प्रदान किया गया। राजा पृथु से पूर्व इस भूमंडल पर कहीं भी पुर, ग्राम आदि की कल्पना नहीं थी, उस समय सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रहते थे।[5]

परम्परानुसार वैश्य वर्ग ही कृषि कर्म करता था। पुराणों में यत्र–तत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रों के लिए भी कृषि कर्म वर्णित किया गया है।[6]

भागवत पुराण में एक स्थल पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि, वार्त्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज इन चार वृत्तियों की आश्रयभूता है। वार्त्ता के इन चार भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य एवं ब्याज लेना व्यापारियों का और गो–पालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है–

वैश्यस्तु वार्त्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः।
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्।।[7]

पुराण काल में कृष्टपच्य[8] और अकृष्टपच्य[9] दो प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता था। कृष्टपच्य के अंतर्गत शालि, व्रीहि, यव आदि। ये वह फसलें होती थीं जिनकी खेती की जाती थी। अकृष्टपच्य के अन्तर्गत बिना जुती हुई भूमि पर स्वतः उगने वाली फसलें सम्मिलित हैं। यथा–नीवार।

धान[10] (व्रीहि व शालि), नीवार[11] तथा यव (जौ)[12] प्रमुख खाद्य फसलें हैं, जो भागवत काल में प्राप्त होती थी।

अन्य प्रमुख फसलें जो वर्तमान में नकदी फसलों के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, उनमें गन्ना, कपास प्रमुख हैं। गन्ना भारत की प्रमुख नकदी फसल थी। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र उत्तर भारत का उपजाऊ मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय भारत का विदर्भ क्षेत्र तथा पश्चिमी सागर के तटवर्ती क्षेत्र थे। गन्ने के रस से गुड़, शर्करा व खाण्डव का निर्माण होता था।[13] कपास भी मुख्यतः भारत की ही मूल फसल है। भारत से ही इसका फैलाव विश्व के अन्य देशों को हुआ। भागवतपुराण में सूती धागों, यज्ञोपवीत तथा रुई आदि के वर्णन से स्पष्ट होता है कि पुराण काल में कपास की खेती की जाती थी। सम्भवतः इसकी कृषि सतलज–गंगा बेसिन की जलोढ़ मिट्टी व प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी में की जाती थी, जहाँ इसकी ऊपज के लिए जलवायु दशाएँ अनुकूल थीं।

पशुपालन उद्योग

कृषि से ही कुछ अर्थों में पशुपालन भी संबंधित था, इसीलिए कृषि और वाणिज्य के साथ–साथ पशुपालन को भी वैश्यों की जीविका का आधार वर्णित किया गया है।[14] ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमद्भागवत काल में जिस प्रकार कृषि से वैश्यों का संबंध रह गया था, उसी प्रकार पशुपालकों का वैश्यों से अलग एक समूह बन गया। इस प्रसंग में श्री कृष्ण का कथन उल्लेखनीय है कि हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी। गोपालन ही हमारा व्यवसाय है–

कृषिवाणिज्यगोरक्षा कुसीदं तुर्यमुच्यते।
वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम्।।[15]

महाभारत में पशुपालन से संबंधित लोगों ने अलग से गिरि यज्ञ (पर्वत अथवा गोवर्धन पूजा) अथवा गो यज्ञ (गो पूजा) का आरंभ कर दिया था। इस संप्रदाय में गौ तथा पर्वत को ही देवता मानकर उसकी पूजा की जाती थी।[16] जैसे ब्राह्मण लोग मंत्र, यज्ञ तथा कृषकगण सीर यज्ञ करते थे।

आर्य आरंभ से ही पशुपालन से जुड़े हुए थे। पशुपालन ही उनकी जीविका का प्रमुख आधार था, परंतु उन्होंने गौ पालन से संबंधित किसी संप्रदाय को प्रचलित किया था, इसका उदाहरण प्राप्त नहीं होता है।

भारत के संदर्भ में देखें तो यहाँ की जलवायु मानसूनी है, इसलिए वृहद् व्यावसायिक स्तर पर पशु एवं अन्य जीव पालन के लिए अधिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं है फिर भी प्राचीन काल में देश की कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए मुख्य साधन भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु गोबर की प्राप्ति, दुग्ध, मांस , चमड़ा, ऊन आदि का प्रधान स्रोत होने के कारण पशुओं का स्थान सर्वव्यापी रहा है। पुराण काल में कृषि क्रिया के साथ पशुपालन का घनिष्ठ संयोजन देश की आर्थिक संरचना का प्रमुख लक्षण था। पशुपालन कृषि कार्य में सहायक पौष्टिक आहार की उपलब्धता, रोजगार परक और कृषक की आय वृद्धि का मुख्य स्रोत था।

तत्कालीन भारत में पशुधन संबंधी स्पष्ट एवं क्रमबद्ध विवरण न होने के कारण पशुपालन उद्योग, विभिन्न पशुओं की संख्या, उनके द्वारा उपलब्ध विविध लाभों की समुचित व्याख्या करना कठिन है, फिर भी भागवत पुराण में प्राप्त संदर्भों के आधार पर जीव–जंतु उत्पाद तथा उनके उपयोग एवं तत्संबंधी आर्थिक व्यवसाय का विवेचन निम्नवत् है–

(1) मांस तथा मांस उद्योग–पुराणकालीन अनार्य समाज में मांस का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता था। वे कच्चे मांस का भी सेवन करते थे तथा कभी–कभी मानव मांस का भी उपयोग करते थे, परंतु आर्यों में नर मांस का निषेध था।[17] प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञों में अश्व का बलिदान करते थे तथा उस मांस का उपयोग क्षत्रिय एवं ब्राह्मण किया करते थे।[18] शश, वराह, महिष, गवय, रुरु, शल्यक इत्यादि उस काल में यज्ञ के कार्य में प्रयुक्त पशु थे।[19]

कसाई द्वारा भेड़ पालन के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन भारत में मांस प्राप्ति व मांस की निश्चित आपूर्ति के लिए पशुपालन कार्य व्यापक पैमाने पर होता था तथा मांस उद्योग अपनी विकसित अवस्था में था।[20]

(2) आखेट–आखेट आहारमूलक आजीविका के रूप में आदिकाल से ही मानव के द्वारा ग्रहण किया गया जो पूर्णतः पशुओं पर आधारित था तथा यह उतनी उत्पादक आर्थिक क्रिया नहीं थी, जितनी की शोषक। तत्कालीन आर्यों ने आखेट को भी अपनी आजीविका के रूप में अपनाया था, क्योंकि वह इसके द्वारा उनके पालतू पशुओं के साथ ही कृषि की भी वन्य जीवों से रक्षा कर पाते थे। इसके अतिरिक्त उनके आहार समस्या का भी समुचित समाधान हो जाता था। तत्कालीन भारत के सघन वनों में अनेक प्रकार के जीव–जंतु निवास करते थे, जिनका आखेट किया जाता था।

आखेट, वन्य जातियों की आजीविका का प्रमुख साधन था। ये आखेट के लिए कई अस्त्रों का प्रयोग करते थे, जिसमें धनुष, बाण, भालों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में था।[21]

(3) मत्स्य उद्योग–आखेट के ही अंतर्गत जलीय प्राणियों में मत्स्य को भी काँटे एवं जाल द्वारा पकड़ा जाता था।[22] मत्स्य का शिकार मछुवारे किया करते थे, जो उनकी जीविका का आधार थी। मत्स्य प्राप्ति तीन स्थलों से सम्भव थी–सरोवर, नदी, समुद्र।[23] समुद्र तो मछलियों के अक्षय भंडार होते थे। पश्चिमी समुद्र तट पर मछुआरों द्वारा विशाल जालों से विस्तृत पैमाने पर मत्स्य आखेट का वर्णन सिद्ध करता है कि मत्स्य उद्योग विकसित अवस्था में था।

(4) दुग्ध एवं दुग्ध उद्योग–यह सर्वविदित है कि दुग्ध और दुग्ध उत्पाद मानव के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है। तत्कालीन भारत में घृत व दुग्ध भोजन के प्रमुख अंग थे। गो दुग्ध निःसन्देह पेय पदार्थों में अत्यंत महत्त्वपूर्ण था। दुग्ध, दधि,

घृत, गोरस, नवनीत इत्यादि पदार्थों का उपयोग तत्कालीन भारतीय बहुतायत मात्रा में करते थे।[24] ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति की जाती थी। (श्रीमद्भागवत पुराण) तत्कालीन समाज में यद्यपि पशुपालन सभी करते थे, किंतु समाज का एक विशेष वर्ग ही आर्थिक आजीविका के रूप में इस व्यवसाय में संलग्न था।[25]

(5) चर्मोद्योग–प्राचीन समय में जीव–जंतुओं के चमड़े का प्रयोग उत्तरीय के रूप में किया जाता था तथा चमड़े से निर्मित वस्त्र अत्यंत पवित्र माने जाते थे। तत्कालीन ऋषि, मुनि, मृग, रुरु, कृणमृग व एणेय का चर्म वस्त्र के रूप में प्रयोग करते थे।[26]

चर्मोद्योग प्रायः चर्मकारों के अर्थोपार्जन एवं आजीविका का प्रमुख आधार था। चर्मकार चर्म की विविध जीवनोपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता था, जिनमें अजिन , उपानह् (जूता), चर्मपात्र, भस्त्रा, चर्मरज्जु, चर्मासी, प्रत्यंचा, डोल, गोफन, दस्तानें, थैले आदि का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। इससे यह विचार किया जा सकता है कि चर्मकारों को चर्म परिष्करण की कला का ज्ञान था, इसलिए वह इतनी ज्यादा सामग्रियों का निर्माण चमड़े से किया करते थे।[27]

(6) ऊनी वस्त्र उद्योग–ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी की ऊपरी घाटी (गंधार क्षेत्र) में गन्धारी भेड़ें पाई जाती थीं, जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता था। परुष्णी नदी (वर्तमान में रावी नदी) का क्षेत्र भी ऊन उत्पादन एवं ऊनी वस्त्र निर्माण में विख्यात था।[28] भागवत पुराण में ऊनी वस्त्रों में कंबल का उल्लेख है।[29] इसके अतिरिक्त चमरी मृग के पूँछ के केशों से निर्मित व्यजन या बालव्यजन जो राजचिह्न होता था, इसका भी उल्लेख है।[30]

(7) अन्य उद्योग–रेशमी वस्त्रों[31] के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि रेशम उद्योग विकसित था तथा रेशम की प्राप्ति के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते थे। हाथी दाँत प्राचीन काल से ही आकर्षण के विषय रहे हैं। हाथी दाँत का प्रयोग प्रमुख रूप से शय्या निर्माण में किया जाता था।[32]

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन शासक पशुगणना में भी रुचि रखते थे।[33] श्रीमद्भागवत पुराण के व्यापक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन भारतीय पशुपालन व्यवसाय से भली–भाँति परिचित थे तथा पशु आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अग्रगण्य थे। कृषि के क्षेत्र में, युद्ध एवं दैनिक प्रयोग में जीव–जंतुओं का महत्त्वपूर्ण स्थान था। अतः जीव–जंतुओं के संरक्षण, विकास, नस्ल, प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता था।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भागवत काल में कृषि के साथ पशुपालन भी एक महत्त्वपूर्ण व्यवसाय दृष्टिगोचर होता है, जिसका विवरण यत्र–तत्र उपलब्ध होता है।[34]

खनिज–संसाधन एवं आर्थिक व्यवसाय

प्राकृतिक, समांगी, निश्चित रासायनिक संघटन एवं विशेष परमाणवीय संरचना युक्त अकार्बनिक पदार्थों को खनिजों की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में पृथ्वी को रत्नगर्भा, वसुंधरा इसीलिए कहा जाता था कि इसमें सभी प्रकार के खनिज एवं बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। प्राचीन समय में ऐतिहासिक काल से ही मानव ने सामाजिक–आर्थिक उन्नयन हेतु खनिजों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान समय में भी मानव समाज में खनिजों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किसी भी देश में खनिज संपदा के विपुल भंडार उस देश की आर्थिक संपन्नता को प्रदर्शित करते हैं। प्राचीन भारत में आर्यों ने खनिजों के महत्त्व को जाना तथा आर्थिक गतिविधियों में उन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान दिया।

भागवत काल में लोगों को लौह[35], ताम्र[36], रजत[37], स्वर्ण[38], शीशा[39], चुंबक[40] आदि प्रमुख खनिजों का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त इंद्रनील, स्यमन्तक, वज्र (हीरा), नील, पन्ना आदि का परीक्षण एवं खनन उन्नत अवस्था में था।

खनिजों का वर्गीकरण

भागवत पुराण के अनुसार खनिजों को 2 वर्गों में रखा गया है[41]–

(क) धातु खनिज–लौह, ताम्र, स्वर्ण, रजत, शीशा, चुम्बक आदि।

(ख) रत्न खनिज–पद्मराग, वैदूर्य, वज्र, स्फटिक, नीलम, मुक्ता, मरकत, इन्द्रनील आदि।

खनिजों का उपयोग

किसी भी राष्ट्र का उत्थान एवं उन्नति का मापन उस राष्ट्र में स्थित खनिज सम्पदा एवं उसके क्रमबद्ध अन्वेषण तथा अधिकतम लाभदायी प्रक्रिया से है। भागवत काल में धातु उद्योग विकसित अवस्था में था। उपलब्ध सन्दर्भों से स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्रों से धात्विक खनिज प्राप्त किए जाते थे तथा उनको पिघलाकर कृषि, उत्खनन, परिवहन, भवन, सामरिक तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। समर में धातु निर्मित अस्त्र–शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। विविध अस्त्र–शस्त्र यथा–भुशुण्डि, गदा, चक्र, पट्टिश, ऋष्टि, शक्ति, उल्मुक, प्रास, परशु, निस्त्रिंश, भल्ल, परिध, मुद्गर, मिन्दिपाल, धनु, शूल, शर, वर्मन, तोमर, शतघ्नी आदि का निर्माण लोहे से किया जाता था।[42] कृषि उपकरणों में जैसे–परशु, कुठार, क्षुरा, खनित्र, सीर, लांगल, हल आदि।[43] परिवहन के साधनों यथा–शकट की धुरी, रथ की धुरी व चक्र की नेमि, वायुयान।[44] अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुएँ यथा–सूई, उलूखन, कील, जंजीर, हथकड़ी, बेड़ी, मूसल, टंक, मूर्तियाँ आदि का निर्माण लोहे से होता था।[45] इससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन भारतीयों को धातु शुद्धिकरण एवं यंत्र निर्माण में दक्षता प्राप्त थी।

इस्पात निर्माण के लिए लोहा ढाला जाता था। दुर्गों में किलेबंदी एवं संरक्षण के लिए धातु निर्मित मशीनों और यांत्रिक औजारों का व्यापक व्यवहार यंत्र निर्माण कला की समुन्नत अवस्था को सूचित करता है।[46]

स्वर्ण, रजत, अलौह धातुओं का प्रयोग आभूषणों एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता था। अलौह धातुओं में स्वर्ण का विशेष महत्त्व था तथा इसे धातुओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था।[47] इसे हिरण्य, कांचन, रुक्म, जातरूप, पुरट, हेम, शातकौम्भ, सुवर्ण, कनक, हाटक, कर्त्तस्वर, जाम्बुनद, धेम, चामीकर, हेम्न आदि नामों से भी जाना जाता था। शासक और सैनिक अपने अस्त्र–शस्त्रों, रथों एवं पशुओं को स्वर्ण, रजत और बहुमूल्य पत्थरों से सुसज्जित करते थे। स्त्री–पुरुष विभिन्न प्रकार के रत्नजड़ित आभूषणों को धारण करते थे। कुशल कारीगर धातुओं और रत्नों से व्यक्ति एवं स्थान की महत्ता के आधार पर ही आभूषण निर्मित करते थे। बहुमूल्य पत्थरों से जड़ित स्वर्ण एवं रजत के आभूषणों के किरीट, अंगद, कुण्डल, कटिसूत्र, हार, नूपुर, निष्क, चूड़ामणी, वलय, आंगुलीयक, आदि का उल्लेख है।[48]

भारत को प्राचीन औद्योगिक विश्व में विभिन्न धातुओं के उत्पादन एवं उद्योग–धंधों में विशिष्ट स्थान प्राप्त था। यद्यपि खनिज आधारित उद्योग धंधों का भागवत पुराण में अभाव है तथापि उपलब्ध संदर्भों से स्पष्ट है कि लघु पैमाने पर औद्योगिक क्रियाकलाप संपन्न होते थे। लौहकार लौह भट्ठियों में भस्त्रा[49] द्वारा लौह को तपाते थे, जिससे मल निकल जाने पर लोहा शुद्ध हो जाता था[50], तत्पश्चात् उस लोहे से विविध औजारों का निर्माण करते थे। इस कार्य के द्वारा वह अपनी आजीविका का निर्वाह करते थे। बाणों का निर्माण करने वाले कारीगर को इषुकार कहा जाता था।[51] हेमकार[52] स्वर्ण एवं रजत के रत्नजड़ित आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे। उन्हें स्वर्ण की खानों में चट्टानों में मिश्रित स्वर्ण को प्राप्त करने तथा तपाकर उसकी अशुद्धियों को दूर करने की वैज्ञानिक विधि की ज्ञात थी।[53] मणिकार मणियों का प्रत्यभिज्ञान, परीक्षण व शान पर चढ़ाकर चमकाने व तरासने का कार्य करते थे।[54] विविध प्रकार के शिल्पियों

एवं श्रमिकों, जिनके संघ को श्रेणी कहा जाता था, को समाज में सम्मान पूर्ण स्थान प्राप्त था। तत्कालीन आर्थिक विकास एवं राज्यश्री वृद्धि में इनका प्रशंसनीय सहयोग होता था। उन लोगों से स्पष्ट होता है कि लघु पैमाने पर उद्योगों एवं उच्च दस्तकारी का विकास था।

जैवीय, खनिज एवं कृषि संसाधनों का उपरोक्त अध्ययन यह निर्धारित करता है कि भागवत पुराण कालीन भारतीय कृषि एवं शिल्प विज्ञान में वैज्ञानिक विधि से कार्यरत थे, जो प्राचीन तकनीकि का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भागवत पुराण कालीन अर्थव्यवस्था का स्वरूप तथा आधुनिक अर्थव्यवस्था के स्वरूप में काफी समता थी। कृषि और पशुपालन ही उस समय के मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप थे और आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि और पशुपालन पर अत्यधिक निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि और पशुपालन का संबंध भी अन्योन्याश्रित है। भागवत कालीन भारत वर्ष में जिस प्रकार खनिज संसाधनों के विपुल भंडार थे, वर्तमान समय में भी भारत का दक्षिणी और पूर्वी भाग खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से समृद्ध क्षेत्र है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विष्णुपुराण 03/08/10
2. लेवी बेनगाड, स्ट्रक्चर ऑफ एन्शियन्ट इन्डियन सोसायटी, हिस्ट्री एण्ड सोसायट, पृ.–217
3. कारम्बेलकर , द अर्थवन् सिविलाइजेशन, पृ.–59
4. श्रीमद्भागवत पुराण 04/18/11
5. श्रीमद्भागवत पुराण 04/18/29–32
6. आपस्तम्ब स्मृति 01/23
7. श्रीमद्भागवत पुराण 07/11/15
8. श्रीमद्भागवत पुराण 07/12/18
9. श्रीमद्भागवत पुराण 07/04/16
10. श्रीमद्भागवत पुराण 09/19/13; 08/16/40
11. श्रीमद्भागवत पुराण 09/20/14
12. श्रीमद्भागवत पुराण 09/10/34
13. श्रीमद्भागवत पुराण 10/53/13; 01/11/15; 07/09/22
14. श्रीमद्भागवत पुराण 07/11/15
15. श्रीमद्भागवत पुराण 10/24/21
16. श्रीमद्भागवत पुराण 10/24/38
17. श्रीमद्भागवतपुराण 09/09/21–23
18. शर्मा, आर., ए सोशियो पालिटिकल स्टडी ऑफ दि वाल्मीकि रामायण, वाराणसी, 1971
19. श्रीमद्भागवत पुराण 10/38/41
20. श्रीमद्भागवत पुराण 10/38/41
21. श्रीमद्भागवत पुराण 04/13/40; 11/30/33
22. श्रीमद्भागवत पुराण 10/55/04
23. श्रीमद्भागवत पुराण 04/24/20; 08/02/17; 10/17/08–11
24. श्रीमद्भागवत पुराण 10/05/14; 10/7515; 10/39/33
25. श्रीमद्भागवत पुराण 10/24/21
26. श्रीमद्भागवत पुराण 01/18/27; 04/06/36; 05/07/13;, 08/18/15
27. श्रीमद्भागवत पुराण 01/18/27; 07/15/17; 04/04/06; 11/21/22; 10/64/04; 10/54/29
28. द्विवेदी के. एन.–1985, ऋग्वैदिक भूगोल, कानपुर
29. श्रीमद्भागवत पुराण 03/03/27; 10/71/16
30. श्रीमद्भागवत पुराण 04/15/15; 10/71/17; 10/81/29
31. श्रीमद्भागवत पुराण 03/23/14; 04/08/48; 07/13/39
32. श्रीमद्भागवत पुराण 03/33/16; 04/09/61
33. श्रीमद्भागवत पुराण 06/14/34; 09/04/33–34; 10/58/50; 10/68/50
34. श्रीमद्भागवत पुराण 04/26/06
35. श्रीमद्भागवत पुराण 02/06/05
36. श्रीमद्भागवत पुराण 06/09/14
37. श्रीमद्भागवत पुराण 08/12/33
38. श्रीमद्भागवत पुराण 01/12/09
39. श्रीमद्भागवत पुराण 10/12/04
40. श्रीमद्भागवत पुराण 04/11/17
41. श्रीमद्भागवत पुराण 11/16/18
42. श्रीमद्भागवत पुराण 01/08/10; 04/10/11; 04/10/16–17; 06/10/22–23; 08/10/36; 10/54/29

43. श्रीमद्भागवत पुराण 03/25/11; 05/25/07; 06/18/41; 07/02/15; 09/13/18; 10/65/24
44. श्रीमद्भागवत पुराण 05/01/39; 05/21/14; 10/07/07; 10/76/07
45. श्रीमद्भागवत पुराण 08/10/46; 10/03/48; 10/03/52; 10/09/14; 10/41/40; 11/01/17; 11/27/12
46. श्रीमद्भागवत पुराण 10/59/03—05
47. श्रीमद्भागवत पुराण 11/16/18
48. श्रीमद्भागवत पुराण 02/02/09; 02/02/11; 04/12/38; 04/24/51; 08/06/05—06; 10/13/47—48
49. श्रीमद्भागवत पुराण 11/21/22
50. श्रीमद्भागवत पुराण 03/28/10
51. श्रीमद्भागवत पुराण 11/09/13
52. श्रीमद्भागवत पुराण 07/07/21
53. श्रीमद्भागवत पुराण 07/07/21, 11/14/25
54. श्रीमद्भागवत पुराण 03/21/47; 12/06/50

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 29th Feb. 2024 Paper Accepted : 7th March 2024

A Source of Competitive Advantage : Talent Management

❑ Dr. Ramesh Kumar*

ABSTRACT

Talent management isA difficulty for firms in this fast-paced, cutthroat corporate world. The management of talented employees is becoming increasingly important for companies operating onA worldwide scale. Organizations are fighting for the best personnel since they will be the ones steering the company and driving it to new heights of success. AsA result, there isA strong demand for skilled individuals for critical positions. Enhancing the operation's efficacy and efficiency is the main objective of any organizational plan since it has the potential to propel the organization to success. When companies want to assemble outstanding employees into winning teams, talent management becomes crucial.

INTRODUCTION

The collection of actions related to luring, picking, nurturing, and keeping top talent for key positions is known as talent management (2011) **Scullion and Collings**. They also note that talent management identifies individuals who do exceptionally well at certain tasks and activities and provides them with support to help them "push the envelope" while documenting and disseminating what they do differently so that other employees can take note and follow suit .Talent management also aims to develop and deploy the right people at the right job at the right time and provide them with the right environment to showcase their abilities in the best possible way for the organization **(Uren & Jackson, 2012**). Organizations should have the ability and capacity to recognize the people and the capability that may create value and deliver the competitive advantage for the organization. InA global context, talent management has becomeA challenge for all enterprises, regardless of nationality. In **Gardner (2002).**Moreover, the concern of the lack of talent isA global problem.Every organization in the world is vying for the same talent.In order to maintain their competitive advantage in the market, the global integration trend demonstrates the standardization in talent acquisition, management, and development.

AsA result, businesses are implementing the greatest local and international people management techniques.

[Stahl and colleagues, 2007]. Talent management hasA number of advantages, including enhanced productivity, staff

* *Assistant Professor, Department of Commece* Baba Barua Das P.G College Paruiya Ashram Ambedkar Nagar.

retention,A culture of excellence, and much more **(Ballesteros & Inmaculada, 2010).**Talent management isA difficulty for firms in this fast-paced, cutthroat corporate world. **(2011) Schuler et al**. The management of talented employees is becoming increasingly important for companies operating onA worldwide scale. Organizations are fighting for the best personnel since they will be the ones steering the company and driving it to new heights of success. AsA result, there isA strong demand for skilled individuals for critical positions.Talent management isA challenge for businesses in today's competitive, fast-paced business environment. **(2011) Schuler & Co**. For businesses that operate globally, managing gifted personnel is becoming more and more crucial. Companies are vying for the top employees since they will be leading the business and taking it to new heights of achievement. Because of this, there isA high demand for qualified people to fill important roles.In the knowledge economy, attracting, developing, and keeping talented employees is the primary challenge, so businesses are concentrating on hiring and retaining qualified employees.

THEORY OF TALENT MANAGEMENT

A variety of frameworks and theories have been established on the transformation of talent into improved performance.A company's unique competence is founded on its specialized resources and assets. The organization's members' resources, assets, and skills are connected to the company's distinctive competence, and the best use of these resources gives the companyA competitive edge. The idea of the company has given rise to two fundamental theories: talent-based theory and resource-based theory.

According to talent-based theory, firms should prioritize attracting and retaining exceptional employees because they are the only resource that can aid in attaining and sustainingA competitive edge. Since talent exists in each person's head and firms only integrate and provide systems and structural arrangements for coordination and cooperation between the talented workers, they are viewed as talent integration institutes rather than creating or acquiring talent.

A more modern philosophy of businesses, known as the talent-based view of the business, emphasizes the need to grow and improve employee competency throughA methodical process of talent acquisition, sharing, and transfer in order to provide the businessA competitive edge. Rival enterprises compete based on the variety and immobility of their resources and competencies, according to the resource-based paradigm **(Petered& Bergen, 2003).** Resources can be organizational, human, or physical, and they can be leveraged to carry out value-creating initiatives. Resources that are valuable, rare, unique, and non-substitutable have the ability to give businessesA long-term competitive edge, as proposed by **Barney (1991)**. Talent assets areA group of resources that appear to meet the aforementioned requirements.

3 . ASPECTS OF TALENTMANAGEMENT

The talent management strategy should be articulated and integrated with organizational strategy; talent management is linked to the organization's people and Culture**. Y. Coleman (2008)** suggested certain factors which can help the successful implementation of talent management strategy.

The organization's people and culture are its foundation for developing an effective talent management strategy. The most difficult aspects of managing talent for managers are cultural rather than technical. It is extremely difficult to overcome cultural barriers, particularly when retaining knowledge is valued more highly than imparting it to others **(Cole-Gomulka, 2007)**. The competitive character of employees and their preference for information retention over knowledge comparison are the root causes of this perception, as they occasionally feel that others lack the same competencies as them-

selves.Compensation isA crucial component of talent management; if individuals who offer their skills are provided with the appropriate incentives, knowledge sharing will be successful **(The Banker, 2004)**. The sharing of expertise and knowledge must be encouraged by the system of rewards and pay. Incentives for employees who share knowledge more across the organization are crucial, but it's also critical to ensure that staff members recognize the value of talent management **(Cole-Gomolski, 2006).** Constructive talent comes from relatively low levels in the organization; these individuals are not on incentive systems and may respond much more kindly to the sense of belonging to highly motivated, cutting edge, innovative groups of people. This presentsA challenge for many compensation schemes and incentives for talent distribution. This suggests that culture ultimately playsA crucial role, acting as an unquestioning, even unconscious code that encourages skill sharing and cooperative behavior **(The Banker, 2004).**

ELEMENTS OF TALENT MANAGEMENT

There are three main elements of talent management

(a) Talent attraction and selection

(b) Talent Retention

(c) Talent development

(a) Talent attraction and selection– Armstrong (2006) asserts that organizations should employA variety of strategies and procedures to find and hire the best candidates. The first and most crucial step in the talent management process is talent pool recruitment. The talent pool isA collection of applicants who have the potential to be the organization's executives and who will lead it to competitive performance. Therefore, finding and hiring talented people is essential to improving and maintaining the organization's performance. There are two ways in whichA talent pool can be created: internally and externally.

The talent pool for internal recruitment will consist of the organization's departing employees. Internal hiring may be advantageous since new hires are already familiar with the organization's culture and methods of operation. It may also boost staff morale if promotions are made internally **(Davis et al., 2007)**. However, whenA company wishes to innovate and bring aboutA culture shift, looking outside of the organization is the greatest approach to find talent **(Ballesteros & Inmaculada, 2010).** Employer branding is the process of creatingA company image that is appealing enough to draw in new hires. It is challenging to draw in the proper talent withoutA strong brand image **(Ana, 2009).**

(b) Talent Retention–The technique of keeping talented workers with the company for extended periods of time is known as talent retention. Any firm that hasA talent exodus faces severe consequences, including decreased production and increased expenses associated with attracting new personnel **(Echols, 2007**).

There are two categories for keeping talented individuals in an organization. both internal and external. Extrinsic incentives are financial prizes that may assist employees meet their physiological demands, whereas intrinsic incentives are non-monetary rewards that can meet employees' psychological needs. It is acknowledged that financial compensation isA crucial instrument for keeping talent **(Vaiman & Vance, 2008).** In addition, the business must make greater investments in order to keep its personnel. Attracting and maintaining talent requiresA strong rewards program. Employee motivation may result in strong organizational performance **(Mendez & Stander, 2011).**

(c) Talent development–In this competitive and dynamic business era, learning and development has becomeA backbone of success, without continuous learning, gaining and maintain performance may become impossible. Strategy makers and HR practitioners are moving their focus towards learning and development of the talented employees to enhance organizational

performance. Talent development is process of upgrading the skills and attitude of the employees. As the business continuously keep on changing the technologies business models and new strategies to cope up with these changes organization needs to enhance and upgrade the knowledge of the employees. While making strategies for development practitioners must keep in mind the integration and strategic fit between the current talent and the skills of the employees.

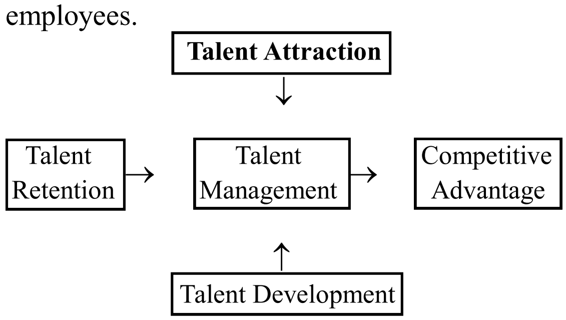

Fig .1

Model of theory derived from literature

THE RELATIONSHIP BETWEEN TALENT MANAGEMENT AND COMPETITIVE ADVANTAGE

Enhancing the operation's efficacy and efficiency is the main objective of any organizational plan since it has the potential to propel the organization to success. When companies want to assemble outstanding employees into winning teams, talent management becomes crucial. These teams will be used by the organization to address specific issues or departmental shortcomings. For instance, if there is an issue in the financial department, the company will put togetherA team to handle it, and since they are knowledgeable and experienced in this area, they will handle it **(Davis et al., 2007).**Research indicates that when it comes to complicated organizational tactics and technologies, human factor playsA critical role in success. Managers should therefore take into account the variables that affect the success of the firm. **Lewis & Heckman (2006)** distinguished three main streams for evaluating the efficacy of talent management techniques in this regard. Authors aligned with the third stream seem to view analytics asA collection of metrics and measures for use by various users. The first stream describes an analytical technique to tie talent management to financial performance. The second stream emphasizes the process of analyzing and optimizing the talent management system.

Researchers evaluate the connection between people management competencies and financial organizational performance fromA financial standpoint, highlighting the benefits of investing in talent management. When it comes to sales revenue and productivity **(Steinweg, 2009)**, Net Profit Margin and Earnings Before Interest, Depreciation, and Amortization (EBITDA), Return on Assets and Return on Equity, or Return on Shareholders' Value and Market Value, companies that use talent management practices outperform their peers in the industry.Furthermore, various studies show that longer-term proactive internal succession planning and improved retention rates result in cost savings associated with talent management.

Talent asset management can also have an impact on business success, according to research by **Carlucci et al. (2004)**. Research indicates that the business performance ofA company hasA significant influence in generating value for its main stakeholders. Additionally, research indicates that some talents serve as the foundation for organizational procedures, which are utilized to manage businesses successfully and efficiently. The created value playsA critical role in business process management. Ultimately, an organization's talent assets are managed through the development and processing of organizational skills. Therefore, it is evident that organizational competences are the outcome of talent assets managed effectively and efficiently, which boosts business performance and value creation. Similarly, successful talent asset management will equip businesses with the

know-how to match market need with available talent **(Zott, 2003).**

When markets change, emerge, and eventually perish, the company uses its dynamic skills to accomplish new resource configurations. Individual businesses can achieve longer-term superior performance andA durable competitive advantage more effectively by utilizing dynamics skills **[Teece et al., 1997].**

Research has demonstrated the critical significance that personnel management techniques have in helping businesses compete and gainA competitive edge over their rivals. Additionally, it is investigated how innovations and new technologies might only provideA companyA temporary competitive edge. According to **Heimen and Colleen (2004)**, talent management is the only discipline that provides an organization withA sustainable competitive edge in the market through talent attraction, development, motivation, management, and reward. LikeA machine,A business needs to be planned, run, and maintained. It will also fail to function properly if important components like systems, procedures, and structure are out of alignment or impeded by friction between those components. The talent that the company employs—its human capital—performs these tasks. Talent, or the people within an organization, is, in fact, usually the single most important lever for enhancing corporate success. An organization's fundamental capabilities are mostly made up of the talent that works there combined. Talent in an organization adds capabilities that are very hard for rivals to match or imitate. Talent offers the most potential for long-term competitive advantage of any asset **(Lawler 2008).**

CONCLUSION

Talent management isA difficulty for firms in this fast-paced, cutthroat corporate world. The management of talented employees is becoming increasingly important for companies operating onA worldwide scale. Organizations are fighting for the best personnel since they will be the ones steering the company and driving it to new heights of success. AsA result, there isA strong demand for skilled individuals for critical positions.

The collection of actions related to luring, picking, nurturing, and keeping top talent for key positions is known as talent management. They also note that talent management identifies individuals who perform exceptionally well at specific tasks and activities and provides them with support to push the boundaries while documenting and disseminating their unique approaches so that peers can learn from them. Talent management also aims to develop and deploy the right people at the right job at the right time and provide them with the right environment to showcase their abilities in the best possible way for the organization. Organizations should be able to recognize the people and capabilities that may create value and deliverA competitive advantage.

REFRENCES

- Zott, C. (2003). Dynamic capabilities and the emergence of intra-industry differential firm performance: Insights fromA simulation study. Strategic Management Journal, 24(2), 116- 123.
- Lewis, R. E., & Heckman, R. J. (2006). Talent management:A critical review. Human Resource Management Review, 16(2), 139-154.
- Mendez, F., & Stander, M. (2011). Positive Organization. The role of leader Behaviour in work engagement and Retention. South African Journal of Industrial Psychology, (37)1, 1-13.
- Schuler, R. S., Jackson, S. E., & Tarique, I. (2011). Framework for global talent challenges: HR actions of global talent management. In Scullion, H. and Collings, D. Global Talent Mangement (London: Routledge).
- Scullion, H. & Collings, D. G. (Eds) (2011). Global talent management routledges. New York & London.
- Stahl, G. K., Björkman, I., Farndale, E., Morris, S. S., Paauwe, J., & Stiles, P. (2007). Global talent management: How leading multinationals build

and sustain their talent pipeline. INSEAD Faculty and Research, Working Papers, 2007/24/OB.

- Steinweg, S. (2009). Systematisches Talent management: Kompetenzen strategisch einsetzen. Stuttgart: Schäffer-Poeschel.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.
- Uren, L., & Jakson, R. (2012). What talent wants: The journal to talent segmentation, Jackson Samuel, www.jacksonsamuel.com. Vaiman, V., & Vance, C. M. (2008).
- Smart talent management: building knowledge assets for competitive advantage. Edward Elgar Publishing Ltd. Wright, P. M., McMahan, G. C., & McWilliams, A. (2009).
- Human resources asA source of sustained competitive advantage:A resource-based perspective. International Journal of Human Resource Management, 5, 301-326
- Ana, H. (2009). War of talent, faculty of social sciences and behavioral sciences. Tilburg University. Armstrong, M. (2006).A handbook of human resource management practices. 10th edition. London: Kogan.
- Ballesteros, S. R., & Inmaculada, D. F. (2010). Talents the key for successful organization. Unpublished thesis, Linnaeus School of Business &Economics, Linnaeus University.
- Banker, (2004). CSFI knowledge bank.The Banker, 147(862), p. 15.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 109-114.
- Carlucci, D., Marr, B., & Schiuma, G. (2004). The knowledge value chain – how intellectual capital impacts business performance. International Journal of Technology Management, 27(6/7), 575-90.
- Lawler, E. E. (2008). Talent: Making people your competitive advantage. San Francisco: JosseyBass.
- Davis, T., Maggie, C., & Neil, F. (2007). Talent assessment,A new strategy for talent management. Gower, United States.
- Peteraf, M., & Barney, J. (2003). Unraveling the resource-based tangle. Managerial and Decision Economics, 24, 309-323.
- Cole-Gomolski, B. (2006). Chase uses new apps to ID best customers. Computerworld, 31(35), 49-50.
- Armstrong, M. (2006).A handbook of human resource management practices. 10th edition. London: Kogan.
- Echols, M. (2007). Winning the turnover war. Retrieved 20th May 2013 from www.talentmgt.com.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 29th Feb. 2024 Paper Accepted : 7th March 2024

Challenges and Opportunities in Tribal Education for Improved Quality of Life : A Case Study of U.P.

❑ Dr. Ashish Kant Chaudary*

ABSTRACT

This paper examines the challenges and opportunities in tribal education in Uttar Pradesh, focusing on the impact on the quality of life among tribal communities. It explores the barriers to education, such as socioeconomic factors, limited infrastructure, language and cultural barriers, gender disparities, teacher shortages, and curriculum gaps. Promising approaches include community-based education, multilingual and multicultural approaches, teacher training, community engagement, and leveraging technology. Case studies highlight successful initiatives. Addressing these challenges and implementing effective strategies can empower tribal communities and improve educational outcomes, leading to enhanced quality of life in Uttar Pradesh's tribal populations.

Keywords: *Tribal Education, Socio economic Factors, Gender Disparities, Teacher Shortages, Teacher Training,*

Introduction

Tribal education playsA crucial role in empowering marginalized communities and improving their quality of life. In the state of Uttar Pradesh, India, tribal communities face unique challenges in accessing quality education due to various socioeconomic, cultural, and geographic factors. This paper aims to examine the issues and challenges surrounding tribal education in Uttar Pradesh and explore the potential opportunities for enhancing the quality of life among tribal populations. Uttar Pradesh is home toA diverse range of tribal communities, each with its distinct cultural heritage, languages, and traditions. These communities have historically faced marginalization and socio-economic disparities, leading to limited access to education and opportunities for development. Understanding the context and background of tribal education in Uttar Pradesh is essential to address the specific challenges faced by these communities.

Objectives of the Study–The primary objective of this study is to analyse the issues and challenges in tribal education in Uttar Pradesh and their implications for the quality of

* *Assistant Professor, Faculty of Commerce,* Banaras Hindu University, Varanasi, U.P. India Email: akc@bhu.ac.in Mob: 9454816659

life among tribal populations. The study aims to identify the barriers hindering access to quality education, assess the impact of education on various aspects of tribal life, and explore potential strategies and interventions to improve tribal education and enhance the overall quality of life for tribal communities.

(b) Significance of the Study–This study holds significant importance for multiple stakeholders, including policymakers, educators, researchers, and tribal communities themselves. By examining the challenges faced by tribal communities in accessing quality education, the study can inform the development of targeted policies and interventions to address these issues effectively. Moreover, understanding the impact of education on the quality of life among tribal populations can contribute to evidence-based decision-making and foster sustainable development efforts.

Tribal Communities in Uttar Pradesh– Uttar Pradesh is home toA diverse range of tribal communities, including but not limited to the Tharu, Gond, Bhoksa, Kharwar, and Kol tribes. These tribes have distinct cultural identities, languages, and traditional practices, contributing to the rich cultural fabric of the state. Understanding the demographic and cultural diversity of tribal communities is crucial for tailoring educational interventions to meet their specific needs. The current status of tribal education in Uttar Pradesh presentsA mixed picture. While efforts have been made to expand educational opportunities for tribal communities, significant disparities persist. The literacy rates among tribal populations remain lower compared to the general population, with limited access to formal education. The enrollment rates, retention rates, and completion rates in schools are often lower among tribal students, indicating the need for targeted interventions to address the educational gaps.

Educational Policies and Initiatives for Tribal Development–

Uttar Pradesh, along with the central government of India, has implemented various policies and initiatives to promote tribal education and development. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, and the Right to Education Act, 2009, aim to ensure access to education for tribal communities. Additionally, specific programs such as the Tribal Sub-Plan (TSP) and the Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan (SCA to TSP) have been introduced to allocate resources for tribal welfare and education.

However, despite these policy efforts, challenges persist in the effective implementation of these initiatives. Issues such as inadequate infrastructure, teacher shortages, lack of relevant curriculum and teaching materials, and limited community involvement pose significant hurdles to improving tribal education outcomes in Uttar Pradesh.

Understanding the current status of tribal education in Uttar Pradesh and the existing policies and initiatives providesA foundation for identifying the gaps and challenges that need to be addressed. The subsequent sections of this paper will delve deeper into the specific barriers hindering access to quality education for tribal communities and explore potential strategies to overcome these challenges. By analysing the overview of tribal education, this study aims to provideA comprehensive understanding of the existing educational landscape and lay the groundwork for informed policy recommendations and interventions.

Barriers to Tribal Education

Access to quality education for tribal communities in Uttar Pradesh is hindered by several barriers and challenges. Understanding these barriers is essential for devising effective strategies to improve tribal education outcomes. The following are key barriers that affect tribal education in the region–

(a) Socioeconomic Challenges and Poverty

(b) Limited Access to Quality Educational Infrastructure
(c) Language and Cultural Barriers
(d) Gender Disparities in Education
(e) Teacher Shortages and Quality of Education
(f) Lack of Relevant Curriculum and Pedagogy

Impact of Education on Tribal Quality of Life

Education playsA crucial role in transforming the quality of life among tribal communities in Uttar Pradesh. Access to quality education can have far-reaching effects on various aspects of tribal well-being and empowerment. The following are key areas where education can positively impact the quality of life among tribal populations–

(a) Economic Empowerment and Livelihood Opportunities
(b) Health and Well-being
(c) Social Inclusion and Empowerment
(d) Cultural Preservation and Identity

The impact of education on tribal quality of life extends beyond these areas, influencing factors such as social mobility, gender equality, and community resilience. Education empowers individuals to challenge social norms, break down barriers, and foster intergenerational progress. It equips tribal communities with the knowledge and skills needed to adapt to changing social, economic, and environmental dynamics.

Challenges and Issues in Tribal Education

Despite efforts to improve tribal education in Uttar Pradesh, several challenges and issues persist. Understanding these challenges is crucial for devising effective strategies and interventions to address them. The following are key challenges and issues faced in tribal education:

(a) Policy Implementation and Governance
(b) Socioeconomic Factors
(c) Teacher Recruitment, Training, and Retention
(d) Community Engagement and Participation
(e) Infrastructure Development and Access
(f) Monitoring and Evaluation of Educational Programs

Addressing these challenges requiresA multi-dimensional approach that encompasses policy reforms, improved governance, community involvement, capacity building, infrastructure development, and robust monitoring and evaluation systems. By addressing these issues, policymakers, educators, and stakeholders can work towards fostering inclusive and equitable educational opportunities for tribal communities in Uttar Pradesh.

Promising Approaches and Opportunities

To overcome the challenges faced in tribal education in Uttar Pradesh, various approaches and opportunities can be explored. The following strategies hold promise for improving tribal education outcomes and creating more inclusive and empowering learning environments:

(a) Community-Based Education Models
(b) Multilingual and Multicultural Education
(c) Enhancing Teacher Competence and Professional Development
(d) Strengthening Partnerships and Collaboration
(e) Leveraging Technology for Education

These approaches and opportunities provideA foundation for improving tribal education in Uttar Pradesh. ImplementingA combination of these strategies, customized to the specific needs and context of tribal communities, can contribute to more equitable, inclusive, and empowering educational experiences for tribal students. By embracing these promising approaches, policymakers, educators, and stakeholders can foster positive change and enhance tribal education outcomes in Uttar Pradesh.

Case Studies and Best Practices

The following examples demonstrate

promising approaches and best practices from different regions:

(a) Successful Tribal Education Initiatives in Uttar Pradesh–The Eklavya Model Residential Schools (EMRS): EMRS isA government-run initiative that provides quality education to tribal students from remote areas. These residential schools focus on academic excellence, preserving tribal culture, and promoting holistic development. They offerA conducive learning environment, quality teaching staff, and comprehensive support services for the overall well-being of tribal students.

Community-led Education Initiatives: In some tribal regions, community-led initiatives have emerged to address educational challenges. These initiatives involve the active participation of tribal community members in setting up and managing schools. Local resources and indigenous knowledge are utilized, ensuring cultural relevance in the curriculum and fosteringA sense of ownership and empowerment within the community.

Mobile Education Units: Mobile education units equipped with audio-visual teaching aids, books, and learning materials are utilized in remote tribal areas to reach out to students who have limited access to schools. These units travel to different tribal villages, providing educational support, supplemental instruction, and teacher training. They bridge the geographical divide and promote educational opportunities for marginalized tribal communities.

(b) Lessons Learned and Replicability– Inclusive Teacher Training Programs: Successful initiatives have emphasized the importance of specialized teacher training programs that address the needs of tribal education. These programs focus on cultural sensitivity, understanding the specific challenges faced by tribal students, and adopting inclusive teaching practices. Incorporating experiential learning and field-based training can enhance teachers' abilities to provide effective instruction to tribal students.

Community Engagement and Empowerment: Best practices highlight the significance of community involvement in shaping educational initiatives. Engaging tribal communities in decision-making processes, incorporating their perspectives and knowledge, and fostering partnerships between schools and communities can lead to more impactful and sustainable interventions.

These case studies and best practices offer valuable insights into effective approaches and strategies for tribal education. While each context is unique, adopting and adapting these best practices can inform the design and implementation of interventions in Uttar Pradesh. By leveraging the experiences and lessons learned from successful initiatives, stakeholders can work collaboratively to create sustainable and impactful educational interventions for tribal communities in the region.

Conclusion

Tribal education in Uttar Pradesh faces numerous challenges and barriers, but there are also promising opportunities for improvement. This paper has examined the issues surrounding tribal education, explored the impact of education on the quality of life among tribal communities, and discussed potential strategies and best practices to overcome these challenges.

The barriers to tribal education encompass socioeconomic challenges, limited access to quality infrastructure, language and cultural barriers, gender disparities, teacher shortages, andA lack of relevant curriculum and pedagogy.

Drawing on successful case studies and best practices, it is evident that initiatives such as Eklavya Model Residential Schools, community-led education programs, and mobile education units have yielded positive outcomes in tribal education. Key lessons learned include the importance of inclusive teacher training programs, community engagement and

empowerment, culturally responsive curriculum, and multi-sectoral collaboration.

By embracing these opportunities and implementing evidence-based strategies, policymakers, educators, and stakeholders can create an inclusive and empowering educational ecosystem for tribal communities in Uttar Pradesh. This, in turn, will contribute to enhanced educational outcomes, economic empowerment, improved health and well-being, cultural preservation, and social inclusion among tribal populations.

Ultimately, investing in tribal education is not onlyA matter of social justice but alsoA pathway to sustainable development and the empowerment of marginalized communities. By prioritizing and strengthening tribal education in Uttar Pradesh, we can fosterA more equitable and inclusive society, where every tribal individual has the opportunity to thrive and contribute to the overall progress of the state.

References

1. Government of India. (2006). The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.
2. Government of India. (2009). The Right to Education Act, 2009.
3. Ministry of Tribal Affairs, Government of India. (2020). Tribal Sub-Plan (TSP).
4. Ministry of Tribal Affairs, Government of India. (2020). Special Central Assistance to Tribal Sub-Plan (SCA to TSP).
5. National Council of Educational Research and Training. (2005). Education for All: Towards Quality with Equity. New Delhi: NCERT.
6. Ramanathan, S. (2017). Tribal education in India: Critical reflections. Oxford Research Encyclopedia of Education.
7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2009). Reaching the Unreached: Education for All and Indigenous Peoples. Paris: UNESCO.
8. Verma, S. (2019). Challenges of education in tribal areas of India. International Journal of Research and Analytical Reviews, 6(2), 491-495.
9. World Bank. (2019). Tribal and Indigenous People's Education in India: Challenges and Policy Options. Washington, DC: World Bank Group.
10. Yadav, R. (2015). Tribal education in India :A critical analysis. International Journal of Educational Science and Research, 5(4), 193-200.
11. Kadam, S. S. (2018). Tribal Education in India: Challenges and Opportunities. Indian Journal of Applied Research, 8(11), 52-53.
12. Mishra, R., & Mishra, S. (2020). Tribal Education in India: Challenges and Remedies. International Journal of Humanities, Art and Social Studies (IJHAS), 5(6), 19-27.
13. Parashar, S., & Tiwari, A. K. (2019). Quality Education for Tribal Children: Challenges and Possible Solutions. Indian Journal of Applied Research, 9(2), 1-2.
14. Purohit, S., & Patra, S. (2020). Tribal Education: Problems and Challenges in India. International Journal of Scientific Research and Management, 8(7), 74-78.
15. Singh, S. P., & Kumar, R. (2017). Education of Tribal Children in India:A Study of the Problems and Challenges. International Journal of Applied Research, 3(11), 601-603.
16. Yadav, D. K., & Yadav, S. (2017). Issues and Challenges in Tribal Education:A Comparative Study of Two States. Journal of Education and Practice, 8(28), 78-85.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

बालक-बालिकाओं में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति

❑ श्रीमती मीनाक्षी तँवर*

शोध-सारांश

कुछ अलग व भिन्न करने का कौशल ही सृजनात्मकता कहलाती है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अनोखा है। सृजनात्मक का क्षेत्र भिन्न–भिन्न है। किसी में कलात्मक है तो किसी में वैज्ञानिक है। इसे समय–समय पर प्रयास करने से विकसित किया जा सकता है। इसके लिए नियमित वातावरण चाहिए। कठोर अनुशासन से यह समाप्त हो जाती है। सृजनात्मक के तत्त्व हैं–मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन तथा विस्तारण आदि। माता–पिता, विद्यालयों एवं शिक्षक बालकों के गुणों व कार्यों के आधार पर उनके सृजनात्मक गुणों का पता लगा सकते है। इनमें किसी भी कार्य कि लिए लगन, जिज्ञासा, दूरदर्शिता, कार्यशीलता और जोखिम उठाने का गुण पाया जाता है। माता–पिता, विद्यालय तथा शिक्षक को चाहिए कि उन्हें स्वतंत्रता दी जाये ताकि उनका कौशल उभर सके। माता–पिता तथा शिक्षक बालकों के साथ नियमित परामर्श के साथ–साथ मस्तिष्क उद्वेलन, समस्या समाधान, सामूहिक चर्चा, खेल, भूमिका अदा करना आदि के माध्यम से सृजनात्मकता को विकसित करने तथा उसकी अभिव्यक्ति करने में सहायक बन सकते हैं। जिससे बालक–बालिकाएँ अपनी सृजनशीलता के कौशल को विकसित कर समाज की प्रगति में सहायक हो सकें।

प्रस्तावना

मानव–जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बाल्यावस्था मानव–जीवन की प्रारम्भिक अवस्था है। जिसमें व्यक्ति की समस्त शारीरिक, मानसिक क्षमताओं का आविर्भाव, प्रस्फुटन और विकास होता है। यह विकास काल ही बालक के भावी जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। आज का अबोध और कोमल बालक कल समाज और राष्ट्र की बागडोर अपने हाथों में सँभालता है। बच्चों के लिए संदर्भित योजनाएँ उनके भविष्य का निर्माण करती हैं। बाल विकास तथा सृजनात्मक विकास के परिसंदर्भों में सम्पन्न हुए शोध अध्ययनों में भी यह तथ्य सुनिश्चित हो चुका है कि बच्चे के विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था महत्त्वपूर्ण है। बाल्यावस्था को महत्त्वपूर्ण

* *सहायक आचार्य (गृह–विज्ञान)*

मानते हुए भारत सरकार ने 22 अगस्त, 1974 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसमें बच्चों को राष्ट्र की महत्त्वपूर्ण पूँजी माना गया। फिर भारत सरकार ने ''बच्चों की मुस्कान राष्ट्र की शान'' का नारा देकर उनके सर्वांगीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम तैयार किए। 31 दिसम्बर, 1978 की पूर्व संध्या पर भूतपूर्व राष्ट्रपति रेड्डी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा–''बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं और उनके स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए समुचित देखभाल करना आवश्यक है।''

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में ही समायोजित होकर रहना है। मनुष्य को सृजनशील प्राणी भी कहा जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार से चिंतन कर सृजनात्मकता का गुण विकसित होता है। जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। व्यक्ति के अन्दर सृजनात्मक शक्ति विद्यमान होती है। समाज में बहुत से आविष्कार सृजनात्मकता पर आधारित हैं। उदाहरणस्वरूप हम कह सकते हैं कि जब एक शिल्पकार अच्छी मूर्ति बनाता है, जब एक कवि अच्छी कविता की रचना करता है या जब एक इंजीनियर नई तकनीक का प्रयोग कर मशीन का निर्माण करता है, तो वह अपनी सृजनात्मकता का परिचय देता है। हमारे समाज का विकास विज्ञान पर निर्भर है। अतः विज्ञान को विकसित करने के लिए एक चिंतन की आवश्यकता है। जिस कारण सृजनात्मकता को महत्त्व देकर हर प्रयास करना चाहिए कि बालक–बालिका सृजनात्मक हों।

चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। परन्तु व्यवहार के द्वारा हम चिंतन को परोक्ष रूप से समझ सकते हैं। चिंतन भी दो प्रकार का होता है–

(1) अभिसारी,

(2) अपसारी।

अभिसारी चितंन में किसी समस्या के एकमात्र समाधान और किसी प्रश्न के एक उत्तर पर विचार किया जाता है, जबकि **अपसारी चिंतन** में समस्या के वैकल्पिक समाधानों और प्रश्नों के सभी वैकल्पिक उत्तरों पर गहराई से विचार किया जाता है। अर्थात् अपसारी चिंतन द्वारा समस्या समाधान के कई संभावित उत्तरों पर सोच–विचार करना एवं साथ ही अपनी ओर से कुछ नया एवं मूल जोड़ कर समस्या समाधान करना ही सृजनात्मकता है।

सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषा

सामान्य शब्दों में कहा जाये तो कुछ सार्थक नवीन और अनोखी सोच व कुछ नया अलग करने की क्षमता ही सृजनात्मकता कहलाती है, किंतु यह तभी सार्थक सिद्ध होगी जब इस अनोखी सोच में उपयोगिता का गुण विद्यमान होगा।

सिम्पसन के अनुसार–''सृजनात्मक योग्यता वह पहलू हैं जिसे कोई भी बालक या व्यक्ति परम्परागत विचारक्रम से हटकर अपनी (बौद्धिक) क्षमतानुसार अभिव्यक्ति करता हैं।''

स्टैन के अनुसार–''जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जो किसी समय में समूह उपयोगी तथा मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है।''

गिलफोर्ड के अनुसार–''कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से होता है, कभी सृजनात्मक रचना से तथा कभी सृजनात्मक उत्पादकता से।'' अनेक विद्वानों के बाद सृजनात्मकता की स्पष्ट परिभाषा **ड्रेवडाल** ने सन् 1956 में दिया। ''सृजनात्मकता चिंतन या सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ नयी चीजों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है। जो नया होता है व पहले से ज्ञात नहीं होता है। यह एक काल्पनिक क्रिया या चिंतन संश्लेषण हो सकता है। इसमें गत अनुभूतियों से उत्पन्न सूचनाओं का एक नया प्रतिमान और सम्मिश्रण सम्मिलित हो सकता है। यह निश्चित रूप से उद्देश्यपूर्ण या साक्ष्य होता है, न कि एक निराधार स्वप्न चित्र होता है। यह वैज्ञानिक, कलात्मक या

साहित्यिक रचना के रूप में हो सकता है।''

सृजनात्मक बालक–बालिकाओं की पहचान एवं विशेषताएँ

(क) शैक्षिक योग्यता से संबंधित सृजनात्मक बालकों की पहचान निम्न कारणों द्वारा कर सकते हैं–

- इन बच्चों में सीखने की सरलता एवं तीव्रता होती है।
- प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं।
- शब्द भंडार अधिक होता है।
- बातचीत के दौरान विशेष व स्पष्ट शब्दों का चुनाव करते हैं।
- व्यवहार में लचीलापन होता है।
- समस्या समाधान की समझ होती है।
- विषयों की तार्किक समझ होती है। विभिन्न विषयों पर रुचि व समान पकड़ होती है।

(ख) कलात्मक प्रतिभा से सम्पन्न सृजनात्मक बालक–

- कलात्मक प्रतिभा से सम्पन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के चित्र आँकने की प्रतिभा होती है।
- दूसरों की हूबहू नकल करने की कलात्मक क्षमता होती है।
- अपने मन के उद्‌गारों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। जैसे–कविता, कहानी आदि।
- खाली समय में विभिन्न प्रकार के लेखनीय कलात्मक चित्र बनाने में व्यस्त रहते हैं।
- अनउपयोगी वस्तुओं को उपयोगी रूप से प्रयोग करने की क्षमता अधिक होती है।
- यह करके सीखने पर अधिक विश्वास करते हैं।

(ग) यांत्रिक क्षमता से युक्त बालकः–

- इन्हें गैजेट्स से अधिक लगाव होता है।
- यांत्रिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं।
- खाली समय में यांत्रिक वस्तु के निर्माण में रुचि रखते हैं।
- यह किसी भी असफलता से निराश नहीं होते हैं। कार्य को पुनः नये तरीके से करने में लग जाते हैं।
- इन बालकों में विज्ञान व गणित विषयों पर अधिक पकड़ व रुचि होती है।

गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्त्व

(1) ज्ञान,
(2) स्मृति,
(3) विलक्षित चिंतन,
(4) अभिबिन्दुक चिंतन,
(5) मूल्यांकन।

बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति

बाल्यावस्था में बालक विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति करते हैं, जो निम्न है–

(1) नाटकीय खेल,
(2) रचनात्मक खेल,
(3) चित्रांकन,
(4) काल्पनिक साथी,
(5) दिवास्वप्न,
(6) हास्य भाव उत्पन्न करना,
(7) कहानी कहना,
(8) उपलब्धि के लिए आकांक्षाएँ।

नाटकीय खेल–नाटकीय खेल उस प्रकार का खेल है, जहाँ बच्चे भूमिकाएँ निभाते हैं और उन्हें स्वयं एवं अपने परिवेश की खोज करने के तरीके के रूप में निभाते हैं। कोई व्यक्ति या कुछ और होने का दिखावा करके बच्चे खुद को अभिव्यक्त करने, विचारों को साझा करने, यहाँ तक कि अपनी भावनाओं के सम्पर्क में आने के नये तरीके सीख सकते हैं। बालक नाटकीय खेलों के माध्यम से दैनिक जीवन में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का प्रस्तुतीकरण बहुत ही आकर्षक, जीवंत तथा मनोहारी ढंग से करते हैं। जैसे–

चोर–सिपाही, राजा–रानी, डॉक्टर–मरीज, टीचर–टीचर आदि खेल खेलते हैं तथा उनकी भूमिकाओं को प्रस्तुत करते हैं। नाटकीय खेल के माध्यम से बालक आनंद, संतुष्टि, कल्पनाशक्ति, भाषा ज्ञान, आत्मविश्वास, सहयोग तथा कर्त्तव्यनिष्ठा आदि जैसे मानवीय गुणों को सीखता है।

रचनात्मक खेल–रचनात्मक अभिव्यक्ति हमारे मस्तिष्क और कल्पनाओं का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाने की क्षमता है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करती है। बालक–बालिका संगीत, दृश्यकला, शिल्पकला, लेखन आदि के रूप अपने रचनात्मक रूप को अभिव्यक्त करते हैं। रचनात्मक खेल का सृजनात्मकता में महत्त्वपूर्ण योगदान है। यह गति–विधि बाल्यावस्था में रचनात्मकता का संचार करती है। रचनात्मक खेल कुछ नया बनाने के लिए, निर्माण आकार देने और वस्तुओं में अदला–बदली के बारे में है। रचनात्मक खेल बालकों में बहुत सारे कौशलों के साथ कई नए कौशल विकसित करने में मदद करता है। जैसे–चित्रांकन, पेंटिंग, ड्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग, कार्टून आदि क्रियाओं में रचना करके अपनी सृजनशीलता को अभिव्यक्त करते हैं।

चित्रांकन करना–चित्रों के द्वारा बालक–बालिकाओं की कल्पना शक्ति और मौलिकता से उनकी सृजनात्मकता का भाव प्रकट होता है। बालक चित्रों को अपनी कल्पना से बनाते हैं, जैसे–भारत का तिरंगा, सूरज, पशु–पक्षी आदि के चित्र।

काल्पनिक साथी–जब बालक अपनी कल्पना में किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर को अपना साथी चुनता है और उससे अपने मन के प्रत्येक विचार साझा करता है, तो वह उसका काल्पनिक साथी कहलाता है। काल्पनिक साथी उसके सच्चे मित्र की तरह होते हैं, जिसे वह अपनी सभी समस्याएँ बताता है। सुसमंजित एवं प्रफुल्ल बालकों के काल्पनिक साथी कम तथा भय, कायरता एवं अति संवेदनशील बालकों के काल्पनिक साथी अधिक होते हैं।

दिवास्वप्न–दिवास्वप्न बाल्यावस्था की अति महत्त्वपूर्ण सृजनात्मक क्रियाएँ हैं। दिवास्वप्न में बालक–बालिकाएँ यथार्थ से हटकर कल्पना लोक में विचरण करते हैं। जिससे उन्हें आनंद एवं संतुष्टि प्राप्त होती है। तथा तनावमुक्त होते है। दिवास्वप्न देखने से बालकों में उत्तेजना प्रकट होती है और उनमें नई शक्ति, नवीन स्फूर्ति एवं अक्षय ऊर्जा का संचार होता है। वह उस ऊर्जा का उपयोग वास्तविक जीवन में करके सफलता प्राप्त करते हैं।

हास्य–भाव उत्पन्न करना–हास्य–भाव भी एक प्रकार की सृजनात्मक शक्ति है। परन्तु इसके लिए यह जरूरी है कि वे मौलिक हों, तभी सृजनात्मक कहलाते हैं, वरन् यह आवश्यक है कि बालक अपना हास्य–प्रसंग जिस व्यक्ति को सुना रहा, उसके लिए भी मौलिक एवं नया होना चाहिए। हास्य–भाव के मुख्य दो पहलू होते हैं–

(1) हास्य भाव वाले व्यक्ति में हास्य–भाव का प्रत्यक्षीकरण करने की योग्यता होती है।

(2) वह हास्य को एक बार सुनने के बाद उसी भाव के साथ दुहरा देता है।

हास्य–भाव वाले बालकों से स्वतः ही लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है।

कहानी कहना–कई बालक दूसरे बालकों के समक्ष कहानी कहकर अथवा कविता सुनाकर अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। बाल्यावस्था में बालक अपनी कल्पनाशक्ति के द्वारा कोई भी चित्र देखकर ही सुन्दर कहानी लिख लेता है। कहानी कहना सृजनात्मकता का एक सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम है। इसमें बालकों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। कहानी कहना सृजनात्मक अभिव्यक्ति द्वारा बालक–बालिकाओं में नेतृत्व, आत्म–विश्वास, आत्म–सम्मान एवं सामजिक समझ आदि गुणों का विकास होता है। प्रारम्भ में बालक जिन कहानियों

को कहता है, वह 'पुनरोत्पादक' होती हैं। क्योंकि उसने वह कहानियाँ अपने माता–पिता, अध्यापक तथा किताबों से पढ़ी–सुनी होती हैं। उसके बाद उसकी कहानियाँ सृजनात्मक गुण से परिलक्षित होती हैं।

उपलब्धि के लिए आकांक्षाएँ–प्रत्येक बालक के मन में कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की प्रबल इच्छा ही 'आकांक्षाएँ' कहलाती हैं। बालक की यही आंतरिक इच्छा उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उसे एक नई दिशा देती है, एक नया मार्ग प्रशस्त करती है। जिस पर चलकर बालक अपनी हार्दिक इच्छाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। बालक–बालिकाओं में आकांक्षा वर्तमान स्थिति में नहीं होती है, वह भविष्य में किन पदों पर आसीन होना चाहता है अथवा भविष्य में क्या बनना चाहता है, वह उसकी आकांक्षाएँ हैं। जैसे–एक सफल डॉक्टर/इंजीनियर/वकील आदि बनना।

निष्कर्ष

वर्तमान में विभिन्न देशों में कई प्रकार के प्रयोग और आविष्कार हो रहे हैं। इसमें उनके परिश्रम के साथ–साथ उनकी सृजनात्मक सोच भी शामिल है। इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि हर व्यक्ति में सृजनात्मकता कुछ न कुछ होती है। बालक–बालिकाओं में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति को सही समय पर उचित और अथक प्रयास से बढ़ाया भी जा सकता है। जिसके लिये बालक के घर, परिवार के साथ–साथ अध्यापक, विद्यालय संगठन का भी योगदान होता है। सृजनात्मकता का विकास तब संभव है जब बालक को वैसा वातावरण प्रदान किया जाये जिसमें मौलिकता विद्यमान होती है। समय–समय पर इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि इसे और नवीन व प्रखर बनाया जा सके। सृजनात्मकता से बालक का सर्वांगीण विकास के साथ–साथ उसके समाज व राष्ट्र का भी विकास होता है। अतः इसे निरन्तर प्रयास से, सृजनशीलता से और सृजनशील बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुर्जर, डॉ. हंसराज, पाराशर, डॉ. युगल बिहारी गुप्ता, इन्दू, बाल्यावस्था एवं विकास (वृद्धि), जैन प्रकाशक मंदिर, जयपुर, पृ. 253–268
2. शर्मा, डॉ. शर्मा (2008), शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा प्रकाशन, जयपुर, पृ. 55–63
3. मिश्रा, डॉ. महेन्द्र कुमार (2008), विकासात्मक मनोविज्ञान, युनिवर्सिटी बुक हाऊस (प्रा.) लि., जयपुर, पृ. 152–168
4. यादव, डी. एस., शिक्षा मनोविज्ञान, प्रेरणा प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 32–45
5. सिंह, डॉ. वृन्दा, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 457–488
6. भटनागर, सुरेश, शिक्षा मनोविज्ञान, आर.लाल पब्लिकेशन, पृ. 403–404
7. सक्सेना, एन.आर. स्वरूप, शिक्षण के नियम तथा पद्धतियाँ, आर.लाल पब्लिकेशन
8. https://www.samajkarshiksna.com/2021/07/national-children-pokicy.html/
9. https://www.Researchgate.net/profile/sarika-mohta/publication/creativity/
10. https://www.Wgu.edu/blog/dramatic-play-what-is-why-important
11. https://www.tspmt.com

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024
Paper Accepted : 9th March 2024

नवीन कृषि उत्पादकता का पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक जीवन में प्रभाव

ज्योति सिंह*
डॉ. के.के. सिंह**

शोध-सारांश

कृषक महिला सशक्तीकरण की योजनाओं और कार्यक्रमों ने देश भर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें स्वाभिमान से जीने की राह दिखाई है। अनेक महिलाएँ अपने गाँव–कस्बे में कामयाबी की मिसाल बन गई हैं। कृषक महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा मोटे अनाजों से उत्पाद तैयार करने के लिए प्रसंस्करण इकाइयाँ लगाई गई हैं। इस संबंध में यह जानना भी आवश्यक है कि भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए विशिष्ट स्वयंसहायता समूह गठित किए जाते हैं, जिनमें कौशल विकास, दस्तकारी, हथकरघा उद्योग जैसे अनेक आमदनी बढ़ाने वाले व्यवसायों के लिए सहायता दी जाती है। इन समूहों में कृषक महिलाएँ भी बड़ी संख्या में शामिल होकर आर्थिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ रही हैं।

खेत–खलिहानों में महिलाओं की मशक्कत कम करने के लिए अनेक कृषि उपकरणों का विकास किया गया है, जिनसे उनकी कार्य–कुशलता भी बढ़ी है। बीजों की बुआई के लिए आसान 'सीड ड्रिल', उर्वरक देने के लिए अधिक कुशल फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, आराम से बैठकर मूँगफली छीलने वाला यंत्र, भुट्टे से तेजी से दाने निकालने वाला यंत्र, धान की सीधी बुआई का यंत्र, खरपतवार निकालने वाला यंत्र और सुधरा हँसिया विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही तैयार किए गए हैं। इस संदर्भ में संभवतः सबसे उल्लेखनीय योगदान है 'हेड लोड मैनेजर' नामक एक विशेष उपकरण का, जो महिलाओं को अधिक कुशलता और कम मेहनत से बोझा ढोने की सुविधा देता है।

***मुख्य शब्द**–नवीन कृषि, उत्पादकता, पिछड़ा वर्ग महिला, सामाजिक–आर्थिक, जीवन, प्रभाव, आदि।*

* *शोधार्थी, समाजशास्त्र,* शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** *से.नि. प्राध्यापक, समाजशास्त्र,* शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

प्रस्तावना

कृषक महिलाओं को खेती के काम के दौरान चारा, ईंधन, खाद, बीज, फसल, सब्जियाँ जैसे अनेक सामानों या बोझ को इधर–उधर ले जाना पड़ता है। महिलाएँ इसे सिर पर रखकर ढोती हैं, जिससे उन्हें अक्सर सेहत संबंधी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष युक्ति का विकास किया, जिसे कंधों के सहारे सिर पर पहना जाता है। इससे सारा बोझ केवल सिर पर नहीं पड़ता, बल्कि कंधों पर भी बँट जाता है। उपयोग में आसानी और हल्का होने के कारण इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। इसी तरह यह भी देखा गया कि धान की बुआई, फसलों की गहाई, फलों और सब्जियों की तुड़ाई या चुनाई के दौरान महिलाओं को संक्रमण, चोट, खुजली आदि का खतरा होता है, क्योंकि वे पारंपरिक वस्त्र पहनती हैं।

इस जरूरत को देखते हुए वैज्ञानिकों ने महिलाओं के लिए विशेष कपड़े तैयार किए हैं, जो उनकी सुरक्षा करते हैं। इससे खेतिहर श्रमिक महिलाओं को विशेष रूप से राहत मिली है। डेयरी में काम करने वाली महिलाओं के लिए आरामदेह और सुविधाजनक टूल तैयार किए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से महिलाओं को दूध दुहने में सहूलियत मिली है। आलू की खुदाई के लिए तैयार किए उपकरण ने महिलाओं की मशक्कत कम करने के साथ उनकी कार्यकुशलता और क्षमता को भी बढ़ा दिया है। डेयरी में काम करने वाली महिलाओं को पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक का प्रशिक्षण देने से डेयरी की उत्पादकता में सार्थक बढ़ोत्तरी देखी गई है।

महिलाओं ने पशुओं के चारे और पोषण का अच्छी तरह से प्रबंध किया और दूरदराज के गाँवों में भी पशुओं के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल भी की। इसी क्रम में बकरी पालन और मुर्गी पालन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने खासी कामयाबी हासिल की है। महिला उपयोगी उपकरणों/यंत्रों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए देश भर में फैले कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषक महिलाओं को प्रशिक्षित तथा जागरूक बनाया जा रहा है। महिला प्रसार कार्यकर्त्ता इसमें अहम् भूमिका निभा रही हैं।

कृषक महिलाओं के सशक्तीकरण को वर्तमान सरकार ने गंभीरता से लिया है और माना है कि कृषि विकास की हर योजना में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसके लिए योजनाओं में आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। भारत सरकार के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आवंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। इसका लाभ कृषक महिलाओं को उन्नत कृषि प्रणालियों का प्रशिक्षण देने में भी मिल रहा है। देश के 28 राज्यों में इस मिशन को राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। इस क्रम में राष्ट्रीय तिलहन और तेल ताड़ मिशन में भी आबंटित बजट की 30 प्रतिशत राशि को महिला लाभार्थियों तथा कृषक महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करके उन्हें कृषि के लिए आवश्यक सामान, तकनीकी और प्रसार सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे महिलाएँ तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।

कृषि यंत्रीकरण के उप मिशन के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषक महिलाओं के लिए विकसित मशक्कत कम करने वाली मशीनों के प्रसार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा कृषक महिलाओं को विभिन्न कृषि मशीनें और उपकरण खरीदने के लिए 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाती है। फार्म

मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों द्वारा कृषक महिलाओं के तकनीकी सशक्तीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

बीज और रोपण सामग्री उप–मिशन के अंतर्गत कृषक महिलाओं को बीज–गाँव कार्यक्रम और गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम में भागीदारी का समान रूप से अवसर दिया जा रहा है। राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वे इसमें कृषक महिलाओं की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें और इसके लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराएँ। इसी तरह राज्य सरकारों को कृषि प्रसार कार्यक्रमों में कृषक महिलाओं और कृषि प्रसार महिला कर्मियों को शामिल करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत कम–से–कम 30 प्रतिशत साधनों को महिलाओं के सशक्तीकरण पर खर्च करने का निर्देश दिया गया है।

कृषि संबंधी योजना बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कृषक महिलाओं की भागीदारी ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर सुनिश्चित की गई है। अब कृषक महिलाओं को कृषक सलाहकार समिति में अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। विशिष्ट रूप से कृषक महिलाओं के लिए विकसित तकनीकों को खेत में ले जाने से पहले कृषक महिलाओं द्वारा जाँचने–परखने का प्रावधान भी किया गया है।

कृषि उपज के विपणन, भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम, एपीएमसी अधिनियम, को एक ऐसे अधिनियम में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जो स्थानीय उपज के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विकास को बढ़ावा देता है और एकल भारतीय बाजार की ओर बढ़ता है। .

भारत में कार्यबल में संरचनात्मक परिवर्तन धीरे–धीरे ही सही, हो रहा है। 1961 में कृषि में कार्यबल का प्रतिशत 75.9 प्रतिशत था। जबकि 1999–2000 में यह संख्या घटकर 59.9 प्रतिशत हो गई। लेकिन कृषि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती है। भारत में समग्र रोजगार रणनीति को दो चीजें हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। पहला, उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा करना और दूसरा, कई क्षेत्रों में रोजगार की 'गुणवत्ता' में सुधार करना, ताकि उत्पादकता में सुधार के माध्यम से वास्तविक मजदूरी बढ़े। ऐसा करने के उपायों में शामिल हैं– अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाना; अपेक्षाकृत अधिक श्रम गहन क्षेत्रों पर जोर देना और इन क्षेत्रों की तीव्र वृद्धि को प्रेरित करना और मुख्य श्रम मानकों को नष्ट किए बिना आवश्यक संशोधनों के माध्यम से श्रम बाजारों की कार्यप्रणाली में सुधार करना। उन विशेष क्षेत्रों और उप–क्षेत्रों को विकसित करके गैर–कृषि रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करें जहाँ उत्पाद या सेवाओं की माँग बढ़ रही है, जिसमें व्यापार, रेस्तरां और होटल, परिवहन, निर्माण, मरम्मत और कुछ सेवाएँ प्रमुख हैं जिससे किसानों की शुद्ध घरेलू आय सिविल सेवकों की आय के बराबर होनी चाहिए।

ई–मंडी

भारत की कुल आबादी में से लगभग 70 प्रतिशत आबादी खेती–किसानी का काम करती है। इस देश के किसानों को भारत के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन जब देश के अन्नदाता की आर्थिक स्थिति की बात आती है तो आंदोलन और समझौतों के आगे बात नहीं बढ़ पाती। यही कारण है कि केंद्र सरकार बदलते समय के साथ ही कृषि विभाग में विकास के लिए अलग–अलग तरह की योजनाओं का ऐलान करती रहती है। केंद्र सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर कई प्रयास भी किए गए हैं। कृषि के लिए अब आधुनिक उपकरणों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तक का सहारा लिया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों में से एक है, मंडियों को डिजिटल किया जाना। ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि

आखिर ये ई–मंडियाँ क्या हैं, कैसे काम करती हैं और अब तक इससे कितने किसान जुड़ चुके हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है, जो वर्तमान में पूरे देश में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क से जोड़ता है। साल 2016 में ई–नाम योजना के तहत मंडियों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई थी। इस पोर्टल का मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध करवाना है। जिससे किसानों को उत्पादों का उन्हें ज्यादा और उचित दाम मिल सके। इस पोर्टल की मदद से किसान घर बैठे ई–मंडियों में अपना भी सामान बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल, 2016 को ई–नाम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना था। यह ऑनलाइन मंडी किसानों और कृषि कारोबारियों के बीच इतनी ज्यादा हिट रही कि साल 2017 तक जिस ई–मंडी से केवल 17 हजार लोग जुड़े थे, उसमें अब 1.68 करोड़ किसान, व्यापारी और एफपीओ रजिस्टर्ड हो चुके हैं।

दरअसल भारत में किसी भी कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने की प्रक्रियाएँ थोड़ी जटिल हैं। इस जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए अक्सर ही किसान अपनी उपज को कम कीमत पर बेच देते हैं। कृषि का बुनियादी ढाँचा उत्पादकों के आस–पास घूमता है, जिसमें उत्पादक यानी किसान अपने द्वारा उपजाए अनाजों को बाजार लेकर जाते हैं। यह एपीएमसी के अंतर्गत आता है। इस बाजार प्रणाली में सबसे ज्यादा समस्या किसानों या उत्पादकों को ही होती है। पहले तो उन्हें लंबी यात्रा करके अपने अनाजों को बाजार ले जाना पड़ता है। कई बार इस दौरान ही किसानों की कुछ फसल बर्बाद हो जाती है, किसान स्थानीय मंडी पहुँचकर अपने उत्पाद को बेचते हैं, जहाँ पर उनके उत्पाद की ग्रेडिंग, छंटाई और पैकेजिंग होती है।

इसके बाद स्थानीय एजेंट के जरिए खुदरा विक्रेता और थोक विक्रेताओं के लिए माल खरीदा जाता है। यह एजेंट हमेशा ही किसानों को कम कीमत पर सामान बेचने को कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में दिक्कत ये है कि यहाँ किसान सीधे विक्रेताओं से संपर्क नहीं कर पाते हैं। ऐसे में किसान एजेंट को ही अपने उत्पाद बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है. इस तरह के बाजार में जहाँ किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, जबकि बिचौलियों की चाँदी होती है। कहीं–न–कहीं इस तरह के बाजार में बिचौलियों का एक अधिकारी रहता है।

ई–मंडी या डिजिटल मंडी ऐसी सुविधा है, जिससे किसी भी राज्य के किसानों को अपने उत्पाद का वास्तविक मूल्य पता चल जाएगा। परिणामस्वरूप उन किसानों को उन्हें अच्छे दाम भी मिलेंगे और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण पैसे भी समय पर मिल जाएँगे। इस माध्यम से किसान सीधे थोक विक्रेताओं से जुड़ पाएँगे। **कितने किसान डिजिटल मंडी की शुरुआत**–साल 2016 को इस योजना की शुरुआत 21 मंडियों के साथ की गई थी। साल 2020 तक इस बाजार से 18 राज्यों के 1,66,06,718 किसान, 977 एफपीओ, 70,910 कमीशन एजेंट और 1,28,015 व्यापारी जुड़े चुके थे। भारत फिलहाल 585 कृषि उपज मंडियाँ ई–नाम पोर्टल से जुड़ी हुई हैं। इस पोर्टल का मकसद पूरे देश को एक मंडी क्षेत्र बनाना है।

कोई भी किसान ई–नाम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. अपना नाम रजिस्टर करवाने के बाद कोई भी किसान किसी भी ई–नाम मंडियों में व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री के लिए अपनी उपज अपलोड कर सकते हैं और व्यापारी भी किसी भी स्थान से ई–नाम के तहत बिक्री के लिए उपलब्ध लाट के लिए बोली लगा सकते हैं। गाँवों का देश भारत ग्रामीण से शहरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों के पेशे और

उम्मीदों में भी बदलाव महसूस किया जा रहा है। ऐसे में एक, वर्तमान में सबसे गंभीर मसला ये है कि, क्या देश की कृषि से जुड़ी आबादी आने वाले कुछ सालों में इस पेशे पर ही टिकी रहेगी या फिर अन्य कारोबारों और पेशों की तरफ रुख करेगी। एक सवाल ये भी उठता है, कि क्या घाटे का सौदा बनता जा रहा कृषि सेक्टर, क्या किसानों और कृषि मजदूरों को इस पेशे में टिका पाएगा।

पारम्परिक सोच और चिंतन को नकारती हुई समकालीन महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगिता और सार्थकता सिद्ध करते हुए दिख रही हैं। पिछड़ा वर्ग समुदाय जो मूलतः कृषि क्षेत्र से जुड़ा रहा है, के आर्थिक विकास का आधार कृषि उत्पादन रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की भूमिका धीरे–धीरे प्रभावी होने लगी है। पूर्व में महिलाओं के सामने कृषि संबंधी जो कठिनाई थी वह कृषि कार्य में पारम्परिक संसाधनों की उपस्थिति, कृषि उत्पादन के विपणन की समस्या तथा उन्नत किस्म के बीजों के अभाव के साथ–साथ यांत्रिक उपकरणों की कमी रही है। समय के साथ इन नवीन चीजों के आ जाने से महिलाओं को कृषि कार्य में सहायता मिलने लगी है। जिसके माध्यम से उनकी आय में वृद्धि होने लगी है। अध्ययन के दौरान अध्ययन क्षेत्र की कृषक महिलाओं से कृषि उत्पादन के माध्यम से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की आय और कृषि लाभ के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें प्राप्त जानकारियों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है–

सारणी क्रमांक 1

कृषि भूमि स्वामित्व का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वामित्व है	43	86
2.	स्वामित्व नहीं है	7	14
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि स्वामित्व पर उत्तरदाताओं के विचार को साक्षात्कार में शामिल किया गया है, जिसमें 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्वामित्व है, जबकि 14 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की स्वामित्व नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का स्वामित्व है। यह स्वामित्व मूलतः महिलाओं के पति के होने के कारण व्यावहारिक रूप से महिलाएँ उस पर अपना स्वामित्व मानती हैं। क्योंकि पति और पत्नी को समवेत रूप से एक इकाई माना जाता है।

सारणी क्रमांक 2

कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	साधन है	38	76
2.	साधन नहीं है	12	24
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन का विवरण के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास साधन हैं, जबकि 24 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साधन नहीं हैं।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध है।

सारणी क्रमांक 3

अचल सम्पत्ति के संबंध में विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	अचल सम्पत्ति है	35	70
2.	अचल सम्पत्ति नहीं है	15	30
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका में अचल सम्पत्ति के संबंध में विवरण दिया गया है। विवरण से स्पष्ट होता है

कि 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास अचल सम्पत्ति है, जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास अचल सम्पत्ति नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास अचल सम्पत्ति है।

सारणी क्रमांक 4

चल सम्पत्ति में उत्तरदाताओं के विचार

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	चल सम्पत्ति है	37	74
2.	चल सम्पत्ति नहीं है	13	26
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका में चल सम्पत्ति के संबंध में विवरण दिया गया है, विवरण से स्पष्ट होता है कि 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास चल सम्पत्ति है जबकि 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास चल सम्पत्ति नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास चल सम्पत्ति है।

सारणी क्रमांक 5

पारिवारिक व्यय का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	आपेक्षित राशि उपलब्ध है	32	64
2.	आपेक्षित राशि उपलब्ध नहीं है	18	36
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक व्यय का विवरण में उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास आपेक्षित राशि उपलब्ध है, जबकि 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास आपेक्षित राशि उपलब्ध नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 64 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं का परिवार में पारिवारिक व्यय पर होता है।

सारणी क्रमांक 6

कृषि कार्य संलग्नता पर उत्तरदाताओं के विचार

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	संलग्नता रहती है	36	72
2.	संलग्नता नहीं रहती है	14	28
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि कार्य संलग्नता पर उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 72 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की संलग्नता है जबकि 28 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की साधन नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 72 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की परिवार में कृषि कार्य संलग्नता है जो उत्तरदाताओं के विचार से होता है।

सारणी क्रमांक 7

कृषि कार्य में व्ययों की प्रतिपूर्ति

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	प्रतिपूर्ति हो पाती है	38	76
2.	प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है	12	24
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि कार्य में व्ययों की प्रतिपूर्ति में उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 76 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की प्रतिपूर्ति हो पाती है, जबकि 24 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की प्रतिपूर्ति नहीं हो पाती है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 76 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं

की परिवार में कृषि कार्य में व्ययों की प्रतिपूर्ति हो पाती है।

सारणी क्रमांक 8
कृषि कार्य के लिए ऋण प्राप्त करने के माध्यम

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	बैंक	36	72
2.	साहूकार	5	10
3.	मित्र एवं अन्य	9	18
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि कार्य के लिए ऋण प्राप्त करने के माध्यम में उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 72 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को बैंक से ऋण प्राप्त हो पाता है, 10 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को साहूकर से ऋण प्राप्त हो पाता है, जबकि 18 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को मित्र एवं अन्य से ऋण प्राप्त हो पाता है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 72 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को बैंक से ऋण प्राप्त हो पाता है।

सारणी क्रमांक 9
कृषि उत्पादन से लाभ की स्थिति का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	लाभ है	45	90
2.	लाभ नहीं है	5	10
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि उत्पादन से लाभ की स्थिति का वर्गीकरण करने पर उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को लाभ है, जबकि 10 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को लाभ नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 90 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को परिवार में कृषि उत्पादन से लाभ होता है।

सारणी क्रमांक 10
ई–फसल का बीमा संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	जानकारी है	30	60
2.	जानकारी नहीं है	20	40
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि ई–फसल का बीमा संबंधी विवरण का वर्गीकरण करने पर उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 60 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को जानकारी है जबकि 40 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को जानकारी नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 60 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को ई–फसल का बीमा संबंधी जानकारी होती है।

सारणी क्रमांक 11
स्थानीय स्तर पर भण्डारण सुविधा की उपलब्धता

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	सुविधा उपलब्ध है	24	48
2.	सुविधा उपलब्ध नहीं है	26	52
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर भण्डारण सुविधा की उपलब्धता का वर्गीकरण करने पर उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 48 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को स्थानीय स्तर पर भण्डारण सुविधा की उपलब्धता है, जबकि 52 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को स्थानीय स्तर पर भण्डारण सुविधा की उपलब्धता नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 52 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को स्थानीय स्तर पर भण्डारण सुविधा की उपलब्धता नहीं है।

सारणी क्रमांक 12

कृषि उपज के विपणन से संतुष्टि का विवरण

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	संतुष्ट है	41	82
2.	संतुष्ट नहीं है	9	18
	योग	**50**	**100**

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कृषि उपज के विपणन से संतुष्टि का विवरण का वर्गीकरण करने पर उत्तरदाताओं के विचार के सम्बन्ध में साक्षात्कार में शामिल उत्तरदाताओं के विवेचन से स्पष्ट है कि 82 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को कृषि उपज के विपणन से संतुष्टि है, जबकि 18 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को कृषि उपज के विपणन से संतुष्टि नहीं है।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 82 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को कृषि उपज के विपणन से संतुष्टि है।

निष्कर्ष—यह कहा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के द्वारा नवाचारी कृषि से जुड़ने पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, जिसका प्रभाव उनके सामाजिक जीवन पर भी दिखने लगा है। अब महिलाएँ पारंपरिक कार्यों से हटकर नवीन कृषि संदर्भों में जुड़ने लगी हैं। उनके द्वारा उपभोग और उपभाग की सामग्रियों का स्वरुचि अनुकूल उत्पादन प्रारंभ हो गया है। बात साग—सब्जी की करें या दूध उत्पादन की, इन क्षेत्रों में विकसित तकनीक आ जाने और वस्तुओं के विक्रय के नवीन उपभोक्ता मिलने से वस्तुओं में लाभ की स्थिति बन गई है। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित कृषि उत्पाद नजदीकी बाजारों में नियमित पहुँचने लगा है, जिससे नियमित बिक्री से क्रमिक लाभांश मिलने लगा है, इसका स्वैच्छिक उपयोग महिलाएँ अपने रुचि के अनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति में करने लगी हैं। जिस कारण महिलाओं में आधुनिकता के प्रति संलग्नता दिखने लगी है और वे विकास की नवीन धारा से जुड़ने लगी हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. त्रिपाठी, डॉ. के. के. (2020), कृषि क्षेत्र में उन्नत शोध और विकास का एक भौगोलिक अध्ययन हुगली जिले के विशेष सन्दर्भ में, अप्रकाशित शोध प्रबंध।
2. तिवारी, दीपशिखा, कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि विपणन का योगदान : एक समीक्षात्मक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, 2022
3. सक्सेना, डॉ. जगदीश (सितम्बर), कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का समुचित विकास, कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित), नई दिल्ली, अंक 2, पृष्ठ 15
4 मिश्र, जे.पी. (2020), ''भारत में कृषि का विकास और अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता'', कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित), नई दिल्ली, अंक 3, पृष्ठ 1
5. कुमार, अनिल, ''कृषि का आधुनिकीकरण एवं पर्यावरण पर प्रभाव'', वर्ष 2005—06 से 2014—15, जर्नल रिसर्च पेपर, टांटिया, राजस्थान, वाल्यूम 7, पृष्ठ 73—74
6. सिंह, सतीश (सितम्बर 2020), ''वित्तीय समावेशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आयेगी'', कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास को समर्पित), नई दिल्ली, अंक 2, पृष्ठ 10
7. सिंह, पूजा (मार्च 2009), ''कृषि नवाचार एवं ग्रामीण विकास, जनपद आजमगढ़ (उत्तरप्रदेश) का एक भौगोलिक अध्ययन : शोध प्रबंध'' अप्रकाशित।
8. शिवे, डॉ. वाई. एस., कृषि विकास और कल्याण, भारतीय राज्य का एक अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध 2020

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 9th March 2024**

एकात्म मानववाद समकालीन राजनीति का प्रखर चिन्तन

❑ श्रीमती रेखा शुक्ला*
❑ डॉ. (श्रीमती) उपमा सिंह**

शोध-सारांश

स्वतंत्र भारत के राजनीतिक क्षितिज पर राष्ट्रवादी चेतना की आभा बिखेरने वाले स्वनामधन्य चिंतकों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अविचल दीप्तिमान हैं। सामान्यतः उनकी ख्याति सक्रिय राजनीतिज्ञ और कुशल संगठक के रूप में है, पर गौर करें तो स्पष्ट होता है कि वे राष्ट्रवादी विचारक और चिन्तक थे। पंडित जी मूलतः आधुनिक भारत की उस महान परम्परा की एक कड़ी थे, जिनके लिए राजनीतिक सत्ता में आने और बने रहने की प्रतिबद्धता नहीं थी, प्रत्युत वह स्वास्थ्य और सात्विक समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने का पवित्र साधन थी।

उनका चिन्तन उस सर्वोच्च भारतीय मूल्यों और आदर्शों से प्रभावित एवं अनुप्राणित था, जिन्हें भारतीय समाज ने शताब्दियों के लम्बे काल में विकसित किया। जब कई भारतीय विचारक सामाजिक मूल्यों और राजनीतिक पद्धति को पाश्चात्य विचारधाराओं पर आधारित करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय पं. दीनदयाल ने दृढ़तापूर्वक इस विचार को सम्मुख रखा कि, ''सभी पाश्चात्य विचारधाराएँ अपूर्ण और एकांगी हैं तथा भारत सहित विश्व के मानव मात्र का कल्याण भारतीय चिन्तन और मूल्यों में है।''

मुख्य शब्द—*एकात्म, मानववाद, समकालीन, राजनीति, प्रखर, विचारधारा, कल्याण, भारतीय चिन्तन, सामजिक विचार, आदि।*

प्रस्तावना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिस नवीन विचारधारा को विकसित किया वह 'एकात्म मानववाद' कहलाती है। वस्तुतः इस विचारधारा में भारतीय जीवनदृष्टि ही परिलक्षित हुई है। दत्तोपन्त ठेंगड़ी का विचार है कि, ''एकात्मक मानववाद का विचार इस संसार को पं. दीनदयाल जी की श्रेष्ठतम् देन है।'' एकात्मक मानववाद ऐसी विचारधारा है,

* *शोधार्थी, राजनीति विज्ञान,* अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** *प्राध्यापक राजनीति विज्ञान,* शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

जो समाज रचना और उसकी विभिन्न व्यवस्थाओं में मानव को केन्द्र मानकर, उसके महत्त्व को स्वीकार करके चलती है। वह मनुष्य के जीवन पर अलग–अलग भागों में विचार नहीं करती, बल्कि उसका सम्पूर्ण और संकलित दृष्टि से विचार करती है। वह जीवन के प्रति समय और एकात्मवादी दृष्टि है।

पंडित उपाध्याय जी के अनुसार, भारत की सनातन रचना कुंडलित है, इसका प्रारम्भ व्यक्ति से है। व्यक्ति बिंदु से ही घूमती हुई वृत्त रचना परिवार, परिवार के आगे इसी रेखा को घुमाकर पुनः वृत्त बनाती हुई रचना समाज और इसी रेखा की अगली आवृत्ति मानवता और फिर शिखर पर चराचर विश्व की आवृत्ति है। भारतीय संरचना में पहली इकाई से ही अंत तक की इकाइयाँ उत्तरोत्तर विकसित होती हैं और वृद्धि पाती हैं। भारतीय रचना अखण्ड मण्डलाकार है। हमारी परम्परा में व्यक्ति और परिवार के हित में कोई विरोध नहीं है, परिवार और समुदाय के हितों में कोई असंगति नहीं है। पंडित जी कहते थे कि, ''इसी संगठित आधार पर ही अपने यहाँ व्यक्ति से परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता और चराचर सृष्टि का विचार किया गया है।'' उनके इसी दर्शन को एकात्म मानववाद कहा गया है।

दीनदयाल जी की मान्यताओं का आधार भारतीय तत्त्वज्ञान है, जो रूढ़िवादिता, परम्परागत कठोरता और संकुचितता से मुक्त है। उनकी दृष्टि समग्र और सम्यक् है, उनका चिन्तन आशावादी और सृजनात्मक है, जो परिवर्तन, सुधार, समन्वय और पूर्णता का प्रतीक है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में उनकी मान्यतायें नवीन दृष्टि और दिशा की परिचायक हैं। उनकी धारणा थी कि, ''किसी राष्ट्र की जनता अपने–अपने समग्र विकास एवं अभ्युदय की प्राप्ति के लिए, साथ–साथ रहने के संकल्पों को पूरा करने हेतु जिस शील, संयम, नियम और विचार की आचार–संहिता का नियमन करती है, वह है उस राष्ट्र की बुद्धि। भारत में अपने इस राष्ट्र की बुद्धि का नाम ही धर्म है।''

धर्म राज्य के संदर्भ के विचार व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि, ''धर्म का तात्पर्य पंथ राज्य या मजहब राज्य नहीं है पंथ राज्य में पंथ–गुरु या मजहब प्रमुख होता है। ऐसे राज्य में पंथ या मजहब को राज्य के साथ जोड़ दिया जाता है तथा शासन व्यवस्था को मजहब के नियमों के आधार पर ही संचालित किया जाता है। इस प्रकार के राज्य में मजहब विशेष जो कहे, वह ठीक और मजहब विशेष जो उसका विरोध करे, वह त्याज्य होता है। इस कारण ऐसे राज्य में अन्य मतावलम्बियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय होती है। उनको नागरिक अधिकार और सुविधायें पूर्णतः प्राप्त नहीं होतीं, जो कि उस राज्य के पंथ विशेष के अनुयायियों को होती है।''

धर्म भेदकारक नहीं, सामंजस्यकारक है। व्यक्ति–व्यक्ति में उनके संबंधों के बीच, समाज और व्यक्ति में, राज्य और व्यक्ति के बीच, राज्य व समाज के बीच तथा राष्ट्र–राष्ट्र के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इस रूप में धर्म का मूल कार्य संघर्ष की स्थिति को टालना और सामंजस्य स्थापित करना है। दीनदयाल जी का कहना है कि, ''धर्म–राज्य, व्यक्ति के विकास, उसके सुख और शांति के लिए दूसरे सम्प्रदाय के मार्ग में बाधक नहीं बननी चाहिए।'' उनके द्वारा प्रतिपादित चिति सिद्धांत राज्य दर्शन की उनकी महान देन है।

भारतीय धर्म और नीति के आधार पर मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समुच्च्य माना गया और कहा कि मानव और उसकी प्रगति के प्रति केवल भौतिक, आध्यात्मिक प्रगति को ही प्रगति कहना गलत है। मनुष्य की प्रगति न तो केवल भौतिक होती है और न ही आध्यात्मिक, वह तो दोनों का सम्मिलित रूप है। अर्थात् समग्र है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की सम्यक् प्रगति ही वास्तविक प्रगति है। इसके लिए भौतिक और

अभौतिक जीवन–मूल्यों की सार्वलौकिक व्यवस्था आवश्यक है।

राजनीतिक चिंतन विचारधारा के आवश्यक अंग राष्ट्र, राज्य और धर्म के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की स्वायत्तता को भारतीय दृष्टि से पारिभाषित करते हुए पश्चिमी पद्धति से अलग एक शासन व्यवस्था का स्वप्न पंडित जी देखते थे। राष्ट्र की नीति परराष्ट्रों से कैसी हो, सहयोग और अनुदान, राजनीतिक कूटनीति और उसकी प्रभावशीलता को बड़ी दूरदर्शिता से वे रेखांकित करते थे। उनके चिंतन को अभिव्यक्ति देने वाले कई ग्रंथ हैं, जिनमें एकात्म मानववाद, लोकमान्य तिलक जी की राजनीति, जनसंघ सिंद्धात और नीति, जीवन का ध्येय, राष्ट्र जीवन की समस्याएँ, राष्ट्रीय आत्मानुभूति, हमारा कश्मीर, अखंड भारत, भारतीय राष्ट्रधारा का पुनः प्रवाह, भारतीय संविधान पर दृष्टि, इनको भी आजादी चाहिए, अमरीकी अनाज पी.एल. 480, पोलिटिकल डायरी, भारतीय अर्थनीति विकास की एक दिशा, बेकारी समस्या और उसका हल, टैक्स या लूट, विश्वासघात, दि टू प्लान्स, डिवैलुएशन ए ग्रेट फाल, आदि। इन चिंतन ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। समसामयिक वैचारिक नीतियों पर उनके विश्लेषणों में दूरवर्ती चिंतन–दृष्टि थी।

वे भारतीय संस्कृति, भारतीय परिस्थितियाँ, भारतीय अस्मिता की विश्व परिदृश्य में अलग पहचान बनाने के आकांक्षी, मानवतावाद के प्रबल पक्षधर थे, उनके मानस पटल पर परम वैभवशाली भारत का चित्र था, जिसकी निर्मिति के लिए वे लगातार श्रम के पक्षधर थे उनका कहना था कि– ''राजा और रंक, पूँजीपति और श्रमिक, अमीर और गरीब, सबको श्रम की साधना में जुटना होगा। श्रम के लिए भटकती भुजाओं को काम देना होगा। जहाँ राष्ट्रव्यापी श्रम है, वहाँ निर्धनता और विषमता टिक नहीं सकती। जहाँ समता और सम्पन्नता है, वहां सत्य है, वहीं शिव और सुन्दर है।

''एकात्म मानववाद की अवधारणा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आधुनिक युग की चुनौतियों एवं समस्याओं के निदान के रूप में प्रतिपादित किया है जो 'पूँजीवाद एवं साम्यवाद', दोनों के ही विकल्प रूप में है। 'एकात्म मानववाद' के दर्शन के प्रतिपादन के समय दीनदयाल जी के मन में भारत की लम्बी पराधीनता के इतिहास की दुःखद स्मृतियाँ थीं। परन्तु उससे भी वे शिक्षण ग्रहण करना चाहते थे क्योंकि उनके विचारानुसार उसे भुलाया नहीं जा सकता। दीनदयाल जी के 'एकात्म मानववाद' का प्रमुख आधार संस्कृति है। उन्हें न सिर्फ भारत की संस्कृति से विशेष लगाव है, अपितु किसी भी समस्या के निराकरण के संदर्भ में उनकी दृष्टि संस्कृति–निष्ठ रहा करती थी। उनकी दृष्टि में संभवतः मानवीय चेतना एवं कर्म का कोई भी आयाम संस्कृति से बाहर नहीं है। राष्ट्र की राजनीति हमेशा समाज की संस्कृति में प्रतिस्थापित रहती है। जैसी संस्कृति होगी, वैसी ही राजनीति होगी। संस्कृति ही किसी राष्ट्रीय समाज की पहचान का आधार होती है। इसीलिए दीनदयाल जी स्वयं को तथा अपने दल को 'संस्कृतिवादी' कहते हैं।

भौतिक उपकरण मानव के सुख के साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था में, भिन्न रुचि लोक का विचार केवल एक औसत मानव अथवा शरीर, मन, बुद्धि व आत्मायुक्त अनेक ऐषणाओं से प्रेरित पुरुषार्थ चातुष्ट्यशील, पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव का ही विचार किया जाये, वह अधूरी है। हमारा आधार 'एकात्म मानव' है, जो एकात्म समष्टियों का एक साथ प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं का विकास करना होगा।''

वस्तुतः यह 'एकात्म मानववाद' विचारधारा से भी अधिक व्यापक है तथा इसे विश्व–दृष्टि और जवीन पथ संकेत माना जा सकता है। इसके आदर्शों को समझाते हुए ठेंगड़ी जी कहते हैं–

''एकात्म मानववाद प्रत्येक राष्ट्र को अपनी–अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विकास करने की स्वतंत्रता देगा। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण–कर्म के अनुसार विश्वास कर, विकास का सम्पूर्ण फल समाज–पुरुष को अर्पित करता है, उसी तरह प्रत्येक राष्ट्र अपने मानवता का एक अंग समझेगा। हम सभी मानवता के साथ अपने को एकात्म समझ लें और सम्पूर्ण मानवता की प्रगति के लिए अपने राष्ट्र की जो विशेषताएँ होंगी, प्रगति की जो विशेषताएँ होंगी उनका परिपक्व फल मानवता के चरणों पर अर्पित करेंगे। इस तरह हर एक राष्ट्र स्वायत्त रहते हुए अपना विकास भी करेगा, किन्तु विश्वात्मा का भाव मन में रहने के कारण एक–दूसरे का पोषक, सम्पूर्ण मानवता का पोषक विश्वराज्य पंडित दीनदयाल जी के 'एकात्म मानववाद' की रचना की दृष्टि से चरम परिणति होगा।''

एकात्म मानववाद आधुनिक युग की विभाजन प्रवृत्तियों, मानवीय समस्याओं, त्रासदियों तथा विषम रसताओं से निपटने का एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो प्राचीन भारतीय आदर्शों पर आधारित है, परन्तु समयानुकूल बनाने के लिए इन आदर्शों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की गयी है। एकात्म मानववाद का एक साथ विचारधारा, विश्वदृष्टि तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। अनुभवाश्रित राजनीतिक सिद्धांत में इसको शायद वह स्थान नहीं मिल पाया है, जो कई अन्य विचार–बंधों को प्राप्त है, परन्तु जीवन के समष्टि–दर्शन का यह एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास अवश्य है।

दीनदयाल जी के राजनीतिक चिन्तन की महत्त्वपूर्ण निष्पत्ति है ही, इसके अतिरिक्त भी उन्होंने राष्ट्र की अन्यान्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओं पर अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करते हुए सरकार, राजनीतिक दलों एवं नागरिकों से इस बात का आग्रह किया था कि हमारी सभी नीतियाँ, आर्थिक कार्यक्रम एवं कार्यप्रणाली, राष्ट्र एवं इसके निवासियों के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्मित की जानी चाहिए। देश के अन्तर्गत विद्यमान तत्कालीन राजनीतिक स्थिति से दीनदयाल जी किसी भी रूप में सतुष्ट नहीं थे तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश को वही गौरव–दामन प्राप्त कराने के इच्छुक थे, जो कभी प्राचीन काल में इसे आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्मगुरु के रूप में तथा आर्थिक क्षेत्र में सोने की चिड़िया के रूप में प्राप्त था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्राचीन काल में प्रचलित कई राजनीतिक संस्थाओं के प्रति भी उनके मन में अपार श्रद्धा थी तथा उसमें समयानूकूल कुछ परिवर्तन लाकर उसे देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत समायोजित करना चाहते थे।

दीनदयाल जी ने चिंतन के दार्शनिक अभिधारणा के अन्तर्गत धर्म राज्य के आदर्श का भी उल्लेख किया है, उनके अनुसार, धर्म की प्रभुता होने के कारण हमारे राज्य का आदर्श धर्म राज्य है। परन्तु यह धर्म राज्य पुरोहित तंत्र न होकर एक असाम्प्रदायिक राज्य है। सभी पंथों और उपासना–पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता एवं समादर का भाव भारतीय राज्य का आवश्यक गुण है। दीनदयाल जी के राजनैतिक चिंतन का एक पहलू लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। लोक कल्याणकारी राज्य भी पूँजीवाद एवं साम्यवाद की अतिवादिता का विरोध करता है, अतः दीनदयाल जी ने इस पर अपने लेखों में यत्र–तत्र इसकी चर्चा अवश्य की है।

भारत की विदेश नीति के सम्बन्ध में दीनदयाल जी का दृष्टिकोण सैद्धान्तिक होने के साथ–साथ यथार्थवादी भी था। उनके अनुसार, विदेश नीति का प्रमुख आधार होना चाहिए–राष्ट्रीय हित। किसी देश की परराष्ट्र–नीति, राष्ट्र के प्रकट हितों की सिद्धि के उद्देश्य से तैयार की जानी चाहिए। उसे यथार्थवादी होना चाहिए और उसे विश्व की पार्थिव प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए।

राष्ट्र की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाएँ, व्यक्ति

की सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिलाषा, कुटुम्ब का प्रेम आदि अनेक प्रेरणाएँ अर्थरचना को बनाने और टिकाने में सहायक होती हैं। अतः हम समाज या व्यक्ति की समस्याओं एवं उसके लक्ष्यों का टुकड़ों में विचार नहीं कर सकते। यह हो सकता है कि समय विशेष पर हम किसी एक अंग को अधिक महत्त्व दें, किन्तु हम शेष की अवहेलना नहीं कर सकते। इस प्रकार साम्यवादी एवं पूँजीवादी विचार–धाराएँ समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, विधिशास्त्र आदि को अर्थशास्त्र के अधीन कर देता है। अर्थशास्त्र की औद्योगीकरण की प्रवृत्ति ने वित्तीय सत्ता के केन्द्रीकरण को पोषण प्रदान किया है। इससे मानव जीवन का ही मशीनीकरण हो गया है।

दीनदयाल जी धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र में सतुंलन के पक्षधर हैं। इस संतुलन कार्य को वे सांस्कृतिक कार्य मानते हैं तथा इस दृष्टि से अनुकूल अर्थायाम की स्थापना चाहते हैं। दीनदयाल जी की यह अवधारणा है कि जिस प्रकार प्राणायाम मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, उसी प्रकार अर्थायाम देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। अर्थ का जीवन में स्थान के सम्बन्ध में दीनदयाल ने अर्थ के उत्पादन, स्वामित्व, वितरण तथा उपभोग की समुचित एवं संतुलित व्यवस्था को अर्थायाम का प्रमुख अंग बताया है।

यद्यपि आधुनिक समय में मनुष्यों की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिए तथा आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबी होने के लिए तरह–तरह के कल–कारखानों की आवश्यकता है, साथ ही, विकासशील देशों की मिश्रित अर्थव्यवस्था में बड़े एवं छोटे दोनों ही प्रकार के उद्योगों का होना आवश्यक है, परन्तु भारत की विशेष सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखकर दीनदयाल जी ने छोटे उद्योगों को ही उपयुक्त माना है। उनका कहना है कि भारी और बड़े उद्योग हम चाहे जिस दृष्टिकोण से देखें, हमारे सम्मुख समस्याएँ सुलझाने के स्थान पर पैदा अधिक कर देते हैं। भारतीय सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों एवं जीवन–मूल्यों की दृष्टि से भारी उद्योग क्यों सुविधाजनक नहीं हैं। अपने आर्थिक चिन्तन के क्रम में दीनदयाल जी न तो मशीन के भक्त हैं और न विरोधी। वे मशीन को समाज एवं अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं होने देना चाहते। जब समाज एवं अर्थव्यवस्था पर मशीन हावी हो जाती है, तब उसमें केन्द्रीकरण का दोष आ जाता है। अतः वे उत्पादन के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति वाले मशीनीकरण के विरोधी हैं। परन्तु साथ ही, मानव श्रम को सुगम बनाने वाले तथा अपरमात्रिक उत्पादन देने वाली सहयोगी यंत्र के वे समर्थक है।

दीनदयाल जी एक मनीषी, चिन्तक एवं कर्मयोगी थे, जिनकी भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में प्रगाढ़ आस्था थी। व्यावहारिक राजनीति में रहते हुए भी वे एक राजनीतिज्ञ से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्त्ता थे। उनकी आस्था थी कि भारतीय संस्कृति के अनुकूल ही स्वतंत्र भारत का नव–निर्माण होना चाहिए। उनका यह मानना था कि संस्कृति की आधारशिला पर ही हमारा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चिन्तन खड़ा है। राजनीतिक क्षेत्र में जो दायित्व उन्होंने स्वीकार किया वह राष्ट्र के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से ही प्रेरित था। उसी निष्ठा के बल पर राष्ट्रनीति लिए चिन्तन किया जिसकी अभिव्यक्ति है, एकात्म मानववाद।

एकात्म मानववाद पंडित जी के विचारों का प्रस्थान बिन्दु तथा चरम परिणति है, परन्तु यह मानववाद मनुष्य केन्द्रित नहीं है। उनका मानव वैश्विक है और उनकी मानवता विश्व–मानवता है। एकात्म विशेष इसी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक है। विराट पुरुष या विश्व मानव की संकल्पना भारतीय संस्कृति में वेदकाल से ही विद्यमान है, जिसे पंडित जी ने पोषित किया है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि एकात्म मानववाद आज भारतीय संस्कृति की नवीन सन्दर्भों में सुसम्बद्ध व्याख्या है।

उनके विचारों एवं रचनाओं के गहन अध्ययन एवं मनन के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है, कि यह कथन समीचीन और सटीक है। इससे भारतीय संस्कृति की जीवन्तता तथा सनातनता भी सिद्ध होती है। इकबाल की उक्ति कि, ''कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं जहाँ से, इसी को प्रमाणित करती है। देश–विदेश में मुझे भी इस तथ्य को परिपुष्ट करने के सौभाग्यशाली अवसर प्राप्त हुए हैं।

पंडित दीनदयाल पाश्चात्य चिन्तन के दोषों और उनकी तुलना में भारतीय चिन्तन की गुणवत्ता से सुपरिचित एवं प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को आत्मसात् कर वर्तमान युग की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नए ढंग से प्रस्तुत किया है। 'सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा' के वैदिक उद्घोष को उन्होंने पुनः ध्वनित किया है। यही उनकी विलक्षणता है। भारतीय संस्कृति समग्रवादी एवं समन्वयवादी रही है। इसी को पंडित जी ने एकात्म की संज्ञा दी है। पिंड और ब्रह्माण्ड परस्पर पूरक, अन्योन्याश्रित एवं समरूप हैं और इन्हें एकांगी या खंडित दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है।

पंडित जी ने कुछ ऐसे विचार एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो उनकी विलक्षण प्रतिभा के द्योतक हैं। उनकी चिति की अवधारणा, व्यक्ति के साथ–साथ समाज के पुरुषार्थों का विचार, एकात्मपरक आर्थिक प्रजातन्त्र का सिद्धान्त, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सकारात्मक धर्म–निरपेक्षता, एकात्म जीवन और एकात्म सुख आदि के विचार उनके मौलिक अवदान हैं। उनका दार्शनिक चिन्तन शुष्क सैद्धान्तिक न होकर व्यवहारोन्मुखी है। एकात्म मानववाद के प्रस्थान बिन्दु से प्रारम्भ कर इसके मूलभूत प्रारूप के अन्तर्गत उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, राज्य तथा सत्ता के समस्त स्वरूपों की व्याख्या की है। इसमें उनके विचारों का तारतम्य अभिव्यक्त होता है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और राजनैतिक चिंतन के विविध पहलुओं पर गौर करने के बाद स्वाभाविक रूप से कई प्रश्न उभरकर सामने आते हैं। प्रथम, यह कि कहीं यह दर्शन एम. एन. राय के दर्शन की तरह कल्पनालोक की शब्द–सृष्टि या महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत ऐसा उच्चतर आदर्श जिसकी व्यावहारिक प्राप्ति कभी संभव नहीं। क्या यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के विचार वर्गों का एक विषयमात्र है या वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का भूतकालीन समाधान है? जिस पर कई किन्तु–परन्तु लगे हैं। क्या यह किसी राजनीतिक पार्टी को दार्शनिक आधार देने का राजनीतिक चातुर्य से परिपूर्ण प्रयास तो नहीं है।

वास्तव में विश्व आज एक ऐसे तिराहे पर खड़ा है, जहाँ एक रास्ता साम्यवाद का है, जिधर अब कोई जाना नहीं चाहता। दूसरा रास्ता पूँजीवाद का है, जहॉ भोग और भौतिक प्रगति तो है लेकिन मानवता का कोई मूल्य नहीं। जहाँ योग्यतम की अतिजीविता दुर्बलों का शोषण कर रही है। जहाँ योग्य बनने की चाह में मानव–मानव के खून पर जिन्दा रहने वाला दानव बन बैठा है। ऐसी अवस्था में भ्रांतचित विश्व मानवता के लिए भारतीय जीवन–दर्शन ही एकमात्र और परीक्षित मार्ग बचता है, जिसे आजकल विकास का तीसरा आयाम कहा जाता है।

इस संदर्भ में आचार्य विष्णुकान्त शास्त्री कहते हैं–वर्तमान में एक बड़ी गलतफहमी फैल गई है। बहुत से लोग मान बैठते हैं कि चूँकि मार्क्सवाद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में गलत साबित हुआ, इसलिए पूँजीवाद सही है, जबकि ऐसा है नहीं, पूँजीवाद में भी बड़े अन्तर्विरोध हैं। उसे स्वीकार करना भी भारत के लिए आत्मघाती होगा। भारत का अपना तीसरा ही रास्ता होना चाहिए। यह तीसरा रास्ता प्राचीन भारतीय परम्पराओं पर आधारित समकालीन चिन्तनों के उज्ज्वल पक्षों से युक्त एवं वर्तमान

तथा भविष्य की चुनौतियों को स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिए।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ने उन्हीं शाश्वत सिद्धान्तों को प्रकारान्तर से एकात्म मानव–दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया है। ब्लिट्स के कार्यकारी सम्पादक श्री सुधीन्द्र कुलकर्णी एकात्म मानव–दर्शन की प्रासंगिकता पर लिखते हैं–अब इस रचनात्मक सामाजिक दर्शन पर अमल करने का समय आ गया है, अगर हमने इसे हासिल कर लिया तो भारत की विभिन्न देशभक्त, प्रगतिशील और आध्यात्मिक शक्तियों के बीच यह टकराव खत्म हो जाएगा। जिसका कोई हासिल नहीं है और जिसमें हजारी ऊर्जा बेकार जाया हो रही है तथा एक एकता और सहयोग से कल की महाशक्ति का उदय होगा।

निःसन्देह आज के दिशाविहीन एवं भ्रांत भारतवर्ष के लिए और अणुबम से भयभीत तथा स्वार्थ, संघर्ष और संत्रास से परिपूर्ण इस विश्व के लिए एकात्म मानववाद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सारी मानवजाति शारीरिक, बौद्धिक और मन सम्बन्धी त्रास–संत्रास में जकड़ गई है। मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता। ऐसी संत्रस्त, राजनैतिक दिशाभ्रष्ट और वैचारिक व्यामोह से ग्रस्त मानवता के लिए दीनदयाल उपाध्याय एक एकात्म मानव–दर्शन प्रकाश स्तम्भ है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अवस्थी, अमरेश्वर एवं अवस्थी, रामकुमार, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 1974
2. देवधर, विश्वनाथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन, खण्ड–2, एकात्मक मानववाद सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली, 1991
3. नेने, विनायक वासुदेव, एकात्म मानववाद दर्शन, प्रथम संस्करण, सुरुचि प्रकाशन, दिल्ली, 1990
4. दीक्षित, हृदय नारायण, तत्त्वदर्शीय पं. दीनदयाल उपाध्याय, दारूल शपथ, लखनऊ, 1970
5. पं दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन–तत्व जिज्ञासा, दत्रोपंत ठेंगड़ी, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ, 1970
6. यादव, पुत्तीदयाल, युगपुरुष दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रभाषा प्रकाशन, कानपुर, 1973
7. राष्ट्रधर्म (मासिक), राष्ट्रधर्म प्रकाशन, लखनऊ
8. पांचजन्य (साप्ताहिक), राष्ट्रधर्म प्रकाशन, लखनऊ
9. पंडित दीनदयाल (स्मारिका अन्त्योदय–1996), दुर्ग (म.प्र.)

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

ई-कॉमर्स की आवश्यकताएँ

❑ **जागृति शुक्ला***
❑ **डॉ. रमेश कुमार गुप्ता****

शोध-सारांश

हम सूचना प्राद्यौगिकी के युग में जी रहे हैं, धीरे–धीरे इंटरनेट में हमारे जीवन–यापन के तरीके को बदल दिया है। आज हम इंटरनेट का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करने लगे हैं। पिछले कुछ समय से ई–कॉमर्स व्यवसाय करने का मुख्य अंग बन गया है। यदि यह कहा जाये कि ई–कॉमर्स के बिना व्यवसाय सम्भव नहीं है तो इसे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स व्यवसाय करने का एक उभरता हुआ मॉडल है। यहाँ एक प्रकार की बिक्री–खरीददारी का उपयोग किया जाता है इन्हीं बिन्दुओं पर केन्द्रित यह शोध पत्र प्रस्तुत है।

मुख्य शब्द–*ई–कॉमर्स, संगठन, बिक्री, व्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक, मॉडल आदि।*

प्रस्तावना

यह आधुनिकता का दौर है। वर्तमान युग को सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। आज इंटरनेट का उपयोग काफी लोकप्रिय हो गया है। इंटरनेट ही ई–कॉमर्स की रीढ़ है। बिना इंटरनेट के आप ई–कॉमर्स की परिकल्पना नहीं कर सकते। ई–कॉमर्स का प्रारम्भ 1990 का दशक माना जाता है और आज का इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। आज छोटी–बड़ी सभी कम्पनियाँ अपनी दमदार पहचान बनाने में जुटी हैं। देखा जाये तो ई–कॉमर्स सभी की आवश्यकता बन गया है। वाणिज्य देश के नागरिकों का बेहतर जीवन–यापन करने तथा अन्य देशों के साथ व्यावसायिक संबंधों को मधुर बनाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करता है।

ई–कॉमर्स का इतिहास

वाणिज्य का आरम्भ तब से हुआ जबसे मानव ने व्यापारिक लेन–देन प्रारम्भ किया, फिर चाहे वह सामान के बदले सामान देना हो अथवा पैसा। धीरे–धीरे इस आदान–प्रदान ने वैश्विक रूप धारण करते हुए विभिन्न देशों के मध्य वाणिज्य की स्थापना की, जिसे ग्लोबल कॉमर्स कहा गया।

धीरे–धीरे अन्तर्देशीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य उन नियम एवं

* *शोधार्थी वाणिज्य,* शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** *सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य),* विन्ध्यांचल महाविद्यालय, जिगना, सतना (म.प्र.)

सिद्धातों को बनाना है जिससे की वाणिज्य का स्वरूप बदले बिना ही विभिन्न देश आपस में व्यापार कर सकें। सबसे पहला ऑनलाइन लेन–देन वर्ष 1994 में हुआ था। इसमें नेटमार्केट नामक एक ऑनलाइन रिटेल प्लेटफार्म के माध्यम से दोस्तों के बीच एक सीडी की बिक्री शामिल थी। ई–कॉमर्स उद्योग समय के साथ बहुत बदल गया है। काफी हद तक विकसित हो रहा है।

ई–कॉमर्स की परिभाषा

ई–कॉमर्स व्यापार का एक तरीका है जो कि इंटरनेट की मदद से अमेजन, फिलपकार्ट आदि के माध्यम से काम करता है। ई–कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से है जो इंटरनेट एक्सेस की मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए होती है। ई–कॉमर्स एक कमरे से पृथ्वी के अंत तक व्यापार शुरू करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। ई–कॉमर्स शब्द ऐसे व्यवसाय मॉडल को सन्दर्भित करता है जो कम्पनियों और व्यक्तियों को इंटरनेट बिक्री की अनुमति देता है।

ई–कॉमर्स की विशेषताएँ

(1) सीधे सम्पर्क–ई–कॉमर्स में इसका अर्थव्यवस्था के खरीददार और विक्रेता के बीच सीधा सम्पर्क होता है।

(2) आभासी आउटलेट–व्यवसाय करने के लिए नेट पर निर्माता या विक्रेता के पास अपने उत्पादों या वस्तुओं को बेचने के लिए एक भौतिक दुकान या शोरूम का मालिक नहीं होता है।

(3) आसान पहुँच–किसी ग्राहक के पास किसी भी समय या स्थान से खरीददारी करने के लिए ई–कॉमर्स पर आसान पहुँच है।

(4) समय और लागत की बचत करे–यह परिवहन और यात्रा पर खर्च करने में बहुत समय और लागत बचाने में मदद करता है।

ई–कॉमर्स के फायदे

(1) ई–कॉमर्स के जरिये हम लोग स्वयं के व्यापार का लेन–देन नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक कर सकते हैं।

(2) ई–कॉमर्स का प्रयोग हम 24 x 7 hour कर सकते हैं।

(3) ई–कॉमर्स के जरिये हम कहीं पर भी बैठकर खरीददारी कर सकते हैं।

(4) ऑनलाइन खरीददारी से समय की बचत होती है।

ई–कॉमर्स के नुकसान

(1) ई–कॉमर्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। कभी–कभी कम स्पीड की वजह से ई–कॉमर्स की इंटरनेट साइट काम नहीं करती।

(2) सुरक्षा ध्यान से रखना जरूरी होता है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय अकाउन्ट हैक अथवा हमारी इन्फार्मेशन हैक हो सकती है।

(3) कई बार ग्राहकों को टूटे–फूटे और खराब उत्पाद भेज दिये जाते हैं।

(4) कम कीमत वाली चीजों के मामले में अक्सर भेजने का शुल्क उनकी कीमत से भी ज्यादा होता है।

(5) अगर सावधानी से काम न किया जाए तो पैसे के लेन–देन में धोखेबाजी की अधिक सम्भावना होती है।

(6) ऑनलाइन खरीददारी छोटे और स्थानीय दुकानदारों को बढ़ने नहीं देती। बड़े व्यापारिक घराने बिक्री का ज्यादातर हिस्सा ले जाते हैं।

ई–कॉमर्स के उद्देश्य

ई–कॉमर्स विक्रेताओं को ग्राहकों के निकट पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिससे उत्पादकता और पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होती है। ग्राहक विभिन्न विक्रेताओं के बीच चयन का विकल्प रखता है और आवश्यकता के अनुसार सबसे अधिक प्रासंगिक उत्पाद खरीद सकता है।

ई–कॉमर्स या ई–व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएँ और

व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। बुनियादी ढाँचे, उपभोक्ता और मूल्य वर्धित प्रकार के व्यापारों के लिए इंटरनेट कई अवसर प्रस्तुत करता है।

''उत्पादों की बहार हमारा डिजिटल व्यापार''

दुनियाँ की बड़ी ई–कॉमर्स कम्पनी

(1) अमेजन
(2) चीन की ग्लोबल ई–कॉमर्स यूनिकार्न–अलीबाबा की मार्केट वैल्यू 600 बिलियन डॉलर है।
(3) JD. com
(4) pinduoduo
(5) Shopify
(6) Merado libre
(7) eBay

निष्कर्ष

ई–कॉमर्स की यात्रा इसकी सामान्य शुरूआत से लेकर वर्तमान डिजिटल बाज़ार तक एक उल्लेखनीय विकास को दर्शाती है, जिसने व्यापार और उपभोक्ता संबंधों को नया आकार दिया। 1994 का मील का पत्थर, जिसे पहले ऑनलाइन लेनदेन द्वारा चिह्नित किया गया था, ने एक महत्त्वपूर्ण मोड़ का संकेत दिया, जिससे अमेजन और ईबे जैसे दिग्गजों के उभरने का मार्ग प्रशस्त हुआ। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता प्राथमिकताओं को अपनाते हुए ई–कॉमर्स में बहुत बदलाव को और तेज कर दिया। खरीददारों ने अपनी आदतों में बदलाव करते हुए रणनीतियों को अपनाया।

ई–कॉमर्स केवल संगठनों के लिए ही उपयोगी नहीं है बल्कि ग्राहकों के लिये भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि आज के समय में ग्राहक के पास समय नहीं है। ग्राहक कम समय में खरीददारी करना पसंद करता है और ई–कॉमर्स घर बैठे खरीददारी की सुविधा प्रदान करता है। जिससे आम उपभोक्ता आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रभाव के कारण वह अब पहले से अधिक काम के साथ–साथ अपनी खरीददारी जैसे कार्यों को घर बैठे उत्तम गुणवत्तावाली वस्तु को आसानी से खरीद सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Electronic commerce,A manager's guide Raw kalakota Andrew B. whinston, Low price Edition. Addition-Wesley.
2. E-commerce, Ritendra Goel, New Age international (P) Limited Publishers.
3. Business Expert Systems, C.W. Holsapple and A.B. Whinston, Irwin, Homewood, IL, 1987

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 4th March 2024
Paper Accepted : 7th March 2024

मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति हेतु विकास नीति

□ कविता शुक्ला*
□ डॉ. सुशीला द्विवेदी**

शोध-सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्य प्रदेश की बैगा जनजातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा योजनाओं को उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे उनके आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हो सके और वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। इस शोध पत्र में उनके लिए संसाधनों को मुहैया कराया गया है, पठन–पाठन के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए ग्रामीण अंचलों में रह रहे बैगा परिवारों को अनेकों प्रकार की सुविधाएँ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। इन्हीं बिन्दुओं को शोध में उजागर करने का प्रयास है।

मुख्य शब्द–*मध्य प्रदेश, बैगा, जनजाति, विकास नीति, योजना, आर्थिक, सामाजिक, आदि।*

प्रस्तावना

वर्ष 1935 में सरकार ने बैगा गाँवों को वन ग्राम घेषित किया था। 6ठीं योजना के प्रारंभ में जनजाति विकास हेतु नयी परियोजनायें एवं विशेष विकास अभिकरण बनाये गये। अतः विकास हेतु बैगा विकास अभिकरण, बैगा विकास परियोजना, शहडोल को मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत पंजीकृत कराया गया; जिसका मुख्यालय शहडोल में स्थापित किया गया। बैगा विकास अभिकरण, बी.डी.ए. को बैगा विकास का दायित्व सौंपा गया (पटेल 1985 : 135)। वर्तमान में बैगा विकास के कार्य क्षेत्र में बैगाचक के 52 गाँव सम्मिलित हैं (बैगा विकास अभिकरण प्रगति प्रतिवेदन)।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बैगा विकास के लिए वर्ष 2011–2012 के दौरान क्रियान्वित योजनाओं एवं व्यय राशि को तीन भागों में विभाजित किया गया है। (अ) परिवार मूलक कार्यक्रम, (ब) समुदाय मूलक कार्यक्रम एवं स. अधोसंरचना विकास कार्यक्रम।

* *शोधार्थी,* शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** *सहायक प्राध्यापक,* शासकीय महाविद्यालय, रायपुरकर्चुलिया, जिला–रीवा (म.प्र.)

(अ) परिवार मूलक कार्यक्रम

परिवार मूलक कार्यक्रमों के तहत ऐसी योजनाओं को शामिल किया गया है। जिनसे सीधे बैगा परिवारों को या बैगा सदस्यों को लाभान्वित किया जाता है। बैगा विकास अभिकरण, शहडोल द्वारा विगत वर्षों में संचालित परिवार मूलक कार्यक्रम निम्नानुसार हैं–

(1) I.R.D.P. अन्तर्गत 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान–एकीकृत विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार मूलक योजनाओं के तहत लिये गये ऋण पर 50 प्रतिशत अनुदान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तथा 30 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान विशेष पिछड़ी जनजाति के बैगा हितग्राहियों को अभिकरण द्वारा प्रदान किया गया है। ताकि वह कर्ज से शीघ्र मुक्त हो, आय अर्जन में लग सकें तथा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर विकास की मुख्य धारा में सहभागी बन सकें। इस योजना के तहत अभिकरण द्वारा 22.372 लाख की राशि 721 बैगा हितग्राहियों को स्वीकृत की गयी है।

(2) आवास कुटीर निर्माण–बैगा विकास अभिकरण, शहडोल द्वारा आवासीय बैगा परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया था तथा आवास की मूलभूत आवश्यकता से वंचित 317 आवासहीन परिवारों को कुल 33.22 लाख की राशि स्वीकृत कर प्रदान की गयी है।

(3) कृषि विकास कार्यक्रम–अभिकरण क्षेत्र में कृषि विकास अन्तर्गत निःशुल्क रासायनिक खाद, उन्नत बीज वितरण, फसल प्रदर्शन, जैट्रोपा रोपड़, वर्मी कम्पोस्ट, मेड़–बन्धा निर्माण, भूमि समतलीकरण, तालाब निर्माण, जल संग्रहण संरचना, कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम, पम्प वितरण, इत्यादि योजनायें विगत वर्षों में संचाालित की गयी हैं। उक्त योजनाओं पर 54.014 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है।

(4) पशुधन विकास–इसके तहत बैगा परिवारों को इनके रुचि एवं माँग को दृष्टिगत रखते हुये उन्नत नस्ल के बकरों का वितरण, बकरी इकाई का वितरण, कुक्कुट इकाई वितरण, डेरी व्यवसाय हेतु भैंस वितरण तथा पशु औषधालयों में औषधि की निरंतरता हेतु दवा वितरण की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है तथा कुल रुपये 26.942 लाख की राशि व्यय की गयी है।

(5) उद्यानिकी विकास–उद्यानिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत बैगा परिवारों को बाड़ी विकास अंतर्गत सब्जी बीज वितरण, आम, आँवला, मुनगा और पपीता पौध वितरण की योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं। जिनमें 12 लाख की राशि व्यय की गयी है।

(6) मत्स्य विकास–मत्स्य विकास के अन्तर्गत बैगा मत्स्य पालकों को मत्स्य प्रशिक्षण, पोखर व जाल वितरण तथा अभिकरण क्षेत्र के जुहिला जलाशय में मत्स्य विकास की योजनाओं के तहत नाव, जाल वितरण, पट्टा राशि का प्रदाय, मत्स्य फीडिंग प्रदाय इत्यादि योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं तथा 11.398 लाख की राशि व्यय की गयी है।

(7) हस्तशिल्प विकास–बैगा शिल्पियों को हस्तशिल्प अंतर्गत चिंदी–दरी बुनाई प्रशिक्षण, ऊनी दरी बुनाई प्रशिक्षण, काष्ठ शिल्प प्रशिक्षण दिलाया गया है, ताकि वह रोजगार की तलाश में न भटकें एवं अपने घर में रह कर सामग्री का उत्पादन करें। इन योजनाओं पर 23.57 लाख की राशि व्यय की गई है तथा 265 बैगा सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

संसाधन एवं पर्यावरण से संबंधित नीति

वन विकास और जनजातीय आर्थिक स्थिति परस्पर सम्बन्धित हैं। अतः यह आवश्यक है कि कोई भी भावी कार्यक्रम ऐसा न बने जिससे आदिवासी क्षेत्र क्षतिग्रस्त हों। आदिवासी और गैर–आदिवासी दोनों जो कि वनों पर आश्रित हैं, आर्थिक दशा में सुधार हो। इसे ध्यान में रखना होगा। सभी राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्र अपने वन कानून और अधि

मानों में आवश्यक सुधार करें ताकि जनजातियों को अधिकतम लाभ पहुंच सके।

हम इस बात का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं कि वनों से जनजातियाँ क्या प्राप्त करती हैं। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनका उपयोग वे स्वयं नहीं करती हैं। इन्हें वे व्यापारियों के एजेन्ट के हाथों कम मूल्य में बेच देती हैं; अतएव यह आवश्यक है कि इन वस्तुओं को सरकारी तन्त्र द्वारा एकत्रित किया जाये। तद्नुसार मध्य प्रदेश सरकार ने तेंदूपत्ते, लाख, गोंद, साल–बीज खरीद के लिए वन सहकारी समितियाँ निर्मित की हैं। कहना न होगा कि इन समितियों से आदिवासी लाभान्वित हुये हैं और हो रहे हैं। पर इसमें और भी अधिक सुधार की आवश्यकता है। वन बाहुल्य प्रदेशों में वन विभाग की ओर से यह भी प्रयास होना चाहिए कि कच्चे मालों (रॉ मेटेरियल्स) को उपभोग की वस्तुएँ बनाने के लिए निर्माण केन्द्र वनों के समीप ही खुलें ताकि जनजातियाँ जो भी वस्तुएँ लायें उनका उपयोग तत्काल हो सके। राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने इस तरह के कुछ निर्माण केन्द्र स्थापित किये हैं। ''निर्माण केन्द्र'' के समीप सैकड़ों गांव वाले इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 1985 के अन्त तक लगभग 100 वन विकास सहकारी समितियाँ तथा वन विकास जनजातीय निगम जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत थीं। इन समितियों व निगमों का मुख्य उद्देश्य न केवल वनों से प्राप्त वस्तुओं को खरीदना है बल्कि वन विभाग द्वारा कोई भी कार्य, जिसमें मानव–श्रम की जरूरत है तो निगम की ओर से जनजातीय समूहों से श्रमिक बुला कर उनको काम देना है। पहले यह काम वन विभाग के कर्मचारियों की दया पर निर्भर रहता था। अध्ययन क्षेत्र में वन, जल, मृदा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। जिनके नीति की आवश्यकता है–

(क) वन संसाधन नीति–वनों की अंधाधुंध कटाई, वनों में आग लगने, अनियंत्रित पशु–चारण, कीड़े–मकोड़ों, बीमारियों के प्रकोप एवं अवैध रूप से वनों को काटने से वन संसाधन बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं। अतः यह नीति आवश्यक है। वन नीति के अतंर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संभावित हैं–

(1) अग्नि से सुरक्षा–वन संसाधनों को अग्नि से अत्यधिक क्षति पहुँचती है। यद्यपि यदा–कदा विद्युत एवं वृक्षों के घर्षण से भी अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठती है; परंतु अधिकांश वनाग्नि मनुष्यों की असावधानी के कारण लगती है। अग्नि द्वारा वृक्ष एवं उसके बीज नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अग्नि प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण जीव समुदाय के नष्ट हो जाने की संभावना रहती है। अग्नि के रोकथाम के लिए स्थान–स्थान पर निरीक्षण गृह स्थापित करने चाहिये तथा अग्नि–शमन सेवाओं का विस्तार कर देने से अग्नि के फैलाव को रोका जा सकता है।

(2) वन रोपड़–वनों का संवर्धन वन रोपड़ द्वारा सुचारु रूप से संभव हो सकता है। वन आरोपड़ के साथ–साथ वन रोपड़ का भी कार्य आवश्यक है।

(3) चयनात्मक कटाई पद्धति–वन नीति में वनों के अविवेक पूर्ण कटाई के स्थान पर चयनात्मक कटाई पद्धति का अनुसरण करना आवश्यक है। क्षेत्र के विभिन्न भागों में बहुत से वृक्ष जर्जर अवस्था में पड़े हुये हैं, जिनका विकास बहुत वर्षों से रुक गया है तथा उनकी लकड़ियाँ भी खराब हो गयी हैं। ऐसे वृक्षों को काटकर इनके स्थान पर नये वृक्षों को आरोपित किया जाये। शीघ्र बढ़ने तथा पारिस्थितिकी के अनुकूल उपयोगी लकड़ियों वाले वृक्षों के आरोपण को प्राथमिकता दी जाये।

(ख) वन्य जीव नीति–वन्य जीव नीति हेतु विशिष्ट स्थलों में अभ्यारण्य स्थापित किये जायें तथा पशु–पक्षियों के अवैध शिकार पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। शहडोल जिले के विभिन्न ग्रामों में

ऐसे वन्य (अभ्यारण्य) क्षेत्रों में स्थापित किये जा सकते हैं। इससे क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग विकसित होने से पर्यावरण संरक्षण के साथ–साथ आर्थिक विकास के रूप में मदद मिलेगी। शासकीय कानूनों के अतिरिक्त वन्य जीवों के पर्यावरणीय महत्त्व के ज्ञान को विभिन्न माध्यमों से जनता को बताकर उनके विनाश को रोका जा सकता है।

(ग) जल संसाधन नीति–जल संसाधन नीति के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण, जल प्रदूषण निवारण, जल का सदुपयोग, जल राशियों का संरक्षण तथा जल शक्ति का विकास, आदि विधियाँ अधिक उपयोगी हैं–

(1) बाढ़ नियंत्रण–अध्ययन क्षेत्र का उत्तर–पूर्वी, दक्षिणी एवं पूर्वी भाग बाढ़ प्रभावित भाग है। बाढ़ के जल को नियंत्रित करके उसके फैलाव को रोक कर अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की जा सकती है। विभिन्न भागों में जलाशयों का निर्माण, जल विभाजकों पर वृक्षारोपण, भू–अपरदन का नियंत्रण करके बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है। कृत्रिम बाँधों एवं जलाशयों के निर्माण से जल के प्रवाह को मंद करके इसे संरक्षित किया जा सकता है। बाढ़ नियंत्रण से आवागमन के कार्य में भी सहायता मिलेगी।

(2) जल प्रदूषण निवारण–अध्ययन क्षेत्र के नगरों के समीप के जल स्रोतों में जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसके लिये अवशिष्ट जल को परिशोधित करके ही नदियों एवं नालों में बहाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे जल प्रदूषण एवं विभिन्न विषैले रासायनिक तत्त्वों से मुक्त हो जायेगा।

(3) जल का सदुपयोग–जल जीव जगत के लिए अति आवश्यक होने के कारण एक अमूल्य संसाधन है। आधुनिक वैज्ञानिक गहन कृषि एवं अधिकतम उत्पादन के लिए सिंचाई एक प्रमुख कारक है। इसकी कमी से अन्य सभी लागतों का प्रयोग करने पर भी वाँछित उत्पादन नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए सिंचाई के साधनों का विकास कृषि विकास के लिए अपरिहार्य है। वर्ष 2010–11 में क्षेत्र में शुद्ध कृषित भूमि का 7.96 प्रतिशत सिंचित है, शेष भूमि असिंचित है। नगरों एवं अन्य केन्द्रों में गृह उपयोग में आने वाले पेय जल का उपयोग करके साग–सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। जल संसाधनों को संरक्षित करके मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है।

(घ) मानव संसाधन विकास हेतु नीति–रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराने की दृष्टि से आवश्यक शिक्षा का प्रसार अपेक्षित है। कृषि, वन एवं पशु उत्पादों पर आधारित अनेक उद्योग धन्धे प्रमुखता से स्थापित कर रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। कृषि व्यवस्था में सुधार से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का अभाव होने के कारण वे सामान्यतः श्रमिकों के रूप में कार्यरत् हैं। अतः मानव संसाधन विकास हेतु उनके शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर सुलभ कराने एवं उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ङ) कृषि विकास नीति–कृषि विकास में गति प्राप्त किये बिना समग्र विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न संसाधनों को नियोजित ढंग से विकसित किया जाये। कृषि अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यस्था का मेरुदंड है। और लगभग 85 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अतः कृषि विकास हेतु नीति यहाँ की सर्वप्रमुख आवश्यकता है। विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि गहनता में सामान्यतः वृद्धि हुई है। किन्तु आवश्यक अधोसंरचना का विकास करके और अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। अध्ययन क्षेत्र की कृषि अत्यंत पिछड़ी हुई है। यह पिछड़ापन अधिक उपज देने वाली किस्मों के उन्नतशील

बीजों, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं, नवीन कृषि उपकरणों के कम प्रयोग तथा सिंचाई की अपर्याप्तता के कारण है। नवीन कृषि पद्धतियों के अध्ययन क्षेत्र में कम प्रचलन का कारण लघु एवं सीमांत कृषकों की अधिकता, जोतों का आकार छोटा होना, अशिक्षा के कारण कृषकों में नवीन कृषि पद्धतियों की ग्राह्य क्षमता में कमी, परिवहन एवं संचार व्यवस्था का अविकसित स्थिति में होना तथा विपणन केंद्रों की कमी है। अतः क्षेत्र में कृषि का बहुमुखी विकास एक–फसली क्षेत्र को सिंचाई एवं उर्वरकों के प्रयोग से बहुफसली क्षेत्र में बदलकर, फसल प्रतिरूप में यथासम्भव परिवर्तन, कृषि के गहनीकरण तथा नवीन कृषि पद्धतियों के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है और कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

अन्त में यह कहना जरूरी है कि विकास कार्यक्रम तभी सम्भव है जब सरकारी वन विभाग और जनजातीय विकास विभाग दोनों मिलकर काम करें, ताकि अधिकाधिक संख्या में वनों से जुड़े समूहों का कल्याण हो सके। विकास की प्रक्रिया में स्थानीय समूहों की सहभागिता अत्यावश्यक है। अतएव वन विभाग से जुड़े कर्मचारियों को उन बातों से परिचित होना आवश्यक है जो जनजातीय विकास से जुड़े अध्ययनों में परिलक्षित हुआ है।

आर्थिक पुनरुद्धार सम्बन्धी नीति

वर्तमान समय में नियोजित आर्थिक विकास अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि विकास स्तर सामान्य मापदण्ड गतिशील आर्थिक क्षमता द्वारा निर्धारित होता है। क्षेत्र की मुख्य समस्याओं एवं संसाधन संभाव्यता को दृष्टिगत रखते हुये उपयुक्त उपागमों एवं प्रयासों के माध्यम से विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं के मध्य परस्पर अन्तर संबद्धता एवं समन्वय स्थापित किया जाये। जिससे वे परपस्पर एक दूसरे के लिए विकासपरक एवं संपूर्ण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आधारभूत सिद्ध हो सकें। विगत 5 दशकों के नियोजित विकास के वावजूद देश का जनजातीय अर्थतंत्र पिछड़ा हुआ है, क्योंकि संतुलित अधोसंरचनात्मक विकास की ओर कोई विशिष्ट प्रगति नहीं हो सकी। अध्ययन क्षेत्र में निर्वाहक स्तर से नीचे जीवन–यापन करने वाली जनजातीय जनसंख्या की दशा में उन्नयन हेतु संसाधन एवं पर्यावरण संबंधी नीति आवश्यक है। स्थानीय संसाधनों के आधार पर उद्योगों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–

(अ) वनों पर आधारित उद्योग–अध्ययन क्षेत्र वन बाहुल्य होने के कारण यहाँ वनों पर आधारित उद्योगों की काफी संभावनाएँ हैं। इन उद्योगों के प्रारंभ हो जाने से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोग वन संपदा का समुचित लाभ उठा सकेंगे। जिलों में निम्नलिखित उद्योगों की संभावनायें हैं–

(1) बाँस पर आधारित उद्योग–बाँस उपलब्धता के आधार पर बाँस के सूपा, टोकरी, चटाई, खिलौनें, अगरबत्ती काड़ी निर्माण आदि की स्थापना की जा सकती है।

(2) त्रिफला चूर्ण निर्माण–मण्डला जिले में काफी मात्रा में आँवला, हर्र तथा बहेरा पाया जाता है। जिससे त्रिफला चूर्ण निर्माण किया जा सकता है।

(3) काष्ठ खिलौना उद्योग–वन क्षेत्र में हल्दी, मुन्डी, सागौन आदि की उपलब्धता है। अतः काष्ठ खिलौना निर्माण उद्योग के विकास की प्रबल संभावना है।

(4) पैकिंग एवं फोटो फ्रेमिंग उद्योग–क्षेत्र में मोरुम, दूधी आदि वृक्षों की उपलब्धता होने के कारण यह उद्योग विकसित किया जा सकता है।

(5) रस्सी निर्माण एवं साल तथा माहुल के पत्ते से दोना निर्माण–वन क्षेत्र में सवई घास उपलब्ध है। अतः इस पर आधारित रस्सी निर्माण उद्योग की अच्छी संभावना है। इसी प्रकार वन क्षेत्र में माहुल पत्तों की उपलब्धता अधिक होने से पत्ते

से प्लेट तथा दोना निर्माण किया जा सकता है। मोतीनाला तथा मवई क्षेत्र में साल वन हैं। साल के पत्तों से पत्तल तथा दोना बनाने का कार्य किया जा सकता है। इसका विपणन आसान होगा क्योंकि मोतीनाला जबलपुर–रायपुर मार्ग पर स्थित है।

(6) रेशम कृमि पालन–मण्डला में शहतूत एवं अण्डी के वृक्षों पर रेशम कृमि का पालन किया जा रहा है। इसे अन्य क्षेत्रों में विकसित करने की आवश्यकता है।

(ब) कृषि पर आधारित उद्योग–अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। अतः कृषि विकास नीति के परिणाम स्वरूप आगामी दस वर्षों के अंदर इसके विकास की पर्याप्त संभावना है। अतः इस पर आधारित विभिन्न उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं।

(1) चावल मिल–अध्ययन क्षेत्र में धान का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। अतः अतिरिक्त धान मिलों तथा पोहा मिलों की इकाइयाँ लगानी चाहिए। इनसे संबंधित अन्य इकाइयाँ जैसे–चावल की पैकिंग, चावल की भूसी से प्लाई बोर्ड बनाने की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं।

(2) पॉपकार्न (मक्का) उद्योग–अध्ययन क्षेत्र में मक्के का उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जा सकता है, अतः मक्के पर आधारित इकाईयाँ जयसिंहनगर एवं ब्यौहारी में स्थापित की जा सकती हैं।

(3) दाल एवं तेल घानी उद्योग–क्षेत्र में दलहन का उत्पादन मात्र घरेलू उपयोग तक ही सीमित है। शहडोल जिले में दलहन का वार्षिक उत्पादन 18.40 मौलिक टन है। अतः क्षेत्र में दलहन मिलों की स्थापना की जानी चाहिए। तिलहन के समुचित उपयोग हेतु मुरैना जिले की भाँति तेल उद्योग का विकास किया जा सकता है।

(स) पशुपालन आधारित उद्योग–अध्ययन क्षेत्र में घरेलू स्तर पर पशुपालन का कार्य सामान्यतः सभी जगह होता है। अतः यहाँ चमड़ा एवं डेयरी आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। शहडोल जिले में डेयरी उद्योग के विकास की भरपूर संभावनाएँ हैं जहाँ डेयरी उद्योग को विकसित करने पर बल दिया जाना चाहिये। क्षेत्र में चमड़ा उद्योग की इकाई स्थापित की जानी चाहिए, जिससे चमड़ा उद्योग को बढ़ावा मिल सके है।

(द) खनिज आधारित उद्योग–अध्ययन क्षेत्र में खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं–

ईंट निर्माण उद्योग–शहडोल जिले में बड़ी मात्रा में लेटराईट मृदा उपलब्ध है। यह मृदा ईंट निर्माण के लिए प्रयोग की जा सकती है। जिले में कोयला उपलब्ध है, अतः क्षेत्र में ईंट भट्टों के निर्माण की आवश्यकता है। इससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति भी होगी।

सामाजिक पुनरुद्धार सम्बन्धी नीति

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता–स्वास्थ्य और स्वच्छता परस्पर अन्तर्सम्बन्धित हैं अर्थात् यदि स्वच्छता होगी तो लोग स्वतः ही स्वस्थ होंगे और जब स्वस्थ होंगे तो क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास में अपनी कारगर भूमिका निभा सकेंगे। इस प्रकार जन–स्वास्थ्य और विकास दोनों ही किसी भी क्षेत्र के लिए परमावश्यक हैं। अतः स्वास्थ्य नीति हेतु अध्ययन क्षेत्र में निम्न प्रकार की व्यूह नीति अपनायी जा सकती है–

(1) सर्वप्रथम क्षेत्र में सरकारी एवं सामुदायिक दोनों ही स्तर पर शिक्षित एवं जागरूक लोगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे शिविर लगाये जाने चाहिए जो लोगों को स्वच्छता के सम्बन्ध में समुचित जानकारी देकर स्वच्छ रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकने में समर्थ हों।

(2) आज स्वच्छता हेतु विभिन्न जनसंचार माध्यमों, यथा–टी. वी., रेडियो व सीडी प्लेयर, आदि की सहायता से अनेकानेक कार्यक्रमों को प्रचारित एवं प्रसारित किया जा रहा है, परन्तु ये साधन सम्पन्न वर्ग के पास ही उपलब्ध होते हैं।

अतः ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सामूहिक टी. वी. व रेडियो सेट आदि पंचायत घरों में उपलब्ध कराये जायँ, जो लोगों को मनोरंजन के साथ–साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करें। साथ ही, कविता, नाटक, वार्त्ता, कहानियों व चुटकुलों के माध्यम से भी इनके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।

(3) अध्ययन क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों का नितान्त अभाव है, अतः क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड में चिकित्सालय स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(4) अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या अत्यन्त सीमित है। स्वास्थ्य केन्द्रों की इस कमी को देखते हुए क्षेत्र के सभी विकासखण्डों में इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सभी केन्द्र आपरेशन कक्ष की सुविधायुक्त, शैय्याओं, दवाओं तथा कुशल प्रशिक्षित डॉक्टरों से सम्पन्न होने चाहिए।

(5) स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए न सिर्फ सरकारी व्यवस्था पर आश्रित होना चाहिए वरन् स्वयं–सेवी संगठनों को भी इस क्षेत्र में आगे आना होगा जो ग्रामीण समाज के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं।

(6) सभी राजकीय चिकित्सालयों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधायें (दवा, इंजेक्शन, ऑपरेशन आदि) दी जाती हैं किन्तु अध्ययन क्षेत्र के चयनित ग्रामों के सर्वेक्षण से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार शत–प्रतिशत लोगों को इनमें भुगतान करके ही दवा प्राप्त हो पाती है। अतः स्थानीय एवं प्रान्तीय प्रशासन को समय–समय पर समस्त चिकित्सालयों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आकस्मिक निरीक्षण करना चाहिए। इस निरीक्षण व्यवस्था के लिए स्थानीय चुने हुए जन–प्रतिनिधियों का सहयोग श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार विभाग द्वारा मिलने वाली समस्त सुविधाओं को ग्रामीण निवासियों हेतु सही तरीके एवं समय पर मुहैया कराया जाना चाहिए।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उक्त नीति के द्वारा क्षेत्र में बैगा जनसमुदाय के लोगों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है। स्मरणीय है कि राष्ट्र या क्षेत्र के विकास के लिए गरीब–अमीर, महिला–शिशु आदि सभी का समान रूप से विकास होना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दत्त रुद्र एवं सुन्दरम के.पी.एम.– भारतीय अर्थव्यवस्था, पृ. 98, एस. चाँद पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009
2. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर, 1997, पृष्ठ 279–80
3. शेड्यूल्ड एरिया एण्ड ट्राइब कमीशन,1960 भारत सरकार, नई दिल्ली
5. पटेल, जी.पी.–बैगा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन, जिला मण्डला, 1985, पृष्ठ 135.
6. बैगा विकास अभिकरण का प्रतिवेदन, 2011–12
7. बैगा विकास अभिकरण का प्रतिवेदन, 2011–12
8. श्रीवास्तव, एन.आर.एन.–जनजातीय विकास के पाँच दशक, ज्ञानदीप प्रकाशन, पृष्ठ 104

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

बालभारतम् में समाज व्यवस्था

□ डॉ. आशुतोश कुमार मिश्र*

शोध-सारांश

किसी काल के सामाजिक जीवन का दिग्दर्शन करना है तो तत्कालीन साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। साहित्यकार अपने काव्य के माध्यम से उस काल के जीवन की झाँकी पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। वस्तुतः कवि जब अपने काव्य का सृजन करता है, तब वह अपने समय में उपलब्ध समाज के समस्त रीति–रिवाजों को काव्य में न दर्शाए, ऐसा सम्भव नहीं। वह विविध घटनाओं को अपनी प्रतिभा से मौलिकता प्रदान करता हुआ काव्य में उसका स्वाभाविक एवं सजग चित्रण कर देता है। 'बालभारतम्' महाकाव्य में श्री अमरचन्द्र सूरि ने तत्कालीन सामाजिक जीवन का सफल चित्रण किया है, जिसे प्रस्तुत शोध पत्र में उल्लेख किया गया है।

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोध पत्र में काव्य के वर्ण एवं जाति की व्यवस्था प्रायः महाभारत–युगीन रही है, उस समय तक 'हिन्दू' शब्द का प्रचलन नहीं हुआ था। राजा से नियन्त्रित सभी वर्ण अपने–अपने शास्त्र विहित नियमों के पालन में संलग्न रहते थे।[1] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण समाज में स्वीकार्य थे। इन चारों वर्णों में समान वर्ण के स्त्री–पुरुष से उत्पन्न सन्तान भी माता–पिता के वर्ण से ही जानी जाती थी, किन्तु विभिन्न वर्णों के स्त्री–पुरुषों के संसर्ग से उत्पन्न सन्तानें किसी वर्ण में नहीं गिनी जाती थीं। उनका कोई वर्णन नहीं होता था। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, वैश्य का पुत्र वैश्य; इस प्रकार वर्ण की स्थिरता को ही जन्मगत कहा है। बालभारतकार का भी यही अभिप्रेत है।

सब प्राणियों को मित्र स्वरूप देखना, दान देना, अध्ययन करना, तपस्या आदि करना ब्राह्मण का ही कर्म है। राजा को इन बन्धनों से मुक्त रखा गया है।[2] इससे प्रमाणित है कि जिस जाति में जन्म होता था उससे भिन्न जाति के कर्त्तव्य–कर्म करने का मनुष्य को अधिकार नहीं था। अतएव जन्मगत जाति को ही समाज में मान्यता थी। उदाहरणार्थ, अश्वत्थामा आदि क्षत्रिय वृत्ति अर्थात्

* ग्राम–सड़वा खुर्द, पोस्ट–कांटी, जसरा प्रयागराज, पिन–212107, मोबा. 9956179710

युद्ध आदि में रत रहे तो भी उनकी गणना ब्राह्मण वर्ण में ही मानी गई है, इसी कारण भीम ने उसका वध नहीं किया।[3] द्रोणाचार्य का वध करने के कारण अर्जुन ने धृष्ट द्युम्न को इसलिए धिक्कार था कि वे जन्म से ब्राह्मण थे।

कर्म द्वारा भी ब्राह्मणादिवर्ण और जाति निर्धारित की जाती थी, इसके प्रमाण भी प्रस्तुत महाकाव्य में कम नहीं हैं। जो ब्राह्मणों के निर्दिष्ट कर्म (यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना, तपस्या) करते थे, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो क्षत्रिय कर्म में लिप्त थे, उन्हें क्षत्रिय नाम से पुकारते थे। इसी प्रकार वैश्य व शूद्र का भी निर्णय हुआ है। सर्परूपी नहुष के प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर ने ब्राह्मण के लक्षण बतलाते हुए कहा है–''जो व्यक्ति निष्कपट भाव से तत्पर हैं वहीं द्विज कहलाने के अधिकारी हैं, तप से शूद्र भी द्विजत्व को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति चाण्डाल वृत्ति तथा दुराचार आदि से युक्त है, वह शूद्र है; चाहे वह त्रिवेदी ही क्यों न हो।''[5]

उल्लिखित प्रमाणों के आधार पर ज्ञात होता है कि चातुर्वण्य की प्रतिष्ठा इस काल की सामाजिक स्थिति के अनुकूल थी। आज भी समाज में इस व्यवस्था की प्रतिष्ठा है।

विवाह

समाज में विवाह प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसी बात नहीं, नर–नारी का यथैच्छ मिलन ही प्राचीन प्रथा थी। नारी का बहुत से पुरुषों के प्रति व पुरुषों का बहुत सी नारियों के प्रति आकृष्ट होना सामाजिक रूप से दोष नहीं माना जाता था, अपितु इस प्रकार के स्वेच्छाचार को ही इस युग में धर्म के रूप में ग्रहण किया जाता।[5] श्रुति में भी देखा जा सकता है कि वामदैव्य व्रत में समागमाथिनी नारी की मनोवासना पूर्ण करना धर्म–कृत्यों में गिना जाता था। कुन्ती व युधिष्ठिर ने कामातुर हिडिम्बा की प्रार्थना पर भीम सेन को विवाह की अनुमति दी।[7] महाभारत के समय में भी यह प्रथा काफी दिनों तक वर्तमान रही। पाण्डु की उक्ति से पता चलता है कि उनके राज्यकाल में भी कुरु में विवाह प्रथा प्रचलित नहीं हुई थी। यथेच्छ मिलन के इस आचरण को उत्तर स्त्रियों के प्रति विशेष अनुग्रह बतलाया गया है।[8]

कालान्तर के समाज में विवाह प्रथा आरम्भ हुई। उद्दालक नामक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु ने सर्वप्रथम विवाह प्रथा का नियम बनाया। कहा गया है कि एक बार श्वेतकेतु अपने माता–पिता के समीप बैठे थे, उसी समय एक ब्राह्मण वहाँ आया और उसकी माँ का हाथ पकड़कर बोला–चलो हम लोग चलें।'' श्वेतकेतु को इस अज्ञात कुल शील ब्राह्मण की इस अशिष्टता पर बड़ा क्रोध आया, श्वेतकेतु को क्रुद्ध होते हुए देख उद्दालक बोले– 'वत्स क्रुद्ध मत होओ', स्त्रियाँ भी गाय की तरह आवरणहीना एवं स्वैच्छाचारिणी होती हैं। ऋषि–पुत्र की क्रोधाग्नि पिता के पीयूषपूरित वचनामृत से शान्त नहीं हो सकी। वे पुनः क्रुध होकर बोले– 'मैं यह नियम बनाता हूँ कि अब से मानव–समाज में स्त्री–पुरुष दोनों में से कोई भी यौन व्यापार में स्वच्छन्दाचरण को प्रश्रय नहीं देगा।[9] मेरा नियम उल्लंघन करने वाले को भ्रूणहत्या का पाप लगेगा। इस प्रकार समाज में विवाह मर्यादा की स्थापना हुई।''

'बालभारतम्' महाकाव्य में मनु द्वारा निर्दिष्ट[10] आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। उपर्युक्त विवाहों में ब्राह्म, देव व प्रजापत्य, ये तीन विवाही धर्मसम्मत माने गये हैं। आर्ष व आसुर–विवाह अत्यन्त निन्दनीय है। गान्धर्व एवं राक्षस–विवाह उतने प्रशस्त न होते हुए भी क्षत्रियों के लिए अधर्म कारक नहीं हैं। पैशाच–विवाह सर्वथा त्याज्य है।[11] समाज में ऊँचे आदर्शों के बीच स्थान न मिलने पर भी गान्धर्व–विवाह का अधिक वर्णन मिलता है, राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला के साथ गान्धर्व–विवाह ही किया है।[12] भ्राता विचित्रवीर्य के लिए भीष्म द्वारा काशीराज की कन्याओं का हरण[13], अर्जुन का

सुभद्राहरण[14], कृष्ण का रुक्मणीहरण राक्षस–विवाह के अन्तर्गत आते हैं।

स्वयम्वर वर्णन

स्वयम्बर प्रथा का भी समाज में प्रचलन था, अर्जुन ने लक्ष्यवेध द्वारा द्रौपदी का वरण किया था।[15] स्वयम्वर सभाओं के उत्सव में ब्राह्मण से लेकर शूद्र तथा धनी–दारिद्र्य सभी उपस्थित रहते थे। कन्या प्रार्थित व्यक्तियों की साज–सज्जा में भी तड़क–भड़क की कमी नहीं रहती थी, वे सब कानों में कुण्डल, गले में बहुमूल्य हार, मूल्यवान्–वस्त्रों तथा उत्तरीय आदि से सुसज्जित होते थे। उत्कण्ठा मिश्रित आनन्द से प्रत्येक बाराती प्रतीक्षा करता था, यथासमय शुभ–मुहूर्त में सुवदना सर्वाभरण– भूषिता कन्या हाथ में वरमाला लेकर सभा में प्रवेश करती थी। अभ्यागत प्रार्थियों में से कन्या का भाई या अन्य निकटस्थ व्यक्ति उनका परिचय कराता था।[16] शास्त्रीय विधान के अनुसार शुभ मुहूर्त में कन्या का पिता मनोनीत वर के हाथ में कन्या का हाथ पकड़ा देता था।[17]

अनुलोम विवाह का प्रचलन

उस काल के समाज में अनुलोम विवाह का प्रचलन था, अर्थात् क्षत्रिय या वैश्य किसी भी वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था, शूद्र के लिए किसी दूसरे वर्ण की कन्या से विवाह करने का नियम नहीं था। 'बालभारतम्' में प्रतिलोम विवाह को अनुमान्य नहीं किया गया। उदाहरणार्थ, क्षत्रिय राजा ययाति ने ब्राह्मण कन्या देवयानी की पाणिग्रहण–प्रार्थना धर्मग्लानि के भय से पहले तो स्वीकार नहीं की, पश्चात् शुक्राचार्य के कहने पर राजा विवाह के लिए तैयार हुए।[18]

प्रस्तुत काव्य के शकुन्तलोपाख्यान में भी यही देखने को मिलता है कि, दुष्यन्त ने शकुन्तला को ब्राह्मण–दुहिता समझकर किंचित् निराश स्वर में उसका कुलशील जानने हेतु उससे प्रश्न किया।[19] उसका वृत्तान्त जानकर जरा भी हिचकिचाए बिना उसने अत्यन्त आग्रह सहित शकुन्तला से विवाह का प्रस्ताव किया।[20] यदि प्रतिलोम विवाह का प्रचलन होता तो ब्राह्मण कन्या से विवाह करने में क्षत्रिय राजाओं को किंचिद् संकोच नहीं होना चाहिए था। दुष्यन्त पहले ही प्रस्ताव कर सकते थे। कभी क्षत्रिय कुलोद्भव होने के कारण महर्षि कन्या देवयानी से विवाह करना उपयुक्त नहीं समझता।[21]

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बालभारत कालीन समाज में वर्ण व जाति व्यवस्था सम्यक् रूप से विद्यमान थी। चातुर्वर्ण्य की प्रतिष्ठा समाज को ग्राह्य रही है। स्वयम्वर प्रथा का समाज में प्रचलन था। राजाओं में गान्धर्व–विवाह करने का भी जोर था। प्रतिलोम विवाह समाज में ग्राह्य नहीं था। अतः तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का 'बालभारतम्' में अच्छा चित्रण उपलब्ध है।

सांस्कृतिक जीवन

भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न धारा वैदिककाल से लेकर आजतक प्रवाहित है, जिसमें सैकड़ों अन्य संस्कृतियों का भी समावेश समय–समय पर होता रहा है, इसी से हम भारतीय संस्कृति के स्वरूप को रसायन के रूप में तैयार पाते हैं। इसमें विभिन्न विशेषतायें विद्यमान हैं और वे सब अपना–अपना गुण रखते हुए भी एक सामूहिक गुण के रूप में परिणत हो गई हैं। अतः भारतीय संस्कृति के उन्हीं विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आदर्श परिवार

भारतीय संस्कृति में परिवार का अत्यधिक महत्त्व है। यहाँ की कुटुम्ब प्रणाली इतनी उपादेय है कि उसी के कारण मानव के सुन्दर चरित्र एवं उन्नत विचारों का निर्माण होता है। महाकवि अमरचन्द्र सूरि ने प्रस्तुत काव्य में ऐसे ही सुन्दर व आदर्श परिवार की झाँकी अंकित की है। कुन्ती के सहित युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी कितने आदर्श पात्र हैं, उनमें परस्पर कितना स्नेह और आदर है। पाँचों भाई परस्पर मिलकर खेलते हैं।[22]

नकुल, सहदेव की माँ माद्री एक पति–परायणा साध्वी स्त्री है। उन्मुक्त विचरण के समय जब पाण्डु को ऋषिवर शाप देते हैं तो वह कुन्ती से कहती है–''तुम पाँचों पुत्रों का पालन करो। मैं पति बिना जीवित नहीं रह सकती।'' इस प्रकार कह माद्री अग्नि में प्रवेश करती है।[23]

पाण्डु व माद्री का ऐसा दुःखद वृत्तान्त सुनकर भीष्मादि दुःख प्रकट करते हैं तथा कुटुम्ब के बड़े व्यक्ति होने के कारण उन्हें निवापांजलि देते हैं, जो भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है।[24]

भारतीय संस्कृति की यह भी विशेषता रही है कि छोटे बालक गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं और बड़े व्यक्ति उन्हें आशीर्वाद प्रदानादि से तुष्ट करते हैं। परिवार की यह आदर्श झाँकी 'बालभारतम्' महाकाव्य में पर्याप्त रूप से देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ, धृतराष्ट्र आदि पाण्डवादि को शस्त्राभ्यास की आज्ञा देते हैं और पाण्डव उनकी आज्ञा को स्वीकार कर शस्त्राभ्यास में रत होते हैं।[25]

प्रस्तुत काव्य में पाँचों पुत्रों को पूर्ण मातृभक्त रूप में दर्शित किया है। वारणावत पहुँचकर पाँचों पाण्डव सुरंगमय मार्ग से बाहर निकलते हैं, भूख–प्यास से विकल वे हरी घास देखकर उस पर शयन करते हैं। अपनी प्यारी माँ कुन्ती को इस दशा में देखकर भीम जैसा कठोर हृदय रो उठता है।[26] इस परिवार में दया व ममता के साम्राज्य का शासन है। कुन्ती सहित पाँचों पाण्डव शरणागत वत्सल हैं। एक ब्राह्मणी इसलिए भोजन नहीं कर रही है कि आज बकासुर नाम के राक्षस के पास उसके पुत्र के जाने की बारी है। उस ब्राह्मणी के कातर वचन सुनकर कुन्ती अपने पुत्र भीम को उस ब्राह्मण कुमार के बदले राक्षस के पास भेजती है। भीम उस दैत्य का वध कर देते हैं।[27] अतः पाण्डवों का जीवन कर्त्तव्य परायणता से परिपूर्ण हैं। भारतीय परिवार में स्नेह का ऐसा अटूट सम्बन्ध, शरणागत–वत्सलता का इतना उच्चादर्श भारतीय संस्कृति के बिना अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है। श्री अमरचन्द्र सूरि ने 'बालभारतम्' में ऐसे प्रसंगों से भारतीय संस्कृत को समुन्नत किया है।

आदर्श समाज

आदर्श परिवार की भाँति 'बालभारतम्' में आदर्श समाज का चित्र भी अंकित है। यह समाज पाँचों पाण्डवों का अनन्य प्रेमी है तथा शक्ति व योग्यता का पुजारी है। द्रुपद नरेश की सभा में जब ये पाँचों तपस्वी द्रौपदी स्वयंवर में पहुँचते हैं तो महाराज इनकी तेजस्विता को देखकर इन्हें आसन प्रदान करते हैं।[28]

महाराज युधिष्ठिर जब दुर्योधन व शकुनि द्वारा जुए में हरा दिए जाते हैं तब विदुर आदि धृतराष्ट्र व दुर्योधन की निन्दा करते हैं। सारा समाज शोक में डूब जाता है।[29] भरी सभा में द्रौपदी के दुःशासन द्वारा कच–कर्षण से तो वहाँ का समाज तमतमा उठता है।[30]

अतः विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख 'बालभारतम्' के सामाजिक जीवन में मिलता है। इसी प्रकार प्राचीन ऋषि–मुनियों की सभ्यताओं का उल्लेख तो इसमें सर्वत्र ही है।

चरित्र की महत्ता

प्रस्तुत काव्य में भीष्म पितामह का चरित्र त्याग व तपस्या का उज्ज्वल उदाहरण है, जब वे अपने आप अपना विवाह न करके आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने की प्रतिज्ञा करते हैं।[31] ऐसा उदाहरण भारतीय संस्कृति के अतिरिक्त अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। साथ ही, कौरव पक्ष में रहते हुए भी वे पाण्डवों को यह रहस्य बता देते हैं कि तुम शिखण्डी को आगे करके युद्ध करो, मैं उस पर बाण नहीं चलाऊँगा, अर्जुन के बाणों से बिद्ध मेरी मृत्यु और तुम्हारी विजय होगी। अतः पाण्डवों ने वैसा ही किया। अर्जुन के शरों से विच्छिन्न होकर भीष्म पृथ्वी पर गिर पड़े। दूसरा महान चरित्र युधिष्ठिर का है, वे इतने सन्तोषी हैं कि केवल पाँच ग्राम लेकर ही सन्धि करना चाहते हैं।[32]

भारतीय संस्कृति में शत्रु की भी रक्षा की जाती है। युधिष्ठिर गन्धर्वों द्वारा दुर्योधन के पकड़े जाने पर उसे छुड़ाते हैं।[33] ऐसा उदाहरण अन्यत्र दुर्लभ है।

अन्य पाण्डव कुमारों का चरित्र भी भारतीय संस्कृति से ओत–प्रोत है। चारों भाई दिग्विजय करते हैं और दुष्ट राजाओं को जीतकर उनके पुत्रों को राज्याधिकरी बना देते हैं। जरासन्ध का वध करके उसके पुत्र सहदेव को उन्होंने उसका राज्य सौंप दिया। यह संस्कृति भारतेत्तर देशों में दुर्लभ है।

'अतिथि देवो भव' इस मर्यादा का 'बालभारतम्' में पूर्णतः पालन हुआ है। विदुर के मन्दिर में कृष्ण का पूर्ण आतिथ्य सत्कार हुआ है।[34] यह हमारी संस्कृति का मूल–मन्त्र है। असहाय की सहायता करना भी संस्कृति के अन्तर्गत आता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों युद्ध की सहायता हेतु कृष्ण के समीप जाते हैं। कृष्ण दुर्योधन को नारायणी सेना और स्वयं अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करते हैं।[35]

इसी प्रकार कर्ण–चरित्र भी भारतीय संस्कृति का उद्घोष है। दुर्योधन को अपने मित्र कर्ण पर गर्व है।

अतः 'बालभारतम्' के चरित्रों में भारतीय संस्कृति की छाप कूट–कूटकर भरी हुई है। इस प्रकार का संस्कृत और संस्कृति का समन्वय बाल–भारतकार को ही इष्ट है।

परिधान

समाज में उस समय नाना प्रकार के वस्त्र धारण करने का प्रचलन था। इच्छानुसार लोग अनेक रंगों के वस्त्र पहनते थे। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य श्वेत धोती पहनते थे।[36] कर्ण पीले तथा दुर्योधन नीले वस्त्रों का उपयोग करते थे।[37] विराटपुरी में युद्ध करते हुए अर्जुन के हाथों परास्त द्रोणाचार्य आदि महारथी जब ज्ञान–शून्य अवस्था में हो जाते हैं, तब उनके धारण किए वस्त्र उतार लाने के लिए अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा[38], आदि प्रसंगों में प्रत्येक के वस्त्रों का रंग बतलाया गया है।

उस समय ब्राह्मण सम्भवतः श्वेत वस्त्र एवं यज्ञोपवीत का व्यवहार करते थे। उदाहरणार्थ, द्रोणाचार्य के वर्णन में यही पाया जाता है।[39] भीष्म और अर्जुन के संग श्री कृष्ण जब जरासन्ध की नगरी में गए तो उन लोगों ने श्वेत रंग के वस्त्र धारण कर रखे थे, उनकी वेशभूषा देखकर जरासन्ध ने इन्हें ब्राह्मण समझा था।[40]

विभिन्न देशों के विभिन्न प्रकार के वस्त्र

समस्त व्यक्ति एक ही तरह के वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। समयानुसार पृथक्–पृथक् वस्त्र पहनने का विधान था। राजसूय यज्ञ में आगत सिंह राजाओं ने मणिमय परिधान धारण कर रखा था।[41]

उष्णीष्

भारत के प्रदेशों में पगड़ी बाँधने की प्रथा रही थी या नहीं, सही अनुमान तो नहीं लगता, लेकिन जो दो–चार उदाहरण मिलते हैं, उनसे लगता है कि पगड़ी का उपयोग उस समय के कुछ वृद्ध लोगों में था।[42]

सदाचार एवं नैतिकता

समाज में रहने के लिए व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है। अपने स्वयं के प्रति, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एवं वृहत् समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के अगणित कर्त्तव्य होते हैं। इन कर्त्तव्यों का पालन करने के उद्देश्य से सबको नीतिशास्त्र के उपदेशों पर ध्यान देना चाहिये। पुस्तक पढ़कर जानने की अपेक्षा आदर्श चरित्र व्यक्ति से संसर्ग में रहकर तथा माता–पिता आदि गुरुजनों से सीखने का मूल्य अधिक होता है। बहुत बार व्यक्ति धोखा खा कर भी कुछ सीखता है, लेकिन जो पहले से भिज्ञ है वह धोखा नहीं खाता है।

अतः नैतिक आचार–विचार जानने के लिए वृद्ध साहचर्य सर्वोत्तम उपाय है। महाभारत अनुसृत 'बालभारतम्' का यही उपदेश है कि वृद्ध के साहचर्य

बिना मनुष्य कभी भी सच्चा व पक्का ज्ञानी नहीं बन सकता है। 'बालभारतम्' के अनुशासन पर्व के उपदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ तक सम्भव हो, आप्त वाक्य सुनने चाहिए इससे प्रचुर लाभ होता है।[43] उदाहरणार्थ, नहुष–युधिष्ठिर संवाद[44], यक्ष–युधिष्ठिर संवाद[45], विदुर–युधिष्ठिर संवाद[46], आदि नैतिक उपदेश के प्रसंग हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बालभारतम् में अनेकों स्थलों पर समाज के अनेक रीति–रिवाजों तथा समाज में होने वाले विवाह, समाजिक रूप से अनेकों संस्कारों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसमें महाभारत में घटित घटनाक्रम की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जिससे समाज के लोगों के अन्दर उससे सीख लेकर अपने जीवन में सुचारु रूप से अग्रसर होने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बालभारतम्, शान्तिपर्व 1/114
2. महाभारत, शान्तिपर्व 14/15।
3. बालभारतम्, द्रोणपर्व 4/161–162
4. बालभारतम्, द्रोणपर्व 4/141
5. तंजानामिद्विजंनाग यस्य निष्कपटंतपः।
   तपोभिर्द्विजतां याति शूद्रोऽप्युन्मदसंयमः।।
   विद्धि भौगीन्द्रतं शूद्रं यौरौद्रश्चण्डवृत्तयुक्।
   दुर्वृत्ता यान्ति शूद्रत्वं त्रिवेदीवैदिनोऽपिहि।।
   बालभारतम्, वनपर्व 4/26–27
6. बालभारतम्, आदिपर्व 1/8
7. बालभारतम्, आदिपर्व 5/53
8. अनावृताः स्त्रियःसर्वानराश्य वरवर्णिनी।
   स्वभाव एवं लोकानांविकारोऽन्य इतिस्मृतः।।
   महाभारत वनपर्व 307/15
9. मर्यादयम् कृतातैन धर्म्यावे श्वेतकेतुना।
   महाभारत, आदिपर्व 122/10
10. मनुस्मृति, 3/21
11. महाभारत, अनुशासनपर्व 44/9
12. महाभारत, आदिपर्व 3/19
13. महाभारत, आदिपर्व 4/90
14. महाभारत, आदिपर्व 6/84–85
15. महाभारत, आदिपर्व 5/106
16. महाभारत, आदिपर्व 5/100–106
17. अस्मान्व्यडम्बयदसौबटुमात्रकाय
    पुत्री ददावितितदाद्रुपदाय दूनाः।
    तत्र स्वयंवरसभाभुविभूभुजंगाः
    क्षोभास्पदंसपदि शस्त्रभृतोऽभ्यधावन्।।
    बालभारतम्, आदिपर्व 5/107
18. बालभारतम्, आदिपर्व 1/102–103
19. बालभारतम्, आदिपर्व 3/10
20. बालभारतम्, आदिपर्व 3/11
21. बालभारतम्, आदिपर्व 1/88
22. बालभारतम्, आदिपर्व 4/198
23. बालभारतम्, आदिपर्व 4/194–197
24. बालभारतम्, आदिपर्व 4/200–201
25. बालभारतम्, आदिपर्व 5/5
26. बालभारतम्, आदिपर्व 5/51
27. बालभारतम्, आदिपर्व 5/58
28. बालभारतम्, आदिपर्व 5/71
29. बालभारतम्, सभापर्व 5/15–23
30. बालभारतम्, सभापर्व 5/29–31
31. बालभारतम्, आदिपर्व 4/78
32. बालभारतम्, उद्योगपर्व 1/13
33. बालभारतम्, वनपर्व 4/61–62
34. बालभारतम्, उद्योगपर्व 2/4–5
35. बालभारतम्, उद्योगपर्व 1/62–68
36. बालभारतम्, आदिपर्व 5/3
37. बालभारतम्, विराटपर्व 3/138
38. बालभारतम्, विराटपर्व 3/139
39. बालभारतम्, आदिपर्व 5/3
40. बालभारतम्, सभापर्व 1/86
41. बालभारतम्, सभापर्व 4/26
42. बालभारतम्, भीष्मपर्व 1/28
43. बालभारतम्, अनुशासनपर्व 1/8
44. बालभारतम्, वनपर्व 4/17–34
45. बालभारतम्, वनपर्व 4/126–137
46. बालभारतम्, उद्योगपर्व 1/123–137

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024
Paper Accepted : 7th March 2024

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम और आचार्य विनोबा भावे

❑ डॉ. फ़ैज़ान अहमद*

शोध-सारांश

विनोबा भावे को उनकी मृत्यु से पूर्व तक 'वर्तमान जीवित महात्मा गाँधी' कहा जाता था। हम जिन बहुचर्चित शब्दों–भू–दान, ग्राम–दान, सम्पत्ति–दान आदि को सुनते हैं, वे सन्त विनोबा भावे के सर्वोदय कार्यक्रम के प्रमुख अंग थे। गाँधी जी की मृत्यु के बाद विनोबा जी ने गाँधीवाद को जीवित रखा और राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके विचार गाँधीवादी भावना से ओत–प्रोत रहे। गाँधी जी के 'सर्वोदय समाज' की स्थापना उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। विनोबा भावे स्वतन्त्रता में पूर्ण विश्वास रखते थे। वह व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतन्त्रता को परमावश्यक मानते थे। उन्होंने गाँधी जी द्वारा चलाये गये प्रत्येक आन्दोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। वह एक अग्रणी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में उनका योगदान अतुलनीय है।

मुख्य शब्द–*स्वतन्त्रता संग्राम, भू–दान आन्दोलन, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध, भारत छोड़ो आन्दोलन, गाँधी जी की हत्या।*

प्रस्तावना

आधुनिक भारत के महान् सन्त, दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारक, भू–दान आन्दोलन के प्रणेता और सर्वोदय के अग्रदूत आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितम्बर, 1895 ई. को महाराष्ट्र के गगोदा नामक ग्राम में एक चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह गाँव उनके पिता नरसिंह राव भावे को पेशवा से इनाम में मिला था। उनकी माता रुक्मिणी बाई विदुषी महिला थीं। विनोबा भावे को अध्यात्म के संस्कार देने, उन्हें भक्ति–वेदान्त की ओर ले जाने तथा बचपन में ही उनके मन में संन्यास और वैराग्य की प्रेरणा जगाने में उनकी माँ का बड़ा योगदान था। गणित की सूझ–बूझ और तर्क सामर्थ्य, विज्ञान के प्रति गहन अनुराग, परम्परा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचने की कला उन्हें

* *प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) एवं कार्यवाहक प्राचार्य,* जी.बी. पन्त (पी.जी.) कॉलेज, कछला, बदायूँ (उ.प्र.)
e-mail-gbpantdegreecollege@gmail.com, Mob.- 9412368300

पिता की ओर से प्राप्त हुई।

विनोबा भावे को 'भारत का राष्ट्रीय अध्यापक' और 'महात्मा गाँधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी' समझा जाता है। उनका मूल नाम विनायक नरहरी भावे था। विनोबा नाम उन्हें महात्मा गाँधी ने दिया था। बीस वर्ष की आयु में वे अध्ययन के लिए बम्बई (अब मुम्बई) भेजे गए। परन्तु बम्बई ना जाकर वे बंगाल चले गए और वहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन में सम्मिलित हो गए। 1916 ई. में वे गृह त्यागकर संन्यासी हो गए। संयोग से उन्हीं दिनों काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर गाँधी जी का भाषण हुआ। उस भाषण को सुनकर विनोबा भावे ने अनुभव किया कि वे जैसा मार्ग–दर्शक चाहते थे, वह मिल गया। उन्होंने 1916 ई. में गाँधी जी को एक पत्र लिखकर उनसे मुलाकात करने के लिए आज्ञा माँगी। गाँधी जी ने उनको साबरमती आश्रम में आकर रहने का निमंत्रण दिया। विनोबा भावे ने अपने माता–पिता को बताये बिना ही गाँधी जी के निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया। महात्मा गाँधी ने स्वयं उनके पिता को लिखा कि, **''आपके विनोबा भावे मेरे पास हैं। उन्होंने और मैंने काफी संघर्ष के पश्चात् आध्यात्मिक प्राप्ति की है।''**[1] शीघ्र ही उन्होंने संस्कृत का अध्ययन करने के लिए गाँधी जी की अनुमति से साबरमती आश्रम का त्याग कर दिया।

विनोबा भावे ने वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन किया। इससे उनकी रुचि हिन्दू धर्मतत्त्व में बढ़ गई। परन्तु वाराणसी में भी उन्हें मन की शान्ति प्राप्त न हुई और एक वर्ष के भीतर ही वह गाँधी जी के पास लौट आए। युवावस्था में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने की प्रतिज्ञा की और मिठाइयों का त्याग कर दिया तथा नंगे पाँव रहना शुरू कर दिया। जीवनपर्यन्त उन्होंने अपने वचन को निभाया। विनोबा भावे से पहली मुलाक़ात (7 जून, 1916 ई.) में ही प्रभावित होकर महात्मा गाँधी ने कहा था कि, **''बाक़ी लोग इस आश्रम से कुछ लेने के लिए आते हैं, एक यही है जो हमें कुछ देने के लिए आया है।''**[2] 25 वर्ष की आयु में गाँधी जी ने उन्हें 'आचार्य' की उपाधि प्रदान की।

1921 ई. में सेठ जमनालाल बजाज ने वर्धा में एक आश्रम स्थापित किया, तो उन्होंने उसकी व्यवस्था के लिए गाँधी जी से विनोबा भावे को माँगा। गाँधी जी की अनुमति से विनोबा भावे वहाँ आकर रहने लगे। इस आश्रम में उन्होंने सारी प्रवृत्तियों में योगदान दिया। लेकिन उनका मुख्य कार्य कताई का था। लगातार कई घण्टे तक चर्ख़ा और तकली के साथ बैठना उनका नित्य कर्त्तव्य था। जब वह वर्धा में रहते थे, उन दिनों उन्होंने मराठी में एक मासिक पत्रिका भी निकाली, जिसका नाम **'महाराष्ट्र धर्म'** था। पत्रिका में उनके द्वारा लिखे गए निबन्ध और उपनिषदों की प्रेरणादायक बातें होती थीं। वह गाँधी जी के सामाजिक विचारों जैसे, भारतीय नागरिकों और विभिन्न धर्मों के बीच समानता में विश्वास करते थे।

विनोबा भावे स्वतन्त्रता में पूर्ण आस्था रखते थे। वह व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतन्त्रता को परमावश्यक मानते थे। विनोबा जी कहते थे कि, **''स्वतन्त्र व्यक्ति असल में वह है जो निर्भय हो। भय और स्वतन्त्रता में कोई संगति नहीं है।''**[3] उन्होंने गाँधी जी के सभी राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनके योगदान को निम्नलिखित रूपों में व्यक्त किया जा सकता है–

असहयोग आन्दोलन

गाँधी जी के साथ रहते हुए विनोबा भावे ने किशोर काल में ही ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और आजीवन गाँधी जी के पदचिह्नों पर चलने का निश्चय कर लिया। गाँधी जी से अपनी पहली मुलाक़ात को याद करते हुए विनोबा भावे ने एक बार कहा था कि, **''जिन दिनों मैं काशी में था,**

मेरी पहली अभिलाषा हिमालय की कंदराओं में जाकर तप–साधना करने की थी। दूसरी अभिलाषा थी, बंगाल के क्रान्तिकारियों से भेंट करने की। लेकिन इनमें से एक भी अभिलाषा पूरी न हो सकी। समय मुझे गाँधी जी तक ले गया। वहाँ जाकर मैंने पाया कि उनके व्यक्तित्व में हिमालय जैसी भाान्ति है तो बंगाल की क्रान्ति की धधक भी। मैंने छूटते ही स्वयं से कहा था कि मेरी दोनों इच्छाएँ पूरी हुई।''[4] इसके बाद तो विनोबा भावे गाँधी जी के ही होकर रह गए।

ब्रिटिश दासता से स्वयं को आज़ाद कराने के लिए जूझते भारत देश में गाँधी जी जनता में जागरूकता का संचार कर रहे थे। इस कार्य में युवा विनोबा भावे का सक्रिय सहयोग गाँधी जी के पास उपलब्ध था। इस समय देश में ब्रिटिश शासकों ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को निषेध किया हुआ था। लेकिन गाँधी जी के साथ विनोबा भावे ने इस निषेध को अहिंसात्मक रूप में न मानने का फ़ैसला किया था। गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन के चलते विनोबा भावे ने अनेक बार जेल–यात्रा की। 1922 ई. में विनोबा भावे ने नागपुर में 'झण्डा सत्याग्रह' किया। ब्रिटिश शासकों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उस समय उन्हें धारा 103 के अन्तर्गत गिरफ़्तार किया गया था, जिसमें समाज के असामाजिक और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग जेल जाते हैं। जेल प्रशासन ने उन्हें पत्थर तोड़ने का काम दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इसके कुछ समय बाद विनोबा भावे को स्थानान्तरित करके अकोला जेल (महाराष्ट्र) भेज दिया गया। इसका लाभ उठाते हुए विनोबा भावे ने तपोयज्ञ शुरू कर दिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया। वह खुद भी चरख़ा कातते थे और दूसरों से भी ऐसा करने की अपील करते थे। इस जेल–यात्रा के बाद विनोबा भावे की अगली जेल–यात्रा 1925 ई. में गाँधी जी द्वारा शुरू किए गए 'हरिजन आन्दोलन' में सक्रिय भाग लेने के कारण हुई।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

महात्मा गाँधी ने 6 अप्रैल, 1930 ई0 को सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया। इसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के ग़ैर क़ानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना था। 1930 ई. के 'नमक सत्याग्रह' में उन्होंने भाग लिया। उन्हें 6 महीने जेल की सज़ा हुई। उन्हें धुलिया स्थित जेल (महाराष्ट्र) भेज दिया गया। जेल में उन्होंने क़ैदियों को मराठी में 'भगवद्गीता' के विभिन्न विषयों पर उपदेश दिया। धुलिया जेल में उन्होंने 'भगवद्गीता' को लेकर जितने भाषण दिए थे, उन सबका संकलन किया गया और बाद में एक किताब प्रकाशित की गई। द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (1931 ई.) से गाँधी जी खाली हाथ लौटे तो जलगाँव (महाराष्ट्र) में विनोबा भावे ने एक सभा में अंग्रेज़ों की आलोचना की। फलस्वरूप अंग्रेज़ों ने उन्हें बन्दी बनाकर 6 माह की सज़ा दी।

1933 ई. में विनोबा भावे वर्धा से ड़ेढ़ मील दूर हरिजनों की आबादी वाले गाँव नालवाड़ी चले गए। वहाँ उन्होंने हरिजनों की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। विनोबा भावे का मानना था कि **''मानवता की सेवा ही सबसे ऊँचा और सबसे अच्छा धर्म है। हम उसे धर्म नहीं कह सकते जो साम्प्रदायिक विद्वेश की शिक्षा देता हो। कोई भी धर्म मानव धर्म के विरुद्ध नहीं हो सकता।''**[5] उन्होंने जीवन पर्यन्त सभी लोगों के साथ भलाई एवं समानता का व्यवहार किया। 1937 ई. में विनोबा भावे पवनार आश्रम चले गए। तब से लेकर जीवन पर्यन्त यही आश्रम उनका केन्द्रीय स्थान रहा।

द्वितीय विश्व युद्ध

द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने भारत को जबरन युद्ध में झोंक दिया। गाँधी जी ने

ब्रिटिश सरकार की युद्धनीतियों के खिलाफ़ राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए विनोबा भावे को चुना था। महात्मा गाँधी ने 17 अक्टूबर, 1940 ई. को एक 'व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन' शुरू किया। गाँधी जी द्वारा विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। अपना सत्याग्रह शुरू करने से पहले अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि, **''मैं अहिंसा में पूरी तरह विश्वास करता हूँ और मेरा विचार है कि इसी से मानव जाति की समस्याओं का समाधान हो सकता है। युद्ध मानवीय नहीं होता। यह लड़ने वालों और न लड़ने वालों में फ़र्क नहीं करता। आज का मशीनों से लड़ा जाने वाला युद्ध अमानवीयता की पराकाष्ठा है। भारत स्वराज्य की आराधना करता है, जिसका आशय है, सबका भासन। यह सिर्फ़ अहिंसा से ही हासिल हो सकता है।........... फासीवाद, नाज़ीवाद तथा साम्राज्यवाद एक ही सिक्के के अलग–अलग पहलू हैं। मैं जनता से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे इस युद्ध में किसी भी प्रकार की मदद न करें।''**[6] ब्रिटिश सरकार ने तंग आकर उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास की सज़ा दी।

विनोबा भावे ने इस जेल–यात्रा को अपने लिए पढ़ाई पूरी करने का अवसर समझा और उसका पूरा लाभ उठाया। इस जेल प्रवास में विनोबा भावे ने 'ईशावास्यवृत्ति' और 'स्थितप्रज्ञ–दर्शन' नाम से दो पुस्तकें लिख दीं। इसी जेल प्रवास में विनोबा भावे ने 'श्रीमद्‌भगवत्‌गीता' का अनुवाद मराठी भाषा में कर दिया। इसे उन्होंने जेल के अन्य कैदियों में बाँटना शुरू कर दिया। जब उन्हें वेल्लौर जेल (मद्रास) में रखा गया तो उन्होंने दक्षिण भारत की चार भाषाओं को सीख लिया। इसी समय उन्होंने 'लोकनागरी लिपि' की भी रचना की। इस अवधि के दौरान उन्होंने 'कुरान' का भी अध्ययन किया, ताकि वे मुसलमानों को समझ सकें। विनोबा भावे 18 भाषाएँ जानते थे। गाँधी जी ने उनके इन कार्यों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

भारत छोड़ो आन्दोलन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से महात्मा गाँधी ने 8 अगस्त, 1942 ई. को 'भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन को प्रारम्भ करने से पूर्व गाँधी जी ने विनोबा भावे से परामर्श लिया था। इस आन्दोलन में विनोबा भावे को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। जेल में उन्होंने जेलर से कहा था कि, **''वे उपवास करेंगे और उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होगी।''**[7] ब्रिटिश प्रशासन विनोबा भावे को 'एक मॉडल कै़दी' के रूप में जानता था, जो जेल के सभी नियमों का सावधानी पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने अपना अनशन तब समाप्त किया, जब उन्हें गाँधी जी से ऐसा करने का सन्देश मिला।

भारत का विभाजन

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्च, 1946 ई. में ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत करने के लिए एक 'कैबिनेट मिशन' भारत भेजा। इसके कारण जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में एक अन्तरिम सरकार का गठन हुआ। सभी राजनीतिक कै़दियों को जेलों से रिहा कर दिया गया। अन्त में भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की, लेकिन साथ ही भारत का विभाजन हो गया। विनोबा भावे भारत के विभाजन से बहुत दुःखी हुए। उन्होंने भारत के विभाजन को 'हिमालयी भूल' कहा था। तब उन्होंने हर प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने और अपनी धार्मिक और सामाजिक सेवा जारी रखने का फ़ैसला किया। देश विभाजन के पश्चात् जब दिल्ली और भारत के कई हिस्सों में साम्प्रदायिक दंगे हुए तो तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने विनोबा भावे से दिल्ली आने और लोगों को शान्त करने का अनुरोध किया था।

महात्मा गाँधी की हत्या

30 जनवरी, 1948 ई. को महात्मा गाँधी की हत्या कर दी गई। यह समाचार सुनकर विनोबा भावे बहुत दुःखी हुए। वह कुछ वर्षों तक गुमनामी में रहे। 1951 ई. में उन्होंने तेलंगाना में प्रसिद्ध 'भू–दान आन्दोलन' चलाया। समय–समय पर समाचार पत्रों में उनके लेख प्रकाशित होते रहते थे। इन लेखों में उन्होंने प्रायः धन की निन्दा की। गाँधी जी की हत्या के उपरान्त गाँधीवाद को जीवित रखने तथा उसका प्रचार–प्रसार करने में सर्वाधिक योगदान विनोबा भावे का ही है।

सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यकर्त्ता

विनोबा भावे सदैव एक सामाजिक एवं रचनात्मक कार्यकर्त्ता रहे। भारत की स्वतन्त्रता के पूर्व वह गाँधी जी के रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रूप से सहयोग देते रहे। भारत के विभिन्न भागों में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने हज़ारों लोगों के दिल बदल दिए। केवल ज़मींदार और अमीर लोग ही नहीं, बल्कि खूँखार डकैत भी उनसे प्रभावित हुए। कुख्यात डकैत लच्छी, लुक्का, मान सिंह आदि ने अपने कई साथियों के साथ चम्बल के बीहड़ों को छोड़कर विनोबा भावे के सामने आत्म–समर्पण कर दिया। विनोबा भावे ने इन डकैतों का हृदय परिवर्तन कर दिया। महात्मा गाँधी के इस विनम्र शिष्य विनोबा भावे की शक्ति पर पुलिस और जनता चकित थी। चम्बल के चमत्कार पर विनोबा भावे को बधाई देने के लिए हज़ारों पत्र और तार आए। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने भेजे गये तार में लिखा कि, **''आपका प्रयास हम में से अधिकांश के लिए पथभ्रष्ट लोगों को सुधारने और मनुष्य से सर्वश्रेष्ठ निकालने के लिए नैतिक दृष्टिकोण की प्रभावकारिता के एक ताज़ा प्रमाण के रूप में सामने आया है। मैं केवल आपके मिशन की पूर्ण सफलता के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और आपको अपना सम्मान और शुभकामानाएँ देता हूँ।''**[8] 15 नवम्बर, 1983 ई. को पवनार आश्रम में इनकी मृत्यु हो गई। अन्तिम श्वांस लेने से कई दिन पहले उन्होंने किसी भी प्रकार का आहार नहीं लिया तथा अपनी नश्वर काया को अलविदा कहने की इच्छा प्रकट की।

सम्मान

विनोबा भावे को सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 ई. में पहला अन्तर्राष्ट्रीय 'रेमन मेगसे पुरस्कार' प्रदान किया गया था। उन्हें 1983 ई. में मरणोपरान्त 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।

आलोचना

कुछ विन्दुओं पर उनकी आलोचना भी की जाती है। इन्दिरा गाँधी द्वारा घोषित आपातकाल को 'अनुशासन पर्व' कहने के कारण विनोबा भावे विवाद में भी रहे।

निष्कर्ष

इस प्रकार कहा जा सकता है कि विनोबा भावे एक महान् स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, सन्त, दार्शनिक तथा प्रसिद्ध गाँधीवादी नेता थे। उन्होंने गाँधी जी द्वारा चलाए गए प्रत्येक आन्दोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय स्वतन्त्रा संग्राम में उनका योगदान अद्वितीय है। विनोबा भावे की पहचान एक ऐसे अहिंसक आन्दोलनकारी के रूप में है, जिसका धर्म मानवाधिकार की रक्षा व अहिंसा था। महात्मा गाँधी के शिष्यों में सबसे आगे रहने वाले विनोबा भावे ने जीवनपर्यन्त गाँधी जी के आदर्शों का अक्षरशः पालन किया। वह एक महामानव, रामराज्य के सपने को साकार करने वाले महर्षि एवं विश्व को ममता, मानवता तथा मैत्री का सन्देश देने वाले एक महान् शान्ति दूत भी थे। भारतीय संस्कृति की प्रतीक हमारी आध्यात्मिक परम्परा को जीवित रखने में उनका योगदान अमूल्य है। महात्मा गाँधी कोई नया आन्दोलन या कार्यक्रम शुरू करने से पहले उनसे सलाह लिया करते थे। उनका उद्देश्य अहिंसात्मक तरीक़े से देश में सामाजिक परिवर्तन

लाना था। उनके द्वारा शान्तिपूर्ण रूप से चलाए गए भू–दान, ग्राम–दान और सम्पत्ति–दान आदि आन्दोलन समस्त विश्व को आश्चर्य में डालने वाले हैं। अपने महान् कार्यों के कारण वह भारत एवं विश्व के इतिहास में सदैव अमर रहेंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. बी. सिंह गहलौत, समकालीन राजनीतिक विचारक, पृष्ठ 270, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, संस्करण 2005 ई.।
2. विकिपीडिया, विनोबा भावे, पृष्ठ 02, दिनांक 22–11–2021 से उद्धृत
3. डॉ. अमरेश्वर अवस्थी, डॉ. रामकुमार अवस्थी, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 346, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, संस्करण 2017 ई.
4. विकिपीडिया, विनोबा भावे, पृष्ठ 04, दिनांक 22–11–2021 से उद्धृत
5. डॉ. अमरेश्वर अवस्थी, डॉ. रामकुमार अवस्थी, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, पृष्ठ 348–349, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, संस्करण 2017 ई.
6. विकिपीडिया, विनोबा भावे, पृष्ठ 05, दिनांक 22–11–2021 से उद्धृत
7. https://www.learncram.com , पृष्ठ 05, दिनांक 22–03–2023 से उद्धृत
8. वही, पृष्ठ 08

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024   Paper Accepted : 7th March 2024

धर्म और दर्शन

▫ डॉ. आनन्दराम पैकरा*

शोध-सारांश

इस प्रकार आदर्श व्यक्ति तथा आदर्श समाज का विकास करने और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को भगवान् तक ऊँचा उठा ले जाने का ठीक मार्ग यही प्रतीत होगा कि समस्त जीवन को धर्ममय बना कर, सब काम–काज धार्मिक भावना के अनुसार चलाया जाना चाहिये, यही परम सत्य है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

मुख्य शब्द*–धर्म, दर्शन, जीवन, आदर्श, सर्वशक्तिमान, ईश्वर, पथप्रदर्शिका आदि।*

प्रस्तावना

अनन्त सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी, एकमेवाद्वितीय ईश्वर ही–एक शब्द में भगवान् ही–जीवमात्र और कर्ममात्र का गूढ़ ध्येय और लक्ष्य है; अतएव वही व्यक्ति तथा समाज के उसके सभी अंगों और सभी प्रवृत्तियों के सम्पूर्ण विकास का उद्‌देश्य है। इसीलिए तर्क बुद्धि हमारी चरम–परम पथप्रदर्शिका नहीं हो सकती। संस्कृति, अपने साधारणतः समझे जाने वाले अर्थों में मार्गदर्शक ज्योति नहीं हो सकती और न यह हमारे समस्त जीवन और कर्म के नियामक एवं समन्वयकारी सिद्धान्त का पता ही पा सकती है। क्योंकि तर्कबुद्धि भगवान् से इतर ही रह जाती है तथा जीवन की समस्याओं से समझौता भर कर लेती है और संस्कृति को अगर भगवान् की प्राप्ति करनी हो तो उसे आध्यात्मिक संस्कृति बनना है।

बौद्धिक सौन्दर्योपासक, नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षण की अपेक्षा अधिक ऊँची कोटि की वस्तु बनना होगा। तो फिर हमें पथ–प्रदर्शक प्रकाश तथा नियामक एवं समन्वयकारी सिद्धान्त कहाँ उपलब्ध होगा? इसका सर्वप्रथम उत्तर यह है कि वह प्रकाश और सिद्धान्त हमें धर्म में उपलब्ध होगा। यह उत्तर युक्तियुक्त तथा आपाततः संतोषजनक मालूम पड़ता है; क्योंकि धर्म मनुष्य के अन्दर की एक ऐसी प्रेरणा, भावना, प्रवृत्ति एवं विधि–व्यवस्था है, जिसका लक्ष्य स्पष्ट रूप में भगवान् ही है, जबकि मनुष्य की अन्य सभी प्रवृत्तियाँ परोक्ष रूप में ही उन्हें अपना लक्ष्य बनाती प्रतीत होती हैं और जगत् की वाहय एवं अपूर्ण प्रतीतियों के पीछे चिरकाल भटक–भटककर ठोकर खाने के

* *सहायक प्राध्यापक,* शासकीय आर.बी.आर.एन.एफ.एस. पी.जी. कॉलेज, जशपुर नगर (छत्तीसगढ़)

बाद ही कहीं उन तक पहुँच पाती हैं।

हमारे समाज में इस प्रकार की कसौटी से कस कर जो सामने रख दे, उसके वास्तविक रहस्य को जो उद्‌घाटित कर दे, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म, इन्हीं को दृष्टिगोचर करा देना ही दर्शनशास्त्र है। विश्व में भारतवर्ष अभी श्रद्धा तथा आदर का भाजन है। भारत विश्वगुरु था और अब भी है, तपःपूत ऋषियों के सूक्ष्म ज्ञान की सम्पत्ति को पाकर ही। पशुओं से मनुष्य की विशेषता है विचारपूर्वक प्राप्त ज्ञान। अतः मनुष्य का आदर्श स्थिर करते समय ज्ञान ही एक मात्र हमारा आधार हो सकता है। आज विश्व में 'वाणी तथा लेखन की स्वतन्त्रता–विचार–स्वातन्त्र्य' का आन्दोलन किया जाता है, यह केवल इसलिए कि जातियों एवं राष्ट्रों के कृत्रिम आदर्शों से मनुष्य को बन्दी न बनाया जाय।

मनुष्य विचार की पूर्णता है, अतः उसे व्यक्त करने के लिये कोई सीमा बन्धन नहीं होना चाहिए। भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ अतिप्राचीन काल से विचार–स्वातन्त्र्य मनुष्य को प्राप्त था। इस देश में विचारों पर कोई बन्धन नहीं लगा था और जब लगा है तो वह पाश्चात्य प्रभाव से। यहाँ विचारों के सम्बन्ध में मानव कभी असहिष्णु नहीं बना। सामाजिक नियमों–जीवन के प्रत्येक कार्य में धर्म का कठोर नियन्त्रण होने पर भी विचार–स्वातन्त्र्य के कारण भारत में इतने दर्शनशास्त्र और मत–मतान्तर देखने को मिलते हैं।

एकत्व में अनेकता की अभिव्यक्ति और अनेकता में एकता का दर्शन, यही भारतीय दर्शन की विशेषता है। भारतीय दर्शन की गम्भीरता के साथ उसकी यह मौलिक विशेषता समझे बिना हम उसकी व्याख्या करते समय भ्रम में पड़ते हैं। पदार्थ विज्ञान तथा आलोचना के क्षेत्र में हम प्रत्यक्ष यह सिद्धान्त देखते हैं कि ज्ञान जितना सूक्ष्म होगा, पदार्थों के उपयोग एवं श्रेणी–भेद बढ़ेंगे और अज्ञान श्रेणी–भेदों का लोप करता है। विचार जहाँ व्यावहारिक श्रेणी–भेद बढ़ाता है, वहीं मूल एकत्व का दर्शन कराता है; पर अज्ञान में, श्रेणियों का लोप होने के साथ बौद्धिक भेद बढ़ता है।

इस प्रकार धर्म और दर्शन कर्त्तव्य की हमें प्रेरणा देते हैं, साथ ही, फल की ओर से तटस्थ रहने का आदेश भी। फलों के विस्तृत वर्णन तो निम्न कोटि के अधिकारियों के लिये शास्त्रों में हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि फलविस्तार का तात्पर्य धर्म में प्रवृत्ति कराना है। धर्म का लक्ष्य तो अन्तर्मुखता है, त्याग है और इस प्रकार नैष्कर्म्य के द्वारा मोक्ष उसका प्राप्य है। यह पहले कहा जा चुका है कि जिस कर्म या नियम का लक्ष्य अन्तमुर्खता न होकर बहिर्मुखता है, वह विषय–प्रवृत्ति को बढ़ाकर संघर्ष, अशान्ति और असन्तोष के द्वारा विनाश का पथ प्रशस्त करेगा। वह धर्म और दर्शन नहीं, उसमें धारण शक्ति नहीं। वह अधर्म है तथा नष्ट करने वाला है। हमारे धर्म–प्रेरक दर्शन मुझे हर पल प्रेरित करते रहते हैं कि सदा सत्य–सनातन धर्म का पालन करना चाहिये।

आलौकिक–श्रेयःसाधन को **'धर्म'** कहते हैं। उससे प्राप्त परमात्मा भी धर्म कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जिससे अभ्युदय–निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है–

''यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।[1]''

धर्म की अवधारणा

'धर्म' सम्पूर्ण जगत् की प्रतिष्ठा है और धर्म पर सम्पूर्ण संसार टिका है। धर्मात्मा सबका आश्रय है। धर्मात्मा पुरुष के पास सभी लोग आश्रय या सहायता के लिये जाते हैं। धर्म के आचरण से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्म में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यही कारण है कि धर्मज्ञ मनीषी धर्म को सर्वोपरि मानते हैं–

''धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति। धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम्। तस्माद्धर्मं परमं वदन्ति।''[2]

''धर्म एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मोहतोऽवधीत्।।''[3]

धर्मपालक का रक्षक स्वयं धर्म होता है। जो धर्म का तिरस्कार करता है, वह अधोगति प्राप्त करता है।

'धृञ्' धातु से निष्पन्न **'धर्म'** शब्द का अर्थ धारण करना, पालन करना, आश्रय देना आदि है–**''ध्रियते लोकोऽनेन, धरति लोकं वा' धरति विश्वम् इति, धरतिलोकान्ध्रियते वा जनैरिति धर्मः।''**[4] वैदिक–वाङ्मय में जगत् धारण–तत्त्व का नाम धर्म है–**''धारणाद्धधर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजाः।''**[5]

अभ्युदय–निःश्रेयसप्रद–तत्त्व जगत् को धारण करने वाले माने गये हैं। लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष तथा आवागमन के बन्धन से निवृत्ति–रूप–मोक्ष के ज्ञानादि उपायों की समुपलब्धि अभ्युदय है। अभिप्राय यह है कि **'प्रेय'** की उपलब्धि और **श्रेयस्** की ओर उन्मुख होना यही अभ्युदय है। देहेन्द्रियादि अनात्मभावों से विविक्त–गुणमय भावों से अतीत आत्मस्थिति निःश्रेयस है। अस्तु, योग, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया, अलोभ आदि साध्य पदार्थों को जहाँ शास्त्रों ने धर्म कहा है, वहाँ आत्मादि सिद्धतत्त्वों को को भी धर्म कहा है।

जिस प्रकार वैशेषिक दर्शन में कहा गया है–''जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह धर्म है, ठीक उसी प्रकार है कि जिससे तुष्टि, पुष्टि और क्षुन्निवृत्ति और स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो वह औषधि है।'' ''जिससे उल्लास ओर आनन्द की अभिव्यक्ति हो, वह जीवन है।'' इसी प्रकार **'चोदनालक्षणोऽर्थोधर्मः'**[6] **'वेदप्रणिहितो धर्मो हचधर्मस्त– द्विपर्ययः''**[7] आदि वचन धर्म की साक्षात् परिभाषा करने वाले हैं।

उक्त वचनों के अनुसार स्वाधिकार सम्पदा के अनुरूप 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः'[8] 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्योभन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।'[9] आदि विधि और विधिदायरूप प्रेरक वचनसिद्ध अभ्युदय और निःश्रेयसरूप अर्थप्रद तत्त्व 'धर्म' हैं। अभिप्राय यह है कि प्रमाणान्तर से अनधिगत और अबाधित अतीन्द्रिय अर्थ के ज्ञापन और उनमें साध्य–साधन–भाव के निर्धारक शास्त्रवचन–सिद्धतत्त्व 'धर्म' है। अर्थात् वेदादि शास्त्रैक समधिगम्य अभ्युदय–निःश्रेयस प्रदतत्त्व 'धर्म' है।

श्रुतियों तथा मन्वादि धर्मशास्त्रों ने मनुष्यों के कल्याण के लिये धृति (संतोष), क्षमा, दम (मनःस्थैर्य), अस्तेय (न्यायपूर्वक धनार्जन), शौच (देहशोधन), सत्य (यथार्थ भाषण) ओर अक्रोध–इन दशविध धर्मों का उपदेश किया है, इनके सेवन से मनुष्य मोक्षलाभ करता है–

''धृतिःक्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधोदशकं धर्मलक्षणम्।।''[10]

इससे सिद्ध होता है कि 'धर्म' बहुत व्यापक शब्द है। अमरकोषकार के अनुसार 'धर्म' शब्द के अनेक अर्थ हैं; यथा–(1) सुकृत या पुण्य, (2) वैदिक विधि–यागादि, (3) यमराज, (4) न्याय, (5) स्वभाव, (6) आचार, (7) सोमरस को पीने वाला। अन्य कोषों में धर्म के ये अर्थ लिखे मिलते हैं–(1) शास्त्रोक्त कर्म के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाले भावीफल का साधनस्वरूप शुभ अदृष्ट या पुण्यापुण्य रूप भाग्य, (2) श्रौत और स्मार्त धर्म, (3) विहित क्रिया से सिद्ध होने वाला गुण या कर्मजन्य अदृष्ट, (4) आत्मा, (5) देह को धारण करने से जीवात्मा, आचार या सदाचार, (6) वस्त्र का गुण, (7) स्वभाव, (8) उपमा, (9) यागआदि, (10) अहिंसा, (11) न्याय, (12) उपनिषद्, (13) धर्मराज या यमराज, (14) सोमाध्यायी, (15) सत्सङ्ग, (16) धनुष, (17) ज्यौतिष–मत में लग्न से नवम स्थान या भाग्य भवन, (18) दान आदि।

किन्तु **'धर्म'** शब्द का धातुगत अर्थ तो **'धारण करना'** ही होता है। **निरुक्त** में **'धर्म'** शब्द का अर्थ 'नियम' बताया गया है। इन दोनों के मेल से **'धर्म'** शब्द का यही वास्तविक अर्थ होता है कि जिस नियम ने इस लोक या संसार को

धारण कर रक्खा है, वही धर्म है।

'धर्म' के तीन स्कन्ध वा विभाग या आधार–स्तम्भ है। यज्ञ, अध्ययन या स्वाध्याय और दान–यह पहला स्कन्ध है। तप ही इसका स्कन्ध है। आचार्य कुल में रहने वाला ब्रह्मचारी, जो आचार्य कुल में अपने शरीर को अत्यन्त क्षीण कर लेता है, यह तीसरा स्कन्ध है ये सभी पुण्यलोक के भागी होते हैं। ब्रह्म में सम्यक् प्रकार से स्थित (चतुर्थाश्रमी संन्यासी) अमृतत्त्व को प्राप्त होता है।

इसी **'धर्म'** शब्द के पहले **'स्व'** जोड़ने से **'स्वधर्म'** शब्द बनता है, जिसका अर्थ अपना **''वर्णाश्रम धर्म''** होता है। उसी के पूर्व **'पर'** जोड़ने से **'परधर्म'** शब्द बनता है। उससे तात्पर्य अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर दूसरे पुरुष के वर्णाश्रम धर्म से है। उसी के पहले **'वि'** उपसर्ग लगाने **'विधर्म'** शब्द बनता है। उसका अर्थ **'विगतोऽधर्मेण विधर्मः'** होता है। जो अपने धर्म से गिर जाय अर्थात् जो धर्मान्तरित हो जाय, वह विधर्म है। श्रुति–स्मृति में कहे हुए धर्म को छोड़कर सब धर्म विधर्म हैं। अतः अपने धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को स्वीकार करने वाला **'विधर्मी'** कहा जाता है।

उसी के पहले **'कु'** उपसर्ग लगाने से **'कुधर्म'** शब्द बनता है। उसका अर्थ–**'कुत्सितः धर्मः कुधर्मः'** अर्थात् जो धर्म निन्दा के योग्य हो, वह **'कुधर्म'** है। कुधर्म शब्द का एक अर्थ और भी होता है; वह यह कि जो धर्म अन्य धर्म में बाधा दे, वह **'कुधर्म'** कहलाता है। यथा–

''धर्मं योवाधते धर्मो ने स धर्मः कुधर्म तत्।
अविरोधी तु यो धर्मःस धर्मः सत्यविक्रमः।।''

''जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा दे, वह धर्म नहीं है, किन्तु 'कुधर्म' है। जो धर्म समस्त धर्मों का अविरोधी है, वही यथार्थ धर्म है। ''धर्म के पहले **'नञ्'** जोड़ने से **'नधर्मः अधर्मः'** अधर्म शब्द बनता है। उसका अर्थ जो धर्म से बिल्कुल विपरीत हो, वह अधर्म कहलाता है। इस अधर्म के पाँच भेद हैं–(1) विधर्म, (2) परधर्म, (3) धर्माभास, (4) उपधर्म और (5) छल धर्म। इनमें से विधर्म (1) और परधर्म (2) के अर्थ तो ऊपर लिखे जा चुके हैं। **पाखण्डाचार** या **दम्भ** अर्थात् **ढोंग** को **'उपधर्म'** कहते हैं। अपने ही मन से किसी काम को धर्म कहकर करना **'धर्माभास'** है। प्रचलित अर्थ को छोड़कर दूसरे प्रकार का अर्थ करके जिस धर्म की व्याख्या की जाय, वह छल धर्म है। ऊपर कुधर्म का भी अर्थ लिखा जा चुका है। इन छहों प्रकार के अधर्मों का परित्याग करना धर्म है। अपना स्वधर्म ही सबको शान्तिदायक होता है। भगवान् ने कहा है–

''स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।''[11]

'स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ है, परधर्म भयकारी है।' समस्त प्राणियों का वही परम धर्म है, जिससे भगवान् में निष्काम, अटल और अचल भक्ति हो और जिसके करने से आत्मा प्रसन्न होती है। जिस ओर धर्म होता है, उसकी जय होती है। कहा भी गया है–

''धर्मेणहन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रहः।
धर्मेणहन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जयः।।''[12]

अग्निपुराण में अनेक अध्यायों में पृथक्–पृथक् रूप से धर्म का कथन प्राप्त होता है– 151 अध्याय में 'वर्णेतरधर्मों का वर्णन', 153 अध्याय में ब्रह्मचर्यादि आश्रम धर्मों का वर्णन, 154 अध्याय में ब्रह्मचारी के धर्म कथन, 160 अध्याय में वनवासियों के धर्म, 161 अध्याय में संन्यासी के धर्म, 162 में धर्मशास्त्र का कथन, 165 में नानाधर्म का कथन और 166 में वर्णधर्मादि कथन सम्प्राप्त होता है तथा राजधर्म का प्रतिपादन 223, 24, 25, 39 अध्याय में किया गया है।

इस पुराणानुसार मनुष्य को निरन्तर अपनी आत्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। वह हृदय में दीपवत् तथा प्रभविष्णु रूप से विद्यमान रहा करती है। मन को बुद्धि, स्मृति और इन्द्रियों को अनन्य भाव से स्थिर कर लेना चाहिए।[13] इस संसार में अपने से भिन्न किसी को न देखने वाला योगी

आत्मा में लीन अमल तथा ब्रह्ममय कहलाता है। सदैव योग का ही अभ्यास करते रहना चाहिए। क्योंकि पापों का नाश करने वाला उसके अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं है।[14]

वर्ण धर्म आदि के कथन में कहा गया है कि, वेद और स्मृति प्रतिपादित धर्म पाँच प्रकार का हुआ करता है और जिसे क्रमशः प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा सम्पन्न होना चाहिए, चाहे वह जिस वर्ण का हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य–इन तीन जातियों में होने वाला उपनयन संस्कार उनका वर्ण–धर्म है। आश्रमों के अनुसार किया जाने वाला धर्म **'आश्रम धर्म'** कहलाता है, जैसे भिन्न पिण्डादि क्रियाएँ। (लौकिक तथा पारलौकिक) दोनों निमित्तों से जो विधि की जाती है, उसे नैमित्तिक–विधि कहते हैं, जैसे प्रायश्चित–विधि। आश्रम धर्म पाँच प्रकार का होता है, जो कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी तथा राजा के लिये हुआ करता है। षाड्गुण्य के अभिधान में जिसकी प्रवृत्ति होती है उसे 'दृष्टार्थ' कहते हैं। उसके तीन भेद होते हैं। मन्त्र, यश, प्रभृति अदृष्टार्थ है; ऐसा मनु आदि कहते हैं। इसके सिवा 'उभयार्थक–व्यवहार', 'दण्ड धारण और तुल्यार्थ–विकल्प' ये भी यज्ञमूलक धर्म के अंग कहे गये हैं। वेद में धर्म का जिस प्रकार प्रतिपादन किया गया है, स्मृति में भी उसी प्रकार है। कार्य के लिये स्मृति वेदोक्त धर्म का गुणार्थ, परिसंख्या, विशेषतः अनुवाद, विशेष दृष्टार्थ अथवा कलार्थ है, यह राजर्षि मनु का सिद्धान्त है।[15] इसी प्रकार जितने भी धर्म ऊपर कहे गये हैं; उन सबका इसी प्रकार निरूपण किया गया है।

इस प्रकार सभी सुधीजन अपने–अपने अनुरूप मति के अनुसार धर्म की व्याख्या करते हैं– स्वामी रामकृष्ण ने धार्मिक सत्य को अपने जीवन के अनुभव से चरितार्थ कर दिया था। उन्होंने धर्म को बौद्धिक अनुमान की वस्तु मात्र स्वीकार नहीं किया। स्वामी विवेकानन्द ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि, 'आत्मा की भाषा एक है, किन्तु जातियों की विविध–भाषाओं तथा रीति–रिवाजों में अभिव्यक्त हो रही है।'[16]

धर्म और दर्शन के श्रेष्ठ चिन्तक डॉ. राधाकृष्णन ने धर्म का स्वरूप इस प्रकार उद्घाटित किया है, ''धर्म सम्पूर्ण जीवन की पद्धति है, वह नश्वर में अविनश्वर तथा अचिर में चिर का अनुसंधान है। धर्म जीवन का स्वभाव है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ कार्य को धर्म की उपस्थिति में करें और शेष कार्यों के समय उसे भुला दें। धर्म ज्ञान और विश्वास से अधिक कर्म और आचरण में बसता है।[17] एक अन्य विद्वान् के अनुसार, 'धर्म का पर्यवसान आचार–शिक्षण में है। वह धर्म, जो सदाचार की शिक्षा पर आग्रह नहीं करता अपने महत्त्वपूर्ण अभिधान के धारण की क्षमता ही नहीं रखता। इसीलिये आचार धर्म का मुख्य अंग गिना गया है–

आचारः परमोधर्मः।[18]

इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत धर्म की व्याख्याओं का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है, कि सभी ने एक स्वर से धर्म को आचरण और नैतिकता के रूप में स्वीकार किया है। आचरण और नैतिकता आत्म धर्म के गुण हैं। तात्पर्य यह है कि धर्म भी आत्मा का ही गुण है। समस्त सृष्टि एक ही आत्मा का विकास है। अर्थात् विश्व में व्याप्त धर्म एक ही धर्म है, जिसे आत्मा का धर्म या ईश्वर का धर्म, मानवता का धर्म कह सकते हैं।

धर्म देश, काल और पात्र की सीमाओं तथा क्षुद्र प्रभेदों से अतीत है, वह विकार रहित है, इसीलिये हमारे सम्पूर्ण जीवन में उसकी आवश्यकता उपयोगी और अनिवार्य है। धर्म अतीत की सृष्टि है, जो विभिन्न परिवर्तनों में हमारा आधार स्तम्भ है।

''धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्''[19]

देवी–देवता–भारतीय–संस्कृति में आदिकाल से ही वेदों के प्रति विश्वास रहा है। देवी और देवतावाद के प्रसारक वेद ही हैं; अतः इस संस्कृति में देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। देवता

परमात्मा के ही उत्तम अंग हैं। अंगी की पूजा अंगों के द्वारा ही होती है; इसीलिये देवपूजा हिन्दू संस्कृति का एक अंग है। इन देवताओं में अलौकिक शक्ति रहती है। यदि परमार्थ दृष्टि से देखा जाय तो इस सम्पूर्ण संसार का भरण–पोषण देवताओं पर आश्रित है। देवताओं के अनुकूल होने पर ही संसार सुख की श्वांस ले सकता है। अदूरदर्शी लोग देवताओं को जड़ मानते हैं; पर वैदिक सिद्धान्त के अनुसार देवता चेतन हैं।

स्वामी शंकराचार्य ने देवतावाद पर अच्छा प्रकाश डाला है। आर्य समाज के विद्वान् पं. श्री राजाराम जी शास्त्री ने अपने अथर्ववेद–भाष्य की भी भूमिका में उसका निष्कर्ष सुन्दर ढंग से लिखा है। जो इस प्रकार है–

परमेश्वर की सृष्टि में देहधारी जीवों की सृष्टि नाना प्रकार के स्थावर और पशु–पक्षी आदि नाना प्रकार के जङ्गम हैं। ये सारे जीव विशेष हैं। मनुष्य इन सबसे उच्च श्रेणी का जीव है; पर परमात्मा की सृष्टि यहीं तक समाप्त नहीं है। मनुष्य से कई दर्जों में ऊँचा पद रखने वाले जीव भी उसकी सृष्टि में विद्यमान हैं, जो मनुष्यों की भाँति चेतन हैं। वे अपनी शक्ति और ज्ञान में इतने ऊँचे पहुँचे हुए हैं कि मनुष्य की शक्ति और ज्ञान उनके सामने तुच्छ हैं। इस अनेक प्रकार की ऊँची सृष्टि में सबसे ऊँचा स्थान देवताओं का है। देवता चेतन हैं। वे मनुष्यों से ऊपर और परमेश्वर से नीचे हैं। परमेश्वर की ओर से उनको भिन्न–भिन्न अधिकार मिले हुए हैं, जिनका वे पालन करते हैं। देवता अजर और अमर हैं, पर उनका अजर–अमर होना मनुष्यों की अपेक्षा से है, वस्तुतः उनकी भी अपनी–अपनी आयु नियत है। ब्रह्माण्ड की दिव्य शक्तियों में से एक–एक शक्ति पर एक–एक देवी और देवता का अधिकार है; जिस शक्ति पर जिसका अधिकार है, वही उसकी देह है, जो उसके वश में है।

जैसे हमारे देह में एक जीवात्मा है, जो इस देह का अधिपति है, उसी प्रकार उस शक्ति के अंदर भी एक जीवात्मा है, जो उसका अधिपति है। जैसे हमारे अधीन यह देह है, वैसे ही एक देवता के अधीन सूर्यरूपी देह है। हम एक थोड़ी–सी शक्ति वाले देह के स्वामी हैं, वह अध्यात्म शक्तियों में इतना बढ़ा हुआ है कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा चाहे, वैसा रूप धारण कर जहाँ चाहे, वहाँ जा सकता है। वही सूर्य देव का अधिष्ठाता कहलाता है और सूर्य के नाम से ही बुलाया जाता है। इसी प्रकार अग्नि और वायु आदि के अधिष्ठाता देवता हैं।

देवताओं का ऐश्वर्य बहुत बड़ा है, पर वह सारा परमेश्वर के अधीन है। एक–एक देवता एक–एक दिव्य शक्ति का नियन्ता है। पर उन सब के ऊपर उन सबका नियन्ता परमेश्वर है। इसलिए सभी देवता मिलकर जगत् का प्रबन्ध उसी प्रकार कर रहे हैं, जिस प्रकार राजा के अधीन उसके भृत्य उसके राज्य का प्रबन्ध करते हैं।[20]

देवताओं के स्वभाव–स्वरूप में कुछ अन्तर अवश्य आ गया है। पौराणिक देवता का रूप सगुण–साकार है। फलतः वे मानवों के विशेष सन्निकट तथा सान्निध्य में उपनीत हुए। वे मानव–सुख–दुःख के साथ भी घनिष्ठ सम्बन्ध में आबद्ध हो गये। संसार के नाना दुःखों से सन्तप्त मानव अपनी दुःखद गाथा सुनाने के लिये किसी सहानुभूतिपूर्ण देवता की खोज में था, जो उसे सुने, उसे दूर करने का अमृत औषध प्रदान करे तथा विचलित मानव–मानस को स्वस्थ बनाकर शान्ति प्रदान करे। ऐसे देवों की कल्पना पुराणों ने की।

पौराणिक देवता कहीं आकाश में विचरणशील, जगत् के कार्यों से उदासीन व्यक्ति न थे, प्रत्युत भूतलचारी मानवों के सुख–दुःख में हाथ बँटाने वाले थे। इस प्रकार वैदिक देवताओं की अपेक्षा वे व्यक्तिगत सम्बन्ध के कारण भक्तों के बिल्कुल पास थे। वे अधिक मात्रा में वैयक्तिक हो गये। वे

निर्विशेष न होकर सविशेष रूप में प्रतिष्ठित हुए।[21]

यह बात स्पष्ट हो गई कि पौराणिक धर्म में वैदिक देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवी–देवताओं की पूजा भी विहित कर दी गई। कुछ वैदिक देवता जिनको वैदिक धर्म में इतना प्रामुख्य प्राप्त नहीं था, अब लोक में प्रमुख उपास्य की पदवी को प्राप्त हो गये। शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। इन तीनों की उपासना को लेकर अलग–अलग सम्प्रदाय चल पड़े। केवल देवों के स्थान में ही नहीं अपितु इस समय उनके स्वरूप में भी पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है। वैदिक देवता ही प्राकृतिक शक्तियाँ हैं और स्वभाव से ही अमर हैं किन्तु, पौराणिक देवताओं का चित्रण मानवीय रूप में किया गया है। फलस्वरूप इनके चरित्रों में यह दिव्य उदात्त भावना भी कम दृष्टिगोचर होती है।

अवतारवाद भी पौराणिक धर्म की एक विशेषता है। पौराणिक अवतारवाद ने पूजा, अर्चा के वाह्याचारों को पर्याप्त रूप में प्रभावित किया। तत्तत् सम्प्रदायों में भगवान् के तत्तत् की पूजा, उपासना प्रचलित हो गई। अन्य पुराणों की भाँति अग्निपुराण में भी कई स्थलों पर भगवान् के अवतारों का वर्णन मिलता है। इस पुराण के 2, 16 अध्याय में भगवान् के विभिन्न अवतारों का प्रतिपादन किया गया है, सम्भवतः अग्निपुराण का आधार भागवत्पुराण ही है। मत्स्य ने वेदापहरणकारी हयग्रीव दानव का भी वध किया था।[22]

अध्याय 5–11 में रामावतार की कथा, 12 में कृष्णावतार की कथा प्रारम्भ होती है और 23 तक उनके विभिन्न चरित्रों का वर्णन प्राप्त होता है। 16 में बुद्ध और कल्कि का वर्णन प्राप्त होता है। जिस प्रकार अगाध सरोवर से असंख्य नदी–नाले निकलते हैं, उसी प्रकार सत्वनिधि हरि के भी असंख्य अवतार होते हैं। ऋषि, मनु, देव, शक्ति सम्पन्न मनुष्य ये सब भगवान् के ही कलावतार हैं। अन्य वैष्णव पुराणों की तरह अग्निपुराण में भी विष्णु को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, इन्हें ही कृष्ण और हरि माना गया है। भक्ति सम्प्रदाय में यह भगवान् शब्द ही परमतत्त्व का दर्शक है। कहीं–कहीं विष्णु को स्वतन्त्र रूप माना गया है और कहीं–कहीं राम, कृष्ण में विष्णु के साथ एकरूपता कहीं गयी है, किन्तु अधिकांश स्थलों में राम, कृष्णादि की एकरूपता का ही दर्शन होता है। कहीं विष्णु को गुणावतार भी माना गया है तो कहीं पर उसका परमतत्त्व के रूप में वर्णन किया गया है। तथापि उनमें अभेद की ही भावना स्थापित की गई है।[23]

अग्निपुराण में अन्य देवी–देवताओं का भी वर्णन आता है। जो इस प्रकार है– नवग्रह देवताओं का, अष्टाष्टक देवियाँ, ब्रह्मार्चन, अश्विनीकुमार, गौरी, गणेश, वासुकी, स्कन्ध, सूर्य, रोहिणी सहित चन्द्रमा, शिव, रूद्र, चन्द्र, कृष्ण, वामन, इसी प्रकार सभी देवियों उमा, रमा, सरस्वती आदि तथा तुलसी का भी यत्र–तत्र वर्णन उपलब्ध होता है।[24] उक्त देवी–देवताओं का वर्णन अग्निपुरण में आता है तथा उनके पूजन, व्रत, जप, तन्निमित्तक दान–होम आदि करने का विधान भी प्रतिपादित है। अब अगले बिन्दु में यज्ञ–यागादि का वर्णन किया जा रहा है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आदर्श व्यक्ति तथा आदर्श समाज का विकास करने और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को भगवान् तक ऊँचा उठा ले जाने का ठीक मार्ग यही प्रतीत होगा कि समस्त जीवन को धर्ममय बना कर, सब काम–काज धार्मिक भावना के अनुसार चलाया जाना चाहिये, यही परम सत्य है। समाज को चलायमान रखने के सुसंगठित एवं सामाजिक रूप से लोगों की आस्था धर्म में निहित होनी चाहिए जिससे समाज में व्यप्त कुरीतियों को दूर कर एक सुन्दर समाज का निर्माण हो सके और समाज के लोगों में आपस में मिलकर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बन सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. वैशेषिक दर्शन 1/2
2. श्रीमन्नारायणोपनिषद्
3. मनुस्मृति 2/15
4. महाभारत
5. अमरकोष 1/6/3
6. पूर्वमीमांसा 1/12
7. श्रीमद्भागवत् 6/1/40
8. मैत्रायण्युपनिषत् 6/36
9. वृहदारण्यक. 2/4/5
10. श्रीनारद परिव्रासकोपनिषत् 3/24, मनुस्मृति 6/93
11. श्रीमद्भगवद्गीता
12. कल्याण–'हिन्दू संस्कृति' अंक, पृ. 379
13. अग्निपुराण 175/1
14. तदेव 165/9/28
15. अग्निपुराण 166/1–9
16. डॉ. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृ. 606।
17. संस्कृति के चार अध्याय, पृ. 662
18. श्री बलदेव उपाध्याय, भागवत सम्प्रदाय, पृ. 3
19. मध्ययुगीन हिन्दी काव्य में वैष्णव संस्कृति और समाज, पृ. 4
20. कल्याण–हिन्दू–संस्कृति, अंक 35–92
21. पुराण विमर्श, पृ. 458
22. अग्निपुराण 1/16–17
23. श्रीमद्भागवत् का सांस्कृतिक अनुशीलन, पृ. 122
24. अग्निपुराण 164, 146, 177, 78, 209, 80, 81, 82, 23, 84, 88, 89

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 29th Feb. 2024 Paper Accepted : 7th March 2024

MEDICINAL PLANTS USED BY AYUSH FROM DISTRICT BHADOHI TO CURE DIFFERENT INFECTIONS

□ Mina Devi Shyam Rai*
□ Dr. Dinesh Kumar Singh**

ABSTRACT

Herbal medicine, sometimes known as medicinal herbs or plants, isA natural approach to treating common health problems. Herbal medicines are described by the World Health Organization asA completed, labelled medical product that comprises an active substance, aerial or subterranean portions of the plant, orA combination of these elements. Over 70% of the people in India turn to herbal remedies when they're sick.A large number of researchcentres useA "reverse pharmacology" strategy to investigate the practical applications and therapeutic effects of medicinal plants. In addition, Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, and Homoeopathy (AYUSH) are all recognized Indian medical systems, and herbal treatments make upA large portion of them. But there's proof of herbal medication spuriousness, illogical usage, and harmful drug responses; the government should definitely keep an eye on this. Further, these herbal remedies need to undergo rigorous scientific and clinical validation to demonstrate their efficacy and safety before they can be consideredA legitimate alternative to contemporary medicine. Nevertheless, forA number of apparent reasons, conductingA clinical study of herbal medications is challenging. Although the therapeutic effects of around 20,000 plants have been documented, only about 7,000 to 7,500 of these plants are actually employed by those who practise traditional medicine. Similarly, imports have been steadily rising throughout 2011–2012 and 2012–2013, whereas exports of AYUSH-related commodities have been on the rise since 2013–2014. In light of this backdrop,A concise evaluation was conducted to evaluate the medicinal plants and their progress in India, mainly via the Indian government's 5-year plan papers.

Keywords–*Herbal drugs, patronization, traditional, medicinal herbs*

Introduction

One of the most important sources of alternative medicine, plants have been used to cure many different kinds of illnesses since

* *Research Scholar, Department of Botonny*, Shri JJTUniversity, Jhunjhunu, Rajasthan
** *Associate Professor, Department of Botonny*, Shri JJTUniversity, Jhunjhunu, Rajasthan

ancient times. Even today, many diverse drugs in the modern medical system have their origins in plants. Traditional medicine in India and China dates back thousands of years. This suggests that the practice of using plants to cure disease has been around since about 4,000 to 5,000 years since the common period. "Ethanobotany" is the modern term for the study of medicinal plants with roots in ancient writings, as well as their investigations into these plants forA variety of purposes in broader settings and modern medicine.

The floristic composition of Indian flora, according to Raizada (1976), includes both native and non-native plant species. Unfortunately, our country has failed to provide floristic research the funding and support it needs. According toA 1958 remark by Santa Pau, "our neglect of field studies in botany will beA serious loss for India." Throughout the eighteenth century, taxonomy dominated discussions in Indian botany. The number of encyclopaedic publications devoted to the study of plants and their habitats increased dramatically during this time. It was clear from Hooker's 1872–1897 publication of "Flora of British India" that his groundbreaking work would facilitate the compilation of regional floras, monographs, and taxa. Concurrently, in 1890, the Botanical Survey of India came into being. Several smaller floristic reports on restricted areas followed, including regional floras of Bombay Presidency, Bengal, Upper Gangetic Plain, Bihar and Orissa, and others.

Due to the substantial prior botanical exploration and floristic study, most of these scientific pursuits were halted during World War I (1914–1918) and immediately after the war's conclusion in 1920.A dark cloud obscured the efforts of the Botanical Survey of India and the botany departments of several Indian institutions. Due to developments in other contemporary disciplines, taxonomic studies have acquiredA place in university biologists' curricula that is becoming more irrelevant.

The naming of Indian plants has also been the subject of many written works, which may be found in various places in the literature. Regional and state floras, along with other monographs based on current collections, need to be revised, says Rao (1959). The establishment of herbaria at various educational institutions throughout India is, therefore,, according to him, of the utmost significance. The floristics ofA certain area is being contemplated in light of the suggestions made by several Indian botanists. That is to say, chandauli will be the subject ofA great deal of study, including ethnobotanical and medical studies.

It is usual to work with therapeutic herbs. Although there has beenA lot of research done in India and worldwide, there isn'tA tonne of data available on the medicinal plants that the people of Bhadohi district use to cure sickness. This study set out to evaluate and record data pertaining to the medicinal plants that the locals of Bhadohi area have traditionally utilised to treatA variety of illnesses. Gathering, identifying, and documenting native medicinal plants used by the locals of the research region, as well as assessing the current state of medicinal plants in several villages in Bhadohi district, are the primary goals of the study.

Materials and methods

Study area

Study Area–An administrative entity smaller thanA district includes Bhadohi asA sub-district. Numerous sub-districts might exist insideA single district.A Tehsil is the name of the sub-district in northern India. The official administration of each state uses different titles for sub-districts, such as taluks, subdivisions, mandals, and circles.

Collection of Information

The fundamental goal of this analysis was to examine the current state of medicinal plants and associated advancements in India's five-year plans. Government of India's planning commission online page was used to get planning

commission papers spanning from the first five-year plan to the twelfth. ForA better understanding of the current state and future possibilities of medicinal plants, pharmaceuticals, and their development in India, we also looked at papers from the Ministry of AYUSH, Government of India, as well as relevant literature. Since both AYUSH and the Indian System of Medicine and Homoeopathy are included in separate 5-year plans, the acronyms ISM and H and ISM have been used interchangeably throughout this work.

RESULTS

AYUSH Kwath

For the purpose of promoting public health, the Ministry of AYUSH encourages the use of AYUSH kwath,A pre-made formulation. Ocimum sanctum (Lewis) leaf, Cinnamomumverum (J. Presl.) stem bark, Zingiberofficinale (Roscoe) rhizomes, and Piper nigrum (L.) fruits make up the formulation. Marketers useA variety of names for the formulation, including “AYUSH Kwath,” “AYUSH Kudineer,” and “AYUSH Joshanda.” You may get it on store shelves in both powder and tablet form. It has been shown that these herbs may strengthen the immune system and effectively treatA range of viral illnesses.

Samshamani Vati

One ayurvedic remedy for fevers of any kind is Samshamanivati, also known as Guduchighanavati. According to Patgiri et al. (2014), it is also used asA treatment for reducing inflammation and fever. According to More and Pai (2011), the synergistic impact of the different components in Samshamanivati, an immunomodulator, is caused by the water extract of Tinosporacordifolia (Willd.) Miers, which isA member of the Menispermaceae family. On top of that, it works well forA number of viral illnesses (Sachan et al., 2019).

AYUSH-64

The bark of Alstoniascholaris (L.) R. Br., the rhizomes of PicrorhizakurroaRoyle ex Benth., the whole plant of Swertiachirayita (Roxb.) H. Karst., and the seed pulp of Caesalpinia crista L. make up the AYUSH-64 tablet. The high-risk coronavirus population is thought to benefit from AYUSH-64’s antimalarial action. Each of its components has antiviral, anti-asthmatic, and immunoboosting properties, according to researchers.

AgasthayaHareetaki

With over fifteen different herbal constituents, Agastya HaritakiRasayana isA well-liked “Avalehakalpana” for treating respiratory infections. Its majority of components exhibited immunomodulatory, anti-inflammatory, anti-viral, and anti-asthmatic properties. According to the sources cited above, Agastya Haritaki may be used to treat COVID-19 symptoms.

Anuthaila

Leptadenia reticulate (Retz.) Wight and Arn. is one of around twenty components that make up Anuthaila. It has been used to treat asthma, bronchitis, throat problems, and allergic reactions (Mohanty et al., 2017). Also, according to Cohen (2014), Ocimum sanctum L. is good forA lot of different things, such coughs, asthma, fevers, and malaria. On the other hand, Nagpurkar and Patil (2017) say that Sesamum indicum L. oil is good for dry coughs, asthma, migraines, and respiratory infections. For dry cough, asthma, lung illnesses, and the common cold, there have been reports of S. indicum seeds mixed with Tachyspermumammi (L.) Sprague seeds (Patil et al., 2008). Anuthaila defends its application in the context ofA coronavirus pandemic by referencing the aforementioned material.

Unani Approaches

Triyaq-e-Araba

One of the most significant Unani formulations, Triyaq-e-Araba isA detoxifier. Roots of Aristolochiaindica L., berries of Laurus nobilis L., berries of Bergenia ciliate (Haw.) Sternb., and Commiphoramyrrha (Nees) Engl. are all part of it. Many researchers have shown

it to be an effective antiviral drug, including against SARS-CoV (Loizzo et al., 2008; Aurori et al., 2016). In addition, B. ciliata has suppressed theA and HSV-1 viruses (Rajbhandari et al., 2003), and the bergenin, the active ingredient in the plant, has been shown to be effective against the HCV and HIV viruses (Ahmad et al., 2018). This research suggests that Triyaq-e-Araba may be an effective antiviral medication and validates its use in treating COVID-19.

Roghan-e-Baboona

An Unani medicine called Roghan-e-Baboona is used to treat inflammatory symptoms and asthma. The primary component of Roghan-e-Baboona is the flower of the Matricaria chamomilla L. plant. Acute viral nasopharyngitis (Srivastava et al., 2010) and sore throat (Kyokong et al., 2002) are both well treated with the flowers of the chamomile plant, which is its constituent.

Arq-e-Ajeeb

Arq-e-Ajeeb isA mixture of thymol, menthol, and camphor inA liquid form. According to research (Lai et al., 2012; Sharifi-Rad et al., 2017), thymol shows promise as an antiviral drug that may be used topically to treat herpes infections. According to Zaia et al. (2016), menthol may reduce inflammation. Unani doctors haveA long record of success using Arq -e-Ajeeb in treating swine flu, or Nazlawabai. According to their research, Arq-e-Ajeeb is effective against COVID-19.

Khamira-e-Banafsha

Cold-cough expectorant, bronchitis, whooping cough, fever, expectorant, antipyretic, etc., Khamira-e-Banafsha isA semi-solid Unani formulation made by addingA decoction of Viola odorata L. flowers toA sugar or sugar with honey base. In addition, V. odorata has been shown to reduce viral load and enhance the effectiveness of antiretroviral drugs (Gerlach et al., 2019), as well as to modify the epithelial lining of the bronchioles of the lungs (Koochek et al., 2003), decrease the thickness of the alveolar wall, and haemorrhage area. Its usage in COVID-19 management is backed by the aforementioned literature.

Laooq-e-Sapistan

Many people in India utilise Laooq-e-Sapistan,A polyherbal Unani formulation that is semisolid and based on sugar, when they haveA cold, cough, whooping cough, or phlegm. It alleviates sore throats, tonsils, and inflammation caused by infection or irritation. The active component,A thick, jelly-like mass made from ripe Cordia myxa L. fruit, possesses antiviral and antitussive properties (Jamkhande et al., 2013). Ziziphus fruit, which has betulinic acid, is another significant component. According to Hong et al. (2015), betulinic acid was shown to enhance immunity by down-regulating IFN-γ levels in mice lungs. This finding suggests that it might be used asA possible treatment agent for viral infections. Yu et al. (2016) found that an aqueous extract of the plant increased spleen and thymus indices and improved the activity of natural killer (NK) cells, hemolytic activity, and T-lymphocyte proliferation. One component, Viola odorata L., reduces viral loads (Gerlach et al., 2019). Therefore, AYUSH formulation Laooq-e-Sapistan has been shown to be effective in COVID-19, according to the literature.

Sharbat-e-Sadar

For respiratory issues like the common cold and cough, many turn to Sharbat-e-Sadar,A polyherbal syrup made according to Unani principles. An essential component, Trachyspermumammi (L.) Sprague, has been shown to inhibit antibody responses to the Japanese encephalitis virus (Roy et al., 2015; Shruthi et al., 2017).A study conducted by Singh et al. (2010) found that AdhatodavasicaNees suppresses HIV-Protease. Similarly,A study conducted by Lü et al. (2018) found that Bombyx mori increases immune responses against viral infection. Ziziphusjujuba Mill., Glycyrrhiza glabra L., Ficuscarica L., Onosmabracteatum Wall., and Ziziphus glabra L. are among the other

components that have immunomodulatory and antiviral properties.

KhameeraMarwareed

As an immunomodulator, the Unani formulation known as Khameeramarwareed isA sugar-based molecule. It keeps the body healthy and ready to fight off viral infections by stimulating the immune system viaA T helper 1 (Th1) type cytokine response (Khan et al., 2009). Benencia and Courrèges (1999) found that their components effectively inhibited viral reproduction, making them antiviral.

AsgandhSafoof

Asgand, whose scientific name is Withaniasomnifera (L.) Dunal, isA widely used medicinal herb in India. As an immunomodulator, the root powder is used in the Unani medical system. The CD4+ and CD8+ counts, as well as the blood profile, particularly the white blood cell and platelet counts, are reportedly enhanced by the root extract (Bani et al., 2006; Agarwal et al., 1999). According to Balkrishna et al. (2020), the aqueous solution effectively inhibits the mitogen-induced proliferative response of T-lymphocytes and blocks the entrance of SARS-CoV-2 by disrupting the connections between the viral S-protein receptor binding domain and the host ACE2 receptor. Asgandhsafoof is effective against COVID-19 when used asA preventative, according to the aforementioned research.

Habb-e-Bukhar

In cases of elephantiasis and malarial fever,A polyherbal pill formulation called Habb-e-Bukhar is administered according to the Unani medical system. Cinchona bark is the primary component of Habb-e-Bukhar. Some nations are testing it out asA therapy for COVID-19 or have recommended quinine, its active ingredient, asA possible medicine (Devaux et al., 2020). According to Pruthvish and Gopinatha (2018) and Rastogi et al. (2020), Tinosporacordifolia (Willd.) Miers is another component that has been shown to be an effective agent against herpes simplex virus (HSV). So, Habb-e-Bukhar has been backed by research as an effective therapy for COVID-19.

Sharbat-e-Toot Siyah

A remedy for tonsillitis and sore throat, Sharbat-e-Toot Siyah is made with the juice of Morusnigra L. inA sugar base. It suppresses the production of cytokines that promote inflammation and has analgesic and anti-inflammatory properties (Chen et al., 2016). Improving immunomodulatory action isA relatively new finding (Lim and Choi, 2019).

Laook-e-Katan

According to Leu et al. (2004), Erdinest et al. (2012), and Miccadei et al. (2016), Laook-e-Katan,A sugar-based semisolid Unani formulation made of Linumusitatissimum L. seed, includes alpha linolenic acid and is thought to have immunomodulatory, antiviral, and anti-inflammatory properties. For respiratory problems, Unani suggests it.

Siddha Approaches

NilavembuKudineer

The polyherbal Siddha formulation known as NilavembuKudineer is used for the treatment and prevention of fevers and viral illnesses. It protects against dengue and chikungunya fevers and functions as an immunomodulator. According to recent research (Mahadevan and Palraj, 2016), the formulation is effective against viruses, bacteria, and fungi, making itA good choice for treating viral fevers, malaria, and typhoid fever. Mair et al. (2016) shown that the majority of its components are effective as antiviral, anti-asthmatic, and immunobooster medicines.

AhatodaiManapagu

The AdathodavasicaNees leaves used to make AhatodaiManapagu include alkaloids such as vasicine, the main component ofA number of cough syrups. For thousands of years, A. vasica has beenA part of Indian medicine for the treatment of respiratory illnesses. Its extract may haveA beneficial effect on the human immune system,

CONCLUSION

Interventions and herbal formulations from different AYUSH systems have the support of evidence for their immunity-enhancing, anti-inflammatory and antiviral effects. These herbal remedies may, therefore, provide some respite until the availability of trial-tested drug or vaccine to combat the COVID-19 menace. Further, it was noted thatA major portion of public and private funding were dedicated to AYUSH trials. More than 50% of these trials were sponsored by the government and various stakeholders associated with the Ministry of AYUSH. It is expected that the results of these clinical studies will be disseminated soon at the public platform so that the policymakers from the AYUSH systems of medicines may reframe their policies for public health and provide information to the global scientific community, which could formA platform for collaborative studies at the national and global levels. Keeping in view the potential of AYUSH medicines and medicinal plants of India, the herbal drug, manufacturers, and the national and global research organizations should develop necessary strategies for furtherance ofpreclinical and clinical research on these promising therapeutic leads.

REFERENCES

- Sampath Kumar K. P., Bhowmik D., Tiwari P., Kharel R. (2010). Indian traditional herbs Adhatodavasica and its Medicinal application. J. Chem. Pharm. Res. 2 (1), 240–245.
- Jin J. H., Lee D. U., Kim Y. S., Kim H. P. (2011). Anti-allergic activity of sesquiterpenes from the rhizomes of Cyperusrotundus. Arch. Pharmacal Res. 34 (2), 223–228. 10.1007/s12272-011-0207.
- Vinothapooshan G., Sundar K. (2011). Immunomodulatory activity of various extracts of AdhatodavasicaLinnexperimental rats. African J. Pharm. Pharmacol. 5 (3), 306–310. 10.5897/AJPP10.126
- Chang J. S., Wang K. C., Yeh C. F., Shieh D. E., Chiang L. C. (2013). Fresh ginger (Zingiberofficinale) has anti-viral activity against human respiratory syncytial virus in human respiratory tract cell lines. J. Ethnopharmacol. 145 (1), 146–151. 10.1016/j.jep.2012.10.043
- Mahadevan H., Palraj V. (2016). Literature review on Siddha herbal formulations (kudineer) available for the management of dengue. Int. J. Pharmacol. Clin. Sci. 5 (3), 90–96. 10.5530/ijpcs.5.3.5
- Carrasco F. R., Schmidt G., Romero A. L., Sartoretto J. L., Caparroz-Assef S. M., Bersani-Amado C. A., et al. (2009). Immunomodulatory activity of zingiberofficinale Roscoe, salvia officinalis L. And syzygiumaromaticum L. Essential oils: evidence for humor- and cell-mediated responses. J. Pharm. Pharmacol. 61 (7), 961–967. 10.1211/jpp/61.07.0017.
- Wang W., Wang J., Dong S. F., Liu C. H., Italiani P., Sun S. H., et al. (2010). Immunomodulatory activity of andrographolide on macrophage activation and specific antibody response. Acta Pharmacol. Sin. 31 (2), 191–201. 10.1038/aps.2009.205
- Wintachai P., Kaur P., Lee R. C. H., Ramphan S., Kuadkitkan A., Wikan N., et al. (2015). Activity of andrographolide against chikungunya virus infection. Sci. Rep. 5 (1), 14179. 10.1038/srep14179.
- Mair C., Liu R., Atanasov A., Schmidtke M., Dirsch V., Rollinger J. (2016). Antiviral and anti-proliferative in vitro activities of piperamides from black pepper. Planta Med. 81 (S 01), S1–S381. 10.1055/s-0036-1596830.
- Erdinest N., Shmueli O., Grossman Y., Ovadia H., Solomon A. (2012). Anti-inflammatory effects of alpha linolenic acid on human corneal epithelial cells. Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 53 (8), 4396–4406. 10.1167/iovs.12-9724.
- Leu G. Z., Lin T. Y., Hsu J. T. A. (2004). Anti-HCV activities of selective polyunsaturated fatty acids. Biochem. Biophys. Res. Commun. 318 (1), 275–280. 10.1016/j.bbrc.2004.04.019

- Erdinest N., Shmueli O., Grossman Y., Ovadia H., Solomon A. (2012). Anti-inflammatory effects of alpha linolenic acid on human corneal epithelial cells. Invest. Ophthalmol. Visual Sci. 53 (8), 4396–4406. 10.1167/iovs.12-9724.

- Chen H., Pu J., Liu D., Yu W., Shao Y., Yang G., et al. (2016). Anti-inflammatory and antinociceptive properties of flavonoids from the fruits of black mulberry (Morusnigra L). PLoS One 11 (4), e0153080. 10.1371/journal.pone.0153080
- Pruthvish R., Gopinatha S. M. (2018). Antiviral prospective of Tinosporacordifolia on HSV-1. Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 7 (1), 3617–3624. 10.20546/ijcmas.2018.701.425

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024

Paper Accepted : 7th March 2024

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों के निर्माण में माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरु जी) का वैचारिक योगदान–एक ऐतिहासिक अध्ययन

□ शिल्पा साकेत*
□ डॉ. महेन्द्रमणि द्विवेदी**

शोध-सारांश

उन्नसवीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आन्दोलनों के केन्द्र में हिन्दू राष्ट्रवाद आया, जिसके सहयोग और नेतृत्व में भारतीय जनमानस परतन्त्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए प्रतिबद्ध था। हिन्दू राष्ट्रवादी आन्दोलन को दूरगामी बनाने के लिए अनेक देशभक्तों ने वैचारिक प्रयास किये, जिनमें से एक सशक्त प्रतिभा के धनी डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार भी थे। उन्होंने हिन्दुत्व के मोतियों को एक माला में गूँथकर एक संगठन की स्थापना की जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से अभिहित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितम्बर, सन् 1925 विजयदशमी के दिन नागपुर में की थी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर (गुरु जी) का जन्म महाराष्ट्र प्रान्त के नागपुर शहर में 19 फरवरी, 1906 दिन सोमवार, माघ कृष्ण विजया एकादशी, शक संवत् 1827 को प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में 4:30, में हुआ था, इनके पिता जी का नाम श्री सदाशिवराव एवं माता जी का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई था। माधव को घर में सभी मधु कहकर पुकारते थे। सदाशिवराव भाउ उन्हें सवाई माधव भी कहते थे।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने लगभग 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रारम्भ किये हैं। वहीं 200 से ज्यादा संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं। संघ से जुड़े ऐसे पंजीकृत संगठनों की संख्या चालीस से ऊपर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों में प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं–

* शोधार्थी
** शोध–निर्देशक, प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

(1) जनसंघ, (2) विद्यार्थी परिषद्, (3) विश्व हिन्दू परिषद्, (4) मजदूर संघ, (5) सेवा भारती, (6) लोक भारती, (7) दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, (8) विद्या भारती, (9) भारतीय किसान संघ, (10) भारतीय शिक्षण मण्डल, (11) सक्षम, (12) अरोग्य भारती, (13) स्वदेशी जागरण मंच, (14) अखिल भारतीय साहित्य परिषद्, (15) अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद्।

आर.एस.एस. के स्वयंसेवकों ने इन संगठनों को शुरू किया और उनका समर्थन किया। संघ विचार के काफी स्वयंसेवक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उसके अनुषांगिक संगठन सम्पूर्ण समाज का संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र केवल एक विचार नहीं, केवल एक संस्था नहीं, वह जीवन जीने की एक पद्धति है। जैसे व्यक्तिगत जीवन, वैसे ही सामाजिक जीवन भी। यह जीवन पद्धति अर्थात् संघ की रीति। जैसे किसी परिवार की रीति बनती है, वैसे ही संघ की बनी है।

प्रस्तावना

संघ का सम्पूर्ण नाम है **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ**। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना **डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार** ने नागपुर में की थी। वर्ष 1925, दिन विजयादशमी को संघ का स्थापना दिवस था। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण पुरोहित परिवार में वर्ष 1889 में हुआ था। डॉ. हेडगेवार के दो भाई थे, दोनों उनसे बड़े थे। सबसे बड़े भाई का नाम था महादेव शास्त्री और मँझले भाई थे सीताराम शास्त्री। डॉक्टर हेडगेवार सबसे छोटे थे। हेडगेवार मूलतः तेलंगाना (आन्ध्र) के थे। परिवार नागपुर में आकर बस गया था। डॉक्टर जी का जन्म नागपुर में हुआ था। उनके पिताजी व्यवसाय से पुरोहित थे। घर में निर्धनता थी, किन्तु विवशता—लाचारी कभी नहीं रही। निर्धन रहने पर भी स्वाभिमान से जीने वाला यह परिवार था। स्वाभिमान (आत्म—गौरव) का यह गुण विरासत में मानो माँ के दूध से ही बालक केशव को मिला था।[1]

संघ का नाम

'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ', यह नाम गहन विचार के पश्चात् निश्चित किया गया। इस नाम में प्रत्येक शब्द महत्त्व का है। प्रथम 'संघ', संघ अर्थात् अनेक लोग। अकेले का कभी संघ नहीं होता। हिन्दू समाज संख्या से इतना बड़ा होने पर भी हर एक को लगता था कि मैं अकेला हूँ। लेकिन संघ अर्थात् केवल एकत्रीकरण नहीं। संस्कारयुक्त लोगों का एकत्रीकरण यानी संघ। संघ के ये संस्कार कौन से हैं? पहला संस्कार यह है कि हम भारत माता के पुत्र हिन्दू हैं और सब एक हैं, यह बात मन—हृदय में पक्की तरह से बैठाना। हिन्दुओं में अनेक जातियाँ हैं, अनेक भाषाएँ हैं। खान—पान अलग—अलग प्रकार का है तथा यह विशिष्ट जाति श्रेष्ठ और वह कनिष्ठ, ऐसी भावना है। इसके अलावा बुराई का अतिरेक है कि कुछ जातियाँ अस्पृश्य हैं, यानी उन्हें छूना नहीं, स्पर्श हुआ तो छूने वाला अशुद्ध हो गया, ऐसा बर्ताव। ऐसे समाज में संघ खड़ा करना मेंढकों को तोलने जैसा कठिन था। किन्तु डॉक्टर जी ने यह कठिन कार्य करने का संकल्प किया। सबके लिए एक आसान मंत्र दिया, **'एकशः सम्पत्'** यानी एक पंक्ति में खड़े रहो।

संघ की शाखा दैनिक रहती है, बहुत लोग कहते हैं—'हम देश के लिए यह करेंगे, वह करेंगे।' संघ के उस आरम्भ काल में भी कहते थे। डॉक्टर जी ने बतलाया, 'दिन के चौबीस घंटे रहते हैं।

उनमें से 23 घंटे आपके। देश के लिए एक घण्टा तो दो। समाज के लिए दो, यानी संघ के लिए दो। यानी जीवन की ऐसी रचना करो कि उस घण्टे में मैं स्वयं का विचार नहीं करुँगा, अपनी नौकरी का, अपने काम–धन्धे का विचार नही करुंगा। संघ का विचार करूंगा, यह व्रत समझो।'[2]

स्वयंसेवक

दूसरा शब्द है, स्वयंसेवक। धन या वेतन लेकर काम करने वाले स्वयं को 'सेवक' (नौकर) समझते हैं। लेकिन संघ का कार्यकर्त्ता यह स्वयंसेवक है, अर्थात् वह संघ के यानी समाज के किसी भी कार्य के लिए बदले में कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं रखता। संघ, कार्य है, अपनी मातृभूमि की सेवा का कार्य। डॉक्टर जी ने कहा, 'हम सब अपनी मातृभूमि के स्वयंसेवक हैं, अर्थात् बदले में कुछ मिलेगा, ऐसी आशा या अपेक्षा न रखने वाले हम लोग हैं। इसलिए संघ में वेतन नहीं है, मानधान भी नहीं है।'

संघ के आयाम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सम्पूर्ण समाज का संगठन है। डॉक्टर जी का उद्देश्य समाज में कोई संगठित टोली निर्माण करने का नहीं था। एक बार नागपुर में हिन्दू–मुसलमानों के दंगे का वायुमंडल निर्मित हुआ था। हिन्दुत्व का जिसे गर्व था, ऐसे एक नेता ने डॉक्टर जी से पूछा, 'नागपुर में दंगा हुआ तो आपका संघ क्या करेगा?' डॉक्टर जी ने उत्तर दिया, 'मैं सब स्वयंसेवकों को कार्यालय में बुलाऊँगा और रजाई ओढ़कर सो जाने के लिए कहूँगा।' इस उत्तर में महान् अर्थ भरा है। वह अर्थ यह है कि दंगे के समय सब समाज को अपने–अपने घरों के दरवाजे, खिड़कियाँ बन्द करते हुए आराम करना है और संघ स्वयंसेवकों को कंधों पर डण्डा रखते हुए मुहल्लों में गश्त लगानी है, इसलिए संघ नहीं चल रहा है, यह डॉक्टर जी बतलाना चाहते थे।[3]

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। वहीं, करीब 200 से ज्यादा संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं। संघ से जुड़े ऐसे पंजीकृत संगठनों की संख्या चालीस से ऊपर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के अनुषांगिक संगठनों में प्रमुख संगठन निम्नलिखित हैं–

(1) जनसंघ,
(2) विद्यार्थी परिषद्,
(3) विश्व हिन्दू परिषद्,
(4) मजदूर संघ,
(5) सेवा भारती,
(6) लोक भारती,
(7) दीनदयाल अनुसंधान संस्थान।

आर.एस.एस. के स्वयंसेवकों ने इन संगठनों को शुरू किया और उनका समर्थन किया। इन संगठनों को सामूहिक रूप से संघ परिवार के नाम से जाना जाता है। संघ परिवार में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। प्रमुख संगठनों का परिचय इस प्रकार है–

1. जनसंघ

अखिल भारतीय जनसंघ भारत का एक पुराना राजनैतिक दल है, पहले इसका नाम भारतीय जनसंघ था। इस दल की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गयी थी। इसके तीन संस्थापक सदस्य थे– श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय। इस पार्टी का चुनाव चिह्न दीपक था। इसने 1952 के संसदीय चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी जिसमे डाक्टर मुखर्जी स्वयं भी शामिल थे।

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल (1975–1976) के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनैतिक दलों का विलय करके एक नए दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। आपातकाल से पहले बिहार विधानसभा के भारतीय जनसंघ के विधायक दल के नेता लालमुनि चौबे ने जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन में बिहार विधानसभा से

अपना त्यागपत्र दे दिया।[4]

सन 1980 में जनता पार्टी टूट गयी। भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से अलग होकर समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के नेताओं के साथ मिलकर 'भारतीय जनता पार्टी' का गठन किया। उसके बाद भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर बलराज मधोक ने अखिल भारतीय जनसंघ को चुनाव आयोग से पंजीकरण कराकर भारतीय जनसंघ को बनाए रखा। प्रोफेसर बलराज मधोक 2016 तक अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे। उनकी मृत्यु के पश्चात् अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आचार्य भारतभूषण पाण्डेय हैं।

अखिल भारतीय जनसंघ की कथित विचारधारा एकात्म मानववाद सर्वप्रथम 1965 में दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी। जनसंघ के अध्यक्ष निम्न थे–डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलि चन्द्र शर्मा (1954), प्रेम नाथ डोगरा (1955), आचार्य देवप्रसाद घोष (1956–59), पीताम्बर दास (1960), अवसरला राम राव (1961), आचार्य देवप्रसाद घोष (1962), रघु वीर (1963), आचार्य देवप्रसाद घोष (1964), बच्छराज व्यास (1965), बलराज मधोक (1966), दीनदयाल उपाध्याय (1967–68), अटल बिहारी वाजपेयी (1969–72), लालकृष्ण आडवाणी (1973–77)।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी या विद्यार्थी परिषद्)

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी या विद्यार्थी परिषद) एक भारतीय छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 9 जुलाई, 1949 को संघ कार्यकर्त्ता बलराज मधोक जी की अगुआई में की गयी थी।

एबीवीपी का उद्देश्य

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्थापना का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय पुनर्निर्माण है। विद्यार्थी परिषद् के अनुसार, छात्रशक्ति ही राष्ट्रशक्ति होती है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए छात्रों में राष्ट्रवादी चिंतन को जगाना ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का मूल उद्देश्य है।

प्रारंभिक छात्र परिषद् की संरचना के एक उदाहरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, शस्त्र सार्जेंट, धन उगाहने वाला अधिकारी, इतिहासकार, लड़कों का प्रतिनिधि, लड़कियों का प्रतिनिधि और सिर्फ सदस्य शामिल हो सकते हैं। इन भूमिकाओं को छात्र परिषद् के भीतर या संपूर्ण छात्र निकाय द्वारा सौंपा या वोट दिया जा सकता है।

विश्व हिन्दू परिषद्

विश्व हिन्दू परिषद् एक हिन्दुत्व विचारधारा से प्रेरित संगठन है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का एक अनुषांगिक संगठन है। विश्व हिन्दू परिषद् को वीएचपी और विहिप के नाम से भी जाना जाता है। विहिप का चिह्न बरगद का पेड़ है, यानी वट वृक्ष है और इसका ध्येय वाक्य, 'धर्मो रक्षति रक्षितः' यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। यहाँ धर्म का मूल अर्थ किसी व्यक्ति की आत्मा के मूल कर्त्तव्य से है न कि किसी धर्म विशेष से है।

विश्व हिन्दू परिषद् की स्थापना 1964 में हुई। इसके संस्थापकों में स्वामी चिन्मयानंद, एसएस आपटे, मास्टर तारा सिंह थे। पहली बार 21 मई, 1964 में मुंबई के संदीपनी साधनाशाला में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन आरएसएस सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने बुलाई थी। इस सम्मेलन में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। सम्मेलन में गोलवलकर ने कहा कि भारत के सभी मतावलंबियों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदू, हिन्दुस्तानियों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और यह धर्मों से ऊपर है।[5]

प्रस्तावित संगठन का नाम विश्व हिंदू परिषद् होगा। 1966 के प्रयाग के कुंभ मेले में एक विश्व

सम्मेलन के साथ ही इस संगठन का स्वरूप सामने आया। आगे यह फैसला किया गया कि यह गैर–राजनीतिक संगठन होगा और राजनीतिक पार्टी का अधिकारी विश्व हिंदू परिषद् का अधिकारी नहीं होगा। संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य कुछ इस तरह तय किए गए–

(1) हिंदू समाज को मजबूत करना।
(2) हिंदू जीवन दर्शन और अध्यात्म की रक्षा, संवर्द्धन और प्रचार।
(3) विदेशों में रहने वाले हिंदुओं से तालमेल रखना, हिंदू और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्हें संगठित करना और मदद करना।

विश्व हिन्दू परिषद् की संस्थाएँ

- बालवाड़ी
- पाठशाला
- महाविद्यालय
- अस्पताल
- आरोग्यशाला केंद्र
- गाय सेवा आरोग्य–रक्षक
- गौशाला गोमूत्र व गोमय से विविध औषधि निर्माण उद्योग
- खेती विकास प्रकल्प
- ग्राम विकास योजना
- रोजगार प्रशिक्षण उपक्रम
- विभिन्न जातियों का परस्पर समन्वय

भारतीय मजदूर संघ

भारतीय मजदूर संघ भारत का सबसे बड़ा केन्द्रीय श्रमिक संगठन है। इसकी स्थापना भोपाल में महान विचारक दत्तोपन्त ठेंगडी द्वारा प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जन्मदिवस 23 जुलाई, 1955 को हुई। भारत के अन्य श्रम संगठनों की तरह यह किसी संगठन के विभाजन के कारण नहीं बना, वरन् एक विचारधारा के लोगों के सम्मिलित प्रयास का परिणाम था।[6]

यह देश का पहला मजदूर संगठन है, जो किसी राजनैतिक दल की श्रमिक इकाई नहीं, बल्कि मजदूरों का, मजदूरों के लिए, मजदूरों द्वारा संचालित अपने में स्वतन्त्र मजदूर संगठन है। स्थापना के पश्चात् द्रुत गति से उन्नति करते हुए आज यह देश में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला मजदूर संगठन है। भारतीय मजदूर संघ तथा भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ सम्बन्धित एक इकाई भारतीय संरक्षण कामगार संघ आयुध निर्माणी, देहूरोड पूना, महाराष्ट्र में है।[7]

भारतीय मजदूर संघ के छोटे–बड़े प्रत्येक कार्यक्रम का शुभारम्भ इस प्रकार के गीत से होता है–

मानवता के लिए उषा की किरण जगाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।
हम अपने श्रम सीकर से ऊसर में स्वर्ण उगा देंगे,
कंकड़ पत्थर समतल कर काँटों में फूल खिला देंगे।
सतत् परिश्रम से अपने हैं वैभव लाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।
अन्य किसी के मुँह की रोटी हरना अपना काम नहीं,
पर अपने अधिकार गंवा कर, कर सकते आराम नहीं।
अपने हित, औरों के हित का मेल मिलाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।
रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा आवश्यकता जीवन की,
व्यक्ति और परिवार सुखी हो तभी मुक्ति होती सच्ची।
हँसते–हँसते राष्ट्र कार्य में शक्ति लगाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।
भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है,
युग–युग से मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है।
जीवन शक्ति उसी माता को भेंट चढ़ाने वाले हम,
शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।

सेवा भारती

सेवा भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चालित एक प्रकल्प है। यह मुख्यतः वनवासी क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य हैं–शिक्षा, संस्कार, सामाजिक जागरूकता, स्वरोजगार, धर्म–परिवर्तन से वनवासियों की रक्षा, आदि। यह

एक गैर–सरकारी संगठन है, जो कि भारतीय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए वाले, जनजातीय और स्वदेशी समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। यह हजारों केंद्रों के अपने देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सहायता, शिक्षा, साथ ही स्वाबलंबन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई कल्याणकारी और सामाजिक सेवा कार्यक्रमों को शुरू करके शहरी झोपड़–पट्टियों और पुनर्वास कॉलोनियों के बीच भी काम करता है। यह सैंकड़ों जिलों में साल भर लाखों गतिविधियों को चलाता है। आपदा (बाढ़, भूकम्प, आदि) के समय बढ़–चढ़कर समाज के हर हिस्से में सहायता के लिए बिना भेद–भाव तत्पर रहती है।

सेवा भारती के कुछ और प्रकल्प भी हैं जिसमें मातृ मंडल सेवा भारती, युवा भारती इत्यादि हैं। मातृ मंडल सेवा भारती बहनों का एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बहुत सारे संस्कार केंद्र, शिक्षा केंद्र, सिलाई केंद्र, कढ़ाई केंद्र, महिलाओं के उत्थान हेतु कार्य किए जाते हैं। विभिन्न–विभिन्न सेवा बस्तियों में कार्य करने हेतु प्रकल्प चलाए जाते हैं, जिसमें महिलाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है; जो महिलाएँ सिलाई, कढ़ाई सीखना चाहती हैं उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु ट्रेनिंग दी जाती है। उनके बच्चों को या आसपास के बच्चों को संस्कार केंद्र की मदद से संस्कार दिए जाते हैं, जिसमें प्रातः उठना, माता–पिता का चरण स्पर्श, परिवार में रहना, अच्छे से बर्ताव करना, पढ़ाई करना, चित्रकला, संगीत, सामान्य ज्ञान, संस्कृत तथा अन्य विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। ऐसे कार्य सेवा भारती के द्वारा ही किए जाते हैं।[8]

लोक भारती

नरसिंह प्रसाद कालिदास (जिन्हें नानाभाई भट्ट के नाम से जाना जाता है।) प्रख्यात शिक्षाविद्, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी और एक रचनात्मक लेखक थे। उनका जन्म 11 नवम्बर, 1882 को भावनगर में हुआ। नानाभाई, गिजुभाई बधेका और हरभाई त्रिवेदी के समकालीन और भावनगर की मशहूर त्रिमूर्ति थे, जिन्होंने भारत में शिक्षा सुधार, ग्रामीण विकास और बाल शिक्षा के क्षेत्र में महान प्रेरणा और दृष्टि छोड़ी। नानाभाई भट्ट दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन/दक्षिणार्थी विनय मंदिर–भावनगर, ग्राम दक्षिणामूर्ति–अम्बाला और सिहोर ब्लॉक सनोसारा स्थित लोक भारती, भावनगर जैसे प्रतिष्ठित और अद्वितीय शैक्षिक संस्थानों के संस्थापक रहे।

दीनदयाल शोध संस्थान

दीनदयाल शोध संस्थान नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित एक ग्रामीण विकास संस्था है। इसकी स्थापना सन् 1972 में की गयी थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्य उद्देश्य दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को फलीभूत करना है।

दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना साल 1968 में नानाजी देशमुख ने की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मकसद पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाना है। दीनदयाल शोध संस्थान को दिए गए सभी दान, धारा 80 (जी), 35 के तहत कर मुक्त है। यह संस्थान, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान, पालीवाल पार्क परिसर, आगरा की स्थापना साल 1999 में हुई थी। यह संस्थान, ग्रामीण विकास और इससे जुड़े विषयों में शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देता है।[9]

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार का एक शीर्ष संस्थान है। यह संस्थान, विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की गतिविधियों में लगा है।

इसके द्वारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गोण्डा

जिले के जयप्रभा ग्राम में सन् 1978 में कार्य आरम्भ किया गया। गोण्डा में कार्य की सफलता के बाद इसे अन्य राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश (चित्रकूट), महाराष्ट्र आदि में इसका प्रसार किया गया।[10]

संस्थान के दिल्ली मुख्यालय में बहुत सी गतिविधियाँ चलायी जाती हैं। वहाँ एक पुस्तकालय है, संदर्भ प्रभाग है। वे लोग राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर कार्यशालायें आयोजित करते हैं। विद्यार्थियों के लिये स्पर्धाएँ आयोजित की जातीं हैं। भविष्य में सम्यक् प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र खोलने की योजना है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुरु जी, जीवन चरित्र–रंगा हरि, श्रीभारती प्रकाशन, डॉ. हेडगेवार भवन परिसर, महाल, नागपुर
2. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–लक्ष्य और कार्य, राजेन्द्र कुमार, लोकहित प्रकाशन, संस्कृति भवन, लखनऊ
3. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–विचार और लक्ष्य, राजेन्द्र कुमार, लोकहित प्रकाशन, संस्कृति भवन, लखनऊ
4. संघ का समाज में बढ़ता समर्थन–सम्पर्क योजना पत्रक–6, डॉ. हेडगेवार भवन, 37 मॉडल टाऊन, अमृतसर–143001
5. संघ चिंतन, उमाकान्त केशव आपटे, सुरुचि प्रकाशन, केशव कुंज, झण्डेवाला, नई दिल्ली
6. संघ विचार–उमाकान्त केशव आपटे, सुरूचि प्रकाशन, केशव कुंज, झण्डेवाला, नई दिल्ली
7. परिवार प्रबोधन, सुरुचि प्रकाशन, केशव कुंज, झण्डेवाला, नई दिल्ली–110055
8. आर.एस.एस. साक्षात्कार, नरेन्द्र ठाकुर, विचार विनमय प्रकाशन, नई दिल्ली–110055
9. संघ–राजनीति और मीडिया, देवेन्द्र स्वरूप, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली–110006
10. संघ–बीज से वृक्ष, देवेन्द्र स्वरूप, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली–110006

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 29th Feb. 2024 Paper Accepted : 7th March 2024

PHYTO-CONSTITUENTS PROFILE OF *POLYGONUMGLABRUM* AND ITS APPLICATIONS

□ Mina Devi Shyam Rai*
□ Dr. Dinesh Kumar Singh**

ABSTRACT

*Polygonumglabrum*isA miracle plant that has wide range of medicinal applications. The aim of the present study is to Phyto-constituents profile of *Polygonumglabrum. Standard protocosls*were followed to determine the phytochemical properties of *Polygonumglabrum.* The plant has been effectively screened for*antihepatotoxic, antinephrotoxic, antimicrobial, anticancer, antidepressant, analgesic and antioxidant activities.* The plant contains many flavonoids including*diosmetin, rutin, hyperin and quercitrin.* This plant may prove quite useful for discovery of novel drugs for treatment of dreadful diseases.

Keywords: *Polygonumglabrum, phyto-chemicals, novel drugs, diseases*

INTRODUCTION

Polygonumglabrum, often known as thick flower knotweed, isA semi-aquatic perennial plant that grows 3 to 4 feet tall. It belongs to the polygonaceae family and the genus Polygonum (Sharif et al, 2013). This genus has overA hundred species, approximately seventy of which may be found in India's marshlands. It is an annual plant that grows in damp environments such as riverbanks, channels, and tank beds. It is completely glabrous, with dilated nodes. It is spread across India. Polygonumglabrum's chromosomal number is 2n=66 (Devarajan et al., 2018). The surface of leaves is hairless and contains several stomatal complexes. This marsh plant produces clusters of gorgeous pink blooms that attract butterflies and insects.

The plant is regardedA promising source for botanical bioremediation since it may collect heavy metals such as nickel and arsenic in its tissues. The plant's most characteristic feature is the presence ofA membrane or hyaline sheath that connects the stipules.

Different species such as *Polygonumacuminatum, amplexicaule, abanicum, bistorta, bolanderi, capitatum, chinense, cuspidatum, erectum, flaccidum, hypoleucumlapathifolium, minus,nutallii, ramosissimum, stagninumtinctorium, viscosum*etc are found. The Polygonaceae family is famous for its many therapeutic plants and their role in traditional medicine. Many classic qualities are offered by

* *Research Scholar, Department of Botonny*, Shri JJTUniversity, Jhunjhunu, Rajasthan
** *Associate Professor, Department of Botonny*, Shri JJTUniversity, Jhunjhunu, Rajasthan

the glabrum species of Polygonum. According to Shahed-Al-Mahmud and Lina, 2017, the root paste is used asA remedy for snake bites by the Chattisgarh people. Jaundice and piles are treated with the root stock in certain locations. According to Bussmann, (2016), the leaves have antimalarial properties in Sudan. According to Soudahmini et al. et al. (2007), the leaves of the Polygonumglabrum plant are used to cure diarrhoea in southern India.

Cardiotonic, astringent, and anthelmentic properties are attributed toA leaf and seed decoction (Hailemariam et al, 2018). According to Kubinovaet al. (2014), the whole plant decoction may alleviate the discomfort of colic and pneumonia. Additionally,A boiling paste can be applied to cuts and wounds.The whole plant is not only utilized medicinally, but also pulverized and used as fishing bait. Rashtatism may be alleviated by using the stem's peel.

Polygonumglabrum has been researched for several pharmacological properties due to its historic usage. Extensive research has been conducted using many cell lines and animals in both in vitro and in vivo settings. Listened to were details on the pharmacological profile of *Polygonumglabrum*. The aim of the present study is to Phyto-constituents profile of *Polygonumglabrum.*

Materials and Methods

Whole plant of *Polygonumglabrum* and *Buddlejaasiatica* were used in this examination. Usage of analytically high chemical salong with reagents from Lotuschemicalsand Coastal Enterprises Pvt. Ltd.

Preparationofextracts

After collecting the *Polygonumglabrum* plants, they were thoroughly rinsed with water and the components that had been shade dried were ground intoA powder usingA pulverizer. Homogenized and seivedfine powder of *Polygonumglabrum* were separately extracted. Dependingon polarity, starting with petroleum ether followed by chloroform the air dried out powder wasloaded in soxhlet extractor this process was further followed with ethylacetate and ended withmethanol successively. The solvents that were not used in the extractions were evaporated using rotating flash andA hot plate. The remaining solvents were then stored in desiccators for further examination.

Phytochemicalscreening

As per standard laboratory assessments, preliminary screening of petroleume therextract, ethylacetateextract, chloroformextract and methanolextract from powdered *Polygonum glabrum* was carriedout (Tiwariet al., 2011).

TLC study of different extracts of *Polygonumglabrum*

The plates were air-dried after about 10µL of each extract was pipetted onto them. Many other solvent systems were used to create the plates. Chromatograms were examined usingA combination of visible and ultraviolet light, iodine vapour, and specific spraying reagents (Wagner and Bladt,1996).

RESULTS AND DISCUSSIONS

Using models such as the behavioural despair test, the tail suspension test, and the L-dopa induced hyperactivity and aggressive behaviour test, researchers looked at the antidepressant effects of an aqueous extract of *Polygonum-glabrum* leaves. Researchers also performed neurochemical analyses in the brain's cortex, hypothalamus, and hippocampus. The plant's antidepressant effects were discovered to be mediated via systems that include monoamines, such as dopamine and nor-epinephrine (Saha, et al, 2005).

Table 1 : Ethnomedical profile of *Polygonumglabrum*

Plant parts	Route of administration	Uses
Roots	Juice paste	Snakebite, Jaundice, Febrifuge, Piles
Leaves	Extractisboiled with commonsalt and used	Dysentry, Antimalaria

Seeds, Leaves	Decoction	Cardiotonic, astringent, anthelmentic
Whole Plant	Infusion, boiledpaste	Pneumonia, cutsandwounds, colicpain
Stem	Peelsfromstem	Rheumatism

Antileishmanialactivity

Researchers looked examined the anti-leishmanial efficacy of an aqueous extract of the whole Polygonumglabrum plant inA laboratory setting. The test used amphoterecin B as the reference medication andA 96-well ELISA plate with flat bottoms. Leishmaniatropica strain promastigote promastigotes were used. The proportion of death was examined at various concentrations ranging from 0.05 ug/mL to 500 ug/mL. According to Rahman et al. (2015), the test yielded LC50 and LC90 values of 7.25 ug/mL and 227.4 ug/mL, respectively.

Activities that target cells, stabilize membranes, and break blood clots in vitro cytotoxic, membrane stabilizing, and thrombolytic properties of the methanol extract of Polygonumglabrum leaves were evaluated. The extract also reduced the rate of hemolysis in hypotonic solution-induced factors by 79.21 ± 0.44% and 84.87±0.23%, respectively, in human erythrocytes. In addition to this, the methanol extract exhibited high levels of cytotoxicity with an LC50 value of 0.74 ±0.045 µg/mL (Smolarz et al., 2006).

Antihepatoxicactivity

The hepatoprotective efficacy of an ethanol extract from Polygonumglabrum leaves was tested. The research used albino rats, and hepatic damage was induced with carbon tetra chloride. According to Babitha et al. (2012), the extract restores normal levels of ALT, AST, and ALP, which in turn protects the liver.

Analgesicactivity

Researchers looked examined the analgesic effects ofA water-based extract from *Polygonum-glabrum* leaves. The study used Albino rats and Wister mice. Various models were examined for their analgesic effects.

Anti-inflammatoryactivity

Testing for anti-inflammatory characteristics inA battery of assays adjuvant-induced polyarthritis, the aqueous and ethanol extracts of the stems of Polygonumglabrum were examined. The study found that the aqueous and ethanol extracts were more effective when administered intravenously rather than orally (Takasaki, et al., 2001).

Antioxidantactivity

The in vitro anti-oxidant activity ofA methanol extract of Polygonumglabrum leaves was examined. We used the DPPH experiment to find out how well the extract scavenged radicals. Results showedA range of 28.6% to 62.6% for radical scavenging activity. According to the research conducted by Bulbul et al. (2013), Polygonumglabrum exhibited impressive antioxidant capabilities in an in vitro experiment.

Antimicrobial activity

Researchers looked at the antimicrobial and antifungal properties ofA methanol extract of *Polygonumglabrum* leaves. For all tested pathogens including Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, and Micrococcus luteus the extract showed the greatest degree of action, with peak zones of inhibition of 15, 11, 12, and 18 mm. The most significant suppression was seen against Pseudomonas aeruginosa, next S. aureus, and finally M. luteus. The extract exhibited an inhibition of 11 mm against both Candida albicans and Candida tropicalis, indicating substantial antifungal potential (Dzoyem et al., 2012).

Table 2 : Pharmacologicalsummary of Polygonumglabrum

Plant parts	Extract type	Animal/Micro-organism	Application
Leaves	Methanol	Shrimp -Artemiasalina	Cytotoxi-cactivity
Leaves	Ethanol	Albino rat	Antihepatoxic activity
Leaves	Aqueous	Ratand mice	Analgesic activity

Stem	Aqueous,	Rat	Antiinflammatory ethanol activity
Leaves	Methanol	*Invitro*test	Antioxidant activity
Whole plant	Methanol	Rat	Anti-pyretic activity
Whole plant	Methanol	Rat	Antinephrotoxic activity

Phytoconstituents profile of Polygonumglabrum

Flavanoids, sesqueterpene esters, N-(2-Furfuryl), (Doss and Parivuguna, 2015) of Polygonumglabrum were reported.

Table3 : Polygonumglabrum phytoconstituents :A comprehensive analysis

Phytoconstituents	Parts of plant	Structure	Class
Gallicacid	Seeds	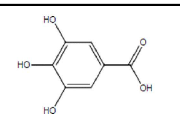	Phenolic acid
Vanillicacid	Seeds	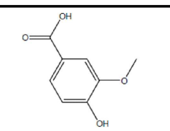	Phenolic acid
P-Hydroxybenzoicacid	Seeds	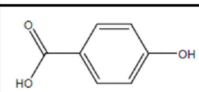	Phenolic acid
Protocatechuic acid	Seeds	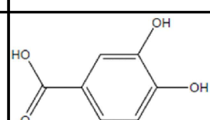	Phenolic Acid
Ciscoumaric acid	Seeds	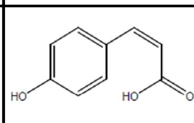	Phenolic acid
Transcoumaric acid	Seeds	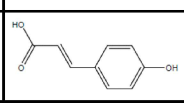	Phenolic acid

CONCLUSIONS

The phytochemical study revealed that Polygonum*glabrum* demonstrated that thisplant has substantial potential for the treatment of oxidative stress as well as myocardial necrosis. The presence ofA wide variety of significant metabolites in methanolic extracts of Polygonumglabrum may indicate the existence of new promising avenues for the identification of novel drugs.

REFERENCES

- Braga, F.G.; Bouzada, M.L.M.; Fabri, R.L.; Matos, M.D.O.; Moreira, F.O.; Scio, E.; Coimbra, E.S. Antileishmanial and antifungal activity of plants used in traditional medicine in Brazil. J. Ethnopharmacol. 2007, 111, 396–402.
- Bulbul, L.; Sushanta, S.M.; Uddin, M.J.; Tanni, S. Phytochemical and pharmacological evaluations of Polygonumlapathifolium stem extract for anthelmintic and antiemetic activity. Int. Curr. Pharm. J. 2013, 2, 57–62.
- Bussmann, R.W.; Glenn, A.; Sharon, D. Antibacterial activity of medicinal plants of Northern Peru–can traditional applications provide leads for modern science. Indian J. Tradit. Knowl. 2010, 9, 742–753.
- Devarajan, S.; Yahiro, E.; Uehara, Y.; Kuroda, R.; Hirano, Y.; Nagata, K.; Miura, S.; Saku, K.; Urata, H. Depressor effect of the young leaves of Polygonumhydropiper Linn. in high-salt induced hypertensive mice. Biomed. Pharmacother. 2018, 102, 1182–1187.
- Dzoyem, J.P.; Nkuete, A.H.; Kuete, V.; Tala, M.F.; Wabo, H.K.; Guru, S.K.; Rajput, V.S.; Sharma, A.; Tane, P.; Khan, I.A.; et al. Cytotoxicity and antimicrobial activity of the methanol extract and compounds from Polygonumlimbatum. Planta Med. 2012, 78, 787–792
- Hailemariam, A.; Feyera, M.; Deyou, T.; Abdissa, N. Antimicrobial Chalcones from the Seeds of Persicarialapathifolia. Biochem. Pharmacol. 2018, 7, 2167-0501.
- Kubinova, R.; Pořízková, R.; Bartl, T.; Navratilova, A.; Cížek, A.; Valentova, M. Biological activities of polyphenols from Polygonumlapathifolium. Bol. Latinoam. Caribe Plantas Med. Aromát. 2014, 13, 506–516.
- Saha, A.; Chowdhury, K.K.; Bachar, S.C.; Roy, S.C.; Kundu, J.K. Anti-inflammatory, analgesic and diuretic activity of PolygonumlanatumRoxb.

Pak. J. Pharm. Sc. 2005, 18, 13–18.

- Shahed-Al-Mahmud, M.; Lina, S.M.M. Evaluation of sedative and anxiolytic activities of methanol extract of leaves of Persicariahydropiper in mice. Clin. Phytosci. 2017, 3, 20.
- Sharif, S.; Shahriar, M.; Haque, M.A.; Chowdhury, Z.S.; Islam, M.R.; Bhuiyan, M.A. In-vitro antioxidant activities, anti-nociceptive and neuropharmacological activities of Polygonumhydropiper. J. Biol. Agric. Healthc. 2013, 3, 61–71.
- Smolarz, H.D.; Mendyk, E.; Bogucka-Kocka, A.; Kockic, J. Pinostrobin–an anti-leukemic flavonoid from Polygonumlapathifolium L. ssp. nodosum (Pers.) Dans. Z. Naturforsch. C 2006, 61, 64–68.
- Takasaki, M.; Konoshima, T.; Kuroki, S.; Tokuda, H.; Nishino, H. Cancer chemopreventive activity of phenylpropanoid esters of sucrose, vanicoside B and lapathoside A, from Polygonumlapathifolium. Cancer Lett. 2001, 173, 133–138.
- Wagner, H. and Bladt, S. (1996) Plant Drug Analysis:A Thin Layer Chromatography Atlas. 2nd Edition, Springer-Verlag, Berlin.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 15th Jan. 2024

Paper Accepted : 27th Jan. 2024

महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन

❑ कौशलेन्द्र सिंह*
❑ डॉ. शिखा वर्मा**

शोध-सारांश

प्रकृति ने हमें प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, भूमि व खनिज पदार्थ आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये हैं। परन्तु मानव जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण और दोहन एवं औद्योगिक विकास योजनाओं के कार्यान्वियन में पर्यावरण की उपेक्षा आदि कार्यों से पर्यावरण के घटकों में कई प्रतिकूल परिवर्तन आये हैं। कहा जाता है कि प्रकृति हर ऐसी चीज का मनुष्य जाति से प्रतिशोध लेती है जो प्रकृति की क्षय के लिए जिम्मेदार हो और देखा जाय तो वर्तमान में मनुष्य ही पर्यावरण के क्षय का जिम्मेदार है। पहले यह समस्या आम बात थी, परन्तु इस समय यह बहुत बड़ी समस्या हो गयी है, जिसका निराकरण धरती पर मानव एवं समस्त सजीवों के अस्तित्व को बचने के लिए जरूरी है, हालाँकि देश में पर्यावरण के बचाव के लिए हमारी सरकार तथा बहुत से जिम्मेदार संगठनों द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी इस समस्या के समूल निवारण के लिए इसको जन-आन्दोलन में बदलना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भी शोधकर्त्ता द्वारा महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के मध्य पर्यावरण जागरूकता के अध्ययन पर किया गया एक प्रयास है।

मुख्य शब्द—*महाविद्यालय, छात्र-छात्रा, पर्यावरण जागरूकता, दृष्टिकोण, मध्यमान, मानक विचलन, क्रान्तिक अनुपात इत्यादि।*

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए उसे अपने आस-पास के वातावरण के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है तथा उस वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी उसी की ही है। सामाजिक होने से उसका नैतिक कर्त्तव्य बनता है कि वह पर्यावरण के साथ अपना सजीव रिश्ता कायम रखे। पर्यावरण और उसके विशिष्ट आयामों की

* *शोधछात्र, शिक्षा संकाय,* डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ.प्र.)
** *शोध निर्देशिका, प्रोफेसर, शिक्षा संकाय,* का.सु. साकेत पी.जी. कॉलेज, अयोध्या (उ.प्र.)

पहचान कर उसका अध्ययन करना ही पर्यावरण के अन्तर्गत आता है।

विश्वकोश के अनुसार, ''पर्यावरण के अन्तर्गत उन सभी दशाओं, संगठन और प्रभावों को शामिल कि जाता है। जो किसी जीव अथवा प्रजाति के उद्भव, विकास एवं मृत्यु को प्रभावित करती है।'' शिक्षा मानव-जीवन के विकास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। जब किसी राष्ट्र या समाज में परिवर्तन-चेतना की आवश्यकता का अनुभव हुआ है तब बुद्धिजीवी वर्ग की निगाहें शिक्षा पर ही आकर टिकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण रक्षा के लिए वर्तमान में पर्यावरणीय शिक्षा को प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में विशेष स्थान दिये जाने पर जोर दिया जा रहा है। पर्यावरणीय रक्षा हेतु विश्वस्तरीय प्रयास भी किये गये हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान इस ज्वलन्त समस्या की ओर है। विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के सन्दर्भ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नेशनल काउन्सिल की स्थापना प्रकृति के संरक्षण के लिए की गई है, जो कि राष्ट्र के सभी व्यक्तियों को इसके नियमों को पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है, क्योंकि पर्यावरण के संरक्षण हेतु दुनियाँ तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा, तभी हम स्वयं तथा इस संसार के अस्तित्व को कायम रख सकेंगे।

शोध की आवश्यकता एवं महत्त्व

पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है तथा इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। वर्तमान समय को देखते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण पारिवारिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन है। मानवीय सोच में आये बदलाव ने ही प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है। पर्यावरणीय असंतुलन के फलस्वरूप आज मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लग गया है। अतः वर्तमान समय में आवश्यकता है, मानवीय सोच, उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन करने की और निश्चित रूप से यह कार्य शिक्षा ही कर सकता है। आज आवश्यकता है कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रारम्भ से ही पर्यावरण घटकों के प्रति सचेत किया जाये। उच्च शिक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक करके इसके संरक्षण में अधिकतम योगदान लिया जा सकता है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं तथा उन्हें अच्छे एवं बुरे का भली-भाँति ज्ञान होता है। वे पर्यावरण की आवश्यकता को सहजता एवं सरलता से समझ सकते हैं व इसके बचाव में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। इसलिये आज के सन्दर्भ में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। शोधकर्त्ता ने भी पर्यावरण जागरूकता के प्रति महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए यह शोध कार्य किया है, क्योंकि शोधकर्त्ता का मानना है कि इस पुण्य कार्य में इस वर्ग के विद्यार्थी अहम् भूमिका निभा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शोधकर्त्ता ने यह शोध कार्य किया है।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्त्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

किसी भी विषय के विकास में किसी विशेष शोध प्रारूप का स्थान बनाने के लिए शोधकर्त्ता को पूर्व-सिद्धान्तों एवं शोधों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए। इस जानकारी को निश्चित करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान में प्रत्येक शोध प्रारूप की प्रारम्भिक अवस्था में इसके सैद्धान्तिक एवं शोधित साहित्य की समीक्षा करनी होती है, यहाँ साहित्य समीक्षा का अर्थ दिया गया है।

रेड्डी डिम्पल एवं तिवारी संजीत (2017) ने ''रायपुर जिले के उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन'' किया, प्रस्तुत अध्ययन हेतु रायपुर जिले के 30 विद्यालयों का चयन कि गया है। जिसमें 15 शासकीय और 15 अशासकीय विद्यालय शामिल हैं। 15 शासकीय विद्यालय के 300 विद्यार्थी व 15 अशासकीय विद्यालय के 300 विद्यार्थी

इस प्रकार कुल 600 विद्यार्थियों का चयन प्रतिदर्श के रूप में किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के आँकड़ों के संकलन के लिए प्रवीन कुमार झा द्वारा निर्मित पर्यावरण जागरूकता मापनी का प्रयोग किया गया है। प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण के लिए टी-परीक्षण का प्रयोग किया गया एवं निष्कर्ष में पाया गया कि उच्चतर माध्यमिक स्तर के शासकीय विद्यालय एवं अशासकीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं के पर्यावरण जागरूकता के मध्य अन्तर नहीं है।

सिजिमोल और सुधा (2019) ने माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता पर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की पर्यावरण जागरूकता का आंकलन करने के लिए स्कूल द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की जाँच करने का प्रयास किया गया। छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता में सुधार के लिए स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए शिक्षकों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम का उपयोग किया गया। इस अध्ययन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि विद्यालय द्वारा संचालित पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय के छात्रों की पर्यावरण जागरूकता में सुधार हुआ है।

शिव कुमार (2022) ने स्नातकोत्तर छात्रों के पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर पर्यावरण शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया। यह छात्रों की पर्यावरण शिक्षा के सम्बन्ध में पर्यावरण के प्रति अनुकूल रवैये के स्तर का अध्ययन करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस उद्देश्य के लिए 120 स्नातकोत्तर छात्रों का चयन किया गया और उन्हें पर्यावरण प्रदूषण रवैया पैमाना दिया गया। यह पाया गया कि पर्यावरण शिक्षा पृष्ठभूमि वाले छात्रों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण बेहतर था।

शोबेरी (2022) ने भारत और ईरान में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के पर्यावरण जागरूकता पर एक अध्ययन किया। परिणामों ने संकेत दिया कि भारतीय और ईरानी छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता के स्तर में महत्त्वपूर्ण अन्तर है। साथ ही, उनके लिंग के सम्बन्ध में दो समूहों के भीतर पर्यावरण जागरूकता में उनके बीच महत्त्वपूर्ण अन्तर थे। साथ ही, स्कूल का प्रकार एक ऐसा कारक था जो दोनों देशों में छात्रों की पर्यावरण जागरूकता को प्रभावित कर सकता है।

शोध अध्ययन विधि

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध का न्यादर्श

प्रस्तुत शोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में लखनऊ जनपद के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी महाविद्यालयों में अध्ययनरत 200 छात्रों (100 ग्रामीण तथा 100 शहरी छात्र) तथा 200 छात्राओं (100 ग्रामीण तथा 100 शहरी छात्राएँ) को simple random method से सम्मिलित किया गया है।

प्रयुक्त शोध उपकरण

पर्यावरण जागरूकता क्षमता मापनी

प्रस्तुत शोध में विद्यार्थियों के पर्यावरण जागरूकता से सम्बन्धित दृष्टिकोण को मापने के लिए डॉ. प्रवीण कुमार झा द्वारा निर्मित एवं प्रमापीकृत पर्यावरण जागरूकता क्षमता मापनी का प्रयोग किया गया है।

वर्तमान उपकरण 'पर्यावरण जागरूकता क्षमता स्केल' का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण और इसके संरक्षण के बारे में लोगों की जागरूकता की सीमा और स्तर को मापना है। यह पैमाना लोगों की उस पर्यावरण के महत्त्व के बारे में समझ का पता लगता है जिसमें वे रहते हैं और विभिन्न कानूनों, एन.जी.ओ. के जन-जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के प्रयास कितने सफल हैं? और अन्य एजेंसियाँ मास-मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिण्ट-मीडिया के माध्यम से अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रकार, वर्तमान उपकरण लोगों के ज्ञान का आंकलन करने और साथ ही उनकी पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार समग्र रूप से पर्यावरण के निम्नलिखित आयामों के आधार पर एक पर्यावरण जागरूकता क्षमता पैमाने का निर्माण किया गया—

(ए) प्रदूषण के कारण,

(बी) मिट्टी, जंगल, वायु आदि का संरक्षण,

(सी) ऊर्जा संरक्षण,

(डी) मानव स्वास्थ्य का संरक्षण,

(ई) वन्य जीवन और पशुपालन का संरक्षण।

उपरोक्त पाँच आयामों पर आधारित 71 कथन तैयार किये गये, तत्पश्चात् उन्हें विशेषज्ञ निर्णय के अधीन किया गया, जहाँ प्रत्येक आइटम को पर्यावरण की सामग्री और मानदण्ड की प्रासंगिकता पर पारित करना आवश्यक था। विशेषज्ञों से स्केल आइटमों को मान्य करने के लिए सामग्री का अनुरोध किया गया था। यह स्केल आइटमों की सामग्री वैधता स्थापित करने की दृष्टि से किया गया था। उनकी राय और टिप्पणियों के आधार पर 10 वस्तुओं को पुनः तैयार करना पड़ा और समग्र अस्पष्टता के लिए 10 को हटा दिया गया। फिर 61 वस्तुओं की एक सूची (48 सकारात्मक और 13 नकारात्मक शब्दों सहित) को अन्तिम रूप दिया गया। परीक्षण को व्यापक रूप से उपयोगी बनाने के लिए, आइटम हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किये गये थे। आइटम विश्लेषण करने के लिए बिहार के सहरसा शहर के हाई स्कूल और इण्टर कॉलेजों से 100 विषयों को यादृच्छिक रूप से चुना गया था। उनकी प्रतिक्रियाओं को सहमत/असहमत श्रेणियों का उपयोग करके स्कोर किया गया था। सकारात्मक वस्तुओं के मामले में सहमत और नकारात्मक वस्तुओं के मामले में असहमत की प्रतिक्रिया श्रेणी को 1 (एक) का संख्यात्मक वेटेज सौंपा गया था।

61 आइटम वाले दूसरे ड्राफ्ट का आइटम विश्लेषण चरम समूह तुलना पद्धति का उपयोग करके किया गया था। आइटमों के लिए निर्दिष्ट मानों के साथ प्रतिक्रिया आवृत्तियों को एक मास्टर शीट पर सारणीबद्ध किया गया था। फिर उत्तरदाताओं के कुल अंकों की सावधानीपूर्वक जाँच की गई। उसके बाद इन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया (सर्वोच्च अंक रखा गया, सबसे ऊपर और सबसे कम अंक सबसे नीचे रखा गया था।) फिर कुल मामलों में से शीर्ष 27% और निचले 27% मामलों को दो समूह बनाने के लिए लिया गया। दो समूहों के अंकों के प्रतिशत की गणना मदवार की गई। उसके बाद दो समूहों के अंकों के बीच द्विक्रमिक सह-सम्बन्ध गुणांक की गणना फलागणन की तालिका के आधार पर की गई। इन सह-सम्बन्धों की सावधानीपूर्वक जाँच की गई और शून्य या 0.20 से कम मान दिखाने वाली वस्तुओं को असन्तोषजनक होने के कारण हटा दिया गया। इस प्रकार, अन्तिम फॉर्म में 51 आइटम शामिल हैं।

अंकन विधि

क्रम संख्या	कथनों का प्रकार	सहमत	अनिश्चित	असहमत
1.	सकारात्मक कथन	2	1	0
2.	नकारात्मक कथन	0	1	2

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं—

(1) महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

(2) ग्रामीण महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

(3) शहरी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

यह शोध अध्ययन निम्नलिखित परिकल्पनाओं पर आधारित है—

(1) महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

(2) ग्रामीण महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

(3) शहरी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

परिकल्पनाओं की व्याख्या और विश्लेषण निम्नवत् है–

परिकल्पना 1—महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 1–महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का विवरण

विद्यार्थी	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्रता मान	'टी' मान	टिप्पणी	
						.01 स्तर	.05 स्तर
छात्र	200	84.14	5.606	398	0.832	कोई सार्थक अन्तर नहीं है	कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
छात्रा	200	83.67	5.685				

तालिका संख्या 1 में महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। तालिका के अनुसार, प्रथम समूह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का है, जिसका माध्यमान 84.14 तथा मानक विचलन 5.606 है, जबकि दूसरा समूह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का है जिसका माध्यमान 83.67तथा मानक विचलन 5.685 है। इन समूहों के चरों के माध्यमानों की सार्थकता ज्ञात करने के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई, जिसका मान 0.832 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। इस प्रकार शोधकर्त्ता की परिकल्पना संख्या 1 स्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को भी स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 2—ग्रामीण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 2–ग्रामीण महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का विवरण

विद्यार्थी	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्रता मान	'टी' मान	टिप्पणी	
						.01 स्तर	.05 स्तर
छात्र	100	82.95	5.082	398	2.342	कोई सार्थक अन्तर नहीं है	कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
छात्रा	100	84.66	4.416				

तालिका संख्या-2 में महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अनुसार प्रथम समूह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का है, जिसका माध्यमान 82.95 तथा मानक विचलन 5.082 है, जबकि दूसरा समूह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का है, जिसका माध्यमान 84.66 तथा मानक विचलन 4.416 है। इन समूहों के चरों के माध्यमानों की सार्थकता ज्ञात करने के लिए क्रान्ति अनुपात की गणना की गई, जिसका मान 2.342 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 से अधिक तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से कम है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर है। इस प्रकार शोधकर्त्ता की परिकल्पना संख्या 2 अस्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

परिकल्पना 3—शहरी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका 3–शहरी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का विवरण

विद्यार्थी	संख्या	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्रता मान	'टी' मान	टिप्पणी	
						.01 स्तर	.05 स्तर
छात्र	100	85.32	4.031	398	3.680	सार्थक अन्तर नहीं है	सार्थक अन्तर नहीं है।
छात्रा	100	82.67	5.800				

तालिका संख्या-3 में शहरी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका के अनुसार प्रथम समूह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का है, जिसका माध्यमान 85.32 तथा मानक विचलन 4.031 है, जबकि दूसरा समूह महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं का है, जिसका माध्यमान 82.67 तथा मानक विचलन 5.800 है। इन समूहों के चरों के माध्यमानों की सार्थकता ज्ञात करने के लिए क्रान्तिक अनुपात की गणना की गई, जिसका मान 3.680 प्राप्त हुआ जो कि 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से अधिक है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि दोनों समूहों की पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण में सार्थक अन्तर है। इस प्रकार शोधकर्त्ता की परिकल्पना संख्या 3 अस्वीकार की जाती है तथा प्राप्त परिणाम को स्वीकार किया जाता है।

शोध का निष्कर्ष

इस शोध के निष्कर्ष से यह ज्ञात होता है कि महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के विद्यार्थियों का पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण लगभग समान है। ग्रामीण तथा शहरी महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं की पर्यावरण जागरूकता के प्रति दृष्टिकोण भी एक जैसा ही है। आज के समय में सभी शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों में भी इसके प्रति जागरूकता का विकास किया जा रहा है। पर्यावरण जागरूकता के प्रति विद्यार्थियों को सचेत किया जा रहा है तथा उनसे इस पुनीत कार्य में बढ़-चढ़ कर आगे आने का आह्वान किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि हमें अपने पर्यावरण को बचाने में काफी मदद मिलेगी।

शैक्षिक निहितार्थ

आज के समय में पर्यावरण को बचाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, क्योंकि इसके संरक्षण से हम पृथ्वी पर मानव जीवन के साथ-ही-साथ सभी सजीवों व जीव-जन्तुओं के अस्तित्व को बचा सकते हैं। प्रस्तुत शोध के निष्कर्ष पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण सिद्ध होंगे व आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करा सकेंगे। इस शोध के परिणाम पर्यावरण के सामने आने वाली समस्या के उन्मूलन में भी सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

शोध की उपयोगिता

प्रायः अनुसन्धान कार्य किसी भी समस्या के उत्पन्न होने पर सम्पादित किया जाता है तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष व परिणाम उस समस्या को समाप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि किसी शोधकार्य को करने का मूल उद्देश्य किसी क्षेत्र में उपस्थित समस्या का समाधान करना होता है और यदि शोध से प्राप्त निष्कर्ष उस क्षेत्र में उपस्थित समस्या का समाधान करने में सक्षम है तो इसे उपयोगी समझा जाता है। इसी प्रकार वर्तमान शोध से प्राप्त निष्कर्ष भी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता के प्रतिदृष्टि कोण का मापन करने एवं उन्हें इसके प्रति जागरुक करने में सहायक होते हैं, तो यह

शोधकार्य सफल माना जाएगा। इस शोधकार्य की उपयोगिता लखनऊ जिले के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले उन समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए है, जो छात्रों को पर्यावरण जागरूकता के प्रति जागरूक करते हैं और उससे पहले वे स्वयं में पर्यावरण जागरूकता के प्रति अभिवृत्ति का विकास करना चाहते हैं। क्योंकि एक जागरूक शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण जागरूकता के प्रति जागरूक करके उनमें इसके संरक्षण के उत्तरदायित्व से अवगत करा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. श्रीवास्तव, डॉ. डी.एन. (2020), अनुसंधान विधियाँ, साहित्य प्रकाशन, आगरा
2. गुप्ता, प्रो. एस.पी. एवं गुप्ता, डॉ. अलका (2013), सांख्यिकीय विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
3. राय, पारस नाथ (2008), अनुसन्धान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा
4. सिंह, अरुण कुमार (2017), मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस
5. झा, मदनमोहन (2003), समावेशी शिक्षा, दृष्टिकोण और प्रक्रियाएँ, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
6. भटनागर, ए.बी. एवं अनुराग, नीरू (2009), समावेशी शिक्षा, आर.लाल. एजूकेशनल पब्लिशर्स, मेरठ
7. अग्रवाल, पी.के., ''पर्यावरण एवं नदी प्रदूषण'', आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1993
8. Attarchand, "Environmental Challenges,A Global Survey", UDH Publisher, Delhi, 1985
9. बोहरा, ए. वंदना, ''रिसर्च मैथडोलॉजी'', ओमेक्स पब्लिकेशन, असांरी रोड, नई दिल्ली, 2007
10. Best, J.W., "Research in Education", Prentice Half of India Pvt. Ltd., New Delhi, 1997
11. Bhargava, M., "Adhunik Manovaigyanik Parikshan Exam. Mapan (Hindi), H.P. Bhargava Book House, Agra, 2006
12. Bhol, P.R., A Philosophical study of Environmental Education, Devi Ahillya V.V. M. Phil Edu., 1986
13. Buch, M.B., "Fourth Survey of Research in Education", NCERT (1983-1991)
14. चण्डोला, पी., ''प्रदूषण पृथ्वी का ग्रहण'', हिमालय पुस्तक भण्डार, नई दिल्ली, 1991
15. चौधरी, रेनू, ''पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण'', ज्ञान भारती प्रकाशन, न्यू कॉलोनी, जयपुर, 2007
16. चन्द्रा, संस, ''पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य'', आर्य पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1985
17. डौडियाल, सच्चिदानन्द, ''शैक्षिक अनुसन्धान का विधि शास्त्र'', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
18. Garrett, H.E., "Statislies in Eduction and Bychology", Paragaon International Publication, Delhi (2005)
19. Goach, G.K., "Environment and Development", Ashish Publishing, New Delhi, 1994
20. गोयल, एम.के., ''पर्यावरण शिक्षा'', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 2005
21. गोपालकृष्णा, सरोजिनी, ''प्राथमिक शालाओं के बच्चों पर पर्यावरणीय शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन, पी.एच.डी. शिक्षा

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

भारत में किशोर न्याय प्रणाली : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

□ सारिका वर्मा*
□ डॉ. निलांजना जैन**

शोध-सारांश

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRC) 1989, किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (बीजिंग नियम) 1985, वंचित किशोरों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र नियम जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और संधियाँ हैं। बच्चों को वयस्कों के लिए निर्धारित आपराधिक न्याय प्रणाली से बाहर रखने के लिए तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए एक अलग कानून बनाया गया है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 जिसको यूएनसीआरसी द्वारा प्रदान किए गए बाल संरक्षण के मानकों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया था तथा बाद में यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 लाया गया, जिसमें किशोर न्याय प्रक्रिया को मजबूत किया गया। प्रस्तुत पत्र भारत में किशोर न्याय प्रणाली के विकास तथा मूल अधिनियम में हो रहे संशोधन की आवश्यकता और आगामी प्रभाव की जाँच करने का एक विश्लेषणात्मक प्रयास करता है।

संकेताक्षर–*किशोर न्याय, बाल अधिकार, बाल विकास, बाल कल्याण।*

परिचय

बच्चों को राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। उनका पालन–पोषण और देखभाल राष्ट्र की जिम्मेदारी है। बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कार्यक्रम तैयार करना, नीतियाँ बनाना, कानून बनाना और उन्हें विधिवत् लागू करना राज्य का कर्त्तव्य है। भारतीय संविधान में भी, जिसमें बच्चों के संरक्षण, विकास और कल्याण के लिए प्रावधान मौजूद हैं, बच्चों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों वाले अध्यायों में शामिल किया गया है, इन सिद्धांतों को संविधान के अनुच्छेद 15(3), 24, 39(ई) और (एफ) और 45 में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य प्रावधान भी

* *शोधार्थी*
** *एसोसिएट प्रोफेसर,* आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

रखे गये जो बच्चों को वयस्कों के साथ–साथ मिलते हैं। संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक रोजगार हेतु प्रतिषेध नहीं करता है। एक रोजगार जो बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करता है या उसे शोषण के लिए उजागर करता है, संविधान के अनुच्छेद 39(ई) और (एफ) और 45 के आलोक में खतरनाक माना गया है। संविधान राज्य को निर्देश देता है कि वह कम उम्र के बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाए और यह भी सुनिश्चित करे कि उन्हें आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनके प्रतिकूल हो। अनुच्छेद 39 (एफ) के आधार पर राज्य को यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बच्चों और युवाओं को शोषण से और नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए। संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य को सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने के लिए बाध्य करता है।

किशोर न्याय–अर्थ एवं विकास

किशोर न्याय शब्द की उत्पत्ति 'जुवेनिस' नामक लैटिन शब्द से हुई है, जिसका आशय 'युवा' है; इसलिए, यह युवाओं के लिए एक न्याय प्रणाली है, यह ऐसा संबोधित करता है। किशोर न्याय एक ढाँचा और एक प्रणाली है जो युवाओं की सुरक्षा, सुधार और पुनर्वास करता है। किशोर न्याय की अवधारणा इस विश्वास से ली गई है कि अपचार की समस्या के साथ–साथ असामान्य परिस्थितियों में बच्चों और युवाओं दोनों को आपराधिक कानून की पारंपरिक प्रक्रियाओं द्वारा हल नहीं किया जा सकता है। इस व्यवस्था को केवल युवा अपराधियों से निपटने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसकी भूमिका माध्यमिक रोकथाम के साधन के रूप में बच्चों और युवा व्यक्तियों के लिए विशेष और निवारक उपचार सेवाएँ प्रदान करना है।

किशोर न्याय का आशय ऐसे कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं की प्रणाली से है जो कानून के उल्लंघन के लिए गैर–वयस्क अपराधियों के प्रसंस्करण और उपचार को विनियमित करने और संघर्ष या उपेक्षा की स्थितियों में उनके हितों की रक्षा करने वाले कानूनी उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से संबंधित होता है। शब्द "किशोर न्याय" राज्य और समाज द्वारा विशेष रूप से किशोर अपराधियों के लिए किए गए सभी उपायों को संदर्भित करता है। इसमें कानून, मानदंड और मानक, प्रक्रियाएँ, तंत्र और प्रावधान, संस्थाएँ और निकाय शामिल होंगे जिन्हें राज्य मशीनरी ने किशोर अपराधियों के लिए विकसित किया है। यह ध्यातव्य है कि किशोर न्याय में बच्चों को कानून के साथ संघर्ष में आने से रोकने के उपाय शामिल हैं इसलिए, इसमें अपमानजनक व्यवहार के मूल कारणों को दूर करने और ऐसे व्यवहार को रोकने के उपायों को लागू करने के प्रयास भी शामिल हैं। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के कारण, बच्चों और किशोरों के साथ हमेशा वयस्क अपराधी की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

किशोर न्याय प्रणाली के पीछे तर्क

यह किशोरों के लिए 'न्याय' की एक 'अलग' प्रणाली का सार किशोरों को उनकी क्षमताओं और मानसिक क्षमताओं को उचित सम्मान देता है। किशोर न्याय, आपराधिक न्याय के विपरीत, उन बच्चों को पहचानता है जो पीड़ितों के रूप में कानून के साथ संघर्ष में आते हैं। यह इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि बच्चों में वयस्कों के समान परिपक्वता (नैतिक और संज्ञानात्मक, शारीरिक और भावनात्मक) की कमी होती है। यह बच्चों के प्रयोग, पीड़ित होने और अपराध में शामिल होने की भेद्यता को पहचानता है और यह कि बचपन या किशोरावस्था में अनुभव की जाने वाली समस्याओं

का जीवन भर प्रभाव हो सकता है। कानून के साथ संघर्ष में आने वाले अधिकांश बच्चे उपेक्षा, शोषण और सामाजिक और आर्थिक कठिनाई के शिकार हैं। इस तरह की न्याय प्रणाली दो बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है, अर्थात् एक निश्चित आयु से कम उम्र के बच्चे (बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, 1989 के अनुच्छेद 1 के अनुसार 18 वर्ष) में संज्ञानात्मक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता कम होती है और बच्चे सुधार और सुधारात्मक कार्यों के लिए अधिक उत्तरदायी होते हैं। पूर्वोक्त धारणाएँ अभिन्न रूप से परस्पर जुड़ी हुई हैं, लेकिन वे न्याय के दो अलग–अलग पहलुओं से संबंधित हैं, अर्थात् बच्चों की जवाबदेही बनाने का नैतिक आधार और किशोर न्याय प्रणाली का उपयोगितावादी औचित्य। इन बच्चों को उचित देखभाल, मार्गदर्शन, संरक्षण और सामाजिक पुनः एकीकरण की आवश्यकता है और यह उनका अधिकार है, जिस पर किशोर न्याय प्रणाली आधारित होनी चाहिए। इस विचार के अनुसार किशोर न्याय की अवधारणा कार्य करती है।

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1990 में, अपनी स्वतंत्रता से वंचित किशोरों के संरक्षण के लिए नियमों को अपनाया। इन नियमों का मूल परिप्रेक्ष्य यह है कि हमें (राज्य) किशोर न्याय प्रणाली को बीजिंग नियमों के सिद्धांतों को शामिल करते हुए अधिकारों और सुरक्षा को बनाये रखने, किशोरों के शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। किशोर अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बताये गये दिशा–निर्देश का पालन किया गया, जिसके अंतर्गत–रियाद दिशानिर्देशों का नियम सात इसके प्रावधानों की व्याख्या और कार्यान्वयन, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, आर्थिक– सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों एवं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के व्यापक ढाँचे के अनुरूप ही इसका पालन किया जाना चाहिए।

भारत में किशोर न्याय प्रणाली की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी और यह जेल सुधार और किशोर न्याय के क्षेत्र में पश्चिमी विचारों और विकास का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो इस प्रकार है–

आम तौर पर किशोर अपराधियों के लिए कोई कानून नहीं था। हिन्दू कानून में पूर्व प्रचलित राजधर्म के सिद्धांत द्वारा राजा को समाज में हर एक मानव के अस्तित्व की रक्षा एवं अवसर प्रदान करने वाला कहा गया है। वर्ष 1950 से किशोर न्याय के विकास में विभिन्न आधिकारिक और गैर–सरकारी विकासों ने योगदान किया है। 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ, पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू की गईं और इन योजनाओं के तहत बच्चों के लिए प्रावधान किए गये। उपेक्षित और अपचारी (बाल अपराधी) बच्चों से संबंधित राज्य के साथ–साथ केंद्रीय अधिनियमों का कर्यान्वियन राज्यों के पास रहा है। इन योजनाओं के संबंध में, सरकार द्वारा यह माना गया कि– 'चूँकि भारत में समाजवादी समाज अंतिम लक्ष्य है, इसलिए आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य परिवार का कल्याण है, और परिवार में सबसे कीमती संपत्ति बच्चा होता है। इसलिए, नियोजित राष्ट्रीय विकास की रणनीति में, भारत ने अपने सबसे महत्त्वपूर्ण हित को छोटे बच्चे में केंद्रित किया।' संसद ने मुख्य रूप से सात विधेयकों पर चर्चा की, अर्थात् बाल विधेयक 1953 (CB53), महिला और बाल संस्थान लाइसेंसिंग विधेयक 1953 (WCLILB), बाल विधेयक 1959 (CB59), बालक (संशोधन) विधेयक 1977 (CAB), किशोर न्याय विधेयक 1986 (JJB) और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक 2000 JJ(C&P) संशोधन विधेयक 2005। WCILB का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं के संस्थानों के लाइसेंस के लिए नियमों को निर्धारित करना था और CAB का उद्देश्य CA60, CB53, CB59, JJB और JJ (C&P) के सुचारु संचालन में वर्षों से चली

आ रही कठिनाइयों को दूर करना था, इन प्रयासों ने जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की, प्रत्येक मामले में बच्चों की रुचि को ध्यान का केंद्र बनाया गया।

प्रत्येक राष्ट्र अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है, जिसके लिए यह अति आवश्यक है कि उनमें आत्म–सम्मान का विकास हो, वह स्व–प्रेरणा को महसूस कर सके। यह उसके चरित्र–निर्माण का सबसे महत्त्वपूर्ण भाव है। एक बच्चा जो गलियों में भीख माँगता फिरता है, चाहे वह गाने के बहाने हो या अपनी किसी विवशता एवं वंचना वश वह अपना स्वाभिमान खो देता है, और एक बार एक बच्चा आत्म–सम्मान खो देता है तो वह कभी भी नैतिक समझ विकसित नहीं कर पायेगा और यह किसी भी बच्चे को अपराधी बनाने का एक निश्चित और सीधा तरीका है। इस प्रकार विधेयक का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित और अपचारी बच्चों से निपटना है। यह एक बड़ा कार्य है जो संपूर्ण मानवता के सुधार से संबंधित है। जब तक सभी माता–पिता को शिक्षा नहीं दी जाती और जब तक पूरे समाज का सुधार नहीं हो जाता, तब तक इंतजार करना गलत होगा।

किशोर न्याय अधिनियम 1986 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000

यह अधिनियम देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ, उनकी विकास आवश्यकताओं को पूरा करके उचित देखभाल, सुरक्षा और उपचार प्रदान करके और बच्चों के सर्वोत्तम हित में और मामलों के निपटारे में बच्चों के अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर इस अधिनियम के तहत स्थापित विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनका अंतिम लक्ष्य पुनर्वास प्रदान करने के आदर्श से है। किशोर न्याय अधिनियम (JJA) द्वारा 'देखभाल', 'सुरक्षा', 'उपचार', 'विकास' और 'पुनर्वास' जैसे शब्दों को पारिभाषित नहीं किया गया था। अधिनियम भी इस मामले में मौन है इसलिए, देखभाल में बच्चों के जीवित रहने यानी पर्याप्त भोजन, कपड़े और आश्रय की जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए, उन्हें उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से बचाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों में जीवन के मूल्यों को स्थापित करना है, जिससे वे मजबूत, स्वस्थ, सतर्क और नैतिक नागरिक बन सकें। देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण के लिए योजना भोजन, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा, देखभाल और शिक्षा की उपचारात्मक सेवाओं, पूर्व–व्यावसायिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, मनोरंजन और सांस्कृतिक सेवाओं की बेहतर सेवाओं के संदर्भ में पुनर्वास की कल्पना करती है।

16 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियाँ इस अधिनियम के दायरे में आते हैं, जेजे (सी एंड पी) अधिनियम में पाँच अध्यायों में निहित सत्तर धाराएँ हैं। किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम उन व्यक्तियों पर लागू होता है, जिन्होंने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और उन्हें बच्चे या किशोर कहा जाता है। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी किशोर न्याय बोर्ड (बोर्ड) है और 'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' के लिए बाल कल्याण समिति (समिति) है। बोर्ड में एक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्त्ता होंगे, उन सभी को बाल मनोविज्ञान और बाल कल्याण का विशेष ज्ञान होना चाहिए तथा पूरे भारत को कवर करने वाला एक बोर्ड, एक समिति अनिवार्य रूप से होगी।

1986 में, किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित किया गया था, जिसने पूरे देश के लिए नियमों का एक मानक स्थापित किया था। लेकिन बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप जिसने कन्वेंशन की

आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले कानून को आवश्यक बना दिया, 1986 के किशोर न्याय अधिनियम को 2000 में निरस्त कर दिया गया। अंत में, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 को बदल दिया।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की मुख्य विशेषताएँ

2015 के किशोर न्याय अधिनियम ने वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के आधार पर मौजूदा कानूनों में सुधार करने और किशोर न्याय प्रणाली को अधिक मजबूत और समाज के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण बदलाव किए। 2015 के किशोर न्याय अधिनियम ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की जगह ले ली। यह अधिनियम अनाथ, आत्मसमर्पण और परित्यक्त बच्चों की शर्तों को पारिभाषित करता है। इस अधिनियम में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण आयोग की भूमिका और अधिकार को स्पष्ट किया गया है।

- **किशोर न्याय बोर्ड** (Juvenile Justice Board)–यह एक न्यायपालिका निकाय है जो उन किशोरों के लिए एक अलग अदालत के रूप में कार्य करता है जिन्हें हिरासत में लिया गया है या किसी अपराध का आरोप लगाया गया है। किशोर न्याय बोर्ड में दो सामाजिक कार्यकर्त्ताओं (जिनमें एक महिला) के साथ प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं।
- **बाल–कल्याण** (CWCs)–किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य सरकारों द्वारा जिलों में सीडब्ल्यूसी की स्थापना की जाती है। इन समितियों के पास देखभाल, सुरक्षा, उपचार की आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास, साथ–ही–साथ उनकी बुनियादी आवश्यकताओं और सुरक्षा का प्रावधान विद्यमान है।

इस अधिनियम के तहत, सभी चाइल्ड केयर सुविधाओं के लिए पंजीकरण होना अनिवार्य है। यह अधिनियम कहता है कि गंभीर अपराधों के मामले में, 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को वयस्कों के रूप में माना जाएगा। साथ ही, यह 'कानून के साथ संघर्ष' में 'बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों' के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है। इस अधिनियम के तहत, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) को वैधानिक अधिकार दिए गए हैं।

जेजेए संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत नवीनतम परिवर्तन

हाल ही में, किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है। इस संशोधन विधेयक के कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं–

- संशोधन अधिनियम के अनुसार, बच्चे पर लगाये गये गंभीर अपराध के आरोप की जाँच किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की जायेगी।
- संशोधन के अनुसार, प्रमुख अपराधों में अब वे भी शामिल हैं जिनके लिए न्यूनतम सजा या तो निर्दिष्ट नहीं है या सात साल से कम जेल है और अधिकतम सजा सात साल से अधिक है।
- संशोधन के अनुसार, सात वर्ष से अधिक कारावास के दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती प्रकृति के होंगे; साथ ही, तीन से सात साल के कारावास के दंडनीय अपराध गैर–संज्ञेय और गैर–जमानती प्रकृति के होंगे तथा तीन वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराध असंज्ञेय और जमानती प्रकृति के होंगे।
- नामित न्यायालय–अधिनियम के अनुसार, सात साल से अधिक की सजा वाले बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई

बाल न्यायालय (एक सत्र न्यायालय के बराबर) में की जाएगी। एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्य अपराधों के लिए सुनवाई की अध्यक्षता करेगा, जिसमें सात साल के कम जेल की सजा होती है। बिल इसे संशोधित करके बताता है कि बाल न्यायालय अधिनियम के सभी उल्लंघनों से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा।

- **गोद लेने की प्रक्रिया**–अधिनियम के अनुसार, दत्तक ग्रहण करने वाली एजेंसी को जैसे ही संभावित दत्तक माता–पिता बच्चे को स्वीकार करते हैं, दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए दीवानी अदालत में एक आवेदन दायर करना चाहिए। अधिनियम में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित) इन कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और सभी आदेश जारी करेंगे तथा कोई भी व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गोद लेने के आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। दायर की गई अपीलों का निपटारा चार सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।
- **बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी) Child Welfare Committees (CWC)**–अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिला बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, सीडब्ल्यूसी करेगा।

समालोचना

- अभी भी किशोर न्याय अधिनियम में कई अन्य कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, जिससे अपराधी और उपेक्षित बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास आदि सुनिश्चित किया जा सके और नियमों के अनुसार किशोर न्याय प्रणाली का प्रशासन बनाया जा सके।
- इस अधिनियम के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के बीच विभाजन को और भी कठोर बना दिया गया है। यह अधिनियम इस कथन के साथ शुरू होता है कि, यह कानून बाल–सुलभ दृष्टिकोण को अपनाता है, लेकिन इसके दायरे में आने वाले सभी बच्चों को बच्चों के रूप में संदर्भित करने में विफल रहता है। उनमें से कुछ बच्चे हैं जबकि अन्य किशोर हैं। 'किशोर' शब्द अपराधी बच्चे के बराबर एक मूल्य–भारित शब्द बन गया है।
- उपेक्षित किशोर की परिभाषा इतनी व्यापक थी कि जेजेए के दायरे में भारत के लगभग सभी बच्चों को शामिल किया गया। यह प्रावधान सभी जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से प्रेरित हो सकता है। इसने एक ओर हस्तक्षेप की अबाध शक्ति को राज्य के नियंत्रण में रखा, दूसरी ओर, इतनी व्यापक विविधता और बच्चों की संख्या को किशोर न्याय के दायरे में शामिल करने के लिए सामुदायिक भागीदारी और गैर–संस्थागत भागीदारी पर बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता थी।
- किशोर न्याय प्रणाली हेतु राज्य या स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी सेवाओं के बीच संबंधों को स्थापित और मजबूत करना आवश्यक है। परिवार और समुदाय जैसे पारंपरिक संस्थानों के टूटने और बढ़ती गतिशीलता और शहरीकरण के प्रभाव के तहत सामुदायिक संबंधों के कमजोर पड़ने के कारण बच्चों की एक नई पीढ़ी के लिए उपयुक्त सामाजिक साधन प्रदान करने में समाज की विफलता के साथ किशोर अपराध की पहचान की गई है। मूल समस्या 'अभाव और शोषण' की है। बच्चों के पुनर्वास और सर्वांगीण वृद्धि और मजबूत नागरिकों के रूप में विकास के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि जेजेएस

को आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह से तोड़ देना चाहिए और विकास और सामाजिक कल्याण योजना का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए।

- अधिनियम को फिर से लागू करने के कारणों के रूप में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों और उनके सिद्धांतों के इस तरह के विशिष्ट विस्तार से कल्याण से अधिकारों में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, जिससे बच्चों का सशक्तीकरण होगा।

प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव

कोई भी नियम व कानून अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वह समय, स्थान, क्षेत्र आदि में सापेक्षिक होता है। महत्त्वपूर्ण यह है कि उन तरीकों और साधनों के बारे में सोचें जिनसे नियम के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम की रणनीतियों, व्याख्या और कार्यान्वयन के विकास में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों को मौलिक घोषित किया गया है, जिसके अनुकरण से ही इसकी सफलता प्राप्त की जा सकती है।

(1) निर्दोषता के अधिकार का सिद्धांत–इस अधिकार के मूल घटक भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार, निर्दोषता की धारण है। इस धारणा की रक्षा के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा की गारंटी, कानूनी सहायता और नुकसान से बचाव है।

(2) सर्वोत्तम हित का सिद्धांत–यह सिद्धांत बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, ताकि स्वस्थ विकास की बाधाओं को दूर करके उपयोगी और अच्छा नागरिक बनाया जा सके।

(3) पारिवारिक गद्दी का सिद्धांत–जैविक, दत्तक या पालक परिवार को प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए।

(4) न नुकसान, न दुर्व्यवहार का सिद्धांत–किसी संस्था में रखे गए बच्चों को किसी भी नुकसान, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक दंड या एकान्त कारावास के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

(5) गैर–कलंकित शब्दार्थ, निर्णय और कार्यों का सिद्धांत–इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यह अधिनियम के तहत बच्चों से संबंधित प्रतिकूल या अभद्र शब्दों के उपयोग पर रोक लगाता है।

इसी तरह, अधिनियम स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है, बच्चों की देखभाल के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करके एक बड़ा आधार प्रदान करने के लिए प्रायोजन को सभी पारिवारिक स्थितियों, अर्थात् प्राकृतिक परिवार, दत्तक परिवार और पालक परिवार में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मॉडल नियमों की आवश्यकता है कि माता–पिता को अपने बच्चों को गोद लेने के लिए उपलब्ध घोषित करने से पहले उन्हें रखने के लिए राजी करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने चाहिए। उनके बच्चों के प्रायोजन की पेशकश केवल सलाह के शब्दों से अधिक उपयोगी साबित हो सकती है।

अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत बच्चों की सुरक्षात्मक हिरासत के संबंध में विस्तृत नियम बनाने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि जेल सजा का स्थान है न कि संरक्षण का, और इस उद्देश्य के लिए गहन देखभाल, परामर्श, सुधार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उच्च सुरक्षा, विशेष देखभाल इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए। मान्यता प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की सुविधा और विनियमन और इसकी रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। नियमों में यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि बाल गृह और विशेष गृह खुले संस्थान हैं और इन्हें जेल की तरह नहीं चलाया जाना चाहिए। सामुदायिक सुविधाओं का यथासंभव उपयोग किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संस्थानों में रहने वाले

बच्चे समाज की मुख्य धारा से कटे नहीं हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. National Policy for children, Resolution No. 1-14/74 CDD (1974)
2. P.M. Bakshi, The Constituion of India (8th edition, 2007) , page number – 16
3. Kumai Ved, The juvenile Justice system in India (second edition), chapter – 2 number -44, ISBN 0-19-806577-9
4. Journal on Rights of Child, Vol. 1, 2016, UNICEF – Unite for children
5. 29 नवम्बर, 1985 का महासभा संकल्प 40/33 Resolution no. A/RES/40/33, Plenary or cttee. C.3, Agenda Item No. – 98, Meeting Record/ Date/press release A/40/PV.96, 29 Nov. 1985, Draft – A/40/881, Topic United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") [https:// research.un.org/en/docs/qa/ quick/regul ar/40]
6. 14 दिसम्बर, 1990 का महासभा संकल्प 45/112, page number-200-204, United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) [https:// research.un.org/en/docs/ga/quick/regul ar/45)]
7. Kumai Ved, The juvenile justice system in India (second edition), chapter – 2, page number-45, ISBN 0-19-806577-9
8. Kumai Ved, The juvenile justice system in India (second edition), chapter – 2, page number-56-73, ISBN 0-19-806577-9
9. Kumai Ved, The juvenile justice system in India (second edition), chapter – 3, page number-93, ISBN 0-19-806577-9
10. https://wcd.nic.in/juvenile-justice-care-and-protection-children-act-2000-56-2000
11. https://wcd.nic.in/acts/juvenile-justice-care-and-protection-children-act-2015
12. https://www.childlineindia.org/uploads/files/20200316010045_j-j-act
13. https://egazette.nic.in/WriteReadDate/2021/228833.pdf

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

हिन्दी साहित्य में नारी उत्थान

डॉ. अरविन्द कुमार*

शोध-सारांश

साहित्य समाज का अभिन्न अंग है और साहित्य समाज की ही प्रतिच्छवि प्रस्तुत करता है। अतः हिन्दी साहित्य में जब नारी उत्थान का उद्घोष हुआ, तो उसकी गूँज साहित्य में भी सुनाई देने लगी। अनेक महिला एवं पुरुष साहित्यकारों और आलोचकों ने नारी–उत्थान पर अपनी लेखनी चलायी। जहाँ–जहाँ नारी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी, वहाँ–वहाँ नारी–उत्थान पर आधारित हिन्दी साहित्यिक और आलोचनात्मक कृतियों की रचना की जाने लगी और इन रचनाओं में नारी उत्थान के मूल बिन्दुओं को पहचान कर नारी की मूल समस्याओं से समाज को अवगत करवाया और समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।

वर्तमान युग में हिन्दी साहित्य लेखन में नारी–विमर्श नारी उत्थान के प्रखर रूप में उभरा है। पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में नारी जाति का शोषण कोई नयी बात नहीं है। मानव–सभ्यता का इतिहास साक्षी है कि पुरुष नारी को सदैव ही दोयम दर्जे का समझता रहा है। पुरुष के लिए नारी भोग–विलास और शोषण की उपकरण रही है। कुल जनसंख्या का लगभग आधा भाग होते हुए भी, नारी कभी मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकी। वह मात्र परिवार की सेवा और वंशवृद्धि का साधन बन कर रह गयी है। पुरुष–समाज में नारी को सभी संबंधात्मक भूमिकाओं में दासता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नारी ने जब भी स्वयं की भूमिका को पुरुष वर्ग से श्रेष्ठ सिद्ध किया है, पुरुष ने उसे देवत्व से जोड़कर उपास्य बना दिया है और नारी के रूप में उसके अस्तित्व को ही नकार कर उसके संघर्ष को निष्क्रिय कर दिया है। स्वयं को देवी और त्याग की प्रतिमूर्ति समझ कर, स्वयं नारी ने भी अपने अधिकारों की उपेक्षा कर, कर्त्तव्य पालन को ही अपनी नियति समझ लिया है। ऐसी अवस्था में नारी की पूर्वापर स्थिति में विकासात्मक परिवर्तन के सभी मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं।

नारी की इस सार्वभौमिक और सार्वकालिक पीड़ा को समझने, उसके वास्तविक कारणों को खोजने और उसके स्थायी निराकरण करने का

* असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली, सम्बद्ध : एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) ई.मेल–arvindkumar4582@gmail.com

प्रयास नारी–उत्थान करता है। नारी–उत्थान नारी के अस्तित्व और उसकी अस्मिता की खोज का प्रयत्न करता है। यह समाज को एक ऐसा विचार–मंच प्रदान करता है, जहाँ नारी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के साथ–साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत हो सके। नारी–उत्थान पुरुष का विरोधी नहीं, अपितु उसकी पुरुष से समानता का पक्षधर है। **''सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर पुरुष के समक्ष स्वयं को स्थापित करने की परिकल्पना ही नारी–उत्थान है।''**[1]

नारी–उत्थान का हिन्दी साहित्य लेखन के क्षेत्र में नारी से जुड़ी एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसा आन्दोलन है, जिसने शोषित, उत्पीड़ित नारी की चुप्पी को तोड़कर उसे आवाज़ दी है। वह नारी, जिसे हिन्दी साहित्य में कोई विशेष जगह नहीं मिल पायी थी, हिन्दी साहित्य में 'नारी–उत्थान' के कारण आज न केवल हिन्दी साहित्य में पदार्पण कर चुकी है, बल्कि उसने साहित्य में अपने लिए विशेष जगह भी बना ली है। नारी–उत्थान वस्तुतः नारी को मानव रूप में देखने की अपेक्षा करता है, जिसमें लिंग भेद और वर्चस्व के लिए कोई स्थान नहीं है। नारी–उत्थान, नारी से यही आग्रह करता है कि उसे पुरुष की दी गयी पहचान को नकार कर स्वयं अपनी पहचान बनानी है। हिन्दी साहित्य में नारी–उत्थान के लिए नासिरा शर्मा ने अपने साहित्य में नारी विषयक बिन्दुओं को गहराई से पुरोया है वे लिखती हैं–**''नारी विमर्श द्वारा शताब्दियों से चले आ रहे अंकुश की जंजीरों को तोड़ा जाता है, जो औरत की जुबान और जज्बात को बाँधे हुए है।''**[2] नारी–उत्थान ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को नकारा है, जिसने हमेशा से कभी परम्परा के नाम पर तो कभी संस्कारों के नाम पर और कभी कर्त्तव्यों के नाम पर नारी को बंधनों में बाँध कर रखा। नारी–उत्थान का मूल उद्देश्य नारी को मुक्ति पुरुष से नहीं चाहिए, बल्कि नारी को मुक्ति पुरुष की उस मानसिकता से चाहिए, जो उसे आश्रित और अपाहिज समझती है।

महादेवी वर्मा ने नारी की इस दयनीय आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कहा है–**"समाज में स्त्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषम विभाजन किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग से लेकर सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ही कही जाने योग्य है। वह केवल उत्तराधिकार से ही वंचित नहीं है, वरन् अर्थ के सम्बन्ध में भी सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की विवशता के बंधन में बँधी हुई है।"**[3] आत्मनिर्भर नारी को वर्तमान युग में परिवार में उच्च–दृष्टि से देखा जाता है और कहा भी जाता है कि आज के समय में दोनों का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, एक व्यक्ति की आय से घर चलाना मुश्किल है। नारी से परिवार यह उम्मीद करता है कि उसे अपनी पूरी कमाई पति को सौंपनी होगी, क्योंकि आज भी नारी को इस सम्बन्ध में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं।

नारी जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष करती आयी है और उसका यह संघर्ष आज भी जारी है। वैदिक काल में नारी पूजनीय एवम् आदरणीय समझी जाती थी, सभी क्षेत्रों में उसे महत्त्व दिया जाता था, पर जैसे–जैसे समय बीतता गया, नारी की स्थिति में गिरावट आने लगी। मध्यकाल तक आते–आते वह पुरुषों के हाथों की कठपुतली बन कर रह गयी। नारी को प्रत्येक काम पुरुषों के अधीन रहकर करना पड़ता था। उसका पूरा जीवन केवल पति, बच्चों एवं सास–ससुर की देखभाल में समर्पित था।

नारी विमर्श विषयक बिन्दुओं पर अपनी लेखन शैली के द्वारा मृदुला गर्ग ने नारी उत्थान को विशेष महत्त्व दिया है। उनके साहित्य में नारी–उत्थान के लिए लिखा गया नारी विमर्श उनके शब्दों में–**''स्त्री–विमर्श को हमारे यहाँ स्त्रीवादी विमर्श के रूप में लिया जाता है। भारत में**

स्त्री–विमर्श स्त्रीवादी विमर्श का लघु संस्करण है। यह विमर्श अगर स्त्रीवादी है, तो वह सीधा–सीधा स्त्री–पुरुष के बीच के संबंध, संघर्ष और अन्याय से संबंध रखता है।''[4]

पुरुष ने हमेशा से नारी को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। वह कभी भी नारी के अधिकारों को स्वीकार नहीं कर पाता था, उसने हमेशा से यही चाहा कि वही घर का स्वामी बनकर रहे तथा नारी उसके अधीन रहकर कार्य करे, जबकि जीवन के हर तरह के संघर्ष में पुरुष को जीत तभी मिली, जब नारी किसी–न–किसी रूप में पुरुष के साथ खड़ी रही, चाहे नारी का वह रूप माँ का हो, बहन का, पत्नी का या बेटी का।

आधुनिक काल में नारी की स्थिति के संबंध में आधुनिक युग को अत्यंत क्रांतिकारी युग कहा जा सकता है और इसका प्रारंभ 19वीं शताब्दी से स्वीकार किया जा सकता है। देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में जिस प्रकार से परिवर्तन इस युग में हुआ, उसी प्रकार नारी की दशा में भी ऐतिहासिक बदलाव हुए, जिन्होंने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। 18वीं शताब्दी में भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ और 20वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में उनका शासन रहा। अंग्रेज़ी साहित्य और पाश्चात्य विचारधाराओं का सकारात्मक प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर पड़ा। पाश्चात्य प्रभाव के कारण अनेक परम्परागत रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुरीतियों के बंधन टूटे और नारी की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इंग्लैंड से आये ईसाई मिशनरियों ने भारतीय नारी जीवन में व्याप्त कुरीतियों की ओर समाज–सुधारकों का ध्यान केंद्रित किया।

भारतीय संदर्भ में नारी–उत्थान का अध्ययन करते हुए यह परिलक्षित होता है कि हिंदी साहित्य में भक्तिकाल में मीराबाई ने पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठायी और हिंदी साहित्य में स्त्री–उत्थानकार के रूप में सबसे पहले मीराबाई अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराती हैं और कई मायनों में वे आज की आधुनिक कही जाने वाली महिला–उत्थानकारों से कहीं आगे हैं, क्योंकि जिस युग में मीरा ने पुरुष वर्चस्ववादी व्यवस्था के प्रति खुला विद्रोह किया, वह ऐसा युग था, जिस समय नारी रूढ़ियों से पूरी तरह जकड़ी हुई थी। जब नारी पूरी तरह से पुरुष पर आश्रित थी, उसका अपना न कोई लक्ष्य था और न ही अस्तित्व, उसकी डोर पूरी तरह पुरुष के हाथों में थी, इसके बावजूद भी मीरा की रचनाओं में स्त्री–चेतना और आत्मबोध का सशक्त स्वर सुनाई पड़ता है। उनका सम्पूर्ण साहित्य, नारी पर पुरुषों के आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह है।

जब मीरा अपनी रचना में कहती हैं कि, **'अपने घर का परदा कर लौं, मैं अबला बौराणी'** तो रोहिणी अग्रवाल दो बातों को लक्षित करती हैं–**''एक हताशा के गर्भ में फूटता स्त्री का विद्रोह और स्त्री के मनुष्यत्व के लिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था के स्वरूप की पुनर्संरचना। मीरा का विद्रोह उन स्थितियों की पड़ताल करने की नैतिक ज़वाबदेही है, जो अबला कही जाने वाली निरीह, पराश्रित स्त्री को 'बीराने' और 'आक्रमक' होने को विवश करती है, बार–बार उन पूर्वग्रहों और जड़ताओं को चीन्ह लेने की आकांक्षा करती है, जो स्त्री की आत्मविकास की नैसर्गिक आकांक्षा को 'लोकलाज' और 'कुलकानि' के उल्लंघन से जोड़ती है। उस कुत्सित मानसिकता को तुरंत निषिद्ध कर देने की माँग करती है, जो पुरुष और व्यवस्था की हर अमानुषिकता को अनुशासन और नियम–पालन का पर्याय बना देती है।''**[5] परन्तु, उनके बाद दीर्घावधि तक महिला लेखन पुनः सुप्तावस्था में चला गया। तत्पश्चात् भारतीय नवजागरण आंदोलन को हिंदी साहित्य में नारी अस्मिता की पहचान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण माना जा सकता

है। नवजागरण आंदोलन का हिंदी साहित्य पर यह प्रभाव पड़ा कि अब नारी भक्तिकालीन साहित्य की भाँति त्याज्य और रीतिकालीन साहित्य की भाँति भोग्या न रहकर, एक स्वतंत्र सामाजिक इकाई के रूप में उभर कर आयी। उन्नसवीं सदी के समाज सुधारकों और पाश्चात्य नारी–मुक्ति आंदोलनों की स्पष्ट छाप हिंदी साहित्य पर पड़ने लगी। लेखकों और लेखिकाओं ने स्पष्ट रूप से नारी अस्मिता को अपने लेखन का विषय बनाना आरम्भ किया, जो कालांतर में नारी–चेतना अथवा नारी–उत्थान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

हिन्दी साहित्यकार सरला माहेश्वरी लिखती हैं कि, नारी–उत्थान ने न सिर्फ नारी को शोषण के चंगुल से निकालने के लिए आवाज उठाई अपितु **''आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी उसकी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया। अब महिलाएँ घर की चारदीवारी से निकल कर, राष्ट्र व मानवता के वृहत् दायरे में अपनी भागीदारी का निर्वाह कर रही हैं।''**[6]

इसी शृंखला में 'महादेवी वर्मा का नाम भी अविस्मरणीय है। उनकी शृंखला की कड़ियाँ' तत्कालीन नारी के अभिशप्त और संतप्त जीवन का दस्तावेज़ है। 'शृंखला की कड़ियाँ' में वे लिखती हैं, **"हमें न किसी पर जय चाहिए, न किसी पर पराजय; न किसी पर प्रभुत्व चाहिए, न किसी पर प्रभुता। केवल वह स्थान, वे स्वत्व चाहिएँ, जिनका पुरुषों के निकट कोई उपयोग नहीं है, परन्तु जिनके बिना हम समाज का उपयोगी अंग नहीं बन सकेंगी।''**[7] मातृ शक्ति के रूप में नारी को प्रतिष्ठित करते हुए, वे उसे समझाते हुए लिखती हैं, **"स्त्री की विकास की चरम् सीमा उसके मातृत्व में हो सकती है, परन्तु यह कर्त्तव्य उसे अपनी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को तोलकर स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए, परवश होकर नहीं।''**[8]

उन्होंने अपनी रचना 'शृंखला की कड़ियाँ' में स्त्री के अस्तित्व की रक्षा और न्याय के लिए नारी–बंधनों की शृंखला को तोड़ने का प्रयास भी किया और साथ ही, नारी गरिमा को भी बनाये रखा। महादेवी वर्मा के शब्दों में–**"अपने कर्त्तव्य की गुरुता भली–भाँति हृदयंगम कर यदि हम अपना लक्ष्य स्थिर कर सकें, तो हमारी लौह–शृंखलाएँ हमारी गरिमा से गलकर मोम बन सकती हैं, इसमें संदेह नहीं।''**[9]

हिंदी–साहित्य में नारी–उत्थान के संदर्भ में छठा और सातवाँ दशक विशिष्ट महत्त्व रखता है। इन दशकों में मन्नू भण्डारी, कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, मृणाल पाण्डे, सूर्यबाला, चित्रा मुद्गल, उषा प्रियवंदा, अनामिका, कुमकुम शर्मा, सुषम बेदी, कृष्णा अग्निहोत्री, अर्चना वर्मा, उषा राजे सक्सेना, सुधा ओम ढींगरा, सुधा अरोड़ा, मधु कांकरिया, कात्यायनी, गीताश्री आदि लेखिकाओं ने नारी की स्थिति को चित्रित करते हुए नारी–उत्थान को नवीन सोपान पर ला खड़ा किया। इन्होंने बेबाक़ी से नारी–शोषण पर अपनी लेखनी चलायी और पुरुष के विरुद्ध नारी की आवाज़ को बुलंद किया, जिसके फलस्वरूप इन लेखिकाओं द्वारा रचित कहानी,उपन्यास, कविता, नाटक, आत्मकथा इत्यादि के माध्यम से नारी–लेखन के जागरूक और संवेदनशील सार्थक हस्तक्षेप करने वाले विविध आयाम आज दिखाई देने लगे हैं। सातवें, आठवें दशकों में नारी–उत्थान पुस्तकों से आगे बढ़, साहित्यिक और साहित्येत्तर पत्र–पत्रिकाओं में भी अनुगूँजित होने लगा। विभिन्न नारीवादी लेखक और लेखिकाओं ने अपने विचारों को पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के सम्मुख रखा।

इस प्रकार, हिंदी साहित्य में नारी–उत्थान की व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है। इस चर्चा में विभिन्न लेखक और लेखिकाओं ने अपना योगदान दिया है। साहित्य की प्रत्येक विधा में नारी–वेदना और नारी मुक्ति के स्वर स्पष्ट सुने जा सकते हैं।

भारत में नारी–उत्थान परिवार, विवाह, मातृत्व तथा स्त्रीत्व का विरोध न करके उनके पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। यह नारी के व्यक्तित्व और स्वतंत्र सत्ता को महत्त्व प्रदान करते हुए उसके मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। **''यह नारी–शोषण के लिए मूल रूप से पितृसत्तात्मक व्यवस्था तथा उसके बनाये गये मूलों को उत्तरदायी ठहराता है, इसलिए यह पुरुष का विरोध न करके मूल रूप में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करता है।''**[10]

वस्तुतः नारी उत्थान की अवधारणा पुरुष वर्चस्व के अधीन दासता की पीड़ा को झेलती, अपने समस्त अधिकारों से वंचित नारी को मानवीय अधिकार प्रदान कर; सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर पुरुष के समकक्ष एक मनुष्य के रूप में स्थापित करना है। नारी–पुरुष के बीच लिंग–भेद मिटाकर दोनों को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना और समतामूलक समाज की स्थापना करना ही वह लक्ष्य है, जिसको आधार बनाकर नारी उत्थान की अवधारणा, नारी–मुक्ति का आह्वान करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, रोहिणी, 'साहित्य का स्त्री–स्वर', इलाहाबाद, साहित्य भंडार प्रकाशन, 2015, पृ. 7
2. शर्मा, नासिरा, 'औरत के लिए औरत', नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, 2003, पृ. 32
3. जैन, अरविन्द, 'न्याय क्षेत्र अन्याय क्षेत्र', दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2001, पृ. 93
4. पवार, शोभा निबांलकर, 'हिन्दी कहानी और नारी विमर्श', मानसी पब्लिकेशन्स, 2009, दिल्ली, पृ. 3
5. अग्रवाल, रोहिणी, 'स्त्री–लेखन स्वप्न और संकल्प', नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2011, पृ. 17
6. महेश्वरी सरला, 'नारी प्रश्न', राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 1988, पृ. 51
7. वर्मा, महादेवी, 'श्रृंखला की कड़ियाँ, नई दिल्ली, लोकभारती प्रकाशन, 2008, पृ. 23–24
8. वर्मा, महादेवी, 'श्रृंखला की कड़ियाँ, नई दिल्ली, लोकभारती प्रकाशन, 2008, पृ. 23–2483
9. वर्मा, महादेवी, 'श्रृंखला की कड़ियाँ, नई दिल्ली, लोकभारती प्रकाशन, 2008, पृ. 26
10. वर्मा, महादेवी, 'श्रृंखला की कड़ियाँ, नई दिल्ली, लोकभारती प्रकाशन, 2008, पृ. 54

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 29th Feb. 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

Rewriting the Canon: Exploring the Role of Women and Minorities in Redefining Literary History

Vaibhav Anand Gaur*

ABSTRACT

The literary canon,A collection of works that are considered to be the most important or influential inA particular literary tradition, has historically been dominated by the voices and perspectives of white men. This has led to the marginalization and exclusion of other groups, such as women, people of colour, and LGBTQ communities. However, contemporary writers are challenging these exclusionary practices by creating new literary benchmarks that better reflect the diversity of human experience.

This paper examines the ways in which women and minorities are redefining literary history by rewriting literary conventions. The emergence of new feminist writings that centre the voices and experiences of women writers is one example of this. These canons often also include works that have been historically overlooked or undervalued, such as those by women writers from non-Western countries, LGBTQ writers, and women writers of colour.

Similarly, writers from marginalized communities are creating new literary traditions that are rooted in their own experiences and cultures. The emergence of African American literature asA distinct literary tradition, for example, highlights the unique experiences and perspectives of Black writers and has helped to redefine what constitutes "American literature."As more diverse voices are included in the mainstream, literary scholars and educators are rethinking their approaches to teaching and interpreting literature.

There are also the ethical implications of rewriting the canon. Some scholars argue that including more diverse voices in literature is essential to redressing historical injustices and promoting social justice. Others, however, warn against overcorrecting the canon and ignoring the aesthetic and literary qualities of the works themselves.

This paper argues that rewriting the canon is an essential project for creatingA more inclusive and equitable literary tradition. By centring the voices and experiences of women and minorities, contemporary writers are challenging

* *P.G Student, Department of English and Modern European languages,* University of Allahabad, Prayagraj
E-mail – vaibhavanand005@gmail.com

exclusionary practices in the literary canon and creating new canons that better reflect the diversity of human experience. This has the potential to transform literary scholarship and teaching, and to promoteA more just and equitable society.

Throughout history, literature has been seen asA way to capture the culture ofA given period and tell the stories of our lives. However, these stories have often focused on white male protagonists while leaving out the unique perspectives of women and minorities. In recent years, there has been an effort to redefine literary history by shifting the attention towards the voices of those who were previously excluded from traditional narratives. This paper will explore how female authors and writers from minority backgrounds are challenging mainstream conceptions about literature by introducing new ideas that reflect their own experiences in society. By analysing different works from writers such as Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie, Alice Walker and other prominent figures in this field, we can gain insight into how they are using their artistry to reshape literary history for future generations. Through exploring themes relating to identity politics, gender roles and power dynamics between social classes - these authors offer alternative ways for readers to understand not just themselves but also their place in wider society. Ultimately this shift towards more diverse representation is paving the way for greater acceptance within literature itself; creatingA space where everyone's voice can be heard regardless of background or gender identity.

To begin with, it is necessary to look at the literature's long-standing history of marginalizing women and minority groups. Throughout much of recorded history, women were not seen as having any creative or intellectual value beyond the domestic and reproductive spheres. Similarly, individuals from various racial and ethnic backgrounds were often denied access to the same educational opportunities as their white counterparts and had limited avenues through which they could share their stories. AsA result, only certain voices were heard while others remained silent.

Early attempts to challenge this status quo began in the late 19th century when writers such as Charlotte Perkins Gilman, Kate Chopin, and Anna Julia Cooper sought to createA literary space through which women could express themselves freely. This was soon followed by prominent African American authors like Pauline Hopkins and W.E.B Du Bois who wrote during the Harlem Renaissance period in order to document African American experiences and struggles with discrimination during this time. These early pioneers of literature helped pave the way for future generations of female authors and minority writers who have continued their legacy by bringing attention to issues that often go unheard or ignored within mainstream culture. The works of these contemporary authors discuss topics ranging from social constructs, gender norms and power dynamics between social classes - all while providing readers with alternate ways for understanding not just themselves but also their position in the society. Their stories offer an insight into how different individuals live out their lives despite being marginalized by traditional norms; creatingA sense of solidarity amongst those who previously felt voiceless or invisible within literature itself. This shift towards greater representation is slowly redefining literary history; allowing everyone's voice to be heard regardless of background or gender identity so that no one will ever feel excluded again.

Following the lead of these writers,A new wave of authors emerged in the 20th century that

included Toni Morrison and Alice Walker. Both sought to create an environment in which black women's perspectives were seen as equally valid as those of white men. Through works such as The Bluest Eye and The Colour Purple, Morrison and Walker explored race, gender, and class issues that had been previously overlooked or silenced by mainstream literature. Similarly, Chimamanda Ngozi Adichie drew attention to the absence of African experiences in literature by writing novels such as Half ofA Yellow Sun and Americanah. Her work examines the intersectionality between gender, race, and nationality to show how they all factor into the construction of identity.

The works of these modern authors demonstrate an increased desire to createA more inclusive and representative literature. Through works such as Roxane Gay's Hunger, readers are presented withA nuanced look at the complex issues of body image, self-confidence and identity. Similarly, Chimamanda Ngozi Adichie's novel Americanah examines the experiences of Nigerians facing racism in America. It is through these stories thatA greater understanding can be built around how different cultures interact with each other, forming new narratives that challenge traditional views.

Of course, there is still much work to be done in order to fully recognize the role women and minorities have played in redefining literary history. This means finding ways to actively promote diversity within publishing and making sure that everyone has access to opportunities regardless of race or gender. However, it also requiresA willingness on behalf of readers to embrace these new voices and perspectives - ultimately allowing us to gainA better understanding not only of ourselves but also of the wider world around us.In addition to offering new perspectives on traditional themes like love or loss, these authors have also worked to question literary conventions themselves by experimenting with different narrative structures and styles. By utilizing techniques like stream-of-consciousness or magic realism, writers are able to create unique worlds that speak to their own personal experiences with oppression or marginalization.

The works of these authors are more than just stories, they are also windows into cultures and perspectives that have been largely underrepresented in literature. Through their stories, readers gain an understanding of different realities and new ways of seeing the world. These authors create immersive worlds that draw upon personal experience to createA sense of connection with their readers. In addition, their works often challenge traditional understandings of gender roles, power dynamics and even language itself. These authors are also contributing toA shift in literary tastes as readers become increasingly open to exploring stories from diverse cultural backgrounds. With the aid of social media platforms such as Twitter, Instagram, and YouTube, these authors have been able to reach wider audiences than ever before; allowing their work to be discovered by those who previously may not have had access to them.

By embracing new voices from diverse backgrounds and challenging long-standing assumptions about literature, women and minority authors are redefining literary history for future generations. Through their efforts, readers can gain more insight into the complex realities of our world while discovering the power of artistry to shape how we view ourselves and those around us. Ultimately these writers are helping redefine what literature is and can be; creatingA space for everyone's voice to be heard regardless of gender or race. By doing so, they inspire future generations of authors to tell their own stories - stories that will continue the legacy of women and minorities in literature for years to come.

Furthermore, female authors of colour have playedA pivotal role in redefining literary history by introducing new perspectives and stories that

challenge the status quo. In particular, African American authors such as Toni Morrison and Alice Walker have made substantial contributions to this field. Their works bring to light the struggles and experiences of black women inA way that had been largely ignored or silenced in traditional literature.

Morrison was one of the first to break away from mainstream narratives by writing about topics like interracial romance, intergenerational conflict, and black female identity. Her award-winning novel Beloved is especially noteworthy for its exploration of slavery's long-lasting trauma on African American communities. Similarly, Alice Walker's The Colour Purple is another timeless classic that gives voice to black womanhood through an intimate portrait of two sisters trying to overcome racism and sexism in 1930s America. More recently, and as I have discussed before, Nigerian author Chimamanda Ngozi Adichie has been making waves with her thought-provoking works like Half ofA Yellow Sun and Americanah. Through these novels, Adichie tackles issues related to race, politics, gender, and immigration while showcasing her remarkable ability to craft intricate yet accessible stories about complicated social dynamics.

In addition to producing meaningful work, these authors have also sought to disrupt conventional literary norms by experimenting with different narrative styles and genres. For example, Toni Morrison's Song of Solomon is an example of magical realism which combines elements of fantasy with everyday life in order to explore the complex realities facing African Americans in the late 20th century. Similarly, Alice Walker's The Third Life Of Grange Copeland shifts between different generations as it traces one family's journey from slavery towards freedom while incorporating elements of folklore throughout its narrative.

By drawing attention towards female authors of colour who are often overlooked by traditional literature, we can gain insight into how their artistry contributes to the ever-evolving landscape of literary history. Through their works, we can gain not onlyA greater understanding but also an appreciation for the power their voices have in challenging societal norms and inspiring new conversations about justice and equality worldwide.

LGBTQ writers have also made significant contributions to redefining literary history by introducing new perspectives and stories that challenge the status quo. Authors like Jeanette Winterson, Rita Mae Brown, and Alison Bechdel have been at the forefront of this movement, pushing boundaries with their works that explore queer identities and experiences in both subtle and overt ways.

According to Katie Stokes, "Until fairly recently, LGBTQ+ characters were not really present in any genre of literature. Characters were simply defined as heterosexual, only experiencing romantic feelings for those of the opposite sex. And this is not an accurate reflection of our society today. The lack of representation of LGBTQ+ characters in literature is detrimental to the well-being of young adolescents who are questioning their orientation or identity. Literature can provide answers. It can provideA safe haven of knowledge and reassurance for those whose feelings stray from the 'normalised' biology of human beings. It is wrong for heterosexuality to be promoted- however unconsciously- as the one and only sexual preference among humans. Overshadowing other types of sexuality with love triangles of straight relationships has become an increasingly irritating cliché. Teenagers (and everyone, for that matter) need more LGBTQ+ representation in literature in order to feel accepted. The effect of envisioningA character—fictional or otherwise—who shares the same preference as the potentially self-conscious reader cannot be overstated."

Winterson's ground-breaking novel Oranges Are Not The Only Fruit is credited for

its frank portrayal of homosexual love as it followsA young girl coming of age in an oppressive religio-societal context. Similarly, Brown's Rubyfruit Jungle examines the complexities of gender identity through the story ofA young woman forging her own path amidst closed-mindedness in rural Virginia. Finally, Bechdel's Fun Home is an autobiographical exploration of family secrets which reveals the intricacies of beingA lesbian inA heteronormative world.

In addition to providing valuable insight into LGBTQ lives, these authors have also sought to challenge traditional conventions within the literature itself. For example, Jeanette Winterson has employed an innovative 'cut-up' narrative style to tell her stories which combines fragmented pieces from multiple timelines into one cohesive whole. Furthermore, Alison Bechdel's use of graphic memoirs allows her to present complex themes and emotions without relying solely on words or linear progression. On top of introducing new storylines that aren't often seen in mainstream literature, these authors have also helped to createA more inclusive definition of what it means to beA writer. By providingA platform for voices that often go unheard, they are able to contribute meaningful work towards breaking down outdated stereotypes and misconceptions about minority groups.

Through their efforts, LGBTQ writers are helping to redefine literary history by offering readers new avenues for exploring different identities and experiences outside of the mainstream culture. By bringing attention towards stories that were once considered too taboo or personal for public discourse, these authors are challenging old notions about what is deemed "acceptable" in literature while creating space for greater acceptance and understanding within our society overall.

Latin American writers have also made significant contributions to redefining literary history by introducing new perspectives and stories that challenge the status quo. Authors like Sandra Cisneros, Junot Díaz, and Julia Álvarez have long been at the forefront of this movement, pushing boundaries with their works that explore Latin American identities and experiences. Cisneros' seminal work The House on Mango Street is an important example of bildungsroman which sensitively follows one young Latin American girl's coming-of-age story in mid-20th century Chicago. Similarly, Díaz's The Brief Wondrous Life Of Oscar Wao paints an intimate portrait of Dominican immigrants and their struggles while incorporating magical elements within its narrative. Finally, Álvarez's In the Time Of The Butterflies explores the effects of violent political repression through the lives and deaths of four sisters in the Dominican Republic during the late 20th century. Latin American writers continue to be at the forefront of redefining literary history, introducing new stories and perspectives that have not been traditionally represented. FromA more intimate approach of identity exploration such as in Sandra Cisneros' Woman Hollering Creek, to the magical realism of Gabriel García Márquez's One Hundred Years of Solitude, Latin American authors are playingA critical role in challenging the status quo and creating more inclusive understandings of literature and history. In addition to introducing fresh perspectives, these authors have also helped to foster an environment of inclusivity and acceptance within literature.

These works not only provide valuable insight into Latin American lives but they also challenge traditional conventions within literature itself. For example, Sandra Cisneros usesA vivid blend of spoken Spanish and poetic English to discuss issues such as gender roles, family dynamics, and socioeconomic disparity often experienced by people living in her community. Similarly, Díaz employsA mix of science fiction tropes and folklore to explore themes around identity formation for those living between two worlds. Lastly, Álvarez incorporates

music and historical accounts into her narrative to bring attention to larger questions about justice and freedom from oppression. By providingA platform for voices that often go unheard due to language barriers or cultural divides, these authors are helping to createA more inclusive definition of what it means to beA writer. Through their efforts, they are seeking to break down outdated stereotypes while also creating space for greater acceptance towards Latin American communities worldwide. These writers are questioning traditional ideas about what is considered acceptable in writing and opening up fresh perspectives for comprehending our shared reality by drawing attention to experiences that were long seen as too controversial or personal for public conversation.

The Indian literary scene has also been greatly enriched by its vast roster of celebrated authors. From Rabindranath Tagore, who was the first non-European to win the Nobel Prize in Literature, to Salman Rushdie, who is known for his award-winning works of magical realism, Indian literature has always sought to challenge conventional narratives and explore new ways of understanding our shared world together.

In recent years, Indianwriters like Arundhati Roy have made major contributions towards redefining literary history with their works. Her 1997 novel The God of Small Things delved into complex themes surrounding family bonds and postcolonial identity in India while incorporating innovative techniques such as stream-of-consciousness writing and shifting perspectives. It earned her the prestigious Booker Prize that same year and cemented her place among the most influential authors of our time.

However, when we talk about revisiting or redefining Indian literature, Dalit literature stands asA prime example. Dalit literature is an important part of the Indian literary tradition that has long been overlooked and undervalued. Dalit literature emerged in the late 19th century asA form of protest against the oppressive caste system in India and its focus on stories from the marginalized, often low-caste communities. Over time, it has evolved to become an important tool for recognizing, reclaiming, and celebrating these communities' culture and identity.Authors like Bhimrao Ramji Ambedkar were instrumental in introducing Dalit perspectives into mainstream Indian literature. His work focused heavily on examining how caste inequality affects everyday life for members of these communities, as well as highlighting areas where legal reforms could be made to promote greater acceptance. Other influential authors of this era such as Gangadhar Pantawane also wrote extensively about human rights issues facing Dalits while advocating for improved living conditions and economic opportunities.

In recent years, more contemporary authors have continued this tradition by incorporating modern themes into their works while still staying true to the spirit of protest inherent in early Dalit literature. For example, Omprakash Valmiki's Joothan:A Dalit's Life details his experiences growing up poor and untouchable while evoking feelings of both pride and anger towardsA system that continues to oppress him despite his hard-earned success. Similarly, Daya Pawar's Baluta providesA unique perspective on beingA lower-caste schoolteacher by exploring themes such as alienation, discrimination, and resilience in the face of adversity.

By challenging traditional norms within Indian literature and pushing back against oppressive systems through their writing, modern authors are redefining literary history by creating new possibilities for understanding our shared world together. Their works serve to inspire and empower communities traditionally excluded from mainstream discourse while bringing attention towards issues that need addressing at the intersections of race, class, gender identity and sexuality.

Through close examination of the role of women and minorities in reshaping literary

history, it is clear that they have contributed immensely in ways that often go unseen or unrecognized. Although there has been much progress made in recent decades to give these authorsA greater presence within mainstream literature, further work needs to be done in order to actively support and further expand upon their accomplishments. We must also recognize that feminists and minority authors, especially those belonging to very marginalized communities, continue to experience hostility and criticism within the wider literary landscape. If we are truly committed to amplifying the voices of all authors— regardless of gender, race or sexuality — then we need to recognize the ongoing struggle for equality that is embedded within our literary canon. With sustained perseverance, we can ensure that these stories gain their rightful place as an essential part of our shared cultural heritage.

In conclusion, the discussion of the role of women and minorities in redefining literary history cannot go overlooked. Numerous authors fromA variety of backgrounds have challenged the status quo and pushed their own stories to the forefront of our cultural narrative, changing perceptions of what is meaningful and valuable in literature. Most importantly, these works demonstrate the power that comes from representation — representation that allows readers from all backgrounds to find characters that reflect their lived experiences. And in turn, it fuels interest in furthering diversity and inclusion for everyone within this ongoing discourse about our evolving understanding of canonical literature. We oweA great deal to writers like Toni Morrison, Sandra Cisneros, Octavia Butler, Jhumpa Lahiri and hundreds more who have made their mark on literary history while redefining our notion of the literary canon. These authors are an inspiration to us all as they continue to demonstrate the power of individual voices taken up together — united byA common purpose in advancing stories by women, by people of colour, and often by those who have been historically underrepresented or obscured in various ways. As much as we are brought together through shared experiences when reading literature, it's ultimately each writer's unique voice-and those of countless others like them-that truly shape how we understand ourselves and our world.

References

1. G.Rajesh."*Role of women in literature"*JAC:A Journal Of Composition Theory, 2020
2. D. Jill Savitt."*Female Stereotypes in Literature (WithA Focus on Latin American Writers)"* Fellows of the Yale-New Haven Teachers Institute, 1982
3. Pruitt, John. *"LGBT Literature Courses and Questions of Canonicity"* College English, vol. 79, no. 1, 2016, pp. 81–105. JSTOR
4. A. LaVonne Brown Ruoff, Jerry W. Ward, Jr.*"Redefining American Literary History"*Modern Language Association of America, 1990
5. Matus, Jill L. *"Toni Morrison."*Manchester University Press, 1998.
6. Prasad, Amar Nath, and M. B. Gaijan, eds. *"Dalit literature:A critical exploration."*Sarup& Sons, 2007.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 29th Feb. 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

Swami Vivekananda's Educational Philosophy And It's Relevance In Present Context

❑ **Tanushree Singh***
❑ **Dr. Nilanjana Jain****

ABSTRACT

When we dig down deep to unclasp the meaning of the word "Education" we will come toA conclusion that the simplest meaning of "Education" is "Bunch of Values". Swami Vivekananda said that education is needed in order to develop the sense off rationality through which one can build his or her character and these enlightened individuals could tackle any situations wisely. If we take on overview of the education system of the present era we will discover that the methodologies of educating anyone solely focused on achieving good grades and become capable enough to earn money. This trend is making the youths more inclined towards materialism, which is eventually erasing the moral values form their consciousness and leading to detachment of these students from humanism. The education system of the 21st century has aimed to produce engineers, scientists, lawyers, doctors who would undoubtedly help in the progress of the society but such development would not be considered asA holistic upliftment of the society as it would be lacking the ethical values. Without this pillar of humanity and kindness there would be instability, division and discrimination among the people.

As we all know that the society is heading towardsA dead end which pertainA condition of social unrest. Henceforth we have to re-construct and reframe an improvised version of education and it's ways of teaching which apart form providing the knowledge of science, arts and humanities, should also be enriched with morality, ethnicity and humanity which could be imparted and imbibed by the students for their overall development. Considering the fact that an individual is most likely to learn and inculcate the moral values when he or she isA toddler, therefore we have to redesign our education system, which imparts humanity since the very beginning.

When we begin to talk about Swami Vivekananda and his ideology, it will make us recognize him not only asA social reformer,A socialist or an activist

* *Research Scholar*
** *Associate Professor*, Arya Kanya Degree College, University of Allahabad, Prayagraj

but alsoA guide or an educator. Since education is the most significant instrument which can bring the most fruitful changes in the social panorama, we find that Vivekananda's ideologies and thoughts are appropriate because he focused on the neglected dimension of humanism and ethnicity. Hence we can say that Swamiji's contribution in reformulating the education system is of great significance. Therefore Swami Vivekananda declines education as "the manifestation of perfection that is already in man".

Key Words–*Education, character, humanism, holistic upliftment, ethical values, Swami Vivekananda.*

Introduction

In the present scenario we find that our nation's education system and it's educations policy is more centric towards the achievement of materialistic goals. The orientation of the present day education is not much inclined towards the value education and humanism who's seeds should be sown as it is the high time to make the students realize the true worth of kindness. The progress of education inA direction which believes that earning profits should be the most relevant trait is dividing, creating discrimination within the society, giving rise to inferiority complex thus makingA bleak and blurry vision of the presence of fraternity and unity among the members of the society. The materialistic gain oriented trend is deliberately compelling the youths to just mug-up the facts without developing any understanding this trait ensures good scores but risks the holistic development of any nation.

TakingA glance of the present condition of our nation, "India" we see that the condition of our country is indifferent and we have to revamp the educational system in order to guarantee its overall development. Here kicks-in the ideology of Swami Vivekananda according to which there must beA proper balance in the education system and it's curriculum, so that our youths could not only imbibe the knowledge of science, literature and arts but also inculcate the value of fraternity and humanity.

Swami Vivekananda's Educational Philosophy

It is believed thatA poor teachers tells, an average teacher explains,A good teacher demonstrates andA great teacher inspires their students. Swami Vivekananda apart from beingA great preceptor was alsoA great educationist, Swamiji presented his perspective where he stated that education is the knowledge, which doesn't merelyA bundle of facts but also of human values. Swami Vivekananda portrayed the true image of our motherland and the concept Vasudhaiva Kutumbakam (meaning – all the societies, civilizations across the globe is likeA family). Moreover the primary goal of each and every civilization is to attain harmony, prosperity, happiness andA sense of completeness or fullness among themselves.

Eventually Swamiji came toA realization that every individual who is willing to become great has to focus on the 3 pillars i.e.

(i) Helping those who have positive ambitions.

(ii) There should be no room for jealousy and suspicion.

(iii) Conviction of powers of goodness.

Vivekananda developedA belief according to which education isA never ending process and it should impart knowledge in suchA manner that student should develop better understanding towards the physical, emotional, rational, material, ethical and intellectual and spiritual dimensions thus covering all the major as well as minor aspects of life. It is inevitable to neglect his idea of prioritizing on educating the masses over anything else. The foundation of Swamiji's educational philosophy was his general life,

beingA Vedantist educationalist who produced faith in Advaita Vedanta or non-dualism, Vivekananda believed that God is an infinite source of bliss, knowledge and existence. Thus according to Swami Vivekananda, God is Supreme and every living creature isA part of Higher or Eternal Self of God, in "Raja Yoga" he stated that "Each soul is potentially divine", as every human isA child off the Supreme God. Therefore the seed of faith has to be sown in the consciousness of the man, this process of cultivation has three fronts which has to be taken care of. To begin with one has to develop faith in one's own self, moreover he or she should have the faith in his or her nation and the last one which binds everything is the development of faith is god. According to him, anyone could experience the divinity of God by serving the mankind, he further consolidated Vedanta by introducing "Practical Vedanta", where the teaching of Vedanta has to be followed in the practical life. Swami Vivekananda due to his eclectic thoughts along with the attitude of an educational reformer counseled that how essential it is to establish unity between man and God. Vivekananda put all his efforts in combining the spirituality of India and the materialism of the West, therefore he tried to unite Para Vidya (the divine knowledge) and Apara Vidya (the Knowledge of materialism).

Swami Vivekananda condemned the paradigm and trend of the present day's education system as he advocated man-making education where he considered man as the highest temple. According to his ideology "education is the manifestation of the perfection already in man." All kind of knowledge spiritual or materialistic are present is ever procured from outside as it's all present inside us. The process of learning commences as soon as the man realizes that knowledge is inherent in him and this self-realization helps in expansion and nourishment of soul. The student has his or her own self to identify, his or her own self to discover, his or her own self to learn and to teach; education is the process of discovering the potentials of one own self. Vivekananda refuses to recognizes education asA process which merely transform humans into verse learnt parrots who could neither reproduce nor apply what has been learnt by him. Swami Vivekananda looked upon those individuals with honor and respect who only assimilatedA few ideas and made it the foundation of their character rather than those who just mug up the facts and information. He stated, if education is equivalent to gaining information, then athenaeum and encyclopedias would be the greatest Sages and Rishis.

According to Swami Vivekananda education is an inseparable part of human life and true education is the only thing that makes each and every individual an enabler as it empowers them to take their stand. The by-product of education and training should result in the upbringing and nourishment of the character ofA person. Education should also inculcate the quality of self realization so that one can recognize their strength and potential which would in turn boost the confidence of any individual. Vivekananda said, God-this is the secret of greatness". According to Swamiji character is the behavioral pattern ofA person which is built by the exposure of instances and what stance the environment took in order to help the person to tackle the situation. Therefore the cultivation of morality and ethnicity in one's consciousness could greatly assist in curtailing the evil of one's mind.

Swami Vivekananda greatly emphasized on building up on persona which had the traits of an allrounder and this development is only possible if one's personality is provided with the opportunity to grow multi-dimensionally. He hadA strong desire to combine the two eminent world of Shankara (leading to intellectuality) and Buddha (leading to humanism). Vivekananda believed that the two-third ofA personality contributes in developing rationality and

communication skills while the remaining one-third in shaping the persona of an individual. Furthermore Vivekananda also focused on the significance of the personality ofA guide, who is the only medium through whichA student could reach the summit of his or her true potential. In order to develop the divine relationship between the teacher and the students, where the propagation of knowledge is not affected or hampered due to any kind of unfavorable instance we have to redirect our education system and reconsider the methodologies were prevalent during the era of Gurukul. Swamiji also opined that the beginning process of teaching should be robust as the efforts put-in, the grass root level will definitely direct the future ofA child towardsA positive direction.

The Sole Purpose of Education According to Swami Vivekananda

(1) Attaining Perfection–Primarily education should focus on helping anyone is recognizing, readdressing and rejuvenate the perform which is priorly present within oneself. Swami Vivekananda used to believe that knowledge spirituality and materialism is present in one's conscious mind but this trait would never be discovered until and unless the person uses the torch of education for enlightening one oneself. Thus he recommends to remove the cover of negligence and ignite their spark.

(2) Fulfillment of Swadharma–Vivekananda stated that everything or everyone is unique in their own kind and it is advisable to harness their own strengths and rather than proclaiming their similarity with something or trying to mimic the character of others. Moreover the imposition of foreign education was criticized by him. Swamiji questioned, "Getting by heart the thoughts of others inA foreign language and stuffing your brain with then and taking some university degree, you can pride yourself as educated. Is this education?" True improvisation is self driven and there should be complete absence of any sort of pressure on the young minds of our nation. Swamiji said, "If you do not allow one to becomeA lion, he will becomeA fox".

(3) Building Self-Confidence–A person may not be aware of the qualities and potential hidden within himself and it is the function of education to make that person capable enough to acknowledge his hidden talent. The acknowledgement of one's strength would help the person to alleviate himself to the greatest heights.

(4) Unity in Diversity–Vivekananda used to believe that there is no difference between the spiritual and physical world, only the illusionary attribute of the worlds compel us to distinguish between the two. Henceforth education should act asA one stop solution that create realization among the individuals the significance of unity in diversity. As all the dimensions of the world overlap and depicting their unity in the very same fashion everyone should develop the sense of unity in diversity.

(5) Building Character–The outcome ofA man's behavior inA certain manner majorly depends on his character which has been developed due to the exposure of certain norms and regulations under the process of education. Therefore it is the duty of education to wipe of the evil tendencies. Swami Vivekananda stated that we are in need of such education that strengthens mind, develop rationality and builds characters so that one can take his stand.

(6) Ensuring Physical and Mental Growth–Education should ensure proper development of both the spectrums, i.e. the physical and the mental. OnlyA fully developed being with proper physical and mental growth could actively participate in the development of his or her motherland Vivekananda emphasized on the importance of the mental development of an individual as this would empower and make him or her financially independent.

(7) Development of Morality and Spirituality–Swami Vivekananda hadA

perspective according to which the greatness ofA nation can be achieved by the activities taking place in the parliamentary institutions of the nation, but the citizens of the nation also playA vital role by contributing in the process of development. When we talk about the role of citizens we have to accept that morally and spiritually enlightened citizens are the ones who could keep the wagon wheel of their nation moving in the directions of development. Therefore it is our duty to formulate and education system which harness and inculcates the quality of ethnicity and spirituality.

(8) Religious Upliftment–Vivekananda opined that the core motive of education is to attain religious salvation. According to Swamiji, everyone has the element of religiousness sown deeply within one own self and it is the duty of each every individual to recognize this quality and carve out their best version by using these qualities. Swami Vivekananda believed that one has to perform religious practices in order to imbibe the truth of life as this realization would help in conditioning the emotions and feelingsresulting in making the life pious and sublimated. As an outcome of this, one could experience exponential increase in the levels of sincerity, social service, acceptance of the teachings and ideologies of great preceptors, there would beA holistic development in an individual persona.

(9) Development of Fraternity–Swami Vivekananda's devotion for humanism and in inclination towards mankind had no limits, he considered that the humans of the earth belong to one family, hence he propagated brotherhood, harmony and good relations among all the people irrespective off their nationality, culture, or race. He said, "Through education, we should reach the idea of universal brotherhood by lingering down the walls of separation and inequality. In every man, in every animal, however weakA miserable, great or small, resides the same omnipresent and omniscient soul. The difference is not in the soul, but in manifestation.

Education of The Present Era

Presently, the world is witnessing crisis andA condition of unrest in innumerable dimensions of the society. Clashes; hatred; no cooperation; among the communities is prevalent we can witness the record high in crime rates; unemployment; poverty; hunger; exploitation of resources; contamination of environment is also worsening the condition. Apart from this there is an increase in the number of refugees, terrorism human trafficking, exploitation by drugs as many other evils is also lingering in the society. Today's crisis is more severe and has the capacity to give rise to havoc, than the crisis which was faced by the world during the time of Swami Vivekananda, thus we have to take immediate actions to tackle such unfavorable and existential crisis of human.

The education and it's methodologies of the present era is just guiding the youths in the trench of materialism, which in turn creatingA class divide while the education of Ancient India focused on the establishment of unity and human values. In the present context there is no room for moral values, the modern materialistic society of which we areA part of is rotting. The political scenario is more governed by the party who's main motive is to get votes and the morality has been kept aside. Similarly the economic policy is to earn profit. The social environment of which we areA part of is now occupied with communal tensions, hatred and conflicts. Injustice and inequality has become an inseparable part of the social panorama, according to our judiciary, "all are equal but some one more equal". The education system of the present era has also deviated from it's path and it is now leading towards the achievement of material gains rather than moral and ethical values. The primary goals of the present day education is to score better grades.

We can say that there is nothing inspiring or motivating in today's education, as it has become non-functional. Our education's path will

make us reach nowhere as there is very meager scope of freedom and uniqueness. This has resulted in producingA generation which has developed mindset for making materialistic gain but no understanding and knowledge of morals and ethics.

Significance of Swami Vivekananda's Educational Thought In The Present Context

As the world is subjected to technological advancement which is resulting in the formation of the world intoA global village, it is the duty of the students to developA harmonious relation with the people of different country, race or cultural background. It is high time, therefore we have to inculcate and imbibe the teachings of Swami Vivekananda which preaches the true value of unity, fraternity and life. It isA must to propagate the ideology of Swami Vivekananda which in turn will create awareness among the teachers and students and have self realization of their responsibility. The preceptors and educationalists has to impart their teaching and question themselves, "Am I teaching my students how to learn? What skills am I giving my students that will help them adapt new situations? What opportunities am I giving my students to relate to others successfully? What guidance am I giving my students to enable them to make wise choices after due reflection?" The concept of education proposed by Swami Vivekananda seem to be more relevant and applicable for the present scenario. In order to strengthen the process of impartation of knowledge and values, one has to follow Swamiji withA motive to make the society we have to reintroduce the value education and teach the current generation the need and importance of it, As the education has up-scaled itself quantitatively but downscaled qualitatively we have to restructure and reformulate our education system. Vivekananda's in-depth knowledge of Vedas and Vedanta makes him the only preceptor of Hinduism, who identifies the significance of Vedanta and how it will uplift the society and would transform it intoA better place if practiced inA proper manner. Moreover he decoded Vedanta so that the people could understand it's meaning with an ease and imbibe it's principle in their life.

Swami Vivekananda used to see man asA combination of humanism divinity and animalism thus the education should be of suchA kind that it brings out and nourish the divine aspect of humanity by the process of self realization and practice of Vedas and Vedanta. In the journey towards modernization our nation, "India" has stopped producing human beings with little or no moral values. Therefore we have to apply an education system which revives the old values in order to re-establish stability.

The era of twenty first century is marked asA phase of upheaval in the field of science but it has lost it's connection with morality and ethics and this is where Swamiji's ideology could prove to be the best suitable method to impart the value of humanism. According to Vivekananda being educated is not merely learning or mugging up certain facts but having an enlightened min. For Swamiji real education is not the process through which any individual excels in his or her career rather it'sA process which transform and nourish such personalities that could actively participate in the uplifting of nation and playingA vital role in making their nation reach new heights. Even though Swami Vivekananda is not present in this physical world but his ideologies continue to inspire the youths and making his dream ofA society where the mind is free, and society is not fragmented on the basis of race come true.

Swami Vivekananda believed that educational institutions (schools, colleges, universities) is the best place to act asA pivotal point in guiding the future building blocks of this nation. Hence the best way to widespread, impart and inculcate morality, ethnicity and humanism is to revise reformulate the curriculum which is designed in suchA manner that it guides the students in the right direction.

The Key Features ofA Re-designed Curriculum should have–

1. Kindness and Uncontitional Love

Love and kindness goes hand in hand therefore should love everyone unconditionally in order to be kind with everyone. Through this perspective we can successfully erase any kind of cruelty and evil from this society.

2. Truthfullness

Students must identify certain ways of honesty and truthfulness which will help them in buildingA robust persona. As anykind of dishonesty and unfair means is only going to impose it's ill-effects on their life.

3. Discpline, Dedication and Hard Work

NowA daysA number of students are opting shortcuts and getting indulged in unfair means to achieve their goal but discipline, dedication and hardwork is the only key to success. The true worth of hard work has to be inculcated in the consciousness of students.

4. Respect for Others

In this highly competitive, where the competition levels are so high that competitors started to demean each other on the basis of religion; race; sex; ideologies, we have to teach our students to be patient, develop tolerance and respect for others. Development of this character would maintain harmony and fraternity among the masses.

5. Cooperation

The primary, goal of the building blocks (students) of any nation should be the growth and development of their nation and this goal can only be achieved if all the people get united and work together. We can achieve momentary gains if we are divided, these type of achievements isn't going to uplift the nation rather it would serve individuals and that too temporarily. Therefore we should know the strength of being united and the power of cooperation.

6. Compassion

The word compassion meansA strong feeling of sympathy for the suffering of others andA feeling to help them out. Students should be imparted and inculcated with this feeling so that the students came forward fight against the evils of the society like poverty, hunger, homelessness, grief, conflicts etc.

7. Forgiveness

One needs to develop mental strength to out power his or her emotion of anger, and with this enlightened mindset an individual can forgive someone. Therefore any kind of violence, conflict and hatred could be easily erased out, this quality of forgiveness would develop harmony, brotherhood and love in the society.

Conclusion

The mythology and history of India is enriched with moral and ethical values, it nourished the youths by imparting the knowledge and significance of value based education. As we know the condition of the present scenario where the education drastically and importance of value education has developed, therefore it is the time we should look back to our roots and reformulate the structure and motive of education. In other words we have to pay equal importance to the Vedas and Vedanta which teaches is equality, morality, ethnicity, spirituality and brotherhood. It seems that Swami Vivekananda had foresee the upcoming events, which will cause conflict, fill the population with discontent and deviate the society from the right path and in order to maintain the balance between materialism and morality Swamiji proposed his ideology according to which the true worth of both the dimensions and the skill of applying the teaching of both the dimensions was presented. He may be notA part of this physical world but his thoughts will continue to prove his presence, intentions and care for his brothers and sister. After analyzing the thoughts and perspective of Vivekananda and one can confidently state that proper holistic education is the only thing which can any social evil pertaining in the society.

Being preceptor, educationist and reformist,

he aimed to revolutionized the methodologies and curriculum of education, where education isA combination of Science, Economy, Geography, Information Technology, Polity and Value Education. Hence Swami Vivekananda looks forward for the betterment, development and upliftment of our nation "India" and each and every country in this world.

Reference

1. Unnithan, T.K.N. Human Values Through Education, (ed-), Ahmadabad: Gujarat Vidyapith, First Edition, November 2005.
2. Swami Vivekananda–A Biography by Swami Nikhilananda available at : https://ibnlive.in.com/yuva/bio.pdf accessed on 20/01/2024
3. Complete Works of Swami Vivekananda, in 9 Volumes at https://cwsv.belurmath.org/10.Ramachandra Guha, Makers of Moderns India, Penguin, New Delhi, 2010 accessed on 21/01/2024.
4. https://www.healthmantra.com/wivekanan.shtml Swami Vivekananda's teachings and Quote accessed on 26/01/2024.
5. Swami Vivekananda to Youthhttp://www.divyajivan.org/articles/adhyatma/vivekananda_youth.htm accessed on 26/01/2024.
6. Rajput, J.S. (2011). "Need for Moral Values to Indian Youth", The Ramakrishna Mission Institute of Culture, accessed on 29/01/2024.
7. "Swami Vivekananda's message of social service for the Youth of India", Cited on 27/01/2024, https://rbalu.wordpress.com/2011/02/12/swamivivekananda%E2%80%99smessage-of-social-service-for o-the-youth-ofindia/ accessed on 28/01/2024.
8. "Quotes of Swami Vivekananda", Cited on 26/01/2024. www.rlmissiondel.org/Swami_Vivekananda_s_Quotes.ppt
9. Anupamananda, Swami (2013) Swami Vivekananda and Value Education, Milestone Education Review, Year 04, No. 1, April 2013.
10. Dr. Ghosh Chinmoy Kumar, Relevance Of Swami Vivekananda In The 21st Century With Referemce To His Thoughts On Eduation. Director, Distance Education, IGNOU, 2011
11. https://www.swamivivekanandaquotes.org/2013/04/swamivivekanandaquotesoneducatio n.html accessed on 31/01/2024.
12. Prof Chaube S.P., Dr Chaube Akhilesh, Educational Ideals of the Great in India, Neelkamal Publicatin pvt.Ltd.New Delhi, 2016
13. Sengupta Pradip Kumar, The Philosophy of Swami Vivekananda, Progressive Publishers. Kolkata, 2012
14. Purkait Biswa Ranjan, Great Educators and Their Philosophies, New central Book Agency(p)Ltd. Kolkata, Second Edition.2001.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

हिन्द महासागर में अवस्थित भारत का पड़ोसी राष्ट्र मालदीव एक परिचय

▫ रिया सिंह*
▫ डॉ. नीलांजना जैन**

शोध-सारांश

शक्ति संतुलन के सिद्धान्त पर आधारित कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के अनुसारर किसी भी राज्य के शक्ति निर्धारण तथा अस्तित्व हेतु सबसे महत्त्वपूर्ण उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध होते हैं। मित्र एवं शत्रु राष्ट्रों के साथ कुशलतापूर्वक सम्बन्धों का निर्वहन ही ''विजिगीषु'' के हित में होता है। पड़ोसियों की चर्चा करते समय, अधिकांशतः शक्तिशाली पड़ोसियों पर ही ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति होती है। शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों पर मुख्यता विचार-विमर्श तथा अनुसंधान कार्य किये जाते हैं, क्योंकि बड़ी शक्तियों का आमतौर पर महत्त्वपूर्ण आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभाव होता है, जो पड़ोसी देशों के साथ उनके सम्बन्धों को आकार देता है। नतीजन, उनके कार्यों और नीतियों पर अक्सर अधिक ध्यान दिया जाता है। हालाँकि, पड़ोसी विशिष्ट आकार के साथ-साथ अपनी अनूठी चुनौतियाँ, अवसर और महत्त्व रखते हैं। भारतीय सन्दर्भ में, मालदीव जैसे छोटे आकार के राज्य भी क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और राजनयिक सम्बन्धों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः जब वर्तमान परिदृश्य में पड़ोसियों की चर्चा अक्सर बड़ी शक्तियों के इर्द-गिर्द ही केन्द्रित है, यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के एक लघु किन्तु महत्त्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में मालदीव राज्य का व्यापक परिचय प्राप्त किया जाए, जिससे कि विजिगीषु के रूप में भारत अपनी परिधि के राष्ट्रों, चाहे वे जिस भी आकार एवं शक्ति के स्वामी हों, के साथ कुशलतापूर्वक सम्बन्धों का निर्वहन कर सके।

हिन्द महासागर, पृथ्वी पर उपस्थित जलीय सतह के लगभग 20% भाग पर विस्तारित है, जो कि दुनियाँ के महासागरीय प्रभावों में तीसरा स्थान रखता है। हिन्द महासागर लगभग 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में भारतीय उपमहाद्वीप, पूर्व में दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण-

* *शोधार्थी, राजनीति विज्ञान,* आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.)
** *एच.ओ.डी. एण्ड एसोशिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,* आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.)

पूर्व में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक सागर से घिरा हुआ है। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण यह एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिससे वैश्विक व्यापार और परिवहन का सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है। यह वैश्विक वाणिज्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें विश्व के 80% से अधिक समुद्री व्यापार, मुख्यतः तेल का व्यापार सम्मिलित है। यह भारत, चीन, मध्य-पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व और अफ्रीका सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे भू-राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक केन्द्र-बिन्दु बना दिया है। इस क्षेत्र का महत्त्व आर्थिक हितों से परे है, जो सुरक्षा गठबन्धनों और राजनयिक युद्धाभ्यासों को प्रभावित करता है, जिससे वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार मिलता है। हिन्द महासागर के रणनीतिक महत्त्व को देखते हुए भारत के पड़ोसी राष्ट्र के रूप में मालदीव की स्थिति अति महत्त्वपूर्ण हो जाती है, जो भू-राजनीतिक गतिशीलता तथा वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

हिन्द महासागर में अवस्थित राष्ट्र मालदीव श्रीलंका के दक्षिण-पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ फैले 1,190 छोटे द्वीपों की एक शृंखला का गठन करता है। भारतीय केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से इसकी दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। ये द्वीप प्रवालद्वीपों की दोहरी शृंखला में व्यवस्थित हैं, इनमें आमतौर पर विस्तृत, गोलाकार प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, जो कई छोटे द्वीपों को सहारा देती हैं। अलग-अलग द्वीपों का आकार एक से दो वर्ग किलोमीटर तक है, जिनकी लम्बाई आठ किलोमीटर से अधिक नहीं है। मालदीव में इसका सबसे ऊँचा द्वीप समुद्र तल से 1-1.5 मीटर के बीच, समुद्र तल से 3 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। इन द्वीपों में से केवल 198 द्वीप बसे हुए हैं, जो 26 प्राकृतिक प्रवालद्वीपों का एक संग्रह बनाते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक प्रवाल भित्ति एवं कई गहरे चैनलों से घिरा हुआ है और एक लैगून की विशेषता रखता है। लगभग 164 द्वीपों पर पर्यटक रिसॉर्ट विकसित किये गये हैं, जबकि शेष द्वीप या तो निर्जन हैं या कृषि और अन्य आजीविका उद्देश्यों के लिए उपयोग किये जाते हैं। 823 किमी. उत्तर से दक्षिण और 130 किमी. पूर्व से पश्चिम तक फैले द्वीपसमूह में 99% से अधिक समुद्र शामिल हैं, इसके 34,750 वर्ग मील सतह क्षेत्र का केवल 0.331% (115 वर्ग मील) शुष्क भूमि है। दूसरे शब्दों में, देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से केवल 298 वर्ग किलोमीटर सूखी भूमि है। पहाड़ियों या नदियों जैसी कोई उल्लेखनीय भूमि विशेषताओं के साथ मुख्य रूप से समतल, मालदीव कुछ द्वीपों पर कुछ विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय उदाहरणों में अड्डू प्रवालद्वीप में हिथाधू द्वीप पर टीले और ज्ञानवियानी प्रवालद्वीप में फुवाहमुलाह द्वीप पर आर्द्र भूमि और दलदल शामिल हैं।

मालद्वीव विश्व स्तर पर महत्त्वपूर्ण जैव विविधता का घर है, विशेष रूप से बा एटोल में। यह एटोल 2011 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित हुआ था। जलवायु के सन्दर्भ में, मालदीव साल भर गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव करता है, जो दो प्रमुख मानसूनों से प्रभावित है। भूमध्यरेखीय अवस्थिति के कारण, मालदीव में पूरे वर्ष प्रचुर मात्रा में धूप मिलती है, तापमान लगातार 25 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ा शुष्क मौसम दिसम्बर से अप्रैल तक रहता है, जबकि दक्षिण-पूर्व मानसून से जुड़ा बरसात का मौसम मई के अन्त से नवम्बर तक रहता है।

चार्ल्स डार्विन के 1842 के सिद्धान्त के अनुसार, इन द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्भव और बाद में प्रवाल भित्ति के विकास से हुई है। समुद्र से उठने वाले ज्वालामुखी प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए थे, बाद में ज्वालामुखी के पीछे हटने के साथ वे जलमग्न हो गये, जिससे उथले लैगून के आसपास गोलाकार चट्टानें रह गयीं। द्वीप तब धाराओं के रूप में विकसित हुए और ज्वार-भाटा जैविक मलबे को लैगून में ले गया, जिससे पौधों और पेड़ों के पनपने के लिए एक निवास स्थान बना। इसके अलावा छोटे आकार और कम ऊँचाई (जो शायद ही कभी समुद्र तल से छह फीट से अधिक हुई

हो) की विशेषता वाले मालदीव को समुद्री कटाव की संवेदनशीलता का सामना करना पड़ता है, वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते वैश्विक समुद्री जलस्तर की भविष्यवाणी से द्वीपों की सुभेद्यता भी बढ़ जाती है।

थिवेही (Dhivehi), एक इण्डो-आर्यन भाषा जो संस्कृत से निकलती है और क्षेत्रीय भाषाओं से प्रभावित है, मालदीव की आधिकारिक भाषा है। 12वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ अरबी और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा की शुरुआत के माध्यम से अंग्रेजी द्वारा प्रभावित थिवेही, उल्लेखनीय द्वन्द्वात्मक विविधताओं को प्रदर्शित करती है, जो विस्तारित भौगोलिक फैलाव के कारण दक्षिणी द्वीपों में सबसे अलग तरह से बोली जाती है। थिवेही लिपि, जिसे थाना (Thaana) के नाम से जाना जाता है, अरबी के समान दाएँ से बाएँ लेखन प्रणाली का अनुसरण करती है। पुर्तगालियों से मुक्ति के बाद 16वीं शताब्दी में इसका आविष्कार किया गया, इसमें थाना वर्णमाला में 24 अक्षर और 11 स्वर या डायक्रिटिकल संकेत शामिल हैं, जिन्हें मालदीव में फिली (Fili) के रूप में जाना जाता है, ये विशिष्ट ध्वनियों को निर्दिष्ट करने के लिए वर्णमाला अक्षरों के ऊपर या नीचे रणनीतिक रूप से लिखे जाते हैं। देश की अनूठी सांस्कृतिक परम्पराएँ और विविध भौतिक लक्षण अफ्रीका, अरब, इण्डोनेशिया और भारत से प्रभावित एक मेल्टिंग पॉट के रूप में इसकी भूमिका को दर्शाते हैं। लगभग चार मिलियन की वर्तमान आबादी के, लगभग एक तिहाई नागरिक राजधानी शहर माले में रहते हैं, जबकि शेष अन्य द्वीपों में रहते हैं, जो कि परम्परागत रूप से जीविकोपार्जन के लिए समुद्र पर, विशेष रूप से मत्स्य पालन पर निर्भर हैं। मत्स्य पालन अभी भी रोजगार और आय के मामले में अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, किन्तु पर्यटन वर्तमान में मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्राथमिक स्रोत बन गया है।

वहीं मालदीव के इतिहास की बात करें तो इसका एक प्राचीन इतिहास रहा है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह 2500 वर्षों से अधिक पुराना है। हाल के पुरातात्त्विक निष्कर्ष बताते हैं कि मालदीव के दीपों ने 1500 ईसा पूर्व के आसपास अपने पहले निवासियों को बसाया था। स्थायी निवास का श्रेय आर्य अप्रवासियों को दिया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इसके साथ ही श्रीलंका का उपनिवेशीकरण भी किया था। बाद में दक्षिण भारत और श्रीलंका से प्रवास ने जनसंख्या के विस्तार में योगदान दिया। बाहरी दुनियाँ के साथ सम्पर्क लगभग 947 ईस्वी में शुरू हुआ, जब अरब यात्रियों ने द्वीपों का दौरा करना शुरू किया। अरब और फारसी व्यापारी मोतियों, मसालों, नारियल, सूखी मछली और विशेष रूप से कौरी के गोले के लिए मालदीव की ओर आकर्षित हुए थे, जो सोलहवीं शताब्दी तक अफ्रीका से चीन तक मुद्रा के रूप में काम करते थे। इन व्यापारियों ने मालदीव के समाज और संस्कृति को काफी प्रभावित किया, उनका सबसे उल्लेखनीय प्रभाव धार्मिक क्षेत्र में था—जिसके कारण 1153 ईस्वी में इस्लाम में इसका आधिकारिक धर्मान्तरण हुआ। इस्लाम में धर्मान्तरण के बाद, मालदीव द्वीपों के शासकों ने सुल्तान की उपाधि को अपनाया। माले राजवंश ने अपने पहले सुल्तान मोहम्मद-बिन-अब्दुला (पूर्व में राजा कोइमाला) के बाद 26 अलग-अलग सुल्तानों के अधीन 235 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद, हिलाली राजवंश ने 29 अलग-अलग सुल्तानों के अधीन 170 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। हिलाली शासन के दौरान, विशेष रूप से सुल्तान कल्हू मोहम्मद के तहत, विदेशी शक्तियों को राजनयिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आमन्त्रित किया गया था, जिससे "हिन्द महासागर के मोती" बाहरी दुनियाँ के सामने उजागर हुए।

16वीं शताब्दी के मध्य में, पुर्तगाल ने हिलाली राजवंश के अन्तिम शासक सुल्तान अली VI को हराकर मालदीव पर आक्रमण किया। पुर्तगाली शासन 15 वर्षों तक कायम रहा, जब तक कि उन्हें एक सम्मानित राष्ट्रीय नायक मोहम्मद ठाकुरफान द्वारा उखाड़ फेंका नहीं गया। मोहम्मद ठाकुरफान द्वारा स्थापित उथीमू राजवंश ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक अगले 127 वर्षों (12 अलग-अलग सुल्तानों के तहत) तक शासन किया। जब भारत

के दक्षिण तट से फिर से खतरा पैदा हुआ तो कन्नौर के राजा ने मालाबार पर छापा मारने वाले दल को भेजा, जिससे उथीमू राजवंश का पतन हो गया, जिसकी जगह गाजी हसन इज्जादीन के नेतृत्व में हुरागे राजवंश ने ले ली, जो 1968 तक प्रचलित था। मालाबार हमले के बाद, मालदीव ने श्रीलंका के साथ राजनयिक सम्बन्ध शुरू किये, एक गठबन्धन जो अपने डच और ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बना रहा।

1887 में, मालदीव एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया, जिसने 26 जुलाई, 1965 तक इन स्थिति को बनाए रखा। अन्त में, 11 नवम्बर, 1968 को सल्तनत ने मालदीव को एक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में घोषित किया। इससे राजशाही को समाप्त कर दिया गया और मालदीव एक गणराज्य बन गया। पहले राष्ट्रपति, इब्राहिम नासिर ने 1978 तक कार्य किया। लेकिन तीन दशकों तक (1978-2008) मौमून अब्दुल गयूम ने एकदलीय प्रणाली को बनाए रखते हुए राष्ट्रपति के रूप में शासन किया। इस अवधि ने मालदीव में राजनीतिक आधिपत्य और लोकतन्त्र की कमी को चिह्नित किया। जब 1988 में राष्ट्रपति गयूम के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास हुआ, तो मालदीव के आग्रह पर भारत ने ''ऑपरेशन कैक्टस'' के तहत विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए तुरन्त सैनिकों को भेजा और विजय पायी। 2000 के दशक के अन्त में मालदीव ने एक नये संविधान के तहत एक बहुदलीय लोकतन्त्र की ओर कदमताल करना शुरू कर दिया, जो गयूम के सत्तावादी शासन से मोहभंग होने तथा नागरिक प्रतिरोध का संकेत देता है। एक करिश्माई नेता, मोहम्मद नशीद, मालदीव के पहले प्रत्यक्षतः निर्वाचित राष्ट्रपति बने।

हालाँकि, उनका राष्ट्रपति पद अल्पकालिक था, क्योंकि वे अपना पाँच साल का कार्यकाल पूरा ही नहीं कर पाये। मोहम्मद नशीद के इस्तीफे ने राजनीतिक अनिश्चितता की अवधि को जन्म दिया। उनके उपराष्ट्रपति मोहम्मद वाहिद हसन ने इस संक्रमणकालीन समय के दौरान राष्ट्रपति पद सँभाला। 2013 में अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने, जो अब तक के इतिहास में और विशेष रूप से अपने कार्यकाल के दौरान सबसे अधिक चीन समर्थक राष्ट्रपति रहे। उनके कार्यकाल ने चीन के प्रति मालदीव की विदेश नीति में अत्यन्त झुकाव वाले बदलावों को रेखांकित किया। 2018 में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) का प्रतिनिधित्व करने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने राष्ट्रपति पद सँभाला और भारत के साथ मजबूत सम्बन्धों पर जोर देते हुए 'इण्डिया फर्स्ट' की नीति अपनाई। वहीं 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सोलिह को हार का सामना करना पड़ा, जहाँ मोहम्मद मुइज्जू ने जीत हासिल कर नये राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अपने कार्यकाल के आरम्भिक दौर में ही मुइज्जू ने चीन की तरफ झुकाव के साफ संकेत दिये, जिसमें भारतीय अधिकारियों का मालदीव से प्रस्थान का आदेश देना, सर्वप्रथम भारत की आधिकारिक यात्रा न करना तथा मालदीव के जल सर्वेक्षण परियोजना से भारत को अलग करना शामिल है। गणराज्य की स्थापना के बाद से, मालदीव ने राजनीतिक अस्थिरता के साथ अशान्ति की अवधि भी देखी है। लोकतान्त्रिक शासन और सत्तावादी शासनों के बीच रस्साकशी के साथ नेतृत्व में बदलाव इस देश के राजनीतिक परिदृश्य की विशेषता रही है। 21वीं सदी में बहुदलीय लोकतन्त्र में परिवर्तन एक जटिल और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया रही है, जिसमें राजनीतिक विकास ने इस देश के प्रक्षेपवक्र (Trajectory) क़ो आकार देना जारी रखा है। समय के साथ, मालदीव समुद्री मार्ग के एक अभिन्न अंग के रूप में उभरा तथा भारत समेत अन्य देशों के बीच वस्तुओं, संस्कृति और विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ। मालदीव में 1988 में तख्तापलट का प्रयास और उसके बाद भारत द्वारा मालदीव की सहायता हेतु संचालित ऑपरेशन कैक्टस, जिसमें पहली बार किसी विदेशी भूमि पर भारतीय सैन्य हस्तक्षेप के दर्शन हुए, दोनों देशों के मध्य नाजुक सम्बन्धों का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

भारत को मालदीव की आवश्यकता क्यों है? तो उत्तरस्वरूप विश्व मानचित्र पर एक सरसरी नजर इस द्वीप राष्ट्र के रणजीनतिक महत्त्व को तुरन्त रेखांकित

करती है। मालदीव में भारत के रणनीतिक हित के प्रमुख कारणों में से एक इसकी भौगोलिक स्थिति है। मिनिकॉय से बमुश्किल 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित मालदीव भारत की समुद्री सुरक्षा, वास्तुकला में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वाणिज्यिक समुद्री मार्गों, विशेष रूप से बी.एन. और 11/2 एन. चैनलों के केन्द्र में इसका स्थान, इसे एक ऐसा महत्त्व प्रदान करता है जो इसके आकार से परे है। पश्चिमी तट से इसकी निकटता और हिन्द महासागर के माध्यम से प्रमुख समुद्री मार्गों में इसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए मालदीव भारत की समुद्री सुरक्षा गणना में एक प्रमुख तत्त्व के रूप में कार्य करता है। रक्षा के मामले में, भारत ने मालदीव को सुरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है। अनुमानों से पता चलता है कि मालदीव का लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण भारत द्वारा या तो द्वीपों पर या भारत की विशिष्ट सैन्य अकादमियों में आयोजित किया गया है। पिछले एक दशक में, भारत ने मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के 1,500 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना ने हवाई निगरानी के लिए मालदीव के रक्षा बलों को विमान और हेलीकॉप्टर प्रदान किये हैं। द्वीप के इलाके ऊर्ध्वाधर लैण्डिंग का संचालन करने के लिए मालदीव के कर्मियों को लैस करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भारत द्वारा विस्तार किया गया है। रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के हिस्से के रूप में, भारत ने मालदीव में एक तटीय रडार प्रणाली स्थापित करने का इरादा व्यक्त किया है, जिसका उद्देश्य हिन्द महासागर में निगरानी गतिविधियों को बढ़ाना है। संक्षेप में, मालदीव में भारत का रणनीतिक हित इसकी भौगोलिक स्थिति में गहराई से निहित है, जो समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रशिक्षण में पर्याप्त निवेश और हिन्द महासागर में चीन के प्रभाव को सन्तुलित करने की आवश्यकता को बढ़ाता है।

मालदीव को भारत की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर भारत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली रोजमर्रा की हर सम्भव आवश्यक वस्तुओं में निहित है, जिसमें चावल, मसाले, फल, सब्जियाँ और मुर्गियाँ (स्वाभाविक रूप से समुद्री भोजन को छोड़कर जो मालदीव में बहुतायत में है) से लेकर आधारभूत अवसंरचना निर्माण की वस्तुएँ जैसे—मिट्टी, सीमेण्ट, कांक्रीट तथा रॉक बोल्डर्स तक शामिल है। भारत चावल, मसाले, फल, सब्जियाँ और मुर्गी जैसी दैनिक आवश्यक वस्तुओं का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता बन गया है, जो मालदीव के आहार की रीढ़ है। इसके अलावा, भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहाँ भारत मालदीव के लिए दवाओं का प्राथमिक स्रोत है, जो न केवल रोजमर्रा की दवाओं की आपूर्ति करता है, बल्कि महत्त्वपूर्ण देखभाल और जीवन-रक्षक दवाओं की भी आपूर्ति करता है। भारत सीमेण्ट और रॉक बोल्डर जैसी आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति करके मालदीव को बुनियादी ढाँचे के विकास में अपना समर्थन देता है। विशेष रूप से, भारत ने मालदीव की स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका उदाहरण 300 बिस्तरों वाले इन्दिरा गाँधी मेमोरियल अस्पताल का निर्माण है, जो एक प्रमुख बहु-विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा है तथा मालदीव के लोगों की भलाई के लिए भारत की प्रतिबद्धता का जीता-जागता वृहद् प्रमाण है। व्यापार सम्बन्ध 2022 में शिखर पर पहुँच गए, जिसमें भारत दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया। भारत ने रणनीतिक रूप से न केवल राजनयिक और राजनीतिक जुड़ाव के लिए बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य कारणों से भी अधिकांश मालदीववासियों के लिए पसन्द के पहले गन्तव्य के रूप में खुद को स्थापित किया। अपेक्षाकृत कम जनसंख्या आधार और फैले हुए द्वीपों के साथ, मालदीव में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों की कमी थी। इसके जवाब में, भारत मालदीव के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का प्राथमिक प्रदाता बन गया। यही नहीं, भारत सरकार मालदीव के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करके शैक्षिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति ने भारतीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में मालदीव के छात्रों के वार्षिक प्रवाह को सुगम बनाया और संकट के समय में भारत लगातार मालद्वीव के लिए समर्थन का स्तम्भ

रहा है। चाहे वह 1988 में मालदीव में तख्तापलट का प्रयास विफल करना हो, 2004 की विनाशकारी सुनामी हो या 2014 में माले में अचानक पेयजल संकट हो, भारत ने सदैव त्वरित तथा प्रभावकारी सहायता प्रदान की है। भारतीय नौसेना और मालदीव की नौसेना के बीच रक्षा क्षेत्र की सुदृढ़ता हेतु संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किये जाते हैं। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत ने द्वीप देश को आवश्यक दवाएँ, मास्क, दस्ताने, पीपीई किट और बाद में टीके भेजे। संकट के समय में, भारत ने त्वरित रूप से सहायता प्रदान की तथा सदैव एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में लगातार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Central Intelligence Agency (2024, February 20), Indian Ocean. Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/the-worldfactbook/oceans/indian-ocean/
2. Encyclopedia Britannica , Ed. (2024, February 26), Maldives, Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/place/Maldives
3. Parmar, S. (2012, August 13), Ganesh Pote asked : What is the geopolitical significance of the Indian Ocean, Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses. https://idsa.in/askanexpert/geopolitical significanceoftheIndianOcean
4. Press Trust of India (2022, March 15), Maldivian president thanks India for "generous aid" during Covid pandemic, Business Standard. https://www.business-standard.com/article/international/maldivianpresident-thanks-india-for-generous-aid-during-covid-pandemic-122031500365_1.html
5. Roy, S. (2024, January 12), Maldives Row : 3 key issues . Indian Express .
6. Chatterjee, A. K. (2024, January 14), Maldives, India, China : History shapes the present, The Indian Express. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/india-maldivesdiplomatic-row-mohamed-muizzu-narendra-modi-9108315/

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

मानवीयता का लोप एवं बढ़ता व्यक्तिवादी दृष्टिकोण

डॉ. विजय कुमार वर्मा*

शोध-सारांश

मानवीयता मनुष्य का आभूषण और सामाजिकता उसका सौन्दर्य है। मानवीयता विहीन मनुष्य पशुवत् श्रेणी से किसी भी मायने में उच्च नहीं है। मानवीयता ही उसे समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। मानवीयता ही उसे व्यक्ति, समूह और समाज की ओर आकर्षित करके उनको नियमों, विधानों, संस्कारों, मूल्यों के अनुरूप जीवन जीने के लिए बाध्य कर देती है। यही बाध्यतामूलक विचार व्यक्ति की पाशविक प्रवृत्ति को कमजोर करके समाज के अनुरूप जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं के हित से ऊपर उठकर समाज के लिए सदैव तत्पर रहे। इससे न केवल व्यक्ति का ही विकास होगा, वरन् सम्पूर्ण मानव समाज का हित होगा। मानवीयता का विचार व्यक्ति को कभी मरने नहीं देता है। वह मर कर भी युगों-युगों तक जीवित रहता है। तभी तो मदर टेरेसा, सुकरात, गाँधी, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, विवेकानन्द आदि समाज में अभी तक मानवीय विचारों के कारण जीवित हैं और भविष्य में रहेंगे। परन्तु आज व्यक्तिवादी सोच ने मानवता के विपरीत कार्य करना आरम्भ कर दिया। जो सम्पूर्ण समाज के लिए सबसे बड़ा संकट है।

मानवीयता गुणों का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के मन की उपज नहीं है, यह तो समाज में किये गये नैतिक एवं शुभ कार्यों का संग्रह है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूर्ण करता है तो उसे यह अवश्य ज्ञात हो जाता है कि उसने अच्छा कार्य किया है या बुरा, नैतिक कार्य किया है या अनैतिक, शुभ कार्य किया है या अशुभ। इसी प्रकार समाज में भी उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ, अच्छा-बुरा का भाव व्याप्त होता है। मानव ने जब से दो पैरों से चलना सीखा, पशुवत् प्रवृत्तियों में कमी आना आरम्भ हो गया। धीरे-धीरे एकाकीपन, क्रोध, हिंसा की जगह समूह, प्रेम, सहयोग के भाव उत्पन्न होने लगे। व्यक्ति अब केवल अपने लिए ही नहीं, वरन् समूह, समाज के लिए भी, जीना आरम्भ कर दिया और कुछ समय बाद यही कारण धीरे-धीरे सम्पूर्ण मानव जाति के लिए लागू हो गई, जिसे मानवतावादी दृष्टिकोण कहते हैं। यह मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शुभ एवं आदर्श होता है। इसी प्रकार का विचार विदुर नीति में भी मिलता है—

दानं होम दैवतं मंगलानि,
प्रायश्चितानि विविधालोकवादान्।

* *असिस्टेण्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र-विभाग),* खरडीहा महाविद्यालय, गाजीपुर

एतानि च कुरुते नैत्यकानि,
तस्योत्थानं देवता राधयान्ति।।[1]

अर्थात् जो पुरुष दान, होम, देवताओं की पूजा, शुभकर्म, प्रायश्चित तथा विभिन्न प्रकार के सांसारिक आचार इन नित्य किये जाने वाले कर्मों को करता है, देवता लोग उनकी उन्नति की सिद्धि करते हैं। धर्मशास्त्रों तथा नैतिक ग्रन्थों में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि व्यक्ति मिथ्या और कपटपूर्ण कार्यों से बचे तथा व्यक्तिगत हित के साथ समाज के हित को भी सर्वोपरि रखते हुए कार्य करे। विदुर नीति में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को समझाया गया है कि, ''हे धृतराष्ट्र! मिथ्या उपायों के प्रयोगों द्वारा जो कपटपूर्ण कार्य करके व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना चाह रहे हो, उन कार्यों में अपना ध्यान न लगाओ।''

मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत।
अनुपायप्रयुक्तानि मां स्म तेषु मनः कृथा।।[2]

मानवता हमें यह प्रेरणा देती रही है कि हम दूसरों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, जब उन्हें सहायता की अति-आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थों की बलि चढ़ा देता है तो वह मानवता की सेवा के लिए श्रेष्ठ मानव के रूप में सामने आता है। इस मानवता का सबसे सुन्दर उदाहरण मदर टेरेसा को दिया जा सकता है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उनमें सबसे तीव्र और समझ वाला प्राणी मानव ही है। मानवतावादी विचार केवल मनुष्य ही समझ सकता है। सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए हर सम्भव मदद करना चाहिए। सभी जीवों को जीवन जीने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। यह भाव हमारे मन में तब आता है जब हमारी स्वयं की स्वतन्त्रता, किसी व्यक्ति, समूह अथवा संस्था के द्वारा सीमित या समाप्त कर दी जाती है। स्वयं के लिए जो व्यवहार या दृष्टिकोण अच्छा न लगे वह हमें दूसरों के साथ कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसे ही व्यवहारों से समाज के लिए आदर्श नियम और उदाहरण बनते हैं, जिसका अनुकरण करके सदैव आने वाली पीढ़ियाँ समाज के व्यवहारवादी नीति को जिन्दा रखे हुए हैं।

मानव समाज का विचारपूर्वक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि संसार में मानव समाज की बस एक ही लालसा रहती है कि वह आनन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करें, किन्तु इस आनन्द को व्यक्ति सांसारिक भोग पदार्थों में खोजने की बहुत बड़ी भूल करता है और वह हर तरह के निन्दनीय आचरण करके मानवतावादी प्रवृत्ति के विपरीत भौतिक संसाधनों को ही संचित करने में सारी ऊर्जा लगा देता है। आज पद-प्रतिष्ठा तथा धन के लोभ में जो लोग अनैतिक रूप से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार की विचारधारा स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद योद्धाओं की रही होती तो आज स्वतन्त्र भारत का नागरिक होना एक दिवा स्वप्न होता। आज सरकारी सेवा के लिए जो हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, ऐसे ही गौरवान्वित पद आई.सी.एस. को श्री सुभाषचन्द्र बोस ने ठुकरा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगभग 600 देशी रियासतों के विलय के बाद जो ख्याति मिली तथा स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पद के लिए 15 सदस्यों की समिति में से 13 सदस्यों के समर्थन के बाद भी प्रधानमन्त्री जैसे गौरवपूर्ण पद को ठुकरा दिया। वे धन्य थे जो विषम परिस्थितियों में भी मानवता की सेवा में तत्पर रहे तथा कभी भी अपने लक्ष्य से भटके नहीं।

प्रारम्भिक अवस्था में परिवार की स्थापना का उद्देश्य केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं था, वरन् नैतिकतापूर्ण प्राणिशास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सुख-शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करना रहा है। परन्तु नैतिकता से भ्रष्ट ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पति अपने सुख एवं व्यक्तिगत हित के लिए पत्नी को भी मार देने में तनिक भी संकोच नहीं करता और पत्नी द्वारा भी दैहिक सुख के लिए लम्बे समय से चले आ रहे सामाजिक मर्यादाओं, संस्कारों और सात जन्मों के कसमों को भी क्षणिक सुख और लालच के लिए क्षणमात्र में गला घोंट देने के उदाहरण आयेदिन अखबारों में छपते रहते हैं। बेटा सम्पत्ति के लिए माँ का कत्ल करने में संकोच नहीं कर रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण अमर उजाला के 22वें संस्करण में मिला है, जहाँ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली थाना के अन्तर्गत कठऊत गाँव में मकान बेचने का विरोध करने पर पुत्र ने माँ का रस्सी से कसकर गला घोंट दिया तथा शव को ठिकाने लगाते

समय जब बहन ने देख लिया तो उसकी भी गला दबाकर हत्या कर दिया।[3]

इस प्रकार धन की भूख क्या व्यक्ति को सुख और शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने देगी? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि धन तो केवल व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है, मन की शान्ति नहीं। मन की शान्ति तो दया, परोपकार, आत्मसन्तोष में है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए काशी प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है कि—''अनैतिकता और दूसरों का गला रेतकर धन अर्जित कर अपने को सफल बनाने वालों में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सुख और शान्ति प्राप्त हुई हो।''[4] समाज में विभिन्न सेवाओं में कार्यरत (परिचारक से लेकर जिलाधिकारी तक के) समस्त पदों पर पदस्थ व्यक्तियों में से कुछ के द्वारा विशेष कार्य जो समाज के हित में तथा न्याय संगत होता है, को सरकार द्वारा समय-समय पर सम्मानित या पुरस्कृत किया जाता रहा है, जिससे समाज के नागरिकों द्वारा ऐसे व्यवहारों एवं कार्यों को अधिक-से-अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार के कार्यों से समाज में संगठन एवं व्यवस्था सुदृढ़ रहती है। सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति की नैतिकता में घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। व्यक्ति जो बनना चाहता है, उसी प्रकार का कार्य चयनित करता है। जब वह नैतिक कार्यों का चयन करता है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य यह होता है कि उस कार्य के बदले व्यक्ति को जो सम्मान प्राप्त होता है, व्यक्ति के लिए उस सम्मान से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं, परन्तु इसके विपरीत एक व्यक्ति दूसरे को उसी रूप में समझने का प्रयास करता है और उन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुसरण करता है जो समाज में नैतिकता के विरुद्ध आचरण करते हुए सामाजिक व्यवस्था के विपरीत हर तरह के आचरण अपनाते हुए अनैतिक कार्यों को महत्त्व देने लगता है और अपने आपको मानवता के विपरीत तैयार कर लेता है। व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार क्यों अपनाता है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति सामाजिक विरोध से प्राप्त धन-सम्पदा को अधिक आँकता है तथा उनसे मिलने वाले दण्ड एवं अपमान को कम आँकता है या नजरन्दाज करता है तो वह अवश्य ही मानवता विरोधी प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होता है।

व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करके निजी जीवन या सामाजिक जीवन के क्षेत्र में अपने को खुश समझने का प्रयास करता है, जो आधुनिक मान्यता से भिन्न है, इसी बात को स्पष्ट करते हुए गोविन्दचन्द पाण्डेय ने लिखा है कि, ''भोग और नीति में विरोध तभी तक है, जब तक भोग व्यक्तिवादी है, वही भोग निःस्वार्थ होकर सामाजिक कल्याण की दृष्टि से नैतिक बन जाता है, मनुष्य का व्यवहार जिन भावों एवं नियमों को उपयोगी पाता है, वही नैतिक व्यवस्था बनाते हैं।''[5] समाज में सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा तुच्छ लाभ के लिए झूठ बोलना, अपनी ही बात से मुकर जाना, लोगों की आँखों में धूल झोंक कर अपने स्वार्थों की पूर्ति करना एक आदत-सी बनती जा रही है, जो सम्पूर्ण मानवता के लिए अभिशाप है। क्योंकि ये समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं, जिनका हर व्यक्ति अनुकरण करके जीवन-निर्वाह करना चाहता है। हर व्यक्ति गाड़ी, बंगला, नौकर आदि बनाने की चाह में लगा है, क्योंकि यही गाड़ी, बंगला, सम्पत्ति आज समाज में सम्मान का प्रतीक है। इसीलिए झूठ का सहारा लेकर, लोगों का शोषण करके बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ले रहा है। एक उदाहरण के रूप में पूर्व विधायक विजय मिश्र की 70 करोड़ की सम्पत्ति 18 महीने में 13 दिसम्बर, 2022 तक कुर्क की जा चुकी है।[6] ऐसे ही हजारों व्यक्ति हैं जो सत्य का सफेद चादर ओढ़कर अपने आपको समाज का शुभचिन्तक बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जब किसी समूह, सोसाइटी में अपने दल-बल के साथ पहुँचता है तो उसके सम्मान में सभी अपनी कुर्सियाँ छोड़कर हाथ जोड़ने की चाटुकारिता करते हुए आव-भगत करते हैं। जिसकी नकल समाज का आम आदमी भी अपनाना आरम्भ कर देता है। यही सम्मान आव-भगत वह अपने लिए भी दूसरों से अपेक्षा करने लगता है और धन-सम्पदा, गाड़ी, बंगला को प्राप्त करने के लिए सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा अपनाये गये अनैतिक आचरणों, गलाकाट प्रतियोगिताओं का वह अन्धानुकरण करना प्रारम्भ

कर देता है, जो भौतिकता के चकाचौंध में प्रवेश करते ही अमानवीयता के कुत्सित दलदल में फँस जाता है। जहाँ वह शोषण, अत्याचार, घटतौलिया, दलाली, मर्डर आदि का साम्राज्य स्थापित करके समाज में अग्रणी व्यक्तियों की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। श्रीकृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि—

यद्यदाचरतिश्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनु वर्तते।।[7]

अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस-उस के अनुसार ही वर्ताव करने का प्रयास करता है। अर्थात् सम्भ्रान्त व्यक्तियों के व्यवहारों के अनुकरण के प्रभाव स्वरूप ही मानवीयता का अधःपतन हो रहा है।

अर्थात् धर्मग्रन्थों में ऋषियों तथा समाज विद्वानों द्वारा मानवता के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव देखने को मिलता है। आचार्य चाणक्य की रचना में मिलता है कि—

त्यजेत एकं कुलस्वार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्।
ग्राम जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्।।[8]

अर्थात् व्यक्ति का चिन्तन सार्वजनिक हित या समाज-कल्याण में होना चाहिए। व्यक्ति को व्यक्तिगत हानि उठाकर भी सार्वजनिक कल्याण की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत हित से सामाजिक हित को सदैव सर्वोपरि माना गया है। रामचरितमानस की निम्न पंक्तियाँ उपर्युक्त तथ्य का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। यथा—

यहि तन कर फल विषय न भाई।
स्वर्गउ स्वल्प अन्त दुखदाई।।
नर तन पाइ विषय मन देही।
पलटि सुधा ते सठ विष लेही।।[9]

अर्थात् जो मनुष्य का शरीर पाकर, विषयों में आसक्त होकर वस्तुओं के भोग को ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं, वे मूर्ख होते हैं। मानो वे अपने हाथों से अमृत का कटोरा त्याग कर विष का प्याला पी रहे हैं। अर्थात् इस शरीर के प्राप्त होने का विषय भोग नहीं है, स्वर्ग का भोग भी अल्प है और अन्ततः दुःखदायी है। आज मानव-जीवन से संस्कार विलुप्त हो रहे हैं। फ्रांस की क्रान्ति के बाद पूरे विश्व में, स्वतन्त्रता, समानता, विश्वबन्धुत्व की भावना का तेजी से प्रभाव बढ़ा, वहीं दूसरी ओर मानवता को समाप्त कर देने वाली होड़ ने भाई-भतीजा, विद्वान्, साहित्यकार, किसान, श्रमिक, मजदूर आदि को बेबस, लाचार, मूक बना दिया गया है। सबसे अधिक विश्वास धर्म पर ही देखने को मिलता है, परन्तु धर्म को भी अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत करके समाज को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। वही धर्म सर्वोपरि है जो मानव मात्र के लिए कल्याण के लिए समर्पित हो। हमारा अपना मानना कि धर्म मानव के लिए होना चाहिए न कि मानव धर्म के लिए। जब धर्म को जाति विशेष या वर्ग विशेष के हितार्थ बनाया जाता है तो उसमें व्यक्तिवादी भावनाएँ और स्वार्थ उस धर्म को मानवता के विपरीत व्यक्तिगत हित या सामूहिक हित के लिए बार-बार परिवर्तित करके पारिभाषित किया जाता है। धर्म का हाथ इतना लम्बा होना चाहिए कि सम्पूर्ण मानवता के लिए बिना किसी भेदभाव के तत्पर रहे। किन्तु धार्मिक मठों, संस्थानों में किसी जाति विशेष के लोगों को ही महत्त्व दिया जा रहा है जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में कभी कमी न हो, वे अपने तथा सामूहिक विकास में सदैव लगे रहें, जो मानवता के विपरीत है।

जीवन जीने की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति यदि सैनिकों में आ जाय और किसान भी निजी स्वार्थ के लिए कार्य करना आरम्भ कर दें तो क्या सामाजिक जीवन की यथार्थता सम्भव रह पायेगी? सैनिक जिस दिन यह सोचने लगेगा कि मैं समाज के लिए रातोंदिन धूप, वर्षा और कड़ाके की ठण्ड में क्यों कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत करूँ? तो पता है, समाज की क्या स्थिति होगी? लोगों की नींद हराम हो जायेगी। जो हम आरामपूर्वक रातभर चैन की नींद लेते हैं, गायब हो जायेगा। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। अतः सभी व्यक्तियों के सुख-चैन के विषय में सभी को सोचना चाहिए। किसानों की व्यक्तिवादी सोच अन्न का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए अधिकतम कीटनाशक दवाओं का प्रयोग तथा डी.ए.पी. का प्रयोग अन्न को जहर बना देगा, जो स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं होगा। आज हम बाजार में ढूँढते हुए फिरते हैं कि कम खाद वाली सब्जी और अन्न मिल जाय तथा

वह भी प्राकृतिक हो, बनावटी न हो, तब क्या यह सम्भव हो पायेगा। आज जब समाज में कुछ गिने-चुने लोग इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं तब हम सबकी स्थिति यह है, जब अधिकतम लोग इस प्रकार का व्यवहार करने लगेंगे तो भविष्य में समाज की क्या स्थिति होगी, यह अन्दाजा भी सहजता से नहीं लगाया जा सकता है।

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि समाज में बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति न स्वयं व्यक्ति को और न समाज को शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करने देगी। सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था धीरे-धीरे पूर्णतः व्यक्तिवादी प्रवृत्तियों के प्रभाव में आ जायेगी और अमानवीयता का साम्राज्य स्थापित हो जायेगा। बढ़ती व्यक्तिवादी प्रवृत्ति को समाप्त करना तथा सम्पूर्ण मानव समाज को मानवीयता के धागे में पिरोना भूसे के ढेर में सुई खोजने के बराबर है। यह कार्य कठिन अवश्य है, परन्तु असम्भव नहीं। यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विज्ञान के अनुसार व्यवहार करना होगा नहीं तो जो व्यवहार वर्तमान विज्ञान के विपरीत होगा वह पाखण्ड और मिथ्याभिमान बनकर समाज का शोषण करेगा। यदि हमें मानवीयता को निरन्तर गतिमान रखना है तो धर्म और विज्ञान के बीच की विसंगतियों को समाप्त करना होगा तथा राजनीति को भी स्वस्थ धर्म का जामा पहनाना होगा, जिससे आम लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव सहज और सरल हो सके। समाज में व्यक्तिवादी व्यवहार भ्रम उत्पन्न करता है। अतः कथनी और करनी में समानता रखते हुए एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति के साधन बनकर जीने से सामाजिक जीवन को सरल बनाया जा सकता है। यही मानवीयता को बचाने का सबसे बड़ा आधार है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विदुर नीति 1/121
2. विदुर नीति 2/6
3. अमर उजाला 22वाँ संस्करण, 16.11.2022
4. मानवीय शिक्षा (भाग तीन)—काशी प्रसाद त्रिपाठी, 3/96
5. मूल मीमांसा—गोविन्दचन्द पाण्डेय, पृ. 118
6. अमर उजाला, 1 जनवरी, 2023
7. श्रीमद्भगवद्गीता 3/21
8. चाणक्यनीति 3/10
9. श्रीरामचरितमानस—तुलसीदास, उत्तरकाण्ड, दोहा 43 के बाद की चौपाई

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6
Paper Recieved : 29th Feb. 2024 Paper Accepted : 17th March 2024

CIRCUIT TRAINING AND COOPERS RUN WALK PERFORMANCE AMONG KHO KHO AND KABBADI PLAYERS

❒ Dr. Dheeraj Kumar*

ABSTRACT

Cardiovascular Endurance, Flexibility, Agility, Speed, and Explosive Strength were the independent variables that this research aimed to correlate with Kabaddi Performance. Thirty male kabaddi players at the university level from several Meerut universities were chosen for this research. The individuals ranged in age from 16 to 21 years old. Performance in Kabaddi was regarded asA dependent variable. The chosen physical fitness variables were assessed using various methods. The Product Moment Method of correlation was used to determine the relationship between the dependent variable (kabaddi performance) and the independent variables (cardiovascular endurance, flexibility, agility, speed, and explosive strength). Cardiovascular Endurance and Kabaddi Performance are significantly correlated. Both explosive strength and agility. Performance in Kabaddi and Flexibility and Speed are not significantly correlated. The Kabaddi Performance, Cardiovascular Endurance, Flexibility, Agility Speed, and Explosive Strength regression equation didA good job of estimating Kabaddi Performance using the independent variables of choice.

Keywords–*Circuit Training, Coopers Run, Kho Kho, Kabaddi Players.*

INTRODUCTION

NowA days Circuit Training is consideredA great way to increase efficiency in Fitness Industry, Military and Sports. It is the most organized and effective way of doing physical exercises and most challenging and self-motivating means to develop strength, endurance, flexibility, co-ordination and mobility. Later various forms of Circuit Training were explained by Scolich in 1979. The word 'Circuit' refers to careful selection and systematic arrangement of exercises. Circuit exercises must be selected and arranged in suchA way to fulfil our fitness goals and have positive effects on overall fitness and to develop general endurance, muscular power and endurance, strength and

* *Assistant Professor, Department of Physical Education,* Sri Ram Murti Gupta Govt. P.G. College Chharra Aligarh

flexibility separatelyDevaraju, K. (2012).

The original format developed by Adamson and Morgan suggests 8-12 stations. Some researchers give their point of view that Circuit training should have 9-12 Station.

Each participant proceeds swiftly from one Station to the next without break, and must complete an activity for at least 15–45 seconds at each Station with 8–20 or more repetitions inA circuit-style approach. In other words, inA Circuit fashion, each exercise is performed for prescribed time duration and numbers of repetitions are also specified. InA Circuit, each exercise is separated by time intervals taken. In this way whole Circuit is completed. The total Circuits may vary from 2 to 6 in numbers; according to the level of players (Beginners', Inter-mediates and advanced). Stations are usually located at approximately equal distance from each other and name of exercise performed on each station can be displayed on card boards or signs may also be used for this purpose. Generally, exercises in Circuit Training are performed on sub-maximal workload and resistance is about 40% to 60% of one repetition maximum (1RM) which can be increased as per requirement. One important thing should be kept in mind that workload should be within capacity of performer because in this training method, the players are not required to compete against each other but to evaluate himself against his previous performance. So this training is helpful in developing feeling of honesty, self- evaluation, self-discipline and reduces the possibility of stress, anxiety and sense of inferiority complex Dey, S., Khanna, &Batrat, M. (2012).

Circuit Training may be performed with or without apparatus, e.g either some machines, weights and equipment's are used or elastic resistance and calisthenics exercises are used. But sequence of exercises should be arranged in suchA way that no consecutive station consists of exercise involving the same muscle group and should include exercises of all body parts. Training frequency should be as per desired goals but at least 6-8 weeks training frequency should be decided forA successful training programme.

METHODOLOGY

Researchers in this research surveyed 30 male kabaddi players from Meerut's academic institutions. People in the study were between the ages of 16 and 21. Choice of Factors: We used the following variables as our basis for our analysis: Performance in Kabaddi asA Dependent Variable Free-Range Factors (1) Detonation power, (2) Rapidity, (3) Quickness, (4) Adaptability and Cardiovascular Endurance Evaluation Criteria: The following measures of physical fitness were taken: flexibility (using the sit-and-rich test), explosive strength (using the standing broad jump), speed (using the 50-yard dash), agility (using the 4x10m shuttle run), and cardiovascular endurance (using the 12-minute run/walk cooper test), all measured in meters. The five experts in Kabaddi used the following five criteria to evaluate players: 1) how well they moved during raids and when caught, 2) how well they dodged raiders, 3) how many times each player used defensive and offensive skills, 4) how many times each player scored an out, and 5) how well they behaved during the match asA whole. There wasA maximum of 10 points for each criterion, andA total of 50 marks were given to evaluate the performance.

CIRCUIT TRAINING COOPER'S 12Min RUN/WALK

Figure showsA bar chart showing the average values of the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups on Cooper's 12-minute run/walk test before and after the intervention. the same data. The t-test findings for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups' averages of Cooper's 12-minute run/walk pre- and post-test are shown in Table. Meters were used to display the data pertaining to the pre- and post-results.

Results and Discussion

Table 1 : showing the computation of 't' value of data of pre and post test mean values of control group, khokho group and kabaddi group for cooper's 12min run/walk

S.No	Group	Means		S.D		Obtained 't'	Required 't'/ (0.01 level)
		Pre	Post	Pre	Post		
1	CONTROL GROUP	2048.33	2049.00	114.80	113.76	0.16#	2.756
2	KHO KHO	2069.33	2343.00	101.44	129.54	11.13*	
3	KABADDI	2045.00	2361.00	121.31	159.90	10.10*	

*Significant at 0.01 level #Not Significant at 0.01 level Degrees of Freedom = 29

The average pre-test scores for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups were 2048.33, 2069.33, and 2045.00, respectively. The average scores on the post-test for the control group, the Kho Kho group, and the Kabaddi group were 2049, 2343, and 2361. The value of 't' is determined to be 0.45 for the Control group, 15.20 for the Kho Kho group, and 14.77 for the Kabaddi group. With 29 degrees of freedom andA confidence level of 0.01, the needed value is 2.756. This is because the computed value is smaller than the necessary 't' value. Cooper's 12-minute run/walk time improved after participating in both the Kho Kho and Kabaddi circuit training groups. Data of adjusted posttest mean values of Control group, Kho Kho group, and Kabaddi group on Cooper's 12min Run/Walk were shown asA bar diagram with measures in meters, and were tested using analysis of covariance. The analysis of covariance on Cooper's 12min Run/Walk between pre and posttest mean values of Control group, Kho Kho group and Kabaddi group have been conferred.

Figure1: diagramatic performances of adjusted post-test of control, khokho and kabaddi groups on cooper's 12min run/walk

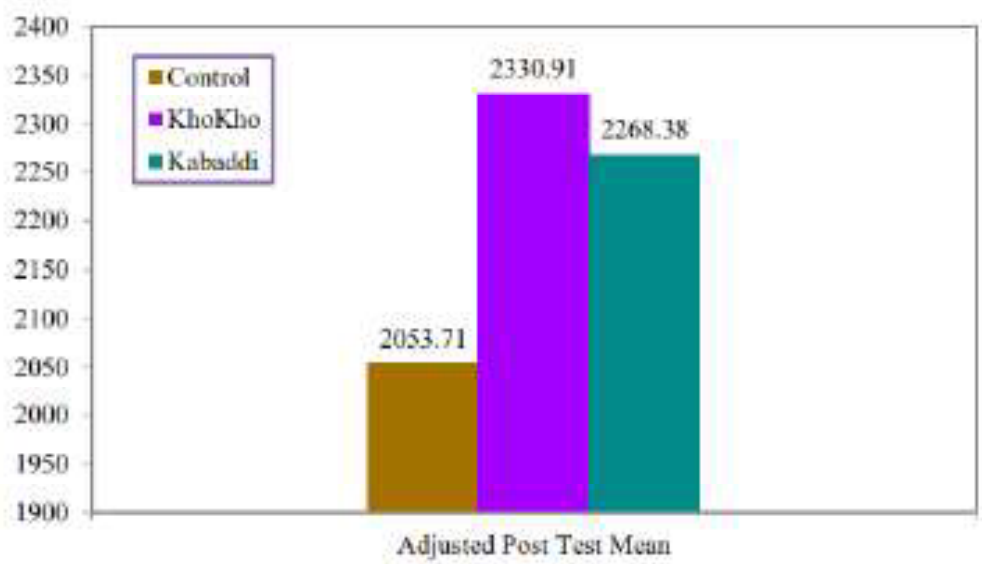

Table 2: Analysis of co-variance data of pre and post test mean values of control group, khokho group and kabaddi group for cooper's 12min run/walk

Test	MEANS			Sum of Squares	DF	Mean Square	Obtained F- Ratio	Req. F-Ratio at 0.01
	Control Group	Kho-Kho Group	Kabaddi Group					
Pre test	2048.33	2069.33	2045.00	B:10442.22	2	5221.11	0.41#	4.86
				W: 1107353.33	87	12728.20		
Post test	2049.00	2343.00	2361.00	B: 1381040.00	2	690520.00	37.47*	
				W: 1603370.00	87	18429.54		
Adjusted posttest	2053.71	2330.91	2268.38	B: 1264405.65	2	632202.83	60.76*	
				W:894860.12	86	10405.35		

Pre-test values for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups were 2048.33, 2069.33, and 2045.00. The computed F-ratio is lower than the table requirement of F-4.86 forA degree of freedom (2, 87). Post-test averages for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups, respectively, were 2049, 2343, and 2361.

Following the implementation of the necessary adjustments, the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups achieved, respectively,A mean score of 2053.71, 2330.91, and 2268.38 on the post-test. The estimated F-ratio of 60.76 is more than the tabular F-ratio of 4.86 due to the fact that the degree of freedom was set at 2.86 and the confidence level was set at 0.01. Following the completion of the tests, adjustments were done, and the results revealed that there wasA statistically significant difference between the groups. Second, after controlling for confounding variables, there isA statistically significant difference between the Control and Kabaddi groups on post-test averages. When the two sets of people are compared, it becomes clear.

Finally, the corrected post-test averages for the Kho Kho and Kabaddi groups do not vary significantly from one another.

Following their participation in the circuit training, the Kho Kho and Kabaddi groups outperformed the Control group in terms of their overall performance. Between the training groups, Kho Kho group performed better than the Kabaddi group.

CONCLUSION

(1) It was determined that both the Kho Kho and the kabaddi groups exhibited significant improvement asA result of the twelve weeks of circuit training on the physical fitness variables of speed, agility, flexibility, explosive power, and cardio respiratory endurance, as well as on the psychological fitness variables of anxiety and achievement motivation.

(2) When comparing the effect of circuit training, due to the similar motor abilities involved in Kho Kho and kabaddi games, there was no significant difference between the Kho Kho groups and the kabaddi groups on speed, agility, flexibility, explosive power, cardio respiratory endurance, anxiety, and achievement motivation. This was due to the fact that Kho Kho and kabaddi games involve similar motor abilities.

(3) AsA result of the effects of circuit training, the Kho Kho group demonstratedA more modest improvement than the kabaddi group onA number of factors, including their speed, flexibility, agility, and cardiorespiratory endurance. With the effect of circuit training, kabaddi group had showed slight improvement than Kho Kho group on explosive power.

REFERENCES

- Devaraju, K. (2012). Prediction of playing ability in Kabaddi from selected Anthropometrical, Physical, Physiological and Psychological Variables among college level players. International Journal of Management, 3(2), 150-157.
- Dey, S., Khanna, K., G, L., &Batrat, M. (2012). Morphological and physiological studies on
- Indian national Kabaddi players. Br J Sports Med, 27, 237-242.
- Gangey, O., &Kerketta, I. (2016). Relationship between selected motor fitness and playing ability of volleyball players. International Journal of Academic Research and Development, 1(6), 25-26.
- Jadhav, K. M. (2011). Role of Yoga in Kabaddi Sport. Golden Research Thoughts, Vol.1 (2).
- Kamlesh, M. L. (1983). Psychology in Physical Education and Sports. New Delhi: Metropolitan Book Company.
- Kansal, D. K. (1996). Test and Measurement in Sports and Physical Education. New Delhi: D.V.S. Publications.
- Kerketta, I., & Singh, R. (2015). Comparison of cardiovascular endurance between male soccer and hockey players of G.G.V. bilaspur. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(2), 326-327.
- Meena, T. R., & Choudhary, R. (2011). Estimation of lean body mass on the basis of vertical jump, weight, vital capacity, in-breath chest circumference. Proceedings of International Conference on Physical Activities and Sports for Global Peace and Development. IGIPESS New Delhi, 121-124.
- Mishra, M. K., & Thakur, J. S. (2015). An estimation of kho-kho performance on the basis of selected physical fitness parameters. International Journal of Sports Sciences & Fitness, 5 (2), 235-250.
- Pandey, A. K., Sardar, S., & Yadav, M. (2016).A comparative study of flexibility between kabaddi and kho-kho male players. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 3(3), 373-374.
- Singh, K., & Singh, R. (2015). Relationship of selected anthropometric variables with the velocity of ball in pace bowling in cricket. International Journal of Applied Research, 1(10), 613-616.
- Singh, K., & Singh, R. (2016). Selected anthropometric variables as predictors of fast bowling performance in cricket. Academic Sports Scholars, 5(6), 1-9.
- Singh, R., & Kerketta, I. (2016).A comparative study of selected motor fitness parameters between male basketball and volleyball players. International Journal of Advanced Research and Development, 1(4), 75-76.
- Verma, A., Rana, D., & Singh, A. (2011). To Develop Physical Profile of Kabaddi Players: The Descriptive Study. Indian Journal of Movement Education and Exercises Sciences, (IJMEES), Vol. 1(1).
- Verma, J. P. (2011). Statistical Methods for sports and physical education. Tata McGraw Hill Education Private Limited: New Delhi.
- Williams, J. G. P. (1962). Sports Medicine, Edward Arnold Ltd.: London, p.1.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

जीवन मूल्यों का उद्भव एवं स्रोत

□ **विराग जैन***
□ **डॉ. आशीष कुमार जैन****

शोध-सारांश

जीवन मूल्यों पर गहन विचार करने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हमारे जीवन मूल्यों के स्रोत के रूप में भारतीय सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा एवं भारतीय सामाजिक नियमों एवं मान्यताओं का विशेष स्थान है। हमारे आत्मवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, परलोकवाद, जैसे दार्शनिक सिद्धान्त मनुष्य की मान्यताओं एवं नैतिक मूल्यों को नियंत्रित करते रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के भय के कारण भी मनुष्य अनुशासन, नैतिकता और सदाचरण की ओर उन्मुख था। उसे नरकवास या आगामी जन्मों में कष्ट भोग का भय अवश्य रहता था। इसके अतिरिक्त अनैतिकता, कदाचार आदि के लिए समाज में बहिष्कार का दण्ड अत्यन्त कठोर माना जाता था। समुदाय का भय बराबर बना रहता था, अतः कर्त्तव्यनिष्ठा, सत्य, अहिंसा, एक पत्नीव्रत, पतिव्रत, त्याग, परोपकार, पवित्रता, अतिथिसत्कार, समयपालन आदि मूल्यों का अनुपालन उसके लिए आवश्यक था।

मुख्य शब्द–*जीवनमूल्य, उद्भव, स्रोत।*

विविध विचारधाराओं एवं मान्यताओं का विश्लेषण ऐतिहासिक आधार पर करना अनिवार्य है। यह विचारधारायें व मान्यतायें भारतीय सामाजिक संस्कृति की अभिन्न अंग हैं और यही हमारे नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्रोत हैं। भारतीय संस्कृति धर्म एवं दर्शन व साहित्य में संस्कृति उन्नयन–धर्म संरक्षण, दर्शन व साहित्य की मीमांसा से संबंधित सिद्धान्तों, मान्यताओं, उपदेशों, शीलोपदेशों, विचारधाराओं से जीवन मूल्यों का उद्भव एवं स्रोत मिलता है, जो इस प्रकार है–

(1) ईश्वरवाद और मूल्य–भारतीय दर्शनों में ईश्वर की सत्ता को प्रायः सभी दर्शनों ने एकमत से स्वीकार किया है। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति आस्तिक एवं ईश्वर में आस्था न रखने वाला व्यक्ति नास्तिक कहलाता है। आचार्य सायण ने ''वेदनिन्दको नास्तिकः'' कहकर वेदों को

* *शोधकर्त्ता (संस्कृत–विभाग),* एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)
** *एसोसिएट प्रोफेसर (संस्कृत–विभाग),* एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

नहीं मानने वालों को भी नास्तिक कहा है। ईश्वर के भय से, पापभीरुता और सद्गतित्व की वांछा को भी मानव मूल्यों का एक स्रोत कहा जा सकता है। गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम कहा गया है। ईश्वर की मान्यता के सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि जो सद्कर्म करेगा, वह ईश्वर का प्रिय बनेगा और जो कुत्सित कर्म करेगा, वह ईश्वर की कृपा से दूर होगा।[1]

(2) आत्मवाद और मूल्य–डॉ. राधाकृष्णन् ने कहा है कि, मनुष्य की आत्मा को भ्रम से उसका भौतिक शरीर या बुद्धि नहीं समझ लिया जाना चाहिए। बुद्धि, मन तथा शरीर की अपेक्षा भी कोई अधिक गहरी वस्तु है, वह है आत्मा। जो सत्य, शिव और सुन्दर के साथ एकाकार है। उसको अपना लक्ष्य बनाकर चलना और उसे दृष्टि का विषय बनाकर उसी की साधना में समय व्यतीत करना ही वास्तव में जीवन का परम लक्ष्य है, जिसे आज के भौतिकवादी युग में लोग भूल गये हैं। धर्म का प्रयोजन है अपने आपको पवित्रता, प्रेम तथा शक्ति द्वारा उस धारणा के अनुरूप प्रशिक्षित करना।

(3) पुनर्जन्मवाद और मूल्य–भारतीय संस्कृति में इस सिद्धान्त की जड़ें अत्यन्त गहरे स्तर को छूती आईं हैं। इस सिद्धान्त से अनेक सामाजिक, धार्मिक समस्याओं का समाधान लोग प्राचीन काल से ही करते चले आये हैं। इस सिद्धान्त का मानवीय आचार–व्यवहार से, उसकी समझ–सोच एवं मान्यताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय संस्कृति के संस्कार, स्वर्ग–नरक, पाप–पुण्य, श्राद्ध, पितर, कर्मवाद, भाग्यवाद आदि से भी पुनर्जन्म की अवधारणा अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त का मानवीय आचार–व्यवहार से, उसकी समझ एवं मान्यताओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय संस्कृति के संस्कार, नर्क–स्वर्ग, पाप–पुण्य, कर्मवाद और भाग्यवाद आदि से भी पुनर्जन्म की अवधारणा अत्यन्त घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है। भावी जन्म बिगड़ने का, नरकवास का, परलोक में दुर्गति होने का भय मनुष्य को अपने सदाचरण में पूर्ण आस्था और निष्ठा बनाये रखने में परम सहायक हुआ करता है।[2]

भारतीय संस्कृति की ''जैसी करनी वैसी भरनी'' उक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत तो सभी ने सुनी ही होगी। यदि इस कहावत में एक पंक्ति और जोड़ दी जाये–''इस जन्म न तो अगले जन्म सही'' तो यह पूर्ण हो जायेगी। परलोक के बनने–बिगड़ने के भय से, पाप–पुण्य के डर से लोग परंपरागत नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का पालन किया करते थे। पुनर्जन्म कष्टदायी होने का, नरकवास का, परलोक में दुर्गति आदि का भय मनुष्य को अपने धर्माचरण में पूर्ण आस्था एवं निष्ठा बनाये रखने में परम सहायक हुआ करता है।

डॉ. राधाकृष्णन् ने अपने ग्रन्थ ''भारतीय दर्शन'' के द्वितीय अध्याय में पृष्ठ 17 पर लिखा है कि, ''प्रायः सभी धर्मों या दर्शनों में भी पूर्वजन्म–पुनर्जन्म को किसी–न–किसी रूप में अवश्य ही स्वीकार किया गया है। जैन पुराणों में एक ही आत्मा के असंख्य जन्मों का विवरण उपलब्ध होता है। वैदिक पुराणों में भी जन्म–जन्मान्तरों की हजारों कथाएँ वर्णित हैं। बौद्ध जातक भी पूर्वजन्म–पुनर्जन्म की ही कथाओं का चित्रण करते हैं।''[3]

(4) परलोकवाद और मूल्य–यह सिद्धान्त आत्मा की अमरता एवं अखण्डता की ओर संकेत करता है। जिससे लोग परलोक बनने–बिगड़ने के भय से पाप–पुण्य का विवेक बनाये रखते हैं। डॉ. राधाकृष्णन् के शब्दों में–''उपनिषदों की अहिंसा और बुद्ध की करुणा तथा प्रेम, अपनी दयापूर्ण बाँहों में प्राणी जगत् के निम्न–से–निम्न रूपों को भी समेट लेते हैं। पूर्वीय धर्मों में परलोक परायणता की ओर झुकाव है, जबकि पश्चिम के धर्मों की विशेषता इहलोक परायणा है। पूर्वीय धर्मों का लक्ष्य सन्तों और नायकों को तैयार करना है। पश्चिमी धर्मों का लक्ष्य ऐसे मनुष्य तैयार करना है

जो समझदार और सुखी हों। पूर्वीय धर्म समाज को बनाये रखने की अपेक्षा व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति के लिए अधिक प्रयत्नशील है। पश्चिम वाले धर्म को सामाजिक सुव्यवस्था के लिए एक प्रकार की पुलिस व्यवस्था के रूप में बदल लेते हैं।''[4]

परलोकवाद के सिद्धान्त का पुनर्जन्म के सिद्धान्त से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भौतिकवादी, पुनर्जन्म, कर्मसिद्धान्त और परलोक को नहीं मानते। इस सिद्धान्त में आत्मा की अमरता और अखण्डता निहित है। हमारे उपनिषदों में परलोक गमन का सूक्ष्म दार्शनिक वर्णन मिलता है। छान्दोग्योपनिषद में कहा गया है कि, अपने उत्तम कर्मों का फल भोगकर फिर जीवात्मा उसी मार्ग से लौटता है। उपनिषदों में जीवात्मा के गमनागमन को तथा कर्मानुसार जन्म लेने की प्रक्रियाओं को बड़े सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। पूर्वजन्म और परलोक ऐसे रहस्यमय बिन्दु हैं, जिनको जानने की जिज्ञासा मानव–मन में सदैव से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी, पर विचारणीय यह है कि पूर्वलोक एवं पुनर्जन्म की बातों को जानने का उद्देश्य क्या है?

जहाँ तक उद्देश्य का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को मानने से व्यक्ति का लौकिक जीवन भी क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि की अनेक संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर अत्यन्त उदार एवं विशाल हो जाने से पवित्र बन जाता है। मनुष्य ही नहीं, पशु–पक्षी के प्रति उसके हृदय में सच्चा स्नेह उत्पन्न हो जाता है।

(5) कर्मविपाक और मूल्य–जैसा कर्म, वैसा उसका फल। अर्थात् मनुष्य जैसा करेगा, उसे उसी की अनुसार अच्छा या बुरा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। इसे ही कर्मवाद का सिद्धान्त कहा है। वाल्मीकीय रामायण में कहा गया है–''कर्म ही समस्त कारणों का, सुख–दुःख के साधनों का मूल प्रयोजन है। कर्म का फल तो इसी जीवन में मिल जाता है, किन्तु यदि इस जीवन में न मिल पाया तो दूसरे जन्म में अवश्य मिलता है।

पुनर्जन्म या परलोकवाद के सिद्धान्तों से पुष्ट कर्मविपाक का सिद्धान्त यह दावा करता है कि भले ही एक पुण्य का काम इस जन्म में सुख उत्पन्न न करे, किन्तु वह किसी न किसी अगले जन्म में ऐसा करेगा अवश्य और यह कि यदि कोई पापी व्यक्ति आज सुख का जीवन बिता रहा है तो उसने अवश्य किसी पिछले जन्म में पुण्य का काम किया होगा, जबकि उसे आज के पापों का फल यदि इस जन्म में नहीं तो किसी अगले जन्म में मिलेगा अवश्य।

प्राचीन भारतीय साहित्य में अनेक चरित्रों के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई है। वाल्मीकीय रामायण में राम कहते हैं कि–''राज्य का नाश, स्वजनों से वियोग, पिता का प्राणान्त, पत्नी का अपहरण आदि विपत्तियों का ताँता मेरे पूर्व जन्म के पापों का ही फल है।'' इसी प्रकार सीता का भी यही विचार था कि उसने पूर्व जन्म में किसी पति को उसकी पत्नी से विमुक्त कराया होगा, तभी तो उसे इस जन्म में स्वयं भी पतिविमुक्त होना पड़ा। मनुष्य के अच्छे–बुरे कर्मों का फल उसे भोगना पड़ता है, इसी जन्म में अथवा जन्म–जन्मान्तर में यही कर्म–विपाक के सिद्धांत का आशय है। वाल्मीकीय रामायण में कहा गया है कि, ''कर्म ही समस्त कारणों का, सुख–दुःख के साधनों का मूल प्रयोजन है। स्वकर्म से मनुष्य बच नहीं सकता।'' कहा है– ''स्वयं किये जो कर्म शुभाशुभ फल निष्चय ही वे देते'' जिस प्रकार बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी जननी को पहचान लेता है, उसी प्रकार मनुष्य के अच्छे–बुरे कर्म उसे नहीं छोड़ते।

(6) भाग्यवाद और मूल्य–भाग्यवाद के सम्बन्ध में दो धारणायें प्रचलित हैं, जो परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं–(1) दैव और (2) पुरुषार्थ। प्रथम धारणा के अनुसार भाग्य ही फलदायी होता

है। भौतिकवादियों की धारणा ठीक इसके विपरीत है, वे पुरुषार्थ या कर्म में ही विश्वास करते हैं। इन दोनों धारणाओं के अतिरिक्त एक धारणा और है, वह है–समन्वययुक्त धारणा, जिसमें भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के समन्वय की बात कही गई है। इन विचारकों के अनुसार भाग्य एवं पुरुषार्थ दोनों के मेल से ही जीवन में सफलता मिलती है–

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।

अर्थात् उद्यम या परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि भाग्य मात्र से। जैसे कि पशु सुप्त सिंह के मुख में स्वयमेव नहीं आते। सिंह को पुरुषार्थ करना पड़ता है। महाभारत में समन्वयवादी धारणा को बड़े ही सुन्दर तरीके व्यक्त किया गया है–

ह्ययेकेन चक्रेण रथस्य गतिर्न भवति।
न हि पुरुषकारेण विना दैवं हि सिध्यति।।

अर्थात् जिस प्रकार एक चक्र से रथ में गति नहीं आती, उसी प्रकार पुरुषार्थ के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। अर्थात् भाग्य और पुरुषार्थ जीवन की सफलतारूपी गाड़ी के दो चक्के हैं। जिस प्रकार रथ अथवा गाड़ी चलने के लिए दोनों चक्कों का गतिशील होना आवष्यक होता है, उसी प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही आवश्यक हैं। इस समन्वित धारणा से ही कार्यनिष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता, साहस आदि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को समुचित प्रोत्साहन मिलता है।

(7) अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद–आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा है कि, ''युग की सबसे बड़ी बीमारी है–कोरा वैज्ञानिक होना, आध्यात्मिक न होना। व्यक्ति की इसी मनोवृत्ति ने बहुत सारी बीमारियों को जन्म दिया है। जीवन विज्ञान का मुख्य सूत्र है–आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण। न कोरा वैज्ञानिक, न कोरा आध्यात्मिक। यह वर्तमान युग की सबसे बड़ी अपेक्षा है। युगीन समस्याओं का सबसे बड़ा समाधान है, इसके लिए आवश्यक है–जीवन–शैली को समझना और जीवन शैली को बदलना। इसके लिए आवश्यक है, सुव्यवस्थित वैज्ञानिक उपक्रम, एक नई विद्या शाखा का विकास।''[5]

जीवन विज्ञान को वैज्ञानिकता से जोड़ने की बात जब चलती है तो लोग इसे किसी धर्म या सम्प्रदाय से सम्बन्धित समझने लगते हैं। जीवन विज्ञान किसी धर्म या सम्प्रदाय से सम्बन्धित न होकर मात्र शिक्षाशास्त्र की एक शाखा है। जिसने शिक्षा में पूर्णता प्रदान करने एवं उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जन्म लिया है। इसी विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्य महाप्रज्ञ कहते हैं–''जीवन विज्ञान किसी धर्म या सम्प्रदाय से सम्बन्धित नहीं है। यह मात्र विद्या की शाखा है। मैं चाहता हूँ कि इसका विकास शिक्षा शाखा के रूप में होना चाहिए। बौद्धिक विकास के साथ–साथ अध्यात्म, सहिष्णुता, उदारता, प्रेम और एकता के भावों का सन्तुलित सुसंगम जीवन विज्ञान के द्वारा ही संभव है।''

(8) समन्वयवाद–यह सिद्धान्त ऐसा सिद्धान्त है, जिससे सम्पूर्ण विश्व में शांति की स्थापना आसानी से हो सकती है। समन्वय हो, विज्ञान एवं अध्यात्म, ज्ञान एवं भक्ति में, नूतन एवं पुरातन में युगधर्म एवं सनातन धर्म में। यदि जीवन में समन्वय न हो तो वह गतिहीन हो जाए। जीवन की जड़ता दूर करने के लिए, उसे निरंतर बनाने के लिए विविध कारकों में समन्वय आवश्यक हो जाता है। मानव जीवन में समन्वय के द्वारा ही पीढ़ीगत अन्तर को दूर किया जा सकता है। यह सदैव जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति गलत हो, हो सकता है कि उसका दृष्टिकोण आपसे भिन्न हो। अतः हमें एकाएक किसी को भी दोषी करार नहीं दे देना चाहिए।[6]

बर्नार्ड शा का कहना है–''धर्म एक गति है एक विकास है और सब सच्चे विकासों में नूतन, पुरातन के ऊपर टिका होता है। प्रत्येक धर्म में पुरातन के अवशेष विद्यमान हैं। इतना ही नहीं,

यदि हम धर्म के वर्तमान रूपों से सन्तुष्ट न हों तो हम एक अन्य अपेक्षाकृत अच्छे रूप की प्रत्याशा कर सकते हैं। यदि धर्म के रूप दैवीय इच्छा की अन्तिम और भ्रमातीत अभिव्यक्तियाँ हों, हमें दासता, पुरुषों द्वारा स्त्रियों को अधीनस्थ बनाये रखने तथा अन्य अनेक बुराइयों को परमात्मा का कार्य स्वीकार कर लेना होगा। यदि हम स्पष्टभाषी हों, तो हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, वे किसी भी प्रकार आदर्श नहीं थे।''

मानव मूल्यों की दृष्टि से पुरातन और नूतन दोनों का मूल्यांकन वांछनीय ही नहीं, अपितु अनिवार्य हो जाता है। जीवन मूल्यों की दृष्टि से कोई विश्वास या परम्परा केवल इसलिए त्याज्य नहीं हो सकती, क्योंकि वह पुरातन है और केवल इसलिए ग्राह्य भी नहीं हो सकती, क्योंकि वह नूतन है। इस सन्दर्भ में महाकवि कालिदास की यह उक्ति बड़ी सटीक है कि कोई वस्तु पुरानी होने से ही अच्छी नहीं हो जाती, न कोई काव्य नया होने से ही निन्दनीय हो जाता है। सत्पुरुष नये–पुराने की परीक्षा करके दोनों में से जो गुणयुक्त होता है, उसको ग्रहण करता है।

(9) धार्मिक आस्था–सभी धर्मों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया हुआ है। जैन–धर्म में दस जीवन–मूल्य बताये गये हैं– क्षमा, मृदुता, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के प्रमुख मूल्य हैं–त्याग, अहिंसा, प्रेम, परदुःख में दुःखी होना। ईसा मसीह की शिक्षाओं में क्षमा और प्रेम का विशेष स्थान है। वह कहा करते थे कि मानव को एक–दूसरे के दुर्गुणों, गलतियों आदि को क्षमा करना सीखना चाहिए। इस्लाम धर्म एवं हिन्दू धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। धार्मिक आस्था हमारी संस्कृति की महत्त्वपूर्ण विशेषता रही है। सम्राट् अशोक से अकबर तक ऐसे अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों के प्रति समान आदर प्रकट किया। भारतीय इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। सम्राट् अशोक के एक शिलालेख में कहा गया है कि–''राजा प्रियदर्शी सब सम्प्रदायों, साधुओं और गृहस्थों का आदर करते हैं। वे उपहारों द्वारा तथा विविध प्रकार की कृपाओं द्वारा उनका सम्मान करते हैं। .....क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपने सम्प्रदाय से पूर्ण अनुराग के कारण तथा अन्य सम्प्रदायों की निन्दा करते हुए अपने सम्प्रदाय का आदर करता है, जिससे उसके अपने सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, वह वस्तुतः ऐसे आचरण द्वारा स्वयं अपने सम्प्रदाय पर कुठाराघात कर रहा होता है।''

उपसंहार

दुनियाँ का ऐसा कोई भी धर्म अथवा सम्प्रदाय नहीं है जो मानवीय और नैतिक मूल्यों का विरोध करता हो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सन्तोष आदि गुणों के प्रति सभी धर्म और सम्प्रदाय समान रूप से एकमत हैं। सभी में इनके पालन का पूर्ण आदेश दिया गया है। कोई धर्म नहीं कहता कि किसी को पीड़ा पहुँचाई जाये। किसी पशु अथवा मनुष्य को कष्ट पहुँचाने वाला कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो प्राणीमात्र का कल्याण करने वाला होता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मूल्यपरक शिक्षा और समाज, नत्थूलाल गुप्त, नमन प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–98
2. मूल्यपरक शिक्षा और उसका शिक्षण, शुद्धात्मप्रकाश जैन, एच. पी. भार्गव प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ–45
3. भारतीय दर्शन, डॉ. राधाकृष्णन्, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, पृष्ठ–17
4. भारतीय दर्शन, डॉ. राधाकृष्णन्, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, पृष्ठ–20
5. जीवन विज्ञान की रूपरेखा, मुनि धर्मेश, जैन विश्व भारती, लाडनूं, पृष्ठ–4
6. मूल्यपरक शिक्षा और समाज, नत्थूलाल गुप्त, नमन प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ–98

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 9th March 2024 Paper Accepted : 22th March 2024

STUDY OF IFFERENCES OF SCHEFFE'S POST HOC TEST AMONG UNIVERSITY KABADDI AND KHO-KHO PLAYERS

❑ Dr. Dheeraj Kumar*

ABSTRACT

An optimal level of physical fitness and psychological attributes are necessary to maximize performance in most sports. Ninety (90) university aged male khokho and kabaddi players were recruited from Meerut's urban, rural, Suryapet, and Jangaon districts to help in the research. Participants' ages varied between 14 and 16 years old. All participants were briefed on the study's purpose, and permission was acquired for their continued participation until its conclusion.A physician checked all of the participants and gave his or her stamp of approval that they were healthy enough to participate in the circuit training and interval training program. The study employedA random group design, and the data collected pre- and post-experiment from the control and two experimental groups were analyzed using the dependent 't' test to see if there wasA significant change in the groups' levels of selected measures of physical fitness and psychological well-being. The data collected from the three groups before and after the experiment were statistically analyzed using analysis of covariance to compare the effectiveness of circuit training and interval training with that of the control group on selected physical fitness and psychological variables. AsA covariate, we utilized the pre-test means for each dependent variable. The current research drew the following conclusions about the disparity between Kabaddi and Kho-Kho players among University of Meerut students with respect to the impact of training methods on physical fitness and psychological variables: The impact of circuit training for Kabbadi players on physical fitness characteristics such as speed, agility, flexibility, explosive power, and cardio respiratory endurance of Meerut in University Students was shown to be statistically significant.

Key words–*Fitness, psychological variables, physical fitness, flexibility.*

* *Assistant Professor, Department of Physical Education,* Sri Ram Murti Gupta Govt. P.G. College Chharra Aligarh

INTRODUCTION

Children's physical, social, and emotional well-being may all benefit from regular physical activity. The educational advantages of playing games should not be discounted, and the advantages of playing games extend much beyond the extent to which they have an impact on one's financial performanceCattell, et al., (1970).

A person's physical state in relation to their talents is referred to as their fitness, and the word fit is used to characterize that condition. The newest scientific research also edicts the fact that physical fitness is required for internal or physiological soundness. Physical education specialists in the modern era often break fitness down into two categories, skill-related and health-relatedColeman, et al., (1985)

Games and sports have been integral to the human experience almost from the beginning of humanity. Either out of need, as when he needs to find food, housing, and protection from predators, or out of want, like when he goes onA hunting trip. Games and sports have become ingrained in society and cannot be imagined without them. Sports and activities haveA profound impact on building bridges between people of different backgrounds and cultures. Although the beginnings of sports are obscured by the mists of time, it's safe to assume that even cavemen engaged in some kind of regular physical exerciseDyer, et al., (1987). Games and sports are now recognized asA cultural phenomenon over the world.

Sports and games areA powerful tool for fostering national pride and uniting future generations behind the idea that differences of race, ethnicity, and religion don't matter and that instead, we should put our faith in things like love, peace, purity, and the feeling of goodwill and brotherhoodEmery, C.F., & Blumenthal, J.A. (1988). Sports and games create an environment where people from different parts of the world, with different backgrounds, beliefs, languages, and cultural practices, can come together and play side by side in an atmosphere of mutual respect and understanding. This way of thinking, seeing, and approaching the world may help bring nations together. Sports and sports contribute to this kind of understanding and may playA crucial part in fostering national unity. The study aimsstudy the motor fitness and Psychological variables among university Kabaddi and Kho-Kho players based On Scheffe's Post Hoc TestEwing, J.H., & Scott, D.G. (1984).

METHODOLOGY

Methods for subject selection, variable selection, criteria measurement, data reliability, data collecting, test administration, research design, and data analysis are all detailed in this chapter.

Selection of Subjects

Forty-eight male participants from the intercollegiate Kabaddi tournament were chosen for this research. The subjects were selected from Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana; (CCS) University, Meerut, Uttar Pradesh; Maharshi DayanandUniversity, Rohtak, Haryana; and Periyar University, Salem, Tamil Nadu who had league entered teams namely Winners, Runners, III Place and IV Place. Twelve players each from the team who had played in the All India Inter University Competition organized by Swami Ramanand Teerth Marathwada University, Nandeed. Participants' ages varied from 18 to 25. All the participants came from varied backgrounds in terms of economic status.

Variable Selection

The researcher had contacted specialists in the fields of anthropometry, motor fitness, physiology, and psychology, and had read the relevant scientific literature. Choosing anthropometric, motor performance, physiological, and psychological variables also took into account the availability of instruments and expertise for measuring and recording data,

as well as the aforementioned literature and expert opinion.

RESULTS AND DISCUSSIONS

The average times (in seconds) for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups on the Speed test before and after training may be seen. The average scores before and after the changes of the statistical tests performed on the information presented in Figures.

Table 1 displays the results ofA t test performed on the mean scores of the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups on the Speed Pre and Posttests. The data connecting to Pre and Post results were presented in seconds.

Table 1 : Showing the computation of 't' value of speed pre test and post test values of control group,khokho group and kabaddi group for speed

S.No	Group	Means		S.D		Obtained 't'	Required 't' (0.01 level)
		Pre	Post	Pre	Post		
1	CONTROL	8.18	8.14	0.25	0.24	1.43#	2.756
2	KHO KHO	8.03	7.37	0.43	0.44	10.71*	
3	KABADDI	8.16	7.53	0.39	0.41	8.68*	

* Significant at 0.01level Degrees of Freedom = 29

The average pre-test scores for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups were 8.18, 8.03, and 8.16, respectively. The average scores on the post-test for the control group (8.14), the Kho Kho group (7.37), and the Kabaddi group (7.53), respectively, were as follows. The value of 't' is 1.43 for the Control group, 10.71 for the Kho Kho group, and 8.68 for the Kabaddi group. With 29 degrees of freedom andA confidence level of 0.01, the needed value is 2.756. The calculated value is less than the required value of 't,' which is why this happens. AsA result, Speed might be useful for circuit training among the Kho Kho and Kabaddi communities.

We haveA bar chart showing the mean adjusted post-test speeds in seconds for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups; this data was analysed using analysis of covariance.

Table 1 shows the results ofA covariance analysis of the differences in mean Speed scores between the Pre Test and Post Test periods for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups. The results of the speed test were shown both before and after the test, with the data being expressed in seconds.

Figure 1 showing the diagrammatic performances of adjusted post-test of control, khokho and kabaddi groups on speed.

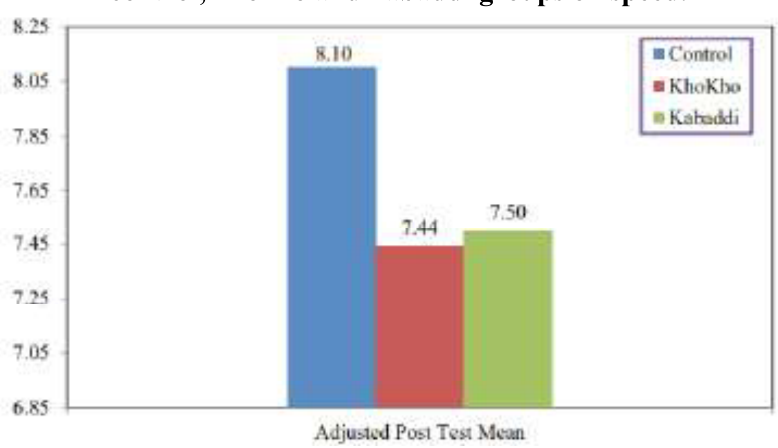

Table 2 showing the analysis of co-variance post test of control, khokho and kabaddigroups on speed

Test	MEANS			Sum of Squares	DF	Mean Square	Obtained F- Ratio	Req. F-Ratio at 0.01
	Control Group	Kho-Kho Group	Kabaddi Group					
Pre test	8.18	8.03	8.16	B: 0.406	2	0.203	1.55#	4.86
				W: 11.424	87	0.131		
Post test	8.14	7.37	7.53	B: 9.875	2	4.937	34.77*	
				W: 12.389	87	0.142		
Adjusted posttest	8.10	7.44	7.50	B: 7.979	2	3.989	47.49*	
				W: 7.211	86	0.084		

* Significant at 0.01 level
W: Within the group
B: Between the group
Req. Required

Pre-test values for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups were 8.18, 8.03, and 8.16, respectively, as shown in the table above. With 2,87 degrees of freedom, an F-ratio of 4.86 is needed to be confident to the 0.01 level, however the obtained F-ratio of 1.55 falls short. The average scores of the three groups, Control, Kho Kho, and Kabaddi, on their post-tests were 8.14, 7.37, and 7.53, respectively. The calculated F-ratio of 34.77 exceeds the minimum acceptable F-ratio of 4.86 from the table, givenA

The mean post-test score after adjustments was 8.10 for the Control group, 7.44 for the Kho Kho group, and 7.50 for the Kabaddi group. With an F-ratio of 47.49, which is more than the 4.86 required forA significance threshold of 0.01, we have reason to believe our findings.A bar chart with timing data provided in seconds visually displayed the average disparities between the three groups. Scheffe's post hoc test findings for Speed between the Control group, Kho Kho group, and Kabaddi group are shown.

Circuit Training Standing Broad Jump

Figure 3 shows bar graphs depicting the pre- and post-test mean values for the Control group, Kho Kho group, and Kabaddi group in the Standing Broad Jump. the results of the statistical tests performed on the information presented in figures.

The results ofA t test comparing the mean Standing Broad Jump scores of the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups before and after training are shown in Table 3. In meters, we see the data that links the before and after outcomes.

Figure 2 representing pre and post test of control group, khokho group and kabaddi group for standing broad jump performances

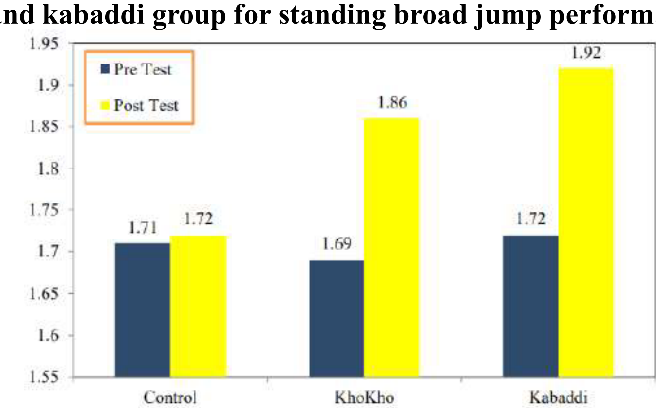

Table 3 showing the computation of ’t’ value of of control group, khokho group and kabaddi group circuit training standing broad jump

S.No	Group	Means		S.D		Obtained ‘t’	Required ‘t’ (0.01 level)
		Pre	Post	Pre	Post		
1	CONTROL	1.71	1.72	0.07	0.07	1.20#	2.756
2	KHO KHO	1.69	1.86	0.07	0.08	10.84*	
3	KABADDI	1.72	1.92	0.10	0.10	11.82*	

Degrees of Freedom = 29

S.D Standard Deviation

The average pre-test scores for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups were 1.71, 1.69%, and 1.72%, respectively. The average scores of the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups on the post-test were 1.72, 1.86, and 1.92, respectively. Each group’s computed value of ‘t’ is different: 1.20 for the Control group, 10.84 for the Kho Kho group, and 11.82 for the Kabaddi group. With 29 degrees of freedom andA confidence level of 0.01, the needed value is 2.756. Since the acquired ‘t’ values are bigger than the required ‘t’ values.

Therefore, the Standing Broad Jump improved following circuit training in both the Kho Kho and Kabaddi groups. The mean adjusted post-test scores for the Standing Broad Jump for the Control, Kho Kho, and Kabaddi groups were shown graphically asA bar chart, with the units of measurement displayed as meters, and the data was analyzed using analysis of covariance. Analysis of covariance between pre- and post-test mean values for the Standing Broad Jump.

Table 4 comparing the Control group, Kho Kho group, and Kabaddi group’s adjusted mean values for the Standing Broad Jump. Measurement information is provided.

Figure 3 the bar diagram representing mean differences of scheffe’s post hoc test of control, khokho and kabaddi groups on standing broad jump

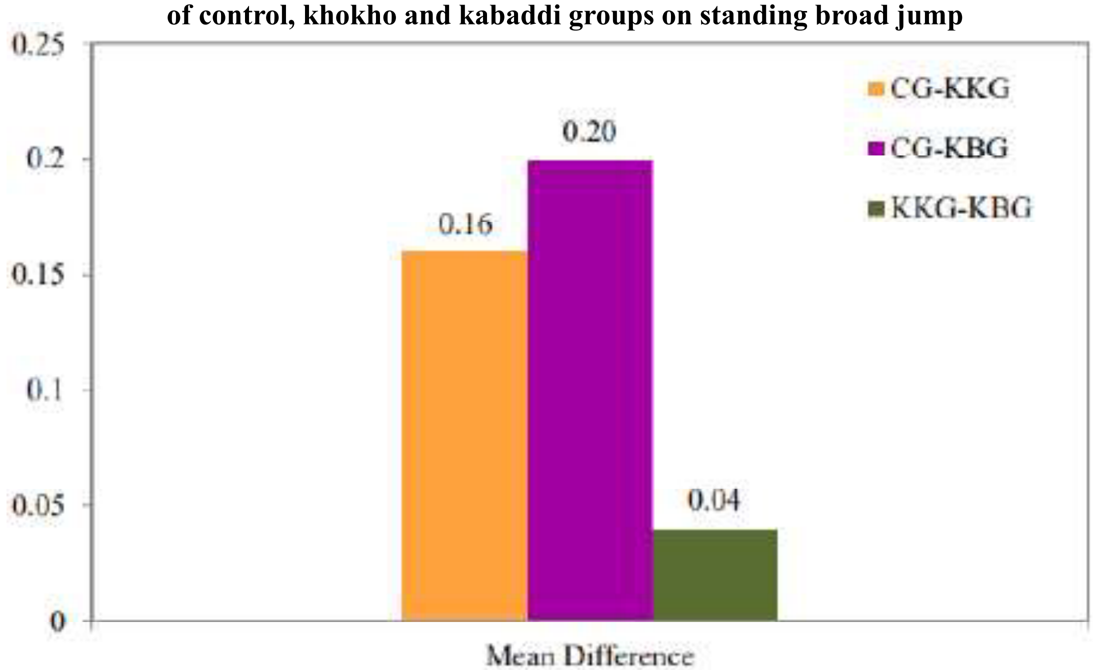

Table 4 showing the scheffe's post hoc test for of control group, khokho group and kabaddi group for circuit training standing broad jump

Control Group	Kho-Kho Group	Kabaddi Group	Mean Diff.	Confidence Interval at 0.01 level
1.71	1.87		0.16*	0.05
1.71		1.91	0.20*	
	1.87	1.91	0.04#	

Mean Diff. Mean Difference

(1) The corrected post-test averages of the Control and Kho Kho groups vary significantly at the.01 level.

(2) At the.01 level of confidence, the difference between the Control and Kabaddi groups on the standardized post-test averages of 0.20 is statistically significant.

(3) When comparing the corrected post-test averages of the Kho Kho and Kabaddi groups, the difference is not statistically significant.

Kho Kho and Kabaddi groups performed better than the Control group. Kho Kho and Kabaddi groups performed almost equally when comparing the both groups.

CONCLUSIONS

The current research drew the following conclusions about the disparity between Kabaddi and Kho-Kho players among University of Meerut students with respect to the impact of training methods on physical fitness and psychological variables–

(1) The impact of circuit training for Kabbadi players on physical fitness characteristics such as speed, agility, flexibility, explosive power, and cardio respiratory endurance of Meerut in University Students was shown to be statistically significant.

(2) The results ofA study comparing the effects of circuit training for Kabbadi players with those for Meerut in University Students on psychological variables like anxiety and achievement motivation showedA clear and substantial difference.

(3) The impact of circuit training for Kho-Kho players on physical fitness characteristics such as speed, agility, flexibility, explosive power, and cardio respiratory endurance of Meerut in University Students was shown to be statistically significant.

(4) When comparing the impact of circuit training for Kho - Kho players on psychological variables as anxiety and success motivation among university students in Meerut,A noticeable difference can be seen.

(5) Interval training for Kabaddi players hadA statistically significant impact on speed, agility, flexibility, explosive power, and cardiorespiratory endurance among university students in Meerut.

REFERENCES

- Cattell, R.B., Eber, H.W., &Tatsuleo, M.M. (1970). Handbook for the Sixteen Personality Factors Questionnaire (16PF) in clinical, educational, industrial, and research psychology. Institute for Personality and Ability Testing: Champaign, IL.
- Coleman, M., Washington, M.A., & Price, S. (1985). Physical exercise, social background, and well-being of older adult women. Perceptual and Motor Skills, 60, 737–738.
- Dyer, J.B., & Crouch, J.G. (1987). Effects of running on moods:A time series study. Perceptual and Motor Skills, 64, 783–789.
- Edmondson, B. (1987). Sweating for Tenneco. American Demographics, 9, 19.
- El-Naggar, A.M. (1986). Physical training effect on relationship of physical, mental, and emotional fitness in adult men. Journal of Ergology, 15, 79–84.
- Emery, C.F., & Blumenthal, J.A. (1988). Effects of exercise training on psychological functioning in healthy TypeA men. Psychology and Health, 2, 367–379.
- Ewing, J.H., & Scott, D.G. (1984). Effects of aerobic exercise upon affect and cognition. Perceptual and

Motor Skills, 59, 407–414.
- Falkenberg, L.E. (1987). Employee fitness programs: Their impact on the employee and the organization. Academy of Management Review, 12, 511–521.
- Haier, R.J., Quaid, K., & Mills, J.S.C. (1981). Naloxone alters perception after jogging. Psychiatry Research, 5, 231–232.
- Hale, R.E., & Travis, T.W. (1987). Exercise asA treatment option for anxiety and depressive disorders. Military Medicine, 152, 299–302.
- Hammer, W.M., & Wilmore, J.H. (1973). An exploratory investigation in personality measures and physiological alterations duringA 10-week jogging program. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 13, 238–247.
- Hartung, G.H., &Farge, E.J. (1977). Personality and physiological traits in middle-aged runners and joggers. Journal of Gerontology, 32, 541–548.
- Hathaway, S.R., & McKinley, J.C. (1972). MMPI Manual. New York: Psychological Corporation.
- Hayes, D., & Ross, C.E. (1986). Body and mind: The effect of exercise, overweight, and physical health on psychological well-being. Journal of Health and Social Behavior, 27, 387–400.
- Hollander, B.J., &Seraganian, P. (1984). Aerobic fitness and psychophysiological reactivity. Canadian Journal of Behavioral Science, 16, 257–261.
- Jenkins, C.D., Rosenman, R.H., &Zyzanski, S.J. (1974). Prediction of clinical coronary heart disease byA test for the coronary-prone behavior pattern. New England Journal of Medicine, 290, 1271–1275.
- Keller, S., &Serganian, P. (1984). Physical fitness and autonomic reactivity to psychosocial stress. Journal of Psychosomatic Research, 28, 279–287.
- King, A.C., Taylor, C.B., Haskell, W.L., &DeBusk, R.F. (1989). Influence of regular aerobic exercise on psychological health:A randomized, controlled trial of healthy middle-aged adults. Health Psychology, 8, 305–324.
- Light, K.C., Obrist, P.A., James, S.A., and Strogatz, D.S. (1987). Cardiovascular responses to stress: II. Relationships to aerobic exercise patterns. Psychophysiology, 24, 79–86.
- Lobitz, W.C., Brammell, H.L., Stoll, S., &Niccoli, A. (1983). Physical exercise and anxiety management training for cardiac stress management inA nonpatientpopulation. Journal of Cardiac Rehabilitation, 3, 683–688.
- McNair, D.M., Lorr, M., Droppleman, L.F. (1971). Manual for the Profile of Moods States. San Diego: Educational and Industrial Testing Service.
- Michael, E.D. (1957). Stress adaptation through exercise. Research Quarterly, 28, 50–54.
- Mobily, K. (1982). Using physical activity and recreation to cope with stress and anxiety:A review. American Correction Journal, 36, 77–81.
- Moses, J., Steptoe, A., Matthews, A., & Edwards, S. (1989). The effects of exercise training on mental wellbeing in the normal population:A controlled trial. Journal of Psychosomatic Research, 83, 47–61.
- Oberman, A. (1984). Healthy exercise. Western Journal of Medicine, 141, 864–871.
- Parent, C.J., &Whall, A.L. (1984). Are physical activity, self-esteem, and depression related? Journal of Gerontological Nursing, 10, 8–10.
- Pauly, J.T., Palmer, J.A., Wright, C.C., & Pfeiffer, G.J. (1982). The effect ofA 14-week employee fitness program on selected physiological and psychological parameters, Journal of Occupational Medicine, 24, 457–463.
- Raglin, J.S., & Morgan, W.P. (1985). Influence of vigorous exercise on mood states. The Behavior Therapist, 8, 179–183.
- Ransford, C.P. (1982).A role for amines in the antidepressant effect of exercise:A review. Medicine and Science in Sports and Exercise, 14, 1–10.
- Rape, R.N. (1987). Running and depression. Perceptual and Motor Skills, 64, 1303–1310.
- Rippe, J.M., Ward, A., Porcari, J.P., Freedson, P.S. (1988). Walking for health and fitness. Journal of the American Medical Association, 259, 2720–2724.
- Rodin, J., & Plante, T.G. (1989). The psychological effects of exercise. In R.S. Williams and A. Wallace (Eds.), Biological effects of physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics Books.
- Roskies, E., Seraganian, P., Oseasohn, R., Hanley, J.A., Collu, R., Martin, N., &Smilga, C. (1986). The Montreal TypeA intervention project: Major findings. Health Psychology, 5, 45–69.
- Sachs, M.L. (1982). Exercise and running: Effects on anxiety, depression, and psychology. Humanistic Education and Development, 21, 51–57.

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024 Paper Accepted : 7th March 2024

महिलाओं के समक्ष धार्मिक चुनौतियाँ

▫ डॉ. रतन कुमारी वर्मा*

शोध-सारांश

भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। परन्तु समाज में वास्तविकता के धरातल पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आज भी भेदभाव व्याप्त है। विशेष रूप से भारत में महिलाएँ घर में धार्मिक मामलों में आज़ाद हैं, लेकिन घर के बाहर के धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन्हें मुख्य पद नहीं दिया जाता है, चाहे वह मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ आदि कोई भी धार्मिक संस्था हो। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार सरकारी नौकरियों में, विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त है। वह भारत की राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, सैनिक सेवाओं में अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकिंग, वाणिज्यिक, खेलकूद, सिनेमा, अन्तरिक्ष विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं, फिर भी धार्मिक क्षेत्र में, समाज के धार्मिक प्रतिष्ठानों में अभी तक उन्हें समान अधिकार क्यों नहीं मिल पाया है? इसके लिए हमारे समाज में विचार करने की आवश्यकता है और समानता का अधिकार दिये जाने की जरूरत है। महिलायें अपने धार्मिक अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं।

मुख्य शब्द—*महिला, अधिकार, धर्म, धार्मिक प्रतिष्ठान, संविधान, समाज।*

भारतीय समाज में जब महिलाओं का परिचय दिया जाता है, विशेष रूप से देश के महान नेताओं, महात्माओं शीर्षस्थ सफलतम व्यक्तियों का, तब यही बताया जाता है कि उनकी पत्नी बहुत धर्मपरायण महिला थीं। जैसे महात्मा गाँधी से बात शुरू करते हैं तो हम सभी किताबों के माध्यम से यही परिचय पाते हैं कि कस्तूरबा गाँधी एक धर्मपरायण महिला थीं। आजीवन गाँधी जी का सदैव साथ देती रहीं। इसी तरह से अन्य महान बनने वाले सफल पुरुषों के पीछे एक सशक्त धार्मिक महिला का हाथ था। या कह सकते हैं कि हर एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वह धर्मपत्नी के रूप में, माँ के रूप में हमेशा पुरुष के पीछे खड़ी दिखाई देती है। वह बहुत धार्मिक होती है।

भारतीय समाज धर्मप्रधान समाज है। भारत में

* *एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी-विभाग एवं संयोजक),* जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्रयागराज

विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों में महिलाएँ घर के भीतर धर्म के विषय में आज़ाद होती हैं। वह किसी भी धर्म को मानने वाली महिला हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं के समक्ष यह होती है कि धर्म के मामले में घर के बाहर उन्हें कोई आज़ादी प्राप्त नहीं होती है। यही कारण है कि प्रत्येक घर और मुहल्ले में मन्दिर मिल जायेगा। जगह-जगह मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च मिल जायेगा, परन्तु किसी भी धर्म में महिला को मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च का प्रमुख व्यक्ति नहीं बनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान यह व्यवस्था देता है कि धर्म के मामले में सभी समान हैं।

धर्म के आधार पर किसी के साथ भेद-भाव नहीं किया जायेगा। घर के बाहर के धार्मिक प्रतिष्ठानों में उन्हें मुख्य पद का न दिया जाना क्या भेदभाव नहीं है? हमारे समाज में क्या यह बदलाव नहीं आना चाहिए कि इन संस्थाओं की प्रमुख के रूप में भी उन्हें अवसर दिया जाये। भारतीय संविधान के अनुसार जितने भी सरकारी या गैर-सरकारी पद हैं, उनमें महिलाओं की भी नियुक्ति हो सकती है और नियुक्ति हो भी रही है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि पुरुषों के लिए ही उचित माने जाते थे, वहाँ भी महिलाओं की पदस्थापना की जाने लगी है। जैसे सेना में—चाहे वह जल सेना हो, वायु सेना हो या थल सेना हो। यहाँ तक कि वायु सेना में फाइटर एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए उन पर विश्वास किया जा सकता है। इसके लिए बकायदा उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी नियुक्ति की जा रही है। 26 जनवरी की परेड में वे वायु सेना के करतब दिखाने के लिए चुनी जा रही हैं और स्वयं को सिद्ध कर रही हैं, फिर किसी क्षेत्र में उनके लिए क्या सिद्ध करना बाकी रह जाता है? सबसे कठिन क्षेत्र तो सेना को ही माना जाता रहा है। जब वहाँ पर ये कुशलतापूर्वक कमान सँभाल सकती हैं तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं? समाज की सोच में उनके लिए बदलाव क्यों नहीं आता है? इस क्षेत्र में उनके लिए अभी कदम-कदम पर संघर्ष-ही-संघर्ष है।

महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र शिक्षक बनने का माना जाता रहा है। उसके बाद डॉक्टर के रूप में भी उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त है। परन्तु इन सीमाओं को पार करते हुए लगभग निषिद्ध से समझे जाने वाले क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग में भी महिलाओं ने अपनी सफलता के प्रतिमान गढ़े। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सफलता के परचम लहराये। वकील, न्यायाधीश, ग्राम प्रधान, सरपंच, ब्लाक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विभिन्न विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर के रूप में महिलाओं की नियुक्ति में निरन्तर वृद्धि, व्यवसाय जगत् में उच्च प्रतिष्ठानों में उनकी नियुक्ति, बैंकिंग सेक्टर में सफलतापूर्वक कार्य का संचालन, ख़ेल जगत् में नित नये प्रतिमान गढ़ना महिलाओं की क्षमता और उनकी प्रतिभा को दर्शाता है। फिर धर्म के क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता क्यों नहीं बढ़ती। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तो पति के साथ धर्मपत्नी का होना आवश्यक है, तभी वह यज्ञ, हवन शुद्ध माना जायेगा। नहीं तो अकेले करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

इन प्रश्नों का हल खोजने के लिये हमें महिला विद्वानों के विचारों के आलोक में जाना होगा। बीसवीं शताब्दी में (1908-1986) वैश्विक नारीवादी आन्दोलन की नेतृत्वकर्त्ता थीं—सिमोन द बोउवार। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है—'द सेकण्ड सेक्स'। इसकी महत्त्वपूर्ण पंक्ति है—"औरत पैदा नहीं होती है बल्कि समाज औरत को गढ़ता है।"[1] वह आजीवन नास्तिक थीं। उनका कहना था—"हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी संस्कृति लड़कियों को मजबूर करती है स्त्री बनने के लिए।"[2] वह कहती हैं—"इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में औरतों की पूजा होती है। धर्म तो वास्तव में एक तरीका है आदमियों द्वारा औरतों पर शासन करने का।"[3] सिमोन इस सन्दर्भ में प्लेटो की भी आलोचना करती हैं। सिमोन के द्वारा कही गयी बात का उदाहरण वर्तमान परिदृश्य में भी देखना चाहें तो समाज में हर धर्म में, हर जगह देख सकते हैं।

उदाहरण के लिए प्रयाग कुम्भ मेला, माघ मेला से ही बात को प्रारम्भ करें तो देख सकते हैं कि अभी तक माघ मेला में जितने भी पण्डाल लगते हैं, आचार्यों, शंकराचार्यों के पीठाधीश्वर यहाँ पर धर्म की पताका का

नेतृत्व करते हैं। धर्म के विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर उनकी ही नियुक्ति होती है। भारत में जितने भी प्रमुख मठ, मन्दिर, मस्जिद हैं वहाँ पर अभी महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन प्रवचन सुनने के लिए, आचार्यों का व्याख्यान सुनने के लिए महिलाओं और बच्चों को ही लाकर बैठाया जाता है। सारी धर्म की शिक्षा की जरूरत केवल महिलाओं को ही है, क्योंकि अगर घर में महिलाएँ धार्मिक होंगी तो घर, परिवार, समाज सुरक्षित रहेगा। महिलाओं को धार्मिक स्थल तक पहुँचाने, विभिन्न तीर्थस्थलों व धर्मस्थलों का दर्शन कराने में पुरुषों की भूमिका हमेशा सहायक की होती है। पुरुष प्रवचन करते हैं, वे श्रोता नहीं होते हैं। यदि होते भी हैं तो उनकी संख्या बहुत कम होती है। महिलाओं की यही स्थिति विभिन्न धर्मों में देखी जा सकती है, चाहे वह इस्लाम, बौद्ध, जैन, इसाई, पारसी धर्म ही क्यों न हो।

महिलाओं को धर्म के विषय में भी आज़ादी मिलनी चाहिए। धार्मिक प्रतिष्ठानों में उनकी सत्ता को स्वीकार किये जाने की आवश्यकता है। धर्म की भूमिका स्त्रियों के लिए शोषण की नहीं होनी चाहिए। अपितु धर्म के माध्यम से उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। आशा है कि आने वाले समय में जो बदलाव हो रहे हैं, उसका प्रभाव इस क्षेत्र में भी पड़ेगा और महिलाओं को धर्म के क्षेत्र में अधिकार पाने में भले ही अभी समय लगेगा। लेकिन निश्चित ही वह समय भी आयेगा जब हमारा समाज यह भी स्वीकार करने लगेगा कि धर्म के क्षेत्र में भी महिलाएँ उच्च स्थान पर रहकर समाज को संचालित कर सकती हैं, सही दिशा दे सकती हैं। पारिवारिक गृहस्थ जीवन में रहकर जिस तरह जीवन के हर क्षेत्र में कार्य का सम्पादन कर रही हैं, उसी तरह धर्म के स्वरूप में भी बदलाव आयेगा। धीरे-धीरे बहुत जगह आ भी रहा है। महिलाएँ अच्छा प्रवचन भी दे रही हैं। उनके भी व्याख्यान को सुनने के लिए प्रभूत मात्रा में श्रोता उपस्थित हो रहे हैं। परन्तु धार्मिक पदों पर उनको स्थापित नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में किन्नरों ने संघर्ष करके अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। परन्तु अभी भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। हिन्दी साहित्य में बंग महिला के नाम से विख्यात राजेन्द्र बाला घोष का कहना है कि—''स्त्रियों का स्वावलम्बी न होना ही उनकी पराधीनता का प्रमुख कारण है।''[4] बंग महिला ग्रन्थावली में वे कहती हैं—''यदि कई एक विशेष कारणों से तुम आश्रय चाहने वाली न होतीं तो आज के दिन कोई तुम्हें पराधीन अबला कहने का साहस कदापि न करता।''[5]

बंग महिला पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के दोहरे चरित्र पर भी चोट करती हैं। अपने लेखन में स्त्री मुक्ति के विभिन्न प्रश्नों को प्रमुखता से उठाती हैं। बंग महिला को भी स्त्री मुक्ति का रास्ता शिक्षा के माध्यम से ही दिखायी देता है। स्त्रियों की शिक्षा को लेकर बहुत सजग एवं सचेत दिखायी देती हैं। वस्तुतः शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा महिलाएँ धर्म के विषय में बहुत गहराई से समझ सकती हैं। उसके अन्तर्विरोधों को भी समझ सकती हैं। धर्म के अँधेरे पक्ष से प्रकाश की तरह आगे बढ़ सकती हैं। धर्म के क्षेत्र में भी अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती हैं, परन्तु इसके लिए अभी महिलाओं को बहुत संघर्ष करना आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Feminism in India, https://hindifeminismin india.com
2. Feminism in India, https://hindifeminismin india.com
3. Feminism in India, https://hindifeminismin india.com
4. राम वचन यादव, वागर्थ, बंग महिला का वैचारिक लेखन और स्त्री प्रश्न, पृष्ठ 99, भारतीय भाषा परिषद्, वर्ष 29, अकं 330, मई 2023
5. राम वचन यादव, वागर्थ, बंग महिला का वैचारिक लेखन और स्त्री प्रश्न, पृष्ठ 99, भारतीय भाषा परिषद्, वर्ष 29, अकं 330, मई 2023

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024
Paper Accepted : 7th March 2024

रीवा जिले के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग का अध्ययन

□ रीता निगम*
□ डॉ. पी.एन. मिश्र**

शोध-सारांश

प्रस्तुत शोध–कार्य रीवा जिले के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग का अध्ययन पर आधारित है। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के प्रयास से इस शोध समस्या का चयन किया गया। विद्यार्थी जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कर विषय संबंधी समस्या को हल करके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। शोधार्थी द्वारा परिकल्पना निर्माण कर सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या उपरांत निष्कर्ष में यह पाया कि ग्रामीण क्षेत्र के 53.3% संस्था प्रमुख, 63.3% शिक्षक, 80.7% छात्र यह मानते हैं कि शोध क्षेत्र के ग्रामीण शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव किया जाता है, जानकारी संकलन के समस्त स्त्रोतों के आधार पर कुल न्यादर्श संख्या में से 75.9% लोगों का यह मानना है कि जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग सदैव किया जाता है। वहीं शोध क्षेत्र के शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 66.7% संस्था प्रमुख, 76.7% शिक्षक, 84% छात्र यह मानते हैं कि जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव किया जाता है, अतः जानकारी संकलन के समस्त स्त्रोतों के कुल न्यादर्श संख्या में से 81.5% का मानना है कि शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव उपयोग किए जा रहे हैं।

* अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

अतः शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग होता है।

मुख्य शब्द–*रीवा जिला, ग्रामीण, शहरी, शासकीय, माध्यमिक विद्यालय, जनसंचार माध्यम, शिक्षण सहायक सामग्री, अध्ययन।*

प्रस्तावना

विद्यानाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यक्षये चाश्रयो, धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा। सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम्, तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरू।।

ज्ञान शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है, जो जन्मोपरांत ही प्रारंभ हो जाता है। बच्चा सर्वप्रथम अपने घर में माता–पिता से ज्ञान प्राप्त कर, अपने कुटुंब से निकलकर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है, जहाँ शिक्षा–शिक्षक–विद्यालय–अभिभावक सब मिलजुलकर अपनी–अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं। शिक्षा– ज्ञान, सदाचार, उचित आचरण, तकनीकी शिक्षा, दक्षता विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया है।

''उच्चतम शिक्षा वह है जो सम्पूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है।''–महात्मा गाँधी[1]

भारत में बालकों को निर्धारित चरणों के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है–(1) पूर्व प्राथमिक शिक्षा (किण्डरगार्टन–बालवाड़ी), (2) प्राथमिक शिक्षा–कक्षा 01 से 05 तक (06 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए), (3) माध्यमिक शिक्षा–कक्षा 06 से 08 तक (11 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए), (4) वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा–कक्षा 09 एवं 10 (15 वर्ष से 16 तक)।[2]

15 से 18 वर्ष के बालकों के हृदय में भावनाओं का उथल–पुथल प्रारंभ हो जाता है, वे भविष्य की नई दिशा एवं भावनाओं के प्रति जागरूक होने लगते हैं।

''राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क एवं सार्वजनिक शिक्षा सबसे ज्यादा उपयोगी है। लोकतंत्र में जब सभी नागरिक शिक्षित व साक्षर होंगे, तभी वे देश व समाज के योग्य नागरिक बन सकते हैं।''–कोठारी आयोग (माध्यमिक शिक्षा आयोग)[3]

शिक्षा के दृष्टिकोण से माध्यमिक स्तर के छात्रों की शिक्षा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, इस स्तर के विद्यार्थियों को नवीन तकनीकी उपकरणों, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे विषय से संबंधित कठिनाइयों का निराकरण एवं विषय के प्रति रुचि जागृत हो। विद्यालयों में मुख्यतः तीन प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है–(1) दृश्य, (2) श्रव्य, (3) दृश्य–श्रव्य सामग्री। इनमें से दृश्य–श्रव्य सामग्री अत्यधिक उपयोगी है, इससे छात्र के देखने, सुनने की शक्तियों में वृद्धि तथा अधिगम क्षमता का विकास होता है। इनके अंतर्गत–सिनेमा, नाटक, दूरदर्शन, टेलीविजन–चलचित्र, वृत्तचित्र, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन आदि है। वर्तमान में छात्र एवं शिक्षक इन्टरनेट के द्वारा कम्प्यूटर, मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, छात्र इनका उपयोग किस समय, किस रूप में और कब कर रहे हैं, जनसंचार माध्यमों का ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के अधिगम एवं शैक्षिक उपलब्धि पर कितना प्रभाव पड़ा। इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना शोधार्थी का मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए यह अध्ययन किया जा रहा है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान में देश के सम्पूर्ण विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में अत्यधिक उपयोग हो रहा है, छात्र इन माध्यमों का इन्टरनेट के रूप में अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, छात्र इन्टरनेट द्वारा कम्प्यूटर और मोबाइल फोन का उपयोग कर अधिगम स्तर की वृद्धि एवं नवीन खोजों में संलग्न है। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जनसंचार माध्यम के उपयोग को विद्यालय में अनिवार्य कर दिया गया है, परंतु वास्तव में इसका उपयोग ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थी/शिक्षक द्वारा उपयोग किया जा रहा है या नहीं, जनसंचार माध्यमों की जागरूकता है या नहीं, संस्था प्रमुख द्वारा ये संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं कि नहीं, इन तथ्यों के आंकलन हेतु इस शोध अध्ययन की शोधार्थी ने आवश्यकता महसूस की, इस कारण शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध समस्या **''रीवा जिले के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग का अध्ययन''** का चयन किया जो शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी है।

महत्त्व–प्रस्तुत शोध–कार्य मुख्य रूप से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों पर केन्द्रित है। ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों में जनंसचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसके महत्त्व का निर्धारण किया गया है।

(1) शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों में जनसंचार माध्यमों की उपलब्धता, जागरूकता संबंधी अध्ययन करना।

(2) शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोगिता संबंधी अध्ययन हो सकेगा।

शोध–कार्य के उद्देश्य–प्रस्तुत शोध–कार्य में शोध के उद्देश्य एवं प्रविधि अत्यधिक व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित किए गए हैं। **''रीवा जिले के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा जनसंचार का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग''** संबंधी तथ्यों को उजागर करने के प्रयास से प्रस्तुत शोध–कार्य के प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारिण किया गया है, जो इस प्रकार है–

(1) शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययनरत विद्यार्थियों में जनसंचार माध्यमों की जागरूकता एवं समझ का अध्ययन करना।

(2) शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनंसचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग संबंधी जानकारी प्राप्त करना।

शोध परिकल्पना–परिकल्पना दो शब्दों के मेल से बना है परि+कल्पना = 'परि' का अर्थ चारों ओर, 'कल्पना' का अर्थ चिन्तन। अतः परिकल्पना से तात्पर्य किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित समाधान पर विचार करना। परिकल्पना किसी भी शोध–कार्य का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।

''दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन मानते हैं।''–करलिंगर

शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक एवं संस्था प्रमुखों द्वारा जनसंचार माध्यमों के प्रति जागरूक, समझ, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोगिता संबंधी तथ्यों के संकलन हेतु शोधार्थी द्वारा निर्मित शोध परिकल्पना इस प्रकार से है–

''शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग होता है।''

शोध क्षेत्र का परिसीमन—प्रस्तुत शोध पत्र **''रीवा जिले के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग का अध्ययन''** के अंतर्गत परिसीमन में (1) मध्य प्रदेश के रीवा जिले के राजस्व सीमा—मध्य प्रदेश के उत्तरी—पूर्वी कोने में रीवा स्थित है, इसका नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर पड़ा वर्तमान में इसका नाम बिगड़ कर रीवा हो गया। रीवा जिले का मुख्यालय भी है। इसका आकार त्रिभुज के समान है।

(2) विषय वस्तु के अंतर्गत रीवा विकासखण्ड के शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया तथा कक्षा 09वीं एवं 10वीं स्तर के छात्रों तक परिसीमित किया गया है।

शोध विधि—प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा निम्न शोध विधियों का चयन किया गया है—

(1) सर्वेक्षण अध्ययन विधि।

(2) सांख्यिकीय विधि।

शोध उपकरण—अनुसंधान कार्य में चयनित समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने, जॉच करने एवं आँकड़ों को विश्वसनीय और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत करने के लिए शोधार्थी ने जिन उपकरणों का चयन किया, वे निम्न प्रकार हैं—

(1) प्रश्नावली प्रपत्र—शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य में आँकड़ों को एकत्रित करने हेतु संस्था प्रमुख, शिक्षक एवं छात्र/छात्राओं हेतु प्रश्नावली प्रपत्र की रचना की गई है।

न्यादर्श—सम्पूर्ण जनसंख्या (Population) इकाई, वस्तुओं या मानकों के समूह में किसी चर का विशेष मान ज्ञात करने हेतु उसकी कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है, यही चयन प्रक्रिया न्यादर्श कहलाती है।

''न्यादर्श सम्पूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व है।''—गुड़ एवं हैट[4]

शोध क्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए न्यादर्श के अंतर्गत शोधार्थी ने दैव—निदर्शन विधि के माध्यम से ''रीवा'' जिले के रीवा विकासखण्डों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 30 शासकीय माध्यमिक विद्यालय, उन विद्यालयों के 30 संस्था प्रमुखों, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के 300 विद्यार्थी, 60 शिक्षक चयनित किए हैं।

तालिका क्रमांक—01

क्र.	जिले का नाम	विद्यालय		माध्यमिक विद्यालय 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थीगण		माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकगण		माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रमुख प्राचार्य	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	रीवा (म.प्र.)	15	15	150	150	30	30	15	15

पूर्ववर्ती शोध कार्य का संक्षिप्त विवरण

शोध क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग हो रहा है। पूर्व में समस्या से संबंधित जिन शोध कार्यों का अध्ययन किया गया, वे इस

प्रकार से हैं–

(1) मिश्र, सुरेन्द्र कुमार–2015, **''वर्तमान समय में स्कूल शिक्षा में कम्प्यूटर की उपयोगिता का अध्ययन।''[5]**

उद्देश्य–शैक्षणिक संस्थाओं में कम्प्यूटर की शैक्षणिक उपयोगिता का अध्ययन।

निष्कर्ष–उ.मा.वि. में कम्प्यूटर के लिए प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए।

(2) तिवारी, रंजना–(2016)–**''रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड में हाईस्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की बालिकाओं में संचार के साधनों के प्रचार–प्रसार द्वारा शिक्षा के प्रति चेतना जागृत का विश्लेषणात्मक अध्ययन।''[6]**

उद्देश्य–21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण में किशोरियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भविष्य के प्रति जागरूक बनाना।

निष्कर्ष–अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि गंगेव विकासखण्ड में अनुसूचित जाति की बालिकाओं में संचार साधनों के प्रचार–प्रसार द्वारा शिक्षा के प्रति चेतना जागृत हुई है।

समंकों का विश्लेषण एवं व्याख्या

सांख्यिकी विश्लेषण, न्यादर्श चयन के उपरांत समस्या के संबंध में प्राप्त तथ्यों को समूह–तालिका के रूप में व्यवस्थित कर व्याख्या के उपरांत ग्राफीय निरूपण करने की प्रक्रिया है।

''सारणीयन द्वारा गणनात्मक तथ्यों का इस प्रकार व्यवस्थापन एवं वैज्ञानिक प्रदर्शन है, कि विचाराधीन समस्या का हल हो जाय।''

–घोष एवं चौधरी

प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी के द्वारा चयनित उपकरणों द्वारा प्राप्त आँकड़ों को सारणीबद्ध किया गया, वो इस प्रकार से हैं–**''शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग होता है।''**

तालिका क्रमांक–02

क्र.	जानकारी संकलन के स्रोत	न्यादर्श की संख्या	संगत प्रश्न	ग्रामीण शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जनसंचार माध्यमों के उपयोग का अध्ययन					
				सदैव		कभी–कभी		नहीं	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	**संस्था प्रमुख**	15	16,17	08	53.3	07	46.7	x	x
2.	**शिक्षक**	30	16,17	19	63.3	11	26.7	x	x
3.	**छात्र**	150	14,15	121	80.7	29	19.3	x	x
	कुल योग	**195**		**148**	**75.9**	**47**	**24.1**	**x**	**x**

विश्लेषण

उपरोक्त तालिका में ग्रामीण शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जनसंचार माध्यमों के उपयोग का अध्ययन किया गया है, जिसके अंतर्गत आँकड़ों की जानकारी स्वयं शोधार्थी द्वारा संबंधित प्रतिदर्श के संस्था प्रमुखों, शिक्षकों एवं छात्रों से प्राप्त कर विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषित तथ्यों के संदर्भ में 53.3% संस्था प्रमुखों, 63.3% शिक्षकों तथा 80.7% छात्रों के मतानुसार जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव होता है, जबकि 46.7% संस्था प्रमुखों, 26.7% शिक्षकों तथा 19.3% छात्रों के मतानुसार सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण के दौरान कभी–कभी किया जाता हैं।

जानकारी संकलन के समस्त स्रोतों के कुल न्यादर्श संख्या में 75.9% के मत के अनुसार जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव किया जाता, जबकि 24.1% के मतानुसार शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कभी–कभी होता हैं।

व्याख्या

उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों एवं प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्रांतर्गत अधिकांश ग्रामीण शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप सदैव किया जाता है जो शिक्षकों के सकारात्मक प्रवृत्ति को इंगित करता है।

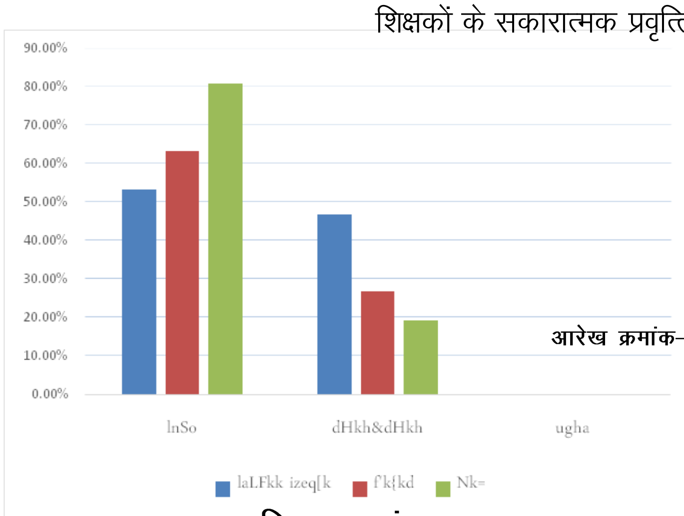

आरेख क्रमांक–01

तालिका क्रमांक–03

क्र.	जानकारी संकलन के स्रोत	न्यादर्श की संख्या	संगत प्रश्न	ग्रामीण शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जनसंचार माध्यमों के उपयोग का अध्ययन					
				सदैव		कभी–कभी		नहीं	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	संस्था प्रमुख	15	16,17	10	66.7	05	33.7	x	x
2.	शिक्षक	30	16,17	23	76.7	07	23.7	x	x
3.	छात्र	150	14,15	126	84	24	16	x	x
	कुल योग	**195**		**159**	**81.5**	**36**	**18.5**	**x**	**x**

विश्लेषण

उपरोक्त तालिका में शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जनसंचार माध्यमों के उपयोग का अध्ययन किया गया है, जिसमें आँकड़ों की जानकारी स्वयं शोधार्थी द्वारा संबंधित न्यादर्श के संस्था प्रमुखों, शिक्षकों एवं छात्रों से प्राप्त कर विश्लेषण किया गया है।

विश्लेषित तथ्यों के संदर्भानुसार 66.7% संस्था प्रमुखों, 76.7% शिक्षकों तथा 84% छात्रों के मतानुसार शिक्षकों के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में जनसंचार माध्यमों का सदैव उपयोग किया जाता है, जबकि 33.7% संस्था प्रमुखों, 23.7% शिक्षकों तथा 16% छात्रों के मतानुसार जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कभी–कभी किया जाता है।

जानकारी संकलन के समस्त स्त्रोतों के कुल न्यादर्शों में सम्मिलित 81.5% के मतों के अनुसार

शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव होता है, जबकि 18.5% के मतानुसार जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कभी–कभी होता है।

व्याख्या

उपरोक्त विश्लेषित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्रांतर्गत न्यादर्श चयनित अधिकांश शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव होता है, जो शिक्षकों के सकारात्मक शिक्षण को इंगित करता है।

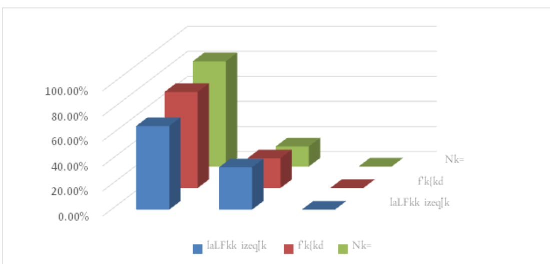

आरेख क्रमांक–02

परिकल्पना का सत्यापन एवं निरसन

''शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग होता हैं।''

उपरोक्त परिकल्पना के अंतर्गत तालिका क्रमांक–01 एवं तालिका क्रमांक–02 के सापेक्ष तथ्यों के विश्लेषण उपरांत की गई व्याख्या से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है, जो शिक्षकों के सकारात्मक दृष्टिकोण को इंगित करता है।

अतः शोधार्थी की उक्त परिकल्पना सत्यापित होती है।

निष्कर्ष–शोधार्थी द्वारा निर्मित परिकल्पना के परीक्षण उपरांत प्राप्त आँकड़ों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार से हैं–

(1) शोध क्षेत्र के ग्रामीण शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 53.3% संस्था प्रमुखों, 63.3% शिक्षकों, 80.7% छात्रों का यह मानना है कि जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव किया जाता है। जानकारी संकलन के समस्त स्त्रोतों के कुल न्यादर्श संख्या में 75.9% के मतानुसार जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव किया जाता है।

(2) शोध क्षेत्र के शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 66.7% संस्था प्रमुख, 76.7% शिक्षक, 84% छात्र यह मानते हैं कि माध्यमिक विद्यालयों में जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव किया जाता है। जानकारी संकलन के समस्त स्रोतों के कुल न्यादर्श संख्या में से 81.5% के मत के अनुसार जनंसचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में सदैव किया जाता है।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि, शोध क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा अपने अध्यापन कार्य में जनसंचार माध्यमों का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है।

सुझाव–शोध कार्य के उपरांत आँकड़ों के विश्लेषण, व्याख्या द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत सुझाव इस प्रकार से हैं–

(1) शोध क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी जनसंचार माध्यमों का उपयोग शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में किए जाने के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए।

(2) शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मदान, पूनम एवं गर्ग सुषमा–(2015–16) , ''भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएँ एवं मुद्दे'', प्रथम संस्करण, पृष्ठ संख्या–07, अग्रवाल प्रकाशन आगरा–2
2. गुप्ता, डॉ. अरुण एवं यादव, डॉ. शशिकांत तथा अडानिया, दिनेश–(2017), ''भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएँ एवं मुद्दे'', प्रथम संस्करण, पृष्ठ–141
3. Malhotra, J. Uttara - 15/08/2018, opportunity, India, https://www.opportunityindia.com
4. सरीन एण्ड सरीन–(1998) नवीनतम संस्करण, ''शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ'', पृष्ठ–112, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा–2
5. द्विवेदी, डॉ. विष्णुदास–(2008–09), ''इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा दिखाए जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों का विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन'', पृष्ठ संख्या–21, 22
6. तिवारी, रंजना–(2016), ''रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड में हाईस्कूल में अध्ययनरत अनुसूचित जाति की बालिकाओं में संचार के साधनों के प्रचार–प्रसार द्वारा शिक्षा के प्रति चेतना जागृत का विश्लेषणात्मक अध्ययन।''

   Research Expo InternationalMulti disciplinary Research Jounaral, Vol-VI, Issue 1/01/2016, Page 69-77
7. कुशवाहा, उमाशंकर–(2021), ''किशोरावस्था के विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि एवं मानवीय मूल्यों पर सूचना तकनीकी प्रभाव का अध्ययन'', पृष्ठ–128, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) ISSN : 2350-0441
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 4th March 2024 Paper Accepted : 7th March 2024

राम का औदार्य

(सन्दर्भ : वाल्मीकि रामायण, अरण्यकाण्ड)

▫ पंकज शुक्ल*
▫ प्रो. सूर्यनारायण गौतम 'वेदाचार्य'**

शोध-सारांश

पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त से वन में आये राम ने जब चित्रकूट का परित्याग कर दक्षिण की यात्रा प्रारम्भ की तब उन्होंने दण्डक नामक वन में प्रवेश किया और उस वन में उनके साथ जो भी प्रमुख घटनाएँ घटीं, उनका नामकरण अरण्यकाण्ड है। इस काण्ड में राम के द्वारा दण्डक वन में प्रवेश, विराध वध, उस स्थान पर बने आश्रमों का निरीक्षण, राम अगस्त्य मिलन, पंचवटी वास, सूर्पणखा दुर्गति, खरदूषण वध, मारीच की माया तथा सीता हरण, राम का पंचवटी से प्रस्थान, कबन्ध वध, शबरी से भेंट तक का वर्णन किया गया है। अयोध्या में राम राजकुमार के रूप में हैं, वहाँ राजशाही के चलते उनके भीतर निहित गुण उभरकर नहीं दिख रहे हैं। उन्हें कुछ विशेष करने का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा। किन्तु जैसे ही वे वन में आते हैं, उनका महामानवत्व प्रकट होता है तथा उत्तरोत्तर अभिवर्द्धित होता है।

मुख्य शब्द–*राम, औदार्य, दण्डकारण्य।*

महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण विश्वचरित्र का अद्भुत काव्य है। इसके नायक ही नहीं उप नायक या यूँ कहें कि, नायक के परिकरों का चरित्र भी उतना उदात्त है कि, उनके जीवन से स्वयं के जीवन को उन्नत करने हेतु सबकुछ सीखा जा सकता है। व्यक्तित्व विकास में सहायक उदारता का पाठ राम के दण्डक वन की यात्रा विशेष अनुकरणीय है। यथा–

दण्डकारण्य में प्रवेश

सीता और लक्ष्मण के साथ राम ने दण्डक नामक महावन में प्रवेश किया। राम उस तपोवन को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। राक्षसों के अत्याचार

* *शोधार्थी, संस्कृत विभाग,* एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)
** *प्रभारी–शोध प्रकाशन,* एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह (म.प्र.)

से पीड़ित ऋषि–मुनियों ने आगे बढ़कर दोनों तपस्वियों का स्वागत किया। वे राम के वनवास वृत्तान्त को सुन चुके थे और बड़ी उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अतिथियों का यथोचित सत्कार करके राम से कहा–"हे राम! आप चाहे नगर में रहें या वन में, दोनों दशाओं में हमारे स्वामी और संरक्षक हैं। हम आपकी शरण में हैं। राक्षसों के अत्याचार से हमें बचाइए"।

ते वयं भवता रक्ष्या भवद्भिरपयवासिनः।
नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः।।[1]

राम ने दण्डक अरण्यवासियों के कष्ट को ध्यान से सुना और एक रात वे वहीं बिताकर दूसरे दिन और घने वन में प्रविष्ट हुए।

विराध–वध

कुछ दूर जाने पर ही उन्हें यमराज–सा भयंकर एक विशालकाय दानव मुँह में रुधिर और चर्बी लपेटे मिला। राम–लक्ष्मण का उसके साथ युद्ध हुआ। मरते समय उसने राम से गड्ढा खोदकर समाधि की याचना की। राम ने उसकी याचना के अनुसार उसका वह और्ध्वदेहिक संस्कार किया–

ततः खनित्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्तमम्।
अखनत्पार्श्वतस्तस्य विराधस्य महात्मनः।।[2]

यह राम की उदारता है कि, जिस राक्षस ने पत्नी और अनुज सहित सभी को अधिक देर तक दुर्वचन तथा कुचेष्टाओं से दुःखी किया हो उसे भी श्रीराम ने मृत्यु के उपरान्त सद्गति प्रदान की।

दक्षिण के आश्रमों का निरीक्षण

तीनों वहाँ से आगे बढ़े और सन्ध्या होते–होते महातपस्वी शरभंग मुनि के आश्रम में पहुँचे। उस समय वे स्वेच्छा से शरीर–त्याग करने जा रहे थे। राम को देखते ही उन्होंने राम का स्वागत और अनुरोध किया कि, यहाँ के ऋषि–मुनियों का कल्याण करें। ऋषि–मुनियों ने राम से राक्षसों के अत्याचार का हाल कहा और उन्हें ऐसे राक्षसों के हाथ से मारे गए ऋषियों के बहुत से कंकाल दिखाए। राम ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। इसके बाद वे दूर महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम में गए। महर्षि सुतीक्ष्ण ने उनका स्वागत–सत्कार कर राक्षसों के अत्याचार का रोमांचकारी वृत्तान्त सुनाया और उन्हें आसुरी शक्ति के विनाश के लिए उत्साहित किया। उनकी बात सुनकर राम ने कहा–

नैवमर्हथ मां वक्तुमाज्ञप्तोऽहं तपस्विनाम्।
केवलेनाम्तकार्येण प्रवेष्टव्यं मया वनम्।।[3]

दूसरे दिन राम वहाँ से आगे बढ़े। मार्ग में सीता ने कहा–आर्यपुत्र! ऋषि–मुनियों के कारण वन में राक्षसों से वैर लेना ठीक नहीं जान पड़ता। राम ने उत्तर दिया–सीता! ये निर्बल, निस्सहाय साधुजन बहुत आशा–विश्वास के साथ मेरी शरण में आए हैं। इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। क्षत्रिय लोग इसलिए शस्त्र धारण करते हैं कि संसार में कहीं पीड़ितों का शब्द न सुनाई पड़े। दण्डक वन में दस वर्ष तक निवास करने के बाद वे पुनः महर्षि सुतीक्ष्ण से मिले। सुतीक्ष्ण ने उन्हें महर्षि अगस्त्य से मिलने की सम्मति दी।

राम–अगस्त्य मिलन

लक्ष्मण ने अगस्त्य आश्रम के द्वार पर जाकर महर्षि के एक शिष्य द्वारा राम–सीता के आने का संदेश सुनाया। तेजस्वी भगवान अगस्त्य शिष्य–मण्डली सहित तुरंत बाहर निकल आए। राम, सीता और लक्ष्मण उनके चरणों पर गिर पड़े। अगस्त्य ने उनको आशीर्वाद देकर स्वागत किया।

बातचीत के अन्त में अगस्त्य ने राम को विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र से प्राप्त दिव्य अस्त्र भेंट किए। राम ने उन दिव्यास्त्रों को सिर से लगाया।

पंचवटी–वास

दूसरे दिन महर्षि अगस्त्य का आशीर्वाद लेकर राम ने सीता–लक्ष्मण सहित पंचवटी की ओर प्रस्थान किया। लक्ष्मण ने भाई–भाभी के लिए बड़े परिश्रम से वहीं एक कुटी बना दी। राम को वह बड़ी सुन्दर और सुखदायक जान पड़ी। उन्होंने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और कहा–लक्ष्मण! तुम्हारे साथ रहने से मुझे ऐसा ज्ञात होता है मानो मेरे पिता अभी जीवित ही हैं। जैसा प्रेम मुझे पिताजी से मिलता था, वैसा ही तुमसे मिल रहा है। वे भी

मेरे सुख का ऐसे ही ध्यान रखते थे। इन सेवाओं के बदले में मेरा प्रेमालिंगन ही तुम्हारा पुरस्कार है।

शूर्पणखा की दुर्गति

एक दिन तीनों कुटी के सामने चबूतरे पर बैठे थे। इतने में कहीं से एक बनी–ठनी राक्षसी आई। राम को देखते ही उसका मन विचलित हो उठा, उसने निकट आकर राम से परिचय और वन में आने का प्रयोजन पूछा। राम ने सहज भाव से सब कुछ बता दिया और अन्त में उसका भी परिचय पूछा। दानवी हाव–भाव दिखाती हुई वह बोली–सुनो रूपनिधान! मैं महाप्रतापी लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। महाबली कुंभकर्ण और विभीषण मेरे सगे भाई तथा खर और दूषण चचेरे भाई हैं। संसार में मेरे समान सुन्दरी और सौभाग्यशालिनी स्त्री दूसरी नहीं है। मैं तुम्हें स्वेच्छा से अपना पति बनाना चाहती हूँ। तुम इस अभागिनी, कुरूपा सीता को छोड़ो और मेरे साथ चलकर भोग–विलासमय जीवन व्यतीत करो। चलो, मेरी प्रणय–पिपासा शान्त करो...।

लक्ष्मण ने झपटकर तलवार से उसके नाक–कान काट दिए। यह जिधर से आई थी, उसी ओर चिल्लाती हुई भाग गई।

खर–दूषण वध

वन के मध्य भाग में राक्षसों का एक बहुत बड़ा शिविर था। वहाँ रावण के दो प्रतिनिधि–खर, दूषण, सेनापति त्रिशिरा सहित निवास करते थे। शूर्पणखा रक्त से भींगी हुई राक्षसों की छावनी में पहुँची और रो–रोकर अपना हाल कहने लगी। खर बहन की दुर्दशा देखकर क्रोधित हो गया। उसने राम को मारने के लिए तुरन्त सैनिकों का एक दल भेजा। शूर्पणखा भी साथ–साथ गई। राम ने राक्षसों को देखते ही तीक्ष्ण बाणों से मार गिराया। शूर्पणखा रोती–चिल्लाती फिर खर के पास पहुँची और उसे बारम्बार धिक्कारने लगी। महाबली खर एक मनुष्य द्वारा राक्षसी शक्ति का अपमान नहीं सह सकता था। वह रथ में बैठकर सम्पूर्ण सेना सहित राम से युद्ध करने चल पड़ा। भीषण युद्ध में दूषण राम के हाथों मारा गया। सेनापति त्रिशिरा की भी वही गति हुई। अन्त में महारथी खर ने राम से युद्ध किया तथा सवा घंटे में राम ने चौदह सहस्त्र राक्षसों को अकेले मार डाला। दण्डकारण्य से राक्षसों की सत्ता सदा के लिए उठ गई।

मारीच की माया और सीता हरण

शूर्पणखा रोती–बिलखती लंका की ओर भागी और राक्षसराज रावण के समक्ष जाकर शूर्पणखा अमर्ष से बोली–अरे रावण! तेरे बल–पराक्रम को धिक्कार है, देख तेरे रहते एक मनुष्य ने मेरी कैसी दुर्गति कर डाली! तुझे पता न होगा कि राम नामक एक मानव ने तेरे जनस्थानवासी भाई–बन्धुओं को मारकर ऋषियों को स्वराज्य दे दिया है। मेरी नाक के साथ तेरी भी नाक कट गई। छिः–छिः! तू अब कहीं मुँह दिखाने योग्य नहीं है...। वह बड़ा बलवान और रण–कुशल, धनुर्धर है। उसके साथ उसका शूरवीर भाई लक्ष्मण भी है और सुनो, राम अपने साथ अपनी अनुपम रूप–लावण्यवती स्त्री सीता को भी ले आया है। वह विश्वसुन्दरी तुम्हारे योग्य है। मैं उसको तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। बस, इसीलिए दुष्ट लक्ष्मण ने मेरे नाक–कान काट लिए। उसे प्राप्त करना चाहते हो तो कार्य–सिद्धि के लिए अभी दाहिना पैर उठाओ। शत्रु ने तुम्हारे द्वार पर आकर तुम्हें चुनौती दी है। तुम उसकी भार्या का अपहरण करके अपनी सामर्थ्य प्रकट करो।

रावण मारीच के सहयोग से सीता का अपहरण करने में सफल हो गया। वयोवृद्ध राजा जटायु ने सीता के रोने की आवाज को सुना। वह दशरथ का मित्र था और राम–सीता को भली–भाँति जानता था। उसने रावण को ललकारा–तू मेरे मित्र की पुत्रवधू को इस तरह नहीं ले जा सकता। यद्यपि तू युवा है, बलवान् है, अस्त्र–शस्त्र से सुसज्जित है और मैं साठ वर्ष का वृद्ध तथा निरस्त्र हूँ, फिर भी मैं तुझे ऐसा अन्याय नहीं करने दूँगा। रावण–जटायू के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। रावण ने तलवार से उसके दोनों पर काट डाले। गृध्रराज राम के लिए

वीरता से युद्ध करता हुआ गिर पड़ा और असह्य पीड़ा से तड़पने लगा। रावण सीता को पुनः यान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। मर्यादा के लिए जटायु द्वारा प्राणों का उत्सर्ग तथा राम के द्वारा पुत्रवत् पितृकर्म यह औदार्य का अनुपम उदाहरण है।

राम का पंचवटी से प्रस्थान

सीता के सम्बन्ध में भाँति–भाँति की अशुभ आशंकाएँ करते हुए राम अपनी कुटी के पास पहुँचे। राम की कुटिया सूनी हो गई थी। लक्ष्मण चारों ओर सीता को ढूँढ़ने लगे। राम ने बाहर–भीतर सर्वत्र देखा, पर सीता नहीं मिली। वे 'सीता–सीता' चिल्लाते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, एक नदी से दूसरी तक दौड़ने लगे। उस समय वे वन में इधर–उधर भागते, चिल्लाते हुए उन्मत्त जैसे दिखाई पड़ते थे। उन्होंने एक–एक वृक्ष के पास जाकर पूछा–मित्र तरुराज! बताओ, सीता कहाँ है? तुमने मेरी सीता को कहीं देखा हो तो कृपा करके बता दो। इस प्रकार वन के पशु–पक्षियों से, सूर्य से, पवन से और दिशाओं से भी उन्होंने हाथ जोड़–जोड़कर सीता के बारे में पूछा। उन्हें अन्त में यह विश्वास हो गया कि सीता को राक्षसों ने मारकर खा लिया होगा। वे शोक में विह्वल होकर प्रलाप करने लगे।

राम अत्यन्त अधीर होकर लक्ष्मण से बोले–लक्ष्मण! जो राजमहलों का सुख–ऐश्वर्य त्यागकर मेरे साथ आई थी, जिसने घोर विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, वह मेरी वनसंगिनी कहाँ है? राजपाट, घर–बार, सब–कुछ तो चला ही गया था, मेरी जीवन–संगिनी भी चली गई! मैं अब इस दुःखी जीवन का अन्त कर लूँगा। तुम अब अयोध्या लौट जाओ।

कबन्ध–वध

चलते–चलते मार्ग में कबन्ध नाम का एक भीमकाय दानव उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। राम–लक्ष्मण ने अपनी–अपनी तलवार से उसकी एक–एक भुजा काट डाली। भुजाहीन कबन्ध चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने नम्रता से उन दोनों का परिचय पूछा। कबन्ध का मृत्युकाल समीप था। वह अपने कुकर्मों के लिए घोर पश्चात्ताप करने लगा तथा स्वयं की मृत्यु के बाद दाह–संस्कार करने की याचना की। राम ने उसकी इच्छानुसार सनातन पद्धति से उसका दाह–संस्कार किया।

राम शबरी–मिलन

राम मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। वृद्धा तपस्विनी शबरी ने दौड़कर उनके चरण छुए और आसन तथा चुने हुए फल–मूल आदि सामने रखकर कहा– देव! आपके चित्रकूट पधारने का शुभ समाचार मैं सुन चुकी थी। तब से मैं आपकी बाट जोहती बैठी रही। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मेरे देव! मैंने पम्पा के वनों से उत्तमोत्तम फल–मूल इकट्ठे कर रखे हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। राम–लक्ष्मण ने उसके हाथ से जिसे समाज अधम जाति कहता था, के हाथ से फल आदि लेकर बड़े प्रेम से खाए। कुछ देर में शबरी के शरीर–त्याग का समय आ गया था। उसकी अन्तिम लालसा पूरी हो चुकी थी। अब वह राम के आगे ही अपने जीर्ण–शीर्ण कलेवर को त्यागना चाहती थी। राम ने इसके लिए अनुमति दे दी। शबरी ने अपनी चित्ता तैयार की। राम–लक्ष्मण को प्रणाम करके उनके देखते–देखते वह उसमें प्रविष्ट हो गई।

निष्कर्ष

इस प्रकार अरण्यकाण्ड में जितने भी कथानक हैं, वे सभी उत्तरोत्तर उदारता के उदाहरणों से युक्त हैं। वे मनुष्य को मर्यादा में बाँधकर रखने के लिए पर्याप्त व जीवन को उन्नत बनाने वाले हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रामायण, अरण्यकाण्ड 1/20
2. वही, 4/25
3. वही, 5/22

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024 **Paper Accepted : 7th March 2024**

सामाजिक अनुसंधान एवं वैज्ञानिकता

❑ डॉ. माधुरी सिंह*

शोध-सारांश

मानव-जीवन अपने उद्‌भव काल से ही निरन्तर ज्ञान प्राप्ति और उसके माध्यम से विकास मार्ग पर गतिमान है। इस सम्बन्ध में उसकी देखने, करने एवं कुछ नया पाने की स्वाभाविक आन्तरिक प्रेरणा की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। वह पहले अपने स्वयं तथा आस-पास और पूरे ब्रह्माण्ड के बारे में कुछ नया जानने को उतना ही उत्सुक रहता है जितना कि पूर्व में प्राप्त ज्ञान को। साथ ही, पूर्व में मिले ज्ञान में समयगत आये परिवर्तनों में भी उसकी इन इच्छाओं और समस्त विकास का आधारभूत मार्ग अनुसंधान है। चूँकि समस्त अनुसंधान समाज में ही होते हैं और इसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध समाज से होने के कारण इस प्रक्रिया को सामाजिक अनुसंधान की संज्ञा दी गई है। अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिकता पर अवलम्बित होती है। जिस किसी भी चरण में इसका उल्लंघन या अभाव होता है तो वहाँ शोध वांछित मार्ग से हट जाता है। महात्मा गाँधी जिस साधन-साध्य की पवित्रता की बात करते थे, वह सामाजिक अनुसंधान और वैज्ञानिकता के सम्बन्धों में भी अपरिहार्य है। अनुसंधान प्रगति एवं परिवर्तन का वाहक बने हुए हैं। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि शोधकार्य अपनी वैज्ञानिकता को अक्षुण्ण बनाये हुए मानव उत्थान में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहे।

मानव स्वभाव से ही अपनी वर्तमान स्थिति, ज्ञान, संसाधन एवं जीवन-शैली से आगे और बेहतर जानने, पाने एवं करने को सदैव उत्सुक रहता है। उसकी जिज्ञासा इससे भी बढ़कर है। वह अपने आस-पास की वस्तुओं, घटनाओं तथा संसाधनों का ज्ञान ही नहीं चाहता, वरन् वह ब्रह्माण्ड के सुलझे तथा अनसुलझे तथ्यों में रुचि लेता है। वह प्राप्त ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं करता है बल्कि अनेक माध्यमों, स्तरों आदि पर उनकी चर्चा अपने चिर-परिचितों आदि से भी करता है।

अतः स्पष्ट है कि ज्ञान के प्रति उसका प्रेम अथाह है। वह दैनिक दिनचर्या में या फिर कार्यस्थल या खेल के मैदान सभी जगहों पर कुछ नया सीखने, जानने को प्रयासरत रहता है। व्यक्ति मात्र नया ही नहीं जानने, करने को उत्सुक रहता है, अपितु वह पूर्व के ज्ञान और उसकी वर्तमान स्थिति में भी अभिरुचि रखता है। साथ-ही-साथ पूर्व के ज्ञात ज्ञान, तथ्य आदि में आये समयगत परिवर्तन को जानने-समझने का कौतुहल भी उसमें प्रबल रूप से रहता है। इस तरह स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञान

* *असि. प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,* शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रहली, सागर

पिपाशु है और उसकी यह इच्छा सदैव उसे अभिप्रेरित करती रहती है और वह निरन्तर ज्ञान प्राप्ति में संलग्न रहता है। इस तरह ज्ञान प्राप्ति में वह सदैव संलग्न रहता है, इसे ही शोध या अनुसंधान कहा जाता है। इसका अर्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए बार-बार प्रयास करना है। इस अनुसंधान शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा में रिसर्च (Re-search) शब्द का उपयोग किया है। यह रिसर्च शब्द दो शब्दों 'रि' और 'सर्च' (Re + Search) के योग से बना हुआ है। इसमें रि (Re) का अर्थ, बार-बार तथा सर्च (Search) का अर्थ, खोजना है। इस तरह कहा जा सकता है कि अनुसंधान का अर्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए बार-बार खोज करना है। किसी भी क्षेत्र में नवीन ज्ञान की प्राप्ति या उसमें आये समयगत परिवर्तनों एवं उनके प्रभावों का संज्ञान अनुसंधान के माध्यम से मिलता है। अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया प्रत्यक्ष तथा अपरोक्ष रूप से समाज में ही सम्पन्न होती है और उसके ज्ञान का उपयोग भी समाज में ही किया जाता है। इसीलिए अनुसंधान को सामान्यतः सामाजिक अनुसंधान की संज्ञा दी जाती है, जो कि तार्किक है। सामाजिक अनुसंधान को अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से पारिभाषित किया है, जैसे पी.वी. यंग के अनुसार, "सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है, जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन एवं पुराने तथ्यों का अन्वेषण एवं उनमें पाये जाने वाले अनुक्रमों, अन्तःसम्बन्धों, कारणात्मक व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है।" इसी तरह सी.वी. गुड का कहना है कि, "आदर्श रूप में अनुसंधान किसी समस्या के बारे में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेषण है, जिसमें यथा सम्भव प्रभावित तथ्यों में अन्तर, निर्वचन तथा सामान्य रूप से सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है।" सी.ए. मोजर के अनुसार, "सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित छानबीन या खोज को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं।" विद्वानों के उपरोक्त वर्णित कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि, "सामाजिक अनुसंधान एक सुव्यवस्थित एवं तार्किक प्रक्रिया है जो समाज की विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में कार्य-कारण तथा उनके प्रभावों की खोज करती है।"

प्रत्येक विचार, संस्था या घटना, क्रिया-कलाप की तरह ही सामाजिक अनुसंधान की अपनी विशेषताएँ तथा कार्यप्रणाली है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ अग्रांकित हैं। यथा—यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं बल्कि विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक सचेत प्रक्रिया है। यह सूक्ष्म अध्ययन पर ध्यान देता है। यह नवीन ज्ञान का सर्जक है। इसके उद्देश्य व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दोनों ही होते हैं। यह शोधकर्त्ता की इच्छा पर होता है कि वह अनुसंधान की प्रक्रिया द्वारा किस उद्देश्य पर ध्यान केन्द्रित करता है। शोध की प्रक्रिया कुछ निश्चित चरणों में सम्पन्न होती है। शोध से प्राप्त निष्कर्षों की पुनर्परीक्षा तथा सत्यापन भी किया जा सकता है। इससे प्राप्त ज्ञान सिद्धान्त निर्माण का कार्य करते हैं। सामाजिक अनुसंधान मानव-जीवन के विविध पक्षों पर अपना ध्यान केन्द्रित करता है और इसी का परिणाम है कि हमें निरन्तर अनेक क्षेत्रों के नवीन तथा पुनर्सत्यापित ज्ञान का बोध होता रहता है। यह विभिन्न घटनाओं के मध्य निहित सम्बन्धों या कार्य-कारण सम्बन्धों को भी खोजता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक अनुसंधान का प्रयास प्राप्त ज्ञान से समस्याओं का हल ढूँढने तथा लोगों के जीवन को सहज, सरल बनाने का भी कार्य करता है। यह योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करता है तो विभिन्न सामाजिक घटनाओं पर नियन्त्रण का मार्ग सुझाता है। इस तरह यह मानव-जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर उसके जीवन को आनन्दमय बनाता है। मानव-जीवन के विधि पक्षों पर नये विकल्प उपलब्ध कराकर यह उसमें एक नई ऊर्जा का संचार करता है। इस तरह ये अनेकों तरह से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। मार्टिण्डेल और मोनाचोसी ने कहा है कि, "विज्ञान भी विचारने का एक ढंग है और सभी प्रकार के विचारों की तरह यह समस्या के प्रत्युत्तर के रूप में उदित होता है।"

सामाजिक अनुसंधान के उपरोक्त वर्णित विशेषताओं तथा योगदानों के बाद इसकी प्रक्रिया पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए यह अनेक उपकरणों, प्रविधियों तथा पद्धति का उपयोग करता है। अनुसंधान की पूरी

प्रक्रिया यदि अपने मान्य एवं वांछनीय स्वरूप में क्रियान्वित होती है तभी उसके परिणाम से लाभान्वित हुआ जा सकता है। इसके विपरीत प्राप्त ज्ञान से समय, धन एवं ऊर्जा का दुरुपयोग ही होता है। इसकी प्रक्रिया कुछ चरणों में विभाजित है जिसे अलग-अलग विद्वानों ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुरूप वर्णित किया है। यथा—हर्टन एवं हर्ट ने इसके आठ चरण बताये हैं, तो जहोदा, सेल्टिज एवं बेली ने पाँच सोपानों की चर्चा की है। इसी अनुक्रम में जार्ज लुण्डबर्ग तथा पी.वी. यंग ने चार चरणों का वर्णन किया है। इन विद्वानों के मतों के साथ सामान्यतः सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न होती है—

(1) समस्या का चुनाव,
(2) उपकल्पना का निर्माण,
(3) शोध प्ररचना तथा विधि सम्बन्धी निर्णय,
(4) तथ्य संकलन,
(5) तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन,
(6) विश्लेषण एवं सामान्यीकरण।

शोध की उपरोक्त चरणों के क्रियान्वयन में सर्वाधिक आवश्यकता वैज्ञानिकता एवं वस्तुनिष्ठता के क्रियान्वयन की है। वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक पद्धति समस्त अनुसंधान की अपरिहार्य शर्त है। इस वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक पद्धति को समझने के पूर्व हमें विज्ञान को समझना होगा। विज्ञान का अर्थ अध्ययन की ऐसी विधि से है जो व्यवस्थित, नियन्त्रित तथा आनुभाविक हो। वस्तुनिष्ठता, तार्किकता एवं विश्वसनीयता इसकी विशेषताएँ हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रमबद्ध एवं तार्किक, वस्तुनिष्ठ रूप से ज्ञान का संचय ही विज्ञान है।

गुडे एवं हॉट ने भी कहा है कि, ''विज्ञान को प्रचलित रूप से व्यवस्थित ज्ञान के संचय के रूप में पारिभाषित किया जाता है।''

कार्ल पियर्सन के अनुसार ''सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है न कि केवल उसकी विषय सामग्री से।''

बर्नार्ड ने विज्ञान को छः बिन्दुओं के आधार पर पारिभाषित किया है—परीक्षा, सत्यापन, परिभाषा, वर्गीकरण, संगठन तथा अभिविन्यास। इसके साथ ही इन्होंने भविष्यवाणी करना तथा क्रियान्वयन को भी इसी श्रेणी में रखा है।

इस तरह विज्ञान का अर्थ किसी विशेष विषय-वस्तु से नहीं, बल्कि अध्ययन के तरीके से है। इस सन्दर्भ में लुण्डबर्ग ने कहा है कि, ''विज्ञान को विषय-सामग्री के रूप में पारिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है।'' अतः जिस किसी भी विषय या घटना का अध्ययन विज्ञान के तरीके से किया जायेगा वह ज्ञान सत्यापनशील होगा। विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं में अवलोकन, निरीक्षण, तर्क एवं वर्गीकरण को माना जाता है। इसी के साथ सत्यापन, सामान्यीकरण, तटस्थता, भविष्यवाणी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को भी विज्ञान की ही विशेषता माना जाता है।

अब विज्ञान को समझ लेने से हमें वैज्ञानिक पद्धति को समझने में सरलता होगी। यह विज्ञान को आधार मानकर उसी तौर-तरीकों से अपना कार्य करता है। इसीलिए इसे वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है। सामान्यतः जब अध्ययनकर्त्ता निष्पक्ष रूप से वस्तुनिष्ठता, तार्किकता के माध्यम से अपना अनुसंधान कार्य करता है तो इसे वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन माना जाता है। इस सन्दर्भ में लुण्डबर्ग ने कहा है कि, ''व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है।'' वुल्फ का मानना है कि, ''व्यापक अर्थों में कोई भी अनुसंधान जिसके द्वारा विज्ञान की रचना और विस्तार होता है, वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है।'' वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में अवलोकन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण, वस्तुनिष्ठता, तार्किकता आदि है।

सामाजिक अनुसंधान अपने वास्तविक स्वरूप तथा वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति तभी कर सकती है, जब वह वैज्ञानिकता अर्थात् वैज्ञानिक पद्धति का अनुप्रयोग करे। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया अपने अध्ययन को अर्थपूर्ण बनाने हेतु उसी मार्ग का अनुसरण करता है जिसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक पद्धति करती है। यह सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया अपने प्रत्येक चरण पर इसका पालन करती है। अनुसंधान के प्रथम सोपान में विषय या समस्या का चयन किया है। शोधकर्त्ता बहुत संवेदनशीलता तथा उत्तरदायीपूर्ण मन-मस्तिष्क से किसी प्रकरण का चयन अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए करता है। विषय का चयन अनुसंधान कार्य की दशा एवं दिशा तय करती है। अंग्रेजी भाषा में भी एक कहावत है कि "Well

Begins in Half Done" अर्थात् "अच्छी शुरुआत कार्य को आधा सफलता प्रदान कर देती है।"

अध्ययन विषय के चयन में शोधकर्त्ता की अपनी रुचि तथा शोध हेतु उसका अच्छा शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य तथा उसके पास आवश्यक समय एवं संसाधनों की सुलभता शोध कार्य को सरल बना देते हैं। इस सन्दर्भ में भी व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ तथा तार्किक रूप से निर्णय करना चाहिए। उसे ऐसे विषयों तथा प्रकरणों, घटनाओं के अध्ययन से बचना चाहिए, जिसमें उसकी अभिरुचि ही न हो। साथ ही, शोधकर्त्ता के अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में शोध कार्य की गति प्रभावित होती है। अतः शोधकर्त्ता को वैज्ञानिक रूप से स्वयं का तथा अपने संसाधनों आदि का मूल्यांकन करके ही अनुसंधान कार्य का श्रीगणेश करना चाहिए।

अनुसंधान के द्वितीय चरण में उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। किसी कार्य को आरम्भ करने के पूर्व उससे सम्बन्धित लोगों के अनुभव, अध्ययन तथा अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर जब शोधकर्त्ता कोई काम चलाऊ अनुमान या निष्कर्ष निकालता है तो वह कथन या अनुमान उपकल्पना कहलाता है। इस स्तर पर वैज्ञानिकता के उपयोग की आवश्यकता होती है। शोधकर्त्ता उपकल्पना सम्बन्धी निर्णयन में जो तथ्य एकत्रित करता है, उसमें उसे सजगता और अपनी क्षमता, योग्यता के बल पर आम व्यक्ति से मिली सूचना का उपयोग में तार्किकता के द्वारा उपकल्पना का निर्माण सम्भव होता है।

अनुसंधान का तीसरा चरण शोध प्ररचना, विधि व प्रविधि सम्बन्धी निर्णयन का होता है। इस सोपान में अनुसंधानकर्त्ता शोध के विषय एवं क्षेत्र तथा सूचना एकत्रित करने की पूरी प्रक्रिया में वैज्ञानिकता का उपयोग कर अपने कार्य को सफल बना सकता है। वह शोध प्ररचना का चयन—अन्वेषणात्मक, निदानात्मक, विवरणात्मक तथा प्रयोगात्मक में से उपयुक्त प्ररचना का चयन वस्तुनिष्ठता के आधार पर करता है। वह तथ्य संकलन की प्रविधि का चयन शोध विषय एवं क्षेत्र के अनुकूल करता है।

अनुसंधान के अगले चरण में तथ्य संकलन जैसा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादित किया जाता है। इस प्रक्रिया की मौलिकता पर शोध कार्य अवलम्बित होता है। उपयुक्त एवं विश्वसनीय तथ्यों के संकलन के बिना वैज्ञानिकता सम्भव ही नहीं है। तथ्य प्राथमिक एवं द्वितीयक दो प्रकार के होते हैं। इनके एकत्रीकरण में वस्तुनिष्ठता एवं सजगता आवश्यक होती है। साथ ही, इस प्रक्रिया में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों यथा—कैमरा, रिकार्डर के साथ-साथ अधिसूचित एवं विश्वसनीय द्वितीयक तथ्यों का संलग्न कार्य किया जाता है।

अनुसंधान में तथ्यों के वर्गीकरण तथा सारणीयन को वैज्ञानिकता प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर आदि का उपयोग शीघ्रता और विश्वसनीय कार्य करता है। अतः यह चरण भी बिना वैज्ञानिकता के सम्पन्न नहीं किया जा सकता है। सारणीयन के उपरान्त सामान्यीकरण के आधार पर अवधारणा एवं सिद्धान्त का विकास किया जाता है। इस सोपान पर वस्तुनिष्ठता एवं कार्य-कारण सम्बन्धों के लिए तार्किकता बहुत आवश्यक होती है।

अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिकता पर अवलम्बित है। इसके प्रत्येक चरण में इसका उपयोग बहुत आवश्यक है। बिना इसके कोई शोधकार्य न तो सत्यापनशील होगा और न ही इसका कोई अन्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान युग में अनुसंधान कार्य में तकनीकी की बढ़ती भागीदारी इस सन्दर्भ में सकारात्मक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महाजन, धर्मवीर एवं कमलेश, सामाजिक अनुसंधान का प्रणाली विज्ञान, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2011
2. गुप्ता, डी.डी., शर्मा, एम.एल., प्रारम्भिक सामाजिक अनुसंधान, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा, 1991
3. जैन, बी.एम., रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 1997
4. गोयल, सुनील एवं संगीता, सामाजिक अनुसंधान के मूल तत्त्व, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2001
5. टोंग्या, वी.सी., सामाजिक अनुसंधान के मूल तत्त्व, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1990
6. अहूजा, राम, सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2020
7. कोली, लक्ष्मीनारायण, रिसर्च मेथडोलॉजी, वाई.के. पब्लिशर्स, आगरा

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred
International Multifocal
Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR
SJIF - 6

Paper Recieved : 4th March 2024

Paper Accepted : 7th March 2024

सावित्री परमार के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श

▫ डॉ. शीताभ शर्मा*

शोध-सारांश

इस संदर्भ में भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो उत्तर वैदिक युग से ही हमारे समाज में वर्ण चतुष्ट्य (ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र) के अतिरिक्त एक और जाति का उदय हुआ–नारी जाति। तब से अब तक इस आधी आबादी की पीड़ा अनवरत है, स्थिर है। अचल है और अटल–सी भी लगती है; बस कुछ बदला है तो यह कि इस पीड़ा से मुक्ति के संघर्ष के किस्से प्रायः सुनने को मिल जाया करते हैं शेष संत्रास आज भी कायम है। बस युगानुरूप यह पीड़ा अपने रूप बदलती रही है। नारी की इस पीड़ा को हिन्दी कथा साहित्य में नारी द्वारा जो अभिव्यक्ति मिली है, वह संवेदना के विविध स्तरों को परत–दर–परत झकझोर देने वाली खरी अनुभूति है। नारी की यह पीड़ा और इसके लिए किये जा रहे संघर्ष के विविध रूप नारी पात्रों में देखे जा सकते हैं।

हिन्दी कहानियों में नारी पात्रों द्वारा किया जा रहा संघर्ष विविध रूप लिए है, जिसमें कहीं यह आन्तरिक संघर्ष है तो कहीं बाहरी उपेक्षा व दबाव से उपजा जीवन संघर्ष है। कभी चार दीवारी के अन्दर रहकर भी वह आन्तरिक कलह और मानसिक तनाव से ग्रसित है जो उसे पारिवारिक सन्दर्भों (चाहे वे पुरुष हों अथवा स्त्रियाँ) की उपेक्षा से मिला है, तो कहीं आजीविका चलाने हेतु चुने कार्यक्षेत्र के कारण बाहरी तत्त्वों द्वारा प्रदत्त है। वह निरन्तर इस संघर्ष में पिस रही है।

''ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी।'' जैसी घोषणा करने वाले तुलसी दास जी के पुरुष हृदय ने इस समाज में न जाने ऐसा क्या देखा? क्या महसूस किया? कि उपरवर्णित उक्ति में पंचम संज्ञा नारी के लिए निम्न संवेदना व्यक्त करने को विवश हो गये–

''कत बिधि सृजीं नारि जग माँहि।
पराधीन सपनेहु सुख नाँहि।''

इस संदर्भ में भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करें तो उत्तर वैदिक युग से ही हमारे समाज में वर्ण चतुष्ट्य (ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र) के अतिरिक्त एक और जाति का उदय हुआ–नारी

* *अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,* कानोड़िया पी. जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर (राज.) मो. 9413836340

जाति। तब से अब तक इस आधी आबादी की पीड़ा अनवरत् है। स्थिर है। अचल है और अटल–सी भी लगती है; बस कुछ बदला है तो यह कि इस पीड़ा से मुक्ति के संघर्ष के किस्से प्रायः सुनने को मिल जाया करते हैं, शेष संत्रास आज भी कायम है। बस युगानुरूप यह पीड़ा अपने रूप बदलती रही है।

नारी की इस पीड़ा को हिन्दी कथा साहित्य में नारी द्वारा जो अभिव्यक्ति मिली है वह संवेदना के विविध स्तरों को परत–दर–परत झकझोर देने वाली खरी अनुभूति है। नारी की यह पीड़ा और इसके लिए किए जा रहे संघर्ष के विविध रूप नारी पात्रों में देखे जा सकते हैं।

हिन्दी कहानियों में नारी पात्रों द्वारा किया जा रहा संघर्ष विविध रूप लिए है, जिसमें कहीं यह आंतरिक संघर्ष है तो कहीं बाहरी उपेक्षा व दबाव से उपजा जीवन संघर्ष है। कभी चार दीवारी के अंदर रहकर भी वह आंतरिक कलह और मानसिक तनाव से ग्रसित है, जो उसे पारिवारिक संदर्भों (चाहे वे पुरुष हों अथवा स्त्रियाँ) की उपेक्षा से मिला है तो कहीं आजीविका चलाने हेतु चुने कार्यक्षेत्र के कारण बाहरी तत्त्वों द्वारा प्रदत्त है। वह निरंतर इस संघर्ष में पिस रही है।

यह सतत् संघर्ष किसी अवस्था विशेष में न होकर नारी की प्रत्येक अवस्था में कभी भी आरंभ हो सकता है, जैसे–'बंजर खुशियों का दर्द' कहानी की प्रमुख नारी पात्र 'गौरा' और उसकी दो छोटी बहिनों के जीवन में बचपन से ही नारी विषयक उपेक्षा का विष उसका पूरा जीवन नारकीय बना देता है, जिसमें भाइयों की मृत्यु का कारण भी उन्हें ही माना जाता है। देखिए एक उदाहरण–

''धीमें शब्दों में कहा जाने लगा कि तीनों लड़कियाँ भाई की मौत का कारण बनी हैं। न तीनों नागिनें पैदा होतीं और न हट्टा–कट्टा भाई मौत का ग्रास बनता।''

इतना ही नहीं, आगे चलकर ये धीमें शब्द घोषणा में बदल जाते हैं और माँ–बाप के साथ पूरा समाज ये कहने लगता है–

''माँ बिना किसी लाज–हिचक के जोर–जोर से घोषणा करने लगीं कि मेरी तो लड़कियाँ ही साक्षात् मौत बनकर पूरा कुनबा खत्म करने आई हैं, इनका तो मुँह देखना भी पाप है?'' मोहल्ला, पड़ौस, रिश्तेदार सभी परिवार के सदस्यों के साथ तीनों बहिनों को भरपूर कोसने लगे, अपने ही घर में तीनों मिली एकांत कोने में पड़ी रहती हैं ... तीनों की इच्छाएँ मर कर काठ हो गईं। लाख सोचने पर भी वे यह समझ नहीं पाई कि, ''भाइयों की मृत्यु से उनका क्या संबंध है? वे मनहूस क्यों हैं?''[2]

विवाह पश्चात् ससुराल में किसी उपेक्षा और पीड़ा से मिला संघर्ष प्रायः अधिक देखने को मिलता है जिसमें अधिकांश कहानियों में नारी पात्रों द्वारा दी जाने वाली प्रताड़ना या पति की उपेक्षा का यथार्थ चित्रण है। धुला आकाश की 'नीला' को बड़ी–बहिन की मृत्युपरांत उसके पति से ब्याह दिया जाता है, जिसके तीन बच्चे हैं। 'नीला' बच्चों को तहेदिल से प्यार करती है लेकिन उसकी बुआ सास से ये बर्दाश्त नहीं होता और इसी से घर का वातावरण दूषित हो जाता है, जिसमें सर्वाधिक पीड़ा नीला को होती है और वह कह उठती है–

''ओह दीदी! आप तो चली गईं।... कहाँ किस आफत में मुझे ड़ाल गई हो। ओह!''[3] लेखिका आहत मन से नीला की इस पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है–''जाने किस पाप का दण्ड भुगतने के लिए इस जाल चक्र में भगवान ने उसे फँसा दिया है।... जाने कब तक यों ही पत्थर की तरह बुत बनी सोचती रही, आँसुओं की लड़ियाँ आँचल भिंगोती रही।...''

इतना दर्द, पीड़ा तो तब है जबकि नीला ने गोलियाँ खाकर अपने आपको सदा के लिए बाँझ बना लिया और बहिन के बच्चों के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया।

बेमेल विवाह अथवा पहले से शादीशुदा पुरुषों

से विवाह के पीछे पिता की आर्थिक तंगी होती है, जिसका परिणाम ताउम्र नारी को भुगतना पड़ता है। जैसे कि नीला भुगत रही है।

नारी जीवन–संघर्ष के कई कारण हैं, कहीं आर्थिक स्थिति तो कहीं सामाजिक स्थिति, कहीं तो नारी के लिए सभी भौतिक सुख–सुविधाएँ हैं, लेकिन वह एक मकान में रहती है न कि घर में क्योंकि घर बनाने के लिए उसे प्यार से सींचना आवश्यक है। ऐसा ही चित्रण देखिए–

''रह–रहकर मम्मी का खयाल आ रहा था, जो एक तीखे काँटे की तरह चुभ रहा था। कितनी अकेली, परेशान और विवशता ओढ़े रहती है। पति हैं जो व्यापार, दौरों और दोस्तों में व्यस्त रहते हैं। मम्मी का वजूद जैसे उनकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। अपने स्तर की उन्हें कब माना है उन्होंने? दिन बिजनेस में, शामें आधी रात तक मीटिंगों या क्लबों की भेंट। बेचारी मम्मी खाना लिए कभी ऊँघती रहती हैं। बेटे के इंतजार में, तो कभी पति के।''[4]

यह तो व्यवस्था–विवाह की स्थिति है लेकिन प्रेम–विवाहोपरांत भी पुरुषों का उपेक्षित व्यवहार स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक कष्ट झेलने पर विवश कर देता है, किन्तु यदि वह शिक्षित है तो फिर भी इस दशा से स्वयं को कुछ समय के लिए हल्का अवश्य कर पाती है, किन्तु बाहर भी समाज का संकट है।

'एक पृष्ठ मन का' कहानी की नेहा ने प्रशांत से प्रेम–विवाह किया है लेकिन इंजीनियर साहब का उपेक्षित व्यवहार नेहा के जीवन में स्नेह निर्झर को खत्म कर देता है। भौतिक सुख–सुविधाएँ तो सभी हैं, किन्तु वह प्रेम सूख गया है, जिससे जीवन सहज प्रवाह बन जाता है।

''लेकिन! लेकिन बहुत जल्दी ही गुलमुहरी लाल छवै की छाँव, गुल की गंध और चाँदी की मधुर मीठी घंटियों की ध्वनि जाने कहाँ खो गई। सुशांत का व्यवहार, बातचीत की शैली, रहन–सहन, उठने–बैठने का सलीका और प्रणय अनुराग के छंद सभी कुछ बदल गए। ... अब वह उसे अपने ही बहुत दूर पाती।''[5]

जीवन के ऐसे अकेले और उपेक्षित सफर में भी नेहा पिता के वाक्य स्मरण रख अपनी राह चुनती है–पिता का कथन–

''बेटी! यदि कभी तुम्हारा अपना निर्णय किसी अनचाही स्थिति का या अकेलेपन की कचोटन का बोध करा बैठे, तब तुम्हें निराश, टूटी–बिखरी, असहाय नारी की भूमिका नहीं चुननी है और न तुम्हें सम्बन्धों की सीमा तोड़कर घर का कैनवास ही अधूरा छोड़ना है।''[6]

इनके अतिरिक्त स्वातंत्र्योत्तर कथाकारों में प्रमुख रूप से मनु भण्डारी की अकेली, एक बोर और, यही सच है, स्त्री सुबोधिनी कहानियाँ। नासिरा शर्मा की खुशबू के रंग, गूँगा आसमान, यहूदी, जड़ें, काला सूरज, तीसरा मोर्चा, इमाम, ततइया, मेरा घर कहाँ, नयी हुकूमत कहानियाँ। सावित्री परमार की रिश्तों का गणित, रुक जाओ दीपा, परछाइयाँ, अमलतास पर धूप, एक पृष्ठ मन का, सुहाग सिन्दूर, सूनी कोख कहानियाँ। दीप्ती खण्डेलवाल की बेहया, अपराजिता, अर्थ, प्रेम–पत्र, अनारकली, दुल्हन, पुत्र–पुत्री, पार्वती एक, अवर्त्त तथा कगार पर कहानियाँ। क्षमा गोस्वामी की पर्दे, स्वयंवरा, सन्नाटे, परिवर्तन, लाल साड़ी कहानियाँ। पुष्पा गोस्वामी की पराई बेटी, सुगनी, यायावर, प्रकाश पुंज, डिब्बे का मोल, वाग्दत्ता, सुधियों के झरोखे, कुनुप्रिया, अभिशप्त, मृगतृष्णा कहानियाँ। ममता कालिया की जिंदगी सात घण्टे बाद की तथा एक अदद औरत कहानियाँ। डॉ. सुदेश बत्रा की कौन रखेगा आखिरी ईंट और परदा (कहानी संग्रह–रास्ते और भी हैं) कहानियाँ स्त्री–विमर्श को सशक्त रूप से अभिव्यक्ति देने वाली हैं।

आधुनिकता के युग में, नगरीय संस्कृति में नारी भौतिक रूप से सक्षम हुई है, फिर भी उसकी घरेलू भूमिकाएँ अपरिवर्तित हैं। कहीं परिवेश तो

कहीं परिवार, कहीं आंतरिक टूटन, अधूरापन, परायापन, अजनबीपन तो कहीं भौतिक कष्टों में उसके तन और मन को बड़ी बेरहमी से मथा गया है। और पीड़ा इस बात की है कि इस महा–मंथन के पश्चात् भी नारी मन के पास सिवाय तर्क के शेष कुछ नहीं बचता। उसका त्याग, ममता, समर्पण, बलिदान सिर्फ भावनात्मक मोल का आकांक्षी था, किन्तु पुरुष प्रमुख समाज की सामंती विचारधारा में यह भी सम्भव न हो सका। आज वक्त आ गया है कि नारी इस समरक्षेत्र में स्वयं को आत्मिक शक्ति से विजयी करे। इन भावों को अपने शब्दों में कहूँ तो–

रूढ़ियों को तोड़कर।
परम्पराएँ मोड़कर।
पुरुष प्रमुख समाज में,
पुरुष को पीछे छोड़कर
ऐ नारी तू आगे निकल।
हक के लिए तू कर समर।

इन कहानियों में आधुनिकता से प्रभावित मानसिक तनाव, घर और बाहर नारी की दोहरी भूमिका से उपजा संघर्ष, पुरुष पात्रों से वैचारिक मतभेद से उत्पन्न उपेक्षा तथा उपेक्षा के बावजूद पुरुष के साथ जीवन बिताने को मजबूर नारी पात्र, वरिष्ठ और वृद्ध नारी पात्रों की उपेक्षा की पीड़ा, कार्यालय एवं शैक्षिक संस्थाओं के वातावरण में नारी पात्रों के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार से उपजी पीड़ा, विवाह विच्छेद तथा बेमेल विवाह की पीड़ा, उपेक्षित नारी पात्रों द्वारा अन्याय का प्रतिकार, उपेक्षा से उत्पन्न विद्रोह, उपेक्षा के कारण सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन करने वाले नारी पात्रों की पीड़ा, उपेक्षा से असामान्य हुए नारी पात्र, उपेक्षित नारी पात्रों द्वारा जीवन के नये क्षेत्रों में साहस के साथ प्रवेश व चित्रण इत्यादि पीड़ा के विविध रूपों को अनुभूति की सघनता के साथ प्रामाणिक रूप से व्यक्त किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- बंजर खुशियों का दर्द, 64, सावित्री परमार
- बंजर खुयिों का दर्द, 65, सावित्री परमार
- धुला आकाश, 47, सावित्री परमार
- रुक जाओ दीपा, 58, सावित्री परमार
- एक पृष्ठ मन का, 38, सावित्री परमार
- वही, पृष्ठ 41

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024)
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal

ISSN : 2350-0441
IMPACT-FACTOR SJIF - 6

Paper Recieved : 14th March 2024 **Paper Accepted : 27th March 2024**

'स्टार्टअप इण्डिया' अभियान का उद्यमिता पर प्रभाव

❑ गंगा प्रसाद मौर्य*
❑ डॉ. मिर्जा शहाब शाह**

शोध-सारांश

किसी देश की प्रगति वहाँ की अर्थव्यवस्था से निर्धारित होती है और अर्थव्यवस्था उस देश के उद्योगों व व्यवसाय की प्रगति पर निर्भर करता है। जिस देश में उद्यम स्थापना व संचालन जितना आसान होता है, वहाँ विकास भी उतनी ही तीव्रता से होता है। भारत में पहले की तुलना में अब लाइसेंसिंग व पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाने से यहाँ के उद्यमों को गति मिली है। जिससे देश के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। 'मेक इन इंडिया' व 'स्टार्टअप इंडिया' जैसे कार्यक्रमों से देश में उद्यम बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। 'आकांक्षी भारत' के आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है कि उत्पादन की सभी इकाइयों को गति दी जाए तथा स्टार्टअप्स का विकास किया जाए, जिससे कि परम्परागत विकास का तरीका उन्नत तरीके की ओर अग्रसारित हो। 'मेक इन इंडिया' का प्रयास इस ओर अनुकूल प्रवेश तैयार कर रहा है। 'स्टार्टअप इंडिया' के माध्यम से उद्यम करना आसान हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत संचालित उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार अगस्त, 2023 तक भारत में कुल 99.000 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए, जबकि 2016 तक भारत में कुल 452 स्टार्टअप ही थे तथा वर्ष 2016 तक मात्र 6 यूनिकॉर्न थे व अगस्त 2023 तक कुल 109 यूनिकॉर्न कम्पनियाँ हैं, जो कि देश की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। प्रस्तुत शोध में मेक इन इंडिया व स्टार्टअप इंडिया का भारतीय उद्यम, उद्यमियों व रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

***मुख्य शब्द*—उद्यमिता, स्टार्टअप इण्डिया, मेक इन इण्डिया, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न।**

परिचय

किसी भी देश की प्रगति में अर्थ की महत्ता सदैव केन्द्र में रहती है। क्योंकि पैसे के बिना किसी भी राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है। परन्तु समय के साथ-साथ आर्थिक

* *शोधार्थी, वाणिज्य संकाय,* डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
** *प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, वाणिज्य संकाय,* कामता प्रसाद सुन्दर लाल साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या
* E-mail: gangaprasadmaurya@gmial.com, ** E-mail: mirzashahabshah@gmial.com

प्रणाली में बदलाव होता रहता है। हालाँकि इन सभी बदलावों में राष्ट्र की तत्कालीन जरूरतें पूर्ण करने, सुदृढ़ व सबल भविष्य की कामना रहती है। अतः कभी आर्थिक प्रणाली के मूल में कृषि, तो कभी विनिर्माण, तो कभी कल-कारखने रहते हैं। वर्तमान समय में हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर केन्द्रित होता दिखाई पड़ रहा है। अतः वर्तमान आर्थिक प्रणाली के मूल में उद्यमिता व स्टार्टअप्स दिखायी देता है। यहाँ पर एक स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि ऐसा क्यों? हमारा देश प्रारम्भ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ वर्ष-प्रतिवर्ष बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। लेग कृषि में सम्भावनाओं को कम तलाशते हैं, फिर भी अभी लगभग 65 प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, जो कि वर्तमान में विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या हो गयी है तथा संगठित क्षेत्र में नौकरियाँ तुलनात्मक बहुत ही कम हैं। अतः सभी की आजीविका हेतु नौकरी नहीं दी जा सकती है और न ही इतनी पर्याप्त कृषि योग्य भूमि ही है कि कृषि से सभी की आवश्यकता पूरी की जा सके। अतः ऐसे में उद्यमिता और स्टार्टअप की ओर सम्भावना अधिक दिखायी पड़ती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्न प्रमुख उद्देश्य हैं—

- स्टार्टअप व उद्यमिता के बारे में समझ विकसित करना।
- भारत में स्टार्यअप की स्थिति का अध्ययन करना।
- 'स्टार्टअप इंडिया' योजना का उद्यमिता व स्टार्टअप्स पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
- स्टार्टअप्स से रोजगार सृजनता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अन्वेषणात्मक प्रकृति का शोध है जो कि द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। शोधकार्य हेतु आँकड़ों का संग्रहण वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालय की वेबसाइट, पीआईवी की वेबसाइट, उद्योग संवर्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग के आँकड़ों, स्टार्टअप इण्डिया की वेबसाइट, फोर्स इण्डिया, विभिन्न समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख व आँकड़ों के माध्यम से किया गया है। आँकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी रीतियों व नीतियों से किया गया है, जिससे कि एक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके।

उद्यमिता

उद्यमिता किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार है। उद्यमिता के सृजनशील विचारधारा से राष्ट्र में बेरोजगारी, निर्धनता, निम्न उत्पादकता व आर्थिक असमानता आदि समस्याओं का निराकरण सम्भ है। ऐसे ग्रामीण पिछड़े व अविकसित क्षेत्र, जहाँ पर औद्योगिक वातावरण नहीं है, ऐसे स्थान पर किसी नये एवं अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा उद्योग-धन्धे स्थापित या किसी अन्य नये व्यवसाय या नवीन उद्योग प्रारम्भ करने के साहस को उद्यमशीलता कहते हैं। इस कार्य में स्वप्रेरणा, नेतृत्व, अदम्य साहस, धैर्य व जोखिम उठाने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उद्यमशीलता, उद्यम स्थापित कर उत्पाद तैयार करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादन का प्रचार-प्रसार, उसका विक्रय, व्यापार व बाजार का रूप जानना व विक्रय पश्चात् सेवा आदि भी उद्यमिता के अन्तर्गत सम्मिलित हैं। लोगों को नए उद्यम स्थापित करने हेतु प्रेरत कर, उन्हें प्रशिक्षत कर, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की ओर बढ़ावा देना एक बेहतर विकल्प होगा। इसी क्रम में हमारी सरकार ने उद्यम को बढ़ावा देने हेतु 9 नवम्बर, 2014 को कौशल विकास और उद्यमशीलता मन्त्रालय अधिसूचित किया। मन्त्रालय सभी कुशल कारण एवं उद्यमशीलता प्रयासों में गतिशीलता लाने व बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, गैर लाभकारी संस्थानों, उद्योगों व शिक्षा जगत के साथ समन्वय स्थापित किया है। सभी धारकों के सामूहिक प्रयास से कौशल प्रशिक्षण व उद्यम में पर्याप्त वृद्धि के कारण सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मन्त्रालय ने समय-समय पर विभिन्न संगठनों व कौशलीकरण योजनाओं,

यथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), प्रधानमन्त्री कौशल केन्द्र (पीएमकेके), राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु स्वयवसाय संस्थान (निस्बड), भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से समय-सम पर कई भूमिकाओं का निर्वहन किया है। कौशल विकास को रोजगार सृजन का परूरक बनाया जाये तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा श्रम प्रधानता के साथ-साथ पूँजी की उपलब्धता भी कराने की आवश्यकता है। इसी क्रम में सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को महत्त्वपूर्णता से प्रारम्भ किया है। जैसे—स्टार्टअप इण्डिया, मेक इन इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया आदि के माध्यम से लोगों में रोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ाने व स्वावलम्बन की भावना विकसित करने पर जोर दिया गया है।

स्टार्टअप इण्डिया

तकनीक व नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयास से 16 जनवरी, 2016 को 'स्टार्टअप इण्डि' योजना प्रारम्भ की गई थी। ऐसी कम्पनियाँ जिन्हें काम प्रारम्भ किये हुए 10 वर्ष से काम का समय हुआ हो, वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से कम ही रहा हो तथा नवाचारिता के सहारे नये प्रकार का उत्पाद या सेवा उत्पादित करने में लगी हों, स्टार्टअप कहलाती हैं। भारत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इन जनसंख्या को प्रबन्ध करने वाली अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो, 3.75 ट्रिलियन डॉलर की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) केसाथ भारत विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पाँचवें नम्बर पर आती है।

तालिका 1 : वर्ष 2023 में प्रथम 10 अर्थव्यवस्था वाले देश

क्रम संख्या	देश	जीडीपी (यूएसडी बिलियन)	जीडीपी (प्रतिव्यक्ति) (यूएसडी हजार में)
1.	यूएसए	26,954	80.41
2.	चीन	17,786	12.51
3.	जापान	4,231	33.95
4.	जर्मनी	4,430	52.82
5.	भारत	3,730	2.61
6.	यूनाइटेड किंगडम	3,332	48.91
7.	फ्रांस	3,052	46.32
8.	इटली	2,190	37.15
9.	ब्राजील	2,132	10.41
10.	कनाडा	2,122	53.25

स्रोत : forbesindia.com, 16 October 2023

वर्ष 2023 में प्रथम 10 अर्थव्यवस्था वाले देश

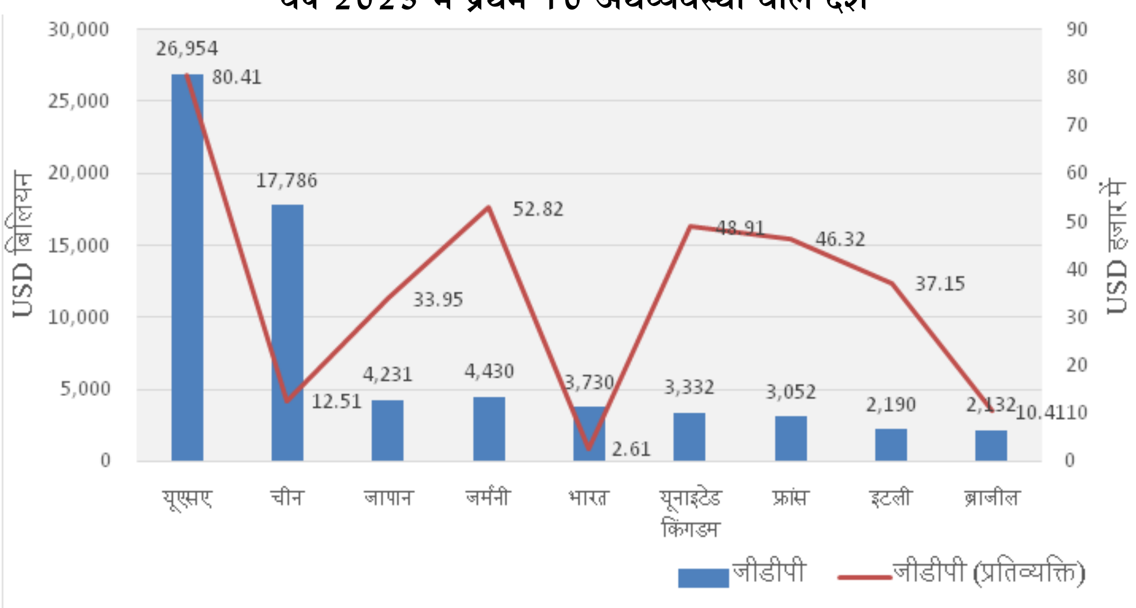

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में वृद्धि 6 से 6.8% रहने का अनुमान है। केन्द्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है तथा निर्यात 12 से 12.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सेवा-क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1 प्रतिशत रह सकती है। इसके अतिरिक्त हम रोजगार दर की बात करें, तो वर्तमान में यह 45.2 प्रतिशत है।

यदि हम 'आकांक्षी भारत' की बात करें, जिसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने का है। इसके लिए जीडीपी में लगभग 6 गुना की दर से वृद्धि की आवश्यकता है। अतः सभी क्षेत्रों को बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता है। विनिर्माण क्षेत्र हमारे देश का ऐसा क्षेत्र है जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के निर्माण क्षेत्र की तुलना में अभी शैशवावस्था में है। अगले 15 वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र के 3.5 ट्रिलियन डॉलर से 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक विकसित होने की सम्भावना प्रकट की जा रही है तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए ऐसा होना अति आवश्यक भी है। तब तक श्रमबल में लगभग 20 करोड़ लोग और जुड़ जाएंगे। अतः उके लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करना आवश्यक होगा, क्योंकि इससे रोजगार दर भी प्रभावित होगी। भारत में रोजगार दर 45% की तुलना में, जर्मनी में 77%, यूनाइटेड किंगडम में 76%, जापान में 61% तथा यूएसए में 60% है। कुल मिलाकर 'आकांक्षी भारत' की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु उत्पादन की सभी इकाइयों को गति दी जा सके, इसलिए स्टार्टअप का विकास करना अति आवश्यक है।

स्टार्टअप की चुनौतियाँ

किसी उद्यम के सुचारू रूप से सफल संचालन हेतु पूँजी, बेहतर अवसंरचना, व्यापार के लिए अनुकूल दशाएँ, नवाचारिता व जोखिम वहन करने की क्षमता से युक्त आर्थिक परिवेश आदि मूलभूत शर्तें होती हैं। ऐसे में वर्ष 2014 में आरम्भ 'मेक इन इण्डिया' कार्यक्रम बिल्कुल अनुकूल दिखाई पड़ता है। इस कार्यक्रम के चार मूल उद्देश्यों में से प्रथम तीन उद्देश्य सीधे उद्यमिता व स्टार्टअप के विकास से ही सम्बन्धित हैं। इसके अन्तर्गत उन 27 क्षेत्र को चुना गया है जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके, रोजगार सृजन हो और लोगों का जीवन-स्तर उच्च हो। उन क्षेत्रों में फर्मास्यूटिकल इण्डस्ट्री, बायोटेक, शिक्षा सेवाएँ एवं वित्त सेवाएँ आति सम्मिलित हैं। 'मेक इन इण्डिया' के चार प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

- निवेश अनुकूल परिवेश निर्मित करना।
- नवाचार को बढ़ावा देना।
- विश्व स्तरीय अवसंरचना विकास।
- भारत की विनिर्माण का केन्द्र बनाना।

नवाचार और उद्यमिता की भावना का विकास मेक इन इण्डिया की सबसे महत्त्वपूर्ण देन है। वर्ष 2015 में जहाँ वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 132 देशों में 81वाँ स्थान था वहीं वर्ष 2022 में यह 40वें स्थान पर पहुँच गया तथा वर्ष 2023 में अपने पूर्व स्थान को बरकरार रखते हुए 40वें स्थान पर बना हुआ है। अतः स्पष्ट है कि मेक इन इण्डिया कार्यक्रम द्वारा देश में नये उद्योगों की स्थापना से एक अनुकूल परिवेश निर्मित हुआ है। नये उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रयास बेहद ही सकरात्मक सिद्ध हुए हैं, जो निम्न प्रकार हैं—

(1) प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव—वर्ष 2021-22 के बजट में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की गई थी। जिसके तहत अब तक कुल 733 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 3.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। इससे निर्माण में एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है तथा निर्यात पैटर्न में बदलाव आया है। इसके माध्यम से फार्मा इण्डस्ट्री, मेडिकल उपकरण बनाने व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अधिक निवेश प्राप्त हुए हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विशेषतः स्मार्टफोन की विनिर्माण इकाइयों की भारत में स्थापना इसी योजना की देन है। कुल मिलाकर इस योजना ने उद्योगों के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

(2) स्टार्टअप इण्डिया—इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को विकसित करना तथा उद्यमिता व नवाचार को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत नए उद्योगों हेतु एक स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करना तय हुआ है।

(3) ई-बिज पोर्टल—इस पहल का उद्देश्य सरकारी नियन्त्रण को कम कर व्यवसाय को आसान बनाना है। विशेषतः जिन उद्योगों में लाइसेंस या पंजीकरण की आवश्यकता होती है उन सभी आवश्यकताओं के लिए यह पोर्ट बनाया गया है। इससे उद्यम शुरू करना आसान हो गया है।

भारत में स्टार्टअप की स्थिति

'मेक इन इण्डिया' में कार्य की दशाओं में परिवर्तन कर नये उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बाधा समाप्त कर दी है। इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग में होने वाले सुधारों से समझा जा सकता है। जहाँ वर्ष 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वाँ स्थान प्राप्त था वहीं वर्ष 2020 की रिपोर्ट में भारत को 63वाँ स्थान प्राप्त हुआ तथा लगातार पिछड़े तीन वर्षों में भारत के 67 सुधार कर लगातार तीसरी बार सबसे अधिक सुधार करने वाले शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित हो गया है। बीते एक दशक में भारत में नए उद्योगों में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला देश बन गया है।

DPIIT द्वारा स्टार्टअप रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाएँ

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग के आँकड़ों के अनुसार अगस्त 2023 के पहले सप्ताह तक कुल 99,000 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं, जबकि वर्ष 2016 के आँकड़ों के अनुसार देश में मात्र 452 स्टार्टअप ही चल रहे थे तथा उसके बाद से यह संख्या बढ़ती गई।

वर्ष	2018	2019	2020	2021	2022
स्टार्टअप्स की संख्या	8,635	11,279	14,498	20,046	26,542

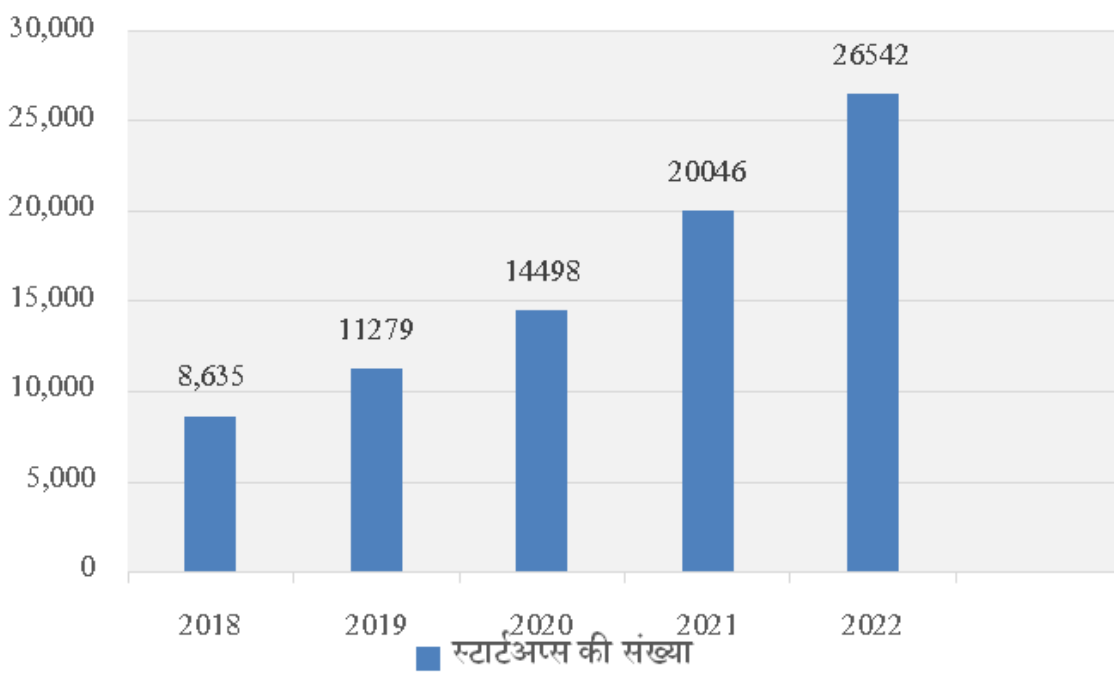

वर्ष 2018 में 8,635 स्टार्टअप्स थे जो कि वर्ष 2016 की तुलना में यह 19 गुना से भी अधिक है। वर्ष 2019 में वर्ष 2018 की तुलना में 30% अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए। इसी प्रकार प्रतिवर्ष यह संख्या

तेजी से बढ़ती गई। वर्ष 2020 में 28.5 प्रतिशत, वर्ष 2021 में 38.26 प्रतिशत, वर्ष 2022 में 32.4% वृद्धि के साथ नए स्टार्टअप्स का पंजीकरण डीपीआईआईटी के अन्तर्गत हुआ है। अगस्त 2023 के प्रथम सप्ताह तक विभाग में कुल 99,000 स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। उपरोक्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि नये उद्योगों को स्थापित करने व चलाने में आने वाली बाधाओं में पिछड़े एक दशक में कमी आई है। जिससे लोग आसानी से नया उद्यम प्रामम्भ करने की ओर अपनी रुझान दिखा रहे हैं। परन्तु अब यह प्रश्न है कि क्या यह उद्यम केवल छोटे स्तर या कम पूँजी के ही हैं या इनका दायरा बड़ा भी हो रहा है। इनमें पूँजी प्रवाह की प्रवृत्ति क्या है तथा किन-किन क्षेत्रों में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं?

यूनिकॉर्न

जिस कम्पनी का मूल्यन एक बिलियन डॉलर या उससे अधिक होता है उसे यूनिकॉर्न कम्पनी कहा जाता है। किसी देश की औद्योगिक स्थिति का पता लगाना हो तो वहाँ की यूनिकॉर्न कम्पनियों का पता लगा लिया जाए कि उस देश में कितने यूनिकॉर्न हैं? स्वाभाविक है कि जहाँ पर जितने अधिक यूनिकॉर्न होंगे वहाँ की आर्थिक स्थिति उतनी ही उन्नत होगी। नए उद्यम जितनी जल्दी यूनिकॉर्न में बदलेंगे, स्पष्ट है कि उतनी ही तेजी से वहाँ का आर्थिक विकास होगा। भारत में यूनिकॉर्न की वृद्धि का अध्ययन करने से स्पष्ट होगा कि वर्ष 2022 तक 99,000 स्टार्टअप हो तो गए परन्तु क्या इनके आर्तिख आकार में भी वृद्धि हुई है.....

अगस्त 2023 तक के आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल 113 यूनिकॉर्न बने परन्तु कुछ कम्पनियाँ यूनिकॉर्न से बाहर भी होती रही व नये यूनिकॉर्न बनते रहे। अतः अगस्त 2023 के आँकड़ों के अनुसार कुल 108 यूनिकॉर्न भारत में हैं। वर्ष 2011 से 2014 तक प्रतिवर्ष एक यूनिकॉर्न बने, वर्ष 2016-17 के बाद वर्ष 2018 से इस आँकड़े में बहुत तेजी से उछाल आया और प्रत्येक वर्ष लगभग 66% की वृद्धि के साथ यूनिकॉर्न कम्पनियों की संख्या जुड़ती गई। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो प्रत्येक 10 यूनिकॉर्न में से एक का उदय भारत में हो रहा है। वर्ष 2021 में 340 प्रतिशत वृद्धि के साथ 44 नई यूनिकॉर्न में से एक का उदय भारत में हो रहा है। वर्ष 2021 में 340 प्रतिशत वृद्धि के साथ 44 नई यूनिकॉर्न कम्पनियाँ अस्तित्व में आई, जिनका कुल मूल्यन लगभग 93 बिलियन डॉलर रहा। वर्ष 2022 में 21 नई यूनिकॉर्न कम्पनियों का उदय हुआ जिनका कुल मूल्यन 27 बिलियन डॉलर था। अतः कुल 109 यूनिकॉर्न का कुल मूल्यन 341.4 बिलियन डॉलर है। यूनिकॉर्न के अतिरिक्त छोटे उद्यम कितनी गति से यूनिकॉर्न में बदल रहे हैं इसका पता लगाकर भी आर्थिक गतिविधि को मापा जा सकता है। ऐसे उद्यम जो जल्दी ही यूनिकॉर्न की श्रेणी में पहुँचने वाले हैं यूनिकॉर्न कहे जाते हैं। भारत में वर्तमान में 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं अर्थात् भारत जल्दी ही सबसे अधिक यूनिकॉर्न वाला देश बनने वाला है। जिस प्रकार से भारत में आर्थिक विकास हो रहा है जल्दी ही यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न में बदल जायेंगे अर्थात् इनका मूल्यन 10 बिलियन डॉलर या अधिक होगा। वर्तमान में कुल 56 डेकाकॉर्न कम्पनियाँ हैं तथा भारत में इस प्रकार के कुल चार स्टार्टअप्स हैं।

पूँजी का प्रवाह

किसी उद्यम को चलाने के लिए सबसे आवश्यक शर्त पूँजी होती है। बिना पूँजी के किसी भी व्यवसाय को नहीं चलाया जा सकता है अर्थात् पूँजी का प्रवाह जितना आसान और तीव्र होगा, उद्यम उतनी ही तेजी से वृद्धि करेगा। स्टार्टअप इण्डिया योजना आने के बाद भारतीय स्टार्टअप्स में तेजी से वृद्धि हुई है तथा इनक्यूबेटर की संख्या भी 7 गुना बढ़ी है। वर्ष 2014 से वर्ष 2022 तक भातरीय स्टार्टअप ने लगभग 131 बिलियन डॉलर की पूँजी उगाही की है। 100 मिलियन डॉलर तक के 300 से ज्यादा डील्स हुई। वहीं 100 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर के बीच कुल 277 डील्स हुई है व इससे ऊपर कुल 35 डील्स हुई। भारतीय पूँजी निवेश का 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश वाले 222 स्टार्टअप्स अर्थात् कहा जा सकता है कि भारतीय बाजार में निवेशकों का आकर्षण बढ़ा है, जिसका अनुकूल परिणाम स्टार्टअप्स में देखने को मिल रहा है।

उद्यम का विस्तार

उद्यम का विकास जानने के साथ-साथ यह भी जानना आवश्यक है कि किन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। जनता की आवश्यकताओं से यह कितना सम्बन्धित है अर्थात् स्वास्थ्य, कृषि, वित्त, शिक्षा, विनिर्माण व उपभोग से जु उद्योगों का कितना विकास हो रहा है। यदि हम स्वास्थ्य क्षेत्र को देखें तो हल्थ टेक में बहुत अधिक प्रगति हुई है। कोविड के बाद तो ऑनलाइन फार्मेसी, टेली मेडिसिन, मेडिटेक व फिटनेट जैसे उप स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति हुई है। वर्ष 2014 से 2022 तक हेल्थटेक में जुड़े स्टार्टअप्स ने 5.5 मिलियन डॉलर का निवेश एकत्रित किया है।

आशा की जाती है कि वर्ष 2025 तक यह 21 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। एग्रीटेक व्यवसाय ने भी वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच कुल 2 बिलियन डॉलर तक पहुँच सकता है। एग्रीटेक व्यवसाय ने भी वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के बीच कुल 2 बिलियन डॉलर की फण्डिंग एकत्रित की है। मार्केट लिंकेज विभाग एग्रीटेक स्टार्टअप में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछले 7 वर्षों में कुल 223 निवेश डील्स में से 41% केवल मार्केट लिंकेज से ही सम्बन्धित हैं। किसानों की बाजार तक पहुँच उन्हें बेहतर स्थिति में ला सकती है। वर्ष 2025 तक एग्रीटेक बाजार अवसर 24 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने की सम्भावना है। इसी प्रकार इण्टरप्राइजटेक 11 बिलियन डॉलर, ऐडटेक ने 9.8 बिलियन डॉलर व फिनटेक ने 24 बिलियन डॉलर का निवेश एकत्रित किया।

क्षेत्रीय विस्तार

भौगोलिक दृष्टिकोण से किसी स्थान पर स्टार्टअप का संकेन्द्रण है तो कहीं-कहीं छिट-पुट पूरे देश में फैला हुआ है। बेंगलुरु, दिल्ली व मुम्बई में स्टार्टअप्स का संकेन्द्रण अधिक है और बेंगलुरु को स्टार्टअप की राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के क्षेत्र में कर्नाटक के बेंगलुरु, हुबली, बेलगावी, उडुपी, मैसुरू आज स्टार्टअप के हब के रूप में विकसित हो रहा है। वैसे ही महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर व नासिक तमिलनाडु का कोयंबटूर व मदुरई तथा त्रिपुरा के पाली में स्टार्टअप का हब बन रहा है। इसी प्रकार पूरे देश को स्टार्टअप का हब बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

किसी भी देश का विकास उद्योगों के विकास के ऊपर निर्भर करता है और उद्योगों का विकास वहाँ की औद्योगिक नीति व कार्य प्रणाली के ऊपर निर्भर करती है, कि वहाँ के उद्योगों का विकास कितना अच्छी तरह हो पाता है। भारत में उद्योग व व्यवसाय हेतु बेहद अनुकूल दशाएँ हैं। स्टार्टअप इण्डिया योजना के कारण व्यवसाय प्रारम्भ करना और भी आसान हो गया है। आज भारतीय स्टार्टअप और उद्यम काफी बेहतर स्थिति में है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप इण्डिया की मदद से नये उद्योगों में एक उत्साह है, जिससे वह नये आम जनमानस की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद बनाने, सेवाएँ प्रदान करने आदि से सम्बन्धित उद्यम स्थापित कर रहे हैं और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ-साथ आय सृजन व रोजगार सृजन भी कर रहे हैं। ई-बिज पोर्टल से लाइसेंसिंग व पंजीकरण कार्य आसान हो गया है, जिससे 'अकांक्षी भारत' को गति मिल रही है तथा लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो रहा है। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों को भी बेहतर अवसर मिल रहा है। आज कुल स्टार्टअप में से 15% स्टार्टअप्स में 50% से अधिक महिलाएँ कार्यरत हैं। आगे आने वाले समय में यह तस्वीर और भी बेहतर होगी। पिछले 9 वर्षों में सरकार की दूरदर्शिता व कुशल नेतृत्व के कारण भारत दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में तब्दील हुआ है। हमारे देश के युवा विश्व की बड़ी कम्पनियों में अपनी प्रतिभा एवं क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टार्टअप से व्यवसायियों के कार्य में सुगमता और रहन-सहन की गुणवत्ता में सुधार आया है। आत्मनिर्भरता की यात्रा नवाचार एवं प्रौद्योगिकी द्वारा चलायमान होती है, जो युवाओं को नौकरी माँगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला बनाने में सहायता करती है। डीपीआईआईटी में पंजीकृत 99,000 स्टार्टअप्स ने 10 लाख नौकरियाँ सृजित किया है। इस ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में 2014

की 142वें रैंक के स्थान पर 2020 में 63वाँ स्थान प्राप्त किया है, जो कि व्यावसायिक सहजता को प्रदर्शित करता है। स्टार्टअप्स तेजी से यूनिकॉर्न में बदल रहे हैं। वर्ष 2021 में 44 कम्पनियाँ यूनिकॉर्न में बदली है तथा 2022 में 21 कम्पनियाँ यूनिकॉर्न में बदली है जो कि तेजी से आर्थिक विकास को दर्शाता है। अतः उद्यमिता में स्टार्टअप्स का विकास भारत में बहुत तेजी से हुआ है जिससे आर्थिक विकास को गति मिली है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. www.forbesindia.com
2. www.pib.gov.in
3. www.dpit.gov.in
4. www.startupindia.gov.in
5. कुरुक्षेत्र, मेक इन इण्डिया, सितम्बर, 2023

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 14th March 2024 **Paper Accepted : 27th March 2024**

हनुमना विकासखण्ड के अन्तर्गत स्वास्थ्य अवसंरचनाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन

□ रागिनी गुप्ता*
□ डॉ. सुशीला द्विवेदी**

शोध-सारांश

किसी राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की नितान्त आवश्यकता होती है। मनुष्य विभिन्न कारणों से आये–दिन अस्वस्थ रहता है। अस्वस्थता एक ऐसी स्थिति होती है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति अपने आर्थिक–सामाजिक जिम्मेदारियों का सम्पादन बेहतर ढंग से नहीं कर पाता, जिसका प्रभाव उसके सामाजिक–आर्थिक विकास में एक बाधा के रूप में होता है। अतः स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु सुसज्जित स्वास्थ्य अवसंरचनाओं की आवश्यकता होती है। शोध पत्र में इन्हीं बिन्दुओं का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द–*हनुमना, विकासखण्ड, स्वास्थ्य, अवसंरचनाओं, सामाजिक, ऋतुजनति बीमारियाँ, आर्थिक समस्याओं, प्रभाव, अध्ययन आदि।*

प्रस्तावना

अध्ययन क्षेत्र हनुमना विकासखण्ड जिसकी कुल जनसंख्या का 71 प्रतिशत भाग अभी भी कृषि कार्यों पर निर्भर है। कृषि कार्य सामान्यतः जुलाई से अप्रैल के बीच सम्पादित होता है, इसी अवधि में ऋतु परिवर्तनों के कारण ऋतुजनित बीमारियों यथा, सर्दी–जुकाम, बुखार, मलेरिया जनित बुखार, पीलिया, उल्टी–दस्त, पेचिस आदि जैसे संचारी रोगों की बारम्बारता के कारण जनसंख्या विभिन्न रोगों के चपेट में होती है, जिसके कारण कृषि कार्य संबंधी देखभाल सम्पूर्ण क्षमता से नहीं कर पाती। इसका प्रभाव कृषि उत्पादन को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है, अतः लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु शासन स्तर पर चिकित्सा संस्थाओं को स्थापित करते हुए स्टॉफ सहित चिकित्सकों की नियुक्ति तथा जाँच उपकरणों तथा औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। चिकित्सा पद्धति के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में

* *शोधार्थी,* शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
** *प्राध्यापक,* शासकीय महाविद्यालय, रायपुरकर्चुलिया, जिला–रीवा (म.प्र.)

निम्नानुसार चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी संस्थाओं को स्थापित किया गया है–

(1) एलोपैथी चिकित्सा पद्धति केन्द्र,

(2) आयुर्वेद पद्धति आधारित केन्द्र,

(3) होमियोपैथी आधारित केन्द्र।

एलोपैथी चिकित्सा पद्धति केन्द्र

वर्तमान में यह सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विश्वसनीय पद्धति है। इसके अंतर्गत रुग्ण व्यक्ति का विभिन्न तरीकों से परीक्षणोपरांत चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र हनुमना विकासखण्ड में एलोपैथी पद्धति आधारित विभिन्न पदानुक्रम की स्वास्थ्य संस्थाएँ, उनके स्थिति स्थल एवं नियुक्त स्थल की संख्या निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 1

हनुमना विकासखण्ड में एलोपैथी चिकित्सा केन्द्र–2022

क्र.	चि.क. का प्रकार	संख्या	चिकित्सक संख्या	अन्य स्टाफ तृतीय श्रेणी संख्या	रिमार्क
1.	सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र	01	03	04+02+03	–
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	03	02	02	–
3.	उपस्वास्थ्य केन्द्र	36	अप्राप्त	36	कम्पाउण्डर

स्रोत–कार्यालय विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी हनुमना–2022

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द

मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसका मुखिया विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त 03 विशेषज्ञों की पदस्थापनाएँ होती हैं, जिनमें मेडिसिन, सर्जरी एवं गायनी विशेषज्ञ होते हैं। सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र जहाँ अपने समग्र विकासखण्ड में निवास करने वाली जनसंख्या के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान की जिम्मेदारी का निर्वहन करती है, वहीं अपने प्रशासनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रशासनिक कार्यों का सम्पादन भी करती है। विकासखण्ड परिक्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्त समस्याओं के निदान एवं प्रतिवेदन तैयार कर जिला चिकित्सा अधिकारी की ओर सम्प्रेषित करने के दायित्व भी इसी के कार्यक्षेत्र में होते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्ड मुख्यालय हनुमना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जिसमें 03 चिकित्सा विशेषज्ञ, 06 स्टाफ नर्स (महिला एवं पुरुष) एवं 03 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं। इस चिकित्सा केन्द्र द्वारा वर्ष 2022–23 में कुल 74525 रोगियों (बाह्य उपं आन्तरिक) का उपचार हुआ, जिनमें मौसमी रोगियों की संख्या 74.8 प्रतिशत रही।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक विस्तार हो तथा कम दूरी चलकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जनसंख्या को प्राप्त हो सके, इसके लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना शासन द्वारा की गयी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहाँ एक चिकित्सक सहित नियुक्त स्टाफ की संख्या 06 है, वहीं उप–चिकित्सा केन्द्रों में 01 चिकित्सक, 01 नर्स एवं 01 भृत्य की नियुक्ति है। अध्ययन क्षेत्र के पिपराही, खटखरी एवं पहाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है, जबकि उप–स्वास्थ्य केन्द्र पटेहरा, बिछरहटा, गौरी, हाटा हरदा, बिरहा घोघम, कैलासपुर, हर्रई ग्राम पंचायतों में स्थापित किये गये हैं।

व्यक्तिगत एलोपैथी चिकित्सा सेवा केन्द्र

प्रदेश के अन्य नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति हनुमना विकसखण्ड में प्रायवेट एलोपैथी

चिकित्सा सेवा केन्द्र संचालित पाये जाते हैं। साधारणता ऐसे चिकित्सा केन्द्र नगरीय क्षेत्रों एवं घनी बसाहट वाले ग्रामीण केन्द्रों में संचालित पाए जाते हैं। अध्ययन क्षेत्र के हनुमना (नगरीय क्षेत्र) के अतिरिक्त खटखरी, पिपराही, हाटा, घोघम, चौहना, बिछरहटा, गौरी, शाहपुर, पहाड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्रों में प्रायवेट एलोपैथी चिकित्सा केन्द्र संचालित हैं। वर्ष 2022 में किये गये क्षेत्रीय सर्वेक्षण में कुल 16 पंजीकृत व्यक्तिगत चिकित्सा केन्द्र संचालित हो रहे हैं।

पंजीकृत व्यक्तिगत एलोपैथी चिकित्सा सेवा केन्द्रों की विशेषताएँ

(1) ऐसे चिकित्सा केन्द्रों में सिर्फ एक एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी चिकित्सक की सेवा उपलब्ध रहती है। अन्य स्टाफ नहीं होता।

(2) परीक्षण की सुविधाओं का अभाव होता है।

(3) रोगी के आंतरिक प्रदेश के उपचार की व्यवस्था नहीं होती।

(4) उपचार की 24 घण्टे सेवा उपलब्ध होती है। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक रोगी को देखने घर भी जाते हैं।

(5) प्रायवेट चिकित्सा के कारण महँगा उपचार इनकी विशिष्टता होती है।

(6) एक कमरे में समग्र चिकित्सकीय व्यवस्था समाहित होती है।

(7) इनका स्वयं का दवाखाना रहता है, जहाँ से दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं।

(8) संचालन व्यवस्था अव्यवस्थित पाई जाती है।

उपर्युक्त विशिष्टताओं के कारण ऐसे उपचार केन्द्र अधिक उपयोगी तो नहीं हैं, किन्तु ग्रामीण अंचलों में मौसमी बीमारियों के उपचार के कारण काफी लोकप्रिय होते हैं।

आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति के चिकित्सा केन्द्र

एलोपैथी पद्धति के अतिरिक्त आयुर्वेद एवं यूनानी (होमियोपैथी) चिकित्सा केन्द्रों का संचालन भी प्रतिवेदित विकासखण्ड में किया जा रहा है। ऐसे चिकित्सा केन्द्र शासन द्वारा एवं व्यक्तिगत दोनों रूपों में किये जा रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद एवं होमियोपैथी चिकित्सा संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार है–

सारणी क्रमांक–2

हनुमना विकासखण्ड में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा केन्द्र–2022

क्र.	विवरण	प्रकार				कुल	कुल
		शासकीय	प्रतिशत	अशासकीय	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	आयुर्वेद चि.के.	04	80	10	62.05	14	66.66
2.	यूनानी चि.के.	01	20	06	37.05	07	33.33
	महायोग	**05**	**100**	**16**	**100**	**21**	**100**

स्रोत–(1) सामुदायिक चिकित्सा कार्यालय, हनुमना–2022, (2) क्षेत्रीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 पर आधारित।

उपर्युक्त सारणी क्र. 2 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र हनुमना विकासखण्ड में आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति के कुल 21 स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 14 आयुर्वेद पद्धति के चिकित्सा केन्द्र एवं 07 होमियोपैथी चिकित्सा केन्द्र हैं, जो क्रमशः दोनों पद्धतियों के सम्मिलित चिकित्सा केन्द्रों के क्रमशः 66.66 प्रतिशत एवं 33.33 प्रतिशत भाग हैं। दोनों पद्धतियों के संचालित चिकित्सा केन्द्रों में से 05 शासकीय एवं 16 अशासकीय केन्द्र हैं, जो कुल चिकित्सा केन्द्रों के क्रमशः 23.80 प्रतिशत एवं 76.19 प्रतिशत भाग हैं। शासकीय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालयों की संख्या 05

है, जिनमें 86 प्रतिशत आयुर्वेद एवं 20 प्रतिशत यूनानी चिकित्सालय हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में होमियोपैथी पद्धति की अपेक्षा आयुर्वेद पद्धति से की जाने वाली चिकित्सा की लोकप्रियता अधिक है।

अध्ययन क्षेत्र में आयुर्वेद पद्धति के कुल 14 केन्द्रों में 04 शासकीय एवं 10 अशासकीय हैं। इस प्रकार हनुमना विकासखण्ड में 31.05 प्रतिशत शासकीय एवं 68.05 प्रतिशत अशासकीय केन्द्र संचालित हैं। आयुर्वेद पद्धति का शासन द्वारा प्रोत्साहन किये जाने की योजनान्तर्गत जहाँ 04 चिकित्सालय वीरादई, हटवा, पहाड़ी में स्थापित किये गये हैं, वहीं पुरानी परम्परा पर आधारित नाड़ी वैद्य के 10 चिकित्सक अपनी सेवाएँ ग्रामवासियों को प्रदान कर रहे हैं। ये वैद्य जड़ी–बूटियों पर आधारित चिकित्सा पर अधिक जोर देते हैं। यह अलग तथ्य है कि एलोपैथी पद्धति द्वारा शीघ्र स्वस्थ होने एवं दवाई लेने की सुगमता के कारण आयुर्वेद पद्धति का स्वीकरण क्षेत्रीय–जनों में कम है।

निष्कर्षतः अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए शासन स्तर पर एलोपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धतियों का संचालन किया जा रहा, किन्तु पंजीकृत चिकित्सकों के अतिरिक्त कुछ अपंजीकृत चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा कार्य किया जाता है, जो रोगी को काफी गंभीर अवस्था में पहुँचाकर छोड़ देते हैं। ऐसे चिकित्सकों पर कोई कार्यवाही न होने के कारण गरीब जनता लुटती रहती है।

चिकित्सा केन्द्रों पर पहुँच का क्षेत्रीय स्वरूप

पटवारी पत्रक के अनुसार, हनुमना विकास–खण्ड का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 986.71 वर्ग किमी. है, जिसका पूर्व–पश्चिम अधिकतम विस्तार 35 किमी. तक, उत्तर–दक्षिण अधिकतम विस्तार 38 किमी. है। विकासखण्ड में कुल 341 ग्रामीण इकाइयाँ एवं 98 ग्राम पंचायतें स्थित हैं। अध्ययन क्षेत्र में चिकित्सा केन्द्रों की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट होता है कि कुछ ग्राम पंचायतों में चिकित्सा सेवा स्थानीय स्तर पर सुलभ है, परन्तु कुछ ग्राम पंचायतों के रहवासियों को एक निश्चित दूरी तय करने के बाद चिकित्सा सेवा की उपलब्धता संभव हो पाती है। इन पंचायतों की जनसंख्या को एक निश्चित दूरी तय कर चिकित्सा केन्द्र तक पहुँचना पड़ता है, अतः अध्ययन क्षेत्र में चिकित्सा केन्द्रों तक पहुँच के स्वरूप की प्रवृत्ति क्या है? इसका अध्ययन आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र में शासकीय स्तर पर एलोपैथी, आयुर्वेद एवं यूनानी पद्धति, तीनों के सम्मिलित सभी पदानुक्रमों की संख्या 46 है, जो एक सुनिश्चित स्थान पर स्थापित है, वहाँ तक पहुँचने हेतु अन्य ग्राम पंचायतों की जनसंख्या के पहुँचने की प्रवृत्ति का स्वरूप निम्नानुसार है–

सारणी क्रमांक–3

हनुमना विकासखण्ड में चिकित्सा केन्द्रों तक पहुँच का स्वरूप सकल एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र से दूरी

क्रम	विवरण (दूरी किमी.)	ग्राम संख्या प्रा. स्वा.केन्द्र / उपकेन्द्र से दूरी के ग्राम	कुल ग्रामों से प्रतिशत	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से दूरी के ग्रामों की संख्या	कुल दूरी प्रतिशत
1.	0 से 0	46	13.41	–	–
2.	1 किमी. तक	63	18.37	–	–
3.	1 से 3 किमी.	162	47.23	07	02.04
4.	3 से 5 किमी.	62	18.07	56	16.32
5.	5 से 7 किमी.	09	02.63	78	22.74
6.	7 किमी. से अधिक	01	0.29	202	58.89
	योग	**343**	**100**	**343**	**100**

टीप–*ग्राम दूरी का निर्धारण शासकीय सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, हनुमना के केन्द्र से संबंधित है। अन्य शासकीय चिकित्सालय एवं अशासकीय पद्धति के चिकित्सा केन्द्रों को परिकलन में समाहित नहीं किया गया है।*

स्रोत–जिला जनगणना पुस्तिका जिला रीवा ग्राम एवं नगर निर्देशिका पार्ट वी., सेन्सेज ऑफ इण्डिया, मध्य प्रदेश सीरीज, वर्ष 2011 के परिकलन से प्राप्त जानकारी पर आधारित।

उपर्युक्त सारणी क्र. 3 के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में स्थित सभी 343 ग्रामों में से 16 ग्रामों में किसी–न–किसी पद्धति द्वारा संचालित शासकीय चिकित्सा केन्द्र स्थापित हैं, अतः ग्राम में स्थिति को 'शून्य' किमी. मान्य करने पर 46 ऐसे ग्राम हैं जहाँ चिकित्सा केन्द्रों तक पहुँच का स्वरूप 'शून्य किमी. (स्थानिक स्थिति) है, जो विकासखण्ड में पाये जाने वाले समस्त ग्रामों का 13.41 प्रतिशत भाग है। शून्य से 1 किमी. तक पहुँच वाले ग्रामों की कुल संख्या 63 है जो विकासखण्ड के सकल ग्राम संख्या का 18.37 प्रतिशत भाग है, जबकि 1 किमी. से 03 किमी. तक पहुँच वाले ग्रामों का कुल ग्रामों में से 47.23 प्रतिशत भाग है। निष्कर्ष रूप में चिकित्सा सेवा हेतु विकासखण्ड के 70.26 प्रतिशत ग्रामों को 03 किमी. तक की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि 03 किमी. से 05 किमी. तक पहुँच के स्वरूप वाले ग्रामों का प्रतिशत कुल ग्रामों में से 18. 07 प्रतिशत भाग है, जबकि 05 किमी. से अधिक दूरी तय करने वाले ग्रामों की कुल संख्या 10 है, जो विकासखण्ड के कुल ग्राम संख्या का 02.91 प्रतिशत भाग है। निष्कर्ष रूप में हनुमना विकासखण्ड के 97 प्रतिशत ग्राम 05 किमी. तक की दूरी तय कर प्राथमिक उपचार प्राप्त करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि स्थिति की दृष्टि से स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति संतोषप्रद है।

विकासखण्ड स्तर पर परीक्षण सहित चिकित्सकीय व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध होती है, जो कि विकासखण्ड हनुमना नगरीय केन्द्र पर स्थापित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से पहुँच का स्वरूप सकल चिकित्सा केन्द्रों के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता लिये हुए दृष्टिगोचर होता है। विकासखण्ड का कोई ऐसा ग्राम नहीं है, जहाँ से 01 किमी. की दूरी तय कर चिकित्सा सेवा प्राप्त की जा सके, जबकि 02.04 प्रतिशत ग्राम 03 किमी. की दूरी तय कर सामुदायिक केन्द्र से चिकित्सा सेवा प्राप्त करते हैं। सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र से 16.32 प्रतिशत ग्राम 03 किमी. से 05 किमी. एवं 22.74 प्रतिशत ग्राम 05 किमी. से 07 किमी. तथा 58.89 प्रतिशत ग्राम 07 किमी. से अधिक दूरी तय कर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र से चिकित्सा प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष रूप में समुचित चिकित्सा उपलब्धता हेतु सर्व–सुविधा सम्पन्न चिकित्सा प्राप्ति का स्वरूप स्तरीय नहीं है, जिसके कारण क्षेत्र की जनसंख्या की कम अनुभव वाले चिकित्सकों एवं अपंजीकृत झोला छाप चिकित्सकों पर निर्भरता है, जिसका स्वास्थ्य एवं आर्थिक भार दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

चिकित्सक–जनसंख्या अनुपात

अध्ययन क्षेत्र के प्रति चिकित्सक–जनसंख्या अनुपात का स्वरूप क्या है, इसके लिए अध्ययन क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या एवं कुल चिकित्सक संख्या का अनुपात ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। विकासखण्ड में कुल जनसंख्या 238111 व्यक्ति है, जबकि समग्र (शासकीय एवं अशासकीय तथा सभी 03 विधाएँ) में चिकित्सकों की संख्या 26 है। इस प्रकार प्रति चिकित्सक जनसंख्या का घनत्व 9158 व्यक्ति है। यदि शासकीय चिकित्सक संख्या 05 से जनसंख्या घनत्व का आंकलन किया जाय तो प्रति शासकीय चिकित्सक पर 47622 व्यक्ति जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, जबकि प्रति विशेषज्ञ जनसंख्या घनत्व 238111 व्यक्ति है। अध्ययन क्षेत्र की जनसंख्या में महिला एवं पुरुष दोनों समाहित हैं। महिला जनसंख्या को दृष्टिगत करने पर स्पष्ट होता है कि 115388 महिलाओं पर एक महिला चिकित्सक का अनुपात पाया जाता है, जो महिलाओं के चिकित्सा सेवा की दृष्टि बहुत कम है। विशेषज्ञ महिला चिकित्सक की पद स्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हनुमना में है।

निष्कर्ष रूप में शासकीय प्रयासों के बावजूद अध्ययन क्षेत्र हनुमना विकासखण्ड में चिकित्सकीय सुविधाओं की न्यूनता स्पष्ट होती है। इस न्यूनता का प्रभाव कृषि सहित अन्य विकास कार्यों पर होना स्वाभाविक है।

स्वास्थ्य का कृषि पर प्रभाव

रुग्णता स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। एक रुग्ण व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से कृषि संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य करने में अक्षम होता है। कृषि एक ऐसा आर्थिक कार्य है, जिसमें तैयारी से लेकर फसल जब तक घर के अंदर नहीं पहुँचती, विभिन्न प्रकार के कार्यों का सम्पादन यथा—देखभाल, कृषि क्षेत्र समतलीरण—जुताई, बुवाई, कटाई, मड़ाई, कृषि उपज को संरक्षित करना आदि जैसे कार्यों में श्रम की आवश्यकता होती है। अध्ययन क्षेत्र हनुमना विकासखण्ड प्रदेश के अन्य विकासखण्डों की भाँति मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित है तथा इस क्षेत्र का कृषि कार्य मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। वर्षाकाल जोकि कृषि कार्य के प्रारंभ हेतु रेखांकित है, में ऋतु परिवर्तन के कारण विभिन्न संक्रामक रोगों के जनन की अनुकूल परिस्थितियों की सौगात प्रस्तुत करता है, फलतः कृषि कार्य में संलग्न व्यक्ति संक्रामक रोगों से समय—समय पर पीड़ित होते रहते हैं। कृषि की बुवाई से लेकर मड़ाई एवं भण्डारण तक की किसी भी अवधि में यदि किन्हीं कारणों से कृषक या कृषि मजदूर बीमार होता है, तो उसके संरक्षण में तैयार होने वाली फसलें श्रम के अभाव में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में कृषक द्वारा वेस्टित पूँजी डूब जाती है, फसलों से लाभ प्राप्त होना तो दूर की बात होती है। जिससे स्पष्ट होता है कि कृषि कार्य का सम्पादन स्वस्थ जनसंख्या द्वारा ही संभव है तथा स्वस्थ जनसंख्या के लिये स्वास्थ्य सुविधाएँ आवश्यक आवश्यकताएँ होती हैं।

पशु चिकित्सा की अवसंरचनाएँ

कृषि की सहायक अर्थव्यवस्था के रूप में पशुपालन समग्र भारत में पाया जाता है। पशु जहाँ प्रत्यक्ष रूप में भारवाहक बनकर कृषि कार्य में मदद करते हैं, वहीं इनसे प्राप्त दूध, दूधोत्पाद की वस्तुएँ, खाल, रोंएँ एवं माँस प्राप्त किया जाता है, जो अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति एवं आय प्रदाय के स्रोत हैं।

अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाले पालतू पशुओं में गोवंशीय पशु, भैंस, सुअर, बकरी एवं भेड़ प्रमुख हैं। घोड़े—गधे भी पाए जाते हैं। गोवंशीय पशुओं में बैल की महत्ता कृषि कार्य में हल खींचने हेतु सर्वविदित है, किन्तु 2011 के पश्चात् यांत्रिक उपकरणों के अधिकाधिक प्रयोग ने इनकी महत्ता को कम कर दिया है। वर्तमान में पशुपालन दुग्ध एवं अन्य पशु उत्पादों के लिये किया जा रहा है।

चूँकि पशुओं से प्राप्त पदार्थ कृषकों की आय में अभिवृद्धि करते हैं, अतः इनके पोषण तथा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पशुपालकों पर होती है। आये—दिन पशुओं में संक्रमण एवं अन्य रोगों की प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है, जिससे वह रुग्ण हो जाते हैं, फलतः उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषकों पर पड़ता है। अतः कृषकों की मदद एवं सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय एवं औषधालय स्थापित कर पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल तथा विभिन्न योजनाओं को संचालित कर इनसे अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। अध्ययन क्षेत्र में पशुओं के चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थिति वर्ष 2021—22 में निम्नानुसार है—

सारणी क्रमांक—4

विकासखण्ड हनुमना जिला—रीवा में पशु स्वास्थ्य संरचनाओं का स्वरूप—2021—22

क्र.	विवरण	संख्या	स्थित स्थल	प्रभाव क्षेत्र	आधारित पशु संख्या
1.	पशु चिकित्सालय	01	हनुमना	समग्र विकासखण्ड का प्रशासनिक क्षेत्र	विकाकखण्ड के समग्र पशु
2.	पशु औषधालय	09	खटखरी, पिपराही, शाहपुर, पहाड़ी, हाटा, बिछरहा, पटेहरा	अप्राप्त	अप्राप्त

पशु चिकित्सालय

उपर्युक्त सारणी क्रमांक 4 से स्पष्ट होता है कि हनुमना विकासखण्ड में 01 पशु चिकित्सालय है, जो विकासखण्ड मुख्यालय हनुमना में स्थित है। इस पशु चिकित्सालय पर समग्र विकासखण्ड के पशुओं की चिकित्सीय देख–रेख की जिम्मेवारी है। प्रतिवेदित विकासखण्ड में सभी प्रकार के पशुओं की कुल संख्या 112628 है। इस प्रकार पशुओं की संख्या को देखते हुए पशु चिकित्सालय की संख्या बहुत कम है। निष्कर्ष रूप में पशुओं की चिकित्सकीय सुविधाएँ अध्ययन क्षेत्र में संतोषजनक नहीं पाई जाती।

पशु औषधालय

अध्ययन क्षेत्र में पशु औषधालयों की कुल संख्या 09 है, जहाँ पशुओं का प्रारंभिक उपचार एवं बंधीकरण की सुविधाएँ हैं। ज्ञातव्य हो कि पशु औषधालय में चिकित्सक की नियुक्ति नहीं होती। प्रत्येक औषधालय में एक डिप्लोमाधारी स्टॉकमैन (कम्पाउण्डर) एवं 01 ड्रेसर की नियुक्ति रहती है। हनुमना विकासखण्ड में पशु औषधालय स्थल एवं आश्रित ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार सारणी क्रमांक–5 है–

सारणी क्रमांक 5

रीवा जिला के हनुमना विकासखण्ड में पशु औषधालयों एवं प्रभाव क्षेत्र का स्वरूप–2022

क्र.	पशु औषधालय स्थल	प्रभाव क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के नाम	प्राविधिक पशु संख्या
1.	खटखरी	खटखरी, यधरमपुरा, देउरा, भाजन, हटवा, चौहना, तेलिया बूड़, उकसा कोठार, बलभद्रगढ़, माजन	17185
2.	रमनगरी	रघुनाथगढ़, राजाघौ, रमकुड़वा, रमनगरी, सलैयाखास	19500
3.	पहाड़ी	पहाड़ी, ढुर्रिहा, बरॉव, फूलचन्द सिंह फूल बंजरंग सिंह, पैपरकर, खजुरहन, गाढ़ा, महौता, गनिगवाँ, बसगड़ा	21000
4.	शाहपुर	सरदमन, शाहपुर, टटिहरा, तेंदुआ बेलान ढुर्रिहा, सघन कला, खैरा, जमुई, कोलहा, भलुटा, बधैया, गौठी	16000
5.	बिछरहटा	कौवाठान, सगहनकला, खैरा, जमई, बिछरहटा, हर्दी, धौसड़, टटिहरा, पटेहरा, बहुती, चंदेह	14000
6.	पिपराही	जड़कुड़, पिपराही, नकवार, बीरार्दे, सरदमन, हर्रई, बेलहा, भुनहाई	22000
7.	हाटा	बरही, हाटा, पाँती, गोपला, बलजवाहर सिंह, पटेहरा वस्तीवानी, मोईडार, लोढ़ी, लासा	21000
8.	घोघम	रघुनाथगढ़, घोघम, खेड़मानी, कैलासपुर	17825
9.	बिझौली	हटवा चक, हटवा निर्मय, बिझौली गहरवार, बिझौली भुकुट बिरहा कछाई, गेदुरहट	अप्राप्त

उपर्युक्त सारणी क्रमांक–5 के अनुसार प्रत्येक पशु औषधालय में अधिकतम 11 ग्राम पंचायतों एवं न्यूनतम 08 ग्राम पंचायतों के पशुओं की देख–रेख, प्राथमिक उपचार एवं वन्ध्याकरण भी जिम्मेवारी है। जहाँ तक प्रति औषधालय पशु संख्या घनत्व का प्रश्न है, पिपराही, हाटा, रमनगरी के प्रभाव क्षेत्र चरनोई भूमि की अधिकता के कारण पशु घनत्व अधिक है, जबकि शाहपुर, बिछरहटा के प्रभाव क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में कृषित भूमि अधिक है, फलतः पशुओं की संख्या तुलनात्मक कम है। उल्लेखनीय तथ्य है, किसी भी पशु औषधालय में विकासखण्ड सीमांतर्गत अथवा विकासखण्ड के बाहर के क्षेत्र के पशुओं की चिकित्सा हेतु कोई पाबन्दी शासन द्वारा नहीं की गई है।

पशु गर्भाधान केन्द्र

पशु गर्भाधान केन्द्र की संख्या 01 है, जो हनुमना में स्थित है। इस सुविधा का लाभ हनुमना नगर की समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के कृषक ले पाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी 09 पशु उपचिकित्सालय/पशु औषधालयों में कृत्रिम पशु

गर्भाधान केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है, किन्तु इन कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में वह सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पातीं। फलतः पिपराही जैसी सुदूरवर्ती ग्राम पंचायतें स्तरीय गर्भाधान सुविधाओं के लाभ से वंचित रह जाती हैं, जबकि शाहपुर, बिछरहटा एवं पहाड़ी के प्रभाव क्षेत्र में स्थित ग्राम मऊगंज एवं नईगढ़ी (समीपवर्ती विकासखण्ड मुख्यालय) से उक्त सुविधाएँ प्राप्त करते हैं।

निष्कर्षतः अध्ययन क्षेत्र जहाँ पशुपालन कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, में पशुओं के उपचार संबंधी अधोसंरचनाओं की अनुकूलता नहीं पायी जाती, जिसके फलस्वरूप आये–दिन विशेषतः वर्षा ऋतु में या पशुओं में संचारी रोग की वृद्धि के समय उपचार के अभाव में बहुसंख्यक पशु मर जाते हैं।

पशु चिकित्सा संबंधी अवसंरचनाओं की समस्याएँ

अध्ययन क्षेत्र हनुमना विकासखण्ड में पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याएँ निम्नानुसार हैं–

(1) विकासखण्ड मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सा केन्द्र है, फलतः विकासखण्ड की दूरस्थ ग्राम पंचायतें जड़कुड़, पिपराही, बीरादेई, सोना–पानी, पहाड़ी, रमनगरी खोड़मानी जैसी ग्राम पंचायतें सुविधाओं का लाभ नहीं ले पातीं।

(2) अध्ययन क्षेत्र का दक्षिणी–पश्चिमी अंचल विषम धरातलीय भू–भाग है, फलतः वर्षा ऋतु में हनुमना मुख्यालय तक की गम्यता कठिन हो जाती है। इसी ऋतु में पशुओं में बीमारी अधिक होती है। पशु औषधालय में वांछित उपचार नहीं हो पाता फलतः बीमार पशु चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ देते हैं।

(3) विकासखण्ड में स्थित सभी 09 औषधालयों में न तो परीक्षण संबंधी उपकरण हैं, न दवाई की पर्याप्तता। इसका प्रतिकूल प्रभाव पशु चिकित्सा पर होता है।

(4) पशु औषधालय के भवन जर्जर स्थिति में तथा अधिकतम 02 कमरे वाले हैं। उपकरण एवं साज–सज्जा का इनमें अभाव है।

उपर्युक्त समस्याओं के कारण पशुओं का विधिवत् उपचार संभव नहीं हो पाता।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में पाए जाने वाले पशुओं की कुल संख्या 112802 है। इन पशुओं के पालन–पोषण हेतु जल की आवश्यकता होती है, चूँकि हनुमना विकासखण्ड कगारों से घिरा क्षेत्र है, मृदा की गहराई कम, विषम उच्चावचीय धरातल एवं अमेघ शैल दृश्यांश के कारण इस विकासखण्ड की पिपराही, पूर्वी–दक्षिणी हनुमना एवं दक्षिणी खटखरी राजस्व निरीक्षक मण्डलों में अधौभौमिक जल की न्यूनता है, जबकि वन्य क्षेत्र होने के कारण इन्हीं रा.नि.म. में पशुओं की संख्या ज्यादा रहती है। वर्षा के दिनों में जल की सहज उपलब्धता एवं विस्तृत चरनोई भूमि के कारण अन्य क्षेत्र के पशुपालक अपने पशुओं के लेकर इस क्षेत्र में आते हैं तथा 'बाड़ा' बनाकर रहते हैं, परन्तु अक्टूबर महीने से ही जल की मात्रा घट जाने के कारण अन्य क्षेत्र के पशुचारक तो यहाँ से चले ही जाते हैं, इन रा.नि.म. के कृषकों को भी अपने पशुओं के साथ या तो अदवा नदी अथवा गोरमा नदी की निम्नवर्ती घाटी अथवा नैना नदी घाटी की ओर पलायन करना पड़ता है, जिसका स्थानिक स्तर पर पशु उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा कृषि कार्य प्रवाहित होता है। 1965 के बाद अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार से पशुपालकों का जहाँ मौसमी पलायन रुका है, वहीं सिंचाई के साधनों बाँध (गोरमा बाँध), कन्हैया बांध ा, छोटे सिंचाई तालाबों, छोटे–छोटे नालों में सिंचाई के निमित्त बनाए गये स्टेप डैम, मृदा वन्य, कृषि क्षेत्रों में बनाए गये बलराम टैंक, कपिल धारा कूप

आदि के निर्माणों द्वारा जहाँ पशुओं के लिए पर्याप्त पीने एवं नहलाने हेतु जल की आपूर्ति होने लगी है, वहीं पशुओं के उत्तम खाद्य व्यवस्था के अंतर्गत वरसीन एवं अन्य हरी घासों का उत्पादन पशुपालन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ है। सिंचाई सुविधाओं के कारण इस क्षेत्र में पशुपालन का व्यावसायिक रूप निखरा है। पशुपालन धीरे–धीरे इस क्षेत्र में एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होने लगा है।

उपर्युक्त प्रभावों के अतिरिक्त सिंचाई के साधनों के विस्तार से भूमिगत जल के तल के ऊपर उठने, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की पर्याप्तता, मृदा गठन एवं अन्य पर्यावरणीय प्रभाव परिलक्षित होने लगे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1 जिला जनगणना पुस्तिका, जिला रीवा, 1991 एवं 2001, विश्लेषणात्मक विवरण

2 कार्यालय स. अधीक्षक भू–अभिलेख, तहसील हनुमना से प्राप्त जानकारी, वर्ष–2022

3 क्षेत्रीय सर्वेक्षण वर्ष 2022 पर आधारित

4 मीनू चौरसिया, रीवा जिला के नई गढ़ी विकासखण्ड के कृषि का सूक्ष्म स्तरीय नियोजन, शोध ग्रन्थ, अ.प्र.सि.वि.वि., रीवा, 2014

5 रामपाल एवं बृजनाथ श्रीवास्तव, व्यावहारिक भूगोल, किताबघर, आचार्य नगर, कानपुर, 1978, पृ. 210–211

SHODH CHETNA–YEAR-10, VOL. 1 (Jan. To March, 2024) **ISSN : 2350-0441**
A Peer-Reviewed & Referred International Multifocal Research Journal
IMPACT-FACTOR SJIF - 6
Paper Recieved : 14th March 2024 **Paper Accepted : 27th March 2024**

राष्ट्रीय एकता के सूत्र-वैदिक संस्कारों की व्यापकता

❑ डॉ. आनन्दराम पैकरा*

शोध-सारांश

*वेदों में कई विषयों पर कथा, सूक्तियों आदि है इन मंत्रों में ज्ञान, भक्ति, योग, राजनीति, धर्म, अर्थ आदि पर कई मंत्र है वेदों में राष्ट्रीय महत्व को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से बताया गया है कि द्यावा पृथ्वी हमारे लिए क्या है इस मातृभूमि से हमें सब कुछ मिलता है इसकी हमे रक्षा करनी चाहिए ऋग्वेद के अनुसार–**श्रेष्ठं यविष्ठ भारताग्ने घुमन्तमा भर। वसो पुरुस्पृहं रयिम।** (2.7.1) भारत वह देश है, जहाँ के ऊर्जावान युवा सब विधाओं में अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान है, सबका भला करने वाले व सुखी है जिन्हें विद्वान उपदेश देते है कि वे कल्याणमयी विवेकशील सर्वप्रिय लक्ष्मी को धारण करें–**त्व नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षाभिः। अष्टापदीभिराहुतः ।।** (2.7.5) 2 भारत में सभी विषयों में अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान, गायों व बैलों के द्वारा खेती कर राष्ट्र को समृद्ध बनाते है व आठ सत्या सत्य निर्धारक नियमों द्वारा संचालित जीवन जीते है–**उदग्ने भारत द्युमदजस्त्रेण दविद्युतत् । शोचा वि भाह्यजर ।** (6.16.45) ये सभी विषयों में अग्नि के समान तेजस्वी विद्वान्। आप निरन्तर उन्हें ज्ञान देते हो जो ज्ञानवान है अतः आप और अधिक ज्ञान प्राप्त कर उन्हें ज्ञान दीजिये। इस तरह की ज्ञान परम्परा को निरूपित किया गया है।*

मुख्य शब्द– *भारतीय, अनुसंधान, परम्परा, वैदिक, संस्कारों, व्यापकता, मानव, जीवन आदि ।*

परिचय

भारतीय अनुसंधान परम्परा के प्रवर्तक आचार्यों के द्वारा वैदिक संस्कारों की व्यापकता मानव जीवन के चतुर्दिक पर्यावरण को निर्देशित करता है। वेदे भवः वैदिकः सम् उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातु से भाव और करण अर्थ में 'घञ' प्रत्यय होकर भूषण के अर्थ में सूट आगमपूर्वक वैदिक संस्कार पद निष्पन्न होता है। संस्कार का अर्थ है मंडितः भूषित अलंकृ तार्थ अथवा सुदृढ दोषों के परिमार्जन के लिए गुणों के आधान के लिए की जाने वाली कर्मकाण्ड जनित क्रियाविधि पद्धति का नाम संस्कार है।

संस्कारों ही गुणातराधानमुच्यते, चरकसंहिता

* *सहायक प्राध्यापक*, शासकीय आर.बी.आर.एन.ई.एस. पी.जी. कॉलेज, जशपुर नगर (छत्तीसगढ़)

विभाग 1/1–27 व्यक्ति में जैसा संस्कार डाला जाता है वैसा ही संस्कार समाज में संस्कृति में होना चाहिए। संस्कार मनुष्य को व्यष्टि के रूप में व्यवस्थित करता है जिसमें संस्कृति समष्टि के रूप में प्रवाहित होती है। मीमांसा दर्शन में 3/1–31 की व्याख्या में शवर स्वामी ने कहा है 'संस्कारो नाम संभवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कश्चिद् अर्थस्य मानव जीवन परिष्कारयितारः वैदिक विधि विशेषो नाम संस्कारः।' संस्कार का मूल उद्देश्य तीन रूपों में परिलक्षित होता है– (1) दोषमार्जन, (2) अतिशयाधान, (3) हिनाडग्पूर्ति अथवा किया पूर्ति। गर्भाधान, जातकर्म, अन्नप्राशनादि संस्कारों से दोषमार्जन । उपनयम संस्कारों से अतिशयाधान विवाहादि अग्नेयाधान इत्यादि संस्कारों से हम लोगों के जीवन में ही हीनाझ्ग पूर्ति होती है।

संस्कारो के विविध शाखाओं का प्रवर्तन– संस्कारों की गणना में वैदिक महर्षियों के विभिन्न मत दृष्टिगोचर होते हैं–महर्षि गौतम के मत के अनुसार 40 संस्कार, अंगिरा के मत से 25 संस्कार, स्मृतिकार व्यास के मत से 16 संस्कारों का प्रवर्तन मानव कल्याण के लिये किया गया है 'आधानं, पुंसवनं, सीमंतोनयनं जातकर्म नामकरण, चौल, उपनयनं, समापवर्तनंमुद्वाह अग्न्याधान दीक्षा महाव्रतं सन्यास।' मीमांसा दर्शन में गर्भाधान से लेकर उपनयन पर्यन्त 8 संस्कार निवृत्तिमार्गी है। जैसे कि भगवान मनु का वचन है कि–

"वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैः
निर्षकादिर्द्विजन्मनाम।
कार्य शरीर संस्कारः
पावनः प्रत्यचेह च।।
गार्भैर्होमैर्जात कर्म
चोऽमौजी निवन्धनैः।
वैणिकं गर्भिकं चौनो
द्विजानामपमृज्यते।।"
स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्यै
विद्येनेज्यया सुतैः।
महायज्ञैश्च यज्ञैश्च
ब्राह्मीयं कियते तनुः।।

(मनु 2/ 27–28)

वस्तुतः द्विजातियों के शरीर संस्कार वेदोक्त पवित्र विधियों से अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि इन संस्कारों से यह मानव इह लोक के साथ–साथ परलोक में भी परम् पावन कारक होता है।

गौतम धर्मसूत्र में जिन 40 संस्कारों का वर्णन प्राप्त होता है उनमें से 8 संस्कार आत्मगुण के रूप में कहे गये हैं। संस्कारों की प्रदीर्घ सूक्ति शास्त्रों में प्राप्त होती है जिसका ज्ञान लोक मंगल कामना से प्रस्तुत शोध पत्रों से दिया जा रहा है–(1) गर्भाधान, (2) पुंसवन, (3) सीमंतोनयन, (4) जातकर्म, (5) नामकरण, (6) अन्नप्राशन, (7) चौत, (8) उपनयन अग्रहायणी, चौत्री और आश्वयूजी (9 से 12) वेद व्रत, (13) स्नान, (14) सहधर्मी, (15 से 19) तक पंच महायज्ञ (देव पितृ मनुष्य भूत और ब्रह्म), (20 से 26) सप्तपाक यज्ञ संस्था अष्टकापार्वण श्राद्धश्रावणी, (27 से 33) सप्तहवीर्यज्ञ, संस्था अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, पूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्राहायणेष्टि निरूढपशुबन्ध और श्रोत्रामणी, (34 से 40) सप्तसोम यज्ञ. संस्थाअग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम उवथ्य, पोडशी वाजपेय पेडशी वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्थाभयदया, शान्ति, अनसूया. शौच अनापाश, मंगल अकाण्य, अष्ट आत्मगुणाः। दया. शान्ति, अनुसूया, शौच, अनायात, मंगल, अकार्पण्य, अस्पृश्य ये आत्मगुण है।

आश्वलायन गृहसूत्र, पारस्कर गृहसूत्र, बाराह, गृहसूत्र वैखानस, गृहसूत्र में महर्षि व्यास इत्यादि ने विनिर्दिष्ट संस्कारों का गहन चिन्तन किया गया है तथा उनकी उपादेयता सिद्धि करके भारत देश के विश्वगुरु की प्रतिष्ठा प्राप्त की है–

चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवाः।।
एतद्देश प्रसूतस्य सकासादग्रजन्मनः।

(स्वं स्वं मनुस्मृति 2/20)

महानिर्वाण तंत्र में शिव पार्वती के संवाद में

संस्कारों के विषय में कहा गया है कि 'संस्कारेण विना देवी देहशुद्ध न जायते । ना संस्कृतोधिरिष्याद देवे पैत्र्ये च कर्मणि अतोविप्रादिभिन्नवर्णं स्व स्व वर्णोक्त सांस्कीया कर्तव्या सर्वथा यत्नैरिहामुत्र–हितैपशुभी,' संस्कारों के सम्बन्ध मंत्रात्मक विधियों परंपराओं के विवेचन करने पर निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त होते हैं।

(1) मानव जीवन में प्रतिकूल प्रभावों की समाप्ति।
(2) अभिलपित प्राभावों का आकर्षण।
(3) शारीरिक आध्यात्मिक शक्ति समृद्धि बुद्धयादि की प्राप्ति।
(4) जीवन में होने वाले सुख–दुख इच्छाओं का व्यक्त करना।
(5) गर्भवीज सम्वन्धी दोषों का परिमार्जन।
(6) धार्मिक, नैष्ठिक, विशेषाधिकार की प्राप्ति।
(7) पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष)।
(8) चारीत्रिक विकास।
(9) कियाओं का आध्यात्मिक लक्ष्य के उपर संस्थापना।

''संध्यास्नानं जपश्चौव देवतानां च पूजनम्।
वैश्वदेवं तथाऽऽतिथ्यं पटकर्माणि दिने दिने।।''

पारस्कर गृहयसूत्र के अनुसार (1) पुंसवनं, पुरास्पदत इति मासे द्वितीय तृतीय वा। (2) चतुर्थे गर्भमासे सिमन्तोनयनं। (3) वेदोऽसीति जातकर्मे। (4) अंकादंकातः सम्भवति द्वयाद विजायसे।

आत्मायै पुत्रनामासि सजीवः शरदः शतम।
नामधेयं दशम्यां तू द्वादस्यां वास्यकारेत्।।
पुण्यतिथौ मुहुर्तेवा नक्षत्रेवा गुणान्विते।
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु सभावहं कर्मसुभाग्य हेतु।।
नाम्नैव कीर्तिः लभते मनुष्य सतत् प्रशस्तं खलु नाम कर्म चतुर्थेमासिनीष्कमाणिका सूर्यमुदिक्ष्यति।।
तच्चक्षुरिति चतुर्थमासि कर्तव्या शिशोर्निष्क्रमणं गृहात।
पप्टे अन्नप्राशनं आसीदपदेष्टं मंगल मंगलं कुले।।
तृतीय वर्ष चौलं साम्बतृशरीकस्य पूंछकरणं। चूडाकर्म द्विजातिनां सर्वसामेवधर्मतः प्रथमदे तृतीर्यवाकर्तव्यं।। (श्रुति, मनु 2/35 में)

एक पत्निव्रतघरो राजर्षिचरितः सूचि।
स्वधर्मागृहमेधियं शिक्षयन स्वयमाचरत।
नन्दीमुखश्राद्धहिर जातकरम सब कीन्ह।
हाटक धेनु वसन मनि नृप विप्रन्ह कह दीन्ह।।

आज के विश्व में प्राचीनतम् वैदिक साहित्य में राष्ट्र या देश के प्रति सुन्दर उद्गारों की अभिव्यक्ति की झलक कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। राष्ट्र शब्द एक सुनिर्दिष्ट अर्थ और भावना का प्रतीक है। जिस प्रकार से यजुर्वेद ने राष्ट्र के कल्याण के लिए अत्याधिक कामनाओं की अभिव्यक्ति की है।

महारथो जायताम्।
आ राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी।।

इस राष्ट्र में अनेकानेक क्षत्रिय वीरो ने जन्म लिया और वो धनुषधारी लक्ष्यवेधी और महारथी थे। साथ ही साथ अथर्ववेद में भी वैदिक साहित्य में राष्ट्र की एकता के लिए अथर्ववेद में भी धन धान्य से युक्त दुग्ध आदि के संवर्धन प्राप्ति की कामना की गयी है।

अभिवर्धताम् पयसाभि राष्ट्रेण वर्धमात्।।

राष्ट्र से संबंधित वैदिक साहित्य में उसकी एकता के लिए जैसे– साम्नाज्य, स्वराज्य, राज्य, महाराज आदि में राष्ट्र शब्द ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र से आशय उस भूखण्ड विशेष है जहाँ के निवासी एक संस्कृति विशेष में आवद्ध होते है। एक सुसमृद्ध राष्ट्र के लिए उस का स्वरूप निश्चित होना आवश्यक है। कोई भी देश एक राष्ट्र तभी हो सकता है। जब उसमें देशेतरवासियों को भी आत्मसात करने की शक्ति हो। उनकी अपनी जनसंख्या, भू–भाग प्रभुसत्ता, सभ्यता, संस्कृति भाषा साहित्य, स्वाधीनता और स्वतन्त्रता आदि समस्त तत्व हो। साथ ही जिसकी समस्त प्रजा अपने राष्ट्र की एकता के लिए आस्थावान हो। वह चाहे किसी भी धर्म जाति तथा प्रान्त का हो। क्योंकि राष्ट्रीय

एकता राष्ट्र का महत्वपूर्ण आधार तत्व है, जो नागरिको में प्रेम, सहयोग, धर्म, निष्ठा, कर्त्तव्य–परायणता, सहिष्णुता तथा साधुत्व आदि गुणों का विकास करता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि–

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठा अकनिष्ठास।
उद्भिदो ऽमध्यमासो महसा विश्वादधुः।।

अर्थात् राष्ट्र, भक्तों में किसी प्रकार की ज्येष्ठता एवं कनिष्ठता की भावना नहीं होनी चाहिए। सभी को अपने सद्प्रयत्नों राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। सामूहिक हित की भावना से ही सबकी उन्नति सम्भव है और सभी की उन्नति से ही राष्ट्र की दृढता बढ़ती है। उसकी एकता और अखण्डता मजबूत होती है।

इला सरस्वती महीमिस्त्रो।
देवीर्भयो भुवः वर्हिः सीदन्त्वसिधः।।

इसी परिप्रेक्ष्य में ऋग्वेद उल्लिखित है–

परेह्मभीहि धर्णुहि न ते वज्रो नि यंसते।
इन्द्र मम्णी हि ते भावो हनो वत्तं
जया उपोऽर्चन्न नु सवराज्यम्।।

अर्थात् स्वराज्य भासन की प्रतिष्ठा अविचल है। निष्कर्षतः इस प्रकार से राष्ट्र भक्तो में सामनता की भावना आवश्यक बताते हुए इस तथ्य को निरूपित किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र की भाषा, संस्कृति एवं भूमि ही सुख प्रदाता एवं श्रेयस्कर देवता है। इनकी ही उन्नति करने से वास्तविक राष्ट्रीय उन्नति सम्भव हो सकती है और राष्ट्रीय उन्नति से ही सामूहिक सुख प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा सबसे अहम बात है। क्योंकि शत्रु ही सदैव अखण्डता पर प्रहार करने के लिए अवसर खोजा करते है । इन राष्ट्र के भानुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए। क्यों कि यह राष्ट्र के लिए सदैव घातक सिद्ध हो सकता है। अतएव इन्हीं तथ्यों के आधार पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र–वैदिक संस्कारों की व्यापकता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

सन्दर्भ–ग्रन्थ–सूची

1. मनु 2/ 27–28
2. स्वं स्वं मनुस्मृति 2/20
3. श्रुति, मनु 2/35 में
4 युजुर्वेद 28 / 22
5. अथर्ववेद 6 /28/2
6. ऋग्वेद 5/51/6

जी.एच. पब्लिकेशन
हमारे नवीनतम प्रकाशन

• लौकिक जीवन का आध्यात्मीकरण	प्रो. अरविन्द कुमार 'वनबन्धु'	950.00
• हिन्दू-धर्म दोष एवं समाधान	प्रो. अरविन्द कुमार 'वनबन्धु'	950.00
• जयशंकर प्रसाद की अनमोल कहानियाँ	सं. डॉ. अरुण कुमार वर्मा	400.00
• रीवा राज्य के बघेल राजाओं की आर्थिक नीतियों का ऐतिहासिक अध्ययन (1755 ई. से 1948 ई. तक)	डॉ. जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय	999.00
• रीवा अंचल के सरयूपारीण ब्राह्मणों की वंशावली	डॉ. सुशीला पाण्डेय (तिवारी)	999.00
• कवितागीतिश्लोकसंग्रह (संस्कृत भाषा में)	डॉ. द्वारिका नाथ त्रिपाठी	400.00
• पर्यटन विकास की व्यूह रचना	चन्द्रमणि प्रसाद तिवारी	400.00
• माटी के चुकिया (छत्तीसगढ़ी बाल-कविता संग्रह)	चोवा राम वर्मा 'बादल'	150.00
• चीख एवं चौदह कहानियाँ	डॉ. सूर्य नारायण गौतम	250.00
• शुक्लयजुर्वेदीया रुद्राष्टाध्यायी (संस्कृत-हिन्दी व्याख्यासहित)	प्रो. डॉ. वेदप्रकाश उपाध्याय	500.00
• विद्यारण्यभाष्यसहितम् श्रीसूक्तम् (संस्कृत-हिन्दीव्याख्या-अंग्रेजभाष्यसहित)	प्रो. डॉ. वेदप्रकाश उपाध्याय	50.00

हमारे आगामी प्रकाशन

• Civil Engineering Construction Materials	Dr. Nisha Pandey
• वेद : भारतीय संस्कृति और विज्ञान	प्रो. डॉ. अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
• सनातन धर्म के आधारभूत तत्त्व	प्रो. डॉ. अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
• हिन्दू धर्म दोष एवं समाधान	प्रो. डॉ. अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
• धर्म एवं पर्यावरण विज्ञान	प्रो. डॉ. अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
• सनातन धर्म एवं ब्रह्म का स्वरूप	प्रो. डॉ. अरविन्द कुमार 'बनबन्धु'
• प्रेमचन्द की अनमोल कहानियाँ	सं. गौरान्शी कुशवाहा
• जयशंकर प्रसाद की अनमोल कहानियाँ	सं. डॉ. अरुण कुमार वर्मा
• जैमिनिसूत्र में विविध ज्योतिष-योग : एक समन्वयात्मक अध्ययन	डॉ. सुभाषचन्द पाराशर
• भारतीय संस्कृति में गोमाता	डॉ. सुभाषचन्द पाराशर

पुस्तक मँगाने का नियम

❒ प्रत्येक पुस्तक पर 20% कमीशन दिया जायेगा एवं डाक व्यय फ्री रहेगा।

❒ पुस्तक के मुद्रित मूल्य में 20% धनराशि काटकर शेष धनराशि हमारे Phone Pay No. में जमाकर उसका स्क्रीन शाट तथा अपना पूरा पोस्टल पता एवं अपना मोबाइल नं., हमारे Whatsapp No. 9532481205 पर भेज दें।

❒ आदेशित पुस्तकें आपके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दी जायेंगी।

Phone Pay (M.) 9532481205
Sushil Kumar Kushwaha
Union Bank of India
A/c. 394302010996632
IFSC : UBIN0807095